(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के आठवें सत्र का 32 वां दिवस [संख्या 20

बृहस्पतिवार

दिनांक 5 अप्रेल 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई.

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री बन्शीलाल पटवा।

491. **श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)** : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

भीलवाड़ा जिले की सुवाना पचायत समिति में वर्ष 1983-84 में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर कौन कौन व्यक्ति नियुक्त हुए ? इनमें से किस किस के कब-कब, कितनी-कितनी बार स्थानान्तरण किन के आदेश से हुए ?

राज्य मन्त्री पंचायती राज (श्री शीशराम ओला) : भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति सुवाना द्वारा वर्ष 1983-84 में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर 45 व्यक्ति नियुक्त किये गये जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। उनमें से किसी भी अनुदेशक का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रवण कुमार जो सुपरवाइजर है, एक ही महीने में चार बार स्थानान्तरण किया गया है। उसका नाम इस सूची में समाविष्ट नहीं किया गया है। मन्त्री महोदय को जो सूचना दी गयी है वह गलत सूचना दी गयी है। श्रवण कुमार का चार बार स्थानान्तरण किया गया है इसके कारण उसको हाई कोर्ट जाना पड़ा। दयनीय स्थिति यह है कि हाई कोर्ट जाकर उसको स्टे लाना पड़ा। आज भी वह इस सरकार की छाती पर बैठा हुआ है।

श्री शीशराम ओला : छाती पर तो आपकी बैठा हुआ है, सरकार की छाती पर नहीं। आप महरबानी करके चेष्टा यह कीजिये कि सही प्रश्न पूछें।

आपने अनुदेशक के बारे में पूछा है। किसी भी अनुदेशक का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अनुदेशक वह होता है जिसे

Page No 2

(श्री शीशराम ओला)

फिक्स्ड तनख्वाह दी जाती है। उसकी कहीं बदली नहीं हो सकती। वह वहीं रहेगा। सुपरवाइजर का पद अलग है। आपने पूछने में भूल की है तो मैं क्या करूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री कैलाश मेघवाल।

सहायक खनिज अभियन्ता नीम का थाना के क्षेत्राधिकार में लाइम स्टोन के पट्टे

492. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) एवं **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर व झुंझुनू जिले में सहायक खनिज अभियन्ता नीम का थाना के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्र में लाइम स्टोन के पट्टे 300 × 300 मीटर क्षेत्रफल के दिये जाने हेतु आवेदन पत्र गत दिनांक 4-1-1983 को आमंत्रित किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र का डेलिनियेटेड नक्शा तैयार करके ये प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये या प्रार्थियों के विवेक से क्षेत्र चयन कर नक्शा प्रस्तुत करते हुए आमंत्रित किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रार्थियों के विवेक से प्रस्तुत नक्शों से उनमें आपस में टकराव, आंशिक ओवरलेपिंग आदि होने के साथ ही बहुत बड़ा खनन क्षेत्र इन नक्शों के बीच में छूटने से आपसी विवाद पैदा करने के साथ ही राज्य कोष को भी हानि पहुंचाने का आधार बनता है ?

(4) कृपया दिनांक 4-1-1983 की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत नक्शों का एक कंसोलिडेटेड नक्शा सम्पूर्ण क्षेत्र में उनकी स्थिति बताते हुए सदन के पटल पर रखें।

(5) वर्तमान रायल्टी की दर से 300 × 300 मीटर क्षेत्रफल के खनन क्षेत्र का स्थिर भाटक कितना अनुमान किया गया है ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) आवेदन पत्र दिनांक 4-2-83 से आमंत्रित किये गये थे।

(2) जी नहीं। प्रार्थियों से स्वयं के विवेक से चयनित क्षेत्र के नक्शों सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

(3) नियमों में खान पट्टों (माइनिंग लीजेज) को आवेदित क्षेत्र के नक्शों व विवरण सूची के आधार पर ही स्वीकृत करने का प्रावधान है। यदि दो आवेदकों द्वारा आवेदित क्षेत्र परस्पर ओवरलेपिंग करता है तो नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र स्वीकृत किये जाते हैं जिससे उनके आपस में टकराव व विवाद का प्रश्न साधारणतया नहीं उठता तथा न ही राज्य कोष में हानि का प्रश्न उठता है।

Page No 3

(3)

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

(4) आवेदन-पत्रों के साथ प्राप्त नक्शों का कसोलिडेटेड नक्शा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) चूना बनाने योग्य खनिज लाइम स्टोन के 300 × 300 मीटर क्षेत्र-फल के खनन पट्टे का वर्तमान दर पर वार्षिक स्थिर भाटक 45,000) रुपये है।

(नक्शा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो जवाब दिया है उसका विरोधाभास तो यह नक्शा अपने आप में है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूगा कि जहां खनन के काम्पेक्ट एरियाज हैं वहां पर नक्शा होने के बाद पट्टे देना राज्य के हित में और पट्टेधारियों के हित में है या नहीं ? आपने कहा कि ऐसा नहीं होता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी नक्शा होगा, यह देखिये, सब जगह ओवरलेपिंग हो रहा है। यह 11 दरख्वास्तें हैं सब में ओवरलेपिंग हो रहा है। सारा ओवरलेपिंग है इस ओवरलेपिंग की वजह से जो प्रार्थना-पत्र हैं वह अलग-अलग होते तो हो जाते लेकिन चार ही काम्पेक्ट एरियाज हैं। तो इस तरह की स्थिति है, क्या इसको खनिज विभाग ठीक करने को तैयार है या नहीं ?

मेरा तीसरा सवाल यह है कि 45 हजार रुपया साल का रोयल्टी का बताया है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या 45 हजार रुपये में छोटे-छोटे पट्टे, जिससे छोटे लोग भी इस खान के क्षेत्र में व्यवसाय कर सकें, देने का राज्य सरकार इरादा रखती है ?

खनिज मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस क्षेत्र का प्रश्न है माननीय सदस्य ने जैसा नक्शे को रेफर किया, मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि इस नक्शे को देखने से जाहिर है कि जिन लोगों ने इस सारे एरिया में खनन पट्टे मांगे हैं वह बहुत ही बिखरे हुए एरियाज हैं, कुछ पाकेट्स हैं जहां लाइम स्टोन का काफी भण्डार है जहां कि उन लोगों ने अपने-अपने पट्टे मांगे हैं और पांच छः प्लाट्स ही बनने लायक वह जगह है। तो इसका डेलियनेटेड प्लान बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और न इसकी कोई आवश्यकता है। हमने ओपन एप्लीकेशन मांगी हैं, 300 × 300 मीटर के प्लाट्स हम देंगे और जो व्यक्ति प्लाट्स लेना चाहें वह एप्लीकेशन दें और जो ओवरलेपिंग दरख्वास्त हैं, क्योंकि कई लोग एक ही जगह को दरख्वास्त दे देते हैं। इसलिए वह ओवरलेपिंग हो जाता है तो उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर जिनकी एप्लीकेशन पहले आई है उनको पहले और दूसरे प्राथमिकता के रूल्स बने हुए हैं उस आधार पर एग्जामिन करके एक व्यक्ति को प्लाट दे दिया जाता है। अगर ओवरलेपिंग है तो कह दिया जाता है कि यह ओवरलेप है इसलिए आप अपने नक्शे को बदल दीजिए और दूसरी दरख्वास्त दे दीजिए। अगर वह दूसरी दरख्वास्त देने को तैयार हो जाते हैं तो ठीक है। और अगर वह दूसरी दरख्वास्त देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो जो कानून के अनुसार कार्यवाही करनी होती है वह की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जाती है। हमारे पास लोगों की 70 एप्लीकेशन आई हैं और उनमें से 4 ही मंजूर हुई हैं। बाकी अलग-अलग कारणों से, केवल यहीं कारण नहीं कि ओवरलेपिंग है बल्कि और भी अलग-अलग कारणों से क्योंकि इसमें फारेस्ट एरिया भी आता है और सारा का सारा एरिया ऐसा नहीं है कि जो खनन के लिए राज्य सरकार के अधीन आता है इसलिए इसमें डेलियनेटेड प्लान बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अगर वहां से मिनरल निकाला जाता है, तो उसकी रायल्टी सरकार को मिलती है। अगर रायल्टी अधिक है, तो जिसकी गारन्टी है इस एरिया में रायल्टी की अपेक्षा नहीं निकाल पायेगा तो इतना पैसा तो गवर्नमेंट को मिलेगा ही। इसलिए नुकसान होने का तो राज्य सरकार को सवाल ही नहीं है।

दूसरी बात आपने कही कि 300×300 के प्लाट्स बनाये और इसका वर्तमान दर वार्षिक स्थिर भाटक 45,000 रुपया है। छोटे प्लाट्स बनाने की बड़ी आवश्यकता महसूस हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस एरिया में छोटे प्लाट्स बनाये हैं। पहले यहां काफी बड़े-बड़े एरियाज़ में लीज़ दी हुई थीं और इसके कारण छोटे लोगों को यहां प्लाट नहीं मिल सकते थे। क्योंकि और दूसरा एरिया बाकी नहीं था जो कि लोगों को दे सकें। हमने उसका क्या किया। 300×300 जो कि एक वायेबल इकानामिक यूनिट बनती है, हमने सोचा कि आखिर हमको इतनी जगह तो देनी चाहिए जिससे कि वह कमाई कर सकें और इतना नहीं कर सकते कि और छोटे करके कई लोगों को दे दें और उन लोगों को नुकसान हो जाये, वह कुछ कमा सकें इस आधार पर देना चाहते हैं। छोटे प्लाट्स हमने किये हैं। वहां से जो माल निकल सकता है उसकी क्वान्टिटी को देख कर उसी हिसाब से रायल्टी तय की गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माइनिंग डिपार्टमेंट में कई लोगों की दरख्वास्तें आई हैं, लोगों ने सराहा कि अब प्लाट मिलने लग गए। इसलिए इससे छोटे प्लाट करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा मौका आया कि और छोटे प्लाट हो सकते हैं, और वह इकानामिकली ठीक हो सकते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। पहले इससे भी बड़े-बड़े थे और अब उनको छोटा किया गया है। मुझे मालूम है आपने अपने समय में कोशिश की पर नहीं कर पाये थे और जब हमारी कांग्रेस (आई) की सरकार आई है उसने छोटे प्लाट बनाकर दूसरे लोगों के लिए रास्ता खोला है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यहां पर इन नक्शों के हिसाब से रोड मन्जूर कर सकते हैं और 3 करोड़ मन्जूर किया जा सकता है। आप प्राथमिकता के आधार पर 1।। करोड़ मन्जूर कर सकते हैं। 3 करोड़ रूपया मन्जूर होता है तो राज्य सरकार को 1 लाख 33 हजार की आय हो सकती है। अब 43 हजार की होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खनिज मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह मैनिपुलेशन तोड़ने का फैसला सरकार ने लिया था उसके बाद तथ्य सामने आये हाई कोर्ट में।

(श्री कैलाश मेघवाल)

हाईकोर्ट में साबित हो चुका है....

श्री अध्यक्ष : अगल प्रश्न । यह अलग प्रश्न है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने यह नहीं कहा था, आप नहीं करना चाहते थे । मैंने यह कहा कि आप अपने काल में कर नहीं पाये जिसको हमने किया ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री चन्द्रवीर सिंह ।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को प्रभावी बनाने की योजना

493. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के जिलों में साक्षरता का क्या प्रतिशत है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखे ।

(2) वर्तमान में राज्य में साक्षरता बढ़ाने हेतु कुल कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) साक्षरता में पिछड़े जिलों के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को प्रभावी बनाने हेतु कितने परियोजना अधिकारियों को वाहन दिये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े जिले जैसलमेर को वाहन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो जिले को वाहन कब तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) राज्य में जिलेवार साक्षरता प्रतिशत की सूची प्रस्तुत कर दी गई है ।

(2) राज्य में कुल 12076 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें से 10576 कार्यरत हैं । जिलेवार सूची प्रस्तुत कर दी गई है ।

(3) 12 जिलों में परियोजना अधिकारियों को वाहन उपलब्ध हैं ।

(4) जी हां । इस वर्ष 1-2 महीने में वाहन उपलब्ध हो सकेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या जिला जैसलमेर, बाड़मेर में साक्षरता की दृष्टि से और अधिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने का विचार रखते है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, नये जब स्वीकृत किये जाते हैं उस समय यही ध्यान रखा जाता है, जहां तक संभव हो, जहां प्रतिशत कम है उसको प्राथमिकता से चयन किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

Page No 6

(6)

(श्री अध्यक्ष)

श्री घनश्याम तिवाड़ी

प्रश्न संख्या 494

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न । श्री तेजपाल यादव

आवासन मंडल में गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड

495. श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भवन निर्माण कार्यों में सही माल ही उपयोग में लेने को सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियन्त्रण व्यवस्था की हुई है ? यदि हां, तो उक्त शाखा में कहां कहां पर किस किस पद पर कितने व्यक्ति कार्यरत हैं तथा उनके वेतन पर प्रतिमाह कितना खर्चा होता है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) पिछले दो वर्ष में गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड में कार्यरत किस किस अधिकारी द्वारा कहां कहां से कितने कितने नमूने लिये गये तथा उनमें से कितनों को सही नहीं पाया गया ? ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) गत वर्ष की अतिवृष्टि से मालवीय नगर आवासीय योजना में कितने मकान टूटे ? क्या उन भवनों में लगी सामग्री के नमूने लिये जाकर जांच की थी ? यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले और दोषी अभियन्ताओं एवं ठेकेदारों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखे ।

आवासन मन्त्री (श्री दुलाराम) : (1) जी हां, गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी । उक्त शाखा में जितने व्यक्ति कार्यरत हैं उनका विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है । उनके वेतन पर प्रतिमाह लगभग 11600 रु. खर्च होता है ।

(2) पिछले दो वर्षों में जो नमूने लिये गये उसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है । ऐसे मामलों में गुणवत्ता के आधार पर ठेकेदारों के बिलों में से कटौतियां की गईं तथा जहां नमूने निर्धारित गुणावत्ता से नीचे पाये गये वहां खराब निर्माण को हटा कर नया निर्माण कराया गया ।

(3) गत वर्ष की अतिवृष्टि से मालवीय नगर में 56 मकान आंशिक रूप मे क्षतिग्रस्त हुए । उन मकानों में लगी सामग्री के मूल नमूने लिये जाकर जांच कराई गई । श्री राम टैस्ट हाउस से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । लेकिन बलिपुर टैष्ट हाउस से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । श्री राम टैष्ट हाउस के जांच परिणाम से भवनों में लगा हुआ मसाला निर्धारित गुणवत्ता से नीचे के स्तर का पाया गया । दोषी अभियंताओं में से चार को सेवा मुक्त कर दिया गया और अन्य के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री तेजपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की है

(श्री तेजपाल यादव)

लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दुलाराम : मैंने, अध्यक्ष महोदय, जवाब में निवेदन कर दिया, चार को सेवा-मुक्त कर दिया गया है, दूसरों के खिलाफ जांच की जा रही है और विभागीय कार्य-वाही की जा रही है ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या यह सही है कि गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था के बावजूद भी दिन प्रतिदिन इस तरह के कैसेज में बढ़ोतरी हो रही है ? गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था के बाद, 11600 रुपया मासिक खर्च देने के बाद भी कोटा डिवीजन में 1982–83 में जहां 22 मामले पकड़े गये थे, वहां 83–84 में 53 मामले पकड़े गये है । मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इतना बड़ा व्यय करने के बावजूद क्वालिटी में हलकापन क्यों बढ़ता जा रहा है ?

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, यह विभाग की सतर्कता है, ज्यादा अनियमिततायें पकड़ी गई, इसमें आपत्ति क्या है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जब आपने क्वालिटी कन्ट्रोल का हाकिम बना दिया, इसमें कमी आनी चाहिये थी ।

श्री दुलाराम : यह क्या बात है । आप देखिये सन् 1978–79 में 20 हजार मकान बने, आज कितने मकान बनते हैं । आप कह रहे हैं कमी आनी चाहिये थी ।

श्री अध्यक्ष : सतर्कता के कारण ज्यादा कैसेज पकड़े गये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सन् 1982 में कोटा के अन्दर अधिक मकान बने हैं, 1983-84 में कम मकान बने हैं....

श्री दुलाराम : जो 82-83 में मकान बने थे उनके सेम्पल लिये जा सकते हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने फर्माया 1982-83 में मकान कम बने हैं । 82-83 में मकान ज्यादा बने हैं, 83-84 में कम बने हैं ।

श्री दुलाराम : आप का कहना गलत है, राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : आप कोटा की दृष्टि से सोच रहे हैं, ये सम्पूर्ण राजस्थान की दृष्टि से सोच रहे हैं ।

अगला प्रश्न ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि यह जो काम चलता है उसके सुपरवीजन के लिये आपका स्टाफ नियुक्त होता है, ओवर-सीयर नियुक्त होता है उनकी भी जो हलका मैटीरियल पकड़ा गया उसके लिये जिम्मेदारी थी । तो आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य समझने की कोशिश नहीं कर रहे....

(व्यवधान)

Page No 8

(8)

(श्री दुलाराम)

जिन अभियन्ताओं को सेवामुक्त किया गया है उसका रीजन क्या है ? उनको निलम्बित करने का, उनको पद से हटाने का रीजन ही यही है, वे उसमें शामिल थे।

श्री अध्यक्ष : कभी कभी ज्यादा निरीक्षण करने से भी क्वालिटी नीचे चली जाती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा में मैटीरियल हलका होने के कारण मकान गिर गये हैं। निरीक्षण कोई भी ओवरसीयर आकर कर जाये, उसके ऊपर ए. ई एन. होता है, उसके ऊपर भी रहते हैं, जब मैटीरियल गन्दा पकड़ा जा रहा है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सारे राजस्थान की बात कर रहा हूं चाहे वर्कमैन हो, चाहे इन्जीनियर हो, उसके सुपरवीजन में कोई भी गलती होती है तो नियमानुसार कार्यवाही होती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक भी उदाहरण कोटा का बता दें, जिसमें कार्यवाही की हो। Not a single case....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। अगला प्रश्न।

हिन्दूमलकोट से गंगानगर बस सेवा

496. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर के हिन्दमूल कोट से गंगानगर के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कोई भी बस वहां नहीं चलती जिसके कारण उक्त रूट के बीच व दूरदराज के किसानों को गंगानगर आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो अब सरकार कब तक उक्त रूट पर रोडवेज की बस चलाने की व्यवस्था कर देगी ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : जी हां, इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं है किन्तु एक प्राइवेट बस को परमिट स्वीकृत किया हुआ है। यह मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। वर्तमान में इस मार्ग पर परिवहन निगम की बस चलाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

आपने पहले स्थगित के लिए कहा था, पूछ लीजिए।

सरपंचों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

497. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में राज्य के कितने व कौन कौन से सरपंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामलों की जांच विभाग द्वारा पूरी की जाकर पंचायत राज मन्त्री के पास आगे की कार्यवाही की स्वीकृति के लिए उनके दफ्तर के कौन कौन से क्रमांक व दिनांक से प्राप्त की गई ? कृपया केसवार,

(श्रीमती विद्या पाठक)

तारीखवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री शीशराम श्रोला) : (1) गत तीन वर्षों में 93 सरपंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों की जांच पूरी की जाकर आगामी कार्यवाही की स्वीकृति के लिये....

एक माननीय सदस्य : धीरे-धीरे पढ़ने की कोशिश करें ताकि सुन सकें।

श्री शीशराम श्रोला : ...पंचायत राज मन्त्री के दफ्तर में प्राप्त किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त सारी फाइलें विभाग में आगे कार्यवाही करने हेतु पहुंचा दी गयी हैं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मन्त्री महोदय, वैसे तो लिस्ट दी है 93 कैसेज की, यह फरवरी, 81 से सितम्बर, 83 तक की लिस्ट आपने दी है। उसी में आपने यह बताया है कि 93 भ्रष्टाचार के कैसेज सन् 81 से अभी तक आपके पास पैन्डिग डिसीजन के लिये पड़े रहे। इतने कैसेज का पैन्डिग पड़े रहना बहुत ही खराब बात है और यदि यह कहा जाय कि यह आप स्वयं की या सरकार की गैर जिम्मेदारी और एक साझेदारी का मामला है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय मंत्री महोदय, यह जो लिस्ट दी है यह भी कम्पलीट नहीं है। आप नोट करिये कि उसमें पत्र क्रमांक और दिनांक भी नहीं दिया है। 7-1-84 की तारीख का कन्हैया लाल सरपंच, अटरू का मामला भी है। वह यहां एक केस में आया है। वह आपकी लिस्ट में नहीं है। इसी तरह सेडूराम और नाथूराम के मामलों की भी आपको व्यक्तिगत जानकारी है। इन सरपंचों ने काम के बदले अनाज और इसके बाद की योजनाओं में घोटाले किये हैं। आपके यहां के सीनियर अधिकारियों ने जांच करके आपको बता भी दिया है। पिछले 15 दिन पहले यह एश्योरेन्स दिया है कि आप कार्यवाही करेंगे। यह लिस्ट में है यह तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी में है, यह तो आपने ही अप्रूव की होगी।

श्री शीशराम श्रोला : एक बात निवेदन करनी है, मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : आपको व्यक्तिगत जानकारी है। आपने लोगों को आश्वासन दिया है और यह कहा है कि केस पिछले दो साल से पैन्डिग है। आप कार्यवाही इसलिये नहीं कर रहे हैं कि सारे सरपंचों ने मिलकर आपको धमकी दी है।

श्री शीशराम श्रोला : कोई धमकी नहीं दी है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जवाब ठीक नहीं दिया जा रहा है। मेरी जानकारी में है कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 29 भ्रष्टाचार के कैसेज अभी कुछ दिन पहले प्रश्न के जवाब में बताये गये थे। 29 में से

Page No 10

(१८)

(श्रीमती विद्या पाठक)

5 ड्राप हो गये । जो मंत्री स्तर पर स्वीकृति मिलनी चाहिये वह 29 में से 5 को दी हुई है । यह आपकी व्यक्तिगत जानकारी में है । आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके । माननीय मंत्री महोदय पूरा जवाब दें ।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जो माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है उसका बिलकुल विस्तृत उत्तर दे दिया गया है । यह कहना सही नहीं है कि किसी सरपंच के बारे में मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, और न ही किसी सरपंच ने मुझे दबाया है। आपने जो कन्हैयालाल सरपंच के बारे में कहा है, अभी उसकी कम्पलीट जांच नहीं हुई है ।

श्रीमती विद्या पाठक: आपकी स्वीकृति के लिये है, जांच तो हो गई है ।

श्री शीशराम ओला : सुनने का कष्ट करें । आपकी धमकी से कोई सरपंच सस्पेन्ड नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान)

आप सुनने की कोशिश करें ।

इसके बाद सेडूराम का जो मामला है इसकी फाइल कम्पलीट जांच होकर नहीं आई है ।

श्रीमती विद्या पाठक : 5–6 वर्ष से जांच ही नहीं हुई है ।

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) : माननीय मंत्री महोदय ने सरपंच के बारे में जो बताया है, वह बिलकुल असत्य है । 1-7-84 को जिलाधीश, कोटा का आरोप पत्र इनके आफिस में आ गया है जिसमें विस्तृत रूप से लिखा है, गबन किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद गया था और मेरा स्पष्ट आरोप है मंत्री महोदय को ××××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही से हटाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री छीतर लाल आर्य : इसके बावजूद कई अनियमितताएं हैं । अध्यक्ष महोदय, ×××

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : बैठिये, एक बार आप ।

(व्यवधान)

सुनने की चेष्टा कीजिए मिस्टर ।

मैं, अध्यक्ष जी, आपको निवेदन करना चाहूंगा, इसकी विरोध पक्ष के नेता से अथवा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से जांच करवा ली जाय । एक पैसा भी लेने की बात हो तो मैं बैठ जाऊंगा, नहीं तो माननीय सदस्य बैठ जायं । लाखना के सरपंच की जो बात कही उसमें हियरिंग चल रही है । इससे

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री शीशराम ओला)

पहले कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया है, उसका सही तरीके से जवाब दे दिया गया है। इसके अलावा और कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : दो वर्ष से आपके यहां हियरिंग में पेन्डिंग पड़ा हुआ है?

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष से हियरिंग की 20 तारीखें मंत्री महोदय दे चुके हैं। मैंने भी पत्र लिखा था। तीन तीन बार जांच हो चुकी है। दो साल से हियरिंग नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उत्तर दे दीजिये, अन्तिम पूरक प्रश्न का।

श्री शीशराम ओला: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने बार बार एक ही बात को दोहराया कि सरपंच आपसे मिले हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार मिलने वाले तो बहुत लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : जनतन्त्र प्रणाली अपनाई है तो होता है।

श्री शीशराम ओला : दूसरे भी कई अन्य व्यक्ति आते हैं। मिलने का अर्थ यह नहीं है कि कानून को ताक में रख दिया जाय....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बूंदी का जो सरपंच है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कोई उत्तर नहीं आयेगा। कृपया शान्त रहें।

श्री भूपालसिंह।

कब्रिस्तान की जमीनों को किराये पर देना

498. **श्री भूपालसिंह** (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कब्रिस्तान की जमीनों को किराया अथवा अन्य कार्य में लिये जाने की नियमों में छूट है?

(2) क्या इसी प्रकार श्मशानों आदि की जमीन को भी किराया अथवा अन्य उपयोग में ली जाने की छूट सरकार देने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार सभी धर्म को समान अधिकार के अन्तर्गत इसके लिये नियमों में संशोधन करेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी नहीं।

(श्री कृष्ण शर्मा)

(2) जी नहीं।

(3) आवश्यकता नहीं है। सभी धर्मों को अपनी मान्यता के अनुसार समान अधिकार है।

श्री भूपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है वह यह है कि क्या श्मशान अथवा कब्रिस्तान की जमीनें किराये पर दी जा सकती हैं ? एक प्रश्न के उत्तर में विधि मंत्री जी ने यह बताया है कि दी जा सकती है। कानून में छूट है उसी के ऊपर मैंने प्रश्न पूछा है कि दूसरों को समान अधिकार है कि नहीं, यह तो, जी नहीं, बता रहे हैं। पहले यह तय हो जाय कि कानून मंत्री सही हैं या ये मंत्री महोदय सही हैं। मैंने तो दोनों प्रश्न के उत्तर बता दिये। पहले में तो कब्रिस्तान की जमीन को किराये पर देने को कह रहे हैं। वह सही है या यह सही है ? अगर सही है तो जो जमीनें किराये पर दी जा रही हैं और किराया वसूल किया जा रहा है इसके लिए सरकार क्या कर रही है ? अगर नियमों में किराये पर देने का प्रावधान है तो फिर दूसरों को भी छूट दी जायेगी या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न यह था, क्या यह सही है कि कब्रिस्तान की जमीनों को किराया या अन्य कार्य में लिये जाने की नियमों में छूट है ? जवाब दिया है, जी नहीं। नियमों में इस प्रकार की छूट दी हुई नहीं है। क्या होता है क्या नहीं होता है, वह अलग प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि कब्रिस्तान वक्फ की प्रापर्टी है, कब्रिस्तान को कानून के अन्तर्गत हमेशा कब्रिस्तान ही माना जाता है, दूसरा नहीं माना जाता। केवल उन कब्रिस्तान की जगह या उन स्थानों को छूट दी हुई है जो कब्रिस्तान के काम में नहीं आयें या जो जमीनें कब्रिस्तान के पड़ोस में हैं या काम में नहीं आ रही हैं और न ही कभी भविष्य में आ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि जिन गांवों के अन्दर पहले मुस्लिम आबादी थी लेकिन पार्टीशन के बाद उनमें मुस्लिम आबादी नहीं है, मुसलमान वहां से चले गये और अब वह कब्रिस्तान की जमीन काम में नहीं आने वाली है तो उसके लिए सैन्ट्रल वक्फ कौन्सिल ने एक प्रस्ताव पास किया है और उसको गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने स्वीकार किया है कि इस प्रकार की जमीनों को देने की वक्फ बोर्ड को इजाजत दी जाय, वह काम में ले सकें for the purpose of development of that area. उसके लिए दे सकें। तो यह जमीनें उसके लिए काम में ली जाती हैं। उस दृष्टि से जो जमीन आज की तारीख में काम में नहीं ली जाती हैं, उन स्थानों को दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए गलतफहमी नहीं है।

दूसरी बात पूछी कि क्या इस तरह की इजाजत दूसरों को भी देंगे। यह सीधा सवाल है कि जो जमीन है वह श्मशान के लिए है। मैं कहना चाहूंगा कि कब्रिस्तान और श्मशान सम्प्रदाय की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। सरकार इसके लिये कानून में छूट देने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। इसमें सम्प्रदाय की भावनायें हैं, हिन्दुओं की भावनाएं हैं इस-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लिए उन जमीनों को अलाट तक नहीं किया जा सकता तो एक सम्प्रदाय की भावना है इसलिए किराये पर देने का या नियमों में छूट देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मुस्लिम सम्प्रदाय के कब्रिस्तान और छूटी हुई जमीनें वक्फ की प्रापर्टी है। श्मशान ऐसी जगह है किसी तरह समिति की या समाज की कोई मिल्कियत नहीं होती है, उस पर राइट नहीं दिया जाता क्योंकि वह सार्वजनिक चीज है। इस प्रकार की जमीन का हिन्दू समाज या समाज विशेष जब कोई भी जरूरत आती है उपयोग करते हैं। इसलिए कोई राइट देने या नियमों में छूट देकर कहीं किराये पर देने या बेचने की इजाजत देना सरकार उचित नहीं मानती और साम्प्रदायिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्टेड सप्लीमेंट्री है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह बताया कि श्मशान और कब्रिस्तान अपने-अपने समाज की भावनाओं से जुड़े हुए हैं....

श्री हीरालाल देवपुरा : सम्प्रदाय' शब्द काम में लिया है।

श्री बंसीलाल पटवा : सम्प्रदाय ही कह लीजिए।

अलग-अलग सम्प्रदाय की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इस बात को मैं मान लेता हूं लेकिन मन्त्री महोदय का यह जो रिप्लाई आया कि इस तरह से नहीं दिया जा सकता, और विधि मन्त्री जी ने यह कहा था कि दिया जा सकता है। मेरा निवेदन है, जैसे जंगल की जमीन है भीलवाड़ा में, कब्रिस्तान के उपयोग में यदि नहीं आती है तो क्या उसको आप किराये पर दे सकते हैं, दूसरे उपयोग में ले सकते हैं। भीलवाड़ा के कब्रिस्तान की जमीन दूसरे काम में आ रही है, उस पर दुकानें हैं और भवन बने हुए हैं और वह किराये पर चलते हैं। इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे ? यह कार्य क्या विधि मन्त्री जी की मान्यता के अनुसार ही किया जा रहा है ?

श्री भूपाल सिंह : मन्त्री महोदय ने यह कहा कि जो जमीनें कब्रिस्तान के काम में नहीं आतीं, जहां से मुस्लिम आबादी चली गयी, जहां मुसलमान नहीं रहे, आबादी नहीं है और भविष्य में कभी कब्रिस्तान के काम में आने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा सकती उस जमीन को किराये पर देने का सैन्टर ने कानून बनाया है। यह क्लियर हो गया, मैं इस बात को मानता हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से इतनी बात पूछना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम आबादी मौजूद है, कब्रिस्तान की आवश्यकता है, उसकी जमीन है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस जमीन को काम में लिया जा सकता है, उसको किराये पर दिया जा सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय

(14)

(श्री मोहन लाल मोदी)

से एक जानकारी करना चाहूंगा कि श्रीमाधोपुर कस्बे के अन्दर इसी प्रकार का एक ब्राह्मण समाज के श्मशान का मामला है, उसकी जमीन पर वहां के चेयरमैन ने कब्जा कर रखा है। उस कब्जे को लेकर वहां के ब्राह्मण समाज ने 6 महीने से क्रमिक भूख हड़ताल कर रखी है, इसकी जानकारी मन्त्री महोदय को है। 6 महीने से ब्राह्मण समाज के लोग वहां क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। श्मशान भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है इसको लेकर सारा ब्राह्मण समाज दुखी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। मन्त्री महोदय।

श्री मोहनलाल मोदी : श्मशान भूमि से सम्बन्धित मामला है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना से आने वाले सदस्य का प्रश्न अलग प्रश्न है। इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझसे जनरल सवाल पूछा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल के तीन हिस्से हैं....

श्री अध्यक्ष : वैसे यह कानूनी व्याख्या का प्रश्न है इसलिए इस पर लम्बी चर्चा नहीं हो सकती। आप उत्तर दीजिए उसके बाद यह प्रश्न समाप्त हो जायेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका राजस्व विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कानून को लागू करने की बात है। कानून की व्याख्या का प्रश्न है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने सिद्धान्त की बात कर दी, आपने पर्टीकूलर जगह की बात कर दी। इसका इससे सम्बन्ध नहीं पड़ता। वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसके सामने एतराज करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री कैलाश मेघवाल।

श्री भूपाल सिंह : मैं तो जनरल पूछता हूं, व्यक्तिगत नहीं पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कानून की व्याख्या का सवाल है। इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी। कृपया बैठें।

श्री बंसीलाल पटवा : विधि मन्त्री जी, आप चुप क्यों बैठे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को अन्य किसी तरह से उठायें।

अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

अजमेर शहर में लो-वोल्टेज की समस्या का निदान

499. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल द्वारा अजमेर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की समस्या से निदान हेतु अजमेर में 220 के० वी० ग्रिड स्टेशन के निर्माण एवं 220 के० वी० ब्यावर अजमेर लाइन खींचने की

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो यह स्वीकृतियां कब दी गयीं और अब तक इन स्वीकृतियों के क्रियान्वित नहीं होने के क्या कारण हैं और अब कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत मण्डल द्वारा अजमेर शहर के लिए एक 33 के०वी० रिंग की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो यह स्वीकृति कब दी गयी और अब तक इस स्वीकृति के क्रियान्वित नहीं होने के क्या कारण हैं और अब कब क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जयपुर-फुलेरा-अजमेर-ब्यावर 220 के०वी० स्कीम के निर्माण का प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। सीमित वित्तीय प्रावधानों के कारण इस स्कीम पर यथा समय कार्य शुरू करना सम्भव नहीं हो सका। वित्तीय प्रावधान के अनुसार इस स्कीम पर कार्य वर्ष 1984–85 से प्रारम्भ किया जायेगा और ऐसा अनुमान है कि इस स्कीम के सम्पूर्ण कार्य को लगभग तीन वर्ष पूर्ण होने में लगेंगे।

(2) जी नहीं। अतः क्रियान्वयन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसके बेस तैयार करने और इस योजना को सुमेर कांकरिया गांव में 33 के०वी० लाइन एवम् 5 एम० वी० की बोर्ड ने अलग से स्वीकृति देकर कार्य जारी किया हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर और ब्यावर में जो वोल्टेज की समस्या है वह गम्भीर है, जयपुर में नहीं है। मैं वहां भी रहता हूं और यहां भी रहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में लेना था तो इस योजना की तकनीकी स्वीकृति, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति, इसकी वित्तीय स्वीकृति आपके बोर्ड में कब आ गयी थी ? यह स्वीकृतियां होने के बाद भी आज तक काम नहीं हुआ तो उसके लिए कौन उत्तरदायी हैं ? आपने कहा कि 1984-85 में इसको लेंगे तो 1984-85 के वर्ष में इस काम के लिए कितने का वित्तीय प्रावधान किया हुआ है ? दो का जवाब दे दीजिए।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना की सामाप्ति 1984-85 के अन्त तक है। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर उसके अन्तिम वर्ष तक अनेक योजनाएं प्रस्तावित थीं। उनमें से एक यह योजना है। इस योजना की 13 करोड़ 22 लाख की लागत है और 185 किलोमीटर लम्बी लाइन खिचगी इसलिए इसमें समय लगने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने यह नहीं बताया कि वर्ष 84-85 में कितना प्रावधान किया गया है ? आपने लिखा है कि 84-85 में कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

श्रीमती कमला : वर्ष 84-85 में इसके लिए 3 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। 83-84 में भी इसके लिए कुछ सामान वगैरह की खरीद कर ली गई थी। वर्ष 84-85 में निश्चित रूप से काम प्रारम्भ हो जाएगा।

Page No 16

(16)

प्रश्न सख्या 500

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ।

माडा योजना के अन्तर्गत आश्रम स्कूल

501. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में माडा योजना के अन्तर्गत बनाये गये कितने आश्रम स्कूल भवन प्रारम्भ नहीं किये गये हैं व क्यों ? आश्रम स्कूल भवन जो बन कर पूर्ण हैं और अभी छात्र-छात्राओं को प्रवेश देकर प्रारम्भ नहीं हुए हैं, कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस कारण अनुसूचित जनजाति के छात्र व छात्रायें लाभ से वंचित हो रहे हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन आश्रम स्कूलों को कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री (श्री दुलाराम) : (1) राज्य में माडा योजना के अन्तर्गत 27 आश्रम स्कूल भवन स्वीकृत किये गये हैं,जिनमें से केवल एक आश्रम स्कूल भवन खिरनी जिला सवाई-माधोपुर का निर्माण कार्य जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । आश्रम स्कूल भवन जो पूर्ण हैं और जहां छात्रों को प्रवेश देकर प्रारम्भ नहीं हुए हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट अ)

(2) आश्रम स्कूल भवन पूर्ण होते ही उन्हें शीघ्र चालू करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है और जो आश्रम स्कूल भवन बन कर तैयार हो गये हैं उन्हें अगले शिक्षा सत्र से प्रारम्भ करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि जयपुर जिले के आश्रम स्कूल बन कर कब तैयार हो गए थे, पी. डब्ल्यू. डी ने आपको कब सूचना दी और उनसे सूचना मिल जाने के बाद भी आश्रम स्कूल चालू क्यों नहीं किये गये ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि कुछ पंचायत समितियों को आपने आश्रम स्कूल दिये जब कि और आश्रम स्कूलों को शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका क्या कारण है ? जहां पर अभी तक आश्रम स्कूल प्रारम्भ नहीं हुए हैं उनको चलाने के लिए क्या पंचायत समितियों को अनुमति देंगे ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूची मैंने आपको दी है उसमें स्पष्ट बता दिया है कि 1983 के बाद कितने स्कूल प्रारम्भ हुए हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : ये तो प्रारम्भ पहले ही हो चुके थे।

श्री दुलाराम : हमारे पास आने के बाद डिपार्टमेंट ने पंचायत समितियों को स्कूल चालने की स्वीकृति दी थी। वैसे यह बात सही है कि पंचायत समितियों से एजूकेशन डिपार्टमेंट स्कूल अच्छी तरह से चला रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : यह गलत बात है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : बीकानेर में जब पंचायती राज सम्मेलन हुआ था उसमें मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि आश्रम स्कूलों को पंचायत समितियों के अधीन रखेंगे। तो पंचायत समितियों को चलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने जयपुर जिले में पंचायत समिति दौसा और पंचायत समिति लालसोट को आश्रम स्कूल चलाने की अनुमति दी है, फिर बाकी स्कूलों को शिक्षा विभाग के नीचे क्यों चलाया जा रहा है?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक उन गांवों की तरफ से हमारे पास कोई डिमाण्ड नहीं आई है। जो आश्रम स्कूल एजूकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं वह ठीक तरह से चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने जयपुर जिले की कुछ पंचायत समितियों के नाम दिये हैं उनके बारे में मैं दीखवा लूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री है।

श्री भैरुलाल भारद्वाज (नमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : अब यह लम्बा नहीं होगा, माननीय सदस्य। केवल एक प्रश्न। इस पर भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लुहारीकलां पंचायत समिति जहाजपुरा में एक आश्रम स्कूल था जो पंचायत समिति और शिक्षा विभाग के झगड़े के कारण बन्द हो गया। इस बारे में आपकी स्पष्ट नीति है तो उसके आधार पर स्पष्टीकरण करके निर्देश देने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : भैरुलाल भारद्वाज।

श्री भैरुलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आश्रम स्कूल के लिए करीब साढ़े पांच लाख रुपये में इमारत बनाई गई। उसके लिए यह था कि आदिवासी छात्र-छात्राओं को उसमें भर्ती करेंगे। आपकी योजना यह है कि एक पंचायत समिति में एक आश्रम स्कूल होगा। तो उस सम्पूर्ण पंचायत समिति में जितने आदिवासियों के लड़के हैं उनको वहां लाकर उसमें भर्ती करेंगे या गांव वाले आपस में ही जहां पर स्कूल होगा वहां के लड़के भर्ती करेंगे? और फिर आश्रम स्कूल में क्या क्या व्यवस्था होगी....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री भैरुंलाल भारद्वाज : इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण तो देंगे कि क्या व्यवस्था होगी ?

श्री बुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो जहाजपुर से आते हैं, ने जो प्रश्न किया है, यह मुझे जानकारी नहीं है कि पहले पंचायत समिति चलाती थी और फीर शिक्षा विभाग चलाता था, दोनों में क्या झगड़ा हुआ। मैं इसको दिखवा लूंगा।

— जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है जहां-जहां पर उसके अधीन स्कूल चल रहे हैं उनकी अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि आश्रम स्कूल आदिवासियों के हित के लिए है आदिवासियों के बच्चे ही इनमें पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि ये पंचायत की राजनीति में नहीं पड़े, शिक्षा विभाग इनको चलाए और उसके माध्यम से आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यही हमारी योजन है।

प्रश्न संख्या 502

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सुरजाराम

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री कुंजीलाल।

सवाईमाधोपुर की ग्राम पंचायतों में कार्यों की स्वीकृति

503. श्री कुंजीलाल मीणा (बामनवास) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 के पूर्व के जिला सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायतों में कितने कार्य अधूरे थे तथा उनमें से 1980 के बाद कौन-कौन से पूर्ण हो गये ? कितने कार्य शेष हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी ग्राम पंचायतों में नवीन कार्यों की स्वीकृति की गई ?

(3) पंचायत समिति बामनवास की ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनमें 1980 के बाद अधूरे या नवीन कार्य स्वीकृत नहीं हुये हैं ?

(4) जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक किसी प्रकार के कार्य स्वीकृत नहीं हुये, क्या सरकार वहां कार्य शुरू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री शीशराम ओला) : (1) वर्ष 1980 के पूर्व के जिला सवाईमाधोपुर में 1060 कार्य अधूरे थे। वर्ष 1980 के बाद उसमें से 434 कार्य पूर्ण हो गये हैं। अब 626 कार्य शेष हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 355 ग्राम पंचायतों में नवीन कार्यों की स्वीकृति दी गई।

(3) पंचायत समिति, बामनवास की दो ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980 के बाद अधूरे या नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये गये।

(श्री शीशराम ओला)

(4) जी हां। ग्राम पंचायतों से उनकी आवश्यकतानुसार कार्यों के प्रस्ताव मय तखमीनों के जिलाधीश द्वारा चाहे गये हैं। प्रस्ताव आने पर विचार किया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

श्री कुंजीलाल मीणा : जो सूची देने की बात कही गई है वह नहीं मिली है।

श्री शीशराम ओला : सूची मेज पर रख दी गई है। यह तो दे दी गई है और कोई आपको प्रश्न पूछना हो जो पूछ लें।

श्री कुंजीलाल मीणा : यह सूची तो अभी अभी मुझे मिली है साहब, अब क्या प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी तैयारी तो इसमें लगती नहीं है। बिना तैयारी के बोलना चाहते हैं। कृपया।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सूची अभी मिली है।

श्री अध्यक्ष : सूचना आ गई। और क्या चाहिए आपको।

श्री कुंजीलाल मीणा : मैं इसको पढ़े बिना क्या प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अगर अभी पूरक प्रश्न पूछ सकते हों तो पूछ लें वरना आप मुझ से मिल लें। मैं इसको स्थगित करने की व्यवस्था करा दूंगा।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी माफर्त मन्त्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति खण्डेला में एक स्नान घर बनाना था लेकिन आज तक काम प्रारम्भ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : यह तो सवाईमाधोपुर के बारे में है, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्री चुन्नीलाल, श्री हीरालाल आर्य।

गांव जटवाड़ा की तलाई पर खेती

504. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) एवं श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के गांव जटवाड़ा की तलाई को किसी ने खेती हेतु जोत लिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सार्वजनिक तलाई को खुलासा कराने की व्यवस्था करेगी?

राजस्व मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) ग्राम पीपल्दा में राजस्व अभिलेख के अनुसार कोई तलाई नहीं है। अतः तलाई की भूमि को फाड़ने का प्रश्न नहीं रहता।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा तहसील जटवाड़ा ग्राम की बात है और मन्त्री महोदय पीपल्दा गांव बता रहे हैं। क्या जटवाड़ा में कोई तलाई थी और गांव वालों ने पशुओं को पानी पिलाने के लिए····

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह पीपल्दा क्षेत्र का जटवाड़ा ग्राम है। जटवाड़ा ग्राम में अभी राजस्व रिकार्ड के अनुसार तलाई है ही नहीं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, वर्षों से तलाई खुदी हुई है।

श्री अध्यक्ष : राजकीय रिकार्ड में नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीनों का अलाटमेंट करते वक्त देखते तो हैं कि यह जमीन कहां पर स्थित है। पटवारी तहसीलदार जमीन को देख कर नाम दर्ज करते हैं। गांव वाले कहते हैं कि वर्षों से तलाई थी जिसमें उनके पशु पानी पीया करते थे। पीपल्दा तहसील हैडक्वार्टर है, वहां तहसील वालों ने सांठ-गांठ करके····

श्री अध्यक्ष : सरकारी रिकार्ड में इसको सरकारी पड़त भूमि मान लिया होगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह खसरा नम्बर दे देते। इसमें तलाई लिखा है तो तलाई तो रिकार्ड में है ही नहीं तो मैं जिसका जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप खसरा नम्बर दे दें।

अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : वहां रेवेन्यू अधिकारी जमीन को देखते हैं या वैसे ही अलाट करते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अलाटमेंट कमेटी के आप स्वयं भी तो मैम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री अनंग-कुमार जैन, श्री बालचन्द आर्य।

झालावाड़ जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

505. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरा-पाटन) : एवं श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं चल रही हैं तथा कितने कृषि कनेक्शन वर्ष 83-84 में देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया ?

(2) वर्ष 83-84 में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ?

(3) क्या किसानों के कुओं पर विद्युत् कनेक्शन देने के लिये बोर्ड द्वारा कोई

Page No 21

(21)

(श्री अनंग कुमार जैन)

नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) झालावाड़ जिले में 6 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं वर्ष 83–84 में कार्यरत थीं। वर्ष 83–84 में झालावाड़ जिले में 385 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित था जिसे प्राप्त कर लिया गया है।

(2) वर्ष 83–84 में उक्त योजनाओं में 549 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

(2) मण्डल द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के अधीन विभिन्न योजनाओं में कृषि कनेक्शन के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं एवं लक्ष्यों के आधार पर कनेक्शन दिये जाते हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : क्या किसानों को विद्युत कनेक्शन देने के लिए बोर्ड द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई थी ? अगर की गई तो वह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न के उत्तर में आ गया है कि नीति क्या है। नीति यही है कि इतने कनेक्शन देने हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : उसका आधार क्या होगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अनंगकुमार जैन : जो प्रार्थना पत्र दिये जाते हैं उनमें पहले प्रायोरिटी वाले को पहले कनेक्शन दिया जाना चाहिये लेकिन जिन लोगों ने बाद में प्रार्थना पत्र दिये उनको पहले कनेक्शन मिल जाता है और पहले वालों को नहीं मिलता। इसलिये मैं पूछ रहा हूं कि आपकी क्या नीति है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिये जाते हैं। उन सबकी बाकायदा रजिस्टर में प्राथमिकता दर्ज होती है। अगर कहीं किसी अधिकारी ने मनमाने ढंग से कोई कनेक्शन दिया हो तो मेरे को बतायें, मैं कार्यवाही करूंगी।

श्री अनंगकुमार जैन : झालावाड़ में झालरापाटन पंचायत समिति में कनेक्शन देने में इस नीति का उल्लंघन किया गया है जिसकी शिकायत मैंने चेयरमैन साहब को और चीफ इंजीनियर साहब को की लेकिन उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं हुई।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि जिस व्यक्ति की प्राथमिकता उल्लंघन की है उसका क्या नम्बर था और जिस व्यक्ति को कनेक्शन दिया उसकी क्या प्राथमिकता थी, इस तरह का आप विवरण दे देंगे तो मैं तुरन्त कार्यवाही करूंगी।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति के किसानों को आपने प्राथमिकता के आधार पर कितने कनेक्शन दिये हैं ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और जन जाति, मिलिट्री मैन और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपके यहां पर इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नहीं दिये गये

(श्रीमती कमला)

है तो आप उनके स्पेसिफिक उदाहरण देकर बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के प्रार्थना पत्र 6–6 महीने से पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न में आया नहीं है इसलिये मन्त्री महोदय नहीं बता पायेंगे···

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय, मैंने इजाजत नहीं दी है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री हरीश।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में ही नहीं रामगंज मण्डी में भी किसानों के प्रार्थना पत्रों की प्राथमिकता का उल्लंघन किया गया है। क्या यह सही है कि झालावाड़ एक्स. ईएन. ने जानबूझ कर एस.टी., एस. सी. के किसानों को बिजली न देकर उनके क्रम का उल्लंघन करके फैक्ट्री वालों को कनेक्शन दे दिये और रिश्वत खा गया ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि किसी भी कन्ज्यूमर या उपभोक्ता की वरीयता का उल्लंघन करना बोर्ड के नियमों में बहुत गंभीरता मामला है, उसको गंभीरता से ही लिया जायेगा और गंभीरता से, तत्परता से कार्यवाही की जायेगी। वरीयता क्या थी और किसका उल्लंघन किया गया, आप तीनों महानुभाव मेहरबानी करके यह विशेष विवरण दे दें तो कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, सुश्री पुष्पा जैन

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 22 मार्च, 1984)

मनोरंजन कर से मुक्त चलचित्र

249. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 अप्रेल, 1980 से लेकर अब तक किस-किस चलचित्र को कितने-कितने समय के लिये कर से मुक्त किया गया ?

(2) कर मुक्त करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

(3) यह चलचित्र राजस्थान में कहां कहां, कितने-कितने समय के लिये दिखाये गये ?

(4) कर मुक्त चलचित्रों के लिये किस किस व्यक्ति अथवा संस्थान द्वारा कब-कब आवेदन किया गया और उन पर कब-कब कर मुक्ति के आदेश प्रसारित किये गये ?

वित्त मन्त्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा) : (1) 1 अप्रेल, 80 से लेकर अब तक निम्नांकित पांच चलचित्रों को राज्य सरकार ने मनोरंजन कर से मुक्त किया :–

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

क्रम. सं.	चल चित्र का नाम	तारीख से	तारीख तक
1.	अब्दुल्ला	17–2–81	29–7–81
2.	बिना मां के बच्चे	25–2–81	29–7–81
3.	क्रांति	20–4–81	29–7–81
4.	गांधी	7–5–83	6–5–84
5.	दर्द का रिश्ता	4–11–83	3–2–84

(2) राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार ने मनोरंजन कर से छूट देने के लिये आदेश प्रदान किये।

(3) उक्त सूचना परिशिष्ट–क में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) उक्त सूचना परिशिष्ट–ख में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : जैसा कि मन्त्री महोदय ने फर्माया, मैं जानना चाहूंगी कि वह कौन से गुणावगुण थे जिनके आधार पर इन फिल्मों को कर मुक्त किया गया ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मेरे ख्याल से माननीय सदस्या धारा 7 को पढ़ लें तो आपको समझ में आ जायेगा। इसमें सरकार को रीजनेबल ग्राउण्ड्स पर छूट देने का प्रावधान है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह धारा मेरे हाथ में है और इन फिल्मों को भी मैंने देखा है। एक 'गांधी' फिल्म को छोड़ कर बाकी चारों फिल्मों के लिये मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि उनको कर मुक्त करने का कोई आधार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो परख अपनी-अपनी होती है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इस धारा 7 के तहत कौन से प्रावधान हैं जिनके तहत इनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया है ? क्या आपके पास दूसरी फिल्मों के लिये भी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं जिनके लिये टैक्स एग्जेम्पशन चाहते हैं और क्या कारण है कि उनको आपने कर मुक्त नहीं किया ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अब तो इसकी प्रक्रिया यह हो गई है कि कन्सर्न्ड मिनिस्टर चाहे तो भी नहीं दे सकते। मन्त्रिमण्डल के सामने जाना पड़ेगा······

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि राजस्थानी भाषा की फिल्म के लिये मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि उनको एन्करेज करने के लिये अधिक से अधिक सुविधा देंगे, जिसमें

(सुश्री पुष्पा जैन)

मुख्य सुविधा थी टैक्स एग्जेम्पशन की। मैं जानना चाहती हूं कि राजस्थानी भाषा फिल्मों की कितनी दरख्वास्त आपके पास आई और आपने एग्जेम्पशन दिया या नहीं ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : राजस्थानी भाषा फिल्मों की जितनी भी दरख्वास्तें मेरे पास आयी हैं उन सब को रिजेक्ट कर दिया है। जो यह बतया गया है कि मुख्य मन्त्री जी ने कोई आश्वासन दिया था, तो इस प्रकार का कोई आश्वासन मुख्य मन्त्री ने नहीं दिया। मैंने मुख्य मन्त्री से स्पेसिफिकली इस बारे में पूछने के बाद जाकर के आदेश दिये हैं।

श्री बंसीलाल पटवा : राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। श्री भंवरलाल शर्मा। मैं सूची के हिसाब से इजाजत दे रहा हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह फिल्म जो टैक्स से एग्जेम्प्ट हुई, 'अब्दुल्ला', 'बिन मां के बच्चे', 'क्रांति', 'दर्द का रिश्ता' मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि धारा 7 के तहत जितने भी वजूहात, जितने भी गुण-अवगुण के आधार बताये गये हैं उनमें एक भी गुण-अवगुण का इसमें कोई आधार नहीं है। आपने जिन फिल्मों को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया उनका दर्द का रिश्ता उन लोगों के साथ नहीं है जिनकी भाषा की फिल्म पर टैक्स माफ नहीं किया है। उसका रिश्ता सत्ता दल के साथ है, आपका रिश्ता पैसे का रिश्ता है इसलिए आपने इन फिल्मों को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा के चलचित्र बहुत कम दायरे में चलते हैं। सिर्फ राजस्थान के अलावा यह फिल्म कहीं-कहीं चलती है। इसलिये लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मुख्य मन्त्री जी ने उनको पूरी तसल्ली दी थी और कई बार घोषणा की है राजस्थानी चलचित्रों को टैक्स एग्जेम्पशन देने के लिये, दूसरी सुविधाओं को देने के लिये भी उन्होंने बम्बई में घोषणा की थी और राजस्थान में भी की है लेकिन उसके बाद भी उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं किया क्योंकि वे पैसा देने की सूरत में नहीं थे, वे गरीब लोग थे, छोटे-छोटे बजट की फिल्म थी। इन्होंने सोचा इस तरह से एन्करेज होंगे तो आगे जाकर बड़े बजट की फिल्म बना लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि 'दर्द का रिश्ता' को आपने टैक्स से एग्जेम्प्ट किया, वह सिर्फ सुनील दत्त के कारण किया था, टैक्स एग्जेम्पशन का कोई और कारण नहीं था। सूचना प्रसारण मंत्री आपसे कहे, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट आप से कहे तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आप गुलाम नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगी कि सुनील दत्त ने कितना पैसा केन्सर के रोगियों के लिये दिया ? अध्यक्ष महोदय, जितना पैसा उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से टैक्स एग्जेम्प्ट करा कर कमा लिया उससे राजस्थान सरकार को कितना नुकसान हुआ ? वह पैसा जमा नहीं कराया गया है। दूसरी फिल्म 'अब्दुल्ला' है, फिरोज खान कांग्रेस (आई) से जुड़े हुए हैं, वह ××× के दोस्त हैं, उनके अपने स्वार्थ निहित हैं...

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No 25

श्री अध्यक्ष : बाहर के किसी व्यक्ति का नाम नहीं लें।

सुश्री पुष्पा जैन : 'क्रांति' फिल्म के निर्माता मनोजकुमार सत्ता दल से जुड़े हुए हैं इसलिये उनका टैक्स माफ हो गया।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो कर नहीं रही हैं भाषण कर रही हैं···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। केवल प्रश्न पूछें। केवल प्रश्न पूछें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने सीधा सादा सवाल किया, आप वह वजूहात बता दें, वह गुण-अवगुण बता दें जिससे कि यह सदन सन्तुष्ट हो जाये।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आसन ने व्यवस्था दे दी, गुण-अवगुण, यह तो व्यक्तिगत प्रश्न है, किसी को एक फिल्म पसन्द आ जाय, किसी को दूसरी आ जाय, मन्त्री महोदय को कैसी पसन्द आये, उसके अनुसार···

सुश्री पुष्पा जैन : सरकार को राजस्थानी भाषा की फिल्म के लिए जितनी भी एप्लीकेशन दी हैं वह सारी की सारी रिजेक्ट कर दीं। और कुछ फिल्म की एप्लीकेशन आपके पास आवें और वह सारी की सारी एक्सेप्ट कर ली जायं, आखिर इसका क्या कारण है? राजस्थानी भाषा की फिल्म के गुण-अवगुण नहीं थे, मैं यह जानना चाहूंगी···

मुख्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह कहा कि मैंने कोई आश्वासन बम्बई में दिया था कि राजस्थानी फिल्मों पर हम लोग टैक्स एग्जेम्पशन देंगे। इस प्रकार की मैंने कभी घोषणा नहीं की। मोशन पिक्चर एसोसियेशन के एक समारोह में यह सवाल मेरे सामने आया था। मैंने यह बात कही कि हम इस बात को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, राजस्थान के अन्दर स्टूडियो बनें और यहां पर फिल्म प्रोसेसिंग का काम शुरू हो तो हम निश्चित मदद करेंगे। बाकी राजस्थानी फिल्म अच्छी होती है तो निश्चित रूप से उसके आधार पर ट्रीट कर के जो भी सहयोग देने वाली बात है वह करना चाहते हैं। लेकिन यह कभी नहीं कहा कि राजस्थानी फिल्मों को हम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर देंगे। यह कभी नहीं कहा। यह निश्चित रूप से कहा था और आज भी कहता हूं कि यहां पर फिल्मों के बनाने का काम, प्रोडक्शन का, प्रोसेसिंग का काम शुरू होता है····

श्री अध्यक्ष : फिल्म स्टार को लाना मेरे ख्याल से खतरे का ही काम है।

एक माननीय सदस्य : एन. टी. रामाराव···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या कोई राजस्थानी भाषा में बनी हुई फिल्म के सम्बन्ध में एप्लीकेशन दी हुई है? उनमें, मुख्य मन्त्री जी जैसा कह रहे हैं अच्छे स्टेण्डर्ड की हो तो उसको इस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है? क्या माननीय वित्त मन्त्रीजी की मान्यता है कि राजस्थानी भाषा में बनायी गयी फिल्म के टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में एप्लीकेशन दी गयी, वह कोई स्टेण्डर्ड की फिल्म नहीं थी?

Page No 26

(26)

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम मुझे भी एक आध फिल्म दिखाई गई है। मैं तो उससे प्रभावित नहीं हुआ। केवल भाषा के लिये किसी फिल्म को बनाया जाये तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाये, वड्र्स यह हैं···

श्री अध्यक्ष : इसमें सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिये।···

श्री बृज सुन्दर शर्मा : Mhenevr, in the opinion of the State Government reasonable grounds exist, for doing so in the public opinion, the State Government may by general or special or......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई एग्जेम्प्शन आपने दिया है तो कोई चालू पिक्चर भी आपने देखी है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जहां तक 'दर्द का रिश्ता' का ताल्लुक है, 'दर्द का रिश्ता' की सारी जो रकम आयेगी वह सिर्फ आल इण्डिया केन्सर के······

श्री अध्यक्ष : आपने चारों फिल्म स्वयं देखी थीं ? यह इनका पूरक प्रश्न है।···

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैंने 'सुपात्तर बिन्दणी' देखी थी।

श्री अध्यक्ष ; आर्डर प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं। नेता महोदय ने समय ले लिया जो मैं आपको देना चाहता था। विपक्ष के नेता महोदय खड़े हो गये, माननीय सदस्य···

श्री भंवरलाल शर्मा : उनका अलग कोटा है। उनसे हमारा क्या सम्बन्ध है ?

श्री अध्यक्ष : किसी विषय पर जब विपक्ष के नेता अगर कोई बात कह दें अथवा वे अपना मत व्यक्त कर दें तो फिर उस दल के दूसरे माननीय सदस्य को प्रश्न दुबारा नहीं लेना चाहिये।

आर्डर प्लीज। समय का अभाव है।

एक माननीय सदस्य : फिर ऐसे कौन से कारण थे···

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है···

एक माननीय सदस्य : बूंदी के अन्दर···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भूतपूर्व सीकर ठिकाने के कर्मचारियों को पेंशन लाभ

494. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल राजस्थान जयपुर के अपने आदेश दिनांक 17-11-1983 द्वारा यह निर्णय दिया है कि भूतपूर्व सीकर ठिकाने की सर्विसेज पेंशन योग्य हैं ? यदि हां तो ट्रिब्यूनल के फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखे ।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार ने भूतपूर्व ठिकाने के कर्मचारी श्री मोहम्मद बख्श जहीन की सेवाओं को पेंशन योग्य मान कर ठिकाना सेवाओं को जोड़कर उन्हें पेंशन दी गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ट्रिब्यूनल ने श्री गजानन्द जोशी एवं श्री उदय स्वरूप सैनी की सेवाओं को भी ठिकाना सेवा जोड़कर पेंशन देने के आदेश दिये हैं ?

(4) क्या उपरोक्त निर्णयों को देखते हुए राज्य सरकार सीकर ठिकाने के सभी भूतपूर्व कर्मचारियों को ठिकाना सर्विसेज जोड़कर पेंशन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(5) भूतपूर्व सीकर ठिकाने की सेवाओं को जोड़कर पेंशन देने पर राज्य सरकार पर कितना भार पड़ेगा ?

उत्तर

(1) ट्रिब्यूनल के फैसले दिनांक 17–11–83 के द्वारा दो अपीलेन्ट्स की सीकर ठिकाने की सेवाकाल को पेंशन योग्य माना है । इस फैसले की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी, हां ।

(3) जी, हां ।

(4) जी, हां । नियमानुसार एवं सेवा-निवृत्ति पर ।

(5) भूतपूर्व सीकर ठिकाने के कितने कर्मचारियों को किस-किस विभाग में नियुक्त किया गया और वह कब-कब रिटायर हुये इसकी सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है । जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि किस प्रकार के प्रकरणों पर कितना वित्तीय भार होगा ।

(फैसले की प्राप्ति के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

नगर परिषद् सीमा बीकानेर में देशी व विदेशी शराब के ठेके

500. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर परिषद् सीमा, बीकानेर में कितने देशी व विदेशी शराब के ठेके किस-किस स्थान पर किस व्यक्ति को आवंटित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) विभाग को वर्ष 1983 व 84 में किस-किस ठेके के स्थान को हटाने के लिए शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं ? कृपया प्राप्त शिकायत पत्रों व कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(3) राज्य सरकार के मापदण्ड व निर्देशानुसार कितने शराब के ठेकों के स्थान को सही नहीं माना है ? कृपया ठेकों के निर्धारित स्थान के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जारी माप दण्ड व निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद् बीकानेर की सीमा में देशी मदिरा की 6 खुदरा और विदेशी मदिरा की 1 थोक व 14 खुदरा दुकानें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 1)

(2) **देशी मदिरा** : वर्ष 83–84 में केवल एक देशी मदिरा की दुकान कुचीलपुरा को श्री अभिमन्यु सिंह के निवास के पास से हटाने के लिये शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के सम्बन्ध में जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार दुकान नियमानुसार सही पाई गई इसलिए दुकान को हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 2)

विदेशी मदिरा : वर्ष 83–84 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की खुदरा निम्न दुकानों के स्थानों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई :–

1. सोहन कोटी दुकान नं. 6 के संबंध में है। इसे रेल्वे फाटक हॉस्पटिल रोड़ पर स्थानान्तरित किया गया। सागलपुरा बस्ती सागर रोड। इसकी शिकायत के सम्बन्ध में जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार दुकान सही पाये जाने से हटाये जाने की कार्यवाही नहीं की गई।

2. गंगाशहर महावीर मार्ग पर इसकी शिकायत के सम्बन्ध में नियमानुसार जांच करवाई गई तथा दुकान सही पाई गई। अतः इसे हटाये जाने की कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतों की प्रतियां सिवाय सोहनकोटी दुकान नं. 6 सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 3 व 4)

3. विदेशी मदिरा की केवल 1 दुकान के स्थान को नियमानुसार सही नहीं माना है जिसे तत्काल नियमान्तर्गत अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया। मापदण्ड एवं निदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 5 व 6)

(सूची, शिकायत, मापदण्ड एवं निदेशों की प्राप्ति के लिये कृपया परिशिष्ट देखें)

बीकानेर–जयपुर मार्ग पर सुपर डीलक्स कोच सेवा प्रारम्भ करना

502. **श्री सुरजा राम टाक** (नोखा) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) परिवहन निगम के राष्ट्रीयकृत मार्ग जो घाटे में चल रहे हैं, उसमें सुधार लाने हेतु पिछले दो वर्षों में क्या-क्या उपाय तथा कदम उठाये गये ?

(2) रोडवेज (निगम) के कितने परि-

(श्री सुरजाराम टाक)

चालकों को पिछले वर्ष में टिकट की चोरी में पकड़ा गया, उनमें से बीकानेर डिपो के ऐसे कितने मामले हैं तथा उनमें से कितने को बरी करके पुन: राज्य सेवा में लिया गया? जनवरी 1982 से 15 फरवरी, 1984 तक के निलम्बित परिचालकों की संख्या व पुनः राज्य सेवा में लिए गये, उनकी सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निगम राष्ट्रीयकृत मार्ग बीकानेर-जयपुर पर सुपर-डीलक्स कोच (बस) चालू करने की योजना पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत 2 वर्षों में चल रहे राष्ट्रीयकृत मार्गों में सुधार लाने हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं :–

1. कम आय लाने वाले परिचक्रों का क्षेत्रवार यात्री भार की दृष्टि से सर्वेक्षण कर उनकी समय सारिणी में परिवर्तन कर संचालन को आर्थिक बनाया गया है तथा अत्यधिक अनार्थिक परिचक्रों को बन्द कर दिया गया है।

2. संचालन में नियमितता लाने, निरस्तीकरण व ब्रेकडाउन्स में कमी लाने एवं यात्रियों को कुशल व नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगार स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाकर उनकी कार्य कुशलता की सामयिक समीक्षा (Monitoring) की जाती है।

3. टिकट प्रणाली एवं निरीक्षण प्रणाली में पर्याप्त सुधार कर राजस्व मूलक बनाने के दृष्टि से परिवर्तित टिकट प्रणाली एवं निरीक्षण प्रणाली प्रारम्भ की गई जिसके फलस्वरूप निगम की संचालन आय में आशातीत वृद्धि परिलक्षित हुई। अनधिकृत संचालन की रोकथाम हेतु पुलिस, परिवहन विभाग एवं निगम के स्वयं के उड़न दस्तों के जरिये सघन निरीक्षण प्रोग्राम प्रारम्भ किये गये जिससे संचालन आय में हो रहे रिसाव में अभी परिलक्षित हुई है।

4. यात्रियों में केवल निगम के स्थापित बुकिंग कार्यालयों एवं बुकिंग एजेन्टों से ही वैध टिकट प्राप्त कर यात्रा करने की प्रवृत्ति का विकास किया गया है जिससे बुकिंग घरों की आय में आशातीत वृद्धि हुई है।

5. टिकिट रहित यात्रा करते पाये जाने पर अधिभार सहित पूर्ण मार्ग का किराया वसूल करने की प्रणाली का विकास किया गया है जिससे यात्रियों में टिकट लेकर ही यात्रा करने की प्रवृत्ति को बल मिला है।

(2) परिवहन निगम के 6156 परिचालकों को पिछले वर्ष (1983) में बिना टिकट यात्री ले जाते हुए पकड़ा गया है। उनमें से बीकानेर आगार के ऐसे 147 मामले हैं तथा उनमें से केवल 3 परिचालकों को बरी करके पुन: ड्यूटी पर लिया गया है।

जनवरी, 1982 से 15 फरवरी, 1984 तक निलम्बित किये गये परिचालकों की

(राज्य मन्त्री यातायात)

संख्या व उनमें से बहाल कर पुन: ड्यूटी पर लिये गये परिचालकों की संख्या दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । बीकानेर-जयपुर मार्ग पर सुपर डीलक्स बस हेतु वांछित सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृष्णा मिल ब्यावर

609. **श्री विष्णु प्रकाश बजारी** (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दि कृष्णा मिल लि. ब्यावर को बन्द करने के क्या कारण थे ?

(2) मिल मालिकों ने मजदूरों का कितने माह का वेतन नहीं दिया ? राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया ?

(3) क्या जिलाधीश अजमेर ने बकाया वेतन दिलाने के सम्बन्ध में कोई समझौता किया ? कृपया समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या राज्य सरकार ने इस मिल का अधिगृहण करने की सिफारिश भारत सरकार को की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) संस्थान बन्द होने के मुख्य कारण लगातार आर्थिक हानि व बिजली कटौती हैं ।

(2) मजदूरों को माह जून, 1983 से संस्थान बन्द होने की दिनांक 15.10.1983 तक का वेतन नहीं दिया गया ।

वेतन भुगतान प्राधिकारी अजमेर, श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत देय वेतन के क्लेमों पर नियमान्तर्गत कार्यवाही कर रहा है ।

(3) कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ, केवल बातचीत हुई थी ।

(4) मामला उद्योग विभाग में विचाराधीन है ।

राज्य बीमा योजना लागू करने हेतु गठित समिति

610. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय परिषद् की 28वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सरकार ने राजस्थान में एम्पलाइज राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औषधालय/चिकित्सालय स्थापित करने एवं उनके लिये आवास किराये पर लेने सम्बन्धी कार्यकलापों पर सिफारिशें करने हेतु एक समिति का गठन किया है ?

(2) यदि हां, तो इस समिति का गठन कब किया गया ? इसमें कौन-कौन सदस्य हैं तथा इसको कब तक अपनी सिफारिशें देने हेतु कहा गया है ?

(3) क्या इस समिति ने कोई प्रतिवेदन

(श्री मालाराम)

सरकार को प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस समिति का गठन दिनांक 22.11.82 द्वारा किया गया है जिसके निम्न सदस्य हैं :–

1. श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ई.एस.आई.), जयपुर
3. क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, जयपुर
4. श्री हजारी लाल शर्मा, इंटक, जयपुर

सिफारिश देने हेतु कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी।

(3) जी नहीं।

प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थी

611. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में दिसम्बर, 1894 तक लाखों की संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन कार्यालय में नाम लिखाया हुआ है ? यदि हां, तो जनवरी 1981 से दिसम्बर 1983 तक राजस्थान में कुल कितने लोगों द्वारा नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष नियोजन कार्यालय द्वारा लोगों को रोजगार पर लगाया जाता है ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में कुल कितने लोगों को रोजगार पर लगाया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि रोजगार नहीं मिलने के कारण हजारों लोग ओवर ऐज हो गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने लोगों का नाम नियोजन कार्यालयों में दर्ज है जो कि दिसम्बर 1984 के बाद ओवर ऐज होने की वजह से राजकीय सेवा में नहीं लिये जा सकेंगे ?

(4) क्या यह सही है कि जो लोग दिसम्बर, 1983 तक ओवर ऐज हो गये उनमें अधिकतर ग्रेजुएट या इससे भी अधिक योग्यता वाले हैं ? यदि हां, तो राज्य में इस प्रकार के कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि बी. एड. करने वाला प्रार्थी भी नियोजन कार्यालयों में अपना रजिस्ट्रेशन करता है ? यदि हां, तो दिसम्बर 1984 तक राजस्थान में कुल कितने ऐसे लोग हैं तथा किस-किस वर्ष में बी.एड. किया हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिसम्बर, 1983 तक लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों ने नियोजन

Page No 32

(32)

(नियोजन मन्त्री)

कार्यालय में नाम लिखा रखा है। जनवरी 1981 से दिसम्बर 1983 तक राजस्थान में कुल 6,50,903 लोगों ने नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाया था।

(2) जी हां। गत तीन वर्षों (1981 से 1983 तक) में कुल 49,230 लोगों को नियोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार पर लगाया गया है।

(3) जी हां। दिसम्बर 1984 तक यदि नियोजन नहीं मिला तो 21,514 पंजीकृत आशार्थी राजकीय सेवा में नहीं लिये जा सकेंगे।

(4) जी हां। कुल 20,528 शिक्षित आशार्थी ओवर ऐज हो गये हैं। जिनमें 7124 सैकण्डरी, 5430 हायर सैकण्डरी, 5601 स्नातक और 2373 अधि स्नातक है।

(5) जी हां। दिसम्बर 1983 तक राजस्थान के नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिका पर 12,199 आशार्थी उपलब्ध थे। वर्षवार बी. एड. किये हुये पंजीकृत आशार्थियों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

उदयपुर आदिवासियों के खाते की भूमि

612. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर में खसरा नम्बर 309 पानेरियों की मादड़ी पर 15 आदिवासियों के खाते में 36 बीघा 6 बिस्वा भूमि अंकित थी ? यदि हां, तो आदिवासियों की सूची मय हिस्सा, कृपया सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त 36 बीघा 6 बिस्वा में से 20 बीघा नगर न्यास उदयपुर ने 1958 में एवं शेष 16 बीघा 6 बिस्वा 11-9-69 के गजट के अनुसार नगर न्यास को सौंप दी गई ?

(3) क्या इसी खसरा नम्बर 309 की भूमि को पुन: महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों ने म्युटेशन नम्बर 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 द्वारा अपने नाम इन्द्राज कराई ? यदि हां, तो कृपया सूची म्युटेशनानुसार सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) उक्त 36 बीघा 6 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि नगर न्यास उदयपुर द्वारा सन् 1958 में अवाप्त की गई। शेष 16 बीघा 6 बिस्वा की अवाप्ति का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र दिनांक 14.8.80 में हुआ है। यह प्रकाशन त्रुटिवश 16 बीघा 6 बिस्वा के बजाय 36 बीघा 6 बिस्वा का हो गया।

(3) जी हां। संलग्न सूची में यह सूचना संलग्न है।

(राजस्व मन्त्री)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सीकर जिले में सैटलमेन्ट कार्य

613. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सीकर जिले में सैटलमेन्ट का कार्य चालू है ? यदि हां, तो कितने गांवों का काम अब तक हो गया है, कितने गांवों का बाकी है तथा कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

जी हां। जिला सीकर की तहसील सीकर तथा श्रीमाधोपुर में क्रमश: पुन: भू-प्रबन्ध एवम् अभिलेख आदिनांक की कार्यवाही चल रही है। शेष चार तहसीलों फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़ व नीम-काथाना में कार्य अभी आरम्भ नहीं कराया गया है।

तहसील सीकर के समस्त 147 ग्रामों का पुन: सर्वेक्षण भू-अभिलेख लेखन एवं पुन: भू-प्रबन्ध सम्बन्धी सभी मौके की कार्यवाहियां पूर्ण की जाकर इस तहसील की फाइनल रेन्ट रेट रिपोर्ट भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा तैयार की जाकर भू-प्रबन्ध आयुक्त को प्रस्तुत करदी गई है जिसका परीक्षण किया जाकर राज्य सरकार की स्वीकृति शीघ्र जारी कर दी जावेगी। तत्पश्चात् पर्चे लगानी वितरण किये जाकर उजरदारियों का निस्तारण कर जमाबन्दी तैयार कर राजस्व विभाग को दे दी जावेगी।

तहसील श्रीमाधोपुर के सभी 169 ग्रामों का पुन: सर्वेक्षण व भू-अभिलेखन कार्य पूर्ण होकर 121 ग्रामों की जमाबन्दियां तो पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष 48 ग्रामों की जमाबन्दियां भी शीघ्र पूर्ण कराई जाकर सम्पूर्ण ग्रामों का अभिलेख राजस्व विभाग को दे दिया जावेगा।

जहां तक समय बताये जाने का प्रश्न है, यह सम्भव नहीं है क्योंकि इस कार्य को विभिन्न स्रोत पर पूरा कराना होता है। फिर भी इसको पूरा करने में शीघ्रता बरती जायेगी।

अजमेर नगर परिषद् सीमा में बीड़ी निर्माण कारखाने

614. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् सीमा में बीड़ी निर्माण के कारखानों के मालिक राजस्थान बीड़ी एण्ड सिगार वर्क्स (कन्डीशन्स आफ एम्प्लायमेंट) रूल्स, 1969 के नियम 32 के अन्तर्गत फार्म नं. 11 के द्वारा मासिक रिटर्न्स को निश्चित समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं ?

(2) यदि नहीं, तो प्रमुख बीड़ी निर्माता फर्म रामसिंह शंकरसिंह ने फार्म नं. 11 के द्वारा दिनांक 1.4.83 से दिनांक 29.2.84 तक के कालखण्ड में मासिक रिटर्न श्रम विभाग को कब-कब प्रस्तुत किये ? कृपया सभी मासिक रिटर्न की प्रतियां सदन के पटल पर रखें।

Page No 34

(३४)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या यह भी सही है कि इन रिटर्न्स में दी गई जानकारी की सत्यता एवं वास्तविकता की जांच करने का श्रम विभाग द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो कब कब जांच की गई ?

उत्तर

(1) सामान्यतया समय पर रिटर्न प्रस्तुत करते हैं।

(2) फर्म रामसिंह शंकरसिंह द्वारा फार्म नं. 11 में मासिक रिटर्न दिनांक 1.4.83 से 29.2.84 तक की निम्न दिनांकों को प्रस्तुत किया है :–

माह का नाम	प्राप्ति दिनांक
अप्रेल, 1983	12.5.83
मई, ,,	8.6.83
जून, ,,	17.7.83
जुलाई, ,,	13.8.83
अगस्त, ,,	8.9.83
सितम्बर, ,,	10.10.83
अक्टूबर, ,,	9.11.83
नवम्बर, ,,	6.12.83
दिसम्बर, ,,	11.1.84
जनवरी, 1984	8.2.84
फरवरी, ,,	5.3.84

रिटर्न की प्रतियां सदन के पटल पर रखना लोक हित में नहीं होगा।

फिर भी चूंकि 1982 के सत्र में प्रश्न सं. 450 के सिलसिले में रिटर्न्स की प्रतियां माननीय अध्यक्ष महोदय ने मांगी थी, उस पर अभी तक उनका निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है कि ये प्रतियां सदन के पटल पर रखी जावे अथवा नहीं, निर्णय प्राप्त होने पर उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) सामान्यत संस्थान द्वारा प्रेषित रिटर्न्स की जांच सन्देह होने पर ही की जाती है।

ग्राम ऊंटवालिया नागौर

615. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम ऊंटवालिया तहसील नागौर एक ही ग्राम है या रेवेन्यू रिकार्ड में अलग-अलग ग्राम हैं ?

(2) क्या आथूणा ऊटवालिया जागीर का रेवेन्यू रिकार्ड व सरहद व मतावला अलग-अलग बनता है ?

(3) क्या ग्राम ऊटवालिया आथूणा खालसा रेवेन्यू रिकार्ड में अलग गांव है एवं काकड मुद्दे भी अलग-अलग हैं ?

उत्तर

(1) ग्राम ऊटवालिया तहसील नागौर एक ही ग्राम है व रेवेन्यू रिकार्ड में भी एक ही ग्राम है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

निजी खेत में लगे वृक्ष की कटाई

616. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

Page No 35

(36)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

(1) क्या किसान को अपने निजी कार्य के लिये अपने खेत का वृक्ष काटने के लिए तहसीलदार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन तहसीलदारों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने ऐसे जरूरतमन्द किसानों के पेड़ ज़ब्त कर लिये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

टौंक, बनास नदी में बजरी निकलने का क्षेत्र

618. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)**: क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक जिले में बनास नदी में बजरी निकालने हेतु कितना-कितना क्षेत्र उपलब्ध, है ? वर्ष 1980 से अब तक वहां कब-कब कितने-कितने क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी ? कृपया विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1980 से अब तक कितने आवेदन-पत्र लीज हेतु किन-किन के प्राप्त हुए तथा किन-किन के कितने-कितने समय के लिए किन-किन शर्तों पर स्वीकार किये गये ? कृपया संविद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन के आवेदन-पत्र किन-किन कारणों से अस्वीकृत किये गये ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में बनास नदी से बजरी निकालने हेतु नदी का सम्पूर्ण क्षेत्र उपलब्ध है। वर्ष 1980 से अब तक जिले की टौंक तहसील के चिरोज ग्राम में 10 प्लाट्स व मेह ग्राम में 7 प्लाट्स रेन्ट कम रायल्टी पद्धति से देने हेतु एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जो दिनांक 2?.2.82 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हुई। प्रत्येक प्लाट के साइज 120 मीटर नदी की उपलब्ध चौड़ाई रखी गई थी। विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है।

(2) वर्ष 1980 से अब तक खनन पट्टी हेतु 43 आवेदन पत्र व रेन्ट-कम-रॉयल्टी पट्टी के लिए 49 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से क्रमशः 12 पट्टों व 4 रेन्ट कम रायल्टी पट्टे हेतु स्वीकृत किये गये हैं। जिन व्यक्तियों के आवेदन पत्र स्वीकृत किये हैं उनकी सूची मय अवधि से संलग्न परिशिष्ट "ब" में दी गई है। सभी खनन पट्टे व रेन्ट कम रायल्टी के पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 में अंकित शर्तों व अनुबन्धों पर स्वीकृत किये गये हैं।

(3) जिन व्यक्तियों के आवेदन पत्र अस्वीकृत हुए उनकी सूची मय अस्वीकृत के कारणों के संलग्न परिशिष्ट "स" में दी गई है।

(विज्ञप्ति व सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जयपुर जिले की चरागाह भूमि

619. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में जयपुर जिले में कुल कितनी चरागाह भूमि है ? उसमें से कितनी भूमि पर कितने लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं ? कृपया तहसील सांगानेर की ग्रामवार स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 3 वर्षों में उक्त कब्जे हटाने हेतु राज्य सरकार ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की तथा कितने लोगों के कब्जे हटाये गये ?

(3) शेष कब्जे कब तक हटा दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वर्तमान में 109291 हेक्टयर चरागाह भूमि है जिसमें से 2169 हेक्टयर भूमि पर 9429 व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। तहसील सांगानेर में 275 व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है जिसकी ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) चरागाह भूमि पर से अवैध कब्जे हटाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई। गत तीन वर्षों में 16591 लोगों के अवैध कब्जे हटाये गये।

(3) शेष अतिक्रमियों के कब्जे शीघ्र हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

अतिक्रमाणित भूमिहीन काश्तकारों की भूमि का नियमन

620. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिन भूमिहीन काश्तकारों के संवत् 2032 में अतिक्रमण दर्ज हैं उन्हें नियमित कर दिये जावेंगे ? यदि हां, तो जैसलमेर जिले के कितने भूमिहीन काश्तकारों का नियमन किया जा चुका है व कितने मामले विचाराधीन हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) शेष भूमिहीन काश्तकारों का नियमन कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सम्वत् 2032 में जैसलमेर जिले के भूमिहीन काश्तकारों द्वारा किये गये अतिक्रमण के 381 मामले दर्ज हुए थे। यह सभी मामले सम्वत् 2032 में ही नियमन कर दिये गये थे एवम् अब सम्वत् 2032 का कोई नियमन का मामला शेष नहीं है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

डीडवाना तहसील के ग्रामों की विद्युतीकरण स्कीम

621. श्री रामधन चौधरी (लाडनू): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना तहसील के ग्राम सूपका, सेवा, ललारसी, लूणोदा, कणंवाई, अम्बापा, दयालपुरा, बेमोठ, गणेशपुरा, मावा एवं बरड़वा के विद्युतीकरण करने की स्कीम बनाई गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अपनी नीति के अनुसार इन गांवों की आबादी पर वर्ष 1984-85 में विद्युतीकरण करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं, प्रश्न में वर्णित ग्रामों में से ग्राम लूनोदा, कनवाई, अम्बापा को छोड़कर शेष ग्रामों को सम्मिलित करते हुये वर्ष 1981-82 में एस.पी.ए. श्रेणी की योजना बनाई गई थी, किन्तु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निरीक्षण प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुये इसमें संशोधन कर संशोधित योजना वर्ष 1982-83 में स्वीकृत कराई गई, जिसमें केवल विद्युतीकृत ग्राम ही सम्मिलित हैं।

(2) जी नहीं। प्रश्न में वर्णित ग्राम किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हैं। अतः वर्ष 1984-85 में विद्युतीकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डग के गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल में प्रधानाध्यापिका

622. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग (झालावाड़, के गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल में जब से स्कूल क्रमोन्नत हुआ तब से अभी तक कोई प्रधानाध्यापिका नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल में जिस प्रधानाध्यापिका के पद पर नियुक्ति की उसने यहां कार्यभार नहीं सम्भाला?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इसी जिले की रहने वाली उक्त स्कूल में प्रधानाध्यापिका के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है ताकि वह वहां रह सके और व्यवस्था देख सके? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में दिनांक 27-2-84 से प्रधानाध्यापिका कार्यरत है।

राजस्थान में सुपर-थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने की विचाराधीन योजना

622. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के बारे में कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु किन-किन स्थानों का चयन व सर्वेक्षण किस-किस आधार पर किया गया है ?

(3) क्या उस सूची में चित्तौड़गढ़ का चयन भी सम्मिलित है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाने की कोई भी योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(2) सुपर थर्मल पावर स्टेशन लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है न ही किसी स्थान का चयन किया गया है।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

सिकराय पंचायत समिति की विद्युतीकरण योजना

624. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सिकराय पंचायत समिति की विद्युतीकरण की कोई योजना विभाग ने बनाई है ? यदि हां, तो इसमें कितने गांव शामिल हैं तथा इसे कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति सिकराय के के 83 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के समक्ष क्षेत्र निरीक्षण हेतु विचाराधीन है। योजना कि स्वीकृति के बारे में समय बताना अभी संभव नहीं है।

वर्ष 1985 की विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल का आडिट

625. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य में वर्ष 1982 की विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में होने वाले व्यय का कोई आडिट आज तक हुआ है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य में वर्ष 1982 में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में हुये व्यय का आडिट संबंधित लेखाधिकारियों द्वारा समायोजन से पूर्व कर लिया गया है तथा वर्ष 1982-83 तक के व्यय का आडिट महालेखाकार, राजस्थान द्वारा अन्य खर्चों के साथ भी किया जा चुका है। हड़ताल के सिलसिले में होने वाले व्यय का अलग से

(ऊर्जा मन्त्री)

आडिट नहीं होता है अपितु अन्य वर्षों के आडिट के साथ ही इन खर्चों का भी आडिट किया जा चुका है ।

छात्राओं के लिये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना

626. **श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या गंगानहर भीनासर में वर्ष 1984-85 में छात्राओं के उच्च माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, वर्ष 1984-85 में उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है ।

पंचायत समिति पिपराली का विद्युतीकरण

627. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति पिपराली के शोभ गांव का विद्युतीकरण कब हुआ और अब तक कितने विद्युत् कनेक्शन दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की एस. पी. ए. श्रेणी की योजना के तहत पंचायत समिति पिपराली के ग्राम शोब (तन पलासरा) का विद्युतीकरण दिनांक 30.8.1980 को हुआ था । उक्त गांव में अब तक निम्न तीन विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं :–

क्र.सं. उपभोक्ता का नाम	श्रेणी
1. रिछपाल सिंह पुत्र श्री भैरूसिंह	घरेलू
2. रिछपाल सिंह पुत्र श्री भैरूसिंह	कृषि
3. मंगला, रूड़ा, नानू, मामू, माना	कृषि

नागौर के ग्राम का एस. पी. ए. स्कीम के अन्तर्गत विद्युतीकरण

628. **श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम आकोली "बी" तहसील डेगाना, जिला नागौर एस. पी. ए. स्कीम के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1979-80 में स्वीकृत हुआ था ?

(2) क्या उक्त योजना के तहत स्वीकृत 4-5 गांवों में ग्राम आकोली को छोड़कर सभी का विद्युतीकरण कर दिया गया है ?

(3) यदि हां, तो आकोली को विद्युतीकृत नहीं किये जाने के क्या कारण रहे और अब इस गांव का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में पंचायत समिति डेगाना की स्वीकृत एस. पी. ए. स्कीम के

(ऊर्जा मन्त्री)

अतर्गत ग्राम आकोली विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित है।

(2) योजना में स्वीकृत ग्रामों में से ग्राम आकोली सहित 4-5 गांवों का विद्युतीकरण होना अभी शेष है।

(3) ग्राम आकोली का विद्युतीकरण योजनानुसार अन्तिम चरण में प्रस्तावित था। मण्डल के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने के कारण इसका विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया जा सका है। इस ग्राम का विद्युतीकरण अगले वर्षों में धन एवं विद्युत की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए बनाये जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में इसे सम्मिलित किये जाने पर निर्भर करेगा।

प्रदेश के विद्युतीकृत ग्राम

629. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य के कितने गाँवों को विद्युतीकृत किया गया तथा कितने गाँवों का विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ? कृपया ग्राम व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की जैसलमेर जिले के विद्युतीकरण की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में राज्य में 954 ग्रामों का विद्युतीकरण माह फरवरी, 84 तक हो चुका है तथा 213 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। ग्रामों की संख्या दर्शाते हुए जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हाँ। जैसलमेर जिले की पंचायत समिति जैसलमेर के 22 ग्रामों की आर. एम. एन. पी. श्रेणी की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा माह नवम्बर, 83 में स्वीकृत की गई है तथा पंचायत समिति सांकडा के 32 ग्रामों की आर.एम.एन.पी. श्रेणी की योजना ग्रा. वि. निगम को माह अक्टूबर, 1983 में भेजी गई थी, जिसको उनकी निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर संशोधित किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

प्रदेश में एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल

630. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) :–क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान के हर जिले में एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल खोलने का सरकार का इरादा है ?

(2) यदि हाँ, तो अभी किस-किस जिले में कितने-कितने एस. टी. सी ट्रेनिंग स्कूल हैं ? कृपया सूची सदन में की मेज पर रखें।

(3) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में भी कभी एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा हुई थी ? यदि हां, तो उसे विथड्रा करने के क्या आधार थे ?

(श्री घनश्याम जैन)

(4) क्या भविष्य में भी चित्तौड़गढ़ जिले में एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल खोलने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सूची संलग्न कर दी गई है।

(3) जी नहीं।

ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(4) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

प्रदेश में नशाबन्दी समाप्ति पश्चात् हुई आय

631. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य में नशाबन्दी समाप्ति के पश्चात् वर्ष 1982-83 व 1983-84 में राज्य सरकार ने नशाबन्दी से कितनी-कितनी आय का अनुमान लगाया था और वास्तव में आय कितनी-कितनी हुई ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के कारण राज्य में शराब की दुकानों की संख्या तथा शराब की खपत में निरन्तर वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में नशाबन्दी समाप्ति के पश्चात् वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में निम्न प्रकार आय हुई :—

वर्ष	अनुमानित आय	वास्तविक आय
82-83	333000000	535500000
83-84	570000000	575600000 (फरवरी, 84 तक)

(2) यह सही नहीं है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के कारण राज्य में शराब की दुकानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यदि पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों को देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि राज्य में शराब की दुकानों की सं. में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन खपत में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है। पिछले तीन वर्षों में शराब की दुकानों की संख्या एवं खपत के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(आबकारी मन्त्री)

वर्ष	दुकान (संख्या)			खपत (लाख बल्क लीटर्स)		कुल शराब खपत लाख बल्क ली. में।
	देशी शराब दुकान	भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान	कुल दुकान	देशी शराब	भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर।	
81–82	1781	494	2275	137.77	39.00	176.77
82–83	1759	580	2339	213.16	60.10	273.26
83–84	1739	488	2227	228.23	56.77	285.00 (अनुमानित)

रामलीला मैदान (जयपुर) में आयोजित गणतन्त्र मेला

632. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर में रामलीला मैदान पर 1984 में आयोजित गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में अल्प बचत स्टेट लाटरी विभाग ने किसके आदेश से मण्डप लगाया या उसमें अपना माडल अथवा प्रगति के आंकड़ों का प्रदर्शन किया ?

(2) पिछले 3 सालों में आयोजित गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में प्रतिवर्ष सम्मिलित होने पर हुए कुल खर्च का निम्न मदों के अनुसार वर्षवार विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें :–

(क) मण्डप या स्थल सुरक्षित कराने एवं प्रदर्शनी के सम्पूर्ण समय का दिया गया किराया।

(ख) प्रदर्शनी स्थल तथा वहां पर सुरक्षित मण्डप या स्थान पर प्रदर्शन हेतु क्या-क्या सामग्री कहां-कहां से लाई गई और उसके लाने व ले जाने पर हुआ खर्च।

(ग) प्रदर्शनी कितने दिन लगी व इस दौरान वहां पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के टी. ए. एवं डी. ए. पर हुआ खर्च।

(घ) प्रदर्शनी में लगाये गये मण्डप या स्थान पर बिजली पानी पर हुआ खर्च व फर्नीचर आदि के किराये पर किया गया खर्च।

(ङ) अन्य खर्च।

(च) प्रदर्शन से कोई आय हुई तो कितनी।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेशानुसार ।

(2) वर्ष 1982 व 1984 में मंडप लगाया गया था । वर्ष 1983 में कोई मंडप नहीं लगाया गया । खर्च का विवरण वांछित मदों में निम्न प्रकार है :–

	वर्ष 1982 का विवरण	वर्ष 1984 का विवरण
(क)	रु. 2500.00	रु. 3000.00
(ख)	शामियाना, कनातें, दरियां आदि का किराया मय ठेली भाड़ा रु. 1400·40 हिन्दुस्तान टेन्ट हाउस जयपुर को भुगतान किया गया ।	शामियाना, कनातें, दरियां आदि का किराया मय ठेली भाड़ा रु. 1260.00 श्री जयपुर टेंट हाउस, राजापार्क, जयपुर को भुगतान किया गया ।
(ग)	प्रदर्शनी 20-2-82 से 17-3-82 तक लगी । अधिकारियों/कर्मचारियों के टी. ए. एवं डी. ए. पर कोई खर्च नहीं हुआ ।	प्रदर्शनी 26-1-84 से 15-3-84 तक लगी । अधिकारियों/कर्मचारियों के टी. ए. एवं डी. ए. पर कोई खर्च नहीं हुआ ।
(घ)	रु. 180.00 बिजली पर खर्च हुआ । पानी व फर्नीचर किराये पर कोई खर्च नहीं हुआ ।	रु. 500.00 बिजली पर खर्च हुआ । पानी व फर्नीचर किराये पर कोई खर्च नहीं हुआ ।
(ङ)	चौकीदार के पारिश्रमिक पर 372.00 रु. खर्च हुए ।	चौकीदार के पारिश्रमिक पर 450.00 खर्च हुए तथा बोर्ड व बैनर्स की कीमत के रु. 1160.00 राजस्थान पेन्टर्स, हवामहल जयपुर को मुगतान किया गया ।
(च)	कोई आय नहीं हुई ।	कोई आय नहीं हुआ ।

सार्वजनिक उद्योगों में लगाई गई पूंजी

633. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार की सार्वजनिक उद्योगों में कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(2) राज्य सरकार की संयुक्त उद्योगों में कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

(3) राजस्थान रोडवेज में कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(4) राजस्थान बिलजी बोर्ड में कितनी पूंजी लगी हुई है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने दिनांक 31-1-84 तक सार्वजनिक उद्योगों (राजकीय उपक्रमों) में 83.55 करोड़ रु. का विनियोजन किया हुआ है।

(2) राज्य सरकार ने दिनांक 31.1.84 तक संयुक्त उद्योगों में 2.97 करोड़ रु. का विनियोजन किया है।

(3) राजस्थान रोडवेज में राज्य सरकार ने दिनांक 31.1.84 तक 2300.'0 लाख रु. विनियोजित कर रखे हैं।

(4) राज्य सरकार ने राजस्थान बिजली बोर्ड में कोई पूंजी विनियोजित नहीं कर रखी है। उसे पूंजी विनियोजित नहीं कर रखी है। उसे पूंजी के स्थान पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

शराब विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत आमद का मासिक मानचित्र

634. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देशी व विदेशी शराब के अनुज्ञा पत्रधारियों को अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अनुसार अपनी बिक्री एवं आमद का मासिक मानचित्र निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की पांच तारीख तक आबकारी विभाग को प्रस्तुत करना होता है ?

(2) यदि हां, तो अजमेर नगर में देशी शराब के खुदरा अनुज्ञा पत्रधारी तथा विदेशी शराब के खुदरा एवं थोक अनुज्ञा पत्रधारी ने वित्तीय वर्ष 1983-84 में प्रत्येक माह में किस किस तारीख को यह जानकारी दी ? कृपया मानचित्र के प्रपत्र की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेल पर रखने की कृपा करें।

(3) इस शर्त की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) प्राप्त मानचित्रों का विवरण संलग्न है।

(3) शर्तों की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 58 (सी) के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

राजस्थानी भाषा में बनी फिल्में

635. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

Page No 45

(45)

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सन् 1980 से 83 तक राजस्थानी भाषा में कितनी फिल्में बनीं तथा उन पर मनोरंजन कर की कितनी-कितनी छूट दी गई ? वह कौन-कौन सी फिल्में थीं ?

(2) क्या भविष्य में राजस्थानी भाषा में बनने वाली समस्त फिल्मों को कर मुक्त कर उनको प्रोत्साहित करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में राजस्थानी भाषा में कितनी फिल्में बनीं इसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा एकत्रित नहीं की जाती। राजस्थानी भाषा की किसी भी फिल्म को मनोरंजन कर से छूट नहीं दी गई है।

(2) फिलहाल राज्य सरकार ऐसा कोई विचार नहीं रखती है।

पोषाहार कार्यक्रम पं. स. झोटवाड़ा

636. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति झोटवाड़ा में समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु कितने अधिकारी व कर्मचारी कौन-कौन से पद पर कब-कब से पदासीन है ?

(2) गत तीन वर्षों में इन कर्मचारियों के वेतन व यात्रा भत्तों पर कितना खर्च उठाया गया है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधीन पंचायत समिति द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1965–66 से एक महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी, दो ग्राम सेविकायें तथा एक जीप चालक नियुक्त है।

(2) गत तीन वर्षों में इन कर्मचारियों पर वेतन एवं भत्तों पर रुपये 1,03,406.22 एवं यात्रा भत्ते पर 12,779.94 कुल 1,16 186.16 रुपये व्यय हुआ है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

माडा योजना (चित्तौड़गढ़)

637. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) :

(1) क्या यह सही है कि माडा योजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है ? यदि हां, तो क्या चित्तौड़गढ़ जिले में उपयोजना क्षेत्र के जनजाति के व्यक्तियों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिये प्रावधान किया गया है ? यदि प्रावधान नहीं रखा गया, तो क्यों ?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि जन जाति उपयोजना क्षेत्र में आने वाले अन्य जिलों में भी पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) माडा योजना के अन्तर्गत ऐसे जनजाति क्षेत्रों जो माडा योजना के अन्तर्गत आते हैं, में पानी के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले का उपयोजना क्षेत्र माडा योजना के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः माडा योजना के अन्तर्गत प्रावधान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आने वाले जिलों चित्तौड़गढ़, उदयपुर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही में पीने के पानी पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

वृद्धावस्था पेंशन (सिकराय)

639. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिकराय तहसील में 1 अप्रेल, 1983 से अब तक कुल कितने वृद्धावस्था पेंशन के मामले आये तथा उनमें से कितने स्वीकृत हुए? कृपया नाम मय पते के विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सभी वृद्धावस्था पेंशनरी को पेंशन समय पर मिल रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिकराय तहसील में 1 अप्रेल, 1982 से अब तक कुल 122 मामले वृद्धावस्था पेंशन के आये व स्वीकृत हुए जिनका विवरण परिशिष्ट (क) में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, केवल माह अक्टूबर, 1983 से दिसम्बर, 83 तक की पेंशन कनिष्ठ लेखाकार के अवकाश पर होने के कारण समय पर नहीं मिल सकी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

आवासन मण्डल (सवाई माधोपुर) की योजना

640. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आवासन मण्डल द्वारा सवाई-माधोपुर में कितने निर्मित मकान देने की योजना तैयार की गई है? तत्संदर्भ में कितने लोगों द्वारा धनराशि जमा कराई गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस स्थान पर मकान बनाने की योजना है वह भूमि चराई की खातेदारी की है और उस क्षेत्र में हजारों वृक्ष फलदार तथा सामान्य लगे हुए हैं? यदि हां, तो उक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान किस आधार पर तय किया जावेगा तथा भूमि और पौधों की पूर्ण राशि देने में विभाग का क्या व्यय होगा?

(श्री हंसराज शर्मा)

(3) विभिन्न श्रेणी के निर्माणाधीन मकानों की कीमत क्या प्रस्तावित है ?

(4) क्या इस महंगी जमीन के स्थान पर अन्य सस्ती जमीन लेने की पेशकश की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर में कुल 729 मकानों की योजना तैयार की है व अब तक 983 लोगों ने धनराशि जमा कराई है।

(2) यह सही है कि जिस स्थान पर मकान बनाये जाने की योजना है वह भूमि खातेदारों की है तथा यह भी सही है कि उक्त भूमि पर सामान्य व फलदार वृक्ष लगे हुये हैं लेकिन वृक्षों की संख्या हजारों में नहीं है। भूमि के मुआवजे का भुगतान विशेषाधिकारी द्वारा नियमानुसार तय किया जावेगा।

(3) योजनान्तर्गत विभिन्न श्रेणी की प्रस्तावित मकानों की अनुमानित लागत निम्न प्रकार है :—

कमजोर आय वर्ग	12,000/–रु.
अल्प आय वर्ग	18,000/–रु.
मध्यम आय वर्ग	30,000/–रु.

(4) भवन निर्माण हेतु अन्य जमीन बोर्ड द्वारा उपयुक्त नहीं पाई गई।

नगरपालिका क्षेत्र (बूंदी) में आवासन मंडल द्वारा निर्मित मकान

641. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी नगरपालिका क्षेत्र में आवासन मण्डल द्वारा कितने मकान निर्माण कराये गये ?

(2) आवासन मण्डल द्वारा बूंदी में गांधी गृह के नाम पर कम आय वर्ग वाले कितने मकान बनाये गये ?

(3) क्या यह सही है कि मकान में रोशनदान नहीं हैं और यह निर्धारित नाप व क्षेत्रफल के आधार पर नहीं बनाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भवन निर्माण में सीमेंट घोटाले की शिकायतें प्राप्त होने पर जयपुर से एक अधीक्षण अभियन्ता को भेजकर जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) क्या यह सही है कि गांधी गृह योजना में आवंटित मकान की किश्त 35/– रु. से बदल कर 110/–रु. प्रति माह कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बूंदी नगरपालिका क्षेत्र में आवासन मण्डल ने 580 मकान निर्मित कराये।

(2) 204 मकान बनाये गये।

(3) जी, हां। मकानों में रोशनदान नहीं है किन्तु सभी मकान निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बनाये गये हैं।

Page No 48

(48)

(आवासन मन्त्री)

(4) जी, नहीं।

(5) जी नहीं, मण्डल ने 35/–रु. मासिक किश्त पर मकान देने का वायदा कभी नहीं किया क्योंकि मासिक किश्त की राशि मकान की निर्माण लागत पर निर्भर करती है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान क्रय हेतु निविदाएं

642. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 में कतिपय सामान की खरीद किये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग में निविदायें आमंत्रित की गई थीं ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(2) उक्त आमन्त्रित निविदाओं के खोलने के लिए क्या कोई तिथि भी निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो किस तिथि को खोला जाना अपेक्षित था और किस समय ?

(3) क्या निविदायें खोले जाने में राजस्थान वित्तीय नियमों का विधिवत् पालन किया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि टेण्डर खोलने की तिथि व समय में परिवर्तन किया गया ? यदि हां, तो इसकी अनुज्ञा किस स्तर से और किन विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुई ?

(5) क्या विभाग में कोई क्रय समिति का गठन भी किया हुआ है ? यदि हां, तो समिति के सदस्यों की नामावली मय पद सहित कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 17/11/83 को टेण्डर आमंत्रण सूचना प्रसारित की गई।

(2) दिनांक 5/12/83 को अपरान्ह 3 बजे।

(3) जी हां।

(4) जी हां, दिनांक 5/12/83 के स्थान पर टेण्डर खोलने की तिथि को 13/12/83 कर दी।

(5) निदेशक को सलाह देने के लिये इस क्रय के लिये क्रय समित गठित की गई है। जिसके सदस्य निम्न प्रकार हैं–

1. श्री सी. एस. मुरड़िया, अति. निदेशक (आई. सी. डी. एस.) समाज कल्याण विभाग, राज. जयपुर।
2. श्री बी. एल. पामेचा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री. पी. आर. उपाध्याय, तत्कालीन उपनिदेशक, (प्रशासन) समाज-कल्याण विभाग, राज. जयपुर।

उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर व सिरोही महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति

643. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1983–84 में जिला उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा सिरोही में चलने वाले विभिन्न महाविद्यालयों में कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों से छात्रवृत्ति के लिये आवेदन प्राप्त हुये और दिसम्बर, 1983 तक कितने छात्रों को छात्रवृत्ति की दो किश्तें चुका दी गई थीं ? कृपया महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1983 तक अधिकांश महाविद्यालयों के छात्रों को एक किश्त की छात्रवृत्ति नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) महाविद्यालयीय छात्रों को छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र में कितनी किश्तों में चुकाने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) वर्ष 83–84 में जिला उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा सिरोही में चलने वाले विभिन्न महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति के 838 तथा जनजाति के 994 छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्राप्त हुये । दिसम्बर, 1983 तक छात्रों को छात्रवृत्ति की 2 किश्तें नहीं दी गई । महाविद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । वर्ष 1983–84 में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों से छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31–12–83 रखी गई थी इस कारण छात्रों को छात्रवृत्ति की एक भी किश्त स्वीकृत नहीं की जा सकती थी ।

(3) छात्रवृत्ति वर्ष में नवीन छात्रों को तीन किश्तों में तथा पुराने छात्रों को 4 किश्तों में चुकाये जाने का प्रावधान है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

कोटा जिले के अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

644. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1982–83 में कोटा जिले के कुल कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के प्रार्थना-पत्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई ?

(2) क्या यह सही है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, विज्ञाननगर, कोटा के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों तथा कितने छात्रों को ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी ?

(4) क्या इस मामले में अनियमितता बतरने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982–83 में कोटा जिले के अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों एवं स्वीकृति की सूचना निम्न प्रकार है :–

अनुसूचित जाति	
प्राप्त आवेदन पत्र	6974
स्वीकृत	4510
अनुसूचित जनजाति	
प्राप्त आवेदन पत्र	4234
स्वीकृत	3592

(2) जी हां, प्रावधान कम पड़ जाने के कारण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विज्ञाननगर कोटा के छात्रों को उस वर्ष छात्रवृत्ति नहीं दी गई। किन्तु जिला शिक्षा अधिकारी कोटा की सूचना के अनुसार इस छात्रवृत्ति का भुगतान वर्ष 83–84 में कर दिया गया।

(3) जी हां। नियमानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है।

(4) नियमानुसार कार्यवाही करने पर किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चूरू में बस डिपो खोलना

645. **श्री भालू खाँ** (चूरू) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या चूरू में बस डिपो खोलने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में चूरू से 12 वाहनों का संचालन प्रारम्भ होता है एवं 12 वाहनें ही रात्रि विश्राम करती हैं।

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आगार की स्थापना के लिये 30 से अधिक वाहनों का संचालन आवश्यक है। अत: मात्र 12 सेवाओं के संचालन के लिये चूरू में आगार स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

मेहन्दीपुर बालाजी रजिस्टर्ड ट्रस्ट की चल-अचल सम्पति

646. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) एवं **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) एवं **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मेहन्दीपुर बालाजी में रजिस्टर्ड प्रन्यास (ट्रस्ट) हैं ? यदि हां, तो इसका

(श्री रंगजी मीणा)

रजिस्ट्रेशन कब हुआ ? रजिस्ट्रेशन के समय इसकी कुल चल व अचल सम्पत्ति क्या थी ?

(2) सेवा-पूजा के लिए महन्त का चयन किस प्रक्रिया से होता है ? क्या कोई योग्यता का मापदण्ड है ? प्रन्यास के गठन से लेकर अब तक कौन-कौन इस मन्दिर के महन्त रहे ? पूर्व महन्त श्री गणेशपुरी जी के नाम से कितनी चल व अचल सम्पत्ति कहां-कहां थी ? उसके उत्तराधिकारी कौन बने ?

(3) वर्तमान महन्त श्री किशोरपुरी जी की चल व अचल सम्पत्ति कहां-कहां है तथा किस-किस मूल्य की है ? क्या किसी अचल सम्पत्ति के बारे में न्यायालय में प्रकरण चल रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा किन-किन के मध्य ? अधीनस्थ न्यायालय का क्या फैसला है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रन्यास का पंजीयन दिनांक 8–3–1966 को हुआ है। रजिस्ट्रेशन के समय इसकी कुल चल व अचल सम्पत्ति की सूची संलग्न है।

महन्त, मन्दिर के संस्थापक परिवार के किसी सुयोग्य बालक को वंशानुगत प्रथा के अनुसार अपना पट्ट शिष्य चुनकर मन्त्र दीक्षा देते हैं और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। प्रन्यास के पंजीयन के समय महन्त श्री गणेशपुरी थे और उनके स्वर्गवास पर उनके शिष्य श्री किशोरपुरी वर्तमान में मन्दिर के महन्त हैं। पूर्व महन्त श्री गणेशपुरी के नाम कितनी चल व अचल सम्पत्ति कहां कहां थी, का ट्रस्ट की सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध न होने की स्थिति में देवस्थान विभाग के क्षेत्राधिकार में न होने से इस सम्बन्ध में सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

(3) वर्तमान महन्त श्री किशोरपुरी जी की चल व अचल सम्पत्ति की सूचना एवं उसके सम्बन्ध में चल रहे वाद आदि के मामले देवस्थान विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

टोंक शहर परिवहन निगम बस स्टेण्ड निर्माण की योजना

642. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक शहर में पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से व योजना की क्रियान्वित हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये ?

(2) योजना की क्रियान्विति में कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ? सम्पूर्ण सूचना कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक शहर में वर्तमान में परिवहन

(यातायात मन्त्री)

निगम के बस स्टेण्ड के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए निगम अन्यत्र भूमि प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान के बाहर सरकार के मन्दिर व धर्मशाला

648. **श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा):** क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के बाहर किन-किन स्थानों पर राज्य सरकार के मन्दिर व धर्म शालाएं हैं।

(2) उक्त धर्मशालाओं व मन्दिरों पर राज्य सरकार कर्मचारियों, निर्माण कार्यों, और मेन्टीनेन्स पर कितना खर्च प्रति वर्ष करती है ? कृपया यह ब्योरा सन् 1980 से. आज तक बताने का कष्ट करें।

(3) उक्त धर्मशालाओं व मन्दिरों पर किन-किन पदों पर कितने प्रतिमाह वेतन पर कौन-कौन कर्मचारी कार्य करते हैं ? कृपया सूची सहित उत्तर देने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य के बाहर देवस्थान विभाग के मन्दिर व धर्मशालायें उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उत्तरकाशी, गंगोत्री, धरोली, मुवाली, (नैनीताल) हरिद्वार, आगरा, सौंरो, मथुरा, वृन्दावन, बरसाना गोवर्धन, कुसुम सरोवर, चन्द्रेश्वर (पारसोली) राधाकुण्ड, जतीपुरा, द्वारका (गुजरात) अमरावती, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) व देहली में स्थित हैं।

(2) उक्त राजकीय मन्दिरों व धर्मशालाओं में नियुक्त कर्मचारियों, निर्माण कार्यों व उनकी मेन्टीनेन्स (अनुरक्षण पर वर्ष 1980 से वर्ष 1983–84 तक निम्न प्रकार व्यय किया गया है:—

वर्ष	मन्दिरों में नियुक्ति कर्मचारियों पर	निर्माण कार्यों पर	मेन्टीनेन्स (अनुरक्षण) पर
80–81	1,81,361–00	—	4111–00
81–82	2,02,371–00	—	—
82–83	2,32,074–00	—	—
83–84	2,82,396–00	—	5500–00

(राज्य मन्त्री देवस्थान)

(3) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

ग्राम पं. लाखना (सांगानेर) सरपंच के खिलाफ अनियमितता की शिकायतें

649. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत लाखना पं. सं. सांगानेर जिला जयपुर के सरपंच श्री नाथू लाल के विरुद्ध सन् 1978–79 में अनियमिततायें, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, पद का दुरुपयोग, अनाज एवं सीमेन्ट का दुरुपयोग एवं गबन आदि के केस सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितने समय से? और ऐसे गम्भीर केस का इतने लम्बे समय से निर्णय नहीं करने का क्या कारण है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश जयपुर के आदेश द्वारा दिनांक 9–9–83 को सांगानेर थाने में नाथूलाल सरपंच के विरुद्ध धोखाधड़ी तथा गबन करने के आरोप में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच द्वारा मास्टररोल में फर्जी इन्द्राज की जांच पह आरोप सही पाया गया?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उप जिलाधीश, जयपुर को विस्तृत जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विस्तृत जांच राज्य सरकार को दिनांक 20–5–81 को प्राप्त हुई। यह मामला अब राज्य सरकार के समक्ष सुनवाई में चल रहा है। सुनवाई की आगामी तारीख 21–5–84 है।

(2) जी हां। पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

(3) जी हां।

प्रशासन गांवों की ओर अभियान कैम्प केसर देसर

650. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि "प्रशासन गांवों की ओर" कैम्प केसर देसर जाटान तहसील बीकानेर दिनांक 11–1–83 में राजस्व अधिकारियों को भोजन आदि व्यवस्था करने हेतु पंचायत ने कोई राशि खर्च की है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या "प्रशासन गांव की ओर" के अभियान में अधिकारियों के खाने पीने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ग्राम पंचायत की है?

(3) क्या यह सही है कि केसर देसर कैम्प के दौरान अधिकारियों के खाने-पीने के खर्चे खाते ग्राम पंचायत ने पंचायत रोकड़ में पांच सौ रुपये खर्च बताये हैं? यदि हां, तो किन नियम व निर्देशों के तहत खर्च बताया

(श्री देवीसिंह भाटी)

गया है ? क्या राज्य सरकार इसकी जांच कर सरपंच केसर देसर को निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नही।

(3) केसर-देसर कैम्प के दौरान अधिकारियों के खाने पीने के खर्च खाते ग्राम पंचायत ने पंचायत रोकड़ में पांच सौ रुपये बताये हैं या नहीं, जानकारी नहीं हो सकी, क्योंकि उक्त पंचायत की रोकड़ श्री सरदारा राम के पास है जो कि पंचायत के सरपंच थे परन्तु दिनांक 20–9–83 को उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और इनसे चार्ज प्राप्त करने पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। उक्त न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त होने पर पंचायत की रोकड़ की जांच करली जावेगी और सही तथ्य पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार करली जावेगी।

पोषाहार केन्द्रों पर वितरित मिल्क पाउडर

652. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981–82 में विकास विभाग के माध्यम से चलाये जा रहे पोषाहार केन्द्रों पर उपयोग हेतु वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुदानित एक सौ मैट्रिक टन मिल्क पाउडर व 145 मैट्रिक टन आयल फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया के कलकत्ता गोदाम से जिला परिषद् जयपुर के गोदाम में लाकर राजस्थान के विभिन्न पोषाहार केन्द्रों पर वितरित करना था ?

(2) यदि हां, तो यह सामग्री किस-किस माध्यम से कितनी कितनी कब कब जयपुर पहुंची और उसको कब कब कितनी कितनी मात्रा में पोषाहार केन्द्रों पर वितरण किया गया ? कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

सांचौर स्थित भेड़ चारागाह

653. श्री कनकराज मेहता (सांचोर) ; क्या भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांचोर स्थित भेड़ चरागाह में दाऊ-सरनाऊ-अरणाय-मेडा–आम्बली-चोहरा-बिजरोल के लिए गत चार वर्षों में कितनी

(श्री कनकराज मेहता)

कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त चरागाह की प्रगति से सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

(3) क्या चरागाहों की सुव्यवस्था न होने से इनकी हालत खराब हो रही है ? सरकार इसकी प्रगति व सुव्यवस्था हेतु क्या कदम उठाना चाहती है।

(4) क्या यह भी सत्य है कि सभी भेड़ चरागाहों में अभी तक घास भी पैदा करने को कोई योजना नहीं बनी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भेड़ विकास चरागाह कार्यक्रम, सांचौर में प्रत्येक भूखण्डों पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से पिछले चार वर्षों में निम्न खर्चा हुआ :

1—भूखण्ड गेदाऊ	68,710/—	वर्ष 1980—81 से 1983—84 तक
2—सरनाऊ	79,845/—	यथोपरि
3—अरणाय	60,205/—	यथोपरि
4—मेडा	1,20,260/—	यथोपरि
5—आमली	96,985/—	यथोपरि
6—चौरा	92,868/—	यथोपरि
7—बिज्जोल	81,130/—	यथोपरि
कुल योगः—	6,00,003/—	

(2) उक्त चरागाह पर विकास के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(3) जी नहीं।

(4) नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 मार्च, 1984)

आदिवासी कन्या छात्रावास भूपालपुरा की भूमि

309. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) आदिवासी कन्या छात्रावास भूपालपुरा (सरदारपुरा) उदयपुर की स्थापना कब की गई ? प्रारम्भ में छात्रावास निर्माण के लिए कितने बीघा भूमि किसके द्वारा अलाट की गई ? कृपया आवंटन प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या रिसाला के नाम से जानी जाने वाली भूमि और भवन में भी छात्रावास चलता है ? यदि हां, तो कब से ? रिसाला की भूमि मय भवन कितनी राशि में किनसे खरीदी गई ? भूमि व भवन का रकबा कितना था ?

(3) यह भूमि और भवन जिस उद्देश्य के लिए लिया गया था क्या आज भी उस संस्था के पास है ? यदि हां, तो उस संस्था के सर्वेसर्वा कौन हैं ?

उत्तर

(1) इस नाम का वर्तमान में कोई छात्रावास नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त नाम का छात्रावास नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति ।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

स्वर्गीय सर्व श्री विजयसिंह व सम्पतराज, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा को श्रद्धांजलि

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुःख है कि इस विधान सभा के दो भूतपूर्व माननीय सदस्यों का इस बीच में देहावसान हो गया ।

श्री विजयसिंह जी, जिनका जन्म संवत 1982 में रूप नगर में हुआ, प्रथम विधान सभा में कुम्भलगढ़ से निर्वाचित सदस्य थे । आप जनसंघ दल के सदस्य थे । ग्रामीण विकास में आपकी बहुत दिलचस्पी थी । रूढ़िवादिता के विरोधी थे और प्रौढ़ शिक्षा के प्रबल समर्थक थे । जनसाधारण के किसी विषय को हल करने में हमेशा श्री विजयसिंह जी प्रयत्नशील रहते थे । 22 मार्च को उनका असामयिक निधन हुआ इसका हम सबको दुःख है ।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके दुखी परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सम्पतराज जी, जिनका जन्म 1918 में ग्राम बकानी जिला झालावाड़ में हुआ था, बहुत ही पुराने सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के सिपाही और हिन्दुस्तान की आजादी के एक सेनानी थे । सामाजिक कुरीतियों का विरोध उन्होंने हमेशा किया । जीवनकाल में वह जहां राजनीति में कार्यरत थे वहां उन्होंने समाज सुधार और कुरीतियों के खिलाफ निरन्तर आवाज उठायी थी ।

श्री सम्पतराजजी 1939-51 तक तहसील कांग्रेस कमेटी, बकानी के मंत्री रहे, 1949-52 तक बकानी के सरपंच रहे, 1954-56 तक राजस्थान भूदान समिति के सदस्य और झालावाड़ जिले की भूदान समिति के संयोजक रहे । 1952 में जिला पंचायत सम्मेलन, श्री शंकरपुर के अध्यक्ष व हिन्दी साहित्य समिति बकानी के उपाध्यक्ष भी रहे । वह 1954 से '55 तक कोटा डिविजन पंचायत समिति के प्रधान मंत्री भी रहे । श्री सम्पतराज जी अनेकों सार्वजनिक समस्याओं को हल करने में निरन्तर व्यस्त रहते थे । हर बात को निर्भिकता से कहने की उनकी आदत थी । जन जीवन की कोई भी समस्या हो, उसको बहुत खुलकर, सफाई से और निर्भीकता से कहते थे । समाज में उनका बड़ा मान था । झालावाड़ जिले के लिए उनकी अनेक सेवाएं थी । राजस्थान में कांग्रेस में ही नहीं राजस्थान के सार्वजनिक सामाजिक जीवन में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया था । उनके निधन से सही मायने में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति करना सम्भव नहीं है ।

मैं श्री सम्पतराज जी के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त

(श्री शिवचरण माथुर)

परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको शामिल करते हुए दोनों मृत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दोनों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस दुःख के सहन करने की शक्ति दें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने श्री विजयसिंह जी और श्री सम्पतराज जी के आकस्मिक निधन के बारे में शोक प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको व अपने दल को सम्मिलित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : श्री विजयसिंह जी राजस्थान विधान सभा के प्रथम सदस्य थे और श्री सम्पतराज जी द्वितीय विधान सभा के सदस्य थे। सदन के नेताजी ने जो प्रस्ताव रखा उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके निधन से उनके परिवार को जो कष्ट हुआ है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सदन के नेता ने और विभिन्न दलों के नेताओं ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको शरीक करते हुए श्री विजयसिंह जी और श्री सम्पतराज जी, दोनों महानुभावों को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता, विपक्ष के नेता और इस सदन के अलग-अलग नेताओं ने श्री विजयसिंह जी और श्री सम्पतराम जी बकानी के निधन पर जो संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने आपको शरीक करता हूं।

श्री विजयसिंह जी कुम्भलगढ़ से प्रथम विधान सभा में निर्वाचित हुए थे और श्री सम्पतराज जी द्वितीय विधान सभा के सदस्य थे। उनके कार्यकलापों के बारे में आप और हम, जो भी पुराने सदस्य हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इन दोनों की ज्यादा उम्र भी नहीं हुई थी लेकिन हरि इच्छा के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। यह हम सबके लिए बड़े दुःख की बात है कि हमारे एक एक करके पुराने साथी हैं, हमारे बीच में से जा रहे हैं। इस तरह के सूझबूझ वाले व्यक्तियों का हमारे बीच से चले जाना हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है।

परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना मैं करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस महान् दुःख को झेलने की शक्ति दें।

मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे दो मिनट तक अपने स्थान पर खड़े होकर उनको मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(श्री अध्यक्ष)

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3 अप्रेल को अजमेर नगर में डिग्गी बाजार में एक छज्जे के गिरने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु के विषय में।

(2) सर्व श्री बालचन्द आर्यवीर, हीरालाल आर्य, हरीश शर्मा, दाऊदयाल जोशी, रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा सम्भाग में असामाजिक तत्वों द्वारा पत्रकारों की पिटाई के विषय में।

(3) श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ उपभोक्ता सहकारी संघ, भवानी मण्डी में 8 लाख रुपये का कपड़ा पिछले 3 वर्षों से पड़ा होने के विषय में।

(4) श्री जीतमल जैन व श्री समरथ लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर पालिका तिजारा, जिला–अलवर में गत 13 दिन से कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के विषय में।

(5) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर नगर पालिका क्षेत्र में लगे हुये पुराने ईंट भट्टों को बंद कर देने के विषय में।

(6) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की पंचायत समितियों द्वारा पिछले दिनों राजीव गांधी के आगमन पर सरकारी धन से तोरण द्वार आदि बनाने के विषय में।

(7) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान, सभा की ओर से गत 4 अप्रेल को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की सब ब्रान्च बूंदी की कृषि उपज मण्डी शाखा में पड़ी डकैती के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(8) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कंवर नगर जयपुर में कई जगहों पर गटरों पर कवर न होने के विषय में।

(9) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक शहर में आवारा पशुओं द्वारा खड़ी फसल नष्ट करने के विषय में।

ये स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं। अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मुख्य स्टेडियम बीकानेर की हालत निरन्तर बिगड़ने के

(श्री अध्यक्ष)

विषय में। इस विषय को माननीय सदस्य कल सदन में शिक्षा विभाग की मांगों के समय उठा सकते थे। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री कैलाश मेघवाल—शिक्षण सत्र 1983-84 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये सरकार द्वारा राशि न मिलना। सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय में विभाग द्वारा प्रयत्न करने पर भी केन्द्र से 36.84 लाख रुपये की राशि क्रम प्राप्त हुई किन्तु अप्रेल, 84 में विभाग द्वारा आवश्यक धन राशि का आवंटन करने का प्रयत्न किया जायेगा व राशि की स्वीकृति कर दी जावेगी।

(2) श्री हरीश शर्मा—मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले रामगंज मण्डी नगर सीमा में सरकार को तेल की बिक्री से राजस्व की हानि। सरकार ने सूचित किया है कि कच्चे माल पर कर दर कम होने के कारण राजस्थान में उत्पादित तेल की लागत मध्य प्रदेश के मुकाबले कम होती है। अतः यह तेल मध्य प्रदेश में महंगा नहीं पड़ता।

(3) श्रीमती विद्या पाठक—गत वर्ष संस्कृत कालेज महापुरा के कैशियर द्वारा 10 हजार रुपये गुम होने के कारण अध्यापकों को वेतन न मिलना। सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई है और वित्त विभाग की स्वीकृति आने पर सितम्बर माह के वेतन का भुगतान अध्यापकों व कर्मचारियों को कर दिया जायेगा।

(4) श्री जीतमल जैन—राजकीय गांधी नेशनल विद्यालय, अलवर के भवन की हालत जीर्ण-शीर्ण होने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि उक्त विद्यालय को वर्तमान स्थान से हस्तान्तरित करने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश कर दिये हैं और अन्य मकान की तलाश की जा रही है।

(5) श्री देवीसिंह भाटी—राजस्थान मुख्य नहर में हाल ही में मिट्टी भरने के काम में ठेकेदार द्वारा घोटाला। सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय में सारी कार्यवाही नियमानुसार हुई है और कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(6) श्री समरथ लाल—अलवर जिले में तृतीय ग्रेड के अध्यापकों को नियुक्तियां न देना। सरकार ने सूचित किया है कि जिन व्यक्तियों को नियुक्तियां नहीं दी गई वे नियुक्ति के पात्र नहीं थे और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैंने बीकानेर के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी में दिन दहाड़े बैंक लूटा गया....

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी में दिन के 12 बजे बैंक को तीन सरदारों ने लूट लिया....

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी के अन्दर एक बैंक को लूट लिया गया है और यह कह कर गये हैं कि हम भिंडरावाले के आदमी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है....

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय के क्षेत्र में दिन दहाड़े उग्रवादी बैंक लूटकर ले गये....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, कोटा डिवीजन में हत्या और लूटपाट की घटनायें निरन्तर हो रही हैं....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बैंकों की क्या हालत होगी ? तीन बैंक लुट चुके हैं। कल फिर बूंदी में बैंक लुट गया। मेरा उस पर स्थगन प्रस्ताव भी है। सुबह आपके यहां पर नीचे डिब्बे में डाल दिया था उसको नहीं निकाला तो मैं क्या करूं। 12-1 बजे तीन सरदार युवक आये और उन्होंने कहा कि हम भिंडरावाला के आदमी हैं। उन्होंने बैंक को लूटा। रिवाल्वर उनके साथ था, सारे बैंक के कर्मचारियों का मुंह बंद करके कमरे में बंद करके रख दिया, उनकी घड़ी छीन ली, रुपया छीन लिया और सारा कैश लेकर, बैंक मैनेजर का स्कूटर लेकर भाग गये....

श्री अध्यक्ष : जानकारी मंगायी जा रही है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, बराबर ये घटनायें हो रही हैं।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, ये लूटपाट की घटनायें दिन दहाड़े हो रही है....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आज कोटा-बूंदी-झालावाड़ में आग लगी हुई है। वहां पर कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं है। सारा प्रशासन गुण्डे बदमाशों के हाथ में दे दिया गया है....

(व्यवधान)

जयपुर से स्पेशल पुलिस गयी हुयी है, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। पुलिस वालों की नाक के नीचे लूटा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : दिन दहाड़े, अध्यक्ष महोदय, दिन दहाड़े हत्यायें हो रही है....

श्री बालचन्द आर्यवीर : भिंडरावाले के आदमी हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है....

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल विधान सभा में यह बात कही गयी थी कि पंजाब के उग्रवादी राजस्थान में आये हैं और कल ही....

श्री दाऊदयाल जोशी :....यह चिन्ता का विषय है....

श्री बालचन्द आर्यवीर :....दिन दहाड़े लूट ले जाते हैं। वहां की पुलिस तमाशा देखती रही है। इतनी पुलिस तैनात है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस उनको पकड़ने में असमर्थ है....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सारे खजाने को लूटा, सारे बैंक कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया, मैनेजर का स्कूटर खड़ा था उससे भाग गये और उन्होंने....

श्री अध्यक्ष : इसमें व्यवस्था दे दी है। सरकार से जानकारी चाही है।

श्री हीरालाल आर्य : एक तरफ कोटा सम्भाग में ये घटनायें हो रही है और दूसरी तरफ पुलिस फोर्स सारी वहां पर पड़ी हुयी है....

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : मेरा आपसे निवेदन है कि....

श्री बालचन्द आर्यवीर : आज ही इस बात पर मंत्री महोदय का वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री हीरालाल आर्य : झालावाड़ में बस को लूटा गया, बैंक लूट लिया, हत्यायें कर दी अब जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उनके अस्त्रों को तो रखवा लिया जाय। कम से कम जो हरियाणा में हुआ है वह तो यहां पर लागू करवा दें। बूंदी में जिन्होंने बैंक लूटा वे भी सरदार थे। उससे लोगों में घबराहट फैलती है। मेरा निवेदन है कि अस्त्र-शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा ही दिया जाय या आप अपनी फोर्स को मजबूत करें। आज न कोई पुलिस है और न ही कोई प्रशासन है, लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है—

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : वह अबला कहती रही कि गुण्डे भाग रहे हैं, गोली मारो लेकिन उसके कहने के बाद भी उनको गोली नहीं मारी गयी, गिरफ्तार नहीं किया गया। कल बूंदी में पुलिस की नाक के नीचे घटना हुई और पुलिस वाले उनके पीछे भागते रहे। मगर गुण्डे वहां से भाग गये। वे सरे आम भाग रहे थे। पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं, पुलिस के सामने गुण्डे पैदल चले, स्कूटर पर चले और बाद में ट्रेक्टर, जो वहां खड़ा था, में बैठकर चले गये।

श्री भगवान दास शास्त्री : भिण्ड़रावाले के आदमी हैं—

श्री दाऊदयाल जोशी : पुलिस ने उनका पीछा नहीं किया। पुलिस का कहना है कि थोड़ी दूर जाने के बाद वे कहीं गायब हो गये। मुझे आश्चर्य है कि लुटेरे पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस वालों की आंख के सामने गायब हो गये....

श्री भगवान दास शास्त्री : साढ़े तीन करोड़ जनता अब इसको वर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : आश्चर्य इस बात का है कि कोटा-बूंदी मार्ग पर 24 घंटे गश्त चालू है। कोटा-बूंदी के बीच में 27 जगह पर 6-7 पुलिस वाले डंडाधारी और 4 राइफल धारी पुलिसमैन गश्त कर रहे हैं, रात दिन गश्त चल रही है, दिन को गश्त चल रही है और रात को भी गश्त हो रही है, गश्त की व्यवस्था माननीय राज्य मन्त्री, गृह राज्य मन्त्री ने की हुयी है उसके बावजूद भी गुण्डे किस प्रकार भाग गये। दुर्भाग्य यह है कि कोटा में पांच काण्ड हुए और पांचों काण्डों के अपराधी नहीं पकड़े गये। मैं सोचता था कि गृह राज्य मन्त्री जी स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था के तुरन्त बाद स्वयं वक्तव्य देंगे। थोड़ी शर्म होती, थोड़ी लज्जा होती अगर राज्य को बचाने की चिन्ता होती, अगर राजस्थान के लिये कुछ करने की इच्छा होती तो स्वयं खड़े होकर क्षमा याचना करते, दुर्भाग्य से गुण्डे हत्यायें करके चले जाते हैं उनको पकड़ने में हम असमर्थ हैं। माननीय गृह राज्य मन्त्री जी, कोटा की जनता....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्वयं त्याग-पत्र देने की घोषणा करते या मुख्य मन्त्री जी घोषणा करते।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समूचे प्रकरण में एक बात और जुड़ी है, जन चर्चा चल रही है पंजाब के कुछ नये चेहरे जगह जगह पर दिखायी दे रहे हैं। सदन में, जनता में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैंने स्वयं एस. पी. को टेलीफोन करके सूचना दी थी कि एक ए. ईएन. बस में बैठकर आ रहा था जिसने बस में आंतक मचाया और बस की सवारियों को आंतकित किया, बस को रोक कर उससे बात की। मुझे लगता है कि इस षड़यंत्र में शरीक लोग जगह जगह ढाणियां जहां बनी हुयी हैं, जहां जहां मकान बने हुए हैं वहां ये लोग वहां ठहरे हुए हैं। मेरे टेलीफोन करने के बाद भी उस ए. ई-एन. को बुला कर घटना की जानकारी नहीं ली गयी। कोटा में तीसरा बैंक लूटा गया है। दो बैंक लुट चुके हैं कोटा प्रापर में। अब एक बूंदी में लुटा है। हमारे यहां पर, अध्यक्ष महोदय, यदि नये नये चेहरों की ज्यादा जानकारी नहीं ली गयी उनको वाच नहीं किया गया तो आज हाड़ौती का जन जीवन अस्तव्यस्त हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, शाम को 7 बजे के बाद हाड़ौती की सड़कें वीरान हो जाती हैं. यह स्थिति पैदा हुयी है इसके लिये राज्य मन्त्री, मुख्य मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। हमने राज्य मन्त्रीजी से कहा था कि विशेष प्रयास नहीं किये। डी. आई. जी. ने प्रेस कान्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया है,

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सारे अखबारों में छपा है, आशा अग्रवाल ने कहा था उस पुलिस वाले से कि गोली चलाओ। डी. आई. जी. का आर्ग्यूमेंट था कि पुलिस वाले की पेंशन होने वाली थी उसने इसलिये गोली नहीं चलाई कि कहीं मेरी पेंशन में चक्कर नहीं आ जाये।

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न उठा है एक लाख रुपये का प्रश्न नहीं है। कोटा के जन जीवन की अशांति का प्रश्न है। वहां की सड़कें वीरान हो गयी हैं। आपस में चर्चा यह चलती है मानो पुलिस ने असामाजिक तत्वों के सामने समर्पण कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो निवेदन है वह यह है कि पुलिस की सतर्कता का मतलब क्या है ? निरन्तर घटनाएं घटती जा रही हैं पुलिस कोई कार्यवाही करने में असमर्थ हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है ? कोटा का जो जन जीवन है उसके लिये आप मीटिंग बुलाकर कुछ बातचीत तो कीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इन्दिरा गांधी असमर्थ है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपने बड़े तपाक से घोषणा की थी विधान सभा में, मैं हाड़ौती में मिलूंगा और बात करूंगा। आपने बुलाया ? किसी से बात की ? इसमें कांग्रेस के एम. एल. ए. भी हैं। आप उनको बुलाकर वहां की परिस्थिति की जानकारी करें। आप कुछ एक्शन लें। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, आपका और हाड़ौती का कुछ योग ही ऐसा है। आप आये तब से निरन्तर घटनाएं घट रही हैं और एक से एक भयंकर घटनाएं घट रही हैं। कितने लुट रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, डकैती की घटना रोजाना हो रही है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन लोग लूटे नहीं जा रहे हों। मोटर साईकिलें रोकी जाती हैं, साईकिलें रोकी जाती हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक भी आदमी नहीं पकड़ा जा रहा है। यह किस बात का द्योतक है ? वहां के जन-जीवन के बारे में आप विचार कीजिये कि जन जीवन कितना अशांत हो गया है। दिन अस्त होने के बाद घर के लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं। कहते हैं, क्या पता तू वापस आयेगा या नहीं। जहां की लॉ एण्ड आर्डर की यह स्थिति हो उसके बारे में गृह राज्य मन्त्री क्या कहा जाय। मुख्य मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे ऊपर दया करो, किसी दूसरे को गृह मन्त्री बना दो। इनका योग ऐसा है कि पुलिस कोई कार्यवाही कर नहीं पा रही है। इसके पीछे राज क्या है यह समझ में नहीं आ रहा है। हाड़ौती की घटनाओं का आप अन्दाज लगाइये, पिछले 15 दिन में, आप हिसाब लगाइये, कितने लोग मरे, कितनी आपने इस पर कार्यवाही की ? मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य बैठ जायं। आर्डर, बैठ जायं।

श्री यदुनाथ सिंह : यह बहुत गम्भीर मामला है और...

Page No 64

(64)

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

इतनी सारी घटनाएं घटीं, अध्यक्ष महोदय, इस तरह का जीवन हमारे कोटा में बनाया जा रहा है। इस तरह से जब से लूट-पाट की घटनाएं हो रही हैं, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

एक एम्बेसडर कार में सरदार बैठे हुए थे उनके पास अस्त्र-शस्त्र थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। बैठ जायं, माननीय सदस्यगण।

श्री हीरालाल आर्य : एक घटना हुई बूंदी में....

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री हीरालाल आर्य : घटनाएं हो रही हैं गृह राज्य मन्त्री ने....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : इस स्थिति में सरकार को वक्तव्य देना चाहिये। कोटा के झालावाड़ के अन्दर इस तरह की घटना होने के बावजूद....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वक्तव्य की भी व्यवस्था कर दी जायेगी। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, इसमें न सरकार....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्यगण।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : एक भी अपराधी को पकड़ा क्या पुलिस ने....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): अध्यक्ष महोदय, इतना हो गया....

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, कृपया बैठ जायं।

श्री यदुनाथ सिंह : जिस भिंडरावाला के सामने ××× अध्यक्ष महोदय, यह छोटा-मोटा गम्भीर मामला नहीं है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। किसी व्यक्ति का नाम इसमें नहीं लायें। आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : इस मामले को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये और सर-

---

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री यदुनाथ सिंह)

कार की तरफ से वक्तव्य होना चाहिये। भिंडरवाला का नाम घटना को बहुत गम्भीर बना देता है, अध्यक्ष महोदय।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): मैं इस सम्बन्ध में ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं. माननीय सदस्यगण।

सुश्री पुष्पा जैन : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

बूंदी बैंक डकैती के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। माननीय सदस्यों को सुनने के बाद मैं समझती हूं कि शासन इसके महत्व को समझ गया होगा। मैं आप की मार्फत राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी, खास तौर से मुख्य मन्त्रीजी से इस सम्बन्ध में, आप खड़े होकर अगर स्टेटमेंट दे दें या वहां की स्थिति स्पष्ट कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : चीफ मिनिस्टर साहब को बुलवाइये। हर बात में मौन रहते हैं, इतनी गम्भीर घटना में भी, अध्यक्ष महोदय —

श्री दाऊदयाल जोशी : गृह मन्त्रीजी ने भाषण दिया है कि अपराधियों को जल्द पकड़ा जायेगा, कोटा जिले में शान्ति बनायी जायेगी, ये सारी घोषणाएं असत्य साबित हुई हैं।

हम चाहते हैं कि जब सदन में माननीय मुख्य मन्त्रीजी हों, उनके पास ही गृह मन्त्रालय है, गृह मन्त्रालय इंचार्ज मुख्य मन्त्री जी स्वयं वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सरे आम वहां से हथियार लूट कर ले गये और लूटकर पार कर दिये गये। आज तक भी एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या आतंकित नहीं हुए, क्या वह उग्रवादी नहीं थे ? उसमें भी निष्फल रही यह सरकार। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज मैं पूछता हूं, यह घटना हुई, चाहे वह भिण्डरावाला का नाम लें, किसी ओर का लें लेकिन इस प्रकार के पंजाबी तत्व आकर खुले आम, सरे बाजार, दिन दहाड़े इस प्रकार लूटपाट हत्यायें कर जायें। अध्यक्ष महोदय, आखिर कौनसी ऐसी व्यवस्था है जहां जाकर इस राज्य की कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा करें, लोगों को विश्वास दिलायें। अध्यक्ष महोदय, बारबार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो अध्यक्ष महोदय, कम से कम आप पर इसकी जिम्मेदारी है, और आप से अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार को मजबूर करें, सदन की कार्यवाही को स्थगित करें और पूरी कानून और व्यवस्था पर चर्चा की जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : 15 दिनों में 13 काण्ड हुए हैं, लूट के, हत्या के, डाके के।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि आज के बाद अगर कोई ..

श्री अध्यक्ष : गृह राज्य मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं, माननीय सदस्य ।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :....सदन में आश्वासन दिया गया था कि हाड़ौती क्षेत्र के कोटा जिले के सभी विधायकों को बुलाकर उनको संतुष्ट किया जायेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय । सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलाया जाना चाहिये ।

श्री हीरालाल आर्य : इस प्रकार की घटनायें छापने वाले पत्रकारों के ऊपर भी हमने किये गये हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं वह---

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्रीजी क्यों नहीं बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री यदुनाथ सिंह : इतना गम्भीर मसला है, जिस से सारा देश चिन्तत है जिस घटना से उसको बताते हुए मुख्य मन्त्रीजी को खड़े होने में शर्म आती है ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कल जो बूंदी में घटना हुई उसके सम्बन्ध में जो तथ्य हमारे पास उपलब्ध हैं, वैसे तो और जानकारी आने के बाद पूरा वक्तव्य देने वाली बात सामने आती है, लेकिन राज्य मन्त्री जी जानकारी दे रहे थे तो उसमें क्या दिक्कत थी ? वही तथ्य मैं दूंगा जो तथ्य ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका अर्थ है, राज्य मन्त्री जी को जानकारी है और आपको जानकारी नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे पूरी जानकारी है । नयी बात क्या होती है, मैं जो देता वही वह बोल देते, एक ही बात थीं । यह तो आप भी मानेंगे कि पूरी जानकारी करने के बाद में जो बात....

श्री दाऊदयाल जोशी : 24 घन्टे में जानकारी नहीं आई ? जिनके पास वायरलैस लगे हैं, वह सरकार जानकारी नहीं ले सकी ?

(व्यवधान)

आप क्या जानों, कोटा जिले में कई बार--

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : आप सुनना नहीं चाहते हो, × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था न फैलावें ।

श्री हीरालाल आर्य : आपकी पुलिस डाकुओं से मिली हुई है । एक भी अपराधी

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री हीरालाल आर्य)

पकड़ा क्या आपकी पुलिस ने ? आपकी पुलिस वहां पर इस तरह की घटनायें करवा रही है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × ×

(व्यवधान)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : इस तरह की बातों का प्रयोग किया जा रहा है। हम इससे भी ज्यादा कड़वी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी ने कहा, × × × इस तरह के शब्द वरना हम कार्यवाही चलाने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री छीतरलाल आर्य : गृह राज्य मन्त्री जी गैर जिम्मेदाराना तरीके से भाषण दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जायं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, × × ×

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : इसका मतलब विरोध पक्ष के नेता अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : भाषा शालीनता की होनी चाहिए।

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × × आपके कांग्रेस के काण्ड हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाका तो वहां पड़ा और आप यहां हंगामा मचाना चाहते हो। आप सुनना नहीं चाहते हो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, तथ्यों की जानकारी दे सकता हूं लेकिन इनको जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं वह उठाया।

श्री दाऊदयाल जोशी : मर गया राजनीतिक लाभ × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनको बैंक डकेती से मतलब है नहीं, इनको तो हंगामा मचाने से मतलब है। सुनना नहीं चाहते हैं यहां पर।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री यदुनाथ सिंह : वहां जनता त्राहि त्राहि कर रही है। क्या मूक दर्शक बने रहें ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरी समझ में नहीं आता, एक तरफ तो चोरियां हो रही हैं, डकेतियां हो रही हैं, हत्यायें हो रही हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि चाहें कि इस घटना....

श्री बालचन्द आर्यवीर : वहां की जनता मेंजाओगे तो × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर, आप भी बैठ जायं। आर्डर, बैठे बैठे न बोलें।

माननीय सदस्य, वैसे तो मैंने व्यवस्था दे रखी है, जानकारी प्राप्त की जा रही है लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य उत्सुक हैं, काफी आवेश में हैं इसलिये मैंने जब इशारा किया तो राज्य मंत्रीजी खड़े हो गये। मुख्य मंत्रीजी ने भी अपनी थोड़े में बात कही।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

यदि आप सुनना चाहते हैं राज्य मंत्री जी को तो मैंउनको अवसर दे सकता हूं लेकिन उसमें बाधा उपस्थित करें बीच में, तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। बैठ जायं, माननीय सदस्य।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मुख्य मंत्रीजी आन्सर नहीं देंगे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : ट्रेनिंग सेन्टर थोड़े ही है यह, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

ऐसा है कि मुख्य मंत्रीजी उपस्थित नहीं हों और राज्य मंत्रीजी दें तब तो आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर मुख्य मंत्रीजी को देना चाहिए, लेकिन मुख्य मंत्रीजी स्वयं बैठे हों, वह यह कह रहे हों कि उत्तर दें, उनके सामने दिया जाय तो वह बात उन्हीं की मानी जाती है। उसमें कोई फर्क नहीं होता। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुख्य मंत्रीजी भी दो शब्द कह देंगे, स्पष्टीकरण के तौर पर, विस्तृत जानकारी के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्रीजी को नहीं दोगे आप अनुमति ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई नियमों में प्रावधान नहीं है। आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायं, आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : राज्य मन्त्री उत्तर देते हैं फिर आन्सर ठीक नहीं देते हैं तो केबिनेट मन्त्री खड़े होकर जवाब देते हैं। मुख्य मन्त्रीजी हैं तो उनको उसका उत्तर ऐसे गम्भीर मसले पर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी सभा की परम्परायें, प्रक्रिया रही है उसमें जो परिभाषा दी हुई है मन्त्री की, मन्त्री के मायने, मन्त्री के तात्पर्य, मन्त्री, राज्य मन्त्री, उप मन्त्री सब इसमें आ जाते हैं। मुख्य मन्त्रीजी खुद यहां पर मौजूद हैं, राज्य मन्त्री जी कह रहे हैं। अगर आप आवश्यक समझेंगे तो मुख्य मन्त्रीजी भी निवेदन कर देंगे। उसके बाद में स्पष्टीकरण या कुछ कहना चाहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी कोई राज्य मन्त्रीजी के प्रति अनादर की भावना नहीं है....

श्री अध्यक्ष : कोई व्यक्ति अगर अपने आप को प्रस्तुत करे और आप यह कहें कि नहीं, हमको यह नहीं दूसरे आदमी को भेजो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनादर की भावना नहीं है। भावना इस सारे मसले में आपने देखी होगी कि स्थिति गम्भीर है, मुख्य मन्त्रीजी यदि बोलें तो गम्भीरता के अनुपात में सरकारी पक्ष की ओर से इस सदन को जानकारी दी जाय। यह नहीं है कि राज्य मन्त्रीजी बोल नहीं सकते हैं, राज्य मन्त्रीजी को बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : जहां तक गम्भीरता का प्रश्न है, सरकार की ओर से उत्तर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार की ओर से बोलने का अधिकार राज्य मन्त्रीजी को भी है। उसी मसले के ऊपर उप मन्त्री भी बोल सकते हैं। व्यवस्था में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है लेकिन मामला जिस प्रकार का गम्भीर है, कल भी इस सदन में इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी, हमारी इच्छा यह थी कि सरकार की ओर से इस सारे वातावरण जो विषाक्त बन गया है, लोग आतंकित हो गये हैं, को निर्मूल करने के लिये मुख्य मन्त्रीजी कोई वक्तव्य दें। सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाय। खुशी की बात है कि मुख्य मन्त्रीजी बैठे हैं। मुख्य मन्त्रीजी अपने मुंह से कहेंगे तो उसका एक असर होगा, सारे सदन को जानकारी मिलेगी। वह तथ्यात्मक जानकारी देंगे, वह तो कोई भी बोल दे, अध्यक्ष महोदय आप पढ़कर सुना दें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष : हम तो सुना दें तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फिर तो सब सदन की तरफ से हो गया वह तो, कहां एक पक्ष की तरफ से कहा गया लेकिन आसन की तरफ से कहा —

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आसन की तरफ से पढ़कर सुना दें तो हमको आपत्ति नहीं है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आप जानते बूझते उस चीज को क्यों बोल रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठे बैठे मत बोलो, यह तो समझते हो।

श्री हरिसिंह : विपक्ष के माननीय

(७०)

(श्री हरि सिंह)

सदस्य, अपोजीशन के माननीय नेता मुख्य मन्त्री रहे हुए, आप ऐसी बात कर रहे हैं ? दूसरे माननीय सदस्य करते तो बात समझ में आती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मेरे विवेक पर मेरी बात छोड़ दीजिए । मैं आपके उपदेश से काम करने वाला नहीं हूं।

श्री हरिसिंह : मेरे उपदेश से काम करते तो आपका कल्याण हो जाता यह आपकी बदकिस्मती है कि काम नहीं करते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके उपदेश से जिन लोगों ने काम किये हैं, अब तक लोग भुगत रहे हैं । इसलिए माफ करो मुझे तो । मैं तो नहीं लूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी सारे प्रश्न की गम्भीरता को लें । मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, राज्य मन्त्री बोलें, इसमें राज्य मन्त्री के प्रति कोई अनादर की भावना नहीं है लेकिन मसले की गम्भीरता को देखते हुए मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न के ऊपर पूरा उत्तर दें, माननीय सदस्यों को संतोष करायें ताकि उसके आधार पर जनता, जिसमें आतंक फैला हुआ है, को किसी प्रकार का संतोष हो सके । इसमें बड़प्पन नहीं है । मुख्य मन्त्रीजी बोलेंगे तो मामला और हो जायेगा, और छोटा हो जायेगा । मामले की गम्भीरता को देखते हुए मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को विवाद का प्रश्न न बनावें कि कौन बोले और कौन नहीं बोले । मुख्य मन्त्रीजी स्वयं वक्तव्य दें तो स्वागत है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्न को विवाद का प्रश्न नहीं बनाना चाहता हूं, न कोई प्रेस्टीज का प्रश्न बनाना चाहता हूं। इसकी गम्भीरता को जितना आप महसूस करते हैं उससे ज्यादा मैं समझता हूं। सभी चिन्तित हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती । प्रश्न केवल इतना आया, बूंदी की कल की घटना के बारे में कुछ जानकारी चाही गयी । इस प्रकार की जानकारी सरकार से मांगी जाने के बाद अध्यक्ष महोदय सदन में वक्तव्य दिलाते हैं।'

मैं जानता हूं कि उसकी जानकारी पूरी आने के बाद, पूर्ण तथ्यों की जानकारी के बाद में आने वाली बात हो सकती है लेकिन जो भी हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं उसके आधार पर जो जानकारी है...

श्री अध्यक्ष : इसमें जो मुख्य प्रश्न आया है वह यह आया है कि कई घटनायें एक सिलसिले में शृंखला में हो रही हैं इसलिये जनता का भयभीत और आतंकित होना स्वाभाविक है, उसमें क्या किया जा सकता है । मेरे ख्याल से एक घटना से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्न तो इन तथ्यों के सम्बन्ध में रहा, वह तथ्यों के बारे

(श्री शिवचरण माथुर)

में आप भी जानते हैं, अखबारों में भी आया है उसमें थोड़ा बहुत फर्क महसूस हो सकता है, तथ्यों में बहुत कुछ अन्तर नहीं है, बैंक किस प्रकार से कल लूटा और कैसे हैं और क्या उन्होंने कहा, यह सब जानकारी आपने भी कही है और हमारे पास में भी वह जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय, जो घटनायें लगातार सिलसिले से हो रही हैं उन सब पर यह नहीं कि मुझे ही चिन्ता है, आप सब लोगों को चिन्ता है और सारे राजस्थान के आदमी और जनता को चिन्ता है। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि हमने जो कुछ घटना घटी है उन सब के बारे में हर संभव उपाय करके और यह कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को पकड़ा जाय, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाय। एक के गिरफ्तार होने के बाद सारा लिंक एक प्रकार से मिल जायेगा।

आज तो पंजाब में जिस तरह की घटनायें हो रही हैं उसके साथ में इस संदर्भ को जोड़ा जाय तो और भी चिन्ता का विषय बन जाता है और मैं गम्भीरता से, बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार कोई भी कसर इस प्रकार की घटनाओं के अनं-अर्थ करने में नहीं छोड़ेगी। बड़े से बड़े आफिसर को हमने लगा रखा है। कोटा में पुलिस का ज्यादा इन्तजाम किया हुआ है और जो विशेषज्ञ इसमें हो सकते हैं उनको भी हमने लगाने की कोशिश की है बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि जिस प्रकार से घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ है राजस्थान में, उसके लिये कोई विशेष दल कहीं से मंगाकर हम जानकारी कर सकें और उनको हम डेप्लाय कर सकें, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है।

मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं; लोगों में जो भय का वातावरण बना हुआ है उसको दूर करने के लिये भी हर जगह पुलिस की व्यवस्था करने की हमने चेष्टा की है और कोटा में खास तौर से विशेष पुलिस की व्यवस्था की गई है, कुछ विशेष विशेषज्ञ भी जो इस प्रकार के इन्वेस्टीगेशन्स में कुशल होते हैं उनको भी वहां पर डेप्लाय किया है। मैं आज भी ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि यह कह सकूं कि दोनों केस की हिस्ट्री का पता लग गया है लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, दावा तो नहीं कर सकता कि इतने दिन में पता लग जायगा लेकिन भरोसे के साथ कहता हूं कि जो कार्यवाही की जा रही है उस कार्यवाही के अनुसार निश्चित रूप से इसका कोई पता लगेगा।

यह बीमारी है इसका हम सब को मिल कर उपाय निकालना है। इसमें आपकी भी कोई राय हो तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं यह नहीं कहता कि आप विरोध पक्ष में बैठे हुये हैं इसलिये आप जो बात कहते हैं मैं उसको उस दृष्टि से लूं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस बारे में आप भी जो सुझाव देंगे, हमारे पास जो कुछ भी कार्यवाही करने का तरीका है, हमारे पास जो भी साधन हैं, उन साधनों को हमने पूरी तरह से डेप्लाय कर रखा है, आप जो भी सुझाव देंगे मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूं, और

(श्री शिवचरण माथुर)

उस आधार पर सरकार पूरी कार्यवाही करेगी।

मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर संभव उपाय करके हम इन चीजों का पता लगाने के लिये दृढ़ संकल्प है और जो भी कार्यवाही की जा रही है उसका निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम आयेगा ऐसा मेरा विश्वास है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : कोई मर जाय तब भी तालियां बजाओ ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्रीमती उजला अरोड़ा। कंवर नगर की घटना के बारे में

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं कंवर नगर की घटना के बारे में बात करूं लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि पंजाब और सरदारों के नाम पर कोई दुर्व्यवस्था पैदा न हो जाय इसलिये खास तौर से ऐसे तत्वों को पकड़ा जाय, शांति व्यवस्था और एक वर्ग विशेष के नाम पर...

श्री अध्यक्ष : इस कार्य में आपको काफी सक्रिय होना चाहिये सड़कों पर और सब जगह...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं पंजाब की रहने वाली हूं मुझे बहुत अफसोस होगा इस तरह से मेरे निवास स्थान के लोगों को इंगित करके कोई बात कहें तो। मैं कहना चाहूंगी कि इसमें जो भिंडरावाला कांड का उल्लेख करके यह कहें इस पर खास तौर से ध्यान में रखने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : वह विषय समाप्त हो गया, माननीय समदया, आप अपने विषय पर आ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, घटना चेटीचण्ड के मेले के दिन की है। आप और मुख्य मंत्रीजी भी वहां पर पधारे थे। मैं नहीं जानती कि आपकी गाड़ी मैन होल्स के ढक्कन से टकराई या नहीं टकराई, आपने उन्हें देखा या नहीं देखा, मैं देर से गई, लेकिन जब मैं पहुंची तो मुझे लोगों ने रोककर प्रीतमदास सिन्धी के लड़के को दिखाया, जिसको बड़ी मुश्किल से गटर में से निकाला गया था। उसके बहुत चोटें आई थीं। घटना बड़ी अजीब है। जब मैं उधर निकली तो मैंने महसूस किया कि पूरी रोड पर, ठाकुर खत्री से लेकर वीर क्लाथ स्टोर वाले जहां रहते हैं वहां पर 99 प्रतिशत मैन होल्स खुले थे, टूटे हुये थे। वहां के स्थानीय विधायक ने भी कोशिश कर ली लेकिन लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट की नगर परिषद् ने कोई सुनवाई नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, न केवल कंवर नगर में बल्कि जयपुर शहर के लगभग सारे मैन होल्स की यही व्यवस्था हो रही है, कहीं खुले हुये हैं, कहीं टूटे हुये हैं, कहीं ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं और आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बात से परेशान होकर यूनिवर्सिटी के ला डिपार्टमेन्ट वालों ने इस सम्बन्ध में कोर्ट में मुकदमा दायर किया और उसके बाद भी आज कहते कहते वर्ष हो गये, अखबारों में भी छपा,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नगर परिषद् के अधिकारियों को बराबर मौका दिखाया गया लेकिन मैन होल्स की व्यवस्था नहीं की है। मैंने पिछले साल विधान सभा में प्रश्न रखा था तब, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी थी कि मैं मन्त्री महोदय से गटर्स के खुले ढक्कन नहीं गिनवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी के गिनने की बात नहीं है यह तो विभाग के देखने की व्यवस्था है। जगह जगह पर इन्सपेक्टर्स नियुक्त हैं वह रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं और क्यों मैन होल्स खोल कर चोरी कर बेचे जाते हैं, उन पर क्यों नहीं इस प्रकार की छाप लगाई जाती नम्बर, एक नम्बर दो, जिससे कि वह पहचान में आ आ जायं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? आप मंत्री महोदय को आदेश दीजिये कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। क्यों लोगों के एक्सीडेन्ट कराकर बेमौत मारने का ठेका देते हैं?

अध्यक्ष महोदय, आप जयपुर शहर की किसी सड़क पर निकल जाइये, मैन होल्स की यही स्थिति है। मैंने 8 दिन पहले नगर परिषद् के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको मौका दिखाया है, खुले मैन होल्स, टूटे मैन होल्स–साइकिल, स्कूटर, रिक्शा जो वहां पर चलते हैं वह धक्का खाते हैं, धक्का खाकर आगे जो सवारी होती है वह उससे टकराती है। यह अव्यवस्था हो गई है। नगर परिषद् देती है बिजली का ठेका, वह बिजली विभाग चुपचाप बैठा रहे पूरा डिपार्टमेन्ट और नगर परिषद् में रोड लाइट ठीक करने के लिये एक ओवरसियर है वह भी रात को 10 बजे के बाद उनके पास कोई गेंग नहीं होती है कहीं रात में अंधेरा रहता है, लोग जो उधर से निकलते हैं वह ठोकर खाते हैं, सवारियां उधर से निकलती हैं...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने रिजेक्ट किया है मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप रिजेक्ट कीजिये मैं कुछ नहीं कहूंगी लेकिन यही कहना चाहती हूं कि यह कार्यवाही के लिये भिजवाइये, आप यह व्यवस्था दें कि मैं इसे कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं। किसी को कोई गोली मारेगा तो वह बन्दूक लाकर मारेगा लेकिन इनसे आये दिन लोग मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं। जयपुर शहर के लिये हमारा सब का उत्तरदायित्व है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पूरे शहर की जांच कराकर जहां टूटे हुये हैं, नीचे हैं खुले हुये हैं उनको ठीक कराने के लिये व्यवस्था दी जाय। यह मेरा आपसे आग्रह है, जयपुर के नागरिकों की सुरक्षा के लिये। कृपया...

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में बैठ जाती हूं, आप यह कह दीजिये कि मैं व्यवस्था के लिये भिजवा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : लिख दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : महावीर प्रसाद जैन ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आवारा पशुओं के बारे में है, उसके नीचे एक हत्या का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्थगन प्रस्ताव कल ही दिया था।

श्री अध्यक्ष : यह तो किसी की भीत गिरने और उससे बकरी के मरने वाली बात हो गई । आवारा पशुओं से हत्या का मामला ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, कल वहां बहुत भयंकर लाठी चार्ज हुआ, कम से कम 30–40 गोले अश्रु गैस के मिले हैं। वहां जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मैं वहां जाकर आया हूं । मैंने स्थगन प्रस्ताव में भी निवेदन किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है। मैंने साढ़े नौ बजे स्थगन प्रस्ताव दिया, वहां पर पुलिस ने बर्बरता से लाठी चार्ज किया और सैंकड़ों लोग...

श्री अध्यक्ष : वह अलग विषय है। उसको अन्य तरीके से लायें आप ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रिकन्सीडर इसको कर लें। मैं तो निवेदन यह करना चाहता हूं, पुनः विचार कर लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सारी घटना क्यों घटी, आवारा पशुओं के कारण आखिर किसी की भी फसल समाप्त क्यों न हो, किसी का छोटा बच्चा मरा हो, आखिर सबसे बड़ा प्रिय वह ही हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। किसी व्यक्ति के दस-पांच लड़के हों, एक छोटा बच्चा मर जाय तो हो सकता है उसकी वह परवाह न करे। लेकिन किसान की जिन्दगी खेती है, उसकी फसल यदि आवारा पशु रोज चर जाते हैं तो उसके. पास उस के अलावा जीवन यापन का सहारा क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों ने 18.4.84 को रिपोर्ट दर्ज करवाई, 19.3.84 को रिपोर्ट दर्ज करवाई, 19.3.84 को साढ़े दस बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई, 5 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई, और 20.3.84 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमने जब गाय पकड़ी, जब आवारा पशुओं को पकड़ा तो उनके जो मालिक हैं, डण्डे लेकर आये और हमको मारा। इनका डाक्टरी मुआयना भी हुआ । पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। आज सारे राजस्थान में यह हो रहा है कि पुलिस के संरक्षण में यह सारा कारोबार हो रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने हत्यायें की हैं, उनके रिश्तेदार, उनके मिलने वाले, क्योंकि पुलिस में हैं इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और उनको प्रोत्साहित किया गया कि रोज इनके हाथ पैर तोड़ दो । माननीय अध्यक्ष महोदय, रोज किसी की अंगुली तोड़ दी गई, किसी का सिर तोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। जब किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की तो -8 तारीख को, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह झगड़ा हुआ। 28 तारीख को इतना मारा गया कि वह हास्पिटल में भर्ती हुआ। हास्पिटल में भर्ती होने के बाद परसों रात को उस व्यक्ति ने

Page No 75

(75)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दम तोड़ दिया। आखिर जब दम तोड़ दिया, जन आक्रोश था चारों तरफ, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, केवल उन किसानों ने ही नहीं, वहां के एम. पी., वहां के जिला प्रमुख और मैंने बार बार कलेक्टर से कहा, बार-बार हम मिले, वहां के जिला प्रशासन से हम मिले, सरकार को हमने लिख कर दिया कि इन आवारा पशुओं का इन्तजाम किया जाय, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आखिर वही हुआ, किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको ऐसा समझा गया जैसे कोई बहुत मामूली घटना हो। टोंक के चारों तरफ सब्जी बेचने वाले लोग रहते हैं, उनकी सारी फसलें समाप्त कर दी जाती हैं इसलिए इस प्रकार की यह दुर्घटना हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इसमें जानकारी मंगा लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसको देखा नहीं जा सकता था। मैं उनसे मिलकर आया हूं, 20-25 लोग अस्पताल में पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी, इसमें जानकारी मंगा लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी तो मंगायें, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा समय पर कार्यवाही हो जाय, वह आफिसर इन अपराधियों से नहीं मिलें। इस सरकार ने, पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस के कर्मचारियों ने यह तय कर लिया है, उनसे मिले हुए हैं या उनके आगे आत्म समर्पण कर रखा है या घुटने टेक दिये हैं। यदि यही व्यवस्था रही, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सारा राजस्थान जलेगा, गली और चौराहे जलेंगे, सब लोग सड़कों पर आयेंगे। इस स्थिति से निपटना मुश्किल हो जायगा, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। स्टेडियम के बारे में। और एक है आपका राजस्थान नहर के बारे में।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर मुख्य स्टेडियम के बारे में जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में पुनर्विचार करें। वह शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है, अध्यक्ष महोदय, वह जी ए डी, सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है। कृपया आप उसके ऊपर दुबारा गौर करें।

श्री अध्यक्ष : वैसे तो स्टेडियम खेल विभाग के अन्तर्गत है। शिक्षा की मांग थी, उस वक्त आप कटौती प्रस्ताव रख सकते थे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप दुबारा गौर फर्मायें, बाद में आप व्यवस्था दें। यह अलग से मसला है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन स्थगन प्रस्ताव में कोई घटना नहीं लम्बी प्रक्रिया बतलाई है, पहले स्टेट के टाइम का यह था, इसके बाद हस्तान्तरित कर दिया गया शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग ने जिस उद्देश्य से स्टे-

(श्री अध्यक्ष)

डियम बनाया था, उस उद्देश्य के लिए इसको काम में लिया नहीं। वह लम्बा चौड़ा विषय है।

श्री देवीसिंह भाटी : सही फर्माया परन्तु सारी स्थिति तो आपके सामने है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव से यह हल नहीं होगा। उचित माध्यम अपनाना चाहिये, माननीय सदस्य, या तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं ध्यानाकर्षण पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : खैर, अभी तो अपनी बात कह दीजिए। आगे की बात आगे देखेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मेन कैनाल की बाईं ओर जो सीपेज होकर वाटर लोगिंग हो रहा है उसके लिए विभाग ने अब यह निर्णय लिया है कि यह जो झील है इससे मुख्य नहर को क्षति पहुंच सकती है और हो सकता है मुख्य नहर ही जगह-जगह टूट जाय। उन्होंने टेण्डर काल किये हैं कि इसको वापस मिट्टी से भरा जाय। पूर्व में तो इनके कतई ध्यान में नहीं आया। इन्जीनियर योजना बनाने वाले हैं, जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट इनके पास हैं, उनके बाद में वह कैनाल ऐसी बनी कि सीपेज हुआ, वाटर-लोगिंग हुआ। अब जो यह समस्या आ रही है और जो दिक्कत आ रही थी, वह इनको बताई गई परन्तु उस पर कतई गौर नहीं किया। अब इसमें किसकी क्या मिलीभगत है, अध्यक्ष महोदय, करीबन एक करोड़ रुपये के टेण्डर हुए हैं, उन झीलों को मिट्टी से भरा जायगा। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में तो यह झील वहां बननी ही नहीं चाहिये थी, न वहां खुदाई होनी चाहिये थी, जैसे इनके नार्म्स हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी टेण्डर दिये गये, जिसके बारे में यह स्थगन प्रस्ताव है, आर. डी. 773 से 779 तक का एस्टीमेट बनाया गया, जितनी मिट्टी वहां डाली जानी चाहिये थी उससे दुगुना एस्टीमेट बनाकर मिलीभगत करके लाखों रुपयों का घपला करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मूल में इस झील की कितनी गहराई है इसका न कोई मेजरमेन्ट हुआ, न सही तथ्य सामने आ रहे हैं, न रिकार्ड पर है। जिस इन्जिनियर और ठेकेदार की मिली-भगत से टेण्डर काल हो गये, पास हो गये, वर्क आर्डर हो गया, काम चालू हो गया, उसमें भी, अध्यक्ष महोदय, शर्त यह है कि झीलों में भी जो पानी भरा हुआ है उसे पम्प करके बाहर निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसमें मूल शर्त यह थी कि जो झील में पानी भरा हुआ है वह पहले आप पम्प करके बाहर निकालेंगे उसके बाद में मिट्टी भरेंगे। यह भी कुछ हद तक सही बात है। ऐसा होना चाहिये था। परन्तु मैं स्वयं अभी मौके पर जाकर आया हूं, इस आर. डी. के ऊपर पानी वहीं का वहीं है। उसी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। अब आप सोचिये, पानी के ऊपर आप बालू रेत डालेंगे तो पानी तो वाटर लोगिंग होकर वापस ऊपर आयेगा और मिट्टी पर खर्चा कर रहे हैं यह सारा व्यर्थ हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष : यह तो सब इन्जीनियरिंग विषय है। यह हो सकता है टेक्निकल दृष्टि से वह ज्यादा अच्छा तरीका हो।

श्री देवीसिंह भाटी : इन्जीनियरिंग तरीके से ही तो बरबाद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, टेक्निकल दृष्टि से ज्यादा मिली-भगत करके ठेकेदारों से यह घोटाले कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से यह राज्य सरकार के ध्यान में ला रहा हूं। राज्य सरकार ने कहा है, इसमें कोई मिलीभगत नहीं बरती जा रही और कार्य हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हकीकत में किसी भी सदस्य को और अन्य अधिकारी को भिजवायें, वहां पम्प करके पानी बाहर नहीं निकाला जा रहा है और उसी पानी के अन्दर बालू रेत डाल रहे हैं। जितना एस्टीमेंट हुआ, उतनी ही मिट्टी डाली जानी चाहिये थी जितनी उस झील की गहराई होनी थी। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया, राज्य सरकार ने जो सूचना आपको भेजी वह आपने मानली। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं। लाखों का घोटाला हो रहा है और वह आज भी चालू है। करोड़ों रुपयों के टेण्डर तो पहले हो गये और आगे भी इन्होंने समस्या का समाधान, वाटर लोगिंग का समाधान यह निकाला है कि झील तो बन गई अब इसके लिए कोई न कोई फण्ड निकालो। फण्ड के लिए मिलीभगत करके इसमें वापस मिट्टी डालो। फिर पानी ऊपर आयेगा, तो इन्जीनियर नई तरकीब निकालेंगे। मतलब करोड़ों रुपये का व्यर्थ का खर्चा किये जाओ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मन्त्रीजी स्वयं ही विराज रहे हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर मेरी बात असत्य प्रतीत होती हो तो वह स्वयं ही बता दें। अध्यक्ष महोदय, यह बात हकीकत में ही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस समस्या का हल नहीं है। वाटर लोगिंग के बारे में मेरा मन्त्री महोदय से फिर निवेदन है कि आप इस पर फिर से विचार विनिमय करें और इस प्रकार के जो घपले हो रहे हैं आप कृपया इस पर गौर कीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार ने जवाब दिया है उसमें यह कहा है कि छात्रवृत्ति में 36 लाख और 80 हजार रुपया कम मिला इस वर्ष। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के करीब 25 हजार छात्रों ने पोस्ट मैट्रिककुलेशन के लिये, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना पत्र भरें। उनकी छात्रवृत्ति जितने रुपयों की आवश्यकता थी उसमें से 36 लाख 84 हजार रुपये कम प्राप्त हुए। उससे पांच हजार छात्र प्रभावित हो रहे हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो अपना जवाब दिया है उसमें कहा कि जो रुपये कम प्राप्त हुये हैं उनके लिये हम अप्रेल में कोशिश कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि यह रुपये कहां से आयेंगे ? जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति मिली है उसमें समाज कल्याण विभाग, राजस्थान का सहयोग होता है। केन्द्र सरकार भी उसमें सहयोग देती है। यह दोनों मिलाकर छात्रवृत्ति चुकाई जाती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 36 लाख रुपये उसमें कम हो गये। मेरा यह कहना है कि इन पाँच हजार छात्रों को प्रारंभ

(श्री कैलाश मेघवाल)

में उम्मीद थी कि इन्हें पैसा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी तक यह स्थिति बनी हुई थी कि जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रवृत्ति के लिये फार्म भरते थे उन सभी को छात्रवृत्ति मिलती थी, किसी का भी फार्म रिजेक्ट नहीं होता था। लेकिन इस साल पहली बार राशि कम मिली है इसलिये पांच हजार छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रहेंगे।

(1.13 म.प.)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, पांच हजार छात्र कहां से किस तरह से स्कालरशिप प्राप्त कर सकेंगे, सरकार इसके लिये किस तरह से व्यवस्था करेगी। उन्होंने अपना जो जवाब दिया है उसको माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था के दौरान पढ़ा है, उस जवाब में यह कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, अप्रैल में कहीं से पैसा लेकर यह छात्रवृत्ति दे दी जायेगी और किसी भी छात्र को छात्र-वृत्ति से वन्चित नहीं रहना पड़ेगा। सभापति महोदय, यह लचर जवाब दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जुलाई से अप्रैल तक का पहला सत्र तो बीत गया और अब जुलाई से अप्रैल तक होगा। तो स्कालरशिप जो राजस्थान के 1983-84 के बजट प्रावधान में होनी चाहिये थी वह अगर मान भी लिया जाये कि 84-85 के बजट में से निकाल ली जायगी तो वापस जब जुलाई का सत्र आयेगा 84-85 का तब उस सत्र में उसकी कमी पड़ जायेगी। तो ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, सरकार अन्य कहीं से यह पैसे लायेगी। अब जो 25 हजार प्रार्थना पत्र आये उनमें से करीब आप पांच हजार प्रार्थना पत्र खारिज करेंगे तो कौन से फार्म खारिज करने हैं इसके लिये, सभापति महोदय, एक लम्बा डिस्कशन होगा। फिर सिफारिशें आयेंगी। फिर कहां से कितने लोगों को लिया जाय, कहां से कौन से छात्रों के फार्मों को रिजेक्ट किया जाय, यह पाँच हजार छात्रों की छात्रवृत्ति के किस जगह से पैसे मिलेंगे। यह सारी एक्सरसाइज करने में बहुत लम्बा समय लग जायगा, उस लम्बे समय तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पायगी जब कि मिलनी चाहिये। इस प्रकार इसका कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा और यह छात्र नाकारा हो जायेंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर मिलनी चाहिये, समय पर पैसे मिलने चाहिये ताकि वह अपनी पाठ्य पुस्तकें खरीद सकें, दूसरे कागज वगैरह खरीद सकें, अपना कर्जा चुका सकें। तो यह सारी, सभापति महोदय, मुश्किल पैदा हो जायेंगी। इन मुश्किलातों को हल करने के लिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार 36 लाख रुपये का प्रोविजन कहीं से निकाले और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये प्रोविजन करे। कोई छात्र इससे वन्चित नहीं रह जाय, इसकी व्यवस्था की जाये अन्यथा यह सारी स्थिति भ्रम की स्थिति हो जायेगी और पांच हजार छात्र स्कालरशिप से वन्चित रह जायेंगे, यह एक बहुत ही कष्टप्रद अध्याय होगा और सभापति महोदय, जो सरकार अनुसूचित जाति और, अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिये शिक्षा के लिये खुली मदद दे रही है उस सरकार के मुंह पर कलंक

(श्री कैलाश मेघवाल)

होगा और सरकार के ऊपर कालिख होगी। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश से काफी तेल रामगंज मण्डी में चोरी छिपे आता है। वह तेल बाद में कोटा, बारां, जयपुर व अन्य नगरों को जाता है और वहां जाकर बिकता है। चूंकि मध्य प्रदेश में सेल्स टैक्स तेल के ऊपर राजस्थान से कम है अतः मध्य प्रदेश से तेल चोरी छिपे आता है। इस प्रकार राजस्थान का बहुत सा सेल्स टैक्स चोरी जाता है। इसकी तुलना में राजस्थान में तेल बनाया जाता है उस पर टैक्स ज्यादा होने के कारण वह महंगा होता है इसलिये मध्य प्रदेश से चोरी तेल की खूब होती है, इस प्रकार राजस्थान का सेल्स टैक्स मारा जाता है। मैंने इसके लिये वहां के सेल्स टैक्स आफिसर को फोन भी किया, पिछले तीन साल से यह कार्यवाही हो रही है पर वह रुक नहीं सका है। इसलिए मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस बात की सच्चाई जाननी चाहती है तो वह जिस व्यापारी के यहां पर वह तेल आ रहा है उसके यहां का पिछले तीन साल का हिसाब किताब चैक कर ले तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। मेरा सरकार पर यह आरोप है कि यह जान बूझकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है जो कि सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो ईमानदार व्यापारी हैं वह बेचारे मर रहे हैं और जो लोग चोरी छिपे मध्य प्रदेश से तेल मंगाकर बाहर भेज रहे हैं उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार जान बूझकर चोरों को को प्रोत्साहन दे रही है जो कि गलत है। मेरा यह निवेदन है कि इसे तुरन्त रोका जाये।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल (अलवर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव के देने के पश्चात् सरकार ने उस स्कूल का स्थानान्तरण अन्यत्र करने का आदेश दे दिया। यह आदेश शिक्षा अधिकारी ने जारी कर दिये हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा। यह एक बड़े दुख का विषय है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस बिल्डिंग के बारे में जो रिपोर्ट मांगी गयी थी वह रिपोर्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 13-10-82 को भेजी। उसमें यह कहा गया है कि यह भवन विद्यालय के अनुपयुक्त बनाया हुआ है। उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि उपर्युक्त प्रसंग में लेख है कि इस भवन का निरीक्षण करने पर यह देखने में आया कि इस भवन की ऊपरी मन्जिल के कमरे जो बने हुए हैं उसमें लकड़ी के सांतों की हालत ठीक नहीं है और वह गल गयी है। टिन शैड की लकड़ी भी जीर्ण, अवस्था में है। अतः ऐसी स्थिति में यह भवन काम में लेना उपयुक्त

(श्री जीतमल जैन)

नहीं है। अत: इसके नीचे बैठना सुरक्षित नहीं है। इस के ऊपर की मन्जिल को उतरवा कर मरम्मत करवा कर बाद में इसे काम में लाया जाये। सभापति महोदय, सन् 1982 के दसवें महीने में यह रिपोर्ट आ गयी। फिर भी वहां का जो शिक्षा अधिकारी था उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अब तक निर्णय नहीं लेने का कारण क्या था। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से इस बारे में बात की और जिलाधीश महोदय से भी बात की लेकिन दोनों ने ही कोई कार्यवाही नहीं की और इसमें लापरवाही बरती। मैं यह चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही इस मामले में बरती उनके खिलाफ में उचित कार्यवाही की जावे, बस यही मेरा कहना है।

श्री सभापति : श्री समरथ लाल।

श्री समरथ लाल (राजगढ़): सभापति महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव जो आसन ने सरकार को भेजा था उसका जो सरकार ने जवाब दिया है वह जवाब सही नहीं है। इसके अलावा, सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन है कि आसन के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाता है उसका जवाब हमको मिलना चाहिये। वह जवाब हमें नहीं मिला। सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आसन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाय कि हम जो स्थगन प्रस्ताव भेजें उनका जो जवाब सरकार देती है वह जवाब हमको भी मिले।

(व्यवधान)

श्री सभापति : भेजा जाता है।

श्री समरथ लाल : नहीं, जवाब नहीं भेजा जाता।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं भेजा जाता है। राज्य सरकार से जो जानकारी आती है वह हमें नहीं भेजी जाती है।

श्री सभापति : अभी जानकारी करके बताते हैं, वैसे भेजा जाता है।

श्री समरथ लाल : इस पर आप, सभापति महोदय, व्यवस्था दें। नहीं भेजा जाता है।

श्री सभापति : व्यवस्था पहले से ही दी हुई।

श्री समरथ लाल : क्या व्यवस्था दी है?

श्री सभापति : जवाब की प्रति भेजी जाती है।

श्री समरथ लाल : मेरा निवेदन है नहीं भेजी जाती।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में व्यवस्था बाद में दे दी जायेगी, आप अपनी बात कहें।

श्री समरथ लाल : सभापति महोदय, अलवर जिले के शिक्षा अधिकारी ने पिछले दो-तीन साल से अध्यापकों की नियुक्ति के

(श्री समरथलाल)

अन्तर्गत जो अनियमिततायें की हैं, उनके बारे में मैंने स्थान प्रस्ताव पेश किया था। मैंने यह निवेदन किया था अपने स्थगन प्रस्ताव में कि 1977 की वरीयता सूची के आधार पर अलवर में कुछ तृतीय ग्रेड के अध्यापकों, जो ट्रेंड हैं, को नियुक्तियां नहीं दी गई। उदाहरण के तौर पर मैंने दो-तीन नाम पेश किये थे। उसका जवाब आया है कि अलवर जिले के शिक्षा अधिकारी ने नियुक्तियों के अन्दर कोई अनियमिततायें नहीं की हैं। मेरा यह कहना है, सभापति महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी अलवर ने कुछ अध्यापकों की नियुक्ति वहां की है जो आयु सीमा पार कर चुके हैं। उनको नियुक्त वह कर सकते हैं जिनका नाम '77 की मेरिट लिस्ट के अन्दर है। जिला शिक्षा अधिकारी उनको नियुक्त कर सकते हैं लेकिन कुछ अध्यापकों को उस नियुक्ति से महरूम किया गया है। इस तरह के करीब 125 अध्यापक, जो ट्रेंड हैं, अलवर जिले के रहने वाले हैं, अलवर जिले में नियुक्ति लेना चाहते हैं, वरीयता सूची के अन्दर उनका नाम है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी उनको नियुक्ति नहीं दे रहा है। उसका स्पष्ट कारण है, सभापति महोदय, आयु सीमा पार कर चुके कुछ अध्यापकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति दी है वह करीब 28 अध्यापक हैं, जो आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन अध्यापकों से जिला शिक्षा अधिकारी अलवर ने करीब दो-दो हजार रुपया लिया है और रुपया लेकर के उनको नियुक्ति दी है। उसी प्रकार से आयु सीमा में आने वाले अन्य अध्यापकों ने मं। प्रार्थना पत्र दिये थे, उनका इन्टरव्यू हो गया था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कहकर उनको टाल दिया कि आप आयु सीमा पार कर चुके हैं। इसके सन्दर्भ में राजस्थान सरकार की तरफ से शिक्षा अधिकारी को एक आदेश गया, "समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि द्वितीय व तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु वरीयता सूची का निर्माण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 16 में प्रवधान के अनुसार ही करें। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन होकर उसका नाम किसी वरीयता सूची में सम्मिलित किया जाता है और वरीयता सूची ग्रहित करते समय ऐसा आभास राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के रूल 10 के तहत आयु सीमा में था तो उस सूची के आधार पर उनको पद स्थापन करने तक आयु सीमा में ही माना जाना चाहिए।" इस तरह का आदेश सरकार का है। इस तरह के जो अध्यापक हैं, जो आयु सीमा पार कर चुके हैं, 1977 में मेरिट लिस्ट के अन्दर जिनका नाम है, राजस्थान के सभी शिक्षा अधिकारी उनको नियुक्तियां दे रहे हैं, लेकिन केवल मात्र अलवर जिले के शिक्षा अधिकारी ने कुछ लोगों को नियुक्तियां दीं जिनसे पैसे लिये हैं और सैंकड़ों में ऐसे लोग हैं जिनसे वह पैसा लेना चाहते हैं। पैसा लेने के बाद उनको नियुक्ति देना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार के द्वारा जो उत्तर आया है यह बिलकुल गलत है, असत्य है, सही नहीं है।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री अब्दुल रहमान चौधरी को 7 से 20 अप्रेल, 1984 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री सभापति : शून्यकाल समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि अब्दुल रहमान चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने 7 अप्रेल, 1984 से 20 अप्रेल, 1984 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान कर दीं जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्वस्थ तो हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : कल तक तो स्वस्थ थे।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान नहर की लूणकरणसर लिफ्ट नहर की जामसर वितरिका में गत माह (मार्च, 1984) से पानी न पहुंचने से फसल को हुई क्षति

श्री सभापति : मन्त्री द्वारा वक्तव्य। श्री चन्दनमल बैद, राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री, राजस्थान नहर की लूणकरणसर लिफ्ट नहर की जामसर वितरिका में गत माह से पानी न पहुंचने से फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री चन्दनमल बैद (मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना) : लूणकरणसर लिफ्ट नहर की जामसर वितरिका इसकी 447.500 बुर्जी से दाईं ओर निकलती है लिफ्ट कैनाल में बिरधवाल हैड से छोड़ा पानी पहले पम्पिंग स्टेशन राजियासर (आर. डी. 64) से पम्प होने के बाद दूसरे पम्पिंग स्टेशन मलकीसर जो आर. डी. 227 पर है, पहुंचता है। इस दूसरे पम्पिंग स्टेशन द्वारा पम्प किया हुआ पानी जामसर वितरिका के हैड, जो आर. डी 447.500 यानि करीबन 70 किलोमीटर दूर है, मुख्य लिफ्ट नहर में भराई होने के पश्चात् पहुंचता है। ज्यादा लम्बाई होने के कारण लिफ्ट कैनाल की प्रणाली को दो ग्रुपों 'ए' व 'बी' में बांट रखा है, ताकि हर वितरिका को पानी महीने में 15 दिन मिल सके। जामसर वितरिका मलकीसर पम्पिंग स्टेशन के नीचे होने के कारण ग्रुप 'बी' में है।

जामसर वितरिकय में पिछले तीन महीनों में निम्नानुसार पानी चला है:—

दिसम्बर 83	22 दिन	(15 दिनों के बजाय)
जनवरी 84	1 दिन	(मुख्य नहर में हरिके से बन्दी होने के कारण बन्द रही।)
फरवरी 84	8 दिन	
मार्च 84 (31-3-84 तक)	15 दिन	

(श्री चन्दनमल वैद)

फरवरी माह में 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक पावर में काफी उतार चढ़ाव रहा । पावर 4 घण्टों से लेकर 12.35 घण्टों तक फेल होने के कारण मलकीसर पम्पिंग स्टेशन से पानी आगे पम्प करने में रुकावट आई तथा राजियासर से पम्प किया हुआ पानी भी 199 बुर्जी पर बने हुए स्केप द्वारा नहर से बाहर निकालना पड़ा । इस प्रकार फरवरी माह में पानी की कुछ कमी अवश्य रही है क्योंकि जामसर वितरिका, जो मलकीसर पम्पिंग स्टेशन से 70 किलोमीटर दूर है, तक पानी वापिस पहुंचने में काफी समय लग जाता है । इसलिए 15 दिनों की बजाय 8 दिन ही चल पाई । लेकिन इन 8 दिनों में खड़ी फसलों में एक-एक पानी लगा लिया गया है । इसलिए फसलों के सूखने या बर्बाद होने का प्रश्न ही नहीं उठता । आज भी फसलें प्राय: ठीक हालत में खड़ी हैं । इस भाग में जमीन के 8–10 फीट नीचे कंकड़ की तह होने के कारण एक बार लगाया हुआ पानी जल्दी से नहीं सूखता है व नमी बनी रहती है । इसलिए यह कहना कि गांव दिरासर, बामनी, भरू, कीरा व कानासर के सारे काश्तकारों की सारी फसलें पानी के अभाव में बर्बाद हो गई हैं, बिलकुल निराधार है । जहां तक पीने के पानी की उपलब्धता का प्रश्न है, गांव बदरासर में पी. एच. ई. डी. विभाग द्वारा बनाई हुई डिग्गी भरी हुई है व गांव कामनी, भरू कीरा तथा कानासर की तलाइयों में पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध है । इसके अलावा 8 जे. एम. डी. से लेकर 22 जे. एम. डी. तक लोगों ने अपनी अपनी ढाणियों में निजी कुइयां भी बना रखी हैं, जिनमें 8–10 फीट पर भी कंकड़ की तह होने के कारण पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध है । कावनी गांव की तलाई का पानी फरवरी माह में जरूर सूख गया था जिसको फरवरी के आखिरी सप्ताह में फिर भर लिया गया है व अब काफी पानी उपलब्ध है इसलिए पीने के पानी के लिए तरसने की बात भी बिलकुल निराधार है । इस विषय में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता ने दिनांक 10/11 मार्च को सारे क्षेत्र का विस्तृत भ्रमण करने के पश्चात् उपरोक्त स्थिति से अवगत कराया है ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, जिस तरह स्वयं राजस्थान नहर मन्त्री यह मानते हैं कि जामसर वितरिका टेल-एण्ड है । इन्होंने यह भी बताया कि दिसम्बर में 22 दिन पानी चला, जनवरी में 31 दिनों में से सिर्फ एक दिन, फरवरी में मात्र 8 दिन और मार्च में आपने बताया कि 15 दिन पानी चला । अब वहां जो भी काश्तकार हैं, जो भी सिंचित क्षेत्र है जिसमें गेहूं, सरसों, चना या अन्य वस्तुएं बोजी जाती हैं जिसमें मेड़बन्दी थी, बार-बार किसानों को पानी मिलता हो वहां क्या एक दिन में पूरे क्षेत्र में सिंचाई हो जायेगी ?

क्या सब की बारी एक दिन में आ जायेगी ? जैसा कि माह फरवरी के अन्दर आपने बताया, फरवरी में 8 दिन पानी गया । क्या 8 दिन के अन्दर सैंकड़ों चक्रों में जिस प्रकार से काश्तकार वहां अलाटीज बैठे हैं, भूमिहीन गरीब काश्तकार हैं क्या बाराबन्दी के हिसाब से सबकी उसमें बारी आती है ? इसी प्रकार मन्त्री महोदय ने यह भी फरमाया है कि मलकीसर पम्पिंग स्टेशन से

Page No 84

(84)

(श्री देवीसिंह भाटी)

जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी करीब 70 किलोमीटर दूर है। वहां पानी पहुंचने में आप अन्दाज लगायें कि अगर 70 किलोमीटर आप कार चलायेंगे 70 किलोमीटर की स्पीड से तो भी आपको एक घण्टा लगेगा अगर सड़क अच्छी हो। तो अगर वहां से जिस प्रकार मलसीसर हैड से पम्पिंग स्टेशन से पानी छोड़ा गया और टेल एण्ड जो कि काबनी के अन्दर है जो कि 21, 22, 23, 24 से लेकर 27 और 28 जे. एम. डी. तक है—पूर्व में जैसा कि आपने उन काश्तकारों को विश्वास दिलाया, आपके अधिकारियों ने यह विश्वास दिलाया कि आप इसमें अपने हिसाब से गेहूं, सरसों, चने की फसल की बीजाई कर लें हम आपको पानी उपलब्ध करायेंगे। या मन्त्री महोदय यह बतायें कि हमने काश्तकारों को यह नोटिस दे दिया था कि आपको इस प्रकार से माह दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च में एक दिन, 8 दिन और 20 दिन पानी मिलेगा? क्या ऐसी कोई सूचना काश्तकारों को दी? काश्तकारों ने इसी भरोसे के ऊपर कि हमें जैसा कि इस नहर का सिस्टम बना हुआ है इसके जो वाटर कोर्सेज के ऊपर जो चक बसे हुए हैं, अलाटीज बसे हुए हैं वह इस हिसाब से अपनी काश्त कर लेंगे और उन्होंने अपनी काश्त कर ली किसी ने भी माह जनवरी में, मन्त्री महोदय, बीच में आकर यह नहीं बताया कि पानी हम नहीं दे पायेंगे और आप यह बीजाई नहीं करें। अगर लेट कोई बीजाई गेहूं की करने वाला था उसको भी आपने नहीं आकर रोका। बीजाई करने वाले गरीब काश्तकार ने बीजाई कर ली और मंहगे भाव का वह बीज लाया। चाहे गेहूं का लाया, चना का लाया, सरसों का लाया। कोई गारन्टी आपकी तरफ से नहीं है, सभापति महोदय। यह काश्तकार गरीब रो रहा है। उसे पानी नहीं दिया गया और जैसा कि स्वयं ने अपने वक्तव्य में माना है कि किस प्रकार से हमने हर माह में पानी सप्लाई किया है।

सभापति महोदय, आप अगर स्वयं, मन्त्री महोदय, पधारें, आप उस क्षेत्र में चले जाइये 1 जे. एम. डी से लेकर 27 जे. एम. डी. तक अगर गेहूं की फसल आपको कहीं भी खड़ी मिल जाये तो मैं आपको मान लूंगा। आपके अधिकारियों के ऊपर भी मैं बिलकुल विश्वास कर लूंगा। यह भी मैं जानता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा जो जानकारी मंगाई जाती है वह विभाग के अधिकारियों से आती है। विभाग के अधिकारियों की भी इसमें गलती मैं इतनी मानता हूं कि किसानों को समय पर सूचित किया जाना चाहिए कि आपको पूरा पानी हम नहीं दे पायेंगे इसलिए आप ऐसी फसलें बोवें जैसे चना जिसको कम पानी की आवश्यकता है। वैसी वह बीजाई करते। यह अधिकारियों की गलती थी। उसके उपरान्त हमारी राज्य सरकार की भी कमजोरी है कि हम अपने हिस्से का पानी भी नहर में नहीं ले पाते......

श्री सभापति : संक्षेप में कृपया।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति जी, बहुत ही गम्भीर मसला है। सैंकड़ों काश्तकारों का मसला है और मन्त्री महोदय ने स्वयं भी माना है इस बात को कि हमारे

(श्री देवीसिंह भाटी)

यहां जो सारा सिस्टम है लिफ्ट कैनाल का यह सारा पावर पर डिपेन्ड करता है। हमें बार-बार पावर कट का सामना करना पड़ता है और जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि पावर कट की वजह से, पावर फैल्योर की वजह से हम पूरा पानी जितनी उसकी क्षमता है उतना पम्प कर नहीं सके। पानी पम्प कर नहीं सके, काश्तकार मारा गया। इसके लिए कोई इलाज नहीं है। आपने इस भूमिहीन गरीब काश्तकार को कहां कहां से उठा उठा कर ला ला कर जगह जगह बसा तो जरूर दिया लेकिन आज भी यहां लगातार मैं तीन सालों से मसला उठा रहा हूं आज के दिन भी कोई भी ऐसा विश्वास नहीं दिलाया कि आगे तो हम सही पानी देते रहेंगे। गरीब काश्तकार जो कि कर्ज से दबा हुआ है, एक तरफ आपने उसकी किश्त चालू कर दी कि आपको किश्तों में इस जमीन की कीमत देनी पड़ेगी और अगर उसने चार किश्तें दे दी हैं चाहे कहीं से भी कर्जा लाकर दी हो अगर एक किश्त से वह चूक जाता है, गलती नहीं देखी जाती कि किसकी वजह से चूक गया है, उसके पास तो ईमानदारी है परन्तु वह एक किश्त भी नहीं दे पाता है तो उसकी जमीन खारिज करने के लिए आप नोटिस जारी कर देते हैं। या जैसा कि आपने बताया है माहवार गलती आपको पानी पहले नहीं देकर क्या कभी मामला साफ किया उनको? आज तक नहीं किया। मामला भी पूरा लेंगे और आबियाना भी पूरा लेंगे। काश्तकारों को किश्त भी भरनी पड़ेगी। मन्त्री महोदय, इसका इलाज आपको जरूर ढूंढना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपके सामने जो समस्या लाई जाती है आप उसकी गहराई में जाते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है और आप स्वयं मानते हैं कि टेल एण्ड पर हैं यह जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी के वाटर कोर्सेज—इनकी हकीकत में फसलें बरबाद हो चुकी हैं।

उसके बाद आपको सूचना दी गयी पेयजल के बारे में। खेती से तो वह बरबाद हो ही, गये सभापति महोदय। आपने बताया कि भरू, कीरा, बदरासर काबनी के अन्दर पी. एच. ई. डी. के द्वारा डिग्गियां बनाई हुई हैं उसके अन्दर पानी मौजूद था। जैसा कि आपने बताया कि माहवार ऐसी स्थिति आपकी रही जनवरी में एक दिन, फरवरी में 8 दिन। उन डिग्गियों की भी क्षमता मैं आपको बताऊं; सभापति महोदय, कि किसी भी डिग्गी की 20 दिन से ज्यादा की ऐसी क्षमता नहीं है कि उसके अन्दर पेयजल पूरा हो जाये। आप सोचिये, वह स्वयं बसता है, उसका परिवार भी वहां है, थोड़ा बहुत पशुधन भी है एक, एक दो, दो। 20 दिन से ज्यादा कहीं भी ऐसी कोई डिग्गी नहीं है कि जिसमें पानी ज्यादा टिक जाये और उसका उपयोग हो जाये। मैं हकीकत बताता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कि पानी के लिए गाडों के उन्होंने पैसे दिये, गाडे के ऊपर टंकियों वालों ने जो भी चाहा चार्ज किया, जिस हिसाब से भी पानी दूर दूर से ला सके पानी लाये और अपना गुजारा किया। आपको गलत सूचना दी गयी है कि किसानों की 8 से 22 जे. एम. डी. तक जो ढाणियां हैं उन्होंने स्वयं अपनी डिग्गयां निर्मित कर रखी

(श्री देवीसिंह भाटी)

हैं और उनकी क्षमता के अनुसार उनके पास पर्याप्त पानी रहा।...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य, कृपया।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, जैसी पूर्व में गरीबों की हालत है उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिससे वह दूसरा पानी ला सके और अगर आप जिसमें डेढ़ माह तक लगातार पानी नहीं दें तो कहां से तो वह पानी लायेगा, किस प्रकार वह पानी लायेगा और कहां लायेगा और फसलें तो गयी भाड़ में। यह हकीकत है, मन्त्री महोदय, उस क्षेत्र के अन्दर और उनके साथ ज्यादती है। खातेदार हैं, वहां के लोकल गांव वाले बसे हुए हैं वह तो खैर पीढ़ियों से बसे हैं जैसा भी है उनके पुराने हिसाब से चल रहे हैं परन्तु आज वह सौ मील से गांव छोड़कर और भूमिहीन गरीब काश्तकार थे, कर्जा लिया, आकर वहां बसे और बार बार उनकी फसलें बरबाद हो जायें, पीने को पानी नहीं मिले इससे ज्यादा नहर के फेल्योर का और क्या सबूत हो सकता है।

मन्त्री महोदय ने पूर्व में भी यह माना है और एक दो बार पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। इसमें उन्होंने स्वयं माना है कि टेल एण्ड पर यह गांव पड़ते हैं वहां पूरा पानी नहीं पहुंचा और इन वाटर कोर्सेज में नहर के अन्दर जगह जगह रेत भर जाती है और खाले टूटे होते हैं—यह स्थिति स्वयं आपने मानी है पिछले बजट सैशन में। इसलिए, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिर्फ अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं करें जो सूचना आपको दी गयी है उसको आप स्वयं मौके पर जाकर देखें, गेहूं की फसलें कहीं भी नहीं है। चने की कोई इक्की दुक्की फसल वहां मौजूद है बाकी और किसी प्रकार की हरियाली वहां नजर नहीं आयेगी। इसके साथ मेरा निवेदन यह है, यह समस्या वहां की वहां खड़ी रह जायेगी, क्योंकि बिजली के द्वारा ही हमारे पम्पिंग स्टेशन काम करते हैं, लूणकरणसर कैनाल का सिस्टम बिजली से काम करता है, उसका आल्टरनेटिव है नहीं है हमारे पास...

श्री सभापति : कृपय समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं जल्दी समाप्त करता हूं।

तो उनके लिये जैसा आपने पूर्व में विश्वास दिलया था कि कहीं से भी हम बिजली लेंगे, पम्पिंग स्टेशन को हम चालू रखेंगे और पानी पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आपके विश्वास के ऊपर काश्तकार आज भी बैठा है पर उनको रेगुलर पानी कभी नहीं मिला गत तीन माह से।

इसके उपरान्त एक निवेदन और करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, कृपया इतना तो आप ध्यान रखें, आपने स्वयं माना है कि हम रेगुलर पानी उनको दे नहीं पाये, फिर क्यों कोलोनाइजेशन विभाग के द्वारा उनको नोटिस देते है कि तुमने किश्त समय पर नहीं दी है, भले ही 7 किश्तें दे दीं, 8वीं किश्त समय पर नहीं दीं,

(श्री देवीसिंह भाटी)

आपका मुरब्बा क्यों नहीं खारिज कर दिया जाये। सिंचाई विभाग की गलती और भुगते काश्तकार। महंगा बीज लाये, खाद लाये कहीं से कर्जा लेकर उसके उपरान्त भी आप नोटिस जारी कर रहे हैं। इतना तो आप कम से कम कर सकते हैं, जैसा आपने उनको विश्वास दिलाया, रेगुलर पानी नहीं दे पाये, तो कम से कम आबियान तो माफ होना चाहिये। जैसा कि आपका स्टेटमेंट है, आप स्वयं जानते हैं; आप भी काश्तकारों से मिले होंगे, आप भी किसी खेत पर गये होंगे, जो गेहूं की फसल बीजता है एक एक सिंचाई से कभी पक नहीं सकती, सरसों की फसल एक एक सिंचाई से कभी पक नहीं सकती...

(समय—समाप्ति सूचक घंटी)

इससे आप स्वयं परिचित हैं तो कम से कम आबियाना तो उसका माफ करें। केवल इसलिए कि केवल एक किश्त नहीं दी, जो भी काश्तकार वहां बसे हुए हैं, भूमिहीन काश्तकार, ईमानदार हैं, पानी आप दे नहीं पाये, कर्जा वह बार बार कहां से ले ? अगर एक किश्त नहीं भी दे पाये तो उसका मुरब्बा खारिज न किया जाये...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, आखिर में, माननीय मन्त्री महोदय से इतनी ही जानकारी चाहूंगा, यह नहर विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको विश्वास दिलाया है हम रेगुलर पानी देंगे। आप दे नहीं पाये आपने स्वयं माना है तो क्या आप उनको कम्पेनसेट भी करेंगे, कम्पेनसेट करेंगे फिर तो आबाद रह सकेंगे। भविष्य में पेयजल की भयंकर समस्या आने वाली है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, मन्त्री महोदय, उन डिगियों की भी क्षमता नहीं है, न ऐसी बनी हुई हैं, न किसी काश्तकार की इतनी क्षमता है कि पक्की डिग्गी बना ले। छोटे छोटे खड्डे बने हुए हैं जिसके अन्दर ज्यादा पानी रुक नहीं सकता।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : पेयजल की भी आप व्यवस्था कीजिये। आप क्या सोच रहे हैं और क्या विभाग ने आपको सलाह दी है। इसके लिये आपने पूर्व में निर्देश जारी कर रखे हैं। पेयजल की आप गारंटी दें, सिंचाई की भी गारंटी दें। यह जो प्रश्न उठाये हैं, इनकी व्यवस्था करें।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने शायद साबित करने की यह कोशिश की है कि जानमसर वितरिका से जैसे सारे के सारे खेत काश्त हुए हों, सब के सब लोग वहां बसे हुए हों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जामसर वितरिका का सी. सी. ए. 18736 एकड़ है उसमें से कुल काश्त इस रबी में 1088. 75 एकड़ में हुई है यानि कुल काश्त जो हुई है 8. 44 पर्सेन्ट खेतों में हुई है। इस वास्ते अगर पानी कम दिन भी चला है और कम भी चला है तो बारी लोगों की आ जाती है क्योंकि बहुत कम लोगों ने काश्त की हुई है जहां 100

(श्री चन्दन मल बैद)

आदमियों को करनी चाहिये वहां 8.44 प्रतिशत लोगों ने की हुई है। पिछले साल तो केवल 4 पर्सेन्ट लोगों ने की थी, इस साल 8।। पर्सेन्ट लोगों ने की है। अगर माननीय सदस्य यह एक भ्रम फैलाना चाहते हैं कि सारे लोगों ने काश्त कर रखी थी और पानी नहीं गया इस वास्ते लोगों के खेत सूख गये, लोगों की बारी नहीं आई। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि कम लोगों ने काश्त की है इस वास्ते अगर थोड़े दिन भी पानी चला है तो काश्तकारों की बारी आ गई और उन्होंने अपने खेतों में पानी लगाया। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की कमी के कारण से हम फरवरी के महीने में पानी नहीं दे सके। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जनवरी में सारे राजस्थान कैनाल की बंदी थी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, और राजस्थान में भी। अखबारों द्वारा, रेडियो के द्वारा और पहले भी बहुत इस बात की चर्चा थी कि जनवरी में बन्दी है। जनवरी में बन्दी है, सारे किसान इस बात को जानते थे। यह जामसर वितरिका की बात नहीं है, यह तो सारे राजस्थान कैनाल की है। जामसर वितरिका से एक हजार एकड़ की सिंचाई हुई है, सारी राजस्थान कैनाल से साढ़े चार लाख हैकटेयर की सिंचाई होती है। तो सब को यह मालूम था, दस हजार एकड़ वालों को ही नहीं, 10 लाख एकड़ में जहां सिंचाई होती है उन सारे किसानों को मालूम था कि बन्दी है इस वास्ते उन्होंने अपना इन्तजाम कर रखा था। उन्होंने सोच रखा था, जनवरी में बन्दी होगी। तीन चार साल में एक बार बन्दी होना भी जरूरी है। इतनी बड़ी नहर है उस नहर में टूट फूट हो सकती है, देखने की जरूरत हो सकती है, मरम्मत की जरूरत हो सकती है, इस वास्ते बन्दी ली गई और जहां टूट फूट हुई वहां मरम्मत के काम बंदी में कराये गये। इस वास्ते यह कहना सही नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं था। गलत है, मालूम तो था। केवल जो दुखद चीज मालूम पड़ती है वह यह है कि फरवरी के महीने में 15 दिन चलना था उसके बजाय 8 दिन चला। 7 दिन की कमी फरवरी के महीने में रही है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कम लोगों ने खेती कर रखी थी इस वास्ते थोड़े दिन पानी चलने के बावजूद भी लोगों ने अपना पानी ले लिया। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जब काश्त करने वाले थोड़े पानी पीने वाले भी थोड़े होंगे। इस वास्ते हैं तो यह कहना सही नही है कि पूरे लोग बसे हुए हैं, पानी 20 दिन ही चला लेकिन लोग ही कम होंगे, उनके पशु भी कम होंगे तो जो पीने का पानी 20 दिन चलना चाहिये वह अपने 60, 70 दिन चलेगा। इस वास्ते यह जो आप फरमा रहे हैं मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी वह सही है, गलत नहीं है क्योंकि जो सारी चीजें मेरी नजर में आई हैं, उनकी जो रिपोर्ट है, सही है। बिजली की कमी से जरूर 15 दिन की बजाय वह 8 दिन चली। उसका एक ही उपाय है, सभापति महोदय, जो कनेक्शन मलकीसर का बीकानेर से है, जो दूसरी लाइन रतनगढ़ और हिसार से आकर उधर जहां राजियासर की जोड़ती है उसका कनेक्शन अगर उधर से हो जाये तो

(श्री चन्दन मल बैद)

इधर की लाइन फेल हो तो उधर से ले लें और इधर से फेल हो जाये तो उधर से चलू कर दें, इस के लिये मैं कोशिस करूंगा। दोनों तरफ से अगर बिजली जोइन्ट हो जाये तो अगर दोनों जगह से बिजली का फेल्योर हो तो परेशानी की बात होगी लेकिन एक तरफ से फेल्योर हो तो कम से कम किसानों को पानी के कारण से परेशानी नहीं होगी।

एक बात माननीय सदस्य ने यह कही कि इरिगेशन चार्जेज हैं कम से कम वह तो आप माफ कर दें। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि इरिगेशन चार्जेज बुवाई पर नहीं, मैच्योरिटी पर लेते आये हैं। जितनी फसल मैच्योर होती है उस पर लिया जायेगा। माननीय सदस्य अगर कह रहे हैं कि फसल बरबाद हो गई फिर चार्जेज नहीं लें किसान से, और अगर नहीं हुई है, मैच्योर हुई हैं फसलें तो इरिगेशन चार्जेज लगें। इस वास्ते इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, मैच्योर नहीं हुई है तो नहीं लगेगा। मेरी यह सूचना है कि फसलें प्राय: ठीक हैं. मैच्योर हुई हैं और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : मन्त्री महोदय, आप अगर इस सेशन के बाद भी समय मिल जाये तो मौके पर जाय। पूर्व में ऐसी विडम्बना रही है, पूर्व में जो हमारे मन्त्री रहे हैं नरेन्द्र सिंह भाटी, उन्हें भी आगे की लगी रही पीछे काश्तकारों की क्या हालत है यह नहीं देखा। हमारे इन मन्त्री महोदय को भी लगन है, आगे नहर जल्दी जल्दी पूरी करनी है, पीछे क्या हो रहा है इसको नहीं देखेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि कभी आपको मौका मिले तो वहां मौके पर जायें। अगर, मैंने कुछ गलत कहा हो या किसी दुर्भावना से कहा हो ता आप ओलमा दे सकते हैं. बाकी मैं हकीकत कह रहा हूं कि मामले बनेंगे, मन्त्री महोदय आया करते हैं, काश्तकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। पानी के बारे में दिक्कत है, काश्तकार बैठे हैं, उनको पानी मिला नहीं है। पेयजल की कमी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रिपीट नहीं करें।

श्री देवीसिंह भाटी : लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय अगर स्वयं मौका देख लें तो उस क्षेत्र में 21 जे. एम. डी. से 26 जे. एम. डी. तक जरूर पधार कर सही हालत का पूरी अवलोकन करें।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले साल माननीय सदस्य ने मुझे कुछ फोटो दिखाये, लूणकरणसर की लिफ्ट कैनाल जगह जगह-जगह से टूटी हुई है। मैं प्रोग्राम देकर बीकानेर से लेकर गिरदवाल तक सारी लिफ्ट नहर पर गया और दिन भर मैंने दौरा किया। मैंने कहीं नहर में टूट फूट नहीं देखी। इस वास्ते मैं यह कहना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि आपके कहने पर

(श्री चन्दनमल बैद)

मैं उस नहर पर गया था लेकिन उस नहर में कहीं टूट फूट मिली नहीं। आखिर मैं गया, अच्छा ही हुआ फायदा ही हुआ, आप जो कह रहे हैं मैं उसको बहुत सही नहीं मान रहा हूं।

श्री महाराम चौधरी : आपने दौरे के वक्त सूचना कर दी होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : वाटर कोर्सेज के लिये मैंने कह था। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने लिखित में शिकायत की और मौके पर गये और वह आपको लेबोरेटरी में टैस्ट करने के लिये भेजी है। मेरी बात कतई गलत नहीं हो सकती है, आप नहर की बात कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं मैंने वाटर कार्सेज के लिये कहा था और वही फोटो बताये थे मैंने आपको।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46, सिंचाई

आय-व्ययक बजट 1984–85 द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मत दान। अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई के पर विचार एवं मतदान हेतु माननीय मन्त्री महोदय प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (सिंचाई मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-46, सिंचाई के सम्बन्ध 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 3 अरब 24 करोड़ 51 लाख 31 हजार रुपये की राशि, जिसमें लेखनुदान द्वारा अनुदत राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 46, पर पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

1. पश्चिमी राजस्थान में विभाग द्वारा कई सिंचाई योजनाओं को हाथ में न लेने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर)

श्री असलम खां (बाली)

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

2. देसूरी तहसील में सुमेर बान्ध को स्वीकृत कर निर्माण प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

3. राजस्थान नहर के निर्माण में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

4. नदी सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण तथा अधूरी योजनाओं के लिये राशि के प्रावधान हेतु चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

5. सिंचाई योजनाओं में घटिया काम और समय पर योजना का कार्य सम्पूर्ण नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

6. पश्चिम बनास परियोजनाओं पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

7. मांकड़ी व फतेपुर बान्ध बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

8. राज्य सरकार द्वारा माही परियोजना के अन्तर्गत आने वाले विस्थापितों को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

9. कागदी पीक अपवियर बांसवाड़ा के पास बने बांध में लीकेज होने से बांसवाड़ा शहर को खतरा होने पर चर्चा के लिये ।

10. राज्य सरकार माही परियोजना के अन्तर्गत अन्य योजनाओं को पूरा करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

11. राज्य सरकार द्वारा माही परियोजना के अन्तर्गत दिया जा रहा पानी वेस्टेज होने पर चर्चा के लिये ।

12. राज्य सरकार द्वारा माही परियोजना के अन्तर्गत माइनर कैनालों को पक्की नहीं बनाने पर काश्तकारों की भूमि खराब होने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

13. जिला बूंदी पारेन कापटेन ब्रान्च नहर को पक्का बना कर सीपेज से खराब होने वाली भूमि को बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

14. अव्यवस्थित सिंचाई से होने वाली क्षतिपूर्ति एवं वाराबन्दी के नाम पर विभाग द्वारा लाखों रुपये के खर्च पर चर्चा के लिये ।

15. सिंचाई हेतु नहर विस्तार योजना को प्रभावी बनाने पर चर्चा के लिये ।

16. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन क्षेत्र में सिंचाई हेतु खेड़ा ग्राम के पास कूरल व मेज नदी संगम पर बांध बनाने पर चर्चा के लिये ।

17. केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र के असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

18. उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग का पानी जो समुद्र में मिलता है, रोक कर सिंचाई, पीने के पानी एवं उद्योगों के विकास के लिये विचाराधीन वाकल योजना प्रारम्भ करने की चर्चा के लिये ।

19. उदयपुर जिले में सिंचाई योजना पर कार्यरत मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु का मुआवजा आज दिन तक नहीं मिलने पर चर्चा के लिये ।

20. सोम कामला अम्बा बांध के कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है, इस पर चर्चा के लिये ।

21. उदयपुर नगर की झीलों से होने वाली सिंचाई को तुरन्त बन्द करने की चर्चा के लिये ।

22. उदयपुर नगर की झीलों से जनता ने अथक परिश्रम कर जल कुंभी समाप्त की, पर आज विभाग की लापरवाही से पुनः फैल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

23. उदयपुर जिले का सिंचाई की दृष्टि से एक मास्टर प्लान तैयार किया जय, की चर्चा के लिये ।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

24. राज्य सरकार सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

25. सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में माही का पानी लाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री पीरूराम (टी. बी.)

26. टी. बी. क्षेत्र में वाटर कोर्सेज (खालें) निर्मित कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

27. टी. बी. क्षेत्र में भाखरा व बरवाली डिस्ट्रीब्यूटरीज के निर्माण पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

28. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र (जैसलमेर) के काश्तकारों के विरुद्ध बिना नोटिस दिये व प्रक्रिया की अनुपालना किये बेदखली की कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये ।

29. जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र नाचना में सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा पुनर्तस्दीक के पश्चात् कृषकों को प्रदत्त पट्टों (पर्चा लगाने) को एकतरफा कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

30. राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में भू. पू. जैसलमेर रियासत के काश्तकारों से सन् 1955 के स्थान पर 1960 का सबूत मांगने की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये ।

31. राजस्थान नहर योजना नाचना मुख्यालय का मूल रिकार्ड तहसील नाचना में उपलब्ध न करवाने से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

32. जैसलमेर नहरी क्षेत्र नाचना में फसल न होने पर भी उस भूमि को सिंचित मानने का अभिलेख बना कर कृषकों से मूल्य वसूली की कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. राजस्थान मुख्य नहर के द्वितीय चरण में सही काम्पेकशन नहीं करवाने से अनेक स्थानों पर रिसाव होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. राजस्थान मुख्य नहर के द्वितीय चरण के निर्माण में घटिया किस्म की ईंटें एवं सही अनुपात में सीमेंट व बजरी का मसाला नहीं लगाने से अनेक स्थानों पर हुई क्षति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35 राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में आर. डी. 1202½ के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. राजस्थान नहर की आर. डी. 1137 के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. राजस्थान नहर से निकाली गई शाखा 14 आर. डी. से 27 आर. डी. तक क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. राजस्थान नहर (कच्ची चैनल) आर. डी. 1218 व 1276 के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. राजस्थान नहर की आर. डी. 1113 से 1115 आर. डी. तक जल रिसाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. जैसलमेर जिले में सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में गोचर भूमि छोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवां)

42. पंचायत समिति नैनवां की माछली नदी पर बांध बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)

43. ग्राम आनन्दपुर, जखराना, घीलोठ, कापसा आदि ग्रामों में "एनीकट" निर्माण करवाने एवं ग्राम कुतीना में सिंचाई हेतु बांध बनवाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई)

44. निवाई विधान सभा क्षेत्र में बनास नदी में ग्राम भांची देवली के पास लिफ्ट सिंचाई योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

45. ग्राम कानाना और कीटनोद के पास लूनी नदी की तटबन्दी कराने हेतु चर्चा के लिये।

46. ग्राम राणीदसीपुरा तहसील सिवाना की लूनी नदी पद तटबन्दी हेतु अधूरे स्पर्श को पूरा कराने के लिये चर्चा के लिये।

47. कीटनोद और वारिया बान्ध जिला

(९४)

(श्री अमराराम चौधरी)

बाड़मेर को पूरा कराने के लिये चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

48. कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता की काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना की तकनीकी, प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृत नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

49. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभियन्ताओं को नौकरी देने के स्थान पर तदर्थ नियुक्तियां देकर भ्रष्टाचार पनपाने पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

50. सराड़ा क्षेत्र में सिंचाई की नहरों को पूरा करने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

51. बागन डाइवर्शन डूंगला से प्रभावित कृषकों को मुआवजा नहीं देने बाबत चर्चा के लिये ।

52. चित्तौड़गढ़ जिले की प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दिये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर)

53. बिसलपुर बांध का निर्माण वर्ष 84-85 में प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम)

54. राजस्थान नहर के निर्माण में हुई अनियमिततायें एवं विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

55. चौमूं विधान सभाई क्षेत्र में बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

56. ग्राम गांग, पास, सोतस वगैरह के अधूरे बांध को पूरा करने बाबत तथा पास बांध को ऊपर उठाने हेतु चर्चा के लिये ।

57. जैतपुरा तथा कोरी सेन्दड़ा बांध का निर्माण करवाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

58. तहसील खण्डार में बनास नदी व चम्बल नदी पर लिफ्ट सिंचाई चालू करने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

59. सवाईमाधोपुर जिले में बांधों को पूरा करने तथा बनास व चम्बल से लिफ्ट सिंचाई योजना से पानी दिये जाने के लिये चर्चा के लिये ।

(श्री चुन्नी लाल)

60. पांचना बांध की नहरों को बनाकर उनसे पानी देने के लिये चर्चा के लिये ।

61. जिला सवाईमाधोपुर में ढील बांध को बढ़ी हुई आवश्यकतानुसार रेंज करने हेतु चर्चा लिये ।

श्री नन्दलाल शर्मा (प्रतापगढ़)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

62. प्रतापगढ़ तहसील में भंवर सेमला बांध का प्रस्ताव लम्बे समय से विचाराधीन होने बाबत चर्चा के लिये ।

93. माही बजाज सागर बांसवाड़ा जाखम परियोजना कडाना परियोजना से प्रभावित लोगों को राज्य सरकार द्वारा अब तक लाभान्वित नहीं करने बाबत चर्चा के लिये ।

64. जाखम बांध पर सेवारत कर्मचारियों को नियमानुसार राहत नहीं पहुंचाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

65. खण्डेला क्षेत्र में नांगल बांध, छापोली बांध, सालवाड़ी बांध बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

66. खण्डेला विधान सभाई क्षेत्र में सेवली का बांध बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर)

67. गत वर्ष आई बाढ़ से सूरसागर क्षेत्र के सभी एनीकट व बंधे टूट गये जिनकी मरम्मत बनवाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

68. कृषि के क्षेत्र के लिए कोटा, बारां, शाहबाद आदि क्षेत्रों में उचित मात्रा में पिलाई की सुविधा देने पर चर्चा के लिये ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

69. बीसल सिंचाई परियोजना को चालू कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू)

70. नागौर जिले में राजस्थान कैनाल से लिफ्ट सिंचाई योजना से पानी पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)

71. नर्मदा नहर से जालौर-बाड़मेर के लिए सिंचाई के लिए सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

72. बाड़मेर जिले लूनी में नदी के कटाव को रोकने के लिए सिणधरी से गांधव तक तटबन्दी व ठोकरे बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

73. भीलवाड़ा की मेजा फीडर की अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

74. भीलवाड़ा-माण्डल तहसील के मेजा प्रोजेक्ट की नहरों के विकास पर चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर)

75. पांचना बांध के निर्माण में हुए भयंकर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

76. सिंचाई क्षमताओं को निर्माण लक्ष्यों के अनुरूप नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. राज्य में प्राप्त जल स्रोत एवं उपलब्ध सतह के जल की सिंचाई क्षमता प्राप्त करने में विफलता पर चर्चा के लिये।

78. राजस्थान राज्य में बरसात में लगभग 16 मिलियन एकड़ फीट पानी का लगभग 70 प्रतिशत उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. टोंक जिले की मुख्य-मुख्य नदियां मांसी, ढील एवं बनास नदी के उपलब्ध पानी के सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयोग नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. बिसलपुर बान्ध की केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग भारत सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. टोंक जिले में बाढ़ नियंत्रण कार्य नहीं कराये जाने से होने वाली तबाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. सर्वे एवं अनुसंधान कार्य में शिथिलता के कारण सिंचाई कार्य में होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान बहुत कम रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. वृहद सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में असफलता पर चर्चा के लिये।

85. नोहर और सिद्धमुख परियोजना की क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. मांसी बांध की उपयोगी क्षमता एवं मूल प्रस्ताव लगभग दस हजार एकड़ भूमि में सिंचाई उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने की विफलता पर चर्चा के लिये।

87. विभिन्न स्तर पर पर्याप्त देखभाल नहीं होने से योजना व्यय में बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश में सिंचाई हेतु जल स्रोतों पर विकास व्यय घटाने एवं प्रशासनिक व्यय बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. बीसलपुर वृहद नई परियोजना हेतु बजट प्रावधान नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. लाम्बा बांध की भराव क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. मांसी बांध की भराव क्षमता बढ़ाने एवं डेड स्टोरेज का उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. मोती सागर बांध की जल क्षमता

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(भराव क्षमता) बढ़ाये जाने की आवश्यकता एवं नहरों को पक्का कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. आधुनिकीकरण खण्ड टोंक की स्थापना से जल स्रोतों के विकास का व्यय घटने एवं प्रशासनिक खर्च बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. राज्य में सीमित जल स्रोतों का उपयोग कर अधिक सिंचाई से कृषि पैदावार बढ़ाने में विफलता पर चर्चा के लिये।

96. सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य के अन्तर्गत डिजाइन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल कार्यों में विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)

97. राजस्थान नहर के निर्माण में होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. राजस्थान नहर पर जिला बाड़मेर जैसलमेर के भूमिहीनों को भूमि आवंटन प्राथमिकता से करने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

99. देवास योजना का दूसरा चरण का कार्य चालू कराने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

100. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में दीपावास बांध बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

101. सरकार राज्य के सिंचाई बांधों के रखरखाव तथा निर्माण करने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

102. राज्य सरकार भाखड़ा सिस्टम के हैड वर्क्स पर अपना नियन्त्रण नहीं रख पाई है, इस पर चर्चा के लिये।

103. राज्य सरकार भरतपुर फीडर और गुड़गांवा कैनाल के लिए पानी का हिस्सा तय करने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

104. राज्य सरकार गंगा तथा यमुना का पानी लेने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

105. ग्राम आखोदयां तहसील बामनवास का जो सिंचाई का बांध है वह टूटा पड़ा है उसकी मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

106. सिंचाई विभाग में निर्माण कार्यों में होने वाली अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

107. चीफ इंजीनियर कार्यालय में निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

108. सवाईमाधोपुर के पांचना बांध को अब तक पूरा नहीं करने व उसकी नहरों का काम नहीं करने पर चर्चा के लिये।

109. तहसील बोली में डिल बांध को ऊंचा कर उससे सिंचाई करने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. सिंचाई विभाग द्वारा मोरेल बांध पर गत वर्ष कराये गये कार्य के औचित्य पर चर्चा के लिये।

111. मोरेल बांध के लिए सवाईमाधोपुर में खरीदे गये सामान में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

112. सवाईमाधोपुर जिले में चम्बल पर खण्डार क्षेत्र में सिंचाई लिफ्ट योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

113. सिंचाई विभाग द्वारा काश्तकारों को पिलाई में पूरा पानी नहीं देने के बाद भी उनसे पूरी पिलाई वसूल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

114. सवाईमाधोपुर के ग्राम दूब्बी बनास के पास चर्णक्या दह पर सिंचाई लिफ्ट योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. खण्डार में बनास नदी पर ग्राम पीपलेट की योजना पास होने के बाद भी कार्य चालू नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

116. जिला सवाई माधोपुर में हजारों एकड़ कमाण्ड में पानी नहीं दिया जाता है परन्तु फिर भी कई वर्षों से उस भूमि को कमाण्ड घोषित किया हुआ है उसको अनकमाण्ड करने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. सिंचाई विभाग में क्रय किये गये गेटों का उपयोग नहीं होने पर चर्चा के लिये।

118. राजस्थान में कई योजनाओं पर करोड़ों रुपयों का खर्चा होने के बाद काम बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

120. तहसील लालसोट के बांध सिन्टोली में किये गये गलत कार्यों और बांध टूटने पर चर्चा के लिये।

121. जिला सवाई माधोपुर में नहरों की रख रखाव के अभाव में पानी को बेकार होने से रोकने की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

122. नदी-नालों में एनीकट बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

123. राज्य सरकार सिंचाई साधन उपलब्ध कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री चाव खां (कामां)

124. सिंचाई में अनियमितताओं एवं निर्माण कार्यों में घोटाले तथा ग्राम आलमपुर, सतवाड़ी वगैरह बान्धों से सिंचाई नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री कुन्जीलाल मीणा (बामनवास)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

125. लिफ्ट सिंचाई योजना बनास नदी, सवाईमाधोपुर, प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)

126. परबतसर तहसील में अधूरे बांधों की सर्वे हो चुकी है उनका कार्य शुरू करने पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

127. राजस्थान मुख्य नहर की आर. डी. 800 से 1060 तथा बरसलपुर, चारणवाला ब्रान्च तथा इनकी वितिरिकाओं व माइनरों पर सिंचाई हेतु मोघे शीघ्र लगाने की चर्चा के लिये।

128. लूणकरणसर लिफ्ट नहर से सिंचित होने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत आये असिंचित ग्रामों को डी-कॉलोनाइज घोषित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

129. राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन की नीति में सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये।

130. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा जोहड़ पायतन भूमि की नीलामी (एक लाख व सवा लाख में एक मुरब्बा) किये जाने से भूमिहीन गरीब किसान में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

131. राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में कमाण्ड भूमि क्षेत्र की वृद्धि किये जाने पर चर्चा के लिये।

132. राजस्थान नहर परियोजना का कार्य निश्चित समय पर पूरा नहीं होने

(श्री उम्मेद सिंह)

व धीमी गति से कार्य होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

133. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को वेतन के अलावा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

134. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा से पिलाप बंधे को जाने वाली नहरों की मरम्मत न कराने पर चर्चा के लिये।

135. राजस्थान मुख्य नहर में पानी की कमी को देखते हुए एस्केप में पानी न छोड़ने की चर्चा के लिये।

136. राजस्थान नहर की लूणकरणसर लिफ्ट नहर के सिचाई लक्षों यथा 23 जे. एम. डी. का पुनःनिर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये।

137. मुख्य नहर व उपशाखाओं के गलत स्तर को सही कर अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये।

138. लूणकरणसर लिफ्ट नहर व इसकी डिस्ट्रिब्यूटरी माइनरों का निर्माण कार्य में किसानों को सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराने से पूर्व ही खाले टूट-फूट होने की मरम्मत कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

139. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में में सहकारी फार्म विकसित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

140. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा की रोही के चक न. 3 व 4 के बंधों की नहरों की मरम्मत कर सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

141. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा के चक ढाढ़र, चक सिहालियां, चक खुड्डी की मरम्मत कराने की चर्चा के लिये।

142. राजस्थान मुख्य नहर व शाखा व उप शाखाओं पर पानी की खेली, घाट, पेड़िया न होने से पशुओं, जीवों की डूबकर मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के मगरा क्षेत्र में सिंचाई बंधे बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

144. जिला बीकानेर तहसील कोलायत व जैसलमेर जिले के पुराने बन्धों व नहरों की मरम्मत कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

145. गलियाकोट की पुनर्वास गड़ाजस राजपुर में निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

146. छापोज डिस्ट्रिब्यूटरी पर आंकडिया के पास पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

147. अयानी गांव के पास हनुमानजी के पास ड्रेन पर पुलिया बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

148. जलोदा खातियान से अयानी के रास्ते में पड़ने वाली ड्रेनों पर पुलिया बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

149. पीपल्दा क्षेत्र में निकलने वाली विभिन्न ड्रेने जिनसे स्थान स्थान पर रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं, पर पुलियाएं बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. बाखापुरा से रावल जावल के बीच कलाला ड्रेन पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

151. जलोदा माइनर व हरिपुरा डिस्ट्रिब्यूटरी की सफाई व मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

152. लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रिब्यूटरी से लक्ष्मीपुरा गांव के पास बरसात का पानी भरता है उसे निकालने हेतु डिस्ट्रिब्यूटरी के नीचे अधिक पाइप लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. पीपल्दा क्षेत्र के बकाया क्षेत्र में भी ड्रेन खोदने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. पीपल्दा क्षेत्र में हर वक्त पानी के अभाव में फसलें सूखती हैं, के स्थाई हल के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. पीपल्दा क्षेत्र की इटावा ब्रांच कैनाल में क्षमता के अनुसार पानी नहीं छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. सैंता डिस्ट्रिब्यूटरी के टेल की समस्या हल करने के लिए रामपुरा व हथौली के बीच से नहर निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

157. पीपल्दा क्षेत्र की विभिन्न नहरों की सफाई एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिते

158. पीपल्दा क्षेत्र की नहरों का रिमाडलिंग कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. दाईं मुख्य नहर व बाईं नहर चम्बी की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

160. नोनेरा लिफ्ट नहर को खेड़ली खरवन व रनोनिया गांव तक आगे बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

161. पीपल्दा क्षेत्र के किसानों को ड्रेन व नहरें बनाने हेतु ली गई जमीन का मुआवजा चुकाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. कोटा जिले की विभिन्न नदियों कालीसिन्ध, चम्बल, पार्वती आदि के अतिरिक्त पानी का सिंचाई हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

163. कालीसिंध पर नोनेरा, पार्वती नदी से फूसोद व केयोदा या आसीदा के पास से लिफ्ट सिंचाई योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

164. कोटा एवं बूंदी जिले की सिंचाई समस्या के स्थायी हल हेतु चम्बल बैराज को ऊंचा उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. चम्बल नदी से बूंदी जिले की चाणदा खुर्द पंचायत के गांवों का ढोबरली गांव के पास से लिफ्ट द्वारा सिंचाई किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

166. गांधी सागर बांध के कैचमेंट एरिया में बांध बनाये जाने से भराव कम होने व कितना पानी कम भरता है उतना कोटा बैराज मे मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ा जाय, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. सी. ए. डी. को नहीं तोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

168. सी. ए. डी. से निकाले कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

169. पीपल्दा क्षेत्र के रावल जावल व मऊ के बीच ड्रेन (बाणगंगा) पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

170. पीपल्दा क्षेत्र के पीपल्दा खुर्द गांव में से निकलने वाली दोनों ड्रेनों पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. बिनायका से नलावता के बीच में ड्रेन (गांगी) पर पुलिया बनाये के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. इटावा ब्रांच कैनाल की सर्विस रोड़ पर रामपुरा गांव के पास की ड्रेन पर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

173. इटावा ब्रांच कैनाल की टेल पर गोडड़ा गांव के पास पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. रावल जावल व बमोरी कलां के बीच पड़ने वाली ड्रेन पर पुलिया बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

175. सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं के पद पर की गई कनिष्ठ अभियन्ताओं की अस्थाई, कार्यकारी पदोन्नति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

176. वर्ष 1983-84 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त व टूटे क्रास बांधों के सम्बन्ध चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

177. ग्राम सातडुक (जिला भरतपुर) में कृषि भूमि को पानी से खाली करने हेतु एक पम्पिंग स्टेशन लगाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

178. होम्स कैनाल, जिला भरतपुर पर अंधैया तथा तमरेर ग्राम के पास पुलिया का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है वह शीघ्र ही पूरा कराया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

179. कुम्हेर विधान क्षेत्र के ग्राम अमोरी तथा करडवा के चारों तरफ पानी भर जाता है उसको निकालने की व्यवस्था की जावे, इस पर चर्चा के लिये।

180. बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर तहसील के सिनसिनी, मद्दुआ, घौर ग्राम आदि में जो पूर्व में आता था उसका आना बन्द हो गया है उसको पूर्ववत आने की व्यवस्था की जावे, इस पर चर्चा के लिये।

181. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के टूटे हुये बांधों की मरम्मत की जावे। विशेषतया हिडोला रेग्यूलेटर का निर्माण पूरा किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

182. ग्राम ड्डा की बघली (जिला भरतपुर) को ऊंचा किया जावे तथा पक्की पिचिंग की जावे, इस पर चर्चा के लिये।

183. भरतपुर फीडर की मरम्मत कर इस नहर की हालत सुधारी जावे जिससे इसमें 300 क्यूसेक्स पानी आ सके, इस पर चर्चा के लिए।

184. जिला भरतपुर की मुरवारा महगाया नहर के किनारा को ग्राम अवार के आस पास ऊंचा व मजबूत किया जावे तथा महगाया से आगे इस नहर की खुदाई की जावे इस पर चर्चा के लिये।

185. राजस्थान के भरतपुर जिले तथा अन्य जिलों को यमुना नदी के पानी

(श्री हरिसिंह)

का हिस्सा तय कराया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

186. ग्राम भवातडा व सुरावा में नदी के कटाव को रोकने हेतु बांध बनाने के सम्बन्ध में बजट प्रावधान किया जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

187. श्यामपुरा बंध (जयपुर) की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये बंध की ऊंचाई बढ़ाने एवं विस्तार के संदर्भ में चर्चा के लिये।

188. अधिक सिंचाई अधिक उपज कार्यक्रम के अन्तर्गत दूबली बान्ध की नहर का निर्माण कर अतिरिक्त सिंचाई के लक्ष्यों को पूरा किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

189. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में रतन गंगा नदी एवं तहसील चाकसू में खारली नदी को रोक कर बांध बनाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

190. ग्राम जटवाड़ा, दूदली-मोहनपुरा, एवं बूडला-तिलपटटी में बाढ़ से हर वर्ष होने वाली बर्बादी को रोकने के लिये बाढ़ नियन्त्रण कार्य आरम्भ किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

191. तहसील बस्सी के अखैपुरा बांध को सिचाई विभाग के अन्तर्गत लेकर मोरी व नहर का निर्माण कर इस बन्ध के पानी को सिचाई के कार्य में उपयोग में लाने हेतु चर्चा के लिये।

192 उदयपुर जिले के दूबली बांध, पृथ्वीपुरा सिचाई बन्ध की ऊंचाई बढ़ाने एवं विस्तार कर पानी की क्षमता बढ़ाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

193. नई मध्यम परियोजना कानोता का कार्य तीव्र गति से कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

194. हिंगोनिया सागर बांध पर अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1977 में श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

195. सिचाई विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच व प्रामाणिकता साबित होने के उपरान्त भी मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

196. राजस्थान नहर में उपलब्ध पानी का उपयोग न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

197. घग्घर के टूटने से हुए नुकसान के लिये मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

198. राजस्थान नहर के अन्तर्गत बीकानेर व जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार अब तक नहीं प्राप्त होने पर चर्चा के लिये।

199. राजस्थान नहर परियोजना के सम्बन्ध में गठित राम सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

200. सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा बरती जाने वाली उदासीनता एवं लापरवाही से सिंचाई कार्य में होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

201. समस्त कृषि भूमि को सिद्धान्त रूप में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का दायित्व विभाग द्वारा लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. राज्य सरकार गंग नहर की मरम्मत और सार सम्भाल में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

203. राजस्थान नहर के निर्माण में सुपरवाइजिंग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

204. राजस्थान के बहने वाले पानी का मास्टर प्लान बनाया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

205. राज्य सरकार मध्य प्रदेश द्वारा चम्बल नदी पर जगह-जगह बांधों के निर्माण को रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

206. सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित भरतपुर, अलवर, चूरू व झुन्झनू जिलों के लिये यमुना का पानी लाने की कार्यवाही नहीं कर रही है, इस पर चर्चा के लिये।

207. राज्य सरकार अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से अपने हिस्से का पानी लेने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

208. नहर में समुचित पानी वितरण कराने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

209. सिंचाई योजनाओं में उपेक्षा बरतने एवं जवाहर लाल नेहरू नहर योजना पर ध्यान न देने पर चर्चा के लिये।

210. रेगिस्तानी क्षेत्र में जल को रोकने के लिये बांधों का निर्माण करने बाबत चर्चा के लिये।

211. बहुउद्देशीय सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

212. छठी पंच वर्षीय योजना में सिंचाई

(श्री देवीसिंह भाटी)

का लक्ष्य पूर्ण न होने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

213. सिंचाई क्षमता अधिक होने पर भी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध न कराने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

214. सिंचाई के अधिकारियों द्वारा अपने पुत्रों की फर्मों से सामान खरीदने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

215. मानसरोवर और जगर बान्धों पर गेट्स की खरीद के सम्बन्ध में चर्चा लिये।

216. मोरेल बांध निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

218. सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित बान्धों में घटिया मैटीरियल लगाने पर चर्चा के लिये।

219. सिंचाई विभाग द्वारा बांसवाड़ा माही की नहर टूट जाने पर अपेक्षित कार्यवाही समय पर नहीं करने बाबत चर्चा के लिये।

220. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

221. गोगुन्दा जिला उदयपुर के दादिया तालाब को सिंचाई विभाग द्वारा बन्धवाया जाने पर चर्चा के लिये।

222. पड़ावली ग्राम के पास को बाकल नदी को झाड़ोल कोटड़ा के लिये बांधने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. गोगुन्दा तहसील जिला उदयपुर के पलासम के पास बनास नदी पर बान्ध की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. देवास योजना उदयपुर की जनता के लिये मूल्यवान है, इसे पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. पहाड़ी इलाकों में एनीकट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

226. सिंचाई विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

227. राजस्थान नहर में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

228. सिंचाई के अधिकांश कार्य माण्डलगढ़ क्षेत्र में किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री बंसीलाल पटवा)

229. मेजा बांध से कृषकों को निर्णयानुसार फसलों को पानी न देने पर चर्चा के लिये।

230. मेजा प्रोजेक्ट भीलवाड़ा की लेफ्ट व राइट कैनाल तथा इनकी माइनरों पर मेन्टोनेन्स फण्ड न लगाने पर चर्चा के लिये।

231. मेजा जलदाय मातृकुण्डिया प्रोजेक्ट का सीमेंट गायब कर निर्माण कार्य में पूरा लगाने पर चर्चा के लिये।

232 मेजा फीडर की मातृकुण्डिया से गुन्दली तक 5 चेन का कार्य न होते हुए चुकारा कर भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

233. सिचाई विभाग में नीति के विपरीत प्राये दिन विभिन्न पदों के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने पर चर्चा के लिये।

234. सिंचाई विभाग में कर्मचारियों को स्थाई न करने पर चर्चा के लिये।

235. भीलवाड़ा जिले तथा राज्य के अन्य स्थानों पर सिंचाई कार्यों में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

236. मेजा, कान्या खेड़ी, गुवाड़ी, ओजियाड़ा, प्रोजेक्ट की जर्जरित नहरों पर चर्चा के लिये।

237. भीलवाड़ा जिले में बिना स्वीकृति के अनेक कार्य कराने पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर)

238. डूंगरपुर जिले में सिचाई के स्रोतों का सही उपयोग करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

239. सिंचाई संबंधी राजस्थान का मास्टर प्लान बनाकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के विषय में चर्चा के लिये।

240. जयपुर जिले में सिंचाई की समुचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

241. सिचाई विभाग द्वारा योजनाओं के आधुनिकीकरण के नाम पर अपव्यय करने एवं वर्तमान उपलब्ध निर्माण को ध्वस्त कर राजकोष की हानि व जनता को असुविधा उत्पन्न करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

242. सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था के कार्यक्रम को विभाग द्वारा हाथ में न लिये जाने से हो रही क्षति पर चर्चा के लिये।

243. सावन-भादों प्रोजेक्ट का कार्य शुरू करने की चर्चा के लिये।

244. गंग कैनाल के टूटने से हुयी क्षति के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

245. माही बजाज सागर परियोजना की नहरों के टूटने से हुयी क्षति के संबंध में चर्चा के लिये।

246. गंगा यमुना के जल को भरतपुर में सिचाई के प्रयोग में लाने के लिये योजना को क्रियान्वित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

247. सिचाई सम्बन्धी कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर उन्हें युद्ध स्तर पर लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. बरसात के जल को न रोके जाने से सारे जल के बह जाने तथा पानी के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

249. अपने हिस्से का पानी पंजाब, हरियाणा से उपलब्ध न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

250. राजस्थान नहर की वितरिकाओं द्वारा समय पर पानी उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

251. जमवा रामगढ़ बन्धे के पिछले भाग में निरन्तर रिसाव होने से उत्पन्न आशंका पर चर्चा के लिये।

252 वरसाती नदियों के पानी को रोके जाकर सिंचाई के काम में लिये जाने की योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

253. सिंचाई योजनाएं पूरी न किये जाने से प्रदेश को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

254. भरतपुर जिले में सिचाई के साधनों की सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

255. सिंचाई योजना विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

256. जयपुर जिले में बनास योजना लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

257. उदयपुर जिले में सिचाई विभाग में 1:1·5 बी. सी. अनुपात तथा डी. ए. पी. सिंचाई विभाग में 1:1 के बी. सी. अनुपात में अन्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

258. नाथद्वारा क्षेत्र में बहने वाली नदियों पर बने बांध के पानी का क्षेत्र के किसानों को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न असंतोष की चर्चा के लिये।

259. उदयपुर की देवास-योजना का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करने की चर्चा के लिये।

260. उदयपुर संभाग में स्वीकृत मध्यम एवं वृहद् सिंचाई योजनाओं का समय पर पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री सी. पी. जोशी)

261. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव चिकलवास की सिचाई की योजना क्रियान्विति प्रारम्भ करने की चर्चा के लिये।

262. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की "माण्डक योजना" का कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ करने की चर्चा के लिये।

263. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की "बाघेरी-सिचाई-योजना" का सर्वे कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कर सातवीं योजना में सम्मिलित करने की चर्चा के लिये।

264. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के मन्द समन्द (नमाना) बांध को आधुनिकीकरण योजना में सम्मिलित नहीं करने से किसानों में व्याप्त असतोष पर चर्चा के लिये।

265. मावली क्षेत्र में बागोलिया बांध की क्षमता को नमाना बांध की बिजनोल फीडर से लिंक से पूरी करने से सिंचाई की सुविधा में विस्तार की चर्चा के लिये।

266. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव बिजनोल पाखण्ड, सालोर, आमोदड़ा एवं मण्डीयाना की कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये।

267. सिंचाई के लिये "पानी प्रबन्ध-तकनीकी" की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. सिंचाई विभाग को खर्च के अनुपात में राजस्व नहीं मिलने से विकास के कार्यों में अवरुद्धता से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये।

269. सिंचाई मदों के खर्चों में अजीब असन्तुलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

270. दायीं मुख्य नहर (चम्बल) पर लिफ्ट योजनाओं के निर्माण में धनाभाव के कारण अनावश्यक विलम्ब होने की चर्चा के लिये।

271. चम्बल की दायीं मुख्य नहर व उसकी शाखाओं की मरम्मत के लिये धन राशि कम आवन्टित करने की चर्चा के लिये।

272. कोटा जिले की परवन लिफ्ट सिचाई योजना पर यू एस एड होते हुये भी धन राशि कम आवन्टित होने से योजना के पूर्ण होने में बिलम्ब होने की चर्चा के लिये।

273. कोटा जिले की पार्वती की नहरों की आधुनिकीकरण योजना पर धन राशी कम आवन्टित करने से सिंचाई सुविधा में असुविधा होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल

274. 1971 में विभाग द्वारा अजमेर के की रावल सागर बांध पर अनधिकृत व अनावश्यक व्यय किये जाने की जांच के दबा दिये जाने पर चर्चा के लिये।

275. सिंचाई विभाग के जयपुर सर्किल द्वारा आवश्यकता नहीं होने व बजट प्रावधान के नहीं होने के उपरान्त वर्ष 1974-78 के दौरान एक लाख रुपयों के लीलेण्ड ट्रेक्टर की खरीद पर चर्चा के लिये।

276. राजस्थान अभियान्त्रिक सेवा सिंचाई शाखा के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में अधीक्षण अभियन्ता से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के चयन में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

277. सिंचाई विभाग में अभियन्ताओं की पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षण के प्रावधानों की पालना नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

278. सिंचाई विभाग में दिनांक 15-3-84 को अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर कार्यकारी व्यवस्था के रूप में दी गई पदोन्नतियों के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

279. सिंचाई विभाग के जयपुर सर्किल में वर्ष 1974 से 1978 तक छः लाख रुपयों के स्टील फुट ब्रिजेज की खरीद में हुई वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

280. सिंचाई विभाग में सिंचाई सलाहकार के पद के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

281. घुरेरी बांध (भरतपुर) पर अनधिकृत रूप से किये गये व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये।

282. सिंचाई विभाग के जयपुर सर्किल में वर्ष 1974 से 1978 तक चेनलिक्स की खरीद में हुई वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

283. सिंचाई विभाग के जयपुर सर्किल में वर्ष 1974 से 978 तक स्टील गेट्स व हाइड्रोपिक स्क्रेपर्स की खरीद में हुई वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

284. सिंचाई विभाग में 1974 में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर

(श्री जीतमल जैन)

मेरिट के नाम पर की गई गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

285. विभागीय पदोन्नति समिति सिंचाई विभाग की बैठकें समय पर नहीं करने से होने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

286. राजस्थान नहर उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 से 4 में उच्च अधिकारियों द्वारा बेदखल किये जाने से व्याप्त सन्तोष पर चर्चा के लिये ।

287. उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटित भूमि काबिल काश्त होने की पूरी जांच कर के ही आवंटन किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

288. उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा पटवारी द्वारा आवटी को मौके पर ले जाकर नहीं देने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

289. नहर के निर्माण के वक्त बंद किये रास्तों को अभी तक न खोले जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

290. राजस्थान नहर की वितरिका एवं माइनरों के टूटने पर विभाग की निष्क्रियता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

291. पाक विस्थापितों को ग्राम पंचायत अमरपुरा उपनिवेशन तहसील क्षेत्र पूगल में 1981 में कृषि भूमि आवंटित कर मौके पर सही नहीं देने पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

292. राजस्थान नहर 975 से 77 आर. डी. तक पानी के भारी रिसाव के कारण टूटने की स्थिति से उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये ।

293. राजस्थान नहर की आर. डी. 1121 मैन कैनाल पर डाइवर्शन बैंक स्लिप हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

294. राजस्थान नहर उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 में नोखा उर्फ दइया में अस्थाई आवंटन व नवीनीकरण का कैम्प गांव में रखने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

295. नहर की बुर्जी 1120 से 1180 के बीच की लाइनिंग का काम बिना एंटी साल्ट ट्रीटमेंट किये ही करवा दिये जाने पर विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

296. राजस्थान नहर की कच्ची वाटर सप्लाई चैनल बार-बार टूटने से विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

297. राजस्थान नहर की बुर्जी 1037 पर नहर का तला दो फीट बैठ जाने व दोनों किनारे करीब 4 फीट बाहर तक धंस जाने से दाहिने साइड की लाइनिंग टूट कर 400" पटड़ा साफ हो जाने में अधिकारियों की लापरवाही के बाबत चर्चा के लिये।

298. राजस्थान नहर की बुर्जी 1202 (पाइलट चैनल) 8 जनवरी, 84 को टूट जाने पर अवाई गाँव की जनता में असुरक्षा की भावना फैल गई, इस पर चर्चा के लिये।

299. राजस्थान नहर के बज्जू के निकट 961 हैड पर चारणवाली शाखा आर. डी. 25 पर 2 जनवरी, 84 को पांच सौ फीट अचानक टूट जाने से हुए नुकसान पर चर्चा के लिये।

300. बीकानेर क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा सिंचित भूमि को असिंचित क्षेत्र में व असिंचित भूमि को सिंचित क्षेत्र में घोषित करने पर चर्चा के लिये।

301. राजस्थान नहर में वाटर कोर्स "वी" शेप की जगह "यू" शेप के खालों से पानी के फ्लो में गति कम होने की कठिनाई पर चर्चा के लिये।

302. राजस्थान नहर के टूटे हुए खालों में पानी के रिसाव से फसलों की क्षति होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

303. राजस्थान नहर सिंचित क्षेत्र विकास में पहले से खाले बने होने पर भी उसे अनकमांड घोषित करके पानी सप्लाई न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

304. राजस्थान नहर पर भूमिहीन मजदूरी करने वालों के लिये राजस्थान नहर क्षेत्र में सामान्य किश्तों पर भूमि उपलब्ध करवाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

305. राजस्थान नहर के सिंचित क्षेत्र में गरीब व भूमिहीन को भूमि न दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

306. राजस्थान नहर के गलत लेवल को सुधारने की चर्चा के लिये।

307. राजस्थान मुख्य नहर के पुल, हैड के पिलरों में दरार पड़ जाने से उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये।

308. राजस्थान नहर के चारणवाला हैड से एक आर. डी. तक लाइनिंग नहीं होने पर चर्चा के लिये।

309. राजस्थान नहर की आर. डी. 945 से 950 तक मुख्य नहर में भारी रिसाव होने पर चर्चा के लिये।

310. राजस्थान नहर के निर्माण में भूमि तल में ज्यादा तादाद में जिप्सम व

(श्री देवीसिंह भाटी)

साल्ट पाये जाने पर क्रूड-आयल छिड़क कर या तारकोल नहीं डाले जाने पर मुख्य नहर के अस्तित्व को उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये।

311. राजस्थान नहर क्षेत्र में रिसाव को रोकने के लिये पानी सप्लाई रोक देने से फसल को हुए नुकसान पर चर्चा के लिये।

312. राजस्थान नहर क्षेत्र में रिसाव से चरागाहों का नष्ट होना, भू-क्षरण बढ़ना व अन्य क्षतियों पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

313. नहर क्षेत्र में रिसाव म क्षारीयता से उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये।

314. राजस्थान नहर की मोरगढ़ माइनर के चक 6 पर नहर रेत से भरी होने पर चर्चा के लिये।

315. सैंरनवाली सब माइनर के चक 7 से 9 तक मिट्टी भरी होने से माइनर में पानी नहीं पहुंचने से असंतोष पर चर्चा के लिये।

316 राजस्थान नहर सैंरन वाली माइनर के आर. डी. 2 से 4. आर. डी तक लेवल सही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

317. राजस्थान नहर सैंरनवाली माइनर के चक 1 से 9 तक सिल्ट भरी होने से आगे पानी नहीं पहुंचने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

318. राजस्थान नहर सैंरनवाली माइनर 41 आर. डी. के बाद माइनर रेत. से भरी होने से पानी नहीं पहुंचने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

319. राजस्थान नहर अरायावाली माइनर के चक 11 में मोगा नहीं होने पर किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

320. राजस्थान नहर के बार-बार टूटने से सिंचित क्षेत्र में होने वाली असुविधाओं में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

321. बीकानेर संभाग के राजस्थान नहरी क्षेत्र में काश्तकारों से खालों की मूल राशि से अधिक ब्याज राशि वसूल किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

322. वर्ष 1983-84 फसल में राजस्थान के सिंचित क्षेत्र में नहर में पानी होने के बावजूद पानी नहीं देने से सैंकड़ों काश्तकारों की खड़ी फसल नष्ट होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

323. राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की द्वितीय स्टेज में घुम्मकड़ जाति के लिये भूमि आरक्षित करने तथा

(श्री देवीसिंह भाटी)

राजस्थानी की शर्तें, हटाकर आवंटन करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

324. माहीबजाज माही डेम से छोड़े जाने वाले पानी के टेल पर न पहुंचने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

325. सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में सीमल्या ग्राम में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शुरू कर राहत देने के संबंध में चर्चा के लिये।

326. कोटा जिले की सावन भादों स्कीम में विलंब होने के संबंध में चर्चा के लिये।

327. सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र के भांडाहेडा क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम स्वीकृत कर सिंचाई व्यवस्था लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

328. सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में इस वर्ष छीपड़दा, चन्द्राकला, व निमोदा पर सिंचाई विभाग पानी देने में असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

329. चम्बल सिंचित क्षेत्र में किसानों को ओ. एफ. डी. वर्क का मुआवजा न देने से असंतोष पर चर्चा के लिये।

330. चन्द्रसेल नहर की सफाई व गहराई करवाने में किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

331. चम्बल सिंचित क्षेत्र में ओ. एफ. डी. कार्य को पूर्ण न करने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

332. कोटा बैराज पर व कोटा जिले में स्थित विभाग के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बेकार की मशीनरी, ट्रक्स, मेटाडोर आदि वर्षों से पड़ी हुयी हैं उसे नीलाम न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

333. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

334. रनीया दसीपुरा तहसील सिवाना में लूनी नदी से काश्तकारों के खेतों का कटाव होने से बचाव हेतु चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

335. सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में प्रेमपुरा, जीपाहेड़ी, नृसिंहपुरा व नीमली में पुलियाओं के न होने से आवागमन के साधन न होने से परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)

336. लूनी नदी पर सिणधरी से गांधव तक गांवों, क्षेतों व ढाणियों के कटाव को रोकने के लिये कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

337. नर्वदा नहर से जालौर बाड़मेर को सिंचाई सुविधा के लिये शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर)

338. बानसूर (अलवर) के टूटे हुये बाबरिया बांध की (ओवर फ्लो) उपराह की मरम्मत न कराने पर किसानों को बैड कल्टीवेशन (पेटा काश्त) से वंचित करने पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

339. चम्बल विकास के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

340. चम्बल विकास विभाग (सी. ए. डी.) को समाप्त न करने के आश्वासनों के बावजूद भी तेजी से रिट्रैंचमेन्ट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

341. चम्बल विकास विभाग के कर्मचारियों को कोटा नगर में ही नौकरियों में खपाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

342. चम्बल की नहरों के कारण सीपेज के कारण रास्ते समाप्त हो जाने से चर्चा के लिये।

343. चम्बल की नहरों को पक्का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

344. चम्बल सिंचित क्षेत्र में बनाई गई ड्रेन्स का मुआवजा वर्षों बाद भी न देने के संबंध में चर्चा के लिये।

345 चम्बल सिंचित क्षेत्र में चम्बल विकास विभाग द्वारा निर्मित सड़क पर डामर बिछाने पर चर्चा के लिये।

346. सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में मदनपुरा लाख सनीजा आदि क्षेत्रों में डिस्ट्रिब्यूटरी से पानी न पहुंचने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू)

347. बिचून बांध के निर्माण के संबंध में सरकार द्वारा सन् 82 में की गई घोषणा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

348. राजस्थान नहर के द्वितीय स्टेज के घोषित कमाण्ड क्षेत्र का पुनः सर्वे कराकर कमाण्ड व अनकमाण्ड की सही स्थिति दर्ज करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

349. राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की कोलायत तहसील में आवंटन के समय राजस्व रास्ते नहीं छोड़ कर आवंटन करने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये।

350. राजस्थान नहर के उपनिवेशन क्षेत्र की तहसील कोलायत नं. 1 से 4 व नाचना, मोहनगढ़ तहसील में पीढ़ियों से काबिज किसानों की बेदखली रोकने व अन्यों को भूमि आवंटित करने से रोकने पर चर्चा के लिये।

351. राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की तहसील कोलायत नं. 1 से 2 में 2 हजार पाक विस्थापितों की सिंचित भूमि मानकर 1979 से आवंटित किसी भी मुरब्बे में सिंचाई सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

352. राजस्थान नहर उपनिवेशन में तहसीलदार कोलायत के कार्यालय में शिकायतों पर कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

353. राजस्थान मुख्य नहर की आर. डी. 585, 593 व 606½ की पानी की खेलियों में पानी नहीं छोड़ने से पशुधन की विकट स्थिति पर चर्चा के लिये।

354. राजस्थान मुख्य नहर व शाखाओं में माह जनवरी से फरवरी 1984 के अन्त तक पानी की बन्दी करने पर किसानों की करोड़ों रुपये की फसल बरबाद करने का मुआवजा देने व मामला साफ करने पर विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

355. मेंसारसिंह बांध सिरोही में बजरी आदि के क्रय में कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं फर्जी भुगतानों के औचित्य पर चर्चा के लिये।

356. मेंसारसिंह बांध को सन् 1975 से चालू करने के बाद भी अभी तक उसको पूरा नहीं करने बाबत चर्चा के लिये।

357. पांचना प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर के निर्माण के समय अधीक्षण अभियन्ता अधिशाषी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं द्वारा किया गया भ्रष्टाचार तथा फर्जी भुगतान करने के मामले में कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये।

358. मेंसारसिंह बांध सिरोही में जो बनाया गया है उसमें कैनाल तथा बान्ध में लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है उस संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री हंसराज शर्मा)

359. कोटा तथा बूंदी जिले में ठेकेदारों के लाखों रुपये के क्लेम पास करने में भू. पू. मुख्य अभियन्ताओं द्वारा जो फर्जी क्लेम पास कर लाखों का घोटाला किया है उसके सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

360. तहसील खण्डार बगरू वाया वामन वाला बांध के रिपेयरिंग का कार्य कराने वाले ठेकेदार को सिंचाई विभाग के अधिकारी द्वारा बिना कार्य किये ही पेमेन्ट करने के क्रम में चर्चा के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्ताव के लिखित उत्तर कार्यवाही के वृतांत के अंग

श्री सभापति : मांग के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और वितरित कर दिये गये हैं, उन्हें प्रस्तुत माना जायगा।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : उनके जवाब नहीं आते हैं। एक व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : पूर्व में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री यदुनाथ सिंह : इस सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं आई है।

एक बात है, सभापति महोदय, जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं वे तो यहां की प्रोसिडिंग्स में आते है और प्रोसिडिंग्स का भाग बन जाते हैं लेकिन जिन कटौती प्रस्ताव के उत्तर हमको सीधे ही मिलते हैं अगर उनमें कोई एश्योरेन्स दिया गया हो तो क्यों नहीं उसकी एक प्रति यहां विधान सभा में भेजी जाय और उन कटौती प्रस्ताव के उत्तर को भी कार्यवाही का भाग माना जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष पहले ही इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे चुके हैं। आगे व्यवस्था देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा जो प्रश्न है, सभापति महोदय, वह यह है कि जो हम कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं वे तो कार्यवाही का भाग हो गये, लेकिन उसके संबंध में बोलने का समय नहीं मिलता है इसलिये सरकार की ओर से उत्तर नहीं आता है। इसलिये जो उत्तर हमें मिलता है उसको भी कार्यवाही का भाग मानना चाहिये। उसमें आश्वासन हो सकते हैं इसलिये उसको कार्यवाही का भाग मानना बहुत जरूरी है। पार्लियामेन्ट में भी यही होता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो उत्तर यहां पर प्रस्तुत नहीं होते, सचिवालय में, विधान सभा के सचिवालय में प्रस्तुत होंगे उन्हें सदन की कार्यवाही का भाग कैसे माना जा सकेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : इसीलिये तो मैं सुझाव दे रहा हूं। कटौती प्रस्ताव विधान सभा को भेजते हैं, हमारे प्रस्ताव सरकार को सीधे नहीं जाते हैं। विधान सभा के माध्यम से प्रस्ताव जाते हैं इसलिये उसका

(श्री यदुनाथ सिंह)

उत्तर भी हमें विधान सभा के माध्यम से मिलना चाहिये।

श्री सभापति : आसन आपके सुझाव पर विचार करेगा और कोई समुचित व्यवस्था इस सम्बन्ध में देगा।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, हम आज सिंचाई विभाग की उस महत्वपूर्ण मांग पर विचार विमर्श कर रहे हैं जिसका राजस्थान के जन-जीवन और विशेषकर ग्रामों में रहने वाले लोगों की अर्थ व्यवस्था और जीवन से सीधा सम्बन्ध है। आप और हम सब यह मानते हैं कि आजादी से पहले इस देश की जनता को जो महत्वपूर्ण वायदे किये थे उसमें पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। क्योंकि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है, कोई भी प्रशासन ग्रामों के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिये निश्चित रूप से दायित्व रखता है। मैं समझता हूं कि इस ओर 1952 से पहले और आज की पृष्ठभूमि में हम जायें तो राजस्थान में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। राजस्थान में दो वृहद् और 50 मध्यम और 634 लघु सिंचाई योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से ही राजस्थान में सिंचाई क्षमता का निर्माण हुआ है और उससे 9.16 लाख हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई होती है। इस दिशा में सरकार की जागरूकता है, यह इससे प्रतीत होता है किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। राजस्थान में अब तक जो कुछ हो रहा है, उसका समूचा योजनाबद्ध कोई मास्टर प्लान नहीं है जिसके आधार पर समग्र राजस्थान के हिस्से उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी आज भी बहुतायत से बेकार जा रहा है। उसके लिए योजनाओं का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। कई वर्ष हो जाते हैं और कई योजनायें हाथ में ली जाती हैं नाम मात्र की राशि उसमें रखते हैं, प्रावधान के अनुसार उनकी लागत 10 गुणा, 15 गुणा बढ़ जाती है पर परियोजनायें पूरी नहीं होती हैं। इसलिये सबसे पहले मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन परियोजनाओं के निर्माण का एक निश्चित समय हो ताकि अनुमान की राशि के अनुसार वे पूरी हो जायें। बार बार एक योजना रिवाइज होती है, एस्टीमेट्स बनते हैं। उन्हीं योजनाओं में राजस्थान का पैसा बराबर लगता रहता है और नई योजनाओं को स्थान बहुत तेजी से नहीं मिलता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार जब इस प्रश्न पर चर्चा होती है राजस्थान का सिंचाई का एक मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता अपनी ओर से रख कर मैं अनुरोध करता हूं। किन्तु मुझे इस बात का बहुत खेद है कि इस बहुमूल्य सुझाव को भी अभी तक सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया है।

राजस्थान में जल-स्रोतों के विकास का निगम इस वर्ष बना है, उसका क्या कार्यक्रम होगा, कितना उसका बजट होगा, क्या उसकी योजना होगी, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं मिली है। अगर वह निगम इसी पृष्ठभूमि में बना है तो मैं समझता हूं सबसे पहले उस निगम को कितना पानी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्थान में है और कहां कहां बेकार जा रहा है उसके लिये किस किस प्रकार की योजना बन सकती है, इस ओर उसका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बार राजस्थान सरकार ने निश्चित रूप से एक वृहद् योजना, जिसकी कई वर्षों से चर्चा होती रही है, कई बार उसका सर्वे होता रहा है, बीसलपुर नाम से इस बार अपनी योजना में ली है। इसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं। एक करोड़ रुपये का बीसलपुर और पांच अन्य योजनाओं, जो मध्यम श्रेणी की योजनायें हैं, के लिये बजट में प्रावधान रखा है। फिर वही बात आती है कि वृहद् योजना, जो मेरा अन्दाज है 100 करोड़ से कम की नहीं होगी और इसके साथ-साथ 5 मध्यम योजनायें और लीं, तो तो एक तरह से योजना तो बन गई...

श्री दाऊदयाल जोशी : लालीपाप दिया है आपको। मीठी गोलियां पकड़ा दीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठे बैठे नहीं बोलें।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : पांच योजनाओं के लिए एक करोड़ रुपया रखा है और माननीय सदस्य संतुष्ट हो रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसके जरिये न केवल सिंचाई का बल्कि विद्युत उत्पादन का भी कार्य हो सकता है। उस योजना को महत्वपूर्ण स्थान देकर और अधिक बजट प्रावधान करने की मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। इसके साथ साथ 5 मध्यम सिंचाई योजनाएं ली गयी हैं। सारे राजस्थान में लगभग पौने चार करोड़ की जनसंख्या है और 35 हजार गांव हैं, उनके लिये कई योजनाएं होंगी। मैं अपने इलाके को इस संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगा। राजस्थान में सबसे बड़ी नदी चम्बल है जिसने राजस्थान के पूर्वी हिस्से का भाग्य बदल दिया। चम्बल नदी के जरिये बिजली और सिंचाई से राजस्थान के सुदूर गांवों को भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की दृष्टि से दूसरा स्थान हो सकता है बनास नदी का। बनास नदी पर एकाध जगह बांध बंधा है नाथद्वारा के पास, वह जहां से निकलती है, उसके बाद डेढ़ सौ मील के बीच में कुल मिलाकर मातृ कुण्डया में एक स्थान है जहां फीडर के माध्यम से भीलवाड़ा मेजा नदी में पानी आकर उससे निश्चित रूप से सिंचाई बढ़ेगी। यह अच्छा कार्य हुआ, क्योंकि बनास नदी में पानी बेकार जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में, टौंक जिले में, सवाईमाधोपुर जिले में होते हुए वह पानी आगे जाकर चम्बल नदी में मिलता है। मैं सबसे पहले राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी परियोजना किस प्रकार बन सकती है, इसका अनुसंधान करवाया जाय। अधिक से अधिक इन 3–4 जिलों के हजारों गांवों का भाग्य बदल सकता है यदि उसमें बेकार जाने वाले पानी का उपयोग किया जाय। इसके लिए व्यापक तौर पर सर्वेक्षण किया जाय। यदि इसकी परियोजना नहीं बन सकती है तो

(श्री रतनलाल ताम्बी)

फीडर जगह जगह बना करके जो गांवों में तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब हैं उनके जरिये भी गांवों को लाभान्वित किया जा सकता है। इस प्रकार की योजनाओं को भी इस रूप में देखा जाना चाहिए।

तीसरा मेरा यह निवेदन है कि इसी नदी पर जगह जगह इतने गहरे देह हैं जिन में लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम्स बहुत अच्छी बन सकती हैं, इसको बहुत ही सस्ती दरों में बहुत ही कम खर्चे पर तैयार करने की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। मगर इस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। मैं समझता हूं कि लिफ्ट रिगेशनइ स्कीम बनाने के बनास नदी में 10-15 ऐसे मौके हैं जहां की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बताने के मैंने समय समय पर राज्य सरकार को सुझाव भेजे हैं। उसकी तरफ भी राजस्थान सरकार का ध्यान जाय, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई जगह बड़े बड़े नाले हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भीमपुरा शक्करगढ़ एक क्षेत्र है जहां पर स्वर्गीय माननीय श्री मोहन लाल जी सुखाड़िया जब मुख्य मन्त्री थे तब उस गांव में गये। वहां पर 15–20 गांवों की जनता ने उसकी मांग की, तत्कालीन सिंचाई मंत्रीजी भी थे, उस समय उन्होंने भी इस मांग को स्वीकार किया और सर्वे करवा दिया। उसमें कुछ रुपया भी विभिन्न प्रकार से, अकाल राहत के अन्दर खर्च हो गया और बहुत काम उसमें हो गया...

श्री दाऊदयाल जोशी : जो योजनाएं उनके समय में हुई वह कभी पूरी होने वाली नहीं हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : ऐसी बात नहीं। उनकी योजना से राजस्थान चलेगा। ऐसी बात नहीं। बुनियाद में तो वह ही हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : उनके लिए बड़ा घाटा कर रहे हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : ऐसी बात नहीं, सब उनके प्रशंसक हैं।

श्री सभापति : आपस में नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की योजना, जो एक करोड़ रुपये की योजना है, से चार साढ़े चार हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है और जो 35–40 गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, बूंदी जिले के 4–5 गांव जुड़े हुए हैं, उन गांवों की जो आदिवासी प्रधान जनसंख्या है, जहां पर अधिकांश आदिवासी और सैनिक परिवार रहते हैं उनका भाग्य बदलने वाली योजना है। मुझे अफसोस है कि इतना रुपया लगाने के बाद आज उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जो शक्करगढ़ सिंचाई परियोजना भीमपुरा के पास स्थित है, को निश्चित रूप से इस योजना में लिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं, माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत यह चाहूंगा कि....

श्री दाऊदयाल जोशी : भीम सागर योजना, जो कोटा में महत्वपूर्ण योजना है, में कौड़ियां दे रही है सरकार।

श्री सभापति : विराज जायें। कृपया शान्ति रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि सिंचाई के मद पर हम विचार करने जा रहे हैं और सिंचाई मन्त्री जी मुझे तो ट्रेजरी बैंचेज पर नजर नहीं आते, ये तो सी. ए. डी. के मन्त्री हैं जिन्होंने हमारी सी. ए. डी. को डुबो दिया कोटा में। हम छातियां कूट रहे हैं इस सी. ए. डी. के नाम को ले-ले करके।

श्री चन्दनमल बैद : डुबा नहीं दिया तिरा दिया। आपको परेशानी यह हो रही है कि आपके वोट कट गये। अब आप जीत कर नहीं आओगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : चन्दनमल जी साहब. आप तो कोटा के दुश्मन हो।

श्री चन्दनमल बैद : सी. ए. डी. का इतना अच्छा इन्तजाम किया......

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने सारा सत्यानाश कर दिया।

श्री चन्दनमल बैद : बता दिया आपको। अब जीतकर नहीं आओगे। लोग अब आपको वोट नहीं देंगे, चन्दनमल को वोट देंगे। आप अपने लिए चिल्ला रहे हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान विधान सभा में कोटा से 9 में से 7 विधायक हमारे हैं इसलिए हमारे कोटा जिले की महत्वपूर्ण योजना को आप खा गये। आप उस सारे पैसे को खा गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : यह कोटा के ही दुश्मन नहीं हैं पूरे राजस्थान के किसानों के भी दुश्मन हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपके निर्वाचन क्षेत्र से अब आप चुनकर आने वाले नहीं। आप बड़े किसान बन रहे हैं। खड़े होने के लिए मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में आ जाना आपकी जमानत जब्त हो जायेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : चन्दनमल जी साहब, कोटा की जनता आपको कभी नहीं भूल सकती। आप कोटा गये नहीं. मोहनगढ़ गये और मोहनगढ़ से वापस लौट कर आ गये।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य, महाराम जी, आप आ जाना मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में खड़े होने के लिए, आपकी जमानत जब्त हो जायेगी। बड़े किसान बनते फिरते हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसीलिए तो यह कह रहा हूं। मैं निवेदन......

श्री महाराम चौधरी : आप पधारे हो तो आपने नागौर को लिफ्ट योजना में इन्क्लूड नहीं करके किसानों के साथ में बड़ा अन्याय किया है।

श्री चन्दनमल बैद : अन्याय उन्होंने

(श्री चन्दनमल बैद)

किया है, आपके विरोधी दल के नेता ने। आपके विरोधी दल के नेता ने किया है। उनसे पूछते कि उन्होंने क्या प्रस्ताव पास किया था। आज मैं वह प्रस्ताव पढ़कर सुनाऊंगा। उनसे कहो, मुझसे मत कहो। मैंने तो उसको पुनर्जीवित किया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमान् चंदन मल जी, सी. ए. डी. मन्त्री महोदय, मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं कि आप आइये कोटा जिले में, आपका × × × स्वागत नहीं किया जाय, आपको काले झंडे नहीं दिखाये जायें तो हमारा नाम बदल देना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराज जायें।

श्री मोहनलाल मोदी : नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप तो विराजें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, सब जानते हैं उनके सीने में दर्द है। कोटा जिले का, कोट, बूंदी, झालावाड़ का चन्दनमल जी ने जो सत्यानाश किया है उसको हम कभी नहीं भूल सकते।

श्री सभापति : माननीय श्री दाऊदयाल जोशी, आप कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री चन्दनमल बैद : वापस नहीं आओगे विधान सभा में। ये एक एक सब हारेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई माई का लाल दाऊदयाल को हराने वाला नहीं है। इस हाउस को चैलेन्ज है, राजस्थान के मुख्य मन्त्री सहित चन्दन मल जी को चैलेन्ज है कि आओ, मेरे सामने चुनाव लड़कर देखो × × ×

श्री चन्दनमल बैद : हमारा कांग्रेस का आदमी ही आपको हरायेगा। कांग्रेस ही आपको हरायेगी। मुझे क्या बोलते हो, हमारा कार्यकर्ता हरा देगा आपको।

श्री दाऊदयाल जोशी : अरे मेरा चैलेंज है, आपके मुख्य मन्त्री को चैलेंज है कि दाऊदयाल के सामने लड़कर देखो।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण। दाऊदयाल जी जोशी। माननीय सदस्यगण। श्री हेमाराम चौधरी, बैठे बैठे नहीं।

मुझे बहुत अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि माननीय सदस्यगण जो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत गम्भीर वातावरण में वाद विवाद चल रहा है उसमें अनावश्यक रूप से व्यवधान डाल रहे हैं। माननीय श्री दाऊदयाल जोशी, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत संयत ढंग से, संतुलित मन से दूसरे की बात को सुनने का कष्ट करेंगे। मेरा आप से यह बहुत अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है। माननीय सदस्य, विराजें। कृपया बिराजें। आप बैठे-बैठे नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : दाऊदयालजी हार नहीं सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराज जायें।

× × × शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि किसानों से सम्बन्धित हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं रख रहा हूं उसमें इस प्रकार बीच में व्यवधान डालकर मेरे महत्वपूर्ण सुझाव को····

श्री सभापति : आप अपनी बात कहें, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में अभी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के आज जो चयन करने की प्रक्रिया है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। सौभाग्य से भीलवाड़ा जिले में दो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां आज के दिन सबसे अधिक सरप्लस पानी है। एक निर्वाचन क्षेत्र को तो यह सौभाग्य प्राप्त हो गया कि लगभग वहां जितना सरप्लस पानी है वह विभिन्न योजनाओं के जरिये करीब-करीब टैक्स हो गया और उसके बाद यदि माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय मेरे जहाजपुर क्षेत्र की सारी योजनाओं को देख लें, 19 सिंचाई परियोजनाओं का किसी न किसी न किसी प्रकार से सर्वे हो चुका है या किसी न किसी प्रकार से अकाल के कार्यों के अन्तर्गत या अन्य योजनाओं के अन्तर्गत उन पर रुपया लग चुका है। इस वर्ष भीलवाड़ा में 70 लाख रुपयों के करीब का प्रावधान है। उनमें से जो सर्वाधिक, मैं निवेदन कर रहा था दो निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं उसमें एक है मांडलगढ़ और एक है जहाजपुर और 69 पाइन्ट कुछ लाख रुपया मांडलगढ़ क्षेत्र में माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय ने प्रावधान किया है और 8 पाइन्ट कुछ लाख रुपया मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर में प्रावधान किया है। इस तरह इन दोनों क्षेत्रों के प्रति, जो यहां सिंचाई की सम्भावनायें हैं उस ओर आपका ध्यान तो गया, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। किन्तु मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस क्षेत्र में क्षमता मौजूद है और जहां 60 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट, शिडयूल्ड् ट्राइब सैनिक परिवार उस इलाके में है और सर्वाधिक उस इलाके में हैं इसके लिए आप एक विशेष जांच करवा कर देख लें। तो मैं यह कह रहा हूं कि काफी सिंचाई योजनायें उस क्षेत्र में हैं. उन पर किसी न किसी रूप में रुपया लग गया है, वे योजनायें जनोपयोगी हैं, उस इलाके के भाग्य को बदलने वाली हैं। इन योजनाओं पर आपने छः करोड़ रुपया मात्र लघु सिंचाई योजनाओं पर रखा है। मेरे क्षेत्र की एक योजना शक्करगढ़ की है जिसका मैं निवेदन कर रहा हूं वह शायद मध्यम सिंचाई योजना के रूप में मानी जायेगी, क्योंकि एक करोड़ के करीब लागत आयेगी। मुझे मालूम नहीं कि आप मध्यम कितने की मानते हैं आजकल और बकाया जितनी भी योजनायें हैं वे 25-30 लाख से 7-8 लाख के बीच की योजनायें हैं। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं, क्योंकि सौभाग्य से सिंचाई मन्त्री महोदय स्वयं किसान वर्ग से आते हैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 95 प्रतिशत किसान रहते हैं और उसमें शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के गरीब लोग हैं, यदि आपकी कोई भी सहानुभूति उनके प्रति है तो चाहे तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आप

× × ×अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 124

(124)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

एक दो दिन के लिए पधारें अपने अधिकारियों के साथ, आप इन योजनाओं को देख लें और इसके बाद आपका ध्यान जाएगा। मैं निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा और आशा करके चलता हूं।

इसके साथ-साथ दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के पास अजमेर जिले की केकड़ी तहसील में जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर आगे बसून्नी बांध बना है उस बाध के बनने से मेरे क्षेत्र के सात गांवों की जनता का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए संकट में पड़ गया है। वह संकट इस कारण से पड़ा कि पहले नाले से सीपेज के जरिये बराबर पानी चलता था, सारे कुओं में से जा रहा था। बांध बनने के बाद, इस बांध का इस ढंग से चयन किया गया था, निर्मित किया गया था, जब आरम्भ में सर्वे प्रारम्भ हुआ, शिलान्यास हुआ तो मैं भी गया था और हमारे इलाके के हजारों किसान भी वहां पर गए थे इस आशा और उम्मीद के साथ कि इसकी नहर हमको मिलेगी। पर इस ढंग से बांध बन गया कि उसका लाभ हमको नहीं मिला, उसका उल्टा सेजा सूखने से आज छ: सात गांवों की जनता संकट में पड़ गई है। मैंने इस सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन भी किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने इस प्रश्न को बहुत गम्भीरता से लिया और इसके लिए मेरे ही सामने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिये हैं। अब उन निर्देशों का कितना पालन होगा यह तो समय ही बतायेगा पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी योजना को, जो चालू आपने कर रखी है, को, अगर आप पांच फीट और रेज कर दें और मेरे क्षेत्र के पास में. पड़ोस में होकर जो नहर निकल रही है इसका लाभ उन गांवों को भी मिल जाय तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना बड़ी लाभकारी है बसुन्दनी बांध की। मेरे इलाके के पास के क्षेत्र का पानी उस इलाके में होकर जाने वाला पानी वह आज सारा का सारा जो पड़ोस के इलाके को लाभ मिल रहा है हमारे लोग तरसते हैं, देखते हैं, उस लाभ का कुछ हिस्सा आपकी कृपा से हमारे इलाके को भी मिलेगा, यह मैं आशा करके चलता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में वर्तमान में आपके 17 वृत्त और 59 खण्डों के माध्यम से सिंचाई विभाग संचालित है। मैं बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं राज्य सरकार को कि आपके कई वृत्त और उपखण्ड जहां पर काम नहीं है वहां पर बेकार चल रहे हैं, वेस्टेज हो रहा है। इसलिए आप एक बार फिर से देखिए कि जहां पर काम है वहां पर आप इन वृत्तों और खण्डों को आप फिर से विभाजित कीजिए। मैं निवेदन करना चहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में जहां की मैं बात कर रहा था, आप पूरे अधिकारियों से मालूम करें लें कि सर्वाधिक पानी, नदी नाले वहां पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वे और इन्वेस्टीगेशन का पहले से भीलवाड़ा में आपका दफ्तर बैठा हुआ है, आप देख लीजिए वह क्या काम कर रहा है। पिछले दो तीन साल का आप उनका अध्ययन करवा लीजिए कि वह क्या

(श्री रतनलाल ताम्बी)

काम कर रहे हैं। इसका हैडक्वार्टर तत्काल आप जहां सर्वाधिक योजनायें मौजूद हैं जहाजपुर में, वहाँ आप लगा दें और साथ ही आप उसको निर्देश योजनाएं बनाने के दें तो निश्चित रूप से योजनायें तैयार होंगी एक तो मेरा यह निवेदन है।

दूसरा आज के दिन सर्वाधिक हमारे पास योजनायें हैं, तालाब हैं इसके बाद कोई ए. ई.एन. का आफिस नहीं है जिसकी कई वर्षों से मैं मांग कर रहा हूं कि जहाजपुर में आपका नियमित ए, ई.एन. का आफिस होना चाहिए। अभी शाहपुरा के अन्तर्गत लगा रखा है जहां न कभी ए. ई.एन. साहब पूरे आते हैं, न वहां के तालावों का रख-रखाव, देखरेख होती है, इसलिए हमारे इलाके की जनता में बड़ा भारी असंतोष है। आप इस बात का भी निरीक्षण कीजिए और निश्चित रूप से दोनों ए. ई.एन. के हैडक्वार्टर आज के दिन जहाजपुर में आवश्यक हैं, इस तरफ भी आपका ध्यान जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं कुछ बातें आपके सामने रख कर जल्दी समाप्त करने वाला हूं। थोड़ा सा मैं निवेदन और करूंगा।

मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है, आपकी जो सिंचाई विभाग की वसूली है पिलाई की, वह आप राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली कर रहे हैं। मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आपकी पिलाई में बहुत बड़ा लीकेज हो रहा है। आपकी पिलाई पूरी दर्ज नहीं होती है और राजस्व विभाग के पटवारी और किसानों की मिलीभगत से आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपकी सिंचाई विभाग की एजेंसी, आपके जिलेदार, आपके पटवारी जैसी आपकी व्यवस्था थी, एक दो तहसीलों में या दो तीन तहसीलों को मिला कर आपके पटवारी और जिलेदार ये एक तहसील में या तहसीलों को मिला कर जैसा आपका मानस हो, उसके आधार पर विभागीय एजेंसी के द्वारा ही सिंचाई की वसूली और सिंचाई दर्ज करने की प्रक्रिया आजमा कर देख लें, बहुत बड़ा आपको नुकसान हो रहा है। इस दिशा में मैं सुझाव देना चाहूंगा।

इसके अतिरिक्त मोटे तौर से जो मैंने आपसे निवेदन किया कि एनीकट की तरफ आपके विभाग का ध्यान बिल्कुल नहीं है। एनीककट को आप वेस्टेज मानते हैं और प्रत्यक्ष रूप से मैंने अपने इलाके में माडा स्कीम के एनीकट देखे हैं, पहले जो फेमिन के अन्तर्गत बने हैं मैंने उनको देखा है और एक एनीकट जिसका नाम मैं आपको दे रहा हूं जहाजपुर नागदी नदी जो प्राकृतिक रूप से राजा जन्मेजयजी ने नाग यज्ञ किया था उससे नागदी नदी निकली है वह बारहों महीनों प्राकृतिक रूप से हमेशा बहने वाली नदी है जिस पर दो हजार एकड़ जमीन कण्टीन्यूअस सिंचाई होती है। इस तरह की जो योजना है उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : नाम क्या बताया?

श्री रतनलाल ताम्बी : नागदी पिकअपवियर जहाजपुर नगर।

मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो आपकी पुरानी योजनायें हैं चाहे नागदी बांध हो, चाहे नागदी पिकअपवियर हो, उनकी कैनाल्स को आप जाकर देख लें, उनकी हालत बहुत खराब हैं, जगह-जगह टूटी पड़ी हैं। कहीं उसमें कलवर्ट नहीं है, जगह-जगह पानी बह कर जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले जन सम्पर्क अभियान में उन गांवों में गया, 10 घण्टे तक कीचड़ में जीप फंस गई, बड़ी मुश्किल से गाड़ी और बैल मंगवा कर मुझे निकलवाना पड़ा। यह स्थिति उन नहरों की हो रही है। तो जो आपका पानी है उसका सदुपयोग हो उसके लिए नहरों की लाइनिंग वाली प्रक्रिया को आपने इन दिनों में शिथिल कर दिया, उस ओर भी आपका ध्यान जायेगा।

और इसके साथ साथ अन्त में मेरे क्षेत्र के तीन चार और सुझाव हैं। वर्तमान में जो बांध है, एक है नागदी बांध, एक है हमारा धांधोला एक है बारला पोलिया, एक अमरगढ़, एक ढीढोड़ा और एक खेरूना, ये जो योजनायें हैं हमारी वर्तमान में, ये योजनायें पहली बरसात में ही जहाजपुर क्षेत्र में भर जाती हैं यह आप अपने रिकार्ड से तसल्ली करवा लें और उनको रेज करने का मामला हम कई वर्षों से निवेदन करते आ रहे हैं। इसकी सिंचाई क्षमता बढ़ सकती है तो उस ओर भी और आधुनिकीरण के नाम से उनको वापस आप सर्वे करवा लें, उनका विकास करके वर्तमान में जो क्षमता है उससे दुगुनी और तिगुनी बढ़ाई जा सकती है। सौभाग्य से मेरे निर्वाचन क्षेत्र का साठ प्रतिशत जो भाग है वह पहाड़ी भाग है। उसमें नदी नाले बहुत हैं। कुछ मेवाड़ गवर्नमेंट के टाइम की सिंचाई योजनायें बनी हैं, कुछ राजस्थान निर्माण के बाद सिंचाई योजनायें बनीं, उनका समुचित रूप से विकास किया जा सके, आधुनिकीरण किया जा सके इस ओर भी आपका ध्यान जायेगा।

तो अन्त में मैं आपसे फिर से पुरजोर शब्दों में निवेदन करते हुए जो मैंने आपसे निवेदन किया मेरे क्षेत्र की सम्भावित सिंचाई योजना को आप तैयार करवा लें, विशेष योजना बनाने के लिए उस क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने का, ए.ईएन. सर्वे और ए.ई.-एन. रेगुलर का आफिस वहां कायम करके उस क्षेत्र में सिंचाई की जो सम्भावनायें हैं उस ओर आपका ध्यान जायेगा इस आशा और विश्वास के साथ दो लाख जनता की जो सबसे महती माँग है, अभी जन सम्पर्क अभियान में मैं जिस किसी गांव में गया, तालाब और सिंचाई योजनाओं की माँग की, कृपा करके आज के भागीरथ तो हम आपको ही मान सकते हैं, सिंचाई विभाग के मन्त्री महोदय, आपका ध्यान निश्चित रूप से इस ओर जायेगा। वैसे मैं यह निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो एक मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं साहब।

9·51 लाख हैक्टेयर सिंचाई वैसे आपने 83-84 में राजस्थान में अतिरिक्त की है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चाहे आप उनकी कितनी ही बुराई कर लें पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान नहर मन्त्री महोदय ने अपना विभाग में पिछले दो

(श्री रतनलाल ताम्वी)

वर्षों से पूरी तल्लीनता से लग कर राजस्थान नहर को सुदूर रेगिस्तानी गांवों में पीने के पानी के दर्शन सुलभ नहीं वहां पानी दिया है। आप चाहे उनसे कितना ही नाराज हो लें, लाखों आदमी आज दुआएं दे रहे हैं और इन मन्त्री महोदय को मैं बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान नहर जिसके बारे में कई बातें मरे सामने आती थीं, जैसी इनकी आदत है स्ट्रिक्टनेस अपना कर घपलेबाजी भी कम हुई है, योजना भी सुन्दर ढंग से चली है, मैं स्वयं दो बार कमेटी मेम्बर की हैसियत से देख कर आया हूं, पूर्वी राजस्थान के भाई पता नहीं क्यों नाराजगी दिखाते हैं पर मैं भी व्यक्तिगत इनके कार्यों के बारे में भी मैं, इनके रूखेपन पर नाराज हो सकता हूं, यह कमी हो सकती है परन्तु जिस निष्ठा और ईमानदारी से राजस्थान के किसानों का भला किया है···

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं।

श्री तनलाल ताम्बी: इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार यह जो योजनाएं मैंने आपको निवेदन की हैं उन पर आप कृपा करेंगे। और जो हमने अतिरिक्त 9·51 लाख हैक्टेयर सिंचाई राजस्थान में की है उससे मेरे क्षेत्र में एक हैक्टेयर सिंचाई की भी वृद्धि नहीं हुई है इसलिये आप संभावनाएं मौजूद होते हुए, इतने प्राकृतिक साधनों के उपलब्ध होते हुए उनका किस प्रकार उपयोग कर सकें यह निवेदन करता हुआ मास्टर प्लान बनाने के लिये राजस्थान सिंचाई स्रोत विकास निगम, आपने पता नहीं क्या बनाया, उसका कितना क्या उपयोग है, किस ढंग का है यह मैं नहीं कह सकता परन्तु इसका एक निगम बना कर सारी योजनाओं को मास्टर प्लान के जरिये इस ढंग से हर क्षेत्र को प्रकाशित करके योजनाबद्ध ढंग से चलायेंगे तो निश्चित रूप से योजनाएं पूरी होंगी और जैसा मैंने निवेदन किया, अन्त में यही कहूंगा कि जो योजना हाथ में लें उसको निश्चित समय में उतनी ही योजना हाथ में लें जिसको पूरा कर सकें। मंथर गति से 9 दिन में ढाई कोस चलने की चाल से नहीं चलायें ताकि राजस्थान की जनता में आशा और विश्वास बढ़े और इसका लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री नानूराम कुमावत।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) : सभापति महोदय, मांग सं 46 सिंचाई की आज हम डिमांण्ड पास करने जा रहे हैं। इससे राजस्थान के हर किसान के भाग्य का फैसला होगा। यह बात भी हो सकती है कि जो आज डिमाण्ड हम पास करेंगे उससे हमारे राजस्थान के किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके बारे में 2–3 सुझावों के बारे में आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस मामले में मैंने लास्ट ईयर भी सिंचाई की डिमाण्ड पर 2–3 सुझाव दिये थे उस समय अध्यक्ष

(श्री नानूराम कुमावत)

महोदय ने भी इस बात का समर्थन किया कि जहां जहां पर बान्ध बन जाते हैं, डैम बन जाते हैं उन नदियों के ऊपर जो नीचे का इलाका पड़ता है उस जगह का एरिया सूख जाता है। इसके लिये मैंने एक सुझाव दिया था कि वहां पर नीचे के क्षेत्र का जो एरिया सूख जाता है उस जगह पर एनीकट्स बनाये जायं ताकि नदियों के दोनों किनारों पर किसान लोग हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। ऐसा एक मैं उदाहरण देते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक पडासोली का एनीकट बना। सभापति महोदय, इस एनीकट से करीब 60 गांवों को लाभ मिला। आज वहां पर कुओं का जल स्तर, अण्डर ग्राउण्ड वाटर करीब 25–30 फीट इस एनीकट की वजह से ऊंचा आ गया। इसलिए मैं फिर दुबारा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां जहां राजस्थान में डैम बने हैं उनका नीचे का एरिया सूख गया है वहां वहां इस प्रकार के एनीकट बना दिये जायं ताकि उन किसानों को भारी लाभ हो जाय। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में ही जिस एनीकट से फायदा हुआ उसके लिये मैंने कहा और मैं उसके ऊपर हमारे सिंचाई मन्त्री जी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि मैंने जब आपको कहा था और जब फेमिन का काम चल रहा था उस समय मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारियों को कहिये कि इसका प्लान बना कर इस काम को चालू करो और आपने हमारी बात को माना और उस काम को पूरा करा दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

साथ ही मैं 2–3 सुझावों के तौर पर एक और निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि राजस्थान का एक मास्टर प्लान बनाया जाय और उसके आधार पर इस काम को चालू किया जाय। जैसा कि जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भीलवाड़ा जिले को आपने ध्यान में रखा और वहां पर पैसा दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पैसा केवल दो कास्टीट्यूएंसी में ही दिया। वहां पर तो 8 कास्टीट्यूएंसीज हैं, थोड़ा-थोड़ा अगर दूसरी कास्टीट्यूएंसीज में भी दे देते तो सब जगह काश्तकारों को फायदा मिलता। इसलिये दूसरी जगह भी आपको थोड़ा देना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया......

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कौन सी है, नाम तो बता दीजिये।

श्री नानूराम कुमावत : जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र कर दिया आप प्रोसिडिंग्स देख लें, आपको तसल्ली न हो तो...

श्री दाऊदयाल जोशी : मुख्य मन्त्रीजी की तो नहीं हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी।

Page No 129

(129)

श्री मेघराज तावड़ : आप सही बात बता दीजिये ।

श्री सभापति : विराजें कृपया, तावड़ साहब ।

श्री नानूराम कुमावत : सभापति महोदय, इनकी आदत पड़ी हुई है, बीच में चिल्लाते हैं ।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये । माननीय सदस्य, कृपया बैठे-बैठे नहीं ।

श्री नानूराम कुमावत : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इसलिये माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं हालांकि कुछ माननीय सदस्य जान बूझकर मन्त्रीजी से नाराज हो जाते हैं, नाराज रहते हैं और इस वास्ते मैं भी नाराज हो सकता हूं कि उनका व्यवहार थोड़ा तेज है । व्यवहार तो तेज है लेकिन काम के मामले में कहना चाहिये कि बहुत होशियार हैं इसमें कोई दो राय नहीं । मैं आपको उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि मेरे यहां पर पीने के पानी की प्राब्लम हो गई थी तो मैंने आकर इन्हें कहा कि माननीय मन्त्री महोदय, मेरे यहां पर हालत खराब है तो उसी वक्त इन्होंने तीन दिन में व्यवस्था की । इसलिये व्यवहार इनका रूखा हो सकता है लेकिन काम के मामले में तेज हैं यह बात सही है ।

एक माननीय सदस्य : टिकट की चिन्ता लग रही है ।

श्री नानूराम कुमावत : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो अपने राजस्थान में पानी बेकार जा रहा है, बह रहा है उस पानी को रोका जाय और किसानों के खेतों तक उस पानी को पहुंचाया जाय ताकि किसानों की माली हालत सुधरेगी, किसानों का जीवन ऊंचा उठेगा यह खास तौर से कहना चाहता हूं । दूसरी चीज, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां डैम बने हुए हैं वहां इन्होंने जो कमाण्ड एरिया घोषित किया यह इन्होंने उस समय ध्यान नहीं रखा कि यह पानी डैम में कितने एम. सी. एफ.टी. है, कितने एकड़ में पानी जा सकता है और कितना लम्बा पानी जायेगा, कितना खर्चा होगा और कितना विस्तार हो जायेगा । इसका इन्होंने ध्यान नहीं रखा, इसके बारे में उदाहरण देकर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी डैम बने हुए हैं उनका दुबारा सर्वे करवाया जावे जैसे हमारे भीलवाड़ा जिले की आसीन्द तहसील में खारी डैम बना हुआ है उसका कमाण्ड एरिया इन्होंने पहले रूपावाली तक घोषित कर दिया फिर रूपावली से काट कर हाजियास और बांकड़ा तक रखा जाय और हाजियास बांकड़ा तक पूरा पानी जा नहीं सकता जैसा कल भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आये वे कि कमाण्ड एरिया नीचे तक ले लिया है और ऊपर की जमीन पूरी सोइल नहीं होती थी इस वजह से यह पानी नीचे चला जाता है और आज इस वजह से [illegible] जमीन पड़ी लग गई और [illegible] वैसे ही रह जाते हैं

(श्री नानूराम कुमावत)

इससे काश्तकारों को दो तरह से नुकसान हो रहा है। सभापति महोदय, काश्तकारों को नुकसान यूं हो रहा है कि जहां पर कमाण्ड एरिया घोषित किया गया है, उस कमाण्ड एरिया के तहत उस इलाके में काश्तकारों को जमीन अलाट होती है तो 400/450 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से काश्तकारों को पैसा जमा कराना पड़ता है। दूसरी तरफ से इरिगेशन डिपार्टमेन्ट पानी नहीं पहुंचा सकता है। केवल एक पिलाई, दो पिलाई, तीन पिलाई से ज्यादा पिलाई नहीं हो सकती है। इसलिये काश्तकारों को बहुत मार पड़ती है। इसलिये जितना लम्बा कमाण्ड एरिया हो गया है उसको कम किया जाये और डैम के नजदीक हैं उसको कमाण्ड में घोषित किया जाये ताकि काश्तकारों को पूरा पानी मिलेगा और काश्तकारों की माली हालत सुधरेगी। अगर, सभापति महोदय, इस प्रकार से इसको काटा नहीं गया तो ऊपर के काश्तकारों को पानी कम मिलेगा और नीचे के काश्तकारों को भी पानी कम मिलेगा। दोनों तरफ के काश्तकार मारे जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है, मन्त्री महोदय, कि इसका दुबारा सर्वे करवा कर जो लम्बा कमाण्ड एरिया घोषित हो गया है उसको नीचे से काटा जाये और ऊपर के कमाण्ड को बरकरार रखा जाये ताकि किसानों को पूरा पानी दिया जा सके, ताकि काश्तकारों की माली हालत सुधारी जा सके। एक बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता था।

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां पर डैम बन गये हैं वहां पर नहरें आज दिन तक कच्ची पड़ी हैं। उसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी हुई हैं। इस वजह से, जो इन के पास, जो इस डैम के अन्दर पानी है, केपेसिटी है, हम 10 हजार एकड़ जमीन को पानी पिला देंगे, लेकिन दस हजार एकड़ जमीन पानी नहीं पी सकती है क्योंकि नहर कच्ची होने की वजह से सारा पानी जमीन के अन्दर चला जाता है, खेतों में नहीं पहुंच सकता है। इस वजह से मेरा निवेदन है कि कम से कम पुराने जो डैम पड़े हुए हैं, उसमें आप एक-एक कैनाल को लें, उसके ऊपर माडर्नाइजेशन की स्कीम लागू की जाये और वहां के धोरे और कैनाल को पक्का किया जाये ताकि काश्तकारों को तीन पिलाई मिलती होगी तो आटोमेटिक पांच पिलाई मिलने लग जायेगी और काश्तकारों की माली हालत सुधरेगी। उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय, आपने लास्ट ईयर जो फेमिन का काम चल रहा था, उस समय हमारे भीलवाड़ा जिले में दो जगह एक सरेड़ी बड़ी और एक खारी डैम पर तीन, तीन लाख रुपये दिये थे। इन तीन, तीन लाख की वजह से वहां पर उन्होंने आदर्श धोरे बनाये और उन आदर्श धोरे से काश्तकारों को इतना बड़ा फायदा हुआ कि एक बूंद पानी खराब नहीं हुआ और उसके ऊपर 10–12 पिलाई हुई। इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल भी आप शाम को रिप्लाई दें तो कम से कम हमारे को 10 लाख रुपया खारी डैम पर और दिलाया जाये ताकि दो-तीन धोरे और पक्के

(श्री नानूराम कुमावत)

हो जायें। लम्बे लम्बे जो धोरे हैं वे पक्के हो जायें तो वहां पर किसानों की माली हालत सुधरेगी, किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और वहां पर लोगों को फायदा मिलेगा। यह बात मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक पाइंट और है। मैं एक बात और यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, कि इस प्रकार मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, आपने हमारे भीलवाड़ा जिले का ध्यान रखा है, लेकिन सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरह से भीलवाड़ा जिले में आपने जो फेमिन का काम चलाया था, उस समय एक कण्टालिया डैम, आसीन्द में यह कण्टालिया बांध है, के ऊपर आपने मन्जूरी करवायी थी। उसके ऊपर करीब ढाई, तीन लाख रुपया खर्च हो चुका है और अभी तक वहां पर फेमिन में खर्च हुआ है। अगर इस साल के प्लान में वह आ जाता तो डैम बंध जाता और कम से कम 33 गांवों को और फायदा मिलता। इसलिये जब आप यहां पर रिप्लाई दें तो यह कण्टालिया बांध है, उसके ऊपर मेहरबानी करके थोड़ा पैसा प्लान में दिलाया जाये ताकि यह डैम इस साल बन जायेगा तो वहां पर काश्तकारों को फायदा लिलेगा। वह पहाड़ी इलाका है उस पहाड़ी इलाके में अगर बांध बन जाता है तो वहां के काश्तकारों को फायदा मिलेगा। इस प्रकार से आपने फेमिन के टाइम पर हमारे यहां पर भोजपुरा फीडर बनायी थी। उसमें काफी पैसा आपने लगा दिया है। उसमें इतना पैसा लग चुका है कि लास्ट ईयर वह फीडर कामयाब हो गयी है लेकिन, सभापति महोदय, उस फीडर में थोड़ा सा पैसा और मिल जाये तो उस साल वह जहां जहां कच्ची रह गयी है वह पूरा पक्का काम करवा लिया जाये। अगर वहां पक्का काम हो जाता है तो, 9 टैंक बन चुके हैं और इससे करीब 13 टैंक भरने की उम्मीद है। चार टैंक इससे और बन सकते हैं। इस साल सैंक्शन हुई है।

सभापति महोदय, एक बड़ी बात और हुई है। जो फेमिन में भोजपुरा फीडर बना उसमें करीब 13 तालाब पड़ते हैं। उसमें 9 तालब इस साल पूरे भर चुके हैं और 4 तालाब ऐसे रह गये हैं अगर इसमें थोड़ा सा पैसा लग जाये करीब 4/5 लाख रुपये की मन्जूरी हो जाये तो वह पांच तालाब नीचे के भर जायेंगे। इससे करीब 10/11 गांवों को फायदा होगा। इसके बारे में मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें और 4/5 लाख रुपया दिलाया जाये ताकि वहां पर काश्तकारों को फायदा हो सके।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही मैं एक-दो बात और निवेदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। वह यह है कि आपने हमारे यहां पर फेमिन के काम चलाये

(श्री नानूराम कुमावत)

लेकिन इसके अलावा प्लान में पैसा, एक पैसा आज तक नहीं मिला है। मेरी समझ में नहीं आता है, मन्त्री महोदय, खारी डैम बना हुआ है, करीब 25 साल हो गये, 26 साल हो गये, लेकिन इसके बावजूद जो दो बड़े डैम आसीन्द तहसील में भोजपुरा फीडर में और 165/166 टैंक्स इरिगेशन के हैं-उसके ऊपर आज तक प्लान का पैसा नहीं मिला। मेरी समझ में नहीं आता, इतने बड़े टैंक हैं, तालाबों से आपको रेवेन्यू कम मिलती है, लेकिन इन दो टैंकों से बहुत बड़ी रेवेन्यू मिलती है इसके बावजूद इस पर प्लान में पैसा नहीं मिला है। इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल हम को प्लान में पैसा दिलाया जाये, इन दो टैंकों, भोजपुरा फीडर पर पैसा दिलाने की कृपा करगे ताकि वहां पर किसानों को फायदा मिल सके, किसानों को राहत मिल सके, किसानों की माली हालत सुधर सके। यह बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 46 के संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग के विकास में, आगे बढ़ाने में सिंचाई विभाग का सब से बड़ा योगदान है, उसी मांग के सन्दर्भ में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस बजट को पास करने से पूर्व, इस मांग के सन्दर्भ में बोलने से पूर्व में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

आज राजस्थान की धरती चारों ओर से प्यासी है। नदियां बह रही हैं लेकिन सरकार द्वारा राजस्थान की सीमाओं पर बहते हुए पानी को रोक कर यहां की प्यासी जमीन को पर्याप्त मात्रा में पानी देकर अच्छी उपज लेने के प्रयास नहीं किये गये। मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्रयास किये गये हैं उनमें अभी तक हम को कुछ विशेष सफलताएं नहीं मिली हैं। यद्यपि इस बात को मैं कह सकता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय बड़े जागरूक हैं, चारों ओर चौकन्ने रहते हैं और सारे विभागों के ऊपर उनकी पूर्ण निगरानी रहती है और लेकिन समझ में नहीं आता कि उनके कार्यकाल में, इतने योग्यतम, विद्वान मन्त्री के पास सिंचाई विभाग के होते हुए भी हमारी छोटी, मध्यम और बड़ी योजनाओं में हम को सिंचाई में सफलता नहीं मिली है। इसके क्या कारण हैं, इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय बतायेंगे।

मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन-जिन क्षेत्रों में से नदियां निकली हैं, उन नदियों पर सिंचाई लिफ्ट योजना बनायें, छोटे बांध बनाये जायें और काश्त-कारों को अधिक से अधिक पानी दिया जाये। इसी सन्दर्भ में सवाईमाधोपुर जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जिले के काश्तकार नदी के कारण प्यासे हैं। काश्तकार प्रतीक्षा करता रहता है लेकिन पानी के अभाव में अपनी

(श्री हंसराज शर्मा)

खेती का उत्पादन अधिक नहीं कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में सिंचाई की योजना बनायी जानी चाहिए और बड़े बांध बनाये जायें। सवाल इस बात का है कि जहां पर इस प्रकार की योजना प्रारम्भ कर दी, उस योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उन पर विशेष निगरानी रखनी होगी। राजस्थान में बहुत बड़ा बजट हम सिंचाई विभाग में देते हैं और सिंचाई के नाम पर यहां पर उत्पादन होना चाहिए, अधिक उपज होनी चाहिए। जो पैसा आपके द्वारा विभाग को दिया जाता है विभाग के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है परन्तु जिन योजनाओं के लिए आप पैसा देते हैं उन योजनाओं में आपका रख-रखाव ठीक नहीं है, और रख-रखाव नहीं होने की वजह से जिस बजट का जिस स्थान पर उपयोग होना चाहिए उसका उपयोग नहीं हो पाता और कुछ अधिकारीगण उसमें थोड़ा सा लिप्त होने की वजह से उसका दुरुपयोग करते हैं। मैं उदाहरण के रूप में आप से निवेदन करना चाहूंगा कि पांचना प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर जिले के सन्दर्भ में, माननीय मन्त्री महोदय, मैंने गये सेशन में भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और अब पुराने बिन्दुओं को छोड़कर नये बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस समय प्रोजेक्ट बना एक करोड़ 3 लाख का एस्टीमेट था उसके बाद 10 करोड़ का खर्चा हुआ और बढ़ते-बढ़ते जिस समय वह पूरा होगा, मेरा ऐसा अनुमान है कि वह पांचना प्रोजक्ट आपका 30 करोड़ का जाकर तैयार होगा। जो पांचना प्रोजक्ट आपने बनाया और उसका एक्टेन्शन किया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से, राज्य सरकार से, संबंधित विभाग से, तकनीकी विभाग से जानना चाहता हूं कि इसकी एक्सटेन्शन की स्वीकृति किस आधार पर दी, इसकी स्वीकृति कब मिली और यदि स्वीकृत नहीं मिली तो आपने किन नियमों के अन्तर्गत एक्सटेन्शन किया। जब आपके पास एक्सटेन्शन करने की स्वीकृत नहीं आयी तो किन के आदेश से यह किया? क्या यह सही है, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस अधिकारी ने इस बांध को बनाया था वह 40 फीट 45 फीट की हाइट के लिए बनाना था और 45 फीट की हाइट के लिए जो एस्टीमेट 1 करोड़ 3 लाख का था वह बढ़ते-बढ़ते आपका 10 करोड़ रुपये खर्च हो गये और आपने 45 फीट से एक्सटेन्शन कर 85 फीट कर दिया। यह जो 85 फीट आपने किया इसकी स्वीकृति कब ली और यदि आपने स्वीकृति इसकी नहीं ली तो उसका पैसा किसने खर्च किया किस आधार पर किया। इस मामले में घोटाले हुए हैं। इस सन्दर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गये साल भी आपसे निवेदन किया था कि बन्ध बनाने से पहले जो नदी थी उस नदी का बहाव रोका गया है और नदी पर जो बांध बनाया जाता है उसका लेवल लिया जाता है उसमें लेवल नहीं लिया गया और बांध की मिट्टी पूरी करने के बाद उसका लेवल लिया गया। इस प्रकार करोड़-लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है। इसके साथ साथ मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन किया था वहां जो भी काश्तकार को मुआवजा दिया गया है उसमें घोटाला हुआ है। उस सन्दर्भ में भी मैंने

श्री हंसराज शर्मा

निवेदन किया था। वहां की जमीन की मिट्टी का जो हार्ड सोइल सोफ्ट सोइल का जो डिफरेन्स था उसके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था और आपने कहा था कि इसकी जांच करायेंगे और जांच करने के बाद दोषी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गये साल में आपने क्या कार्यवाही की। हमको तो मालूम ही नहीं कि आपने कोई कार्यवाही की है या नहीं। और यदि कार्यवाही की है तो कम से कम अवगत तो करायें। और यदि कार्यवाही नहीं की तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप कार्यवाही करने में या उनके खिलाफ एक्शन लेने में किन्हीं कारणों से सक्षम नहीं हैं। जिस अधिकारी ने, जे. ईएन. से लेकर अधीक्षण अभियन्ता की पूरी की पूरी पार्टी ने जिस पांचना बांध पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया था उसको आपने क्या पनिशमेन्ट दिया? आपने राजस्थान कैनाल में ट्रान्सफर कर दिया। राजस्थान कैनाल में उस अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता और उस कान्ट्रेक्टर ने करोड़ों रुपये का काम किया। इधर पांचना का पाटिया तो बैठा दिया परन्तु, मन्त्री महोदय अब उधर राजस्थान कैनाल में तो पाटिया मत बैठावो। आपका यही मात्र एक्शन लेना है क्या? जिनके खिलाफ चार्ज साबित हुआ है और आपने स्वीकार किया इस बात को कि इनके खिलाफ जबरदस्त चार्जेज हैं और आप यह पनिशमेन्ट उनको देते हैं कि राजस्थान कैनाल पर जावो। यहां आपके विभाग में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जो इस प्रकार के कारनामें करते हैं, जो जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई खाते हैं उनको पनिशमेन्ट मात्र आपके यहां है तो राजस्थान कैनाल। आप माफ करें राजस्थान कैनाल को तो बख्शें, राजस्थान कैनाल तो वैसे ही अड्डा बनी हुई है, वहां तो सैंकड़ों की तादाद में हैं। सबको एक जगह इकट्ठा मत करो। पांचना प्रोजेक्ट के अन्दर जो दूसरी अनियमितताएं हुई हैं, आपको जब इस बांध के लिए यह कहा था कि यह कमजोर है तो आपने यह कहा था कि बांध की अच्छी स्थिति है, सन् 80 में भारी बरसात होने के बाद बांध को कोई खतरा नहीं है। मुझे यह बात सुनकर हंसी आती है। मन्त्री महोदय सन् 81 में बांध टूटेगा कैसे, बांध में कितना पानी आया, जब बांध भरा ही नहीं था तो टूटेगा कैसे। बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है, दूसरी बात यह है कि जो मिट्टी का सैम्पल है वह अच्छी तरह से नहीं लिया गया। इसके लिए भारत सरकार से पार्टी आयी थी, उन्होंने जांच की और जांच करने के बाद उसको सोफ्ट सोइल के अगैंसेट में हार्ड सोइल माना गया और उसकी इन्क्वायरी के लिए भारत सरकार ने जांच के लिए भेजा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कितना प्रतिशत हार्ड सोइल और सोफ्ट सोइल का था, वह आपके पास कब आया और आपने फिर क्या कार्यवाही की? क्या यह बात सही है कि केवल हार्ड सोइल का उपयोग किया और उसमें सोफ्ट सोइल का पेमेन्ट कर दिया गया। इसके साथ-साथ बांध के ऊपर अन्य बिन्दुओं की ओर ले जाना चाहूंगा कि बांध पर आपने इस बात के लिए कहा था, वहां पर बांध के नीचे जो

(श्री हंसराज शर्मा)

दीवार बनायी जाती है जिसको फिल्टर टो कहते हैं, उसमें एस्टीमेट में 'फिल्टर टो का था। फिल्टर टो का मतलब है खड्डा खुदेगा, बजरी भरेगी। उसका सारा पैसा उठा लिया गया, सारा पैसा खर्च कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं यह कितनी लागत का बना था और उसका भुगतान किस आधार पर हुआ। इसमें बड़े घोटाले किये गये हैं। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यहां पर जो यह बात कही कि हमारे विभाग ने मिट्टी की कुटाई की, कम्प्रेशर किया गया है। मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छः महीने में 85 फीट तक बांध की दीवार बनायी तो बांध की मिट्टी को रोलर किया जाता है, कम्प्रेशर से। छः इन्च की लेयर बनायी जाती है वह देखने के बाद 4 इन्च की रह जाती है। इस प्रकार से तीन रोज में एक फीट मिट्टी की लेयर बना सकते हैं तो छः महीने में 85 फीट को 4 इन्च की लेयर के आधार पर 255 दिन चाहिए। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 180 दिन मान लीजिये, आपने छः महीने कन्टीन्यू काम किया और एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, बराबर आपके विभाग की मशीनें, ठेकेदार और विभाग काम करता रहा तौ भी नहीं हो सकता। 85 फीट की मिट्टी को आपने किस आधार पर रोलिंग किया और किस आधार पेमेन्ट किया है? यह बिल्कुल फर्जी हुआ है। तकनीकी दृष्टिकोण से आप उसकी जांच करायें तो जो मिट्टी डाली गई है, बुलडोजर से मिट्टी डाली गयी वह सही नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा इस पांचना प्रोजेक्ट के अन्दर जो कैनाल है वह बहुत जल्दी तैयार कर दें। आपने यह भी कहा था कि 1984-85 पानी देने का प्रयास करेंगे। मन्त्री महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने इस कैनाल के ऊपर जो रेल्वे का क्रॉसिंग पुल बनेगा उसका पैसा कब जमा कराया और यदि आपने 12 लाख रुपया जमा कराया है तो काम कब चालू हुआ? और काम चालू नहीं हुआ तो, क्यों नहीं हुआ? क्या आपने इसकी जांच नहीं की? यदि जांच की तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इस बांध पर आप इतने पैसे का उपयोग कर चुके हैं, इसके बाद भी आज काश्तकारों को एक बूंद भी पानी नहीं दे रहे हैं तो आप यह बतायें कि नहर कब बनावेंगे? 33 प्रतिशत कैनाल बनायी है। लॉस्ट ईयर आपने कहा था कि आने वाले समय में योग्यतम आफिसर को लगायेंगे, बहुत जल्दी ही काम चलायेंगे। एक साल से काम क्यों बंद है, कैनाल पर काम क्यों नहीं हो रहा है, बांध पर काम क्यों नहीं हो रहा है? मन्त्री महोदय, मेरा चार्ज है इस बात का कि आपका विभाग जान-बूझकर नहर में पानी चलाना नहीं चाहता है न कैनाल बनाना चाहता है, वह जानता है कि यदि हमने पानी छोड़ा तो बांध निश्चित रूप से टूटेगा। तो सबसे पहले जैनियों के धार्मिक स्थान हिण्डौन को वह बांध तबाह करेगा, फिर बयाना को तबाह करेगा, भरतपुर को तबाह करेगा और राजस्थान के अन्दर ऐसी स्थिति होगी जो भयंकर प्रलय की स्थिति होगी। यह सारी कमियां हैं इसलिये आपके विभाग के जो अधिकारी हैं वे इस बांध को आगे बढ़ाने में बाधक बने हुए हैं और इस आधार पर बाधक बने हुए हैं।

(श्री हंसराज शर्मा)

कि जो टेक्नीकल अधिकारी दिल्ली ने यह बात कही कि इसका डिजाइन गलत बना दिया है, एक्सटेंशन आपने इसका गलत कर दिया है अगर आपने इसमें 85 फीट पानी भर दिया तो सबसे पहले करौली डूबेगा। सबसे पहले उन्होंने इस बात को कहा कि रोड डूबेगी और आज सारे इलाके में जितनी छोटी-छोटी पुलिया हैं सब समाप्त हो जायेंगी। आपने जल्दी में क्या किया ? अधिकारियों ने क्या किया ? तुरन्त शाबाशी लेने के लिये, अपने आदमी को बचाने के लिये, तुरन्त एक नया बांध बनाने की योजना बना ली और बांध के लिये 2 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति ले ली। कोई पूर्व स्वीकृति नहीं, आपसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। करौली को बचाने के लिये स्वयं हांडा साहब ने 2 करोड़ 50 लाख का नया एस्टीमेट बनाकर प्रस्तुत किया। करौली को बचाने के लिये नया बांध प्रारम्भ कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बांध बनाना चाहते हैं, जिस कार्य को पूरा करना चाहते हैं उसको पहले क्यों नहीं करना चाहते हैं। आपके विभाग पर ऐसी कौनसी विपत्ति आ रही है। पहले पांचना से काश्तकारों को पानी दिया जाय यह पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है इसका कारण यह है कि बांध निश्चित डूबेगा। आप सारी बस्तियों को डुबाने की दृष्टि से यह कर रहे हैं। मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने कहा कि कैनाल का काम जल्दी चालू कर देंगे। आप मुझे बतायें कि कब तक चालू कर देंगे, काश्तकार को पिलाई कब तक चालू कर देंगे, मेरा अनुमान है कि आज से 10 साल तक पांचना से एक बूंद पानी नहीं देने वाले हैं। मेरा चार्ज है आपके ऊपर कि राजस्थान की करोड़ों की सम्पत्ति का अधिकारियों ने घोटाला किया है और भयंकर घपला हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें और बांध का काम आरंभ करायें।

सभापति महोदय, इसी संदर्भ में मेरा एक निवेदन और है, और वह निवेदन यह है कि इस स्थान पर जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है, अभी पांचना के ऊपर काफी बिंदुओं पर मैंने निवेदन किया इसके साथ-साथ कुछ बातें और हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके यहां पर कान्ट्रेक्टर काम कर रहा था, लाहोती नाम का काम

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कर रहा था। आपके विभाग के पास थी मशीनें और किराये की एग्रो इण्डस्ट्रीज की थी, 57 मशीनें एग्रो इण्डस्ट्रीज की काम कर रही थीं उन 57 मशीनों ने जो काम किया, एग्रो इण्डस्ट्रीज की मशीनों और बुलडोजरों और ट्रेक्टरों ने जो काम किया वह 29 हजार घंटे काम किया उसका आपने 45 लाख रुपया अलग से दिया है। इसके अलावा आपके विभाग के पास दो रोलर, 10 ट्रेक्टर 10 ट्रक और एक कम्प्रेशर था। आपकी ये जो मशीनें थीं उनसे पांचना प्रोजेक्ट पर काम किया और उन्होंने जब प्रोजेक्ट पर काम किया तो 20 लाख का डीजल आयल खर्च हुआ और 45 लाख रुपया आपने मजदूरी का दिया और इस प्रकार इसके बाद ट्रेक्टर चला उन सारों का जो पेमेंट था वह आपने लिया नहीं। वह सारी मिट्टी आपके विभाग ने खोदी आपकी

(श्री हंसराज शर्मा)

मशीनों ने खोदी. आपने सारा भुगतान किया और सम्पूर्ण मिट्टी का 70 लाख के करीब पेमेंट कॉन्ट्रेक्टर को किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करें क मशीनों का 20 लाख रुपया डीजल आयल का दिया है, 45 लाख रुपया मजदूरी का दिया है तो इतनी बड़ी राशि को क्यों नहीं काटा गया। इसका कारण क्या है ? मेरा चेलेंज है कि किसी अधिकारी ने इस प्रकार की गलती की है कि पूरे का पेमेंट उसको कर दिया। इसमें 25 लाख के अडंगे का काम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आपने पर्याप्त समय ले लिया है।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इसी प्रकार चैनल का जो काम है, एग्रो इण्डस्ट्रीज के बुलडोज़रों से चैनल की खुदाई हुयी है। आपने कॉन्ट्रेक्टर को ठेके पर दिया खुदाई करके मिट्टी बंध पर डालनी थी वह काम आपके बुलडोजरों ने किया और आपने सारा पेमेंट लाहोती कॉन्ट्रेक्टर को कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम आपकी मशीनों ने किया, 1 लाख 75 हजार 600 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोद दी उसका पेमेंट लाहोती कान्ट्रेक्टर को कर दिया गया इसमें 30 लाख का घोटाला हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच करें और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का श्रम करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बहुत समय ले लिया है।

श्री हंसराज शर्मा : सारे काण्डों के बाद भी इतने चार्जेज लगाने के बाद भी, विधान सभा की कार्यवाही में आने के बाद भी आप लोगों के द्वारा जो कार्यवाही की गई वह इतनी प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन आपके द्वारा, सरकार की प्रशंसा की है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इतने बड़े भ्रष्ट अधिकारी, जिसने पांचना में करोड़ों का घोटाला किया के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आनन फानन में काम करते हैं। राज्यपाल महोदय उस माननीय भ्रष्ट अधिकारी को 15.3.82 को, आपकी देखरेख में काम करने वाले अधिकारी को राष्ट्रपति का पदक दे रहे हैं इससे ज्यादा और कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : मेरा आप पर चार्ज है आपके कार्यकाल में सिंचाई विभाग का भट्ठा बैठ गया है, भ्रष्टाचार हो रहा है...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। आपने इस सम्बन्ध में कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्री हंसराज शर्मा : मैं 5 मिनट में समाप्त करता हूं। मोरेल पर लाखों का घोटाला हुआ, इसके साथ-साथ मेरा एक चार्ज और है...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : सिर्फ 5 मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : अच्छा। तीन मिनट में समाप्त करता हूं। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मोरेल पर ट्रेडिंग कम्पनी लालसोट से कुछ सामान खरीद-उसके दो हजार के फर्जी बिल आपके कार्यालय में पड़े हुए हैं जिस पर कोई सेल्स टैक्स के नं. नहीं है, कोई कम्पनी का नाम नहीं है, कोई प्रोपराइटर का नाम नहीं है। इस प्रकार के करीब 10 लाख के करीब के बिल हैं, इसकी जांच करा लें। यदि जांच करायेंगे तो मेरा दावा से कि शत प्रतिशत बिल नकली मिलेंगे। आपने जिस कम्पनी से सामान खरीदा है उस जगह पर उस नाम की कोई पार्टी ही नहीं है। साथ साथ में निवेदन है कि सिरोही में जो भैंसासिह बांध है उस भैंसासिह बांध पर भी लाखों का घोटाला हुआ है। 20 हजार कट्टे बंध के ठेकेदार निगल गया जो बंध था वह फर्जी हो गया, टूटने की स्थिति में हो गया। तुरन्त ही 4 करोड़ का एस्टीमेट बना दिया गया और बनाने के बाद क्या किया कि बांध के अन्दर बाहर दोनों तरफ से मिट्टी से ढक दिया ताकि अधिकारियों के भ्रष्टाचार हैं, काले कारनामे सब मिट्टी में दब जायें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भैंसासिह बांध आपको खा जायेगा, आप सम्भालें वह आपको खा रहा है, सिंचाई विभाग की नदियों में डूब रहा हैं, भ्रष्टाचारमें बह रहा है। इतने सारे चार्ज लगाने के बाद भी आप इन्क्वायरी नहीं कराते हैं, जांच नहीं कराते हैं, अधिकारियों को दण्ड नहीं देते हैं तो बड़ा दुख होता है और येन केन प्रकारेण इससे आपका सम्बन्ध है, यह मेरा चार्ज है।

आपने समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि सिंचाई योजना महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हमारे देश के, प्रदेश के आम जन-जीवन का सवाल है। हमारी पहले की योजना और आज की योजना में काफी अन्तर है। मैं आपके द्वारा यह सुझाव देना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी योजना की बजाय हम छोटी योजनाओं को कभी नहीं भूलें। और छोटी योजनाओं को प्राथमिकता देने से छोटे-छोटे स्थान पर हमारी कृषि पर भारी प्रभाव पड़ेगा इसलिये बड़ी योजनाओं की बजाय छोटी योजनाओं को भूलना नहीं चाहिये। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आबादी का विस्तार करोड़ों की तादाद में एक साल में बढ़ता जा रहा है, तो उनके अनुपात में अनाज की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसलिये कृषि के बारे में और सिंचाई के बारे में राज्य राज्य सरकार को आये दिन तब्दीली करनी पड़ेगी और तेजी से हाथ में लेना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश का एक बूंद पानी बाहर नहीं जाना चाहिये। जितना पानी राजस्थान प्रदेश में है, राजस्थान में जिस जगह नदी हो, नाले हों, छोटे हों, मैं तो यहां तक

(श्री चतुर्भुज)

कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश का पानी रोकना जरूरी है। अगर ऐसी योजना नहीं बनायेगी सरकार तो आने वाले समय में राज्य सरकार के सामने आफत भी आ सकती है क्योंकि आज के युग में पानी के बिना हम अनाज पैदा करने में काफी कमजोर हैं। आये दिन हमारे पर अकाल का प्रकोप आता रहता है और इसके बाद में बीज जमाना भी होता है और हमारे पास साधन नहीं हो पानी रोकने का और एनीकट योजना के द्वारा पानी को नहीं रोका गया तो आने वाले जमाने में प्रदेश खतरे में पड़ सकता है। इसलिये मैं यह चाहता हूं और मेरा सुझाव है कि राजस्थान प्रदेश का बूंद-बूंद पानी रोकने की व्यवस्था बनायी जाय, मास्टर प्लान बनाया जाय जिससे हमारे राजस्थान का पानी काम में आये। वैसे इसके साथ ही हमारे क्षेत्र की योजना के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, छोटी योजना, एनीकट जो दो साल चली है से इतनी भारी कामयाब है, जिससे तीन फायदे होते हैं। सभापति महोदय, एक तो पानी के बिना बीज जा रहा है हो रुक जाता है। आसपास पीने का पानी ज्यादा मिलता है और कुओं में पानी ज्यादा होता है और खेती की सिंचाई में भी काम आता है। इसलिये एनीकट योजना किसान के लिये, खेती के लिये इफेक्टिव है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी एनीकट का साधन है उसको तत्काल हाथ में लेना बहुत जरूरी है। एनीकट से तीन तरह के हमें लाभ होते हैं। कृषि में भी लाभ होते हैं, पीने के पानी का संकट भी दूर होता है और पशुओं में भी प्रभावी होता है और कुओं में ज्यादा पानी बढ़ता है। इसके साथ ही हमारे निर्वाचन क्षेत्र में टोडारायसिंह की बीसलपुर परियोजना के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे चालीस साल की विचाराधीन योजना राज्य सरकार के सामने अब कुछ नजदीक आने की संभावना प्रकट होती है। उस योजना का आकार मैंने देखा, सभापति महोदय, तो हमारे, तो वही बात कहते हैं कि दिया तले अंधेरा। जलप्रदाय योजना से पानी जा रहा है अजमेर, नसीराबाद, हमारे क्षेत्र में आज पानी पीने का नहीं है। हम राज्य सरकार से बहुत समय से निवेदन करते आ रहे हैं, इस क्षेत्र में जहां लाखों लोगों को पानी दे रहे हैं, वहां 8000 आदमियों को बहुत भारी कष्ट है। उसके पशुधन के लिये पानी नहीं है, खेती के लिये पानी नहीं है, पीने के लिये पानी नहीं है इससे बड़ी क्या दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिये अ● देखते हैं कि इस परियोजना का जो आकार है, यह योजना जो देखने में आयी है तो केवल एक सादड से निकाला गया है, बाकी पानी के लिये अजमेर, नसीराबाद, जयपुर या जोधपुर कहीं भी दीजिये इस विषय में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा गांव उठेगा, हम मुसीबत में आवेंगे, क्या हमें चालीस साल के राज करने के बाद भी टोडारायसिंह को पानी नहीं मिलेगा। आखिर हमारा क्या होगा ? जहां पीने का पानी दिया जा रहा है, अजमेर में, उन क्षेत्रों को आज तक संतोष नहीं है। क्या बीसलपुर परियोजना बांध के बाद भी टोडारायसिंह की जनता को कृषि के लिये और पीने के पानी से वंचित रहना पड़ेगा ? जब यहां

(श्री चतुर्भुज)

गहरी बाधा उपस्थित होती है तो कहां जायेंगे, कहां रहेंगे ? क्या सरकार का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा ? इतने दुर्भाग्य को भोग करके भी लाभ हमको नहीं मिलेगा इसके अलावा दुर्भाग्य क्या होगा। माननीय सभापति महोदय, इसलिये हम इस योजना को देखने गये एक नजर, केवल एक ही साइड से निकाला गया। बनास केवल हमारी एक पंचायत में नहीं आ सकती है। वह राजमहल डूंगरपुर के नीचे है जो कि नीचे रह गया है। आगे जाकर के नहर निकलेगी, इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से कि कम से कम जब तक बनास की उत्तरी नहर को लागू नहीं किया जायगा तब तक टोडारायसिंह क्षेत्र को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। इसलिये मैं आप से आग्रह करता हूं, आपके द्वारा मांग करना चाहता हूं, यह परियोजना लागू की जाय। उसके ऊपर मैं पहले सुझाव देना चाहता हूं कि टोडारायसिंह की जनता को भी यदि आप जिन्दा रखना चाहते हो तो उत्तरी साइड नहर लागू करने का विचार इसी योजना में रखा जाय तो हम यह आशा करेंगे कि राज्य सरकार ने हमको भी कुछ इस योजना का लाभ देने की बात सोची है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी योजना अभी जो सरकार हाथ में लेने का विचार रखती है यह कांकोड की योजना की घोषणा की है, जिसमें 20-25 करोड़ जलप्रदाय योजना से लेंगे और बाकी सिंचाई विभाग से, हम यह आपसे आशा करते हैं कि इन योजनाओं को लागू करने के पहले जिस बांध से पानी जा रहा है अजमेर में, उस बांध से हमारे क्षेत्र को पानी देने की व्यवस्था की जाय। नंबर दो, मैं यह भी चाहता हूं कि बीसलपुर परियोजना लागू की जाय तो टोडारायसिंह क्षेत्र की जनता का ख्याल रख करके इस योजना को कार्यान्वित करने की आप आज्ञा प्रदान करें। एक और निवेदन मेरा है, सभापति महोदय......

(3.08 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पीठासीन)

बीसलपुर योजना जितनी बनाई है मैं यह नहीं समझता हूं कि यही आपका धर्म है। इस योजना से आगे जा करके एक डाबरपुरा ग्राम है उस नाले से तीन किलोमीटर दूर है दूसरा नाला, वह नाला टोरडीसागर में जाता है। अभी इस योजना में सप्लाई की कटौती की गयी है। यह टोरडीसागर में पानी दिया जाय, शेष पानी को टोडारायसिंह को दिया जाय तो टोडारायसिंह की जनता को कृषि में जरूर प्रभाव पड़ेगा और मदद मिलेगी। नहीं तो उससे टोडारायसिंह की जनता को कृषि में लाभ मिलने वाला नहीं है, मुझे ऐसा मालूम होता है। टोडाराय सिंह की जनता को तभी लाभ मिल सकता है जब बीसलपुर परियोजना में से टोरडीसागर में पानी दिया जाय क्योंकि टोरडीसागर बहुत बड़ा बांध है, पुराने समय का और अब स्थान स्थान पर बांध बनने के कारण टोरडीसागर कई वर्षों में भरता है, बाकी खाली रहता है। पुराने जमाने की सिंचाई की जमीन से आज ज्यादा जमीन बढ़ गयी इसलिये यह सब है। तीन चार साल से पानी बढ़ रहा है और इसलिये यह तीन साल से तालाब भर जाता है लेकिन फिर भी एक पानी मिलता है। यह हमारा पुराना इतिहास है, आपके आंकड़ों

(श्री चतुर्भुज)

में है सिंचाई विभाग के आंकड़ों में होगा।

टोरड़ीसागर बनने के बाद में 20 साल तक पानी नहीं मिलता था, एक जमाना वह था, और वह टोरड़ीसागर 20 साल में चलने लगा है, गत साल चलने लगा है और गत साल तीन पानी नहीं मिला, 2 ही पानी मिलकर रह गया। इस साल भी आधा फीट खाली रहा है और डेढ़ पानी मिला है। दो पानी भी पूरा नहीं मिल सका पूरे क्षेत्र को। क्षेत्र सिंचाई का इतना बढ़ गया कि नया नियम लागू हो गया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के साथ टोरड़ीसागर को पानी दिया जाय, शेष पानी, बनास को, और बीसलपुर योजना को। डेढ़ पानी टोरड़ीसागर को दिया जाय तो जिले की जनता के आधे भाग पर कृषि का प्रभाव पड़ेगा और उसको भी मदद मिलेगी योजना से। ऐसा मेरा सुझाव है और मुझे आशा है कि आप इस योजना के साथ इसको जोड़ेंगे। मैं यह निवेदन करता हूं कि पुराने जमाने के जो छोटे छोटे बांध हैं, काली डूंगरी का बांध, चीतोर बांध और मोर सप्लाई कट आदि आदि। यह छोटे छोटे बांध पुराने जमाने के थे और पुराने जमाने के अन्दर बहुत कृषि फलित करते थे, बहुत कम आबादी थी, बहुत कम क्षेत्र को सप्लाई होती थी और आज वहां जमीन तो जैसे कम हो गयी, वह बंधा तो बड़ा है लेकिन उसकी चादर बहुत नीची बंधी हुई है मैं आपके द्वारा यही निवेदन करता हूं, सभापति महोदया, सिंचाई मंत्री जी को, पुराने जमाने के छोटे बांध हैं, इनका सर्वे कराकर इन चादरों को, बंधे की मरम्मत कराकर ऊंचा बांधा जाय तो दुगुना क्षेत्र उससे दुगुना पानी पी सकता है। यह भी एक योजना है। पुराने बंधों को ऊंचा कराया जाय, चादर ऊंची कराया जाय, चादर ऊंची बांधी जायें। बहुत पुराने जमाने के बांध हैं राजा महाराजाओं, जागीरदारों के जमाने के उन बंधों को ऊंचा करके नये बांध तैयार किये जायं तो कृषि में काफी प्रभाव पड़ेगा। अभी चादर से आधा पानी रहता है उसमें। मामूली मिट्टी पटकने की व्यवस्था के बाद बंधे में पानी आधा रह जाता है इसलिए उन पुराने बांधों की भी संभाला जायं। चादर ऊंची बांधी जाय, पाल की आवश्यकता नहीं हैं, बहुत बड़ी पाल है लेकिन चादर नीची बंधी हुई है इससे बांध में पानी आधा आ रहा है। अगर उसकी चादर ऊंची बांध दी जाय तो दुगुना क्षेत्र फलित हो जाय तो क्या आपत्ति हो सकती है। कौनसी योजना ऐसी है जिसका सर्वे कराया ? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि काली डूंगरी बहुत पुराना बांध है और दो पहाड़ियों के बीच में है, आपने जून के पास बांध बना दिया, हमारे उस काली डूंगरी बांध के पेटे में नहर आ रही है इस नहर को आधा किलोमीटर आगे बढ़ा दिया जाय, आगे बना दी जाय काली सिंध नदी पर जो बांध है वह बहुत छोटा है, बाकी पानी बनास में जाता है उस पानी को नहर के द्वारा, जैसे बारा सागर को भरा जाता है डूंगरी के बांध को भी भरा जा सकता है। काली डूंगरी का बंधा खाली रहता है और उसमें यह डाला जाय तो कृषि का क्षेत्रफल ज्यादा हो सकता है और जिस

(श्री चतुर्भुज)

एक हजार एकड़ में आज सिचाई होती है वह दो हजार एकड़ में सिंचाई हो सकती है, ऐसी योजना है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जूने बांध की नहर को आगे चलाकर दो किलोमीटर काली डूंगरी में, बनास में जाते हुए पानी को उसमें पटका जाय तो जो खाली नहर है वह खाली नहीं रह जायेगी। इसके साथ मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि सप्लाई कट के लिए ज्यादा बजट रखा जाय और सप्लाई कट से छोटी-छोटी योजना का, छोटी-छोटी मोजां को, छोटे-छोटे ग्रामों को, छोटे-छोटे किसानों को, सबको मदद हो सकती है इस सप्लाई कट से, यह ऐसी योजना है। यह पवित्र योजना है, अन्न देने वाली योजना है, उसको आप हाथ में लें, मैं यह आशा करता हूं यह योजना बहुत ही सफल जायेगी, कृषि में बहुत ही भारी प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि एक ही सप्लाई कट बनाओ चाहे पूरे ग्राम में जहां एक बीघा में पानी नहीं पहुंचता था आज वहां 12 हजार बीघा में सप्लाई है। एनीकट–जहां पानी के लिए देखता था, पानी पीने के लिए व्यवस्था कर ली कुंए से, तीन कुओं से तीन गांवों के अन्दर बुआई हो गयी, 3 गांवों के बीच में कोई तो वाटर पम्प लगा रहे हैं, और बाकी बैलों के साथ, जैसे पुराने जमाने के अपने-अपने साधन थे, उन से ले रहे हैं। इसलिए सप्लाई कट और एनीकट, दोनों अच्छे काम में आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा, सभापति महोदया, कृषि मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि एनीकट और सप्लाई कट दोनों पर जोर ज्यादा दिया जाय और दोनों पर आप नजर रखें तो आम जनता का काफी भला हो सकता है और कृषि पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही, अंत में, बीसलपुर परियोजना में कुछ परिवर्तन करके हमारे टोडारायसिंह, मालपुरा, दोनों जिले की जनता को यदि 75 प्रतिशत आप लाभान्वित करना चाहते हो और कृषि के लिए पानी देना चाहते हो तो वह बीसलपुर परियोजना बनाने के विचार में टोरड़ीसागर में सप्लाई करके, टोरड़ीसागर में डाला जाय तो टोंक जिले की जनता को कभी लाभ नहीं होगा, हमको तो फिर भी नुकसान ही होगा। बीसलपुर योजना बनेगी और बांध बनेगा तो जो आसपास के छोटे इलाके हैं उनको भी फायदा हो जायेगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि बीसलपुर योजना का हमको सप्लाई करके टोरड़ी सागर में पानी डाला जाय, तो हमारी पूरी टोंक जिले की जनता को पानी मिल सकता है। यह तो नाम होगा बीसलपुर परियोजना का बाकी पानी जायेगा बूंदी, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में, उन इलाकों में एक चौथाई पानी मिलेगा। टोंक जिले को, अगर टोंक जिले की पूरी जनता को पानी देने का विचार है राज्य सरकार का तो बीसलपुर परियोजना में पानी सप्लाई के द्वारा टोरड़ीसागर में डाला जाय। इसी आशा के साथ में, अंत में सिंचाई मन्त्री जी, कृषि मन्त्री जी इस बात में निर्णय देंगे ताकि मुझे संतोष रहेगा कि इस योजना के बारे में क्या किया जा रहा है। यही कहता हुआ, आपने जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : आप तो बोलना जानते ही नहीं, आपको तो बोलना सिखाना पड़ेगा, यह तो अपने ब्लड में ही नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बहस नहीं करें ।

श्री मोहनलाल मोदी : सिचाई की डिमाण्ड पर हम आज बहस कर रहे हैं । 83-84 के अन्दर एक अरब, 96 करोड़ 90 लाख के मुकाबले 84–85 में तीन अरब 26 करोड़ और 58 लाख की डिमाण्ड पेश हुई है, मैं समझता हूं जो बजट पर विरोधी दल के माननीय सदस्य कह रहे थे कि सिंचाई में कितना बजट रखा गया है, मैं समझता हूं, आंकड़ों से उनको स्पष्ट मालूम देगा । सभापति महोदया, सिंचाई के साधन मनुष्य के जीवन में बहुत ही आवश्यक है । इससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सीधा लाभ अपनायेंगी । सिंचाई के अलग-अलग तरीके हैं । पश्चिमी राजस्थान में राजस्थान नहर एक ऐसा साधन है जिसने उस सारे एरिया की काया पलट दी है । निश्चित रूप से यह हुआ है और जितनी जल्दी हुआ है उसके लिए राज्य सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है । हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्यगण इस बात से क्यों नाराज हैं कि इतनी जल्दी राजस्थान नहर का काम नहर मन्त्रीजी ने किया क्योंकि उनका जब शासन था विरोध पक्ष के माननीय सदस्य यहां बैठते थे, उनको जो राशि आवंटित की गयी थी वह राशि भी पूरी खर्च नहीं कर पाये थे और इस वक्त जिस तेज गति से काम होकर, जितना रुपयों आवंटित हुआ है, वह लगा दिया और काम बहुत तेजी से चला है, राजस्थान के बहुत से रेतीले एरिया में, ऐसे एरिया में पानी सप्लाई किया जा रहा है । आज यह पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई योजना है । अब मैं अपने इस पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे सीकर जिले में न कोई राजस्थान नहर आ सकती है, न कोई बड़ी सिंचाई योजना है । उसके अन्दर चार कॉन्स्टीट्यूएन्सी हैं । सीकर जिले में दांतारामगढ़, नीम का थाना, श्री माधोपुर और खण्डेला, जहां बांध बनाये जाकर बरसात के पानी को रोककर उस से सिंचाई की सुविधायें दी जा सकती हैं ।

दूसरा, इस इलाके में कुएं से सिंचाई के साधन हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुएं से सिंचाई के साधन अब समाप्त हो गये हैं विद्युत हम दे नहीं सकते, लाव और चड़स का जमाना आज लद चुका । इसलिये कुओं के अन्दर जो जमीन के नीचे पानी है उसको बाहर निकालने के लिये भी बिजली के अधिक कनेक्शन्स देने की आवश्यकता है । मैं निवेदन कर रहा था कि जो बन्ध बनाने की योजना हमारे चार विधान सभा के क्षेत्रों अन्दर है, मैं सिंचाई मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के सिंचाई के बजट को ध्यान से देखें तो इस जिले में बांधों की मेन्टीनेन्स का पैसा था वह भी उन्होंने पिछले वर्ष के मुकाबले कम कर दिया । सभापति महोदया, मेन्टीनेन्स का 1980–81, 1981–82 में सात लाख रुपये का प्रावधान था जबकि 1983–84

(श्री मोहनलाल मोदी)

में 3 लाख का प्रावधान रख दिया। मैं और माननीय नारायणसिंह जी इस सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्री जी से मिले और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने उसको बढाकर साढ़े छः लाख रुपये कर दिया। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेन्टीनेन्स का रुपया बढ़ना चाहिये और क्यों बढ़ना चाहिये इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ बान्ध और बने हैं, बेरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तनख्वाह बढ़ी है, कुछ उनके मंहगाई के अलाउन्सेज भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से खर्चा भी ज्यादा हो गया इस सारी स्थिति को देखते हुये मेन्टीनेन्स में रुपया बढ़ाया जाय। यह मेन्टीनेन्स कैसे हो पायेगा? यह तो पुराने बान्धों की बात है। नये बान्धों के बारे में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कुछ बान्ध अकाल व बाढ़ राहत कार्यों में बने हैं उनका 75 पर्सेन्ट काम उस टाइम में पूरा हो गया, 25 पर्सेन्ट काम के लिये आज वह बान्ध पड़े हुये हैं। मैं समझता हूं कि जो लाखों रुपया लगा है वह रुपया तो बेकार हो जायगा। मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा कि जिले के कुछ बान्धों का काम अधूरा है और बहुत थोड़ा-थोड़ा रुपया उनमें लगेगा, जिससे फाइनेन्स की दिक्कत भी नहीं है उनके नाम हैं-लुहारवास, कालीदेह, भीतरी, नानगवास, पाटन हाथीदेह, डूकिया रेटा, दातला न्यू, दांतला पुराना, रायपुर नागौर। ये बान्ध अकाल राहत पीरियड में बने हुये हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इनकी तरफ ध्यान दें और बहुत अधिक फाइनेन्स की आवश्यकता नहीं है लेकिन आवश्यकता इस बात की है इनकी तरफ ध्यान देकर इनको पूरा कराया जाय।

कुछ मेरे यहां की योजनायें हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप राजस्थान नहर पर पूरा ध्यान देकर बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं तो दूसरे क्षेत्रों को इगनोर मत करिये। आखिर वह भी आपके राजस्थान के ही अंग हैं, इनके लिये भी आप कुछ न कुछ सिंचाई के साधन दीजिये। एक ऐसा बान्ध आप आज बता दीजिये जो आपने 4 वर्ष के अरसे के अन्दर सीकर जिले के अन्दर कोई नया स्वीकृत किया हो।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 15-20 बान्धों की योजना आपके यहां पर नीचे से बनकर आई हुई है, तैयार पड़ी हुई है उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। उन सिंचाई योजनाओं के पूरे नाम आपको लिखा देना चाहता हूं—सवाईपुरा गावड़ी, वासड़ी, फतेपुरा, दीपावास, हरीपुरा नांगल, डूकिया, करोई, गोवरी, रेटा, बामरडा। यह इतने बांधों की योजना आपके यहां है।

अब, सभापति महोदया, एक तरफ हम करोड़ों रुपया लगाकर राजस्थान नहर का काम कराना चाहते हैं, वहां पर हमारा उद्देश्य है, सिंचाई के साधन बढ़ाये जायं, जहां पर अधिक नहरें नहीं हो सकती हैं, लिफ्ट योजना से पानी वहां पहुंचा नहीं सकते हैं, बांधों के जरिये से वहां पानी पहुंचा है। मैं आपसे इसके बीच में एक और निवेदन करना चाहूंगा कि इन पहाड़ी

(श्री मोहनलाल मोदी)

एरियाज में, जहां पर कि इन चारों इलाकों के अन्दर पहाड़ी एरिया है, बरसात का पानी बेकार जाता है वहां पर छोटे छोटे एनीकट्स बनाये जायं। सभापति महोदय, एनीकट्स से कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा, छोटे छोटे वहां पर बहुत से सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि वह अधिक से अधिक इन एनीकट्स की तरफ ध्यान दें ताकि इन क्षेत्रों में जहां पर कि दूसरे साधन उपलब्ध नहीं करा सकते वहां पर लोगों को पीने के पानी के लिये, सिंचाई के लिये इस तरह के साधन उपलब्ध हों।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस इलाके में अधिकतर कुओं से सिंचाई होती है और उन कुओं में भी पानी बहुत गहरा हो जाता है उनकी खुदाई के लिये भी आप बोरिंग की व्यवस्था करें, उनके लिये सिंचाई के साधन बढ़ाने की योजना होनी चाहिये। ऐसी आप सारे इलाके के लिये, सारे क्षेत्र के लिये व्यवस्था करें। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप हरेक क्षेत्र को समदृष्टि से देखकर चलें।

मैं अधिक नहीं कह कर इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस सीकर जिले के बान्धों का जो सर्वे हुआ है, जिनकी स्कीम्स बनी हैं उनके बारे में आप जब अपना जवाब दें तो उसमें निश्चित रूप से आप इन बान्धों की योजनाओं की स्वीकृति देंगे।

(व्यवधान)

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, माकड़ी मेरे क्षेत्र में मंजूर शुदा बान्ध है और उसकी 7.80 लाख रुपये की योजना मंजूर थी और किन्हीं कारणों से कोर्ट से स्टे हो गया था, इस कारण से यह काम नहीं चल पाया है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोर्ट का स्टे समाप्त हो गया है और अब 12.50 लाख रुपये का सर्वे होकर आया है। इसका इस बजट में आप निश्चित रूप से प्रावधान करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 पर सदन में विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं अपना विचार व्यक्त करूं, उसके पहले माननीय मन्त्री महोदय को और विभाग को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मास्टर प्लान बनाने के लिये सभी विधायकों या जिनके दिमाग में अच्छी राय है, उनसे लिखित में सुझाव मांगे हैं, उससे मास्टर प्लान बनाने में काफी सहयोग मिलेगा।

श्री मोहनलाल मोदी : आज आपने अच्छी बात कही।

श्री मेघराज तावड़ : अच्छी बात का तो हमेशा समर्थन करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बैठे-बैठे बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदया, पाइन्ट वाइज चर्चा करूं इसके पहले माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि फेमिन में जितने भी आपके एनीकट्स हैं, तालाव हैं, टूटे-फूटे तालाब हैं, उनको हाथ में लेकर अधूरे कामों को तत्काल हाथ में लिया जाय, नहीं तो जो पैसा लगा है उसका कोई उपयोग नहीं होगा। मिट्टी डालकर कच्चा बनाया गया है और अगर उनको पक्का बनाने की जरूरत है तो उनको पक्का बनाया जाय। इसी प्रकार से आदिवासी इलाके में मिट्टी के काम बनाकर जहां फेमिन में अपूर्ण छोड़ दिया है, उन अधूरे कामों को शीघ्र पूरा किया जाय।

सभापति महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के विचार सदन के कई माननीय सदस्यों ने रखे, मैं भी उसको दोहराना चाहता हूं, जहां पर पहाड़ी इलाका है, आदिवासी इलाका है, बड़ी स्कीम्स बन नहीं सकती हैं, वहां पर एनीकट्स पर ज्यादा जोर दिया जाय। एनीकट्स ज्यादा बान्धे जायं ताकि पानी बाहर नहीं जाकर काश्तकारों को आसानी से मिल सके, वह उसका उपयोग कर सकें तब तो सिंचाई के साधन ज्यादा दिलवा सकेंगे।

सभापति महोदय, आदिवासी इलाका हमेशा पिछड़ा हुआ रहा है और आज भी पिछड़ता ही जा रहा है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय जिस तरह से आदिवासी इलाके के लिये ट्राइबल सब प्लान का पैसा और सी. ए. डी. का पैसा जो आदिवासियों का है वह भी वहां पर खर्च नहीं किया जाता है, बड़ी बड़ी योजनाओं पर कर देते हैं मैं बड़ी योजनाओं का विरोध नहीं करता, परन्तु बड़ी योजनाओं से उस इलाके का फायदा नहीं हो सकता है।

सभापति महोदया, एक इलाके में जैसे माही डैम बना लिया तो एक साइड के इलाके को फायदा हो गया, तमाम आदिवासियों को उसका लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए उस आदिवासी इलाके में एनीकट्स बना करके समदृष्टि से देखा जाय उन सब को उसका हिस्सा मिलना चाहिये, बाकी सारा पैसा एक जगह खत्म हो जाय और आदिवासियों का नाम उसमें लग जाय, आदिवासियों को उनका फायदा नहीं मिले यह उचित नहीं है। इसके साथ-साथ, सभापति महोदया, हमारे जो अधूरे काम हैं, मेरे इलाके में भी और जो योजनायें हाथ में ली गई हैं, मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि जितने भी अधूरे काम हैं उनको पूरा कराने के लिए आश्वासन देंगे। मैं टीडी का जो बांध है, सभापति महोदया, उसकी तरफ मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टीडी का डेम है, वह सैण्ट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, जावर माइन्स में पानी जाता है, हम लोग बिल्कुल उसके नीचे रहते हैं लेकिन वह पानी हमारे उपयोग में नहीं आता है और न उसका लाभ हमको दिया जाता है। सीधा पानी माइन्स में चला जाता है। मैं चाहूंगा उसको किया जाय, उसको और अधिक चढ़ाया जाय ताकि उस

(श्री मेघराज तावड़)

तालाब का पानी, जहां हमारे पास होकर पानी जाता है हम प्यासे रहें, इसके लिए मन्त्री जी उसको अपग्रेड करेंगे, हमको भी सिंचाई का पानी दिलायेंगे। उदयपुर जिले में टीडी डेम है जिसमें सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट का पैसा लगा हुआ है, हिन्दुस्तान जिन्क का। हिन्दुस्तान जिन्क को पानी सीधा जाता है लेकिन वहां के नीचे रहने वाले टीडी जावर और बोरी कुआं, गोदिया ये जो गांव आते हैं इनको उसकी सुविधा नहीं मिलती है, इनको पानी नहीं दिया जाता। अपग्रेड करेंगे उस तालाब को तो नीचे बसने वाले लोगों को पानी मिल सकेगा। इसी तरह से, सभापति महोदया, वाकल योजना, जो उदयपुर जिले में है, में पडावली के नाके का सर्वे भी हो चुका। वाकल नदी एक बहुत बड़ी नदी है और वाकल नदी को बांधने से न केवल झाडोल, कोटड़ा दो तहसीलों के आदिवासियों को फायदा होगा, बल्कि उसके साथ साथ वह पानी उदयपुर की जनता के लिए भी काम आयेगा, पिछोला झील में आयेगा तो। मैं इसके साथ कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, स्वर्गीय मोहन लालजी सुखाड़िया ने देवास योजना उदयपुर की जनता के लिए पानी मुहैया कराने के लिए दूर दृष्टि से बनायी थी एक चरण तो पूरा किया उसके बाद यह योजना बन्द कर दी गई। सभापति महोदया, आज उदयपुर की आबादी बढ़ती जा रही है और इण्डस्ट्रियल इलाका भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उदयपुर की जनता को पानी नहीं मिलेगा। न तो वहां इण्डस्ट्री लग पायेगी और न उदयपुर का विकास हो पायेगा पानी नहीं मिलने से और किसी भी जगह का विकास नहीं हो सकता। तो, सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के जमाने में ही योजना बनी और जब कांग्रेस का राज नहीं रहा बीच में 28 महीने तक, तब माननीय मन्त्रीजी, आपके कांग्रेस के लोगों ने हड़ताल की, आन्दोलन किया और आज भी उन दीवारों पर नारे लिखे हुए हैं कि उदयपुर की जनता के लिए देवास योजना को पूरा किया जाय। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आज आपकी कलम को किसने पकड़ा है, आज आपको कौन रोक रहा है कि आप इस योजना को नहीं कर रहे हो। जब जनता पार्टी का राज था तब तो आन्दोलन करते थे, आज तो आपका राज है, आप इस योजना को पूरा करेंगे आज तो आपका राज है, आप इस योजना को पूरी करेंगे और आश्वासन देंगे क्योंकि स्व. मोहनलालजी सुखाड़िया के सपने को आप पूरा करेंगे। यह आप अपने उत्तर में स्पष्ट घोषणा करेंगे कि उदयपुर की जनता के लिए भेदभाव नहीं करेंगे और सुखाड़ियाजी की जो योजना थी उसको पूरा करेंगे। सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं अपने इलाके में जो तालाब हैं उनके बारे में मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक डाडिया तालाब है, बहुत पहले स्वर्गीय सुखाड़ियाजी ने उसका पत्थर रखा था। उसका पैसा उस समय के प्रधान ने और कहीं लगा दिया लेकिन वह डाडिया तालाब पूरा नहीं हुआ और बार बार मांग करनेपर गत वर्ष रिलीफ वर्क में उस तालाब को हाथ में लिया गया लेकिन केवल नींव खोदकर

(श्री मेघराज तावड़)

रहने दिया। गोगुन्दा की जनता के लिये वह अगर हो जाय, वह योजना पूरी होती है, बांध जाता है तो गोगुन्दा की जनता को पूरा पानी मिल सकेगा और कुओं में सतह भर जायगी और उन लोगों को फायदा हो सकेगा। इसलिए डाडिया तालाब को अपनी योजना में लाइये, रिलीफवर्क में नहीं, सिंचाई विभाग की योजना में लेकर उसको पूरा करायेंगे। इसी तरह से सण्डाला भादवीपुरा, दिवालया बेला और गनावल ये तालाब हैं, जो टूट गये। गनावल को अपग्रेड करने की आवश्यकता है बाकी मन्दाड़ा-भादवीपुरा और दिवालया बेला, ये तालाब टूट गये, अभी भी 70-80 हजार रुपये उस पर लगाये केवल मिट्टी लगाई, वह भी बह कर चली गई। तो इन तालाबों को हाथ में लेकर के काम शुरू करेंगे। यहां आदिवासी रहते हैं। माडा योजना में भी आते हैं ये जो मैंने बताये हैं, तालाब। इसके साथ मैं मन्त्रीजी से यह भी कहना चाहता हूं, गोगुन्दा बिल्कुल हाइट पर है, गोगुन्दा में चाहे आदिवासी हो, नान-आदिवासी, वहां पर जमीन बिल्कुल नहीं के बराबर है, सारा पहाड़ी, पथरीला इलाका है, बहुत कम किसी के पास दो बीघा चार बीघा जमीन है। वहां पानी की कमी है उसको देखते हुए जो बनास नदी निकलती है वह झरगार्जा से निकलती है और नीचे तक जाती है और झरगाजी के पास कोहिड़ा गांव है, यहां यदि बनास नदी को बांधा जाय या उसका बड़ा एनीकट भी बांधा जाय तो वहां के लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। नीचे करीबन 500 एकड़ जमीन पड़ती है। 500 एकड़ जमीन नीचे आती है। इस तालाब को बनास नदी पर बांधे। मैं चाहूंगा, मन्त्रीजी, उस पिछड़े हुए इलाके के अन्दर आज तक कोई भी रहा, चाहे कांग्रेस के एम. एल. ए. रहे या विरोध के एम. एल. ए. रहे, उसके बाद भी गोगुन्दा, कोटड़ा और झाड़ोल का तो आज भगवान ही मालिक है। उन आदिवासियों को देखने वाला कोई नहीं। आदिवासियों का नाम सब लेते हैं लेकिन आदिवासी इलाके में कोई सुविधा नहीं है, किसी भी तरह की सुविधा नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे, चूंकि दोनों प्रभारी मन्त्री हैं, राजस्थान नहर और सिंचाई मन्त्री महोदय, बड़े योग्य हैं और समदृष्टि रखेंगे, समता के आधार पर सबको समान सुविधा देंगे, यह मैं उम्मीद करके चलता हूं। सभापति महोदया, इसके साथ साथ गिरवा तहसील में एक तालाब है कानपुर। कानपुर तालाब है, उस तालाब को बांधे तो जावर माइन्स को भी पानी मिल सकेगा और वहां के रहने वाले लोगों को उससे फायदा मिल सकेगा। क्योंकि जमीन, सभापति महोदय, हमारे यहां बिल्कुल कम है जावर माइन्स की वजह से कुछ लोग तो माइन्स में हैं, हर एक आदमी जावर माइन्स में सर्विस में नहीं जा सकता, मजदूर नहीं मिलती इसलिए आज उस तालाब को बांधा जाय। कानपुर का तालाब और सरोर का तालाब, ऐसे जो तालाब हैं, उनको बांधने पर वहां के आदिवासी, जिनके पास कम जमीन है, को सिंचाई की सुविधा हो तो वह अपना पेट भर सकते हैं। सभापति महोदया, देवास योजना के बारे में मैंने बताया है, आगे मन्त्रीजी बतायेंगे।

(श्री मेघराज तावड़)

राजस्थान नहर के बारे में अपने एकाध विचार रखना चाहता हूं। सभापति महोदया, इसके लिये तो हालांकि जहां हमको खूब बुराई करनी चाहिये, क्योंकि हम विरोध में बैठे हैं, जब तक इनकी गलतियां हम नहीं बतायेंगे, सभापति महोदया, तो ये समझ नहीं पायेंगे। ये अपनी गलतियां तो नहीं बताते, दिया तले अंधेरा रहता है, इनको अपनी गलतियों का पता नहीं पड़ता है। तो सभापति महोदया, चन्दनमलजी ने जब से काम अपने हाथ में लिया, राजस्थान नहर का काम बड़ी तेजी से शुरू किया इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं मन्त्रीजी को यह भी आगाह करना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से काम शुरू किया है, पीछे आपने मेन्टीनेन्स नहीं की है जहां नहर टूटती है, इस पर आप अपने अधिकारियों को पकड़ में रखेंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आप कह रहे हैं राजस्थान की नहर में किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं है। रामसिंह रिपोर्ट को आपको सदन के पटल पर रखना चाहिये, सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि रामसिंह रिपोर्ट जिस तरह की बनी है, जो कुछ भी है....

एक माननीय सदस्य : वह इन्जीनियर की रिपोर्ट होगी।

श्री मेघराज तावड़ : वह रिपोर्ट, सभापति महोदया, सदन के सामने आनी चाहिये थी। उसमें घोटाले हुए है या नहीं, वह नहर जो कि आज से 12-13 साल पहले पूरी होनी चाहिये थी, वह नहर अभी 13 साल पूरे होने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। सभापति महोदया, इसमें घोटाले हुए हैं, इस संबंध में मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि इसके लिये अभी दो चार दिनों पहले राजस्थान के अखबारों में आया था कि राजस्थान कैनाल का सीमेन्ट पाकिस्तान जाते हुए पकड़ा गया। सभापति महोदया, मेरे पास उसकी कटिंग भी थी पर, अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं सीधा अभी उदयपुर से आया हूं, मैं लाना भूल गया।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : पकड़ी गयी तो अच्छी बात है, अच्छा काम हुआ।

श्री मेघराज तावड़ : अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ पर वह पकड़ी गयी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, पाकिस्तान जाती हुई सीमेन्ट पकड़ी गयी उसको पकड़ लिया गया यह तो अच्छा काम ही हुआ है।

श्री मेघराज तावड़ : जा रही थी उसको पकड़ा गया यह तो मेरे मुंह से कहलाना चाहते थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण जारी रखें।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदया, इसके साथ साथ मैं राजस्थान कैनाल मन्त्री महोदय को यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान नहर आगे तो तैयार

(श्री मेघराज तावड़)

हो रही है पर, यह पीछे से मेन्टेन नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ हमने यह सुना है और हमें पता लगा है कि राज्य सरकार राजस्थान कैनाल की जमीन को नीलामी से बेचना चाहती है। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय, आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप उस जमीन को गरीब किसानों को और जो गरीब खेती हर मजदूर हैं उनको दें। आप उस जमीन को नीलाम करके राजस्थान के खजाने को भरने का नहीं सोचें। आपको अगर राजस्थान सरकार का खजाना ही भरना है तो आपका जो बहुत सारा सेल्स-टैक्स का पैसा और दूसरे टैक्स के पैसे लोगों में बकाया है उसको वसूल करें, इसके अलावा और भी जितनी रेवेन्यू की वसूलियां हैं उनको वसूल करके अपना खजाना भरें। लेकिन राजस्थान के गरीब किसानों का हक मारकर आप गरीब लोगों के बदले बड़े-बड़े लोगों को और बड़े बड़े भू पतियों को यह जमीन देना चाहते हैं नीलाम करके, इससे हमारे यहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी और आपने राजस्थान की जनता के लिये आत्मनिर्भर होने के बारे में जो बात सोची थी वह इससे पूरी नहीं हो सकेगी और राजस्थान आत्मनिर्भर नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आज वह इस बात की घोषणा करें कि वह जमीन गरीब किसानों को दी जावेगी। सरकार की मंशा यह है कि आपके बजट में जो घाटा है उसको आप इस जमीन को नीलाम करके पूरा करना चाहते हैं। यह आपकी मंशा है इसलिये मैं, मन्त्री महोदय, आपको यह कहना चाहूंगा कि आपकी जो यह मंशा है उसके लिये राजस्थान के गरीब लोग अपनी मां को नीलाम नहीं होने देंगे और राजस्थान के गरीब लोग और राजस्थान के किसान और राजस्थान के खेतिहर मजदूर खुद इस पर कब्जा कर लेंगे। वे दूसरों को नीलाम नहीं करने देंगे। वे खुद ही अलाट कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। अगर आप उनको यह जमीन अलाट नहीं करेंगे तो वह आप ही कब्जा कर लेंगे क्योंकि उनके जिन्दा रहने के लिये उनके पास जमीन जरूरी है। इसलिये, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह जमीन उन गरीब किसानों को अलाट कराइये। आप इसको नीलाम करने की कार्यवाही नहीं करें। बस यही बात कहता हुआ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरू सिंह गुर्जर।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदया, सिंचाई नाम पर राजस्थान में पिछले तीन चार वर्षों में जो काम हुआ है वह निस्सन्देह विकास के रूप में उल्लेखनीय काम है। मैं आपको, सभापति महोदया, सदन के सामने यह बताना चाहूंगा कि चाहे लोग आलोचना करें चाहे प्रत्यालोचना करें, पर जब से श्री परसराम जी मदेरणा ने सिंचाई विभाग का चार्ज सम्भाला है तब से सिंचाई विभाग में द्रुतगति से काम हुआ है और इससे राजस्थान के किसानों को लाभ पहुंचा है। मैं तो यहां तक समझता हूं कि एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष में जबसे

(श्री भेरूसिंह गुर्जर)

आपने चार्ज सम्भाला है अच्छी वर्षा हुई है और जो बन्ध हमारे यहां पर थे वह भी भरे हैं इससे पूरी सिंचाई हो सकी और किसानों को इसका लाभ पहुंचा।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : इसका मतलब यह हुआ कि इनका सुगुन ठीक है।

श्री भेरूसिंह गुर्जर : इसके साथ साथ मैं, सभापति महोदया, मन्त्री महोदय को और राजस्थान के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी राजस्थान में सिंचाई के विकास के लिये बहुत काम किया जिससे राजस्थान के किसानों को लाभ पहुंचा। उन्होंने पूरा पूरा सहयोग दिया। मैं इसी के साथ ज्यादा समय सदन का नं लेते हुए....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भेरूसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर कुछ दो तीन सुझाव देना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पाली जिले में लगभग 15 बांध हैं उनमें हर साल जब बरसात होती है तो ओवरफ्लो होता है। आपने उन बांधों को दो-दो, तीन-तीन फीट ऊपर करके पानी को रोका जिसका नतीजा यह हुआ कि जो पानी बेकार जाता था वह काम आया और इससे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकी, इससे लोगों को अतिरिक्त फायदा पहुंचा। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि यह आपने केवल पाली जिले के बांधों के लिये ही स्कीम चालू की थी। उसको आप राजस्थान के अन्य जिलों में भी अपनायें ताकि उन दूसरे बांधों का जो पानी ओवर फ्लो होता है वह बन्द हो जाय। इससे बांधों में पानी भर जायेगा जिससे वहां पर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बांध बने हुए हैं उनसे आप पानी देते हैं और वह एक पाण 30 दिन में पूरी होती है, उस तीस दिन में पूरी होने वाली पाण के लिये मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा। इसके लिये मैंने वहां के अधिकारियों, जो कि उस क्षेत्र के हैं, से बातचीत की और मेरे वहां की क्षेत्र की जनता से भी इसके लिये बात की। 30 दिन में जो पाण पूरी होती है, उस पाण को अगर आप 15 दिन में पूरी कर दें तो जो पानी का नुकसान होता है, वह कम हो जायेगा। इसके साथ ही आप नहर की क्षमता को डबल कर दीजिये। अगर आप नहर की क्षमता को डबल कर देंगे तो 15 दिन में डबल पाण लग जायेगी और इस प्रकार जो 30 दिन में नुकसान होता है वह नुकसान बच जायेगा। इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा, जो लासेज होते हैं वह भी कम होंगे। इससे आसपास के कुओं का पानी बढ़ जायेगा और अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इस वर्ष आपने जो पाली जिले में और राजस्थान के अन्य जिलों में इस स्कीम को लागू किया मैं, सभापति महोदया, मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि इस

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

योजना को आप राजस्थान के हित में व किसानों के हित में राजस्थान के शेष अन्य जिलों में तुरन्त लागू करावें।

श्री यदुनाथ सिंह : आप तो गंगा का पानी लावो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि पिछले तीन चार वर्षों में अकाल की स्थिति पैदा होने से राजस्थान भर में सिचाई विभाग के तहत जो राहत कार्य शुरू किये गये, इसमें पाली जिले में बांध और एनीकट और भू-संरक्षण के कार्य प्रारम्भ किये थे वह अधिकांश तो पूरे हो गये पर कुछ बांध अधूरे पड़े रह गये धनाभाव के कारण। उसके लिये हमने ऐसा सुना कि कोई 100 दिन की स्कीम यानि सौ दिन में काम पूरा करेंगे यह शुरू होने वाली थी जिसमें कि हमारे यहां जो अधूरे काम पड़े है उनको पूरा करने के लिये योजना थी। पर वह बात तो सुनी सुनी ही है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी दो महीने बरसात के सीजन के बाकी हैं और अगर वह काम पूरे नहीं हुए तो वह बरसात में फिर टूट जायेंगे और नुकसान होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप बरसात के पहले ही पैसा देकर उन्हें, अभी दो महीने बाकी हैं, पूरा करवा दें जिससे किसानों को लाभ पहुंचेगा और आसपास के कुओं का पानी बढ़ेगा जिससे सिंचाई ज्यादा होगी और पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा, किसानों को भी इसका लाभ पहुंचेगा। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान पाली जिले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पाली जिला ब्यावर से आगे, सैंदड़ा से आगे सिरोही जिले तक नाना गांव है वहां तक पाली जिले की हद है। यह पूरा बैल्ट अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सभापति महोदय, इसके लिये मैं मन्त्री महोदय को खुद अनुरोध कर चुका हूं और व्यक्तिगत अनुरोध भी मिल कर कर चुका हूं। मेरा यह निवेदन है और सुझाव है कि इन पहाड़ियों में से जो नदियां निकलती हैं, वह आगे जाती हैं। वहां पर आपने बांध बनाये हैं, जैसे जालौर में बांध बनाये हैं, हेमावास का बांध बनाया है और आगे भी आपने बांध उस एरिया में जहां नदी जाती है वहां पर आपने बनाये हैं। मेरा यह निवेदन है कि ये नदियां जहां से निकलती हैं वहां पर इन नदियों का वहां की जनता को कोई लाभ नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि वह पहाड़ी एरिया है वहां पर छोटे छोटे छोटे बांध बना दें ताकि वहां पर पानी भर जाये। इन बांधों और एनीकट के बनने से वहां पर सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी। वहां जो पानी का ओवरफ्लो होता है, उस एरिया में जो नाले या नदियां बहती हैं उसमें आप छोटे-छोटे बांध बनायें ताकि वहां के लोगों को लाभ पहुंचे। इसके साथ मेरा यह निवेदन है कि वहां पर नदियां हैं उनका फायदा नहीं पहुंचा है, इसलिये आप वहां पर उसका सर्वेक्षण करवा दीजिये। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वहां पर छोटे-छोटे बांध और एनीकट बनने से जो तलहटी में जमीन है, उन नदियों से वहां के किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहां पर कुओं का पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा और सिंचाई के

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

साथ साथ पेयजल की समस्या का समाधान होगा। मैं इसके अलावा मन्त्री महोदय को एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि मैं पिछले तीन वर्षों से इस बात के लिये प्रयत्न करता आया हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सुमेर की पहाड़ियां हैं उन दो पहाड़ियों के बीच में दोनों को जोड़कर एक बान्ध बड़ा बन सकता है और पाली जिले के क्षेत्र में इसके बनने से लोगों को सिंचाई का फायदा होने के साथ-साथ लोगों को पीने के लिये पानी भी मिलेगा। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदया, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आदेश से और आपके प्रयास से और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के सहयोग से इस एरिया में यह पूरा बान्ध बन सकता है। इसका सर्वेक्षण हो चुका है, सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, एस्टीमेट बन गये हैं, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि शायद आपके पास यह कम्पलीट रिपोर्ट आ गयी है और आप इस बजट में ही इसका पैसा दे देवें और इसको पूरा करा दें। इससे आपकी, मन्त्रीजी, इज्जत बढ़ेगी, कांग्रेस की इज्जत बढ़ेगी और मेरी भी इसके साथ साथ इज्जत बढ़ेगी। इसलिये मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम को आप जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का आश्वासन दें और इस बजट में, इस साल में दो चार लाख रुपये दे दें और आपने इसके लिये कुछ कहा भी था।

श्री मेघराज तावड़ : मन्त्री महोदय से आश्वासन देने के लिये कह रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन है आपने जो मेहनत की है, आपने जितने योग्य आदमियों को पाली जिले में लगा रखा है, मैं याद दिलाना चाहूंगा आपने शायद अपनी योग्यता देखते हुए हमारे एक्स.ई., एन. जे. के. शर्मा हैं, उनका स्थानांतरण करके जवाई जैसे अच्छे प्रोजेक्ट में लगाया है, लेकिन पाली जिले में कई कार्यों की गति इस कारण रुक गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसे अनुभवी अधिकारियों को पाली जिले में ही रखें ताकि छोटे-छोटे काम पूरे हो सकें। सभापति महोदया, सिंचाई मंत्री परसराम जी मदेरणा की जितनी प्रशंसा की जाये वह कम है। इन्द्र के बाद अगर कोई है तो वह परसराम जी मदेरणा हैं जो किसानों को सारी सुविधायें दे रहे हैं। यह विपक्ष वालों की आदत है हंसते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे लेकिन सभापति महोदया, आप भी जानती हैं कि इतने मजबूत और तुरन्त एक्शन लेने वाले मंत्री कम होते हैं, जिनमें परसराम जी एक हैं, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द शर्मा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया शान्त रहें।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदया, सिंचाई विभाग पर अभी पक्ष और विपक्ष की ओर से जो भी सुझाव आये हैं उसी के साथ मैं अपने आपको सम्मलित करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। सिंचाई विभाग कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बहुत कुछ कह दिया है और हमारी राज्य सरकार कितनी

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

जागरूक है, इसका प्रमाण है कि सबसे श्रेष्ठ योग्य मन्त्रीगण इसमें लगाये गये हैं। एक नहीं, चार-चार मन्त्री हमारे इस विभाग को सम्भाले हुए हैं। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी बड़ी हमारी योजनायें हैं, जिन पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं उसी के साथ साथ छोटी-छोटी योजनाओं की तरफ ध्यान कुछ कम है। उसके कारण छोटी-छोटी जगहों पर जहां छोटे-छोटे नाले बहते हैं, जहां पर पानी व्यर्थ जाता है, वह पानी नहीं रोकने के कारण काश्तकारों को बड़ी भारी परेशानी हो रही है। मैं पिछले तीन साल से लगातार इस बारे में निवेदन करता आ रहा हूं कि जो भी माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उन पर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो हमको और भी ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, गत वर्ष मैंने निवेदन किया था मन्त्री महोदय से और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारे जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनके अन्दर बी. सी. रेयो का बड़ा भारी अड़ंगा पड़ा हुआ है। बेनिफिट आफ कॉस्ट यह कहते हैं कि एक तरह का यह विभाग का आंकड़ा है कि कितना पैसा हम खर्च करेंगे और कितनी उससे हमें इनकम होगी। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था कि मन्त्री महोदय इसको अच्छी तरह से देखिये, हो सकता है केन्द्र सरकार ने आपके ऊपर किसी तरह की बाधा उत्पन्न कर दी हो, हमारे राजस्थान में बी. सी. रेश्यो लागू होता ही नहीं है। अगर आप एक प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे तो उसका 1.5 बी. सी. रेश्यो आपने दिया हुआ है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बी. सी. रेश्यो पूरा हो जाने के बाद वर्क का 0.4 और 0.5 भी नहीं रहता है। यह सैंक्शन करते समय, हमारे वर्क शुरू करते समय इस बी. सी. रेश्यो को बीच में से हटा देना चाहिए क्योंकि यह लागू नहीं होता। इसकी जो उपलब्धि प्राप्त होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, इससे असमानता बढ़ती जा रही है हमारे यहां पर जिन प्रोजेक्ट्स को करना चाहते हैं जिनसे हमको इंडायरेक्टली बहुत लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। इसलिए कृपा करके इसको अच्छी तरह से देखें। मैं इसके बारे में सुझाव देना चाहूंगा, मैं कहता हूं आप राजस्थान के किसी भी जिले के, किसी भी प्रोजेक्ट को उठाकर देख लीजिए, सूची बनाकर देख लीजिए हमको जो बी. सी. रेश्यो प्रोजेक्ट के सैंक्शन के टाइम में दिया था वह कम्पलीशन के टाइम पर किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। वह नहीं मिल सकता। इसको सैंक्शन करने के टाइम पर तो इस बी. सी. रेश्यो के अड़ंगे को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए तभी हम इन छोटे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं। आज हमारी कंडीशन यह हो गई है कि लिखकर देते हैं मन्त्रीजी को तो मन्त्री महोदय तत्काल लिख देते हैं कि सर्वे किया जाए और तखमीना बनाकर भेज दिया जाए। डिफिकल्टी आ जाती है विभाग को जब वह बी. सी. रेश्यो निकलवाने के लिए बैठते है, उसको खींचतान कर, छोटा बड़ा करके उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। बनाकर उसको दे देते हैं, परसुएन्स करके

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

कर दिया तो हो गया अन्यथा क्या होगा कि छोटे अधिकारियों के हाथ में दे दिया तो बी. सी. रेश्यो नहीं आता है तो लिखकर भेज देंगे कि बी. सी. रेश्यो नहीं आता है इसलिए प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। नतीजा यह निकलता है कि कई प्रोजेक्ट्स जिनके पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं या नेता लोग पड़े रहते हैं तो बी. सी. रेश्यो बढ़वा लेते हैं। असलियत यह है जिसके पीछे नहीं पड़ते हैं, बी. सी. रेश्यो नहीं समझते हैं तो वह नहीं बन सकता। इससे वह प्रोजेक्ट बनने से वंचित रह जाता है और प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। मेरा निवेदन है कि पिछले साल आपने आश्वासन भी दिया था तो, मन्त्री महोदय, आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बी. सी. रेश्यो को राजस्थान से बिल्कुल हटा दो जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, नये प्रोजेक्ट्स के साथ उन पुराने प्रोजक्ट्स की तरफ कुछ ध्यान देना पड़ेगा। आपने आधुनिकीकरण डिवीजन राजस्थान में बनाई हैं और उसके अन्दर यह तय किया है कि जो भी सिंचाई के पुराने प्रोजेक्ट हैं उनके अन्दर हम नई तकनीक के हिसाब से सीपेज को रोकेंगे, ऑपरेशनल लॉसेज को रोकेंगे। हम नई तकनीक लगाकर जहां पर हमारा पानी वेस्ट हो रहा है उसको रोकेंगे यह हमारा सिद्धांत है, लेकिन नतीजा यह है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो माडर्नाइजेशन डिवीजन के अन्दर हैं उनको उठाकर देख लीजिये, केवल लाइनिंग करने के अतिरिक्त वहां कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद भी अगर उनको लाइनिंग का काम जंचता है तो कर दिया, नहीं जंचता तो नहीं करते। जवाई प्रोजेक्ट हमारा जोधपुर डिवीजन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अन्दर आज से करीबन चार-पाँच साल पहले माडर्नाइजेशन स्कीम चालू है, वहां पर स्टाफ लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जितना खर्च का प्रावधान है उतना खर्चा नहीं हो रहा है। नतीजा यह निकल रहा है कि वह वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप यह कर दीजिए कि हम इसको माडर्नाइजेशन नहीं करेंगे ताकि स्टाफ को वहां से हटाया जा सके। अन-नेसेसरी वहां पर एक्सपेंडिचर न हो। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ पैसा दीजिए ताकि काम शुरू हो। एक जान को आफत यह आ रही है कि स्टाफ लगा हुआ है, लोग हमारी जान खाते हैं कि यह कहां का दफ्तर है, हम कहते हैं जवाई कैनाल को ठीक करने के लिए काम हो रहा है। तो कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। आपके तीन चार ओवरसियर, अधिशाषी अभियन्ता वहां बैठे हुए हैं, काम एक कौड़ी का नहीं हो रहा है। मैं दावे से कहता हूं कि पिछले दो साल से जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना पैसा वर्क में नहीं लग रहा है। इसलिए मेरा इसमें कहना है कि जो वर्क चल रहे हैं उन पर आप ध्यान रखें। यह ऐसे काम हैं, आपके पास बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, यह छोटे-मोटे प्रोजेक्ट की बात है, आप उलझे हुए हैं कि इसका हम सी. डी. सर्वे करवा रहे हैं, केचमेंट एरिया, कमांड एरिया का सर्वे करा रहे हैं सिंचाई विभाग इसको कर रहा है। इसके साथ-साथ आपके बहुत से डिवीजन लगे हुए हैं, सर्किल लगे हुए हैं उनको छोड़कर एग्रीकल्चर विभाग को दे दिया जाये और

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

राय ले ली जाये कि यहां पर कौनसा काम हो सकता है, That is Sufficient. उनको यह दे दिया जाए कि किसका सी.डी. सर्वे कर, कर हमको भेज दो, वह लेकर बैठे हुए हैं चार साल से और कोई आया ही नहीं, हमारे इंजीनियर्स बैठे हैं कि जब तक रिपोर्ट नहीं आयेगी काम नहीं हो सकता। हमारे स्टाफ पर पैसा फालतू लग रहा है। माननीय सभापति महोदया, मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मन्त्री जी योग्य हैं, मैं समझता हूं हमारे एरिया के. जोधपुर डिवीजन के सबसे वरिष्ठ और सबसे अच्छे जानकार है एक-एक गांव को और एक-एक प्रोजेक्ट को समझते हैं, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : जवाई के सिंचित एरिया में पानी ठीक मिल रहा है ?

श्री गोकुलचन्द शर्मा : इसके बारे में मैं धन्यवाद दूंगा आपको। मैंने लास्ट में यह रखा था कि जो कुछ आपने किया है उसके लिये हृदय से धन्यवाद देता हूं। जितना इस बार आपने पानी दिया है हमारे जवाई के इतिहास में पहली बार यह चांस है कि इतने समय में पानी मिला है, इससे पूर्व हम पानी से वंचित ही रहे। हमारी फसलें जलती रहीं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें, आपस में बातें नहीं करें।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि माडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं उस स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट लिये हुए हैं उनको हम पहले नहीं देख रहे हैं। जवाई प्रोजेक्ट के बारे में यह माडर्नाइजेशन का काम लिया गया इस पर काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, किसकी वजह से नहीं हो रहा, इसके बारे में आप ध्यान देकर इसको पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर कमाण्ड एरिया है आपकी नहरें बनी हुई हैं उनको छोड़कर हम आज नये प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ईरिगेशन विभाग में सिंगल सिद्धांत बन गया है कि डैम बना दिया और अचीवमेंट पूरा कर लिया, लेकिन यह टार्गेट नहीं हुआ। जो हमने लक्ष्य लिये हैं जैसे हमने तय किया है एक हजार एकड़ में इरिगेशन करेंगे और अगर वह नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि वह टार्गेट हमने प्राप्त नहीं किया है। मैं यह मानकर चलता हूं। ईरिगेशन डिपार्टमेन्ट का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं राजस्थान के अन्दर। मंत्री महोदय जब तक आप इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, इसका पूरा एक चार्ट बनाकर नहीं रखेंगे कि इसके अन्दर पूरा पानी भरे, किन कारणों से हमने जो टार्गेट्स लिये थे वे पूरे क्यों नहीं हुए, उसके कारण भी हैं। आज सीपेज हो रहा है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि एक हीछावदी वाकली बंध हैं मेरे यहां पर। सन् 1954 के अन्दर वह बनकर तैयार हुआ था। उस बंधे के अन्दर जब से बनकर तैयार हुआ है 200-

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

250 एम. सी. एफ.टी. बंधा है, पानी नहीं आया । अक्टूबर में खोलने की तैयारी होती है, उसके पहले ही उसके अन्दर से पानी निकल जाता है, सीपेज हो जाता है । तो क्या यह इरिगेशन डिपार्टमैन्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके अन्दर इतना इरिगेशन होना चाहिए वह हुआ क्यों नहीं । उसके अन्दर अगर किसी तरह की कोई डिफिकल्टी है मेन्टीनेन्स में या किसी तरह फण्ड की कमी है तो फण्ड देकर उस प्रोजेक्ट को आप तैयार करें और उसको कम्पलीट करें । उसके साथ ही साथ में जो नहरों पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है मैं कहता हूं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कैनाल के कन्स्ट्रक्शन पर अराई के अन्दर आज विपक्ष की ओर से बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि वहां पर इरिगेशन नहीं हो रहा है । वहां पर इस तरह की डिफिकल्टी है । काम करते हैं तब मालूम पड़ता है और तभी मालूम होगा कि किस तरह से होता है । जो डिफिकल्टीज हैं उन डिफिकल्टीज के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बारे में हमको सव करना पड़ेगा कि हमको यह डिफिकल्टीज क्यों आ रही हैं । उसके बारे में एक कमेटी बना कर भले ही तय कीजिए । मैं छोटे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं । राजस्थान कैनाल के बारे में मुझे अगर समय दिया माननीय सभापति महोदया ने तो मैं जरूर कहूंगा दो बात लेकिन मैं छोटे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं कि छोटी छोटी नालियां बनाकर और नहरें खोद करके उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद के अन्दर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । न ही कहीं पर उसकी चकबन्दी के हिसाब से उसके अन्दर आउटलेट दिये जाते हैं । कहीं पर आउटलेट बड़ा पहले दे दिया तो कहीं पर छोटा दे दिया । आपने एक तय किया हुआ है कि हमारे यहां पर जो प्रोजेक्ट तय हो होते हैं वह चीफ इन्जीनियर के यहां से तय होने के बाद में वह आउटलेट वहीं पर ही लगेगा । उसके बाद के अन्दर उसको अगर हम चेन्ज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर ही अथोराइज्ड है कि उसको चेन्ज कर सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ में हमारे यहां पर यह भी तय होना चाहिए कि हर दस साल के बाद के अन्दर प्रत्येक कैनाल के ऊपर, जिस चकबन्दी के अन्दर परिवर्तन आता है, चाहे चाही लैण्ड बन गयी या किसी तरह से कोई बारानी लैण्ड बन गयी या किसी तरह से आबादी के अन्दर कन्वर्ट हो गयी उन रकबों को बाहर निकालते हुए वहां पर वापस री-चकबन्दी करनी चाहिए और री-चकबन्दी करने के बाद के अन्दर वहां पर उसको कमान्डेड एरिया में वापस सैटिंग करना चाहिए और आउटलेट सैट करना चाहिए अन्यथा यह किसी भी तरह से परिवर्तन आ नहीं सकता और हमारा अचीवमेंट पूरा हो नहीं सकता ।

इसके बाद में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ हमारे बंधे हैं जो, सभापति महोदया, हमने पंचायतों को और पंचायत समितियों को सौंप दिये हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को हमने दिये हुए हैं । आज 2।। हजार एकड़ तक के बंधे हमने रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को दिये हुए हैं । बंधे हम बनाते हैं, नहर हम खोद देते हैं उनके यहां पर

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

टैक्नीशियन्स नहीं हैं और उनका मेन्टीनेन्स और इरिगेशन उन्हीं को दे रखा है। नतीजा क्या है कि हमारे यहां पर जैसे 2।। हजार एकड़ का बंधा है और उसके अन्दर इतना इरिगेशन कर सकते हैं या एक हजार एकड़ में इरिगेशन कर सकते हैं लेकिन नतीजा यह है कि यह उस काम को नहीं समझते, गिरदावरी पूरी करते नहीं हैं और नतीजा यह निकलता है कि मर्जी आये जिस तरह से भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। रेवेन्यू स्टाफ वाले समझते ही नहीं हैं। वह उसको प्रापर्टी मानकर बैठे हुए हैं। तो मेरा यह सुझाव है आपसे, मंत्री महोदय, कि इनको अगर आप देना ही चाहते हैं रेवेन्यू स्टाफ को अव्वल तो रेवेन्यू स्टाफ को यह दें ही नहीं, आप उनसे ले लीजिए, यह काश्तकारों के साथ में बड़ा भारी अन्याय किया जा रहा है। हम बना करके प्रोजेक्ट उनको दे देते हैं लेकिन उनका मेन्टीनेन्स नहीं कर सकते, उनसे इरिगेशन नहीं करा सकते, उनकी गिरदावरी वह नहीं कर सकते और वह उनको समझते तक नहीं हैं। इसलिए हम इरिगेशन डिपार्टमेन्ट वालों को कहते हैं तो वह कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट वालो को हमने दे दिया और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट वालों को कहते हैं तो वह कुछ समझते ही नहीं हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि यह इरिगेशन के प्रोजेक्ट जो भी हैं वह इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के पास में ही रहने चाहिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे दो चार बहुत अच्छे सुझाव हैं, माननीय सभापति महोदया....

श्री सभापति : आप संक्षिप्त में कहें।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। कृपा करके थोड़ा समय दें। मैं निवेदन कर रहा हूं—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठे बैठे बातें नहीं करिये। आप अपनी बात संक्षिप्त में समाप्त कीजिए।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : संक्षेप में ही कह रहा हूं।

ग्राम पंचायतों को 50 एकड़ तक के बंधे हमने दे रखे हैं उनके बारे में मैं निवेदन कर रहा था कि उनके पास न कोई साधन है, न उनके पास कोई इन्जीनियर्स हैं, न उसको समझते हैं। तो कृपा करके उन बांधों को भी अपने पास में रखें और अपने यहां के इन्जीनियर्स को ही दे दें तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे यहां के काश्तकारों को ज्यादा फायदा मिल सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता था, मेरे क्षेत्र के अन्दर जाऊं क्योंकि, माननीय सभापति महोदया, आप समय बहुत कम दे रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता था कि मेरे यहां की बड़ी ज्वलंत समस्यायें हैं उन समस्याओं के बारे में मुझे ज्यादा निवेदन करने की जरूरत नहीं है, हमारे मंत्री महोदय अच्छी तरह से परिचित हैं कि हमारे यहां पर एक कालोनाइजेशन एक्ट लागू कर रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कालोनइजेशन एक्ट बना है, कालोनाइजेशन एक्ट में जहां तक समझता हूं, मैंने रेवेन्यू विभाग के अन्दर

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

भी इस बारे में जानकारी ली है और मंत्री महोदय जब रेवेन्यू विभाग के प्रभारी मंत्री थे तब भी मैंने इसके बारे में निवेदन किया था और मैंने आपसे निवेदन करते हुए यह प्रार्थना की है, कालोनाइजेशन के हमारे मंत्री महोदय भी यहां पर विराजे हुए हैं और इर्रिगेशन के भी बैठे हुए हैं इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि शायद मेरे इस मुद्दे का हल किसी तरह से निकालने की कोशिश करेंगे और कृपा करके कुछ न कुछ अपने जवाब में यह बतायेंगे। मैं जहां तक समझ पाया हूं अब और मुझे बताया गया है कि कालोनाइजेशन एक्ट वहां पर लागू होता है जहां कि सरकारी लैण्ड पड़ी हुई है और जिसको हमें अलाट करना है और उसकी कालोनी को व्यवस्थित रूप से हमको चलाना है नम्बर एक। दूसरी बात, कालोनी उसी को डिक्लेयर की जाती है जहां कि हम एश्योर्ड इर्रिगेशन करते हैं कि हमेशा उसके अन्दर हम पानी देते रहेंगे। मेरा निवेदन यह है कि जवाई प्रोजेक्ट से हो सकता है कि आपने किसी भी जमाने के अन्दर इसको माइनर इर्रिगेशन, मीडियम इर्रिगेशन या मेजर इर्रिगेशन यह तीन टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं और उन तीन टाइप के अन्दर कन्सीडर करते हुए इसको आपने कालोनाइजेशन एक्ट के तहत ले लिया होगा। हो सकता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर कास्ट ज्यादा लगी हो लेकिन आज तो यह मेजर से मीडियम बन गया है क्योंकि नार्म्स हमेशा चेन्ज होते रहते हैं और यह सेन्टर से संबंधित है। तो यह आज हमारा मेजर नहीं होकर मीडियम बन गया। तो वहां भी अगर हम देखते हैं तो कालोनाइजेशन एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो यह हुई कि हमारे यहां पर 200 बीघा भी रकबा आज सरकारी भूमि नहीं है जिसको कि आप अलाट कर सकें—एक बात। दूसरी बात एश्योर्ड इर्रिगेशन की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 42.4 हजार एकड़ आपने इर्रिगेशन हमारे इस जवाई प्रोजेक्ट के ऊपर ईयरली दिया हुआ है लेकिन नतीजा यह है कि आप यहां से जोधपुर वाटर सप्लाई के अन्दर पानी दे रहे हैं, पाली के अन्दर पानी दे रहे हैं, दूसरे रूरल एरियाज के अन्दर पानी दे रहे हैं। हमारे यहां पर आज तक रिकार्ड उठाकर देखेंगे तो 19,200 एकड़ में ईयरली एवरेज इर्रिगेशन हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एश्योर्ड इर्रिगेशन हमारे यहां पर नहीं होता है। अलाटमेंट करने के लिए इनके पास में जमीन भी नहीं है लेकिन नतीजा यह है कि जो खातेदारी राइट्स हमारे दिये हुए हैं और जो टिनेन्सी एक्ट आपका लागू हुआ था जिस समय हमारे यहां कालोनाइजेशन एक्ट लागू नहीं हुआ था उसके पहले के जो ट्रान्जेक्शन हैं उनका आज तक नामान्तरण नहीं हुआ है। आपने बड़ी कृपा की कि गंगानगर का आपने फैसला कर दिया और गंगानगर वालों को यह राहत दे दी है कि जो ट्रान्जेक्शन पहले हुए थे उन ट्रान्जेक्शन को रेगुलराइज कर रहे हैं लेकिन उसके अन्दर से हमारे जवाई को वंचित कर दिया। मुझे दुख है इस बात का और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम इससे बड़े भारी कष्ट में हैं। इसके बारे में हमने कई बार लिखकर भी दिया

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

है। कृपा करके आप इसके ऊपर तवज्जोह देकर इस कालोनाइजेशन एक्ट से मुक्त करने की कृपा करें तो बड़ी आपकी कृपा होगी। इसके बारे में अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल के अन्दर निवेदन करूंगा कि कहीं पर भी कानूनन भी हम इस कालोनाइजेशन एक्ट के अन्दर लागू नहीं होते हैं। तो मेहरबानी करके अपने जवाब के अन्दर इसके बारे में कुछ कहेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

इसी प्रकार मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं जवाई के बारे में। जवाई के अन्दर अभी आपका 'प्रशासन गांवों की ओर' पिछली साल गया था। जिस टाइम राजस्थान सरकार से एक परिपत्र जारी हुआ था, जिसका बिन्दु नम्बर 21 है उसके अन्दर आपने तय किया था कि जो भी एरिया जिसको न पानी दे सकते हैं, न हमने पहले कभी दिया है और न आगे हम दे पायेंगे उन खसरा नम्बरों को डीकमाण्ड कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जवाई के ऊपर हजारों खसरा नम्बर ऐसे हैं कि जिनको न तो हमने पानी कभी दिया, न हम दे रहे हैं, न दे पायेंगे कभी भी लेकिन उनकी कमाण्ड में देने की वजह से जैसा अभी भीलवाड़ा से आये हुए माननीय सदस्य बता रहे थे कि अलाटमेन्ट के ऊपर पौने चार सौ और पांच सौ रुपया उनको देने पड़ते हैं और कालोनाइजेशन एक्ट के अन्दर शामिल होने के कारण कमाण्ड के अन्दर उसका सब पैसा वसूल करना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ दो मिनट का समय दें, माननीय सभापति महोदया। तो मेरा निवेदन यह है कि उनको डीकमाण्ड करने की जो भी प्रक्रिया जारी है वह कहां रुकी हुई है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता था। मैंने इसको बड़ी डिटेल के अन्दर देखा है, मैंने सुना है, मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय हमारे दो विभागों में विभक्त हो चुका है। एक विभाग आपका यह है सिंचाई विभाग, दूसरा है रेवेन्यू विभाग। सिंचाई विभाग ने तो एक लाइन लगाकर यह तय किया हुआ कि हमारा तो कमाण्ड है और आप उसको कमाण्ड मान रहे हैं लेकिन आपके रेवेन्यू विभाग ने क्या किया है, जैसे एक गांव है कुमावा लेकिन उसके अन्दर केवल 10 खसरा नम्बरों को पानी देते हैं लेकिन उस पूरे गांव को उन्होंने कमाण्ड में शो कर रखा है और उसके ऊपर हमारे पैसे लगा रहे हैं और अलाटमेन्ट पर पैसा चार्ज हो रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके जिस एरिया को पानी दे रहे हैं और जो लाइन शो की हुई है उसके बाहर के जो भी खसरा नम्बर हैं दूसरे गांव के, उनको डिकमान्ड करने की कृपा करवायें तो आपको बड़ी कृपा होगी।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : दो मिनट, मैं निवेदन करना चाहता था कुछ काम हमारे फेमिन में बहुत अच्छे हुए हैं और उन कामों के अन्दर बहुत सारा काम कम्पलीट

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

हो चुका है। बहुत छोटे छोटे काम बाकी रह गये हैं, उन कामों के लिये जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है और निवेदन किया है उसके बारे में मैं विशेषकर यह कहना चाहता हूं कि कई एक बान्ध ऐसे छोटे छोटे हैं जो करीबन 150–200 एम. सी. एफ. टी. पानी सब्सडाइज करते हैं जवाई प्रोजेक्ट से। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स का नाम बताना चाहता हूं और वो करीब करीब तैयार पड़े हुये हैं जैसे गन्नेराव टैंक, दूजाना टैंक, साण्डेराव टैंक, तखतगढ़ टैंक, कपूरिया नाला टैंक—ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स है और छोटे छोटे टैंक्स हैं जिनका करीब 150 एम.सी.एफ.टी.पानी जवाई कमान्ड को दे देंगे और उससे जो हमारे जवाई के अन्दर पानी की कमी है, उसको हम पूरा कर सकेंगे। इसलिये आप कृपा करके जो छोटे छोटे काम हुए थे उसको पूरा करवाने को कृपा करें। इसके अलावा मारून्दा आदि को भी कम्पलीट करवायेंगे तो बड़ी कृपा होगी। अन्त में दो मिनट राजस्थान कैनाल के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। आपने आलरेडी ज्यादा समय ले लिया है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : राजस्थान कैनाल के बारे में मैंने पिछले साल भी कहा था कि राजस्थान कैनाल हमारे लिये वरदान है और राजस्थान कैनाल के जब से हमारे चन्दनमल जी बैद मन्त्री बने हैं, मैं इनके लिये कितने हृदय से धन्यवाद दूं, वह मैं कह नहीं सकता। इन्होंने जिस तरह से मेहनत करके, हमारे इंजीनियर्स ने जिस प्रकार से मेहनत करके काम किया है, उस काम को आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी और मुझे इस बात की खुशी है कि रामसिंह आयोग की बात कर रहे थे हमारे माननीय सदस्य....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। नहीं अब समाप्त कर दें।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : बस एक मिनट में समाप्त् कर देता हूं।

सभापति महोदया, एक आई ए एस आफिसर अगर एक टेक्निकल आदमी की कोई भी जांच करता है तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसी रिपोर्ट को आप खड्डे में ले जाकर डाल दीजिये। वे उसको समझ नहीं सकते हैं। एक—

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य, बहुत हो गया। आपने अपनी सारी बातें कह दी हैं।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : सभापति महोदया, मुझे कह दिया जाय कि तुम इन्जेकशन लगा दो तो मैं नहीं लगा सकता हूं। इसी प्रकार की यह स्थिति बन गई है रामसिंह आयोग के बारे में। हमारे इंजीनियर्स पर जो तलवार लटकाई है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कर दे।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि रामसिंह आयोग ने हमारे काम

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

को रोक रखा है और हमारे इंजीनियर्स पर तलवार लटका रखी है। इसको बन्द किया जाय—

श्री सभापति : समाप्त कीजिये। समाप्त करें, माननीय सदस्य, बहुत कुछ हो गया है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष मेरे यहां जवाई बान्ध से जो इरिगेशन हुआ, उसके लिये मैं मन्त्री महोदय को और हमारे दोनों मन्त्री महोदयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर।

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदया, आज सिंचाई पर चर्चा चल रही है सदन के अन्दर, मैंने पिछले सदन के अन्दर भी मन्त्री महोदय को अलवर के नालों के बारे में बताया था। वे नाले एक तो लण्डवा के नाम से पुकारा जाता है और दूसरा साबी। इन नालों का पानी राजस्थान से हरियाणा को जाता है अगर उस पानी को रोक दिया जाय तो, मन्त्री महोदय, हजारों गांव सैराब किये जा सकते हैं, जबकि राजस्थान एक बूंद बूंद पानी के लिये तरसता है। हमारा पानी बाहर जाता है और उससे हरियाणा वाले लाखों रुपयों का ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों का फायदा उठाते हैं। इस पानी से वहां के जितने भी बान्ध हैं वे सबके सब से भर जाते हैं। लण्डवा जो है वह रामगढ़ और नौगांवा से होता हुआ रावली और कामेडा में भरकर आगे निकल जाता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है, मन्त्री महोदय, कि इन नालों की तरफ भी ध्यान दें और इनके पानी को हमारे यहां ही रोकें तो बड़ा फायदा हो सकता है।

सभापति महोदया, गुडगांव कैनाल जिस पर 15–20 साल से काम चल रहा है और हर साल करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। वह जहां तक पुख्ता बन चुकी है मैं आशा करता हूं कि उससे इस बार पानी दिलाया जायेगा और माइनर जो निकली गई है वह साफ नहीं होती है। हर साल सरकार का पैसा खर्च होता है और उसको भी मुकम्मिल नहीं कराया जाता है इसलिये उसको मुकम्मिल कराया जाय। सभापति महोदया, हमारे यहां सिंचाई के लिये जो छोटे-छोटे बांध हैं बरसात के अन्दर उन बांधों में पानी इकट्ठा होता है। हमारे कर्मचारी जो उन बांधों पर रहते हैं वे लोगों से मिलकर उस पानी को समय समय पर निकालते रहते हैं जिससे उन बन्धों में आखिर जब बरसात रुक जाती है तो तीन तीन, चार चार फीट ही पानी रह जाता है और सिंचाई के लिये किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। इसलिये अगर वे बांध है तो उसको कम से कम 10–12 फीट तक पानी रुकवाना चाहिये।

सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में जो बाढ़ समय समय पर आती है उसके बारे में मैं

(श्री चाव खां)

पहले भी आपको बता चुका हूं। वह बाढ़ आती नहीं है बल्कि उस बाढ़ को लाया जाता है। हमारे जो वहां पर एक नहर निकाली है, जो उजिना नहर के नाम से निकाली गई है उसके अन्दर तीन रेगूलेटर हैं—एक रेगूलेटर हरियाणा बोर्डर पर, दूसरा रेगूलेटर यू. पी. बोर्डर पर और एक खन्डूका और एक खेरावा। मतलब जब फ्लड का पानी खेरावा रेगूलेटर रोक देने के कारण ज्यादा तादाद में जाता है और वहां पर पहुंचता है तो रेगूलेटर्स रोक दिये जाते हैं, बन्द कर दिये जाते हैं और जब उन रेगूलेटर्स को बन्द कर दिया जाता है तो पानी 10-15 फीट हमारे इलाके में चढ़ जाता है और बहुत सारे गांव डूबत में आ जाते हैं। उस पानी को निकालने के लिये जब कहा जाता है तो हमको जवाब मिलता है कि यदि हम इस पानी को निकालेंगे तो यू. पी. डूब जायेगी। इसलिये इसमें मेरा निवेदन है, जो रेगूलेटर हैं वे इस काम के लिये होते हैं कि जब बरसात होती है तो मोरी का काम देते हैं, पानी को निकालने का काम करते हैं। अगर मोरी को बन्द कर दिया जाय तो जो वहां उससे क्षति होती है उसको बचाया जा सकता है इसलिये उन रेगूलेटर्स को खुला रहने दिया जाय। अगर वे खुले रहते हैं तो कभी फ्लड आ नहीं सकता और जो दूसरा पानी इकट्ठा होता है वह अपने रास्ते चला जायेगा। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि जो छोटे छोटे बान्ध हैं जिनको पंचायत समिति के माध्यम से बंधवाया है, दे रखा है, उन पर पैसा खर्च होता है लेकिन उसका काफी दुरुपयोग होता है और फायदा सिंचाई के लिये कुछ नहीं है। पंचायत समितियों के पास जो बान्ध है, उसमें मेरा निवेदन है कि कहीं पर भी जांच करा ली जाय एक इन्च जमीन भी सेराब नहीं होती है। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि उन बांधों को भी सिंचाई विभाग अपने हाथ में लें।

श्री सभापति : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदया, राजस्थान नहर सारे हिन्दुस्तान के लिये एक गौरवशाली और गौरवता का एक प्रोजेक्ट है। आज अगर आप आर डी 12 पर जाकर अवाई पुल पर खड़े हों तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूर्णतः सहमत हूं कि रोमांच पैदा होता है। यह हमें देखकर खुशी होती है कि हिमालय का पानी जैसलमेर के अवाई बांध तक पहुंच गया। लेकिन, सभापति महोदय, राजस्थान नहर पर जैसलमेर जिले की, पश्चिमी राजस्थान की ओर सारे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। नजरें इसलिये टिकी हुई हैं, सभापति महोदया, कि प्रदेश के काश्तकारों को यह विश्वास है कि वहां उनको भूमि आवंटित की जायेगी। मेरी यह मान्यता है कि भूमि तो आवंटित की जायेगी काश्तकारों को लेकिन विधि की विडम्बना यह है, सभापति महोदया, कि जिस काश्तकार के खेत में से राजस्थान कैनाल गुजर रही है उसको कई समस्यायें उत्पन्न हो चुकी है। सभापति महोदया, भूमि आवंटन के लिये काश्तकारों से जैसलमेर जिले में भूतपूर्व जैसलमेर रियासत के 1955 के रिकार्ड की मांग की जा रही है। दिक्कत यह है, सभापति

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

महोदया, कि जैसलमेर भूतपूर्व रियासत का कोई रेवेन्यू रिकार्ड उपलब्ध नहीं था और यह भी, सभापति महोदया, हकीकत है कि जैसलमेर जिले में समरी सेटलमेंट सन 57 में शुरू हुआ और करीब करीब 60 में समाप्त हुआ। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि सन् 1955 का रिकार्ड मांगा जा रहा है, वह 55 का रिकार्ड नहीं होकर सन् 60 के रिकार्ड पर आधारित जो भू अभिलेख है उनको मान्यता दी जाये। सभापति महोदया, विधि की विडम्बना मैंने इसलिये कहा था कि कहीं तो राजस्थान नहर क्षेत्र में बाहर के काश्तकार यह अपेक्षा करते हैं कि उनको जमीन मिलेगी, भूमि आवंटित होगी लेकिन जैसलमेर में भूतपूर्व रियासत के काश्तकारों से सन् 55 का खाता मांगा जा रहा है। सभापति महोदया. आज सन् 55 से अब तक 30 वर्ष हो गये और इन तीस वर्षों के दौरान काश्तकारों के कितने लड़के हुए और कितने पोते हुए और कितनी आबादी अपनी बढ़ गई, इससे आप भलीभांति परिचित हैं। अगर 30 वर्षों में काश्तकार के चार लड़के भी हों तो उसका एक ही खाता मानना वहां के काश्तकारों के साथ बड़ा भारी अन्याय है। सभापति महोदया, यही नहीं सन् 55 से पूर्व काश्तकारों का वहां कब्जा मानते हैं और उस कब्जे के अन्तर्गत 25 बीघा नि:शुल्क और शेष जमीन की कीमत अदा की जायेगी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या जैसलमेर के काश्तकारों ने रियासत के समय में टैक्स नहीं दिया ? क्या जैसलमेर के काश्तकारों ने जब से राजस्थान स्थापित हुआ तब से अब तक टैक्स नहीं दिया तो ? यह 25 बीघा नि:शुल्क और 25 बीघा का आप किश्तों में पैसा लेना चाहें यह कतई उपयुक्त नहीं है। वहां का काश्तकार इस हैसियत में भी नहीं है कि जो आपने दरें निर्धारित की हैं वह किश्तें भी दे सकें। सभापति महोदया, जो किश्तों की दरें निर्धारित की गई हैं वें इस इस प्रकार हैं भूमि नाली 50 हजार रुपया, लाइट लैंड 35 हजार रुपया, सैण्डी लैंड 25 हजार रुपया, अन्य कमाण्ड नाली 7 हजार रुपया। सभापति महोदया, जैसलमेर के उपविनेशन क्षेत्र को एक ही कैटेगरी में रखा गया है लाइट लैण्ड। लाईट लैंड के अन्तर्गत 35 हजार रुपया प्रत्येक मुरब्बे की दर निश्चित की गई है। मेरा यह मानना है, माननीय मन्त्री जी मानेंगे कि पूरे जिले में या पूरे कालोनाइजेशन क्षेत्र को एक कैटेगरी में रखना बिल्कुल गलत बात है। लाइट लैण्ड बहुत कम है दिक्कत तो यह है अधिकतर भूमि सैण्डी लैण्ड है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस भूमि का सही अनमूलन किया जाये। सभापति महोदया, जैसलमेर का काश्तकार आज इस कैनाल से इतना प्रसन्न है और जैसलमेर का ही नहीं, मैं तो कहूंगा प्रदेश का हर आदमी, प्रदेश का ही नहीं सारे हिन्दुस्तान के व्यक्ति इस राजस्थान नहर की तरफ आंख लगा करके और इस इम्बीशियस प्रोजेक्ट को पूरा करने में और सफल बनाने में माननीय मन्त्री महोदय को सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन, सभापति महोदया, अगर जैसलमेर के काश्तकारों से सन् 55 का खाता मांगा गया, अगर जैसलमेर के किसानों

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

के साथ 35 हजार की कीमत तय की गई है, यह हो गई तो वहां का काश्तकार, मैं आज माननीय मन्त्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं, एजीटेशन करेंगे। वहां का का तकार बड़ा दुखी है इस सिलसिले को लेकर। मेरा आप से निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय वहां के काश्तकारों को सीलिंग सीमा तक निःशुल्क जमीन दी जाये। सभापति महोदया, जैसलमेर जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी मिल वहां स्थापित की गई है और उस रेंज में अनेक गांव आये। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि उस मिल रेंज में जो गांव आये हैं उन गांवों के प्रत्येक काश्तकार को सीलिंग सीमा तक निःशुल्क भूमि दी जाये। सभापति महोदया, यही नहीं जैसलमेर और बाड़मेर में हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी सैन्चुरी स्थापित की गई है जिसका नाम नेशनल डेजर्ट पार्क है। है। सभापति महोदया, वह नेशनल डेजर्ट पार्क 3 हजार वर्ग किलोमीटर में है और इस नेशनल डेजर्ट पार्क में जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव आये हैं, पहले हमें समझाया गया था, वैसे जब इस विभाग की मांगें आयेंगी तब मैं बोलूंगा लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं, सभापति महोदया, पहले यह बताया गया था कि तीन हजार वर्ग किलोमीटर में सैंक्चुरी स्थापित की जायेगी और केवल 10 पर्सेंट में जहां तारबन्दी की जायेगी उसको नेशनल पार्क घोषित किया जायेगा परन्तु, सभापति महोदया, इस पर सारे क्षेत्र को नेशनल डेजर्ट पार्क घोषित किया जा रहा है और अगर यह नेशनल डेजर्ट पार्क घोषित होता है तो वहां की रियाया, मवेशी, मनुष्य सभी को इस परिधि को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा....

श्री हेमाराम चौधरी : सिंचाई से इसका क्या सम्बन्ध है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : मैं आ रहा हूं, आप सुनिये तो। घोरीमन्ना भी उसमें है अल्टीमेटली। सभापति महोदया, जो गांव नेशनल डेजर्ट पार्क की परिधि में आते हैं मैं मन्त्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि इन ग्रामों के किसानों को प्रत्येक काश्तकार को सीलिंग सीमा तक निःशुल्क भूमि प्रदान की जाये। सभापति महोदया, राजस्थान नहर क्षेत्र में एक बड़ी भारी अनियमितता हो रही है। अनियमितता का कारण यह है, सभापति महोदया, कि राजस्थान नहर क्षेत्र काश्तकारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं बिक्री अधिनियम, 1975 की धारा 17 के तहत हजारों नोटिस दे दिये गये। नोटिस क्या है, सभापति महोदया, आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़कर सुनाता हूं। सभापति महोदया, यह बहुत ही अहम मसला है इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे इसे पढ़ कर सुनाने दिया जाये।

(4.27 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

"नोटिस है—राजस्थान सरकार न्यायालय उप आयुक्त उप निवेशण एवं सहायक कलेक्टर, नाचना। नोटिस बनाम। अनूप

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

सिंह सन आफ रेवत सिंह राजपूत साकिन धारियाली खण्डाली। आपको एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके नाम राजस्व भूलेख में दिनांक 15-10-55 को पहले 37 ए कमाण्ड, अन कमाण्ड, बारानी रकम सहित दिलाई गई है। आपने उक्त रकम में से 25 बीघा रकबा निःशुल्क 12 बीघा रकबा राजस्थान उप निवेशण राजस्थान नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं बिक्री अधिनियम 1975 के नियम 17 में निर्धारित मूल्य जमा कराने पर राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1983 के अन्तर्गत परीक्षण कर नियमानुसार खातेदार घोषित किया जा सकता है जिसमें मे आप द्वारा जमा रुपया राशि समायोजित की जा चुकी है। अतः आप अधिनियम की धारा 15 एए (3) के अन्तर्गत कुल 12,800 रुपये की जरिये चालान खजाना राज में जमा कराकर प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रति दिनांक 22-3-84 तक पेश करें ताकि आपके मामले में कानून के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जा सके। उपआयुक्त, उप निवेशण राजस्थान नहर परियोजना नाचना"।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे हजारों नोटिस जारी हुए और इस नोटिस को पढ़ने से यह साफ जाहिर होता है कि इस व्यक्ति के पास तो जमीन थोड़ी है जिनके पास ज्यादा भूमि है, अध्यक्ष महोदय, चार चार लाख के नोटिस दिये हैं, सात सात लाख के नोटिस दिये हैं और आप भूमि तभी देंगे जब वह 15 हजार रुपया या एक लाख रुपया जमा कराये फिर 25 बीघा निःशुल्क लें। अध्यक्ष महोदय, जितनी जमीन उसके पास है, एकार्डिंग टू रेंट पैसा जमा कराये फिर वह अपनी 25 बीघा जमीन ले। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के नोटिस जो दिये गये हैं, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन नोटिसेज के पीछे क्या लक्ष्य है? ये जो नोटिस दिये गये हैं इन नोटिसेज से साफ जाहिर होता है कि आप वहां के काश्तकारों को हरदम के लिये खत्म करना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि जैसलमेर या बाड़मेर या पश्चिमी राजस्थान का कोई काश्तकार नहीं पनपे और आपने जो रिजर्व पैदा किये उसको धनाढ्य सेठों को बेचा जाय और बाहर के लोग, पैसे वाले लोग आकर वहां बसें और वहां की जो रियाया है, जो पश्चिम राजस्थान की रियाया है उसको इस राजस्थान नहर से कतई फायदा नहीं हो।

श्री नन्दलाल मीणा : सेठों को ही पनपाएंगे चन्दन मल जी।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उप-निवेशक अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत राजस्थान उप— निवेशन क्षेत्र जैसलमेर में कई बेदखली की कार्यवाहियां हुई हैं।

श्री चन्दन मल बैद : मैं आपकी इन्फार्मेशन के लिए बता दूं, वैसे माननीय सदस्य बोलें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितने मुद्दे आप उठा रहे हैं सब कालोनाइजेशन डिपार्टमैन्ट से सम्बन्धित हैं। बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फरमायें मैं लिख भी रहा हूं।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : कालोनाइजेशन, मैं समझा नहीं। बिल्कुल मांग संख्या देखिये, हुकुम।

श्री देवीसिंह भाटी : हमने आपके सचिवालय से कन्फर्म किया है और एक्सेप्ट किये गये हैं कटौती प्रस्ताव। यह तो सारे इसके अन्दर दिये गये हैं। मन्त्री महोदय, पता नहीं किसी से कन्फर्म कर नहीं पाये। यह जरा इनको कटौती प्रस्ताव तो दिलवाइये वरना इनकी न तो तैयारी है न उत्तर दे पायेंगे जबकि कटौती प्रस्ताव तो छप चुके हैं उप-विनेशन विभाग के।

श्री चन्दन मल बैद : कटौती प्रस्ताव सर्कुलेट हुए होंगे लेकिन जमीन का एलाटमैन्ट, जमीन की कीमत तय करना, जमीन किस को देना, किस किसान को देना, कहां की देना किसमें देना यह तो कालोनोइजेशन का काम है। यह राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का काम नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : उप-विनेशन का यह कटौती प्रस्ताव है।

श्री चन्दन मल बैद : तो उप-विनेशन की मांग तो आज नहीं है। मुझे आपके बोलने पर कोई एतराज नहीं है आप बोलिये लेकिन इतने जवाब से आप नहीं दे सकेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सारे कटौती प्रस्ताव छप चुके हैं, सर्कुलेट हो चुके हैं और मन्त्री महोदय ने अभी तक कटौती प्रस्ताव को ही नहीं देखा तो क्या उत्तर देंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं उस इलाके से परिचित हैं और यहां पर धारा 15 के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत हजारों आवेदनों पर निर्णय होना शेष है। हजारों आवेदन इस धारा 15 (A A A) के अन्तर्गत इनके यहां प्राप्त हो चुके हैं और उन पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। उसके साथ साथ यह क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान उप-विनेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही कर रहे हैं, कई काश्तकारों को बेदखल किया जा चुका है और कई काश्तकार बेदखल हो रहे है। अध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा यह निकलेगा कि वहां का काश्तकार आने वाली भयावह समस्या में, भारी मुसीबत में पड़ेगा, वकीलों के चक्करों में पड़ेगा और उसका पैसा व्यर्थ के काम में बर्बाद होगा जबकि माननीय मन्त्री महोदय अगर चाहें तो इसका आप सीधा सादा हल निकाल सकते हैं जो एलाटमैन्ट हो रहे हैं, बेदखली की कार्यवाही स्थगित कर दें और बेदखली की कार्यवाही स्थगित नहीं करते हैं तो इस सैक्शन 22 के तहत जो बेदखल हो रहे हैं उससे वहां के काश्तकारों को बड़ा भारी नुकसान और हर्जाना पहुंचाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन है, अनुरोध है कि आप जब तक ये केस ट्रिपल ए वाले तय नहीं होते तब तक कृपा करके इसको स्टे प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर योजना राजस्थान मुख्यालय का मूल रिकार्ड तहसील नाचना में उपलब्ध कराया नहीं जा रहा और यह मूल रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने से वहां के काश्तकारों को

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, रिकार्ड सब आपको दे दिया। सब बीकानेर चला गया। अब आपने उप-तहसील नाचना में खोल दी लेकिन जब वहां का काश्तकार नाचना जाता है और अगर वहां का काश्तकार अपना पुराना रिकार्ड देखना चाहता है तो उसको यह जवाब मिलता है कि यहां उसका रिकार्ड नहीं है, उसको अगर रिकार्ड देखना है तो वह वहां जाय, बीकानेर जाय। मेरा आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय निवेदन है है कि आप कृपा करके जो उप-तहसील नाचना में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर एक बात और मन्त्री महोदय, से अर्ज करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में जो सेवण घास का बाहुल्य इलाका है और, अध्यक्ष महोदय, यह एक विधि की इतनी बड़ी भारी देन है इस इलाके को कि जिससे वहां के लाखों पशुधन की संख्या बढ़ती है और पलती है और जैसलमेर की ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर की मवेशी भी वहां आती है, आपके इलाके की मवेशी आती है, अध्यक्ष महोदय, और यहां तक कि बीकानेर से लगते हुए इलाके हैं उनकी मवेशी भी जैसलमेर चरने के लिए आती है और नागौर जिले की भी आती है और अगर आज जब यह नहर का आवागमन हो रह है और गोचर भूमि छोड़ी जा रही है तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जो सेवण घास के बाहुल्य एरियाज हैं या इलाके हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए आप कोई आवश्यक कदम उठायें ताकि सेवण घास के जो बाहुल्य एरियाज हैं उसमें एनीमल हस्बैण्ड्री पनपेगी राजस्थान में हर साल नहीं तो 3-4 साल में अकाल पड़ता है और राजस्थान नहर हर तरफ तो जायेगी नहीं, राजस्थान नहर के पानी से हर तरफ सिंचित क्षेत्र तो बनने से रहा। पश्चिमी राजस्थान की इकोनोमी आज एनीमल बेस्ड इकोनोमी है तो उसके सार्वाइवल के लिए अनिवार्य है, अध्यक्ष महोदय, कि जो सेवण घास का इलाका है और जो सेवण घास का बाहुल्य इलाका है उसको तुरन्त टच नहीं किया जाय और उसको केवल चरागाह के लिए छोड़ा जाय।

अध्यक्ष महोदय, अब अन्त में मैं राजस्थान नहर के ऊपर दो शब्द बोलना चाहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय राजस्थान नहर के मामले में बहुत टची हैं और राजस्थान नहर का मामला आते ही माननीय मन्त्री महोदय, क्रोधित हो जाते हैं, मैं आपको क्रोधित नहीं करना चाहता। माननीय मन्त्री महोदय आपने इस काम में गति दी है मैं इससे सहमत हूं मैं मानता हू कि आपने इस काम को गति प्रदान की है और मैं यह भी मानता हूं जैसा कि पहले कह चुका हूं कि जैसलमेर में हमारे गांवों में खड़े होकर हिमालय का पानी देखते है तो मैं ही नहीं प्रदेश की सारी जनता, सारे लोग, जिले की सारी जनता, तहसील की सारी जनता भावयुक्त हो जाती है, अध्यक्ष महोदय, और कई लोग घण्टों तक पानी देखते हैं। मैं स्वयं 1200 आर. डी. पर एक घण्टे तक बैठा रहा लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिस

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

तरह से राजस्थान नहर का काम कराया जा रहा है, उस तरह से....

श्री हेमाराम चौधरी : लेकिन....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेकिन परन्तु तो जिंदगी भर लगेगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : जिस तरह से काम कराया जा रहा है यह मन्त्री महोदय के सुनने की बात है आप नहीं समझोगे। जिस तरह आपने काम को गति दी है हम उसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन अगर साथ साथ जिस तरीके से काम करवाया जा रहा है उस तरीके से अगर यह काम होता रहा तो जैसा पूर्व में राजस्थान नहर टूटी है वैसे ही फिर टूटेगी। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन है कि नहर के निर्माण कार्य में कम्पैक्शन का खास ध्यान रखा जाय। रद्दी किस्म की ईंटें नहीं लगें इसका भी ध्यान रखा जाय, सीमेंट और बजरी का मिश्रण सही हो और जो काम किया जाय, जो भी आपका डिपार्टमैन्ट करता है उसको पूर्णतः अच्छी तरह से अगर देखरेख से करवाया जाय तो आने वाले समय में भी अपनी एक्सचैकर का बहुत पैसा बचेगा और आपको भी यह सुविधा होगी। अगर नहर जगह जगह टूटती रही तो, अध्यक्ष महोदय, कितनी बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज मन्त्री महोदय ने घोषणा कर दी की 50 हजार एकड़ हम सिंचित जमीन कर देंगे लेकिन चूंकि नहर सही नहीं बनी या किसी तरह से किसी खामी से नहर टूटी तो नतीजा यह हुआ कि केवल 12 बीघा जमीन सिंचित हुई और वह 12 बीघा सिंचित जमीन में भी, अध्यक्ष महोदय, फसल नहीं हुई। फसल इसलिए नहीं हुई कि पहले तो पानी दे दिया उन्होंने अपने...

श्री अध्यक्ष : इतनी बड़ी नहर से 12 बीघे में ही सिंचाई हो ऐसा हो ही नहीं सकता।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : 12 बीघा में ही हुई है माननीय मन्त्री महोदय का जवाब है आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : मैं यह नहीं कह रहा हूं। 12 बीघा के लिये कैसे नहर चलाएंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, नहर टूट गयी। 50 हजार एकड़ का टार्गेट था और वह टार्गेट पूरा इसलिए नहीं हुआ कि पहले नहर टूट गयी और नहर टूटने से 12 बीघा में ही सिंचाई हो सकी। इसलिए मेरा......

एक माननीय सदस्य : 12 बीघा सिंचित हुई या डूब गयी मामला क्या है?

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : इसलिए मेरा आपके मध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि राजस्थान नहर का कार्य सुनियोजित ढंग से जो स्पेसिफिकेशन्स हैं उनके एकार्डिंगली कराया जाय ताकि आने वाले समय में आपको भी दिक्कत न हो और आम काश्तकारों को भी दिक्कत न हो। अन्त में मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके मध्यम से फिर अनुरोध करता हूं

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

कि जैसलमेर के काश्तकारों के साथ जो यह भेदभाव बरता जा रहा है यह कृपा करके उसको ठीक करने की कोशिश करें और मैं यह विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस मसले पर गौर से विचार करके, सोचकर समझकर वहां के काश्तकारों को खर्चे से बचायेंगे। 45 हजार रुपये आपने जो सीलिंग सीमा तक देना तय किया है उसको रद्द करेंगे और वहां के काश्तकारों की जितनी आप मदद कर सकें उतनी करें। नहीं तो वहां का काश्तकार आज बड़ा एजीटेटेड है। आप स्वयं पधारे हैं वहां, आपके पास वहां के काश्तकार मिलने आये, यह कोई पोलिटिकल इश्यू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई भारतीय जनता पार्टी या जनता (जे.पी.) या कांग्रेस (आई) या लोकदल का प्रश्न नहीं है यह वहां के आम काश्तकार का प्रश्न है और मैं फिर पुरजोर शब्दों में आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह मांग करता हूं कि जैसलमेर के काश्तकारों की हर मांग मानकर और हर मांग को स्वीकार करके उन काश्तकारों को राहत प्रदान की जाय। धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय.........

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्यकुमार, आप बोलना चाहेंगे।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं खास करके सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे बाडमेर जिले में सन 79 के अन्दर लूणी नदी की भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के अन्दर सैकड़ों गांव सैकड़ों ढाणियाँ और सैकडों आदमी और हजारों पशु बह गए थे। परन्तु उसके बाद में अभी तक इस तरह की फिर दुबारा बाढ़ नहीं आई है और यदि आगे कभी इस तरह की फिर भयंकर बाढ़ आई तो उसके बचाव के लिए अभी तक कोई किसी तरह की योजना सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वह स्वयं इस लूणी की भयंकर प्रलयंकारी बाढ़ से परिचित है और अभी जनवरी में ही माननीय सिंचाई मन्त्री स्वयं और हमारे भारत सरकार के सिंचाई राज्य मन्त्री श्री रामनिवास जी मिर्धा दोनों ने बाड़मेर जिले के दौरे में पधारे थे। उस समय दोनों ने सिणधरी में भी किसानों की एक आम सभा को सम्बोधित किया था और सिणधरी के बाद में नगर में भी एक किसानों की सभा को सम्बोधित किया था और इसके बाद में गुढामालानी और गांधा इन दोनों जगह भी आम सभाओं को सम्बोधित किया था। तो अध्यक्ष महोदय, वहां के किसानों ने इन चारों स्थानों पर लूणी नदी की भयंकर प्रलयंकारी बाढ़ की जो कहानी थी वह आपको बताई थी और आप स्वयं ने और हमारे भारत सरकार के सिंचाई राज्य मन्त्री श्री मिर्धाजी ने इस बात को स्वीकार किया था कि यहां के लोगों में बाढ़ के आ जाने से तबाही आ जाती है। उससे लोगों में बड़ा भय है इसलिए जल्दी से जल्दी इस

(श्री हेमाराम चौधरी)

लूणी नदी के दोनों तरफ जहां-जहां भी इस लूणी नदी का पानी आ जाने से गांव ढाणियां या खेत कटने की गुंजाइश है वहां पर तट-बन्दी, ठाकरें आदि बना करके बाढ बचाव का काम हाथ में लिया जाएगा। इसके बारे में उन्होंने एक मास्टर प्लान के बनाने की भी वात कही। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, अभी तक वहां पर किसी तरह का मास्टर प्लान के अन्तर्गत कोई काम नहीं हो रहा है और न इस वर्ष के बजट में भी इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है और न इस वर्ष के बजट में भी इस तरह का कोई प्रावधान किया गया है कि वहां पर इस बाढ़ बचाव के लिए ठोकरें आदि बनाई जायेंगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माध्यम से मंत्री महोदयजी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस सिणधरी से लेकर मांधव तक उन्होंने स्वयं ने दौरा किया है और वहां की स्थिति को देखा है। इसलिए वे जल्दी से जल्दी सिचाई विभाग के माध्यम से वहां की सर्वे रिर्पोट मंगवा करके और बाढ बचाव के लिए कुछ न कुछ पैसा अवश्य दिलायें जिससे कि थोड़ा बहुत काम भी अगर वहां होता है, जहां बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे गोलियाक्ला, डेडावास, भाखरपुरा, गाधवखुर्द आदि जो गांव बिल्कुल ही नदी के ऊपर आए हुएथे जो आधे नदी में, जो 79 में बाढ आई थी उससे कट कर बहकर चले गए और आधा गांव पीछे रहा और इस पर यदि फिर भयंकर वैसी बाढ आई तो वह भी चले जायेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री महोदय स्वयं इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं तो इनको इनकी बाढ़ बचाव के लिए धनराशि का प्रावधान करके इन कार्यों को हाथ में लेने की कृपा करवायें।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत कुछ एनीकट स्वीकृत हुए और इन पर काफी काम हुआ लेकिन वह एनीकट पूरे नहीं हुए और पूरे नहीं होने के कारण इन एनीकट के ऊपर जो पैसा लगा है वह पैसा भी बरसात होने होने पर, ज्यादा वहां पानी आने से, वह एनीकट्स पर जो काम हुआ है वह भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इन अधूरे एनीकटों के काम को हाथ में लें जिससे कि यह जो पूर्व में पैसा खर्च किया गया है, इसका उपयोग हो सके, अन्यथा तो अकाल राहत के तहत जो इन कामों पर पैसा खर्च किया गया था वह फालतू जाएगा और उल्टा पानी एक बार रुकेगा और रुकने के बाद में पानी बहुत जोरों से अगर आगे बढ़ा तो एक तरह से बाढ का रूप ले लेगा और उससे उन एनीकट से आगे जो आबादी आई हुई है वह बाढ़ से प्रभावित हो जाएगी जैसे कि राणी डेसीपुरा और चौहटन का बांध है। ये दोनों इस तरह के काम हैं कि इनको यदि हाथ में नहीं लिया गया तो बरसात के दिनों में यहां पर लोगों के जान माल की क्षति हो सकती है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नहर के मन्त्री महोदय से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर के ऊपर भी हमारे बाड़मेर जिले के किसानों को प्राथमिकता से जमीन अलाट हो, इसके लिए कानून में प्रावधान करें। हमारे राजस्थान नहर मन्त्री महोदय ने जिस तत्परता

(श्री हेमाराम चौधरी)

से और अपनी योग्यता का जो लाभ, जो योग्यता है उसका प्रयोग करके आपने राजस्थान नहर का जिस द्रुतगति से काम चलाया है उससे निश्चित रूप से जैसलमेर और बाड़मेर के किसानों को लाभ होने वाला है। इसलिए मैं मन्त्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह जो नहर का काम बाड़मेर और जैसलमेर में गडरा रोड़ तक करने का हाथ में लिया उसका उद्देश्य हमारे वहां के काश्तकारों को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने का था और यह आपका उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकेगा जब आप हमारे वहां के काश्तकारों को प्राथमिकता से भूमि आवंटन करेंगे। अन्यथा जो पहले से नहर के ऊपर बहुत ज्यादा वहां लोग इनसे परिचित हैं और पीछे से गंगानगर वगैरा या पंजाब से आ करके लोग नहर की जमीन ले लेंगे और हमारे बाड़मेर के जो काश्तकार हैं उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा और साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि जो राजस्थान नहर पर ज्यादा से ज्यादा धनराशि आप अपने प्रभाव और अपनी योग्यता से प्राप्त करके इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवायें जिससे कि आगे आने वाले समय में जो पंजाब की स्थिति बनी हुई है और यदि जल्दी काम पूरा नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में पंजाब से जो पानी मिलना चाहिए वह देने में बहुत ज्यादा इस तरह की जो अभी घटनायें हो रही हैं, घटनाओं में विस्तार होगा। इसलिए मैं इसके बारे में निवेदन कर रहा था।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, एक मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि नर्मदा नहर है जिससे हमारे बाडमेर और जालोर जिले की जो जमीन है उसकी सिंचाई किये जाने के बारे में यह बहुत पुराने समय से बात चल रही है।

लेकिन अभी तक इसके बारे में हमारी राजस्थान सरकार ने अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है और गुजरात में भी यह नहर राजस्थान के नजदीक नहीं है। अभी तक 300 माइल गुजरात के अन्दर इसका बनना शेष है। इसी प्रकार राजस्थान और गुजरात के बीच में जिस प्रकार से यह काम किया जाना है उसमें यदि गुजरात सरकार को इसके बारे में बार-बार निवेदन नहीं किया गया और इस काम को तेजी से हाथ में नहीं लिया गया और राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से इसमें रुचि नहीं दिखाई तो यह जो योजना है यह खटाई में पड़ जायेगी और इसके द्वारा हमारे जिले में, जालौर जिले में जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने वाली है उससे हम वंचित रह जायेंगे। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कह कर केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मन्त्री महोदय स्वयं इस बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं और वे स्वयं बहुत ही इस बारे में कुशल हैं और हमारे राजस्थान के मन्त्री ही नहीं हमारे दिल्ली के अन्दर भी हमारे राजस्थान के ही सिंचाई मन्त्री श्री मिर्धा साहब विराज रहे हैं इसलिये राजस्थान के सिंचाई मन्त्री मदेरणा साहब केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री मिर्धा साहब से भी अच्छी तरह से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये मैं उनसे पुरजोर शब्दों में अपील कर रहा हूं कि वे अपने प्रभाव का उपयोग कर, केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री मिर्धा साहब से

(श्री हेमाराम चौधरी)

बातचीत करके इस नहर के काम कोजल्दी से जल्दी हाथ में लें। हमारी सूखी और प्यासी बाड़मेर जिले की धरती जो हमेशा अकाल से जूझती रही है और हमारे वहां के काश्तकार लगातार अकाल का मुकाबला करते रहे हैं। इस साल भी बाड़मेर जिले के जिन गांवों में यह नहर आने की योजना है उन गांवों में इस साल भी अकाल है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से फिर निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्यासी और सूखी धरती पर पानी लाकर सिंचित करवायें जिससे किसानों को उत्पादन बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हमारे मन्त्री महोदय और भारत सरकार के सिंचाई मन्त्री दोनों स्वयं किसान हैं और किसानों की समस्याओं से वह मेरे से ज्यादा परिचित हैं इसलिए इसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, केवल उनसे निवेदन ही करना चाहता हूं। इतनी बात कहते हुए धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग स. 46 पर मैंने कट मोशन दिया है इस पर मैं बोलना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिला ऐसा क्षेत्र है जहां पहाड़ी है, पथरीला इलाका है, समतल भूमि भी है और छोटी-छोटी नदियां, नाले भी हैं और वहां के आदिवासी गरीब किसान इन्हीं छोटे-छोटे टुकड़ों में खेती करते हैं। सिंचाई की सुविधा उनको उपलब्ध नहीं होने के नाते वहां आये दिन अकाल पड़ता रहा है। काश्तकार जब भी कुए खोदते हैं तो नीचे हार्ड पत्थर आ जाता है, पानी मिलता नहीं इसलिये उसमें···

श्री कमला भाई : माही डैम बन गया।

श्री बहादुर सिंह : माही डैम बनने के कारण आप खुद जानते हो, कितने एरिया में पानी पहुंचा है, कितने में नहीं पहुंचा, आप देखिये, आपका पड़ोसी एरिया है, आपने देखा है इसलिये आपको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहां के हर काश्तकार को पानी की ठीक से सुविधा नहीं होने के नाते आये दिन उनको दाने-दाने को तरसना पड़ता है और समय पर पानी भी नहीं मिलता है। ऐसा ही एरिया है कुशलगढ़, पीपलखूंट, एरिया राजस्थान में कहीं भी नहीं देखा होगा। मैं नहीं कहता, बाड़मेर, जैसलमेर हो सकते हैं, मैंने नहीं देखें हैं बाकी बांसवाड़ी, इसकी दो पंचायत समिति जैसे बाड़मेर के लायक हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पीपलखूंट, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाके हैं जहां नदी नाले बारहमासी बहने वाले भी हैं जहां छोटे-छोटे डैम बना सकते हैं और डैम बना कर काश्तकार को पानी दे सकते हैं जैसे आज से ठीक दो साल पहले, तीन साल पहले वगेरी नाले पर सर्वे किया गया और सर्वे के बाद स्कीम तैयार की गई और वह स्कीम ड्राप कर दी गई। उसको ड्रांप न करते हुए उसको बांध दिया जाता तो करीब दो हजार एकड़ जमीन को पानी मिल सकता है और आदिवासी काश्तकारों को फायदा हो सकता है। ऐसे ही भूतपाड़ा एक गांव है वहां भी बहुत बड़ा नाला है, वहां की भी सर्वे स्कीम

(श्री बहादुर सिंह)

तैयार होकर पास कर दी गई। उसको भी तैयार किया जाकर बांध दिया जाय तो काश्तकारों को काफी फायदा हो सकता है।

दानपुर के पास में एक तालाब है कई सालों से रिलीफ में उस तालाब को लिया गया, हर साल कभी-कभी रिलीफ का काम चलता है और उस तालाब का काम करवाया जाता है बाकी उसको पूरा अभी तक नहीं किया गया है। अगर पूरा हो जाता है तो दानपुर खास गांव को पानी मिल सकता है और पीने के पानी की सुविधा हो सकती है। अभी गर्मियों के दिनों में इस एरिया में कहीं भी पीने का पानी ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाता है क्योंकि पहाड़ी इलाके में पानी जमीन में गहरा चला जाता है, कुंओं में पानी रहता नहीं, हैण्ड पंप खोदते हैं तो भी पानी नहीं आता और गांवों को काफी तकलीफ होती है तोवहां धरातल के हिसाब से भी कुंओं मे पानी की सुविधा हो सकती है, सिंचाई की सुविधा तो होगी ही। तो मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले के जिन-जिन क्षेत्रों में, जिन-जिन पंचायत समितियों में जहां छोटे-छोटे नाले सबसे अधिक हैं वहां मास्टर प्लान बना कर सर्वे किया जाय तो इन गांवों के काश्तकारों को पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की सुविधा हो सकती है और यह ट्राइबल प्लान के माध्यम से, डी. पी. ए. पी. के माध्यम से या किसी न किसी रूप में सुविधा दी जाय तो बहुत उत्तम होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में जब सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं माही डैम बना, माही डैम बना। माही डैम बना उससे 80 हजार हैक्टर जमीन में पानी मिलेगा और आप मानिए कि अमुक-अमुक एरिया जहां-जहां कमाण्ड में लिया गया एरिया है उन कमाण्ड के एरिया में ही पानी मिलेगा न कि पहाड़ी पर भी पानी चढ़ा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जितना पानी आप कमाण्ड. एरिया में देना चाहेंगे वह तो मिलेगा उसके लिये तो मैं किसी प्रकार से ज्यादा तकलीफ देने वाली बात नहीं करूंगा बाकी लैफ्ट और राइट कैनाल के ऊपर का जो एरिया है जहां समतल जमीन है और कुछ ही दूर पानी को ले जाने पर, लिफ्ट इर्रीगेशन द्वारा ले जाने पर, हजारों बीघा जमीन पर सिंचाई से खेती हो सकती है। उसका सर्वे करवा कर वहां के काश्तकारों को जितने गांवों में पानी पहुंचाया जा सकता है वह फायदा काश्तकारों को दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, उत्तम होगा और वहां के गरीब आदिवासियों को फायदा हो सकता है। लिफ्ट इर्रीगशन बहुत जरूरी है। यहां का पानी सारा कड़ाणा में जा रहा है जो व्यर्थ जाता है। तो आप लिफ्ट द्वारा काश्तकारों को पानी देंगे तो काफी फायदा होगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि माही डैम बना उस साल में पानी दिया, करीब 30 हजार हैक्टर क्षेत्र में पानी मिला तो कच्चे धोरों से पानी दिया गया जिससे काश्तकारों की जमीन इतनी खराब हुई कि वहां जाकर देखो आप तो उस जमीन में ऊसर आ गई अगर उसी हिसाब से कच्चे धोरों से पानी हर साल दिया गया तो काश्तकारों की जमीन बिल्कुल बेकार हो जायेगी और वहां घास ऊगनी शुरू हो जायेगी तो

(श्री बहादुर सिंह)

काश्तकारों को काफी नुकसान होगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कच्चे धोरों को···

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, समय बढ़ाना है। सदन की अनुमति से बैठक का समय विचाराधीन मांग के पारण तक के लिये बढ़ाया गया।

मांग संख्या 46 सिंचाई पर विचार

श्री बहादुर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 30 हजार हैक्टर जमीन को धोरों के द्वारा पानी दिया गया और कच्चे धोरों से पानी वेस्टेज जाता है तो उन सब धोरों की नालियों, कैनालों, छोटी-छोटी माइनर कैनालों को पक्की बांध दीजिये तो काश्तकारों की छोटे-छोटे टुकड़ों की खेती खराब नहीं होगी और पानी वेस्टेज नहीं जायेगा तो राष्ट्र और गरीब किसानों के हित में फायदा होगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में आप उन छोटी-छोटी धोरों की नालियों, कैनालों को पक्की बांधने के लिये आप अधिक से अधिक बजट देकर उन्हें पक्का करने के लिये अधिक से अधिक बजट देंगे, मैं यही आशा रखता हूं।

मेरा यह निवेदन है कि माही कैनाल द्वारा जिन काश्तकारों को समय पर पानी देना चाहिये था वह किन्हीं वजहों से आप नहीं दे पाये हैं। इससे काश्तकारों को नुकसान हुआ, उनकी फसलों को नुकसान हुआ, पानी का वेस्टेज हुआ और राष्ट्रीय सम्पत्ति को काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान से बचने के लिये, इस साल, आने वाले सीजन में जो बड़े-बड़े धोरे हैं उनको पक्का बना दिया जाये। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूलाल मीणा। संक्षेप में।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो वैसे ही कम बोलता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि हम यहां विधान सभा में हमारे क्षेत्र की कुछ बातें निवेदन करते हैं जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और उसी हिसाब से हम यहां विधान सभा में बोलते हैं। कुछ हद तक हमारी बातों पर ध्यान दिया जाये तब तो बोलने का कोई महत्व रहता है, नहीं तो बोलते रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं दें तो महत्व नहीं रहता है। अभी राजस्थान नहर, माही परियोजना, जाखम आदि काफी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनायी गयी हैं। हमारे राजस्थान के लिये बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिये। यदि यह नहीं होंगी तो हमारे राजस्थान में कृषि उत्पादन की समस्या खड़ी होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा उदयपुर जिले में 3/4 तहसीलें तो ऐसी हैं जिनमें आज दिन तक सिंचाई के सम्बन्ध में कोई काम नहीं हुआ है। इस बजट में जो कुछ छोटी मोटी

(श्री भेरूंलाल मीणा)

योजनाएं बतायी गयी हैं, उसमें देवास योजना जो बड़ी योजना है, उसका नाम नहीं है। मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि श्री मोहन लाल सुखाड़िया को सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि उनकी बनायी हुई योजना को हम पूरा करें। राजस्थान के मुख्य मन्त्री जब उदयपुर पधारे थे और कृषि ऊपज मण्डी का उद्घाटन किया था और वहां उदयपुर के सभी जाने माने व्यक्ति मौजूद थे, उन्होंने वहां घोषणा की थी कि देवास योजना का दूसरा और तीसरा चरण करेंगे किन्तु इस बजट में देखने से प्रतीत होता है कि उसका नाम भी नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि उदयपुर में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कारखाने अधिक लगते जा रहे हैं और उस क्षेत्र से पानी बह कर चला जाता है। पुराने जमाने में राजा-महाराजाओं ने कुछ तालाब, नहरें बनायी थीं उसके अलावा नयी कोई योजना वहां पर नहीं बनी है। केवल यह जाखम, सोम कागदी के अलावा। मैं चाहूंगा कि इस देवास योजना को इस बजट में लेकर उसका कार्य चालू किया जाये।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में जिस तरह से जन-जाति विभाग से भी कुछ पैसा सिंचाई विभाग में लगाया जाता है, और योजनाओं का पैसा है वह भी सिंचाई योजना में लगाया जाता है, किन्तु उदयपुर जिले में इन दोनों में से कोई पैसा नहीं लगाया जाता है। सिंचाई के सम्बन्ध में जो कुछ पैसा है, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। बांसवाड़ा के कुछ होशियार राजनीति ने ये वह ले जाकर माही डैम में लगा दिया। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, उधर भी आदिवासी रहते हैं, उनको लाभ मिलेगा, माही डैम से। इस तरह से सोम कमला से कुछ हद तक आदिवासियों को लाभ मिलेगा। जहां तक मुझे जानकारी मिली है उस क्षेत्र में जो जमीन आदिवासियों के पास है, चार, पांच बीघा है। इतनी ही उनके कब्जे में रहेगी बाकी जब जमीन सिंचाई योग्य होगी उस जमीन पर दूसरे सवर्ण लोग जम जायेंगे। अच्छे काश्तकार हैं क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा कर दी है और ज्यादा कीमत आदिवासी नहीं दे पायेंगे।

इसका लाभ घुम फिर कर दूसरे लोगों को मिलेगा। आदिवासियों को नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा इस मौके पर कि जो जनजाति कूप योजना का पैसा है, वह पैसा उदयपुर के पास की तहसीलों गिरवा, झाड़ोल, सराड़ा, सलूम्बर, गोगुन्दा, इन तहसीलों में इस पैसे को लगाया जाये।—डूंगरपुर में भी लगना चाहिये।......वहां भी लगे। मेरा खास करके जोर देकर कहना है कि इस बजट में दक्षिणी राजस्थान में नदियों के पानी का अधिकाधिक उपयोग करने की

दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी सर्वेक्षण की व्यवस्था की जायेगी, यह लिखा है केवल। अब यह कब करेंगे, कब सर्वे होगा। कब क्या होगा जबकि इस इलाके के आदिवासियों के पास जमीन कम है और यह पहाड़ी इलाका है। मैंने पहले ही, पूर्व में बताया था कि लकड़ी बेच कर, कोयला बेच कर वे गुजारा करते हैं। वह लकड़ी, कोयले के जंगल बर्बाद हो गये हैं और वहां बरसात का औसत भी कम होने लगा है। एक तो अकाल की स्थिति बनी रहेगी वहां पर, दूसरी तरफ जो कुछ पानी है वह भी

(श्री भेरूलाल मीणा)

उनके उपयोग में नहीं आता है। मैं चाहूंगा कि ऐसे बड़े बांध नहीं बन पायेंगे वहां और ऐसी बहु उद्देशीय योजना भी नहीं बन पायेगी किन्तु वहां पर 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट की ऊंचाई के छोटे-मोटे तालाब बांधे जायें। इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र का पानी रुका रहेगा। जंगल भी हरे-भरे रहेंगे और उन आदिवासियों की छोटी-मोटी जो भी उनके पास बीघा, आधा बीघा जमीन है, उसमें उनकी जहां नहर नहीं बन पायी है, किन्तु उनके कुओं का पानी ऊपर आयेगा जिससे वे सिंचाई कर सकेंगे और जीवन गुजर कर सकेंगे।

मैंने कई बार आपको निवेदन किया था और आप उदयपुर पधारे, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपका उपयोग नहीं कर पाया मैं चाहता था कि आपको पास के झाड़ोल, गिरवा क्षेत्र में गांवों में ले जाता जिससे आप भी महसूस करते कि वास्तव में इस एरिया के आदिवासी किस तरह से रहते हैं। क्योंकि हम जरूर यह कहते हैं कि आदिवासियों को लाभ पहुंचाया जाये। केवल सबिसडी जरूर दी जाती है किन्तु वह सही रूप में इस आदिवासी के जेब में नहीं पहुंच पाती है और हम जैसे होशियार आदमी बीच में आधा पैसा खा जाते हैं। आधा पैसा उनके पास पहुंचता है और पूरा काम नहीं होता है।

मैं निवेदन करूंगा इस मौके पर कि दक्षिणी राजस्थान को प्राथमिकता के आधार पर सर्वे कर के, इसको योजना में लेकर शीघ्र ही इस काम को चालू किया जाये। मुख्य मन्त्री महोदय पधार गये हैं, इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि आपने कृषि ऊपज मण्डी समिति का जब उद्घाटन किया था उस वक्त आपने वहां आम सभा को सम्बोधित करते हुए घोषणा की थी कि मोहन लाल सुखाड़िया का सपना साकार और सच्ची श्रृद्धांजलि तभी होगी जब देवास योजना को हम पूरा करेंगे। इस घोषणा के अनुसार आपने फिर इसे बजट में नहीं जोड़ा है, उसे आप मेहरबानी करके देवास 'योजना को जोड़ेंगे और उदयपुर क्षेत्र के जो छोटे-मोटे तालाब हैं उनका काम करेंगे। साथ ही कुछ काम ऐसे अधूरे हैं जिनका काम अकाल राहत के तहत किया गया था और वे पड़े अधूरे रह गए थे। उन कामों को पूरा किया जाए क्योंकि उस क्षेत्र में हम जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, तो वहां के नागरिक यह इन्तजार करते हैं कि यह अधूरा काम पूरा होगा, सरकार जरूर पूरा करेगी तो हम को रोजी मिलेगी। किन्तु यहां तो बिलकुल नामोनिशान नहीं है कि कब काम चालू किये जायेंगे योजना नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो अधूरे काम हैं उनको पूरा किया जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वैसे तो सब जगह अधूरे काम हैं, मेरे पूर्व सदस्यों ने काफी अनुरोध किया कि अधूरे कामों को पूरा किया जाये। मेरे चुनाव क्षेत्र में जिन-जिन गांवों में काम चालू किये गये थे जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा किया जाये जिससे कि पीने का पानी हो जायेगा जहां तहां सिंचाई हो जायेगी, लोगों को मजदूरी मिल जायेगी। तालाब अधूरे हैं, ऐसे जहां जहां तालाब अधूरे हैं, एनीकट अधूरे हैं, वे बरसात ज्यादा हुई की बहकर चले गये हैं।

मिट्टी डाली नहीं लेकिन रिकार्ड में जरूर है कि इस तालाब की हमने इतनी

(श्री भैरूंलाल मीणा)

मिट्टी इतने फूट नीचे उठा ली। और मिट्टी से पानी का बहाव था उसको तो रोक ही नहीं सके। फिर भी मैं चाहता हूं और लोगों की आशाएं हैं, उस तालाब का काम पूरा हो। इसी तरह से बारापाल में एक मोटा तालाब है उसकी नींव भर दी गई, पहले भी एक बार नींव खोद कर वापिस भरी गयी, उस नींव को जमीन के बराबर लाया जायेगा, किन्तु वह वैसे की वैसे है। उस मोटे तालाब में सिचाई का अधिक पानी इकट्ठा हो सकता है और दो-तीन पंचायतों को उस तालाब से लाभ मिलेगा, उस तालाब को बनाया जाय। इस काम को एन. आर. ई. पी. में लेकर पूरा किया जाय। चूंकि इस साल अकाल नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि अकाल पड़े। यह बात जरूर है कि अभी रबी की फसल में जो फसल थी, उस फसल में सामने से देखने पर नजर आती कि उसमें दाने हैं, परन्तु निचोड़ कर देखने से उसके अन्दर दाना बिलकुल नहीं निकला, देखने में जरूर लगता है कि फसल अच्छी है। एक धोखा हो गया, प्राकृतिक धोखा है इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसी आशा थी कि इतना अनाज हमको मिलेगा, इस अनाज से हम दो महीने तीन महीने गुजारा चला लेंगे। लेकिन उनकी आशा में पानी फिर गया। आज वे बे-घर जैसे हो गये, तो उनके पास कोई खाने को दाना नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सिचाई के जितने भी अधूरे काम हैं उनको पूरा किया जाये और जैसा कि अभी मेरे से पूर्व गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह निवेदन किया था यह टीडी डैम के सम्बन्ध में जो हिन्दुस्तान जिंक द्वारा बनाया गया है। यह बात सही है। जिस रोज टीडी डैम का शिलान्यास हुआ था उस वक्त तत्कालीन मुख्यमन्त्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने यह घोषणा की थी कि एक फीडर इस तालाब को राजस्थान-सरकार की तरफ से खर्चा करके बांधा जायेगा, और एक फीडर का ऊपर का जो पानी होगा वह पानी नीचे के गांवों को सिंचाई के लिए दिया जायेगा। आज तालाब की स्थिति ऐसी हो गयी कि ऊपर तक उठ नहीं सकता लेकिन मैं चाहता हूँ उसी के ऊपर साइड में क्योंकि उसका पानी ओवर फ्लो होकर बाहर चला जाता है, उसके ऊपर साइड में दूसरा तालाब बांध दिया जाय, जिससे हिन्दुस्तान जिंक का काम भी नहीं रुके और हमारी 2-4 पंचायतें जो आती हैं उनको भी पानी मिलेगा। बहुत बड़ी नदी है और वह पानी चला जाता है। मैं चाहता हूं कि ऊपर साइड में एक दूसरा तालाब राज्य सरकार द्वारा बनाया जाय और पानी छोड़ कर सिंचाई के काम में लिया जाय तो हमको काफी लाभ होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि बहुत से सदस्यों को बोलना है, मैं आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ आपको निवेदन किया उसको ध्यान में रखकर देवास योजना और बारापाल तालाब का और जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करवाने का हम को आश्वासन देंगे।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी को याद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिलाना चाहूंगा कि मैं बोल रहा हूं यदि वे बायकाट करना चाहें तो बैठ जाऊं ।

श्री अध्यक्ष : आपने कितनी दफा बायकाट किया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अपोजिशन का अधिकार है ।

श्री चन्दनमल बैद : आप तो जवाब सुनने के लिए हाजिर रहेंगे यहां ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो मेरी मर्जी की बात है, यह तो इस पर निर्भर करता है कि जवाब कैसा है ।

श्री चन्दनमल बैद : जवाब तो जब सुनेंगे तब पता चल जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो याद दिला रहा था कहीं बायकाट करना भूल गये हों ।

श्री अध्यक्ष : रुचिकर भाषण होगा तो सभी ठहरेंगे, यह तो उसकी क्षमता पर निर्भर करता है ।

श्री दीपचन्द : सिद्धमुख तालाब के बारे में निवेदन करना है, नहरों का मामला है । मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपको अवश्य समय दिया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है उसको देख कर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के लिए बिजली और पानी इसकी जीवन रेखाएं हैं । जितनी बिजली का उत्पादन कर सकें और जितने सिंचाई के साधन जुटा सकें राजस्थान का भविष्य इसी पर निर्भर करता है । अध्यक्ष महोदय, रावी-ब्यास और सतलज नदियों का पानी राजस्थान के हिस्से में आया और उस पानी का उपयोग हम जल्दी से जल्दी कर सकें यह हमारी सबकी इच्छा है । इसी प्रकार से चम्बल से जो पानी राजस्थान को मिल सकता है, उस पानी का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने खेतों में कर सकें, यह भी हमारी सब की इच्छा है । नर्मदा के पानी में भी हमारा हिस्सा है, वह पानी भी हमको अपने हिस्से के अनुसार मिल जाय इस बात की हम चेष्टा कर रहे हैं । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हमें मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी हो रही है । मैं इस प्रश्न के ऊपर विस्तार से नहीं कह कर केवल मात्र इतना ही कहना चाहूंगा कि रावी-ब्यास और सतलज नदियों में 86 लाख एकड़ फुट पानी का जो हमारा हिस्सा है वह केवल मात्र राजस्थान कैनाल के निर्माण हो जाने से ही नहीं मिलता । पानी कितना इम्पाउण्ड होता है उसमें हमारा कितना हिस्सा होता है उस के आधार पर हमें पानी मिलेगा । मुख्य मन्त्री जी जानते हैं कि पानी को इम्पाउण्ड करने में थीन डैम का एक इम्पोर्टेन्ट रोल होगा यदि उसके निर्माण में भागीदार नहीं होंगे तो थीन डैम के पानी के आधार पर जो 86 लाख एकड़ फुट पानी का हमारा हिस्सा बना केवल उसी के आधार पर नहीं लें वह एक मुख्य आधार है, उसमें यदि हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

तो मुझे भय है और मैं समझता हूं कि इसको आसानी से निर्मूल नहीं किया जा सकता। कहीं आगे जाकर विवाद खड़ा न हो जाय कि थीन डैम में जो स्टोरेज हो रहा है, जो पानी इम्पाउण्ड किया जा रहा है उसमें केवल पंजाब को ही खर्चा करना पड़े है, केवल पंजाब ने ही दूसरी व्यवस्था की है। इस कारण से इस पानी के आधार पर जो राजस्थान हिस्सा का होना चाहिए वह यदि नहीं हो पाता है तो उस ट्रीटी की पालना हम नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस बात का स्पष्टीकरण दें, मुझे तो कमजोर बता रहे हैं, मैं कमजोर हूं मान लीजिये। लेकिन······

श्री खेतसिंह राठौड़ : आजकल आप ठीक हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : परसों से ठीक हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा और इस सदन में कई बार कह चुका हूं लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मसला है, मुख्य मन्त्री जी को चाहिए कि इन पर सदन को विश्वास में लें। मेरी जानकारी के अनुसार पंजाब के जो सरकार ने व्हाइट पेपर इश्यू किया है या पंजाब में कुछ किताबें विधान सभा में वितरित की उस आधार पर यह स्पष्ट कर चुके है कि पंजाब यह मान कर चल रहा है कि थीन डैम का क्लियरेन्स प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या थीन डैम का मामला एटोर्नी जनरल की ओपिनियन के बाद प्रधान मन्त्री के निर्णय के लिए पड़ा है, प्रधान मन्त्री उस पर निर्णय क्यों नहीं देते है और निर्णय करवाने के लिए मुख्य मन्त्री जी ने क्या प्रयास किये हैं। क्या पंजाब ने वहां काम शुरू कर दिया पंजाब वहां कन्स्ट्रेक्शन का काम शुरू कर रहा है और राजस्थान के बजट को यदि हम देखें तो थीन डैम के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो, ऐसा लगता है कि जो पंजाब सरकार की मान्यता है कि थीन डैम का प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरेन्स दे दिया वह बात सही है। मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी को, मेरी तो भावना नहीं है यह पूरे सदन की भावना होगी कि थीन डैम में राजस्थान का हिस्सा है और जब राजस्थान का हिस्सा है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य होगा तो उसमें राजस्थान का भी खर्चा शामिल किया जाय, राजस्थान की भागीदारी उसमें शामिल की जाय। यदि प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरेन्स दिया है तो राजस्थान के साथ अन्याय किया है। इस विधानसभा की भावनाओं को मुख्य मन्त्रीजी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचायेंगे और राजस्थान के लिए आगे जा कर के इस प्रकार की जो समस्या खड़ी हो सकती है उस समस्या का समाधान करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बजट के समय, जिस समय बोला था मैंने बता दिया था गांधी सागर कैचमेंट एरिया में इन्दरप्शन के काम कब से शुरू हुआ, वह अब भी चालू है। आज चार वर्षों में जनता सरकार नहीं है। मैंने उस समय भी तारीखें दे देकर, लेटर्स पढ़ कर सदन में बता दिया था कि काम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बहुत पहले से शुरू हुआ इन्टरप्शन्स का लगातार काम चलता रहा, बीच में कुछ कम हुआ लेकिन अभी जोर शोर से काम चल रहा है। मैंने उस समय एक लैटर की ओर माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि हम इस समझौते से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कोई नेगोसियेशन हो जाये या कोई बीच में मध्यस्थता कर लें तो मध्यस्थता के आधार पर रोक नहीं सकेंगे मध्य प्रदेश को। और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि मध्य प्रदेश के बांध बन गये तो तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। जो कुछ बन रहे हैं उनको किस प्रकार रोका जाय, यदि आपने एक बार भी रोक दिया तो मेरा विश्वास है कि आगे तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो अधूरे पड़े हुए हैं वह किसी प्रकार से पानी को इन्टरप्ट नहीं कर पायेंगे। और इसलिये 1978 में यह फैसला हुआ था, इन्जीनियर्स के लेवल पर इस मामले को लेकर हमें कोर्ट में जाना चाहिए। मैं चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी से कि स्टेट लेवल पर या चीफ मिनिस्टर लेवल पर या भारत सरकार के इन्टरवेन्शन से इस मामले में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हों, तो दरवाजे अदालत के खुले हैं राज्य सरकार को इस मसले को अदालत में ले जाना चाहिए।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैं नर्मदा के पानी के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानकारी करना चाहूंगा कि जिस समय पहाड़िया जी राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे, नर्मदा और सरदार सरोवर के मसले को लेकर इस विधान सभा में काफी चर्चा हुयी और मुझे याद है कि उस समय पहाड़िया जी ने यह कहा था कि मैं फौलाद की तरह डटा रहूंगा चाहे भारत सरकार न माने, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार न माने और चाहे किसी भी प्रकार से गुजरात की सरकार न माने लेकिन राजस्थान के हिस्से को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मामला वर्ल्ड बैंक के सामने चला गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चली गयी तो राजस्थान को जिस प्रकार से पानी मिल सकता था, इस प्रकार की व्यवस्था उस वर्ल्ड बैंक के सामने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। गुजरात वालों ने साफ मना कर दिया कि हम खेड़ा के क्षेत्र में जो माही के पानी से सिंचाई कर सकते थे वह अब नर्मदा के पानी को लेकर, नर्मदा के पानी से उनके खेड़ा के क्षेत्र में सिंचाई करके जो पानी बचता वह, माही में जो उनका हिस्सा आना उस हिस्से से हम अपने क्षेत्र में सिंचाई करते गुजरात की सरकार ने मना कर दिया और सरदार सरोवर बांध का निर्माण इसी आधार पर शुरू किया है कि खेड़ा क्षेत्र में वे अपने पानी का यूज करेंगे, माही का ही पानी यूज करेंगे और नर्मदा के पानी का यूज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने नर्मदा के पानी का इस प्रकार यूज नहीं किया तो आप मानकर चलें कि राजस्थान को माही का पानी उपयोग करना इतना भारी पड़ेगा कि राजस्थान उस पानी को सम्भवत: उपयोग नहीं कर पायेगा। इस सम्बन्ध में मैं मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि क्या प्रोग्रेस है? आज से चार वर्ष पहले जो स्थिति थी उसमें किसी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं हुयी है। प्रोग्रेस हुयी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है तो केवल मात्र यही कि वर्ल्ड बैंक के सामने गुजरात सरकार ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजी है और उस रिपोर्ट को भारत सरकार ने अनुमति दे दी है और वह रिपोर्ट चली गयी है। राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान को इससे हानि है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान के सारे आंकड़े मैंने देखे, राजस्थान में माइनर इर्रिगेशन के सारे सैक्टर में कन्ट्रीब्यूशन जितना है उतना मेजर स्कीम से भी नहीं है। माइनर जितना इर्रिगेशन के सैक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, उसका इमीजिएट रिजल्ट हमको मिलता है, वाटर पोटेंशल क्रियेट होती है, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ता है। लेकिन जितना हम मेजर आइटम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना हम को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन खेद है कि माइनर इर्रिगेशन के मामले में कोताई की है, जितना इन्वेस्टमेंट हम को राजस्थान में करना चाहिए था उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण से मेजर, मीडियम और माइनर इर्रिगेशन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उसकी यदि तुलनात्मक स्टडी करें तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से जितनी सिंचाई माइनर इर्रिगेशन में इमीजिएट होती और जितना होता गेन है उतना मेजर से नहीं है।

अब, अध्यक्ष महोदय, यह भी साफ करना पड़ेगा कि हम वाटर पोटेंशियलिटी क्रियेट करें यह हमारा अचीवमेंट है या जो पोटेंशल हमने क्रियेट कर ली है उसका यूटिलाइजेशन हमने किया यह हमारा अचीवमेंट है? मैं समझता हूं कि यदि इस प्रश्न पर हम गम्भीरता से विचार करें तो मैं इसको मिनिमाइज नहीं करता कि वाटर पोटेंशियलिटी आपने क्रियेट कर दी वह कोई अचीवमेंट नहीं है। हमने वाटर पोटेंशियलिटी क्रियेट कर दी यह बिल्कुल ठीक है लेकिन साइमलटेनियसली यदि उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता तो पोटेंशियलिटी बेकार है। राजस्थान नहर मन्त्री स्वयं जानते हैं कि राजस्थान नहर में हमने कितनी पोटेंशियलिटी क्रियेट कर दी और उसके कम्पेरिजन में हमने यूटिलाइजेशन कितना किया। मैं सारे फैक्ट्स में नहीं जाता लेकिन कल श्री माननीय मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया कि 50,000 एकड़ में सिंचाई करने की जगह हमने 10,000 एकड़ में सिंचाई की नहरें बना दीं और केवल 12 एकड़ में सिंचाई हुयी। आप अंदाज लगा लें कि, राजस्थान जैसे प्रदेश में वित्तीय दृष्टि से पिछड़े प्रदेश में, इस कमजोर प्रदेश में पोटेंशियलिटी के साथ साइमलटेनियसली यूटिलाइजेशन की कार्यवाही नहीं हुयी तो हमारे इन्वेस्टमेन्ट के रिटर्न्स जो हमको इमीजिएट मिलने चाहिए, वह रिटर्न्स इमीजिएट नहीं मिलेंगे और राजस्थान के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन रहेगा, उस बर्डन से बचाने के लिये कौन से कदम उठाने जा रहे हैं, कौनसे काम कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि इस काम की इम्पार्टेन्स कम नहीं है, हम जो पोटेंशियलटी क्रियेट करें उसका 100 प्रतिशत यूटिलाइजेशन करें।

अध्यक्ष महोदय, मैंने फिगर निकाली हैं, पूरे राजस्थान के मेजर, माइनर, मीडियम इर्रिगेशन में जो पोटेंशियल क्रियेट है उसका

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

केवल 62 प्रतिशत ही हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं. ओनली 62 प्रतिशत। यह सीरियस मैटर है और मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में विचार करें। मेरा तो अध्यक्ष महोदय, इस बीच में एक सुझाव है कि वाटर के प्रश्न के ऊपर, यूटिलाइजेशन के प्रश्न के ऊपर, कैनाल के निर्माण पर, मुख्य मंत्री जी इस हाउस को कान्फिडेंस में लेकर चलेंगे तो कुछ व्यवस्था होगी। ऐसी व्यवस्था होगी कि जो जनता में इस काम का विरोध हो रहा है, वह विरोध न होकर हम कुछ एग्रीड फार्मूला इस प्रकार का निकालें जिससे कि वाटर यूटिलाइजेशन में, लैण्ड के अलाटमेन्ट में, खालों के निर्माण में किसी प्रकार की दिक्कतें खड़ी न हों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह इतना सीरियस मैटर है कि इसमें जितनी चिंतित सरकार होगी, हम सब हैं। इसके सम्बन्ध में इस प्रकार की कमेटी का गठन किया जाय, हाउस की कमेटी का गठन किया जाय जो मानीटरिंग करे और देखे कि वाटर पोटेंशल जितनी हमने क्रियेट किया है उस क्रियेशन का हम लाभ उठा रहे हैं या नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो वाटर पोटेंशल हम क्रियेट कर चुके हैं, उसका 62% उपयोग कर रहे हैं, बाकी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका अंदाज लगा लें, अध्यक्ष महोदय, कि कितना करोड़ों रुपया बेकार गया है और उसके रिटर्न्स हमको नहीं मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं थीं राजस्थान कैनाल पर ज्यों ही मैं बोला मन्त्री महोदय नाराज हो गये। राजस्थान का मुझे दुश्मन नम्बर एक कहा। मुझे बता दें, कोई चिन्ता नहीं......

श्री चन्दनमल बैद : पश्चिमी राजस्थान का।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पश्चिमी राजस्थान का दुश्मन नम्बर एक बताया। मैं आज पूछना चाहता हूं आज यदि मैं राजस्थान कैनाल के बारे में बोला तो राजस्था का दुश्मन नम्बर एक हो जाऊंगा, और फिर यदि राजस्थान कैनाल के बारे में बोला तो देश का नम्बर एक दुश्मन हो जाऊंगा, और फिर यदि कहीं भूल कर गया तो विश्व का दुश्मन नम्बर एक मान लिया जाऊंगा। मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। आप मुझे पश्चिमी राजस्थान का दुश्मन नम्बर एक कहें, राजस्थान का दुश्मन नम्बर एक कहें, मुझे कह दें मैं जवाब दे सकता हूं। लेकिन हिन्दुस्तान टाइम्स ने आपके साथ क्या ऐसी कार्यवाही की थी, जिसने हिन्दुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल निकला......

श्री चन्दनमल बैद : अपने भाषण में बता चुका हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वही मैं कह रहा हूं, आपने बात कही उसके आधार पर ही कह रहा हूं। आपने यह बताया कि वहां पर वाटर लोगिंग की समस्या है यह लेख लिखने वाला कोई पंजाब के बारे में तो नहीं लिख रहा था। राजस्थान में वाटर लोगिंग की कोई समस्या हो गयी तो, पुल बन गये तो उनकी चर्चा वे ही लोग करेंगे क्योंकि उनका निहित स्वार्थ है। मेरी समझ में नहीं आता कि अखबार ने यदि कोई सही बात लिख दी तो निहित स्वार्थ हो गया, आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसको बंद करना चाहते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि राजस्थान कैनाल के बारे में अखबार में कोई चर्चा नहीं हो। मैं अगर बोलूंगा तो राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का दुश्मन नम्बर एक और हिन्दुस्तान टाइम्स अगर लिख देगा तो निहित स्वार्थ। आप इससे अंदाज लगा लें कि मनोवृत्ति किस प्रकार की है। माननीय मंत्री महोदय उस दिन यह भी कह गये कि रामसिंह आयोग ने कई ऐसे इंजीनियर्स के भी नाम लिख दिये जिनकी इन्टेग्रिटी पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, जिनका राजस्थान में ही नहीं देश में भारी नाम है। मैंने उस समय भी कहा था, मैं भी जानता हूं कि कुछ इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनकी इंटेग्रिटी पर कोई सन्देह नहीं कर सकता। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसकी इंटेग्रिटी बढ़िया हो उसकी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस नहीं हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि आदमी ईमानदार हो तो गलती नहीं हो। अगर रामसिंह आयोग ने कुछ गलतियों की तरफ पाइंट आउट कर दिया तो मंत्री महोदय कहते हैं, रामसिंह जी प्रिजुडिस हैं। मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, यह मोटिव एट्रिब्यूट करना या इस प्रकार की बात करना कहां तक गम्भीरता का परिचायक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल में जितना आप इंटरेस्टेड हैं उतने हम भी इंटरेस्टेड हैं। ऐसी बात नहीं कि हम तो राजस्थान कैनाल को मटियामेट करना चाहते हैं और आप राजस्थान कैनाल का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि किस ने काम कम किया, किस ने ज्यादा किया, उसको लेकर दुश्मन नम्बर एक और दुश्मन नम्बर दो, यह इस प्रकार की क्वालिफिकेशन मैं समझता हूं कि यदि आप निर्धारित नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका में भी जगह लिखा है कि राजस्थान नहर कई कई स्थानों पर गलत बनी, टूटने का खतरा है। अब ये तो इंटरेस्टेड नहीं हैं। नहर अधूरी होने पर पानी भी छोड़ा गया। पूरे डिटेल्स में जाकर, मैं समय नहीं लूंगा। अधिकारियों ने चोरी के माल से मकान बनाये। ये कई हैं, अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान के समाचार पत्रों में भी छपे हैं। लेकिन उनके ऊपर मोटिव एट्रिब्यूट करना कहां तक उचित है, आप यह अंदाज लगा लें। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने उस समय आरोप लगाया कि जनता शासन में कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का और अपनी स्थिति रखने का मौका दिया। जनता शासन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ये सरकारी आंकड़े हैं। मैं अपनी तरफ से आंकड़े बनाकर नहीं बोलूंगा। सरकारी आंकड़ों से आप अंदाज लगा लेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि जनता शासन में कितना काम हुआ और कांग्रेस के शासन में कितना काम हुआ। मैं यह नहीं कहता कि पिछले शासन में कोई काम नहीं हुआ, काम हुए हैं। अब भी काम हो रहे हैं लेकिन इसका यह अर्थ निकाला जाय कि जनता शासन में कोई काम नहीं हुआ, मैं बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अर्थ वर्क शुरू से देखें, 1977–78 में 39 करोड़ क्यूबिक फीट, 78–79 में 55 करोड़, 79–80 में 79 करोड़, 80–81 में 54 करोड़, 81–82 में 55 करोड़,

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

82–83 में 64, 83–84 में 80 क्यूबिक फीट।

श्री अध्यक्ष : यह एक टेंडेंसी जो देखेंगे उसमें आपके टाइम में वृद्धि रेट कम आयी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बताता हूं, कहां कम हुआ। कहां ज्यादा हुआ, मैं बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई तरकीब नहीं मैं बता दूंगा। आप देखिये, अध्यक्ष महोदय, सवाल है गौर कर लेना, लाईनिंग का काम मैन कैनाल में 1977–78 में 27 कि. मी., 78-79 में 29, कि. मी., 79-80 में 26, कि. मी., 80-81 में 9, कि. मी., 81-82 में 27 कि. मी., 82–83 में 25 कि. मी., 83–84 में 28, लेकिन हुआ है 24 कि. मी.। अब अगर हाइएस्ट रिकार्ड किस ने कायम किया, तो, 78–79 में 29.85 कि. मी. जनता शासन में लाईनिंग हुई। अब आप इससे अंदाज लगा लें लाईनिंग के काम में। अब आगे चल कर डिस्ट्रीब्यूटरी......

एक माननीय सदस्य : लाईनिंग काहे की ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसके लिये आप चिन्तित हैं, 1977–78 में 431.49 कि. मी., 1978-79 में 295.12 कि. मी., 79–80 में 212, 80–81 में 91, 81–82 में 117, 82–83 में 72, 77–78 में हुआ था 431 कि. मी. और 82–83 में हुआ 72 कि. मी.। 1983–84 में 96 कि. मी। अब अन्दाज लगा लीजिये, अध्यक्ष महोदय, कोई हेरा फेरी नहीं। अब आगे चलिये क्रिएशन आफ इरिगेशन पोटेंशल 1977-78 में टोटल पोटेंशल था 4.89 लाख हैक्टेयर्स एडिशनल उसमें हुआ 0.26, 78-79 में टोटल 5.08 एडिशनल हुआ 19 लाख हैक्टेयर्स, 79–80 में हुआ 32 एडिशनल, 80–81 में हुआ 10, 82–83 में 46, 83–84 में अभी तो पूरा फिगर दिया नहीं गया है लेकिन 7 है। अब अन्दाज लगा लीजिये, अध्यक्ष महोदय, जो हमने लाइनिंग का काम शुरू किया, एडिशनल पोटेंशल इरिगेशन का यूटिलाइजेशन किया वाटर का, उसमें हम आगे रहे। लाइनिंग में हम आगे, डिस्ट्रीब्यूटरी के सिस्टम के लाइनिंग में हम आगे, वाटर पोटेंशल क्रियेट करने में हम आगे और वाटर के यूटिलाइजेशन में हम आगे।

श्री अध्यक्ष : आपने जो सिस्टम इनैक्ट किया वह काफी सुदृढ़ था और.....

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह मैं बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान कैनाल उस जगह तक नहीं बनी हुई होती तो बीच में से तो वह नहीं बनती। राजस्थान कैनाल वहां तक बनीं, राजस्थान फीडर बनी और उसके आगे कैनाल बनी और उसके आगे जब हमारा काम करने का मौका आया तो हमने काम किया और काम किया तो पिछले वर्षों से कम नहीं किया और आगे के वर्षों से भी कम नहीं किया। यह फिगर्स मैं इसलिये बताना चाहता हूं......

श्री मेघराज तावड़ : आप ये भी बता दें कि भ्रष्टाचार में कौन आगे है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह मैं बता देता हूं। अब, अध्यक्ष महोदय, फायनेंशियल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक्सपान्शन जिसके लिये माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1977-78 में 29 करोड़, 78-79 में 29 करोड़, ये लाख भी हैं, 77 लाख, 38 लाख उसको छोड़ देता हूं। 79-80 में 24 करोड़, 80-81 में 21 करोड़। ये 80 में 21 करोड़ ही खर्च हो गया, 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, 9 करोड़ रुपये सरेंडर किये। आप जानकारी करना चाहते हैं इसलिये बताना चाहता हूं, पहला साल भी बताता हूं। मैं बताऊं 30 करोड़ रुपय में से 24 करोड़ रुपये खर्च हुआ, 6 करोड़ सरेंडर किया, 80-81 में 21.7 आपने खर्च किया, 81-82 में 31.2, 82-83 में 44, 83-84 में 45, 45-44 कुछ भी। अब, अध्यक्ष महोदय, एक बात आप देखेंगे कि लाइनिंग में पैसा कम खर्च हुआ, डिस्ट्रीब्यूटरीज के लाइनिंग में पैसा कम खर्च हुआ, वाटर पोटेंशल क्रियेट कम किया गया, वाटर यूटिलाइजेशन कम किया गया। खर्च किस में हुआ? अर्थ वर्क में। जहां पर मस्टर रोल्स बनते हैं, जहां मिट्टी की तुलाई नहीं होती, कितनी मिट्टी का काम हुआ, और कितना मिट्टी का काम नहीं हुआ, उस अर्थ वर्क में। मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने अर्थ वर्क ज्यादा कराया, पक्का काम नहीं कराया। कैनाल का लाइनिंग नहीं कराया, कैनाल की डिस्ट्रीब्यूटरीज का लाइनिंग नहीं कराया। मिट्टी फेंकी, मिट्टी ढोओ, जितनी मिट्टी ढुला सकते थे, अध्यक्ष महोदय मिट्टी ढुलवाई। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे अर्थ वर्क के बेसिस पर ये क्रेडिट लेना चाहें, ऐसा फैसला किया डिस्ट्रीब्यूटरीज का लाइनिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लाइनिंग? डिस्ट्रीब्यूटरीज का लाइनिंग नहीं होगा तो माननीय सदस्य देवी सिंह जी जो बोल रहे थे कि जगह-जगह पानी के सोते बनेंगे, तालाब बनेंगे, वे निश्चित रूप से बनेंगे। आखिर इंजीनियर्स ने तय किया, कोई मेरा और आपका तय किया हुआ नहीं कि लाइनिंग होनी चाहिये और लाइनिंग इसलिये होनी चाहिये कि सीपेज कम हो, पशुओं को किसी तरह से खराबी नहीं हो, नहर में किसी प्रकार की क्षति नहीं हो। आपने लाइनिंग का काम बन्द कर दिया और अर्थ वर्क का काम चालू कराया। यह अर्थ वर्क का रिजल्ट है कि आपका पैसा ज्यादा दिख रहा है। आपको सरेंडर कराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ वर्क कितना ही हो, कितना ही रहे, आप अध्यक्ष महोदय, खर्च कर दीजिये उसमें कोई बात नहीं है लेकिन यदि इस बेसिस के ऊपर भी चलें कि 1977-78 में प्राइसेज क्या थीं, और आज प्राइसेज क्या हैं? रुपये का कितना डिवेल्यूएशन हुआ, प्राइसेज कितनी शूट अप कर गईं उस आधार पर भी आपके स्टेटमेंट के बेसिस पर भी जो आपने उस दिन कहा था कि यदि 13 करोड़ रुपये का काम हम दो महीने में नहीं करते, कोल के मामले में आपने कहा था; उस समय तो हमें 10 करोड़ रुपये का नुकसान होता। यदि एक साल तक हम काम नहीं करते तो हमें 37-38 करोड़ का नुकसान होता। तो एक साल में यदि 27 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी आपके हिसाब से हो सकती है तो

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

तीन वर्षों में 31 के अगेंस्ट में यदि आप कहते हैं कि हमने 45 करोड़ रुपये खर्च करवा दिये, मैं समझता हूं उसमें काम की गति से भी आप देखेंगे तो 45 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी आप 77 और 78 के लेवल पर नहीं पहुंच पाये हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप ये बातें न कहें कि जनता शासन में राजस्थान कैनाल का कोई काम नहीं हुआ, जो कुछ काम किया, हमने ही किया है। सब में राजस्थान की जनता ने पैसा दिया है। जिसके हाथ में काम करने का मौका मिला, किसी ने ईमानदारी से किया, किसी ने अपने व्यक्तिगत लाभ उठाने की दृष्टि से किया। लेकिन कैनाल का काम चलता रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि राजस्थान कैनाल में आज सबसे बड़ी समस्या है, मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा, आपने राजस्थान कैनाल में वाटर सप्लाई चैनल बनाई......

श्री अमराराम चौधरी : देवीसिह जी बहुत तारीफ कर रहे थे नहर की।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर

श्री भैरोंसिह शेखावत : देवीसिह जी और चन्दनमल जी का कुछ व्यक्तिगत संबंध है, अध्यक्ष महोदय, मैं इस व्यक्तिगत सम्बन्ध के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं केवल यह निवेदन कर रहा था, एक प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि वाटर सप्लाई चैनल जिस पर लगभग 13–14 करोड़ रुपए खर्च हो गये इस चैनल को आप ले जाना चाहते हैं मोहनगढ़ तक और आगे भी इसको जोड़ना चाहते हैं गोपा कैनाल से, आप ही ने इसमें घोषणा की है कि 1985 की जनवरी तक राजस्थान मैन कैनाल कम्प्लीट हो जायेगी। मैं अपने अन्दाज से, जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि इस बरसात के पहले आपकी वाटर सप्लाई चैनल कम्प्लीट नहीं होगी और इस में पानी नहीं पहुंचेगा। वाटर सप्लाई चैनल, अध्यक्ष महोदय, 900 क्यूसेक्स की बनाई, 300 क्यूसेक्स पानी कन्स्ट्रक्शन के लिए और 600 क्यूसेक्स पानी सिंचाई के लिए। 13–14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कन्स्ट्रक्शन के लिए जितना पानी चाहिए उसके लिए डेढ़-पौने दो करोड़ रुपए की पाइप लाइनें बिछी हुई हैं। मैं यह नहीं कहता लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, 1985 में आपके हिसाब से राजस्थान मैन कैनाल कम्प्लीट हो गयी तो इस वाटर सप्लाई चैनल का क्या उपयोग होगा? उसमें से तो पानी चलेगा नहीं। और जब उसमें से पानी चलेगा नहीं क्योंकि मैन कैनाल ही कम्प्लीट हो गयी तो इसमें देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अर्थ वर्क का यह सारा काम क्यों करवाया जा रहा है? अगर आप करवाना भी आवश्यक समझते हैं तो 900 क्यूसेक्स की इसको क्यों बना रहे हैं? 900 क्यूसेक्स की आवश्यकता नहीं है आप इसकी कैपेसिटी को कम करिये, पानी ले जाना है खुली चैनल से ले जाइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपका पाइप सिस्टम है उसमें कमी आती है तो आप कैनाल ले जायें लेकिन राजस्थान मैन कैनाल 1985 में कम्प्लीट हो जायेगी या सितम्बर तक पानी पहुंचेगा तो तीन महीने के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च हम कर रहे हैं, उनकी उपयोगिता क्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रश्न के ऊपर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गम्भीरता से विचार करें और यह भी जानकारी करें कि इसकी कैपेसिटी को कम किया जाकर कुछ काम करें तो क्या व्यवस्था हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी निवेदन किया, माननीय सदस्य नाराज भी हो रहे थे कि इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान कैनाल बने, यह राजस्थान का एक सुनहरा स्वप्न है, कोई इससे इन्कार नहीं कर सकते, कोई मना नहीं कर सकते, बाड़मेर, जैसलमेर, यह तो डायरेक्ट बेनीफिशियरी है ही लेकिन पूरा राजस्थान, पूरा देश इस राजस्थान कैनाल से लाभ उठाये, राजस्थान कैनाल ठीक बने इसमें हमारा सब का इन्ट्रेस्ट है। मैंने उस दिन भी कहा था, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान कैनाल के बैड में लाइनिंग हुई वह बहुत डिफेक्टिव है। माननीय मन्त्री महोदय ने उस समय जवाब नहीं दिया, मैं यहां सदन में नहीं था, जैसे मुख्य मन्त्री जी दो घन्टे बोल गये और आप भी सवा घण्टा बोले हैं लेकिन लाइनिंग के बारे में आप चुप रहे, लाइनिंग के बारे में नहीं बोले कि बैड में लाइनिंग कितनी कमजोर हुई और कितनी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं के रेफरेन्स से साबित करना चाहता हूं, इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि लाइनिंग डिफेक्टिव है उस से लाइनिंग से नहर के टूटने का खतरा है। उन टूटने के खतरों से सावधान नहीं रहा गया तो यह जो प्रशस्तियां पैदा कर रहे हैं या अपने लिए मांग रहे हैं कि हमने राजस्थान कैनाल में इतना काम कर दिया, वह बहुत मुश्किल हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं की एक रिपोर्ट से The bed lining consists of white tiles beds and sprawls with Sand filled joint with 1.1/8" to 3·8" top cement plaster. The top plaster stood severely crept and damaged. The sard bed was over saturated and the beds and sprawls in sand stood almost exposed to water. The saturated trenches has no sheer strength when one trench on it take and start thing.

मैंने उस समय कहा था, अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि राजस्थान कैनाल में यदि घासीराम जी यादव को लगा दिया जाय तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, यह मैं नहीं कहता। यह बात आज मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसी में है, इन्हीं की रिपोर्ट्स आयी है गवर्नमेण्ट के पास कि The total length is broadly inadequate or almost no canal bed lining are 7 to 8 Kms.

एक दो किलोमीटर नहीं है 7 टू 8 किलोमीटर, However, the canal from 1121 to 1190 is in cut and as such may cause severe lining damage. where the damage and almost unlined canal may cause a severe safety hazard.

अब मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि यह मैं नहीं कहता कि आपने खुद इसमें कोई कार्यवाही की, किसी ने भी को हो, आप इसको स्वीकार करने में क्यों संकोच कर रहे हैं कि लाइनिंग खराब हो गयी, लाइनिंग में छोटे-छोटे टुकड़े डाल दिये गये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और टुकड़े डाल कर सीमेंट उन पर बिखेर दी गयी। आज अगर राजस्थान कैनाल पूरी कैपेसिटी से पानी लाती है, 400 क्यूसेक्स पानी चला उसमें ही राजस्थान कैनाल उधड़ गयी, उसमें आपकी चारणवाला ब्रांच जगह-जगह टूट गयी, अध्यक्ष महोदय, यदि पूरी कैपेसिटी का पानी राजस्थान कैनाल में चला तो उस समय राजस्थान कैनाल की क्या हालत होगी और उस समय आसपास के गांव के लोगों की क्या हालत होगी ? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इसको भी देखेंगे, आपके इन्जीनियर्स ने जो टाइल्स रिजेक्ट कर दीं, वह एक डिवीजन ने रिजेक्ट की, अध्यक्ष महोदय, और दूसरे डिवीजन के अन्दर लग गयीं। दूसरे डिवीजन में लग गयीं तो जो रिजेक्टेड टाइल्स थीं, किस-किस की कितनी टाइल्स रिजेक्ट कीं, वह गयी कहां? वहां कोई मकान नहीं बने हुए हैं, वहां कोई गांव नहीं बसे हुए हैं राजस्थान कैनाल में मोहनगढ़ के पास या बज्जू के पास। टाइल्स यदि रिजेक्ट हो गयीं तो आप क्या यह समझते हैं कि कोई ट्रक में डालकर बीकानेर में लाकर बेचेगा ? क्या आप यह समझते हैं कि ट्रक में डालकर जोधपुर और फलौदी में ले जाकर उनको बेचेगा ? वह टाइल्स एक जगह से रिजेक्ट हुईं, दूसरी जगह लग गयीं, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह रहा हूं, एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने दिया है।

प्रश्न यह है, "क्या यह सही है कि बुर्जियों के क्षेत्र में बड़े-बड़े टाइल्स के टुकड़े डाल कर केवल मात्र सीमेंट का छिड़काव किया" ? जवाब बड़ी खूबसूरती से ड्राफ्ट किया, इसके लिए जिन ऑफिसर्स ने ड्राफ्ट किया है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है वह इस उत्तर में आपको मिलेगा। "यह सही नहीं है कि इन बुर्जियों के बीच बेड में टाइल्स के टुकड़े डाल कर सीमेंट का छिड़काव किया गया। बेड का कार्य साधारणतया स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही हुआ है। नहर की बेड में और साइड्स में टाइल्स के टुकड़े भी इस्तेमाल किये जाते हैं, चूंकि टाइल्स की मोटाई कम है इसलिए उनको भट्टे से नहर तक लाने में बराबर हैण्डलिंग से कुछ टाइल्स टूट जाती हैं, टूटी हुई टाइल्स को बेड और साइड्स में पूरी टाइल्स के साथ उपयोग किया जाता है। साइड में जो ऊपर की परत होती है उसमें भी यथासम्भव पूरी टाइल्स ही लगायी जाती हैं।"

इसका मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, जवाब तो बड़ी सुन्दरता से दिया है लेकिन इस बात को एडमिट किया है। मेरी जितनी जानकारी है कि 5 प्रतिशत टूटी हुई टाइल्स, या खोखरे कुछ भी कहें उनको आप समझते हैं, यूज की हैं लेकिन यदि आप उस कैनाल को देखने जाये, अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय से भी यह कहना चाहता हूं, यह मेरा और आपका सवाल नहीं है, यह राजस्थान की पीढ़ियों का सवाल है, यदि कैनाल के निर्माण में आज कहीं मेजर मिस्टेक कर दी तो राजस्थान उसको भोगेगा, मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, उस दिन भी निवेदन किया था, आज भी कहना कहना चाहता हूं, मन्त्री जी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि राजस्थान विधान सभा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के सदस्यों की एक टीम जाकर इस सारे बैड में लाइनिंग और कैनाल में लाइनिंग को देख कर राजस्थान सरकार को इस बात की जानकारी दे कि लाइनिंग में इस तरह का डिफेक्ट क्यों रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इन के मामले में हम गम्भीरता से विचार करें। आखिर 8 किलोमीटर के बीच में यदि बैड की लाइनिंग डिफेक्टिव हो तो यह इसकी सैफ्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, कैनाल टूट सकती है, सिंचाई की समस्या हो सकती है, इस प्रकार की लाइनिंग बैड में और साइड्स में डिफेक्टिव क्यों की गयी ? मैं चाहूंगा, मन्त्री महोदय, यदि आप मेरी बात को इन्कार करना चाहते हो, तो जो वह सारा रिकार्ड आपके पास है, जो इन्जीनियर्स ने रिपोर्ट भेजी है कि इसकी बैड लाइनिंग डिफेक्टिव है, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे जो सवाई माधोपुर से आये हैं, पांचना क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे, मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल हो, चाहे माही डैम प्रोजेक्ट हो, इंजीनियर्स एफीशियेंट हों या करप्ट, मैं नहीं कहता राजस्थान कैनाल में जितने इंजीनियर्स लगे लगे हुए हैं सारे के सारे करप्ट हैं या माही डैम में जितने लगे हैं वह करप्ट हैं लेकिन जितने भी करप्ट एलीमेण्ट्स इरिगेशन डिपार्टमेण्ट में हैं, जिसमें ऑफिसर नाराज हो या मन्त्री नाराज हों यह उनका डम्पिंग ग्राउण्ड है, इसमें डम्प कर देते हैं। यदि किसी से नाराज हो तो जाओ आर.सी.पी. में, यदि किसी से नाराज हो तो जाओ माही डैम में, माही डैम में नाराज हो तो जाओ आर.सी.पी. में, यह डम्पिंग ग्राउण्ड बना दिया, आर. सी पी. जैसे इन्टरनेशनल प्रोजेक्ट को करप्ट ऑफिसर्स के लिए डम्पिंग ग्राउण्ड बना दिया, यह उसका रिजल्ट है कि वह जहां जायेगा अपना खाली हाथ नहीं रखेगा। इसलिए कहना चाहता हूं, उस डम्पिंग ग्राउण्ड के मामले में माननीय मन्त्री महोदय विचार करें। आपने बहुत तारीफ की, अभी यह कह रहे थे पांचना डैम के मामले में, आज मैं कहता हूं, चाहे सिंचाई मन्त्री स्वीकार करें या नहीं करें, मैं भी एक दिन देख कर आया हूं, मैं कोई इन्जीनियर नहीं हूं लेकिन मुझे जिस प्रकार की जानकार दी है उस जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि बालू का टीला बनाया है, यह टीला जिस समय पूरा पानी, 85 फीट उसकी भराव क्षमता है, जिस समय पूरे 85 फीट पानी जिस दिन उसमें आ जायेगा उस दिन यह बालू का टीला बह जायेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो दोषी व्यक्ति था, अध्यक्ष महोदय, वह राजस्थान कैनाल गया, हांडा साहब को राजस्थान कैनाल पर ले गये। हांडा अकेले नहीं गये, अपनी पूरी टीम लेकर गये। एक आदमी जिसने जयपुर में फ्लड् के मामले में दुनियां भर की गड़बड़ी की, श्री सक्सेना, उन को ले गये। और दोनों चले जाते तो समझ में आता लेकिन जिस ठेकेदार के मार्फत इनकी दुकानें चलती थीं उस रोहित को भी राजस्थान कैनाल ले गये। यह पूरी की पूरी टीम किसलिये ? मुझे कहना पड़ता है कि आप उसको डम्पिंग ग्राउण्ड नहीं बनायें, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा है आप ऐसे इंजीनियर्स पोस्टिंग अवेटिंग ऑर्डर्स में रखें, दे देगी सरकार तनख्वाह, कोई उस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर एतराज करेगा ए. जी. वगैरह तो हम उसको सहन करेंगे लेकिन ऐसे आदमी को यदि काम देकर काम में गड़बड़ी करने का मौका देंगे तो राजस्थान कैनाल को स्थायी रूप से हानि होगी इसके बारे में हमें चिन्ता करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने एक बात कही थी, माननीय मन्त्री महोदय ने उसका जवाब नहीं दिया था आपने कोम्पक्शन नहीं किया, न ड्राई कोम्पक्शन कराया, न वेट कोम्पक्शन कराया और जहां कोम्पक्शन नहीं होगा लूज सैन्ड में हम चाहे कैनाल बना लें, लूज सैन्ड में हम डैम बना लें लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वह पानी के सीपेज को नहीं रोक सकता, नहर में किसी प्रकार की मजबूती नहीं ला सकते। स्पेसिफिकेशन में कोम्पक्शन है, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कोम्पक्शन के अगेन्स्ट में आपने कितना कोम्पक्शन कराया, कोम्पक्शन का टार्गेट कितना था, ड्राई कोम्पशन कितना होना चाहिये था और वेट कोम्पक्शन कितना होना चाहिये था, इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय जानकारी देंगे और बतायेंगे कि कोम्पक्शन क्यों नहीं हुआ ?

अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय भी कहा था कि वाटर सप्लाई चैनल का एलाइन्मेन्ट चेन्ज किया गया। यह एलाइन्मेन्ट क्यों चेन्ज किया गया ? इस एलाइन्मेन्ट में कटिंग और फीलिंग, जहां पर पत्थर काटना पड़े वह लिया गया, जहां पर मिट्टी लानी पड़े वह एरिया लिया गया, अब उसमें कुछ इंजीनियर्स ने स्पष्ट रूप से कहा, इन्हीं के इंजीनियर्स की रिपोर्ट्स है कि एलाइन्मेट अल्टीरियर मोटिव के साथ लिया गया। इस एलाइन्मेन्ट के पीछे वाटर सप्लाई चैनल का निर्माण जल्दी हो जाय, यह भावना नहीं थी, इसके पीछे यह भावना थी कि कटिंग और फीलिंग में ज्यादा खर्चा होना चाहिये जितना खर्चा होगा उसमें हमारा हिस्सा ज्यादा होगा। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि इसमें एलाइन्मेन्ट चैन्ज क्यों किया गया और क्या एलाइन्मेन्ट चेन्ज करने के सम्बन्ध में आपको अपने इन्जीनियर्स की रिपोर्ट नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, कटिंग के लिये एक्सप्लोजिव रिग्स की जरूरत है। बीकानेर साइट पर एक्सप्लोजिव, खरीदा। कटिंग के काम में नहीं आये और वहीं बीकानेर साइट में बिक गया। एक्सप्लोजिव के अलावा पत्थर तोड़ने की ड्रील रिग्स होती है वह खरीदी गई और वह बेच दी गई। न एक्सप्लोजिव काम में आया, न बाकी का मैटीरियल काम में आया, न वहां पर एक्सप्लोजिव के अनुपात में और ड्रिल रिग्स के अनुपात में जितने काम की खुदाई होनी चाहिये उतन काम हुआ। माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में जांच करा लें कि कितने एक्सप्लोजिव खरीदे, कितने ड्रील रिग्स खरीदे और खरीदने के बाद उनके अनुपात में कितना काम होना चाहिये था, क्या खुदाई का इतना काम हो गया और उनके बिना कितना काम हुआ है। इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय मौन नहीं रहेंगे। मैं इसी तरह से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, एन्टी सैलाइनट्रीटमेंट यह कोई नया नहीं है, यह वर्षों से चलता आया है कि जहां पर सैलाइनिटी हो, जहां पर साल्ट की मात्रा

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

ज्यादा हो वहां पर ऐसी चीजों में डामर बिछायें, डामर की एक परत दें। 1983 में इस सरकार ने उसको बदला है और बदल कर यह तय कर दिया राजस्थान कैनाल बोर्ड की मीटिंग में गया उससे पहले इंजीनियर्स ने डिसीजन लिया, इंजीनियर्स ने डिसीजन लेकर कैनाल बोर्ड में भेज दिया, 1983 में कैनाल बोर्ड में भेजकर यह फैसला करवा लिया कि इसमें डामर या एन्टी सैलाइन ट्रीटमेन्ट के लिये जो बटुमेन की जरूरत है, उसकी आवश्यकता नहीं है, अब छः इंच बजरी उसके ऊपर डाल दी जाय वह पर्याप्त है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वहां पर बजरी डाली गई ? क्या आपको आपके विभागीय अधिकारियों ने, लोगों ने रिपोर्ट नहीं दी कि वहां पर बजरी नहीं डाली गई ?

अध्यक्ष महोदय, उसके नाम से जितने लोग अपने घर बना सकते थे, लोगों ने अपने घर बनाये। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केवल एक ही नहीं, अर्थ वर्क के झूठे मस्टररोल्स बनाये, कैनाल में मिट्टी उठाई मिट्टी उठाने का पैसा, मिट्टी उठाई उस जगह को फिर भरने का पैसा और फिर उस कैनाल के अन्दर सैन्ड जोन के नाम से पैसा, वहां पर मिट्टी आ गई, उस मिट्टी को हटाने का पैसा, वह मिट्टी जाकर बाहर पड़ गई वह फिर उठ गई, फिर उस मिट्टी को लाने का पैसा। भगवान जाने अर्थ वर्क का इतना जंजाल है और इसी जंजाल के कारण, माननीय मन्त्री महोदय, आप 44 करोड़ रुपये इस काम पर खर्च करने में कामयाब हो गये। यदि आप काम कर देते तो 44 करोड़ रुपया अर्थ वर्क के ऊपर खर्च नहीं होता बाकी और काम में भी खर्च होता।

अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, कोम्पक्शन के लिये सौ फुट रोलर और ट्रेक्टर, सौ फुट रोलर ट्रेक्टर्स से खींचता है 30 फीट रोलर चला नहीं, कोम्पक्शन जहां पर नहीं हुआ लेकिन ट्रेक्टर्स के चलने की लाग बुक्स मेन्टेन की गई, कई जगह पर फर्जी लाग बुक्स मेन्टेन की गई और ट्रेक्टर्स को जितना डीजल मिला, खर्च हुआ उस डीजल को बेच दिया। इसको आप एफीशियेन्सी कहें लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी इसको एफीशियेन्सी कहने के लिये तैयार नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्टेशन में, माननीय मन्त्री महोदय कह गये कि मैंने 3 इंजीनियर्स को सस्पेन्ड कर दिया। एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को क्या मामला दिया गया ? उन्होने फर्जी कागज बनाये, फर्जी इस प्रकार के कागज बनाये कि ट्रेक्टर से लोडिंग का काम बनाया। अध्यक्ष महोदय, जो ट्रेक्टर के नम्बर दिये गये वह ट्रेक्टर के नम्बर नहीं थे, आर. टी. ओ. ने तस्दीक कर के कहा कि ये नम्बर लूना मोटर साइकिल के हैं, ये नम्बर मोटर साइकिल के हैं। तो जिस आदमी ने फर्जी रिकार्ड बनाया, मैं, मुख्य मन्त्रीजी, आपसे कहना चाहता हूं कि वह गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, आज और आदमी यदि फर्जी रिकार्ड बना लेता तो तुरन्त मुकदमा बनता और गिरफ्तार होता। आपने सस्पेन्ड कर दिया, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को भेज दिया, आज एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट की हालत क्या हो गई है, यह मैं पुलिस की मांग के समय में बताऊंगा। आज एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जांच करने के लिये आपको दूसरे आर्गेनाइ-जेशन को खड़ा करना पड़ेगा, हालत वहां पर इस प्रकार की हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, एन्टीकरप्शन डिपार्ट-मेन्ट को दे दिया उससे नतीजा क्या निकला? वह आदमी सस्पेन्ड पड़ा है उसको क्या चिंता है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लोडिंग और अनलोडिंग का मामला है, वह जो कोल हैण्डलिंग के अन्दर एक्स्ट्रा एक्सपेन्डीचर करनी पड़ा उसके लिये जिम्मेदार कौन है? अध्यक्ष महोदय, ड्रिल रिग्स वहां पर लानी चाहिये थी, वहां पर कोल नहीं ले गये दूर छोड़ दिया और वहां का कान्ट्रैक्टर्स ने कहा कि इसको नहीं उठायेंगे, नहीं उठाना था उनको कन्सेशन दे दिया। कन्सेशन के बाद में लोडिंग और अनलोडिंग का उनको किसी न किसी प्रकार से एक्स्ट्रा पेमेन्ट किया तो उन्होंने हाउजर करना बन्द कर दिया और सारे खर्चे को सहन किया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं। कि इतना ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इसलिये कह रहा था कि माननीय मन्त्री महोदय बड़ी तारीफ करते हैं मैंने यह काम करा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के बाहर से लेबर बुलाये, मेशन लेबर लाकर काम कराया अब मन्त्री महोदय, क्या आप यह कह सकते हैं कि 1982 में रेट्स क्या थीं, 1983 में रेट्स क्या हो गई थीं? क्या आप इस रेट्स का कम्पेरीजन 1981 से कर सकते हैं या कम्पे-रीजन 1980 से कर सकते हैं या पुरानी रेट्स के आधार पर कर सकते हैं जो मर्जी आये भाव बढ़ा दिया 50–50, 60–60 रुपये की रेट्स दी गईं।

अध्यक्ष महोदय, इससे आप अन्दाज लगा लें कि उसमें कितना खर्चा बढ़ा है, मैं मानता हूं कि टेन्डर में आपने बी. एस. आर. से 20 परसेन्ट एडहॉक बेसिस पर भर्ती कर दी। आर्गूमेन्ट शायद आप यह देंगे कि रेट्स हाई आती थीं, लेकिन रेट्स हाई आती हैं उसके बाद में रेट्स हाई आई हैं उसका रीजन क्या है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान कैनाल के निर्माण के काम में जिस प्रकार का घटिया काम का रिकार्ड माननीय श्री चन्दनमल जी बैद ने बनाया है राजस्थान में उस प्रकार का रिकार्ड कोई नहीं बना सका है। ये इसके लिये ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, यहां पर अपने भाषण में वह अपने लिये कह सकते हैं कि मैं तेनसिंह हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी भागीरथ हैं–तेनसिंह और भागीरथ जी दोनों को नमस्कार लेकिन भागीरथ जी गंगा लाये, गंगा जटा में उलझ गई और उलझ जाने के बाद भी धरती पर उतार दी……

श्री चन्दनमल बैद : गंगा भागीरथ जी की जटा में नहीं उलझी थी, समझ कर बात कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जटा में तो आपके उलझ गई–आप सुन तो लीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : जटा शिवजी के उलझी थी आप मुझे अगर शिवजी बनाना चाहते हैं तो आप बना दीजिये आपको ही पूजा करनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I can amend myself. लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उनकी जटा में उलझ कर बाहर निकल गई लेकिन राजस्थान कैनाल इन दोनों की जटा में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उलझ गई यहां निकलने का काम कैसे होगा इसमें आपका सहयोग चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप कोई तरीका बतायें राजस्थान कैनाल धरती पर सही चले इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

अध्यक्ष महोदय, बड़े संकोच की बात है राजस्थान कैनाल के चीफ इन्जीनियर और राजस्थान के इरिगेशन के चीफ इंजीनियर इन दोनों चीफ इंजीनियर्स ने अपने लड़कों के नाम से दुकान खोली हुई है, फर्म खोल रखी है....

श्री अध्यक्ष : ये अपमानजनक, आरोपित करने वाले मामले उठाने से पहले आपको इसकी सूचना देनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह तो मैं बता दूंगा, अपमानजनक हो तो आप एक्सपन्ज कर दें, लेकिन मेरी सुन लें।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने माननीय सिंचाई मन्त्रीजी को और माननीय राजस्थान कैनाल मन्त्री को, दोनों को चिट्ठियां लिखीं। उन्होंने तो मेरी चिट्ठी की प्राप्ति की सूचना दी सिंचाई मन्त्रीजी ने, उसके बाद में मौन हो गये और दूसरे कैनाल मन्त्री साहब ने, यह सही है कि धीरे-धीरे मुझे इस प्रकार की सूचना मिल रही है, एक सूचना में उन्होंने यह स्वीकार किया, मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 22·70 लाख रुपये की खरीद की गई, यह अपमानजनक आरोप नहीं, यह तथ्य हैं। इसलिए कहना चाहता हूं आप अन्दाज लगा सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, यदि राजस्थान कैनाल या कोई भी चीफ इन्जीनियर या राजस्थान में इरिगेशन डिपार्टमेन्ट का चीफ इन्जीनियर अपने लड़कों के नाम से फर्म खोल ले और उस फर्म के माध्यम से अपने ही डिपार्टमेन्ट को सामान सप्लाई करे तो हालत क्या होगी। क्या हालत होगी, क्या लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कौशिक साहब, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा, ये दोनों चीफ इन्जीनियर, क्या आपसे अनुमति ली है कि हम इसी डिपार्टमेन्ट में सामान बेचने के लिए अपने लड़कों के नाम से फर्म चला रहे हैं, क्या राज्य सरकार से कभी अनुमति ली है, और क्या राज्य सरकार ने उनको अनुमति दी है कि आप डिपार्टमेन्ट के चीफ इन्जीनियर हैं और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं, उस डिपार्टमेन्ट में आप सामान का विक्रय कर सकते हैं?

श्री चन्दनमल वैद : एक बात करेक्ट कर लीजिये, आपने मुझसे जो सूचना ली वह मौजूदा मुख्य अभियन्ता के बारे में नहीं ली थी, इसको करेक्ट कर लीजिये आप। आप बोल रहे हैं मौजूदा मुख्य अभियन्ता के बारे में और आपने मुझसे जो सूचना ली थी वह मौजूदा मुख्य अभियन्ता के बारे में नहीं ली थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, मैंने दो के नाम लिये, दोनों के नाम लिये और अध्यक्ष महोदय ने मुझे नाम लेने से रोक दिया वरना मैं सुना दूं, चिट्ठी आई, अध्यक्ष महोदय, उसमें इन्होंने स्वीकार किया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के वर्तमान जो चीफ इन्जीनियर हैं उनके लड़के की दो फर्म हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और इन्होंने स्वीकार किया कि 22·70 लाख रुपये का सामान राजस्थान कैनाल को दिया इरिगेशन डिपार्टमेन्ट में। माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब नहीं दिया। मेरे पास पूरी जानकारी है कि इन्होंने कितना सामान बेचा और कितना सामान नहीं बेचा। मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा क्या सरकार इस बात की अनुमति देगी कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट अपने लड़कों के नाम से फर्म खोल कर अपने हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के पद का दुरुपयोग करते हुए सामान खरीदवाये? क्या हिन्दुस्तान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था अन्य राज्यों में है? किसी राज्य में नहीं है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, आप क्या अन्दाज लगायेंगे कि सामान के विक्रय करने के अन्दर ईमानदारी से काम हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल में जितनी भी पर्चेजेज की है उसमें एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से पर्चेजेज की है, बीकानेर और अजमेर के उपभोक्ता से पर्चेजेज की। अध्यक्ष महोदय, सरकार का स्पष्ट आदेश है कि यदि उपभोक्ता भण्डार या एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन या मैन्युफेक्चरर का होल सेलर, या मैन्युफेक्चरर हो उस हालत के अन्दर बिना टेण्डर इन्वाइट किये सामान खरीद लिया जाय। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि उपभोक्ता भण्डार, न मेन्युफेक्चरर है, न मेन्युफेक्चरर का होलसेल डीलर है, न उसका रजिस्टर्ड डीलर है, से सारा सामान खरीदा गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री नाराज न हों तो मैंने सारी पर्चेजेज का एक स्टेटमेन्ट बनाया है इन्हीं किताबों से, मेरी किताब से नहीं है, कुल, अध्यक्ष महोदय, 2,04,31,099·55 रुपये का केवल एक लिमिटेड पीरियड में उपभोक्ता भण्डारो से और डी. जी. एस. डी. की रेट से खरीदा गया। मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय यह बतायें कि उपभोक्ता भण्डारों से पर्चेज किस आधार पर की गई, किसने अनुमति दी जब कि यह जो होलसेलर या डीलर नहीं है और खुली पर्चेजेज में, अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, इन्होंने किस आधार पर यह सामान खरीदने की अनुमति दी? यह, अध्यक्ष महोदय, एक चीज नहीं, इसमें कई चीजें हैं, उन चीजों से आपको अन्दाजा लगेगा। मैं एक जानकारी देने के लिये सदन को एक स्टेटमेन्ट पढ़कर सुनना चाहूंगा जिससे यह पता लग जायेगा कि सामान की रेट में कितना और किस प्रकार का अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, एक स्टेटमेन्ट है, उस स्टेटमेन्ट से आपको पता लगेगा कि इससे सामान की खरीद में कितनी और किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है। यह स्वयं यहां के इन्जीनियर्स ने असेस किया है कि सामान की खरीद के अन्दर बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। एक स्टेटमेन्ट है, अध्यक्ष महोदय,

"Statement showing the prices of bearings as per dealers' price and prices at which the same have been purchased in the Central Stores Division from M/s. Western Engineering & Bearing Co. Bikaner. The firm is of a close relative of Shri B. N. Arya, Executive Engineer."

यह स्टेटमेन्ट मेरा नहीं है ऑफिशियल स्टेटमेन्ट है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब, अध्यक्ष महोदय, "on recommendation of Shri P.K. Bedi, Executive Engineer. The date on which material was received in Central Siores."

एक ही आइटम बता देता हूं, एक सामान है।

"The rate as per dealer's price."

यह बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है, मैं टाइम नहीं लेना चाहता, उसकी कीमत है 67·32, जो डीलर प्राइस है, उसकी कीमत आती है 67.30 और सेण्ट्रल स्टोर में कितने में खरीदी, 115/– में। अब आप इससे अन्दाज लगायें।

श्री चन्दनमल बैद : क्या चीज थी और कब खरीदी, यह भी बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप बता देना।

श्री चन्दनमल बैद : आप बताइये, किस साल में खरीदी ? आप कहां से पढ़ रहे हैं, मुझे क्या पता। आप बताइये किस साल में खरीदी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह रिपोर्ट जो आपके पास आई है उसको पढ़ लेना। यह लैटर है जून 20, 1983 का और इस लैटर के साथ ये दोनों जुड़ी हुई हैं। आप पढ़ लेना। कौन से साल की है।

श्री चन्दनमल बैद : यह सामान किस साल में खरीदा गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैं बता रहा हूं, मुझे तो क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां दफ्तर में बैठकर भी पढ़िये। यह जो एन्क्वायरी ऑफिसर ने लिखा है उनसे आपने नहीं पूछा कि सामान किस साल में खरीदा ?

श्री चन्दनमल बैद : लैटर मुझे एड्रेस्ड है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको एड्रेस्ड नहीं है, आपके आर. सी. पी. के चेयरमैन को एड्रेस्ड है।

श्री चन्दनमल बैद : फिर क्या बात है ? आर. सी. पी. के चेयरमैन को 100 लैटर लिखते होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे क्या मतलब।

श्री चन्दनमल बैद : आप पढ़ रहे हैं जिस कागज को, उसके लिये मैं पूछ रहा हूं। नाराज क्यों होते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आर. सी. पी. के इन्जीनियर कोई गड़बड़ करे तो यह मन्त्री महोदय अपने ऊपर कैसे समझते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसमें तारीख पूछते हैं, तारीख। मतलब मिठाई तो गप-गप और खट्टा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूरा पढ़ देता हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावना को समझता हूं, मैं पूरा पढ़ देता हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्राइस लिस्ट में 163/– है	लिया 360/– में
प्राइस लिस्ट में 223/– है	लिया 360/– में
प्राइस लिस्ट में 24/– है	लिया 38/– में
प्राइस लिस्ट में 31/– है	लिया 32/– में

प्राइस लिस्ट में 24 है और खरीदा है 41/– में।

यह सारी लम्बी चौड़ी सूची है। मैं समझता हूं, माननीय मन्त्री महोदय को सन्तोष होगा। अब मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह, अध्यक्ष महोदय, और भी आगे देखना चाहें, मैंने केवल आपको एक जायजा बताया, मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय अपने रिकार्ड को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके इन्जीनियर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि फर्जी प्राइस लिस्ट देकर सामान दिया गया। आपके आर. सी. पी. के अन्दर कागज पड़े हैं जिनमें इस बात का संकेत है कि डीलर्स ने फर्जी प्राइस लिस्ट दी और फर्जी प्राइस लिस्ट के आधार पर सामान आर. सी. पी. को दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज किर्लोस्कर पम्प और किर्लोस्कर पम्प के स्पेयर पार्ट्स, होज पाइप और बाकी की चीजें, तारपुलिये, वह उपभोक्ता भण्डार बेच रहा है। उपभोक्ता भण्डार किर्लोस्कर पम्प और उसके स्पेयर पार्ट्स बेच रहा है। ये सारे ऐसे कबाड़े हैं, मैं चाहूंगा, मन्त्रीजी इसको पर्सनल नहीं लें, आप इसमें सुधार करने की चेष्टा करें। मैंने यह भी नहीं कहा कि चन्दनमलजी ने खरीदवाया, उसमें गड़बड़ी करदी। मैं तो खरीद के तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। इन तथ्यों के बारे में भी नाराज हों तो मैं समझता हूं आपकी नाराजगी मुझे सहन करनी ही पड़ेगी। इसके सिवाय मेरे पास कोई उपाय नहीं है।

श्री चन्दनमल बेद : आप तो मुझ से नाराज हो रहे हैं। आप यहां जरूर डांट डांटकर भाषण दे जावें, वह तो कुछ नहीं, और मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं बीच में तो आप कहते हैं कि नाराज हो रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं हैं, आप नहीं है ना ?

श्री चन्दनमल बेद : मैं आपसे नाराज हूं तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूंगा। और कोई दूसरा नाराज हो तो क्या बिगाड़ सकता है, मैं क्या बिगाड़ लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, नाराज तो नहीं है ?

श्री चन्दनमल बेद : मैं अगर नाराज होऊं तो क्या बिगड़ जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नाराज नहीं है तो मुझे एनकरेजमेन्ट मिलेगा, मैं और बोलूंगा। इसलिये मैं तो डर रहा हूं आपकी नाराजगी से।

श्री चन्दनमल बैद : किसी की नाराजगी से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी नाराजगी से।

श्री चन्दनमल बैद : जिसके नाराज होने से आपको तकलीफ होती है इसका नाम बता दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके नाराज होने से बहुत तकलीफ होती है।

श्री चन्दनमल बैद : गलत नहीं, सही कह रहा हूं, यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और मैं गलत नहीं सही कह रहा हूं, नाम लूंगा देवीसिंह जी भाटी का तो आप नाराज हो जायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : मैं नाराज क्यों होऊंगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भुलावे में नहीं रहें क्योंकि उनका स्वभाव बदला नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : स्वभाव तो आपका और देवीसिंह जी दोनों का नहीं बदला।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आप हर चीज को पर्सनल क्यों लेते हैं ? तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको मिनिस्टर अपने उपर ले लेते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इस राजस्थान का बन्टाढार होगा। अध्यक्ष महोदय, आप यह मान कर चलें कि राजस्थान में जो इसमें पर्चेजेज हुई, उसमें गड़बड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री महोदय अपना जवाब देंगे तब यह कहेंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, कुछ आइटम ऐसे हैं खास तौर से पाइप की पर्चेजेज हुई हैं उसमें चाहे कोन पाइप हो, चाहे एम. एस. पाइप हो, चाहे जी. आई. पाइप हो, चाहे और पाइप हो, वह कहेंगे कि सारे पाइप्स हमने डी. जी. एस. डी. रेट्स से खरीदे हैं। अगर आपने डी. जी. एस. डी. रेट से खरीदें हैं तो रेट कान्ट्रेक्ट के बेसिस पर आप माल खरीदना चाहें तो डी. जी. एस. डी. की रेट पर तो डिसकाउन्ट होता है। रेट कान्ट्रेक्ट पर किसी एक फर्म को आर्डर देने का डिस्क्रिशन किस आधार पर किया ? क्या आपने कोई डिस्काउण्ट उस फर्म से लिया ? डिस्काउण्ट के बेसिस पर आपने नेगोशियेशन किये थे क्या ? और अगर आप नेगोशियेशन करते तो जिस फर्म को आर्डर आपने दिया उस फर्म को आर्डर देने के बाद आपने जो निर्णय लिया उस में मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, किसी भी फर्म से कोई डिस्काउण्ट नहीं लिया गया। उसमें डिस्काउण्ट का कहीं पर भी सवाल ही पैदा

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

नहीं होता। उन्होंने अपनी स्वीट विल पर जिस फर्म ने राजी कर लिया उस फर्म को या कम्पनी को आर्डर दे दिया और बाकी की जो फर्म्स हैं वह रोती रहीं।

श्री चन्दनमल बैद : एम. एस. पाइप हमने स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया से खरीदे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एम. एस. पाइप आपने स्टील अथोरिटी से खरीदे. मान लिया।

श्री चन्दनमल बैद : आपने नाम लिया इसलिये बताया कि एम. एस. पाइप सैल्स से खरीदे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एम.एस. पाइप आपने सैल्स से खरीदा पर जितने एम. एस. पाइप आपने खरीदे उनका उपयोग सब का हो गया क्या ?

श्री चन्दमल बैद : क्या फर्माया आपने।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जितने आपने पाइप खरीदे उनका उपयोग हो गया क्या ?

श्री चन्दममल बैद : हां, बिलकुल हो गया, बिलकुल उपयोग हो गया। हमें तो बल्कि कुछ दिनों तक इन्तजार करना पड़ा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इन्तजार नहीं करना पड़ा वे बेकार पड़े रहे, कई दिनों तक बेकार पड़े रहे। अध्यक्ष महोदय, पहले इमर्जेन्सी दिखाई और कहते रहे हैं कि इमीजिएटली मिलने चाहिये। उसकी इमीजिएट रिक्वायरमेंट की जाती है और उस रिक्वायरमेंट के लिये पहले बैक ग्राउण्ड बनाया जाता है कि यह पाइप्स जल्दी से जल्दी हमें मिलने चाहिये। तो यह एम. एस. पाइप आपने सैल्स से खरीदे ठीक हैं, मैं एग्री करता हूं पर डी. जी. एस. डी. की रेट से जो खरीदे जा रहे रेट कान्ट्रेक्ट पर उस रेट कान्ट्रेक्ट का किस आधार पर आपनें सलेक्शन किया कि अमुक फर्म से माल खरीदो और अमुक से माल नहीं खरीदो ? यह आप किस प्रकार से डिस्क्रिशन काम में लेते हैं ? और यह डिस्क्रिशन आप स्टेट के इन्टरेस्ट में लेते तो आपको डिस्काउण्ट मिलता तो क्या आपने वह डिस्काउण्ट स्टेट के खजाने में जमा कराया है ? वह कहां जमा है।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि पर्चेजेज के मसले में बहुत सी गड़बड़ हुई हैं, मैं आसानी से इस बात को नहीं जाने दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें. इन पर्चेजेज में बहुत सी गड़बड़ी हुई हैं। राजस्थान कैनाल के निर्माण में बहुत सी गड़बड़ी हुई। अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर कोई यह कह दे कि मैंने यह बात हाउस में एक्सपोज कर दी इसलिये मुझे तसल्ली हो जावे तो मुझे तसल्ली नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो तसल्ली तब होगी जब इसको आप राजनैतिक आधार पर न लेकर यदि कोई गलती की है तो कहें. उसको भोगूंगा, और यदि मैंने कोई गलत सूचना दी है तो उसके लिये मुझे पश्चाताप करना होगा। अगर मैंने कोई सूचना दी है तो आप उसकी जांच करायें। अगर वह सूचना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सही पायी जाये तो मैं मन्त्रीजी यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि चन्दनमल जी ने कोई सर्टिफिकेट दे दिया तो उसमें कोई बेइमानी नहीं हुई, इस आधार पर दिये हुए सर्टिफिकेट को ही आधार मान कर नहीं चलना चाहिये। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि राजस्थान कैनाल के निर्माण में जो गड़बड़ी हुई उन गड़बड़ियों के लिये नैतिक जिम्मेदारी उसके मन्त्री जी की है। उसकी जांच होनी चाहिये। अगर मन्त्री जी जांच नहीं कराते हैं तो मैं समझता हूं कि चन्दमल जी को त्याग-पत्र दे देना चाहिये क्योंकि राजस्थान कैनाल...

श्री चन्दनमल बैद : यह तो मैं जानता था कि आप यह शब्द कहेंगे क्योंकि दूसरे शब्द इसके अलावा आपके है ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और मैं यह भी जानता था कि आपके ऊपर असर नहीं होने वाला है। मैं यह भी जानता हूं कि××× कोई असर नहीं होता है, चाहे कुछ भी कहो या चाहे कुछ भी मत कहो। यह मैं जानता था कि आपका रेस्पोन्स यही होगा। आज आप शाम को घर जाओ तब अपने इन्जीनियर्स को बधाई दे देना कि देखो तुमने राजस्थान कैनाल में इतनी गड़बड़ियां कीं लेकिन चन्दनमल बैद ने तुम्हें बचा लिया।

श्री चन्दनमल बैद : यह आपकी आदत है, यह मेरी आदत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को सबकी आदतों का पता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, यह राजस्थान कैनाल आपकी और मेरी बपौती नहीं है, यह राजस्थान कैनाल राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ जनता का एक सुनहरा स्वप्न है। उस सुनहरे स्वप्न के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये, इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जाय। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पाचना डेम के मामले में गड़बड़ी हुई। पिछले सत्र में उस दिन मैं सदन में उपस्थित नहीं था तो उस समय मन्त्रीजी ने सदन की मेज पर प्रोब की कापी थोप दी मैं जानता हूं कि इस प्रोब को कितने लिखा है कि पाचना डेम के निर्माण में कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिये मन्त्री महोदय अपने भाषण में कहते हैं कि पाचना डेम के अन्दर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट का हवाला दिया था और कहा था मन्त्री महोदय ने पाचना डेम के अन्दर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उस समय यह रिपोर्ट मेरे पास नहीं थी, अध्यक्ष महोदय, बाद में यह रिपोर्ट मेरे पास किसी प्रकार से उपलब्ध हो गयी। उसमें लिखा था, केवल वही पढ़कर सुनाता हूं जो इन्होंने सदन में पढ़-कर सुनाया था। उसमें लिखा था।

"Summing up, could reasonably be assumed that there is no immediate danger of instability to the earth bank for the water level maintained...

उस समय एक कमेटी आई इसमें चीफ इन्जीनियर डिजाइन, सेन्टर वाटर कमीशन

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्षानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के महादेवन थे उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि उसको कोई खतरा नहीं है। जो वाटर लेवल मौजूदा है उससे कोई खतरा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा वाटर लेवल था वह जांच करने पर पता लगा उस वक्त 30 फीट था और उस बांध का भराव 85 फीट था। अब अध्यक्ष महोदय, 85 फीट के भराव में अगर 30 फीट पानी रहता है तो कोई खतरा नहीं, यह बात महादेवन साहब ने कही। अगर उसको मेंटेन किया गया तो कोई खतरा नहीं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो डैम बनाया जाता है उस डैम में पानी के जाने का रास्ता बनाया जाता है, उसके बाद में डैम का कन्स्ट्रक्शन शुरू होता है तो यह कैनाल पूरी हो गयी, उसमें स्टीप गैप नहीं बना, उसकी होने वाली डिजाइन तैयार नहीं हुई और डिजाइन तैयार नहीं हुई तो, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, यह पांच करोड़ रुपये या 5-6 करोड़ रुपये आपने इन्वेस्ट किये उसके इन्ट्रेस्ट का भुगतान करते हैं पर वहां सिंचाई नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, केपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उस पर कोस्ट बढ़ती है। उस समय सरकार यह कह देगी कि केपिटल कास्ट भी वसूल नहीं होती है। जब केपिटल कोस्ट वसूल नहीं हो तो उसका इन्ट्रेस्ट तो बढ़ता है। पाचना डैम तैयार हुए आज, अध्यक्ष महोदय, चार वर्ष बीत गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे किसी तरह की सिंचाई हुई है? अध्यक्ष महोदय, आप ध्यानपूर्वक सुनें। अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य हंसराज जी ने कुछ तथ्य सदन के सामने रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहे कोई बांध, मोरेल का बांध ले लें उसमें गड़बड़ी हुई, चाहे आप पाचना बांध ले ले उसमें गड़बड़ी हुई और चाहे आप कोई बांध ले लें सारे में गड़बड़ी हुई लेकिन उन गड़बड़ियों की जिम्मेदारी मैं यह तो नहीं कहता कि माननीय परसरामजी मदेरणा की है या मैं यह तो नहीं कह रहा हूं कि माननीय चन्दनमल जी बैद की है लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी मन्त्रियों के कृपा पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आप बात को ध्यानपूर्वक सुनें। वह यह है कि मैंने एक चिट्ठी गवर्नर महोदय को, एक हाडा नाम के आदमी के खिलाफ राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी, उसकी प्रति मैंने मुख्य मन्त्री जी को भेजी और उसकी प्रति मैंने मुख्य सचिव को भेजी और उसमें कहा कि इसकी जांच करायी जाय। पर, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि उस पत्र की पहुंच की रसीद मुझे राज्यपाल महोदय के यहां से नहीं मिली लेकिन उसकी प्रति एक लाहोटी कॉन्ट्रेक्टर के पास पहुंची तो वह कॉन्ट्रेक्टर मेरे पास उसकी प्रति लेकर आया। मैंने उसको कहा कि आपके पास इसकी प्रति कहां से आ गयी, मैंने तो चिट्ठी गवर्नर साहब को लिखी थी? तो उसके बाद मैंने राज्यपाल महोदय को यह लिखा कि आपने मेरे चिट्ठी के जवाब की रसीद तो नहीं भेजी लेकिन किसी न किसी रूप में मेरे पास पहुंच गयी। गवर्नर साहब ने उस चिट्ठी के लिये खेद प्रगट किया। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई एक्शन लिया? अध्यक्ष महोदय, उस इन्जीनियर

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

सैक्सना के खिलाफ में मैंने पूरी चार्जशीट के साथ लैटर भेजा था मुख्य मन्त्रीजी को पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी बात है, अध्यक्ष महोदय, और भी बहुत से इन्जीनियर हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं पर जिन इन्जीनियर्स के खिलाफ में सीरियस चार्जेज है और वह सीरियस चार्जेज गवर्नमेंट के रिकार्ड पर हैं तो क्या आप उनके रिटायरमेंन्ट के बाद उनकी जांच करायेंगे ? आपको क्या पता है कि इतना कमा लेंगे उस समय जा सकते हैं ? आप रियासत क्यों कर रहे हैं ? इसलिए अलग-अलग जहां भी बांध टूट गया है या टूटने वाला है, वह क्यों टूटा ? माही परियोजना के सम्बन्ध में बड़ी शान से पिछले सत्र में भी कहा गया। माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे, माही क्यों कैनाल टूट गई ? आप कहेंगे माही कैनाल टूटने के पीछे ह्यूमन कन्ट्रोल था, यह आप कहने वाले हैं...

श्री परसराम मदेरणा : मैं क्या कहने वाला हूं आप पहले से ही समझ जाते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे मालूम है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं दूसरी बात कहूंगा और जो बात कहूंगा। वह सही बात होगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह सही है, आप बोलते लम्बा-चौड़ा हैं लेकिन सही कहते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, जानना चाहता हूं क्या हुआ हमारे माही के टार्गेट का? मैं कह सकता हूं कि राजस्थान कैनाल और माही कैनाल में भ्रष्टाचार की तुलना की जाये तो राजस्थान कैनाल माही का मुकाबला नहीं कर सकती। मस्टर रोल बनाये जाते हैं, फर्जी हाजिरी वन, टू, थ्री। यदि एक आदमी काम करता है तो वह तीन आदमियों के नाम पर हाजिरी करता है। यह व्यवस्था है, इस पर आप विचार करें कि क्या काम हो सकता है, क्या काम होगा ? वहां के इन्जीनियर्स के खिलाफ, अध्यक्ष महोदय, जितनी भी सार्वजनिक संस्थायें हैं, उन सारी सार्वजनिक संस्थाओं ने मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी, मुख्य मन्त्रीजी को भी लिखी, उसकी प्रतियां कभी-कभी मुझे भी देते हैं, उन चिट्ठियों के आधार पर मैं मानता हूं, कि माननीय मन्त्री जी और मुख्य मन्त्रीजी, जिनको इस प्रकार की चिट्ठियां मिलती हैं वह उस पर निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं अन्त में मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, जवाई प्रोजेक्ट के बारे में। जवाई तावान का मामला चल रहा है। यह बहुत भयंकर मामला है। शासन के सामने भी यह मामला आया कि टैंक में पानी है। यदि किसी आदमी ने पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो उसके ऊपर तावान लगाया जायेगा या नहीं ? पहले की सरकार ने तावान लगाया, जनता सरकार ने इस पर विचार किया कि जब टैंक में पानी सरप्लस पड़ा है कोई उसका उपयोग नहीं करता है और पश्चिमी नहर में किसी एक आदमी के खेत में से पानी जाता है उसने ज्यादा पानी ले लिया तो तावान नहीं लगेगा। उस समय हमने तावना स्टे कर दिया।

श्री अध्यक्ष : ऐसा अगर सभी करने लग जायेंगे तो पानी ज्यादा रहेगा ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब नहीं करेंगे, जिनके खेत में पानी जाता है वहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टैंक के अन्दर पानी ज्यादा है, पानी का इस्तेमाल पूरा नहीं हो रहा है। उस स्थिति में इस आदत को एप्रीशिएट नहीं करूंगा, न इंक्रीज करना चाहता हूं, लेकिन जिसने प्रयोग कर लिया और उस हालत में यूज कर लिया, किसी दूसरे का हक नहीं छीना, डैम में पानी ज्यादा था उसका यूज कर लिया तो उस स्थिति में तावान लगाना जरूरी नहीं था। स्टे कर दिया, अब तावान का लाखों रुपया निकाल कर किसानों से वसूल किया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करके काश्तकारों को इससे मुक्ति दिलवाये। मैं, अध्यक्ष महोदय, अन्त में यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इन कुपुट्स के मामले में या बाकी के मामले में जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर यह निर्णय करके चले कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह अपने लिये नहीं कर रहे, हम राजस्थान के लिए कर रहे हैं। आज यदि कोई कमी रख दी तो हमें तो भुगतान करना ही पड़ेगा, राजस्थान की जनता भी भुगतान करेगी। इस आधार पर यदि हमने चिन्तन शुरू किया तो मेरा विश्वास है कि इरिगेशन पोटेंशियल क्रियेट कर पायेंगे और हमारी जो वित्तीय स्थिति है, सिंचाई के लिए जितना प्रावधान रखते हैं उस प्रावधान का सदुपयोग कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई (लसड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 के अन्तर्गत मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। उदयपुर जिले के अन्दर 24 लाख की जनसंख्या है, वह पहाड़ी क्षेत्र है। 13-14 लाख वहां आदिवासी रहते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। आज हमारे देश की नेता इन्दिरा गांधी और उनके 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पहला सूत्र सिंचाई का है। जहां आज सिंचाई के साधन हों तो उत्पादन बढ़ सकता है और गरीबी दूर हो सकती है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है हमारे स्वर्गीय माणिक्य लाल वर्मा और मोहनलाल सुखाड़िया ने जो योजना बनाई और जो काम चलाये, जो काम करवाया गया वही हुआ है। आज उन आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर जो एनीकट्स या तालाब है उनका कार्य आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पिछड़े को पहले की बात की जाती है, भले ही आज पिछड़े को पहले की बात करते हैं, लेकिन पिछड़े को पीछे कर दिया है। आज राजस्थान के दक्षिणी भाग के लिए 1984-85 के बजट में हमने बजट के आंकड़े को देखा तो पता लगा कि दक्षिणी भाग के सिंचाई साधनों का सर्वे किया जाएगा। आज जो पहाड़ी क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए···

(6. 32. सायं)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पदासीन)

(श्री कमला भाई)

कोई सिंचाई का साधन नहीं है। आज हमारे देश की नेता इन्दिरा गांधी चाहती हैं, पिछड़े को पहले। मगर, सभापति महोदय, हम वह आंकड़े देखते हैं जो बात कही जाती है, हमारे देश की नेता गरीबों के प्रति हमदर्दी रखती हैं, मगर आज उनके 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं हो रहा है। यह बड़े खेद की बात है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1971 से लेकर 1975 तक जो फेमिन के कार्य हुए, जब अकाल पड़ता है, उस समय फेमिन के कार्य खोले जाते है, आदिवासी लोगों को राहत देने के लिए। वचना का तालाब, पांचली का तालाब, मेघना का तालाब, उडापाना का तालाब, केवनी तालाब, अम्बा माता का तालाब, देवड़ी टैंक, लयड़िया टैंक, मन्दोर का तालाब इन तालाबों का काम फेमिन में मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने हाथ में लिया था। आज बारिश आती है तो मिट्टी नदी, नालों में चली जाती है। मुझे दुःख के साथ जो सही बात है उसको कहने में मुझे कोई शंका नहीं है....

श्री माणकमल मेहता : होनी भी नहीं चाहिए।

श्री कमला भाई : हमारे क्षेत्र में सोम कामला डैम का कार्य चालू किया गया है वहां पर सिंचाई मन्त्री जी भी गये। आज लाखों गरीबों की जमीन वहां डूब में आ रही है, वहां के लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। आज सलूम्बर तहसील के अन्दर जो लिफ्ट कैनाल निकाली गई है उस से आज वहां की पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। वह कैनाल 15-15 और 20-20 फीट गहरी खोदी गयी है। हमारे कराकला और जेताना के ब्राह्मणों की मवेशी उस कैनाल के अन्दर पड़ कर मर रही है। आज फायदा देना तो बाकी रहा वह पानी लेफ्ट की कैनाल का सोम नदी के अन्दर जायेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जींदनी और मानपुर का तालाब बनाया गया है। गये बजट सत्र 83 के अन्दर मैंने कहा था कि हमारे जींदनी और मानपुर तालाब के अन्दर डूब के अन्दर आदिवासियों की जमीन आई है उन लोगों से लगान लिया जा रहा है और आज तक उन लोगों का मुआवजा नहीं चुकाया गया है। माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय ने घोषणा की थी कि उन लोगों को मुआवजा चुकाया जायेगा, वह आज तक नहीं चुकाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा क्या कहूं। सिर्फ माणिक्यलाल जी वर्मा और सुखाड़िया साहब ने हमारे जाखम प्रोजेक्ट का काम चालू किया। आज जाखम प्रोजेक्ट के अन्दर मद्रास से ठेकेदार लाकर ठेका दिया जाता है। आज मारवाड़ से ले जाकर ठेकेदार और वहां के जो अधिकारी काम करते हैं उनकी पार्टनर शिप में काम चलता है। आज वहां पर जो सीमेन्ट है, गये साल दो ट्रक हमारे सलम्बर, एस. डी. ओ. ने पकड़ी। सीमेन्ट का ब्लेक होता जा रहा है। वह पैसा आदिवासियों का है, जनजाति क्षेत्रीय विकास का पैसा है। नाम किस का लिया जाता है—जनजाति क्षेत्रीय लोगों के लिए है और फायदा कौन लोग उठा रहे हैं, दूसरे। आज उस पैसे से दूसरे लोग लखपति और करोड़पति बने हैं

Page No 205

(205)

(श्री कमला भाई)

उन आदिवासियों के नाम से वह पैसा जाता है और फायदा दूसरे उठा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है और इसलिए कहना पड़ता है कि जो बजट आदिवासियों के न म है, गरीबों के नाम से आता है दूसरे उसका फायदा उठाते हैं इसलिए हमें इस बात का दुःख होता है। हमारे नाम से बजट आता है और दूसरे फायदा उठाते हैं इसलिए हमें जलन होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी यह लूटमार हो रही है उसके ऊपर कन्ट्रोल किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां एक जाखम थर्ड की सर्वे की जा रही है। आज हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जमीन का अभाव है, आज लोगों के पास छोटे-छोटे टुकड़े हैं। आज जो जाखम थर्ड की सर्वे की जा रही है हमारे गांव डूब में जा रहे हैं। इसके लिए मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी लिखकर दिया कि जाखम थर्ड का काम चालू नहीं कराया जाये। इन गांवों को लिया जायेगा तो हमारे क्षेत्र की जनता भारी विरोध करेगी और उसको बनने नहीं देगी। आज जनता नहीं चाहती है तो वह काम कैसे लिया जायेगा? आज वहां मोटरें जा रही हैं, हजारों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसका सर्वे किया जा रहा है जब कि वहां की पब्लिक नहीं चाहती है। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे क्षेत्र के अन्दर तीन और जाखन नदियों का पानी समुद्र में जाता है। उन नदियों के नालों पर लिफ्ट लगाई जाये तो वहां की सूखी जमीन जो प्यासी है हजारों साल से उसको सिंचाई हो सकती है और उस पर उत्पादन पैदा हो सकता है। वह नहीं हो रहा है। आज उन गरीबों को बरबाद करने की कोशिश की जा रही है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय सभापति महोदय, आज हमारी नायब तहसील लताड़िया के अन्दर 12 पंचायतें हैं, पहाड़ियों पर लोग रहते हैं। आज बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात करते हैं। यदि छोटे-छोटे एनीकट्स बनाये जायें तो छोटी-छोटी जोत की जमीन है उन लोगों का विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, यह सारी बातें बताने की हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि हमारे गरीब लोगों के नाम से पैसा आता है उस पैसों का दूसरे लोग उपयोग करते हैं। उसका हमें दुःख है क्योंकि आज जो सीमेन्ट के द्वारा कैनालों की चुनाई की जाती है वह असली सीमेन्ट नहीं लगाई जाती है, नकली सीमेन्ट लगाई जाती है, खागोल की सीमेन्ट तो इसलिए मुझे खरी बात कहने में शंका नहीं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, या तो यह आदिवासी जितनी बेल्ट है राजा महाराजाओं के जमाने में भी वह लोग नूते खाते थे। उस जमाने का भी समय निकला। कोई बात नहीं है। उस जमाने में राजा महाराजा कहते थे कि सीमा से बाहर निकल जाओ तो वह लोग चले जाते थे और जिन्दे रहते थे। आज उनके नाम से पैसा आता है, उनके नाम से फालतू पैसा जाता है, उस को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं

(श्री कमला भाई)

कहना चाहता हूं कि इन शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के नाम से नहीं कहा जाये कि इन लोगों को यह किया जा रहा है। इसका नतीजा सब कागजों के अन्दर है। आज 25 हजार कर्मचारी हमारे प्रदेश के अन्दर बैठे हुए हैं, हमारे सामने मौज उड़ा रहे हैं। आज उनके घरों में जो लोग हैं, आज चपरासी पांच, पांच हैं। वह किस का पैसा है? वह पैसा गरीब जनता का है। उस गरीब जनता के पैसे का क्यों दुरुपयोग किया जा रहा है? हमें दुःख इस बात का है कि नाम हमारा लिया जाता है, बजट हमारे नाम से आता है और फायदा दूसरे उठाते हैं। यह कहां तक न्याय है? माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री घनश्याम जैन।

कृपया शांत रहें।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, आज सिंचाई पर बहस चल रही है मैं भी मेरे कुछ सुझाव मेरे क्षेत्र के लिए देना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं बेगूं विधान सभा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां की जमीन बहुत उपजाऊ है वहां जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं....

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री घनश्याम जैन : वहां बहुत बड़ी-बड़ी नदियां भी हैं और नाले भी हैं। मगर अफसोस यह है कि करीब दस साल पहले जो कार्य हुए, उरई बांध बना उसके बाद से लेकर आज तक कई नदियां और कई नाले होते हुए भी दो तीन स्कीम जैसे डोराई, बूवड़ा और रूपारेल—तीन चार साल से उनका सर्वे चल रहा है लेकिन उस विभाग को उलटकर से चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से उदयपुर, उदयपुर से फिर आब्जेक्शन, फिर वापस भीलवाड़ा, फिर वापस चित्तौड़, बस इसी उलटफेर में उसे तीन चार साल हो गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज दस साल से उस क्षेत्र में एक भी काम नहीं चल रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से भी कई बार निवेदन कर चुका हूं और कई बार अधिकारियों से भी व्यक्तिगत मिला भी हूं। उनसे लिखित में कई बार निवेदन किया लेकिन आज तक उन समस्याओं का हल नहीं हुआ। मेरा क्षेत्र है वह बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है और सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। मेरे क्षेत्र में तीन स्कीम बनी हुई है उनकी स्थिति मैं आपके समक्ष रखूं। पहला है डोराई ब्राह्मणी नदी पर है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गयी, 1971 में हुई और उसकी उस समय जो लागत थी वह 14.98 लाख रुपया थी। उसी वर्ष उस पर कम से कम पोने चार लाख खर्च हुए। उसके बाद किसानों के मुआवजे के प्रश्न को लेकर हाईकोर्ट से स्टे लाये। स्टे करीब 3 साल पहले वेकेट हो चुका था लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक उस बात को तीन साल हो गए उसकी स्वीकृति आज तक नहीं मिली। जो स्कीम बन रही है उसकी नयी लागत आई है वह करीब-करीब 172 लाख हो गयी। तो मैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा

(श्री घनश्याम जैन)

कि अब तो कम से कम यह जो स्कीम 13 साल से पेन्डिंग पड़ी हुई है और जो आलरेडी सैंक्शनसुदा स्कीम है, प्रशासनिक स्वीकृति भी हो चुकी है कम से कम इस स्कीम को तो इस वर्ष स्वीकृति देकर इस के लिए बजट दिलाने का कष्ट करें।

दूसरी स्कीम रूपारेल है इसकी सर्वे पांच 6 साल से चल रही है। इसकी लागत जो अब आई थी वह 152 लाख रुपये थे। अकाल राहत में भी कम से कम 80 हजार रुपया खर्च हो चुका था और सिंचाई 1278 हैक्टयर क्षेत्रफल में होगी। तीसरी स्कीम भूनड़ा की है। इसका सर्वे भी हुए कम से कम 3 साल हो गये और इस पर अकाल राहत मे 4 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और 177 हैक्टेयर में इसमे जमीन की सिंचाई होगी। तो मेरा निवेदन यह है कि जो तीनों स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अगर यह बन जाती हैं तो मेरे बंगू क्षेत्र के लिये बहुत बड़ा वरदान होगा, इनसे सिंचाई की बहुत सुविधा मिल जायेगी। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूं मेरे क्षेत्र में जो नदियां हैं, मैनाली, मूंजर का नाला, कबाड़िया खाल, देहडूंगरी, कालामाटा, धांधड़ी, सांकड़ का नाला, कुदाल की खाल, सोकी नदी, कजलानी आदि कई ऐसी नदियां है जिनका हमने सर्वे कराया। मैं समझता हूं पूरा क्षेत्र इनसे सिंचित हो जाता है तो यह क्षेत्र गंगानगर का मुकाबला करेगा। बढ़िया जमीन है। पानी नहीं होने की हालत से आज लगातार चार वर्षों से भयंकर अकाल पड़ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं गत वर्षों में जब अच्छी बरसात होती थी वहां कभी अकाल नहीं पड़ा। लेकिन इन चार वर्षों से अकाल होने से वहां इतनी भयंकर समस्यायें हो गई हैं कि वहां पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इन स्कीम का शीघ्र अति शीघ्र सर्वे कराकर मेरे क्षेत्र को लाभान्वित कराने का कष्ट करावें।

इसके अलावा मेरा एक निवेदन है, हमारे यहां जो सर्वे डिपार्टमेंट है चित्तौड़गढ़ जिले में केवल एक ए. ई. एन की पोस्ट है, इसकी वजह से न वहां सर्वे हो पाती है, न कोई स्कीम आगे बढ़ पाती है। मेरा निवेदन है कि इस चित्तौड़गढ़ जिले में एक्स. ई एन. की पोस्ट कायम की जावे। जिस तरह से पी. डब्लू. डी. ने पूरे प्रदेश के लिये सड़कों का मास्टर प्लान बनाया है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हर जिले का सिंचाई का एक मास्टर प्लान तैयार हो ताकि उसके हिसाब से आगे की रूप रेखा तैयार हो सके।

इसके अलावा मेरे यहां कई पुराने तालाब हैं जैसे नगन्नपुरा, लुहारियां, जलसागर, जावूं द्वीप, घमंचा। ऐसे पुराने स्टेट के टाइम के कई तालाब बने हुये हैं उनके लिये मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है, इनके लिये थोड़ा बहुत पैसा दें। राजा महाराजाओं के जो तालाब है, उनकी पाल पर जिनका कब्जा है उनके पेटे में जो जमीन है उन पर जिनका कब्जा है, उनको मुआवजा देकर राज्य सरकार अपने अधीन लेगी और ठीक कराकर सिंचाई की सुविधा देगी

(श्री घनश्याम जैन)

तो मैं समझता हूं हमारे लिये बहुत बड़ा उपयोगी होगा।

इसके अलावा भोरई और कालादेह हैं उनको बने हुए मेरी समझ में 10 साल हो गए हैं लेकिन आज भी मेरी समझ में 10 पर्सेंट भी पक्की नहरें नहीं बनीं। उसकी वजह से जितना पानी आता है, नहरों के लिये हमें पर्याप्त पैसा नहीं मिलने की वजह से वह पानी बहुत वेस्ट होता है।

इसके अलावा मेरे यहां लिफ्ट इरिगेशन की बहुत अच्छी गुंजाइश है। अभी कड़ाकडा की स्कीम फाइनल स्टेज पर है। इसके अलावा चावंडी, लीरडी, सारण, घामाणु, खाखरा का खेड़ा, सुनेली, आवेल हेड़ा, मडूपदा, मेघपुरा यह बहुत अच्छी नदियां है, साल भर पानी रहता है। तो मैं समझता हूं लिफ्ट इरिगेशन पर ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता, बैंक लोन देती है और किसान सहकारी समिति बनाकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि लिफ्ट इरिगेशन की अगर जल्दी से जल्दी स्वीकृति दे दें तो उससे मेरे क्षेत्र के लिये उपलब्धि होगी। तो मन्त्री महोदय से ज्यादा न कह कर यही निवेदन करूंगा कि यह तीनों स्कीम्स सर्वे शुदा है, दोरई की प्रशासनिक स्वीकृति 1971 में हुई और उसके बाद उस पर 3।।। लाख लागत आ चुकी है, खर्च भी हो चुका है और जो मुआवजे पर स्टे आया था वह स्टे भी वैकेट हो चुका है। तो मेरा निवेदन है, जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा देकर इस काम को प्रारम्भ करने का कष्ट करें और रुपारेल और भूजड़ा बिलकुल जिनका सर्वे तीन साल पहले हो चुका है उनके लिये बजट दिलाने का कष्ट करायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री महादेव सिंह।

(व्यवधान)

आप लोगों के नाम हैं, माननीय सदस्य। माननीय मुख्य सचेतक ने जिस क्रम में नाम दिये हैं उसी क्रम में मैं नाम बोलूंगा। धैर्य रखें।

श्री महादेवसिंह (खण्डेला) माननीय सभापति महोदय, सिंचाई की मांगों के लिये मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें कृषि के लिये सिंचाई की अत्यन्त आवश्यकता है लेकिन राजस्थान के अन्दर वर्षा सीमित होती है और वर्ष भर बहने वाली नदियों का अभाव है। इसलिये सिंचाई के जो स्रोत हैं वह बहुत कम हैं। सिंचाई के स्रोत कम होने की वजह से कृषि की सिंचाई नहीं हो सकती है। हमारे प्रदेश के अन्दर, अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये ऐसी दो समस्यायें हैं। उसके अन्दर हमारे सम्माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने इस प्रकृति के ऊपर आधारित प्रदेश के लिये जो सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराई हैं और राजस्थान प्रदेश के काश्तकारों को जो सुविधायें सिंचाई की दिलाई हैं उनके लिये मैं राजस्थान के सिंचाई मन्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ ही मैं मेरे विधान सभा

(श्री महादेव सिंह)

क्षेत्र खण्डेला के लिये मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है वह बहुत ही अस्त व्यस्त है, पहाड़ी इलाका है, पथरी एरिया है, रेगिस्तान भी है, नदी-नाले भी है, वहां जमीन के अन्दर पानी नहीं है, काश्तकार कुओं से सिचाई करना चाहें, कुएं बना भी लेते है तो गहराई, नीचे जाकर भी पानी नहीं मिलता है। इसलिये मैं सिचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटे छोटे बांध है उनको बनाने की कृपा करें, जैसे नागल का बांध, खेड़ली बांध, साकोली बांध और इसी प्रकार से सालवाड़ी बांध, तोरड़ी बांध ये बाघ यदि 84-85 के बजट में मन्त्री महदोय बनवाने की कृपा करेंगे तो काश्तकारों को सिचाई की सुविधा होगी। सिचाई होने से काश्तकारों की उपज अधिक होगी और उनका जीवन थोड़ा ऊंचा होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सिचाई के महत्व को मद्देनजर रखें। हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम में पहला सूत्र भी सिचाई अधिक, उपज अधिक रखा गया है, इसी आधार पर मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खडेला को ध्यान में रखते हुए सिचाई मन्त्री जी ज्यादा से ज्यादा बांध बनाने की कृपा करें। सभापति महोदय, मैं इतना ही कह कर मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : मानानीय श्री यदुनाथ सिंह।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जो भी माननीय सदस्य जिस विषय पर कटौती प्रस्ताव देते हैं उनको बोलने का बेशक कानूनी अधिकार है। मैंने भी सिचाई पर अपना कटौती प्रस्ताव दिया है। जयपुर जिला राजस्थान का 1/10 है आबादी की दृष्टि से और जयपुर जिला रेवेन्यू में सारे राजस्थान प्रान्त का 1/6 जमा कराता है उसके एक आदमी को बोलने का नम्बर नहीं दिया गया। हमारे कटौती प्रस्ताव हैं। मैं अपने अधिकारों के उपयोग के लिये आपसे संरक्षण चाहता हूं। मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री सभापति : बिराजें। माननीय यदुनाथसिंह।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय आसन की तरफ से क्या उत्तर मिला ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस संबंध में व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत पहले ही दे दी है, मैं उसके बाद व्यवस्था नहीं दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत पहले ही फर्मा चुके हैं कि जिन सभी माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उन सभी को अवसर दिया जाना संभव नहीं है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभी का नहीं मैंने स्पेशल कहा है। जयपुर जिला

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा है, सिचाई के नाम पर जीरो लगता है उसके एक आदमी को भी बोलने का मौका नहीं दें, यह कैसे हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इसमें माननीय सभापति की गलती नहीं है, आपकी पार्टी की गलती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था आसन से चाही गई है, आपसे नहीं। आपकी बात सुन ली है, माननीय सदस्य। आप विराजें, अगर समय होगा तो आपको अवसर मिलेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हां, मुझे अवसर मिलना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री यदुनाथ सिंह।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : सभापति महोदय, जब हम सिंचाई की चर्चा करते हैं तो राजस्थान को बहुत ही नाजुक स्थिति में पाते हैं। दुर्भाग्य से राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी भाग है और 20वीं शताब्दी की शुरुआत से सन 39 तक सात बहुत भयंकर अकाल पड़े। 39 के बाद 83 तक 17 अकाल के वर्ष रहे और 12 भयंकर अकाल पड़े। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश में पानी का और सिंचाई का क्या महत्व हो सकता है, इसका अन्दाजा लगाना कठिन नहीं है। सभापति महोदय, अभी तक यहां चर्चा की गई राजस्थान कैनाल की, अभी तक यहां चर्चा की गई चम्बल में होने वाली गड़बड़ की, अभी तक चर्चा की गई माही के पानी की, अभी तक यहां चर्चा की गई नाचना की और अभी तक चर्चा की गई यहां पर छोटे छोटे और बड़े बड़े बांधो की। लेकिन, सभापति महोदय, हमार राज्य की जो जरूरत है, उस जरूरत के लिये ये सारे सिस्टम आवश्यक तो हैं लेकिन सम्पूर्ण नहीं, पूर्ण नहीं हैं। हमारे प्रदेस में जो 320 स्क्वायर किलो मीटर का क्षेत्र है, उसमें 32 मिलियन हैक्टेयर जमीन में से 26.7 मि. हे. जमीन ऐसी है जिसमें खेती की जा सकती है। उस जमीन में हम जो पूरे सोर्सेज है, उन सोर्सेज में जो हमारे यहां इन्टर्नल सोर्सेज है–सरफेस वाटर, अन्डरग्राउन्ड वाटर या राजस्थान कैनाल, माही और चम्बल। ये और जितने भी सिस्टम है जिन पर बहस की गई है और राज्य मे चल रहे हैं उनका उपयोग करें तो 6 और 7 मि. हे. जमीन की सिंचाई हम कर पाते है यानि बाकी की 20 मी. हे. जमीन के बारे में अभी तक एक शब्द भी इस सदन में बोला नहीं गया। इसलिये इन परियोजनाओं को पूरा किया जाय, ये परियोजनाएं देर से चल रही हैं उनके कारणों को खोजा जाय और उनका निदान निकाला जाय, यह तो जरूरी है ही। इसके साथ 20 मि. हे. जो बची हुई जमीन है उसके बारे में यह विधान सभा या राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने वाली है इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे राज्य में कोई बारह मासी बहने वाली नदी नहीं है जिसके आधार पर हम राज्य में

(श्री यदुनाथ सिंह)

सिंचाई कर सकें, यानि 20 मि. हे. जमीन जो असिंचित रह जायेगी उसमें अगर प्रति एकड़ में दो क्विन्टल या 3 क्विन्टल भी प्रति वर्ष पैदा होता हो और 200) रु. एक क्विन्टल की कीमत हो तो तीन हजार करोड़ की पैदावार का प्रति वर्ष हम नुकसान कर रहे हैं। इसलिये बहुत आवश्यक है कि जो 20 मि हे. जमीन बची है उसके लिये हम और दूसरे सोर्सेज ढूंढें। उसके लिये पानी कहां से लाया जाय ? दूसरे राज्यों में कहां सरप्लस पानी है और उस सरप्लस पानी को लाने की व्यवस्था हम किस प्रकार करें। जब हम सरप्लस पानी की बात करते हैं तो स्वभाविक तौर पर सबसे पहली जो आशा की किरण हमें नजर आती है वह गंगा यमुना के पानी की नजर आती है। गंगा-जमुना का पानी हमारे यहां रामबाण हो सकता है। राजस्थान कैनाल का एक महत्व है और राजस्थान कैनाल पर राजस्थान की जनता की आंखें लगी हुई हैं, यह उसकी भावना का एक प्रतीक है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। हमारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, आज नहीं तो कल उन परियोजनाओं का काम पूरा होगा लेकिन गंगा-जमुना का पानी हम किस प्रकार से यहां ले पायें, इस बारे में अब गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गंगा, जमुना के पानी की मांग के बारे में, बंटवारे के बारे में राजस्थान की ओर से, पहली बात तो यहां के नेतृत्व की ओर से ही उस पानी के लिये ज्यादा लड़ाई अभी तक लड़ी नहीं गई लेकिन जब कभी छोटी मोटी चर्चा और मांग राजस्थान की ओर से उठाई गई तो यू. पी. और जितने भी समृद्ध राज्य हैं वे यह कहते रहे हैं कि गंगा और यमुना में सरप्लस पानी नहीं है। लेकिन यह सत्य नहीं है, आंकड़ों पर आधारित नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने आंकड़े देकर सिद्ध करना चाहूंगा कि हम किस प्रकार नेचुरल केचमेंट में आते हैं, हम बेसिन में आते है। जब उस नदी और पानी में कन्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रकृति ने, ज्योग्राफी ने हमको उस पानी का हकदार बनाया है तो हमें उस पानी के उपयोग के लिये पानी लाने का काम करना चाहिये। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह बात बताना चाहूंगा कि इतने बड़े राज्य की हानि को दूर करने के लिये, इतने बड़े राज्य के सूखे और रेगिस्तानी भाग को अगर पूरी तरह से सिंचित करने के लिये कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाना है तो गंगा जमुना का पानी लाने पर हमें ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक सवाल है जमुना के पानी का—एक एक करके बोलता हूं, जमुना के पानी में जो कैचमेंट एरिया आता है उसमें हम नम्बर दो पर आते हैं. यानि उसमें हिस्सा हिमाचल प्रदेश का, स्क्वायर किलोमीटर में मैं एरिया बोलूंगा, 5783 स्क्वायर किलो मीटर, उत्तर प्रदेश 28016 स्क्वायर किलो मीटर, हरियाणा 33690 स्क्वायर किलो मीटर, पंजाब 47 स्क्वायर किलो मीटर, दिल्ली 1469 स्क्वायर किलो मीटर, राजस्थान 31783 स्क्वायर किलो मीटर यानि कैचमेंट एरिया का जहां तक सवाल है वहां पर

(श्री यदुनाथ सिंह)

हरियाणा के बाद दूसरे नम्बर पर हमारा हक बनता है। दूसरी ओर वह जमुना नदी में जाकर मिलता भी है इसलिये उस आधार पर हमारा हक जमुना के पानी पर बनता है लेकिन उस पर अभी तक कोई गंभीरता से न विचार किया गया है न गंभीरता से राज्य सरकार की ओर से पहल की गई है।

मैंने पिछले साल भी इस मुद्दे को उठाया था और इसकी महत्ता पर जोर दिया था कि इस पानी को लाना क्यों आवश्यक है। सभापति महोदय, यहां तक है कि जमुना से थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है, जमुना से हमें दो छोटे-छोटे सिस्टमों से पानी भरतपुर में मिल रहा है—गुडगांव कैनाल और भरतपुर फीडर यानि एक लाख 20 हजार एकड़ की सिंचाई करने का प्रावधान है। लेकिन वह पानी कभी आज तक मिला ? वह कैनाल पूरी हो गई, कैनाल का काम पूरा होने को आया, भरतपुर फीडर पूरा हुआ लेकिन उसमें हमारा हिस्सा क्या है वह हिस्सा भी राज्य सरकार तय कराने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। इसलिये हमें बहुत जागरुक रहने की आवश्यकता है। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये इस राजस्थान की भूमि, जो देश की भूमि है, में, राजस्थान की भूमि संसार की श्रेष्ठतम भूमि है, बहुत उपजाऊ भूमि है, इस भूमि में किस प्रकार उत्पादन का काम करें. यह बहुत बड़ी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, गंगा का पानी। गंगा में कुल पानी है 49·4 मि. है। इतना पानी गंगा में है उसमें से 28 के करीब हम उपयोग कर पाते हैं। गंगा-कावेरी और गंगा लूनी लिन्कों को बनाने के बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में गंगा का पानी बचता है। इसलिये उस पानी को भी हम अपने राज्य में लेने का काम करें। सभापति महोदय, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर का हिस्सा, अलवर, झूंझनू और सीकर पूरे शेखावाटी का हिस्सा, उस जमुना के पानी से इन स्थानों का भाग्य बदला जा सकता है लेकिन सरकार ने अभी तक गंभीरता से विचार नहीं किया है और केन्द्र सरकार के सामने पहल तक नहीं की है। तो अपने जवाब में मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो पिछली 82-83 की मीटिंग हुई इस सम्बन्ध में, उसके बारे में राज्य सरकार ने क्या पहल की और केन्द्र सरकार का उसमें क्यारीएक्धन है ? जमुना वाटर के पानी के लिये एक एक्सपर्टाइज कमेटी ने सेन्ट्रल वाटर कमीशन को रिपोर्ट दी है ? वहां केयरमैन की रिपोर्ट अलग आ गई। उसमें कनफ्लिक्ट के चक्कर से जमुना के पानी से हमें महरूम रखा जाय, यह हमारे प्रदेश के लिये अच्छी बात नहीं होगी। जहां तक सवाल है, सभापति महोदय, गंगा के पानी का, गंगा के पानी से राजस्थान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र सिन्चित हो सकता है और बहबूदी ला सकता है। झूंझनू जिले में ये मिलियन हेक्टेयर में कितना केचमेंट ऐरिया बनेगा गंगा के पानी से, वह मैं बताता हूं झूंझनू में 0·23 मि. है., चुरू में 1·81 मि. है., बीकानेर में 0·83 मि. है, श्री गंगानगर में 0·17 मि. है., नागौर में 0·74 मि. है, जोधपुर में 0·90 मि. है., पाली में 0·43 मि. है.,

(श्री यदुनाथ सिंह)

बाड़मेर में 1·45 मि. है. और जालोर में 1·16 मि. है जमीन की सिंचाई हो सकेगी यानि राजस्थान को इन नहरों. जो बन रही हैं, जो सिस्टम है, के बाद जो हिस्सा रह जाता हैं, उससे प्यासी धरती को अगर सिंचित करना है तो इन पानियों को हमें लाना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार जागरुक रहे, यह सदन जागरुक रहे कि जो सिस्टम हमारे यहां आगए, जो कार्य चल रहे है वे तो चले हीं और समय पर पूरे हों, इसमें अहतियात जरूर बरतें लेकिन आगे जो भूमि बिना सिंचित रह जायगी उसकी सिंचाई के लिये हम क्या व्यवस्था करने वाले हैं, यह जिम्मेदारी भी हम आप लोगों पर है। इसलिये इस जिम्मेदारी को निभाने के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मन्त्री महोदय बतायें कि उन्होंने इस बारे में आगे क्या कार्यवाही की ?

सभापति महोदय, अभी ज्यादा उसमें मैं कहना नहीं चाहूंगा, पोटेन्शियलिटी कितनी हो रही है और कितनी नही हो रही है। तो, सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा-थोड़ा सा जिक्र यह भी करना चाहूंगा कि हम जिस तरह की योजनायें परियोजनाएं बना रहे हैं केपिटल इन्टेन्सिटी की उससे बेकलाग बहुत लम्बा बढ़ता चला जा रहा है, योजनायें समय पर पूरी नहीं हो रही है, योजनाओं की कीमत बढ़ती चली जा रही है, उसका ब्याज बढ़ता चला जा रहा है और उसके जो रिटर्न्स आने चाहिये उसमें देरी होती चली जा रही है। इस कारण से सिंचाई विभाग में और राजस्थान के कोष में बराबर कमी होती जा रही है। इसके लिये आवश्यक है हम बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को जहा तक सम्भव हो हाथ में न लें। उसका एक परिणाम और भी है। सभापति महोदय, आप देखेंगे सन् 81 में आडिटर जनरल आफ इण्डिया की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बड़ी परियोजनाओं से जो नुकसान हुआ है यह दर्शाया है। एक थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा :—

"It is universally accepted that irrigated farming is one of the the technologies whith will increase productivity of the soil. But at the same there is a negative aspect of major irrigation. For example, quite a considerable area of land is lost to cropping as a resnlt of our irrigation projects. The Kosi project showed that 23% of the land had gone waste. In the Gandak project, the figure amounts to more than 25%. On the Towa project, where paddy production before irrigation was averaging 4 quintals per acre, after irrigation it has dropped to 3 8 quintals and as miliar drop in jowar, maize, wheat and gram. Large irrigation projects like Towa and Denva reduce the fertility of soil by causing waterlogging and salinity".

यानि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें करीब करीब 25 प्रतिशत-भूमि जो

(श्री यदुनाथ सिंह)

हम उसमें बांट रहे हैं सिचाई करना चाहते चाहते हैं, हम उसमें पैदावार लेना चाहते हैं और वह जब वाटर लोगिंग की वजह से खराब हो रही हैं तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज्यादा हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसमें लागत भी बहुत ज्यादा पड़ती है एक्सक्लेशन भी बहुत होता है। हमारे राज्य की परिस्थितियों के अनुसार भी जो पानी वर्षा का थोड़ा बहुत बरसता है उस पानी को वहीं पर रोकने की आज आवश्यकता है। छोटे छोटे एनिकट बनाइये, छोटे छोटे बांध बनाइये, छोटे छोटे काम हाथ में लीजिए और उस पानी का वहीं की वहीं रोकिए, जमीन में, कुएं में। पानी नहीं होगा, जमीन में पानी नहीं होगा, तो भी जमीन में मोएस्चर तो मौजूद रहेगा। उसके रहते ही पैदावार में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इसलिए, सभापति महोदय, ज्यादा नहीं कहते हुए मैं भरतपुर के बारे में कहना चाहूंगा कि भरतपुर में मास्टर प्लान एक एक्स. ईएन. इंजीनियर श्रीवास्तव थे, उन्होंने बनाया था 79 में। वह आज तक पेंडिंग पड़ा है, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहां की तीनों नदियों में हर साल तबाही मचती है, जन-धन की हानि होती है, जमीन बर्बाद होती है। मन्त्री महोदय स्वयं देखकर आये है, इनकी जानकारी में है कि गांव के गांव मिट्टी और नदी की वजह से बर्बाद होते है। एक तरफ वहां बाढ़ से गांव के गांव बर्बाद होते हैं और दूसरी तरफ वहां जमीन प्यासी है और जमीन में खारा पानी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा जब पश्चिमी राजस्थान की बात आती है कि पीने को पानी नहीं लेकिन भरतपुर में 70-80 पर्सेन्ट पानी जमीन में पीने योग्य नहीं है। खारा पानी है जमीन में और उनको यह इरिगेशन डिपार्टमेंट मीठा वाटर पर रखने का काम करता है। तो इसलिए एक तरफ तो बाढ़ से तबाही नहीं हो, दूसरी तरफ प्यासी धरती को पानी मिले इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान पर अपना निर्णय लें, उसको डस्ट-बिन में पड़ा न रहने दें। मैं चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में इस बाबत भी बातें कहेंगे। वह एक तरफ तो बाढ़ बर्बाद करती है, हमारे यहां बाढ़ से बर्बादी होती है दूसरी तरफ सरकार उसका आबियाना लेती है किसान से यानि उसकी फसल खड़ी हुई है वह बर्बाद हुई, उसको कोई जानकारी नहीं दी कि कब पानी आने वाला है नहीं आने वाला है। फसल एक तरफ बर्बाद होती है दूसरी तरफ सरकार आबियाना लेती है। पिछली बार जब माननीय यादव साहब, आज हमारे जो प्रभारी मन्त्री हैं भरतपुर की मीटिंग में गये थे, यादव साहब ध्यान देंगे, माननीय घासीरामजी यादव साहब ध्यान देंगे, आप हमारे भरतपुर जिले के प्रभारी मन्त्री हैं, पिछली बार जब आप मीटिंग में पधारे थे तो हम लोगों ने यह बात उठायी थी कि एक तरफ जहां फसल बर्बाद किसान की होती है और दूसरी तरफ आबियाना लिया जाता है तो आपने प्रिंसिपल के तौर पर मंजूर किया था। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय आज यहां इस बात की घोषणा करें कि जिस किसान की फसल चाहे पानी से बर्बाद होती है और फसल का आबियाना वसूल करने का काम सरकार करती है वह नहीं करें। देना तो मुआवजा

(श्री यदुनाथ सिंह)

चाहिए, लेकिन मुआवजा देने की बात सरकार के बलबूते की नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इतना ही कहते हुए ज्यादा बात

(7·03 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

नहीं कहूंगा। कुछ बेसिक बातें यहां आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के और सरकार के सामने रखी है। मैं चाहूंगा इन विषय पर सरकार गम्भीरता से सोचकर इस पर शीघ्र निर्णय करके फैसला करेगी और आने वाला राजस्थान एक बहुत खुशहाल राज्य के रूप में सामने आये. ऐसी व्यवस्था करने का काम यह सरकार करेगी। इतना ही मैं कहते हुए आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजपाल यादव।

(अनुपस्थित)

श्री रूपलाल परमार।

श्री रूपलाल परमार (खेरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष साहब, माननीय मन्त्री साहब का ध्यान सिंचाई की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष साहब, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने और देश की नेता इन्दिरा गांधी ने बहुत बड़ा काम किया और आज राजस्थान हरा भरा होने लगा है। इसी तरह आपसे हम कुछ चाहते हैं। आज खेरवाड़ा तहसील उदयपुर जिले में गुजरात के बोर्डर पर है और वहां पर पहाड़ी इलाका है। वहां के 80 प्रतिशत लोग किसान हैं, खेती पर वे निर्भर हैं और उनका मुख्य धन्धा खेती है। मैं आपसे एक नम्र निवेदन कर एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि खेरवाड़ा में दो नदियां है। डेकवास में एक साथ दो बांधों का सर्वे हो चुका है। वह बांध अगर खेरवाड़ा में बांध दिये जाय तो खेरवाड़ा तहसील में 30 पंचायतों को बराबर पानी मिल सकती है वह पानी बहकर गुजरात में जा रहा है। वह अच्छी नदी है और ऊंचाई पर है वह बांधने के बाद खेरवाड़ा में जो गरीब आदिवासी किसान हैं उनकी भूख सदा के लिए मिट सकती है। आज खेरवाड़ा तहसील में सारे लोगों में बेरोजगारी है और वह गुजरात में जाकर अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष साहब, खेरवाड़ा तहसील में एक तो यह डेकवास बांध और एक दो एनिकट अगर बन जायें तो खेरवाड़ा तहसील में किसानों के लिए बहुत लाभदायक बात है। इसके साथ साथ खेरवाड़ा तहसील में किसानों को बिजली कम मात्रा में मिलती है। किसानों का मुख्य धन्धा बिजली से हो सकता है। किसानों के पास कुएं तैयार है, उनको कनेक्शन अगर दिये जायें तो वह भी हमारी तहसील के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आगे मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि किसानों के लिए अधिक से अधिक ध्यान देकर डेकवास बांध के लिए सिंचाई मन्त्रीजी आज ही घोषणा करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कहना समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयराम धाखड़।

(अनुपस्थित)

मास्टर दीपचन्द।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग की मांगों के संदर्भ में सिद्धमुख नहर बाबत आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से दो बात निवेदन करना चाहता हूं। यह सिद्धमुख नहर परियोजना 20 साल पहले बनी थी। इस योजना का सर्वे भी हो गया और सिद्धमुख नहर की योजना का आफिस हमारे राज्य में 5–7 साल पहले लगातार चालू रहा। उसके बाद में अब न तो आफिस है, न कर्मचारी हैं। अब भी 10 लाख मंजूर किये हैं। मैंने पिछले प्रतिवेदनों में देखा है, श्रीमान् माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां न आफिस है, न कर्मचारी हैं। यह रुपया पैसा किस मद में किसके लिए खर्च किया जायेगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां आफिस कहां है सिद्धमुख नहर के कर्मचारी कौन-कौन हैं, कहां से तनख्वाह पाते हैं, किस जगह काम करते हैं, कहां कहां से बिल उठाते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख नहर की 20 साल से योजना चल रही है और सालना पिछली दफा 5 लाख रुपये मंजूर हुए थे सालाना 2–4 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपये सारे कर्मचारियों की तनख्वाह का खर्चा मंजूर होता है। सिद्धमुख नहर हरियाणा की सीमा पर है। सिद्धमुख नहर के कम से कम 50–60 गांव गंगानगर के हरियाणा की सीमा पर नजदीक लगते हैं। हरियाणा की सीमा में नहर का कोई नामोनिशान नहीं था। वहां पर चौधरी बंशी लाल जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो गांव गांव में नहर आ गयी। वहां हमारे पड़ोस में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। हमारी सिद्धमुख नहर का नामोनिशान नहीं है। यदि सिद्धमुख नहर की बातचीत चलती है तो उसके बाद में वह कहते हैं कि हमारे गांव गांव में नहर चली गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि हमारे रिश्तेदार ही वहां हैं। अगर सिद्धमुख नहर का काम जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो पानी खेती और अनाज के लिये नहीं मिलेगा हमारे जो रिश्तेदार है वह सभी किसान हैं और हरियाणा में हैं रोज आते रहते है। इसलिए सिद्धमुख नहर की योजना जहां जहां माननीय स्वर्गीय मोहन लाल जी सुखाड़िया ने सोची थी उन गांवों की योजना जल्दी से जल्दी चालू हो जायेगी, अगले साल चालू हो जावेगी, दो साल में चालू हो जावेगी, पांच साल में चालू हो जावेगी लेकिन सिवाय नौकरों की तनख्वाह के उसमें कभी भी बजट अधिक पास नहीं हुआ। कभी दस लाख, पांच लाख, चार लाख। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं पधार कर उद्घाटन करें ताकि आने वाली पीढ़ी यह विश्वास करे कि इसका काम तो होगा ही। मैं जवानी की उम्र में था तब यह सुनता था कि सिद्धमुख नहर आएगी। अब मेरा बुढ़ापा आ गया और विधान सभा में शोक प्रस्ताव भी पास हो जाएगा लेकिन यह कैनाल पास नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय

(श्री दीपचन्द)

से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार दस लाख के बजाय 90 लाख और जोड़ कर एक करोड़ की मंजूरी करें, आप और माननीय मुख्य मन्त्री जी सिद्धमुख पधारें और इस नहर का उद्‌घाटन करें ताकि हमारे इलाके के लोग जो अकाल की समस्या से ग्रस्त हैं, वह समस्या दूर हो जावे। अकाल की चिन्ता नहीं है, पैसे की चिन्ता नहीं है, पानी की चिन्ता नहीं है, चिन्ता इस बात की है कि इसका जिक्र पिछले बीस सालों से सुनते चले आ रहे हैं। हमारा एरिया, अध्यक्ष महोदय, हरियाणा से लगता है और हरियाणा के अन्दर गांव-गांव में नहर आ गई। वहां की लड़कियां नहर देखती हैं, हमारे लड़के वहां जाते हैं उनको बड़ी भारी शर्मिन्दगी होती है और हमारी लड़कियां आत्म हत्या करती हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह पानी की समस्या नहीं है, अन्न की समस्या नहीं है यह सामाजिक मामला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सिद्धमुख नहर के लिए 90 लाख का और प्रावधान रख कर इस योजना को जल्दी से जल्दी चालू कराने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरचन्द।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : श्रद्धेय महोदय, आज यह सिंचाई के ऊपर जो चर्चा चल रही है, यह हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत एक पहला सूत्र है। पहला सूत्र भी इसलिए रखा गया है कि हमारी देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह सोच करके कि गरीब तबके लोग किसी सिंचाई के साधन से अपनी आजीविका चला करके और देश के अन्दर उत्पादन बढ़ायें, इसलिए इसका पहला सूत्र उन्होंने दिया। आज कई प्रकार की चर्चा इस पर हो चुकी। मैं सिर्फ अपने क्षेत्र के संबंध में निवेदन करूंगा कि मेरे इलाके में एक बस्सी बांध है। इस बजट के अन्दर गत वर्ष 70 लाख रुपया मंजूर हुआ और इस साल मुझे बड़ी आशा और उम्मीद थी कि गत वर्ष से कहीं ज्यादा इसमें मंजूरी होगी। सिर्फ एक करोड़ रुपया जिसमें तीस लाख रुपये तो गये साल से बढ़ाए गए हैं। यह बहुत बड़ा प्राजेक्ट है, इससे हजारों एकड़ जमीन सिंचित होगी और उस सिंचित जमीन से अन्न उत्पादन होगा, देश की काफी बड़ी समृद्धि होगी। इसके लिए यह जो कमी है उसको दूर किया जावे। मैं यह मांग करूंगा कि इसके लिए दो करोड़ रुपया अगर स्वीकृत कराया जावे तो यह योजना अच्छे ढंग से चल सकेगी।

दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि मातृकुण्ड्या बांध का शायद 64 या 65 में निर्माण हुआ। स्वर्गीय मोहनलालजी सुखाड़िया ने बहुत बड़ी भारी अच्छी स्कीम सोच करके, क्योंकि उस इलाके में काफी किसानों का काफी भला हुआ है और काफी बेकार भूमि पड़ी हुई थी, इसलिए उस बांध का निर्माण किया। लेकिन बांध तो हमारे यहां बना, फायदा भीलवाड़ा को मिल रहा है। वही कहावत है कि धाम धणिया की नाम जरगा को। जब कि हमारे किसान संकट सहन कर रहे हैं, जमीनें हमारे किसानों की कटीं, जमीन हमारे किसानों की डूबीं और फायदा किसी और को मिले, यह बड़े दुःख की बात है। हमने कई बार

(श्री अमरचन्द)

निवेदन किया था राज्य सरकार को भी कि इस बांध से एक नहर निकाली जावे। तो गत वर्ष उस बांध के लिए, उससे नहर निकालने का सर्वे चालू करवाया गया लेकिन वह सर्वे सर्वे के अन्दर ही रह गया। इस बारे में भी मैं निवेदन करूंगा कि उसकी सर्वे पूर्ण रूप से करवा कर उस नहर को निकाला जावे कम से कम तो हमारे यहां के किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी यथावत पूर्ति हो सके। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र राश्मी तहसील के अन्दर जो मातृकुण्ड्या बांध है उसकी नहर अगर भीमगढ़, खारकंघा, रूंधबावलास, इस एरिया में अगर पहुंचाई जावे तो इतनी बढ़िया जमीन, उपजाऊ जमीन, जो कि हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है इसका उपयोग हो सकेगा और माली हालत हमारे किसानों की सुधरेगी। देश के अन्दर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा कि मातृकुंड्या बांध, वह बांध बहुत अच्छे ढंग से बन भी रहा है लेकिन हमारे किसान भयभीत होने लग गए हैं। वह इसलिए कि पहले पानी मे इसका भराव हुआ नहीं था और गत वर्ष जो भगवान ने कृपा करी, अच्छी बरसात हुई, बहुत अच्छा बनास में पानी आया और हमारे तीन लड़के उस बनास के कठघरे में फंस गए। वहां पर काफी लोगों ने प्रभु से प्रार्थना की, आसपास में पानी आ गया और हमारे वे लड़के, किसानों के बच्चे जो वहां रह गए, उनका जीवन लम्बा था इसलिए प्रभु ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमारे उस बांध के नीचे के एरिया में रहने वाले किसान काफी भयभीत हो गए। इस कारण से हुए कि उसका सीपेज जो है वह अभी से शुरू हो गया है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम उस बांध का निरीक्षण करवा लें और पानी कहां कहां सीपेज हो रहा है उसके बारे में प्रबन्ध करायें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे किसान उस बात से भयभीत नहीं होंगे।

दूसरी बात हमारे अकाल राहत के तहत ओडावारिया बांध, जो कि तहसील गंगरार के पास में है, पर दो साल के दरमियान करीब चार पांच लाख रुपया खर्च हुआ और वह खर्चा अकाल राहत के तहत हुआ था, इसलिए उसको प्लान में नहीं लिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि उसको प्लान में ले करके उसके लिए भी राशि स्वीकृत की जाय, वह ऐसा एरिया है जहां कि आसपास में पानी कहीं पर भी नहीं है जिससे कि वहां के किसान हमेशा के लिए अकाल से जूझते रहते हैं। तो उस बांध को पूर्ण करवाया जावे और उसके लिए राशि स्वीकृत करवाई जावे।

दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा कि हमारा जो कार्य बांध का हो रहा है तो यह आपको.....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : सीमेंट का घोटाला हो रहा है वह नहीं बता रहे हो।

श्री अमरचन्द : अभी मैं बताऊंगा, ठहर जाओ। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मातृकुंड्या बांध अगर

(श्री अमरचन्द)

सीपेज की हालत में है तो कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण से वह सीपेज अभी से शुरू हुआ। दूसरा निवेदन यह है कि हमारे सिंचाई मन्त्री जी बहुत ही विलक्षण हैं। आपको सिंचाई का ही अनुभव नहीं है, आपने कई विभागों का अच्छी तरह से संचालन किया लेकिन मैं जब पहली बार विधायक बना और मैंने देखा कि हमारे एरिया के अन्दर जो काम करने वाले अधिकारीगण जिस ढंग से काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं वह केवल निरीक्षण के लिए जाते हैं। आपने बहुत अच्छे सर्किट हाउस बना दिए, गैस्ट हाउस बना दिए। उस गैस्ट हाउस में वह जाकर के क्या करते हैं ? गिलासें और प्याले खड़खड़ाते रहते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, शायद हो सकता है कि अंग्रेजों के जमाने में राजा महाराजाओं से जहां जहां खरणी बंधी हुई थी और खरणी लेने के लिए आते और केवल मात्र वह खरणी लेकर वापस रवाना हो जाते। इसके पीछे भी यही भावना हो सकती है। जब मैं देखता हूं कि अमुक अधिकारी आए और यहां का जायजा लेकर के गए तो मैंने देखा कि अब शायद इस काम में गति आएगी लेकिन कांकडवाण्या फारगती गांक में जूं का जूं। तो यह वैसा ही हिसाब है, आए और गए। तो यह इस प्रकार की जो वीकनेस है उसको दूर जावे और हमारे सिंचाई मंत्री इस मामले में भी बड़े सख्त हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह अधिकारीगण जो अच्छा काम करते हैं उन अधिकारी लोगों की तो मैं तारीफ करूंगा। अधिकारी लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिये भी कुछ ऐसी चीज रखी जाय, उनको चाहे प्रशंसा पत्र दो चाहे उनको अच्छी डिग्री दो, क्योंकि उनको भी देश और गरीबों के प्रति पीड़ा है लेकिन कुछ लोग है उस बैल की तरह जो लकड़ी सामने करो तो चलें और लकड़ी ठण्डी पड़ गई तो पीछे देखने लग जायं। तो ऐसे अधिकारियों का मैं केवल यह नहीं चाहता कि उनका तबादला कर दो। अधिकारी जानते हैं कि यहां से तबादला वहां कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान कैनाल में तो कर देंगे, इससे ज्यादा तो हमारे को राजस्थान से बाहर भेजने वाले तो हैं नहीं। तो इसके लिये भी हमारे सिंचाई मंत्री जी थोड़ी चौकस निगाह से देखें तो राजस्थान में इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट बन रहे है उनमें मजबूती आये और अच्छा काम हो।

इसके साथ उदाहरण के रूप में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भोपालसागर फीडर के अन्दर जो नहर पक्की कराने का काम हुआ वह गत वर्ष बना और इस वर्ष टूट गया। तो, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो बात है आज मेवाड़ गवर्नमेंट के जमाने में आपने भी देखा होगा कि जो पुलिया बनी मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि चित्तौड़ से उदयपुर की जो पुलिया बनी हुई है. लोग कहते हैं कि लगभग दो सौ वर्ष हो गये उसका एक कंकर तक नहीं खिसका और यहां गत साल पुलिया बनी और इस साल टूट गई। यह क्या कारण है, कोई मिट्टी से बनाई ? हमारे झोंपड़े भी वर्षों तक रह सकते हैं तो सीमेन्ट जहां लगे और एक वर्ष पूरा नहीं निकाल पाये, इसका क्या कारण है ? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह मान कर

(श्री अमरचन्द)

चलता हूं कि यह तो भगवान् ही कुछ संकुचित होकर बरसात बरसाते हैं। यदि कहीं ऐसी जोरदार 97 के साल जैसी बरसात बरसी, 96 के अकाल के बाद जो बरसी थी, उस एक ही बरसात ने सारे बांधों को झकझोर कर रख दिया। कहीं ऐसी मूसलाधार बारिश बरसी तो राजस्थान के सारे बांध प्रलयंकारी रूप में बह जायेंगे। यह अधिकारी लोग चाहे बुरा मानें, थोड़ा यह भी कहना चाहूंगा कि आज इनके देखो हालात, इनके देखो, बंगले, इनके देखो नौकर। हम लोग सत्र में जाते हैं साइकिलों से और यह जाते हैं कारों से, जीपों से, मोटरों से। तो, अध्यक्ष महोदय, यह अधिकारी लोगों की भावना है। ऐसे अधिकारी है जो अच्छा काम करने वाले अधिकारियों पर भी पर्दा डालते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, मैं उनके तबादले के बारे में नहीं कहूगा क्योंकि तबादले से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारे मंत्री महोदय इस मामले में बहुत विचक्षण है वह जरूर चौकसी से देखेंगे और इसमें सुधार लायेंगे। तो मेरे इसी क्षत्र में दो नदियां है बेड़च और गभीरी। अभी, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां लिफ्ट इर्रिगेशन का कार्य चल रहा है और वह इतना बढ़िया चल रहा है जो कि शायद हमारे यहां इर्रिगेशन के अधिकारी लोग भी विराजमान हैं, मौके पर लिफ्ट इर्रिगेशग को देख कर आये होंगे। यह लिफ्ट इर्रिगेशन सरकार ने नहीं लगाई। यह हमारे किसानों ने समिति बना कर गवर्नमेंट से लोन लेकर, जी. आर. डी. से लौन लेकर और उसके सहयोग से लिफ्ट इर्रिगेशन बनाई। आज सात लिफ्ट इर्रिगेशन हमारे यहां चल रही हैं उसका मेन्टेनेंस भी हमारे किसान लोग ही करते हैं समिति के द्वारा और वह पिलाई करने के बाद भी मुनाफे में चल रही है। तो इसी प्रकार बेड़च नदी में तीन एनीकट बना दिये जायं तो लिफ्ट इर्रिगेशन से हमारे आसपास के इलाके में अच्छी खेती हो सकती है और बढ़िया भूमि पड़ी हुई है उसका उपयोग हो सकता है।

दूसरा गरमी एनीकट के बारे में कई बार निवेदन किया था, आज तक उसका सर्वे तक नहीं हुआ। उस एनीकट भी यानि लिफ्ट इर्रिगेशन में निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी मौका आया, मीटिंग में आया तो यह कह कर टाल दिया गया इतना बड़ा खर्चा कम नहीं कर सकते, इर्रिगेशन नहीं कर सकता, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम खर्च में 2-2, 3-3 फीट दीवालें उठा दें। उस नदी के अन्दर पत्थर भी है और उसका अगर चीम फाउण्डेशन रख करके 3–3, 4–4 फीट दीवालों को ऊपर और उठा दिया जाय तो चार जगह पानी रुक जाने के कारण, लिफ्ट इर्रिगेशन के कारण, हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

दूसरा, पानी के सम्बन्ध में निवेदन है, एक काल.देव पहाड़ी चित्तौड़ और बस्ती के बीच में है उसके लिये भी निवेदन किया था। उसके बारे में भी अधिकारीगण ने कहा कि मौका देख कर सर्वे करेंगे लेकिन अभी तक ज्यों का त्यों है। इसके बारे में भी निवेदन करूंगा कि वह भी बहुत कम खर्च में होगा। ज्यादा से ज्यादा खर्चा आपका अगर हुआ तो पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं होगा उससे हमारे

(श्री अमरचन्द)

किसानों की एक हजार एकड सिचाई होगी। तो उसके बारे में ध्यान दिया जाय और एनीकट बनाया जाय तो हमारे किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा।

दूसरी बात एक बस्ती बांध के अन्दर जो नहरें निकाली जा रही है और हमारे किसानों की जमीने कटी हैं। राज्य सरकार ने अभी सुना है कि कुछ मुआवजा दिया है लेकिन वह बराबर नहीं है। आज जमीन की कीमत दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। खेती की जमीन अगर कटे बराबर पैसा नहीं मिले तो यह भी मेरा निवेदन है कि उनको ठीक ढंग से पैसा दिया जाय, आज की कीमत से पैसा दिया जाय तो लोगों की क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती, वह जमीन तो नहीं मिल सकती, लेकिन कम से कम उसको पैसा मिले तो और जगह लेकर निर्वाह कर सकता है।

दूसरा भूपालसागर फीडर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। काफी लम्बे समय से काम चल रहा है वह काम जिस गति से होना चाहिये उस गति से नहीं हो रहा है। उसके बारे में मेरा निवेदन है कि भूपालसागर फीडर का काम शीघ्र पूरा करवाया जाय जिससे कि शुगर मिल के अन्दर, हमारे किसानों को भूपालसागर से दो फसलों का फायदा होता है बाकी जमीन बेकार पड़ी रहती है। एक तो होता है गन्ना और दूसरा होता है चावल। यह दो खेती किसानों के लिये फायदेमन्द होती हैं। यदि तालाब में पानी रहता है तो इसका फायदा उन लोगों को मिलता है। यदि पानी नहीं रहता जैसा कि इस वर्ष नहीं है, गत वर्ष भी अच्छी वर्षा हुई, लेकिन दुर्भाग्य से तालाब खाली पड़ा रहा और उस वक्त एक एक पिलाई हुई और फसल सारी की सारी नष्ट हो गई। इसलिये भूपालसागर फीडर का काम तुरन्त तेज गति से चलाया जाकर पूरा किया जाय ताकि किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो।

दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि जो तालाब बन रहे हैं और नहरें निकाली जा रही हैं, जैसे भूपालसागर के बारे में अर्ज करूंगा कि उस नहर को थोड़ा यहां से पक्का कर दिया, थोड़ा वहां से कर दिया और कहीं नालियों का इतना सा मूंडा ठीक कर दिया तो इस तरह से आधा पानी तो पिलाई में जाता है, आधा वेस्टेज हो जाता है। इसके बारे में मन्त्री महोदय, मेरा निवेदन है, जितना काम करवायें वह कम से कम पक्का करवायें और अच्छा करवा करके पानी की सप्लाई हो तो वेस्टेज नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये धोरे और नहरें पक्की नहीं होगी तब तक पानी आधा किसानों को मिलेगा और आधा बेकार चला जायेगा। तो इस बारे में भी आप ये नहरें और धोरे पक्के कराने के बारे में ध्यान देंगे।

मुझे जो समय दिया उसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। आपसे निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय से जो मैंने निवेदन किया है उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे तो राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का भी भला होगा। आपके कार्यकाल में जो काम होगा वह

(श्री अमरचन्द)

चिर-काल तक आपका यशोगान और गुण गान करता रहेगा। इसी मनोकामना के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल (मनोहर-थाना)

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल

श्री देवीलाल (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आज सिंचाई की डिमाण्ड पर चर्चा चल रही है। मैं भी अपनी तरफ से निवेदन करूं। पहली बात तो यह कि जो किसानों की समस्या और खेती की सारी समस्या चल रही है और हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी ने पानी की डिमाण्ड पर बात बताई उनके साथ मैं भी अपनी बात जोड़ता हूं। बिजली की बात बताई कि पानी से बिजली पैदा होती है। तो पानी से ही यह सारी सृष्टि है और जितने भी जीवों की उत्पत्ति है वह पानी से ही है। पानी की तो यह बात है कि—

पानी से सब रंग हुए और सब रंग पानी मांय।
जिस रंग से पानी हुआ वह रंग मांय॥

तो पानी से यह उत्पत्ति हुई है और पानी से ही प्राणी मात्र जिन्दा रहते हैं। सब माया पानी की है। और जितने भी 84 लाख जीवाजीव हैं और चार ही योनि है। इसके अन्दर उत्पत्ति है वह पानी की ही है। पानी की सब माया है। सब माया रची तो पानी से रची। यह तो पानी की बात हुई।

अब मैं मेरे क्षेत्र की छोटी मोटी बात निवेदन करूंगा। हमारी तहसील पिछड़ी हुई तहसील है और हमारे राजाधिराज ने पहले से तालाब हमारी तहसील में अधिक से अधिक बनाये हैं। कुए, बेरे तो हमारी तहसील में कम हैं और ज्यादा सिंचाई बांधों की, तालाबों की है। आपको निवेदन करूं कि करीब करीब हमारी तहसील में 150 तालाब हैं। उनकी जो टूट-फूट हुई और उन पर जो कार्य चले हैं वे सब अकाल राहत में हुए। मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां चार बांध है। एक अरवड़ बांध, एक नाथ सागर बांध, एक मेवसागर बांध और एक झाड़ोल बांध। ये चारों बांध टूटे हुए हैं और इनकी नहरें कच्ची हैं। 15–15 किलोमीटर तक नहरें जा रही हैं। इससे जमीन में पानी ज्यादा है और खेतों में पानी कम पहुंचता है। इतना पानी बीच में खर्च हो जाता है। जो फसलें हैं वह खराब हो जाती हैं और पानी नहीं पहुंचता है। इसलिये इन नहरों को पक्का बांध देवें, नालियां पक्की हो जायें तो हमारे खेतों में इससे फसल खराब नहीं होगी और पानी भी आगे पहुंच जायेगा। यह चार बांध है। इन चारों बांधों की नहरें करीब करीब, कहीं पांच किलोमीटर पक्की है, कहीं कहीं दो किलोमीटर पक्की है परन्तु अधिक से अधिक यह कच्ची नहरें हैं। इनको पक्की करवा दें। इससे सब जगह पानी की सप्लाई अच्छी हो जावे और पानी की सप्लाई अच्छी होने से काश्तकारों की फसल बर्बाद नहीं होगी और पानी भी अधिक मिल जायेगा। मेरा सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन है कि इन चार बांधों की

(श्री देवीलाल)

नहरें सब पक्की कर दें तो काश्तकारों को आराम हो सकेगा और आज काश्तकार, मैं यह सोचता हूं कि जिस राज का काश्तकार सुखी है वह राज भी सुखी है और जिस राज का काश्तकार दुखी है वह राज भी दुखी है। यह काश्तकार की समस्या है। अत: अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र में तालाब की मोरियां, नालियां तैयार करावें, बंधावे। करीब करीब 10/15 तालाब ऐसे हैं जिनका काम वहां पर अधूरा रहा गया है। इनकी चादरें बन्धवावें। कोई की मोरियां बन्धवावें। 10/12 तालाब हैं जिसमें पारड़ा का तालाब है उसका ढोला खराब है। इससे गांव वालों को आने जाने में कठिनाई होती है। सामान बंधा रह जाता है। इसलिये एक तो आप इस ढोले को बंधा देवें। एक उदेला तालाब है इसकी मोरियां खराब हो रही हैं। सारे चौमासे मोरियों से पानी निकलता है जिससे खेतों की फसलें खराब हो गयीं। इनको बंद करते हैं तो मोरियां बंद नहीं होती हैं। यह पुरानी मोरियां हैं कम से कम 100 साल पहले की। अत: इन मोरियों को ठीक करा दें। नया खेड़ा में तालाब है। इसकी मोरी, चादर ठीक हो जावे। एक पंचायत के अन्दर उन्देता का तालाब है। छोटा बंधा है। इसके ऊपर चादर और थोड़ा नाले पर गारा कम रह गया है। करीब करीब 50/40 हजार रुपया खर्च कर दें तो काश्तकारों का दुख मिट जावे।

मैं बारबार एक ही बात निवेदन करता हूं। वह यह है कि हमारे खमेड़ा के नीचे एक बांध है। मैं छोटा था तब से इसकी सर्वे हो रही है। इसकी सर्वे तीन-चार बार हो चुकी है। अब इसकी रिपोर्ट आ गयी है। रिपोर्ट यह आयी है कि इसके बांधने से नाथ सागर बांध, जो इससे 12 किलोमीटर दूर है, नहीं भरेगा। मेरा निवेदन है कि इस साल कम से कम नाथ सागर की चादर 200 फीट लम्बी चौड़ी है और चादर साढ़े तीन फीट ऊंची है अगर बरसात हो जाये तो सब तालाब भर जायेंगे और बरसात नहीं हो तो छोटा नाला भी नहीं भरेगा। मेरा यह निवेदन है और एक ही मांग है कि खमेड़ा बांध को बांधा जावे। दूसरी जो भी समस्या छोटी मोटी है, तालाब की है, अकाल राहत चालू हुए और वह अधूरे हैं उनको पूरा करा दें। अब मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 46 पर चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : सबको मालूम है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं एक निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, इस पर रोड़ा पड़ गया। मांग संख्या 46 पर जैसा पूर्व में जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य उपनिवेशम पर चर्चा कर रहे थे उस वक्त उपनिवेशन मन्त्री महोदय ने फर्माया कि आज इसकी डिमाण्ड नहीं है और मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, कृपया आसन से इस बात को स्पष्ट करें कि हम इसकी चर्चा करें या नहीं और मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे या नहीं देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : मेरा भ्रम था। इसमें है।

श्री अध्यक्ष : अब शुरू कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : भ्रम है। अच्छा भ्रम मिट गया। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान नहर मन्त्रालय श्री चन्दनमल जी बैद ने संभाला है, हकीकत में आज राजस्थान नहर की हर जगह चर्चा है। चर्चित कर दिया है। वाकई में राजस्थान के अन्दर, पश्चिमी राजस्थान में कोई नहर बन रही है, उसका विकास हो रहा है और कहां हिमालय और जैसलमेर में रामगढ़ तक पानी पहुंचा दिया। इसके लिये आपने अपने तरीके से अलग अलग माध्यम चुने हैं। अध्यक्ष महोदय, "राजस्थान नहर परियोजना के बढ़ते कदम" यह पुस्तक है। यह राजस्थान कैनाल बोर्ड की तरफ से प्रकाशित की गयी है। कब को गयी? जब की गयी जब माननीय मन्त्री महोदय को समय मिल गया दिल्ली से कि 17 अक्टूबर को हम चारणवाला हैड पर पधारेंगे और उसी दिन इसका उद्घाटन करके रामगढ़ तक पानी पहुंचा देंगे। ऐसा बटन दबाएंगे कि उसी वक्त जैसलमेर का चप्पा चप्पा हरा भरा लहलहा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, उस दिन बड़ी रंगीनियां पेश की गयी। बटन दबा हरा, नीला, कई रंग उस पानी में आये। वह रंग और रंगरेलियां पता नहीं, अध्यक्ष महोदय, पूर्व में बोलने वाले माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा है इस नहर को बनाने वाले और इसमें जो भागीदार हैं उनके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं ठीक है, आप किसी प्रकार से प्रचार कीजिये, हमें कोई एतराज नहीं है। असली लाभ होना चाहिये प्रदेश का और जनता का। आपने वहां घोषणा कर दी, पृष्ठ संख्या 28 पर लिखा है, अध्यक्ष महोदय, उस दिन, 17 अक्टूबर के दिन, 17 अक्टूबर 1983 के दिन, इस कार्यक्रम के अनुसार रबी 1983 में जैसलमेर जिले में 20 हजार हैक्टेयर, करीबन 30 हजार एकड़ क्षेत्र में प्रथम बार सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसमें जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जब पूछा कि रबी 1983 में जैसलमेर जिले में कितनी सिंचाई हुई और कितनी काश्त हुई?

श्री अध्यक्ष : सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : सुविधा, अध्यक्ष महोदय, बटन दबा दिया सुविधा उपलब्ध हो गई। उसके बाद काश्तकारों ने वहां काश्त की और केवल मात्र 12 बीघा भूमि के अन्दर, वह भी आज दिन सूख चुकी है, बरबाद हो चुकी। यह तो इनकी उपलब्धि रही। यह तो टेल-एंड की बात है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजना की बात कर रहा हूं इसमें मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया कि एक गांव में कोई भोला आदमी दुकानदार के पास तेल लेने गया और लोटा देकर कहा कि चार आने का तेल दे दो और उसने तेल डाल दिया. परन्तु पूरा तेल उसमें आया नहीं कुछ तेल बचा तो दुकानदार ने पूछा कि तेल बच गया यह कहां डालूं तो उसने ××× सारी तो लोटे का पेन्दा उल्टा कर दिया। तो, अध्यक्ष महोदय, यह तो हालत है टेलएण्ड की। जहां से राजस्थान कैनाल निकलती है हमारे फीडर

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

की क्या हालत है। पंजाब के अन्दर आज कोई भी चला जाय, पंजाब के अन्दर जगह-जगह साइफन लगे हुए हैं। हमारे पानी की चोरी होती है, जगह-जगह मोटर लगी हुई है और मोटर के द्वारा पम्प करके पानी निकाल रहे हैं, रोक नहीं लगा रहे हैं और जैसलमेर में सीना फुला रहे हैं कि हम यहां पानी ले आए। मन्त्री महोदय प्रयास यह कीजिये, आप जितना जोर शोर से कहते हैं हमें भी खुशी होती कि ऐसा हिम्मत वाला, जवाब देने वाला मन्त्री तो है। परन्तु यह जोश पंजाव वालों को वताइये, यह हिम्मत वहां दिखाइये। बी. बी. एम. बी. पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं। मांगने पर कोई पानी देता नहीं। पानी की वहां पंजाव में चोरी होती है। यह तो पंजाज वालों की मर्जी है वैसा करेंगे, आपके बस का रोग नहीं है। आप तो यहां जोर-शोर से घोषणा कर सकते हैं और करते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट स्टेज चालू हुई और चालू होने के वाद जो नतीजे आपके सामने आये, सिर्फ जैसलमेर पानी पहुंचाया जाय, क्या उपलब्धियां होगी? बड़ी अच्छी बात हैं, परियोजना की कोई बुराई करने वाला नहीं है, हर कोई प्रशंसा करेगा। परन्तु मैं सुझाव देता हूं और गलत कामों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं कि इस पर ध्यान दीजिये जिससे सबका हित हो, देश का हित हो और प्रदेश का हित हो। अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट स्टेज में आप पूगल शाखा पर आइये उससे पूर्व में फर्स्ट स्टेज की स्थिति स्पष्ट कह दूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 82-83 में कहा है पेज-7 पर कि राजस्थान नहर परियोजना का प्रथम चरण लगभग पूर्ण हो चुका है। 83-84 में राज्यपाल महोदय अभिभाषण में फरमाते हैं पेज नं. 5 पर कि पहले चरण में मुख्य नहर का काम पूरा हो चुका है, शाखाओं तथा वितरिकाओं का काम भी लगभग पूरा हो चका है। राज्यपाल महोदय, 84-85 में फरमाते हैं फर्स्ट पेज पर ही। उसमें लिखा है कि राजस्थान नहर परियोजना के पहले चरण में मुख्य नहर का काम और इसकी शाखाओं और वितरिकाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेज का यह लगभग कब खत्म होगा और वात कर रहे हैं जैसलमेर के रामगढ़ की। अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपया हमारे लग रहा है। 82-83 से, लेकर 84-85 तक वात आ गई और निश्चित तौर से 85-86 में भी यही बात की जायेगी। क्योंकि मैं तो उस क्षेत्र में काफी घूमा फिरा हूं, देखा है। उसके अन्दर प्रथम स्टेज की एक पूगल शाखा है जिसके लिए पूर्व में इन्होंने उत्तर में बताया है कि वह लगभग पूर्ण हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, पूगल मैन ब्रान्च-मन्त्री, महोदय ध्यान दें-इसमें पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वहां पर चूरू के अलाटी काफी हैं। उस पूगल ब्रान्च पर आपके टोटल अलाटमेंट 564, सैटल्ड 156, नॉन सैटल्ड 378 है। इस प्रकार 564 में से 378 हैं और यह पूर्ण कब हो चुकी? 78-79 में। अध्यक्ष महोदय, 2-4 उदाहरण वता दूं वैसे तो लिस्ट काफी लम्बी है। बन्धा डिस्ट्रीब्यूटरी अलाटी 933, अन सैटल्ड 810। इसी प्रकार से थरूणा डिस्ट्रीब्यूटरी 576 अलाटी और अन सैटल्ड 538। इसी प्रकार दन्तवाला डिस्ट्रीब्यूटरी

(श्री देवीसिंह भाटी)

515 अलाटीज और 486 अन सेटल्ड है। इस प्रकार से लम्बी चौड़ी लिस्ट है, अगर मन्त्री महोदय ध्यान दें तो कृपया इसी पर जहां आपने सिस्टम पूर्ण कर दिया है, आपके पास पानी है, आपके पास काश्तकार है फिर भी आप उसका विकास कर नहीं पा रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं। मैंने सुबह जैसा चर्चा में कहा, ज्यादा मैं उसके अन्दर नहीं जाना चाहता हूं लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल के बारे में भी यही स्थिति है। उसके बारे में यहां बड़े जोर-शोर से घोषणा की गई कि हम 5 लिफ्ट कैनाल बनायेंगे। मतलब और बरबादी की तरफ बढ़ रहे हैं। पांच लिफ्ट कैनाल और बना रहे हैं। उसके लिए इन्होंने योजना बनायी हालांकि इसकी मंजूरी वगैरह नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, जामसर डिस्ट्रीब्यूटरी जो आपने 79-80 में कम्पलीट कर ली, उसका सी. सी. ए. 15109 एकड़ है उसमें आपके वर्ष 82 में खरीफ की फसल 251 एकड़ में हुई। इसी प्रकार से खीचियां माइनर लेलीजिये, धोलिया माइनर ले लीजिये। मतलब कहीं भी चले जाइये लिफ्ट कैनाल में हाल बेहाल है। लाखों रुपये बरबाद हो रहे हैं कम से कम उनकी तरफ आप ध्यान दीजिये। आपने भूमिहीनों को भूमि दे दी, एक तरफ तो आप शाबासी लेना चाहते हैं कि हमने भूमिहीनों को, गरीबों को जमीनें दे दी है, आबाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको बरबाद करने पर तुले हुए हैं। पानी आने दे नहीं रहे हैं। इस तरह से तो वह घर का रहेगा न घाट का। इसी प्रकार आप दत्तौर डिस्ट्रीब्यूटरी को देख लीजिये, उस डिस्ट्रीब्यूटरी का भी काम काफी पूर्ण हो चुका है। परन्तु न वहां सिंचाई है, न आपके आउट लेट लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस नहर का फायदा किस को मिल रहा है यह मेरी समझ में नहीं आता। हम बात करते हैं तो कहेंगे कि हमें तो इन्जीनियरों को ही आरोपित करना है, उनको बदनाम करना है। तो हम किसको बदनाम करें, किसको शाबासी दें, न तो कोई शाबासी लेने वाला है, न कोई बात करने वाला है। राजस्थान नहर बनती जा रही है, हम बार बार राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और मन्त्री महोदय के ध्यान में है जैसा कि पूर्व में विरोधी दल के नेता महोदय ने फरमाया कि सीपेज की प्राब्लम है। सीपेज की प्राब्लम कहां है कि हमारी सैकण्ड स्टेज जहां से चालू होती है या यह कहिए छतरगढ़ के बाद में। इससे पूर्व तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि मशीनों से काम हुआ है, मिट्टी का सही कम्पेक्शन हुआ है और इन्जीनियर्स ने बड़े लगन से काम किया। वहां ऐसी कोई सीपेज की प्राब्लम नहीं है, हालांकि वहां पर बालू रेत थी। परन्तु जब से मशीनों से कम्पेक्शन करना बन्द किया, ध्यान देना बन्द किया एंटी सोइल ट्रीटमेंट करना बन्द किया और जिस प्रकार से बैंड के अन्दर क्रूड आवल या बिटुमैन दोनों आपने डालने बन्द किये, उसके आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते गए आपने स्वयं देखा है कि झीलें ही झीलें बन रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, राजस्थान मुख्य नहर आर. डी.-909 की फोटो ही मजाक है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य नहर बन गयी और उसके बराबर में पायलेट चैनल चल रही थी कच्ची, उनमें सीपेज होना ही था। सीपेज हुआ और वाटर लोगिंग हुआ और उसी लेवल पर पानी चढ़ा है और वह अन्दर

(श्री देवीसिंह भाटी)

सीपेज होकर मैन कैनाल में घुस गया। उस कैनाल के अन्दर पानी छोड़ा ही नहीं गया था। जब मैंने प्रश्न पूछा, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, मन्त्री महोदय ने देखा कि यह तो मामला विद प्रूफ है जब उन्होंने यह एक्सेप्ट किया और कहा कि हां एक दो फीट तक पानी उसके अन्दर घुस गया है, परन्तु 2–आर. डी. तक पानी छः इन्च तक जरूर घुसा है। अब छः इन्च पानी उसके अन्दर घुस गया जब कि पानी मैन कैनाल में छोड़ा ही नहीं और बाहर से पानी आ गया सीपेज होकर तो आप 18½ हजार क्यूसेक्स की कैनाल कैसे चला पायेंगे। उसकी क्षमता आप सीना फुलाकर बहुत बताते हैं और क्षमता आपकी कैसी है यह तो मैं क्या बताऊं।

यह तो आपको आर. डी. 909 की हालत है जिसका प्रूफ मेरे पास है।

श्री चन्दनमल बैद : सारी जानकारी आपके पास है तो यह बता दें की 909 किस साल में बनी ?

श्री देवीसिंह भाटी : यह 909 बनी वर्ष 1980–81 में। इसका कोई कारण नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चंदनमल जी ने वहां जाकर कैनाल पर ईंट लगायी है या मिट्टी डाली है। लेकिन जिस किसी ने भी बनाई है, मैं इसे गलत बता रहा हूं। जब टेक्निकल अधिकारी गलती करें तो दुख होता है। अगर कोई अनजान बनाता तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही तरीके से बनाता। अध्यक्ष महोदय, उस सीपेज की समस्या के लिये उन्होंने सोचा, पूर्व में तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, धड़ाधड़ बनाते गये। जब कि उस समय सोचने की जरूरत थी, पूर्व में सोचना चाहिए था कि नीचे जिप्सम की लेयर है, जो आपको जमीन के नीचे जियोलोजिकल सर्वे देखना था वह नहीं देखा। जिस किसी उच्च ईमानदार अधिकारी ने सलाह दी उसको दवा दिया। इसको उठाओ मत। किस-किस के ऊपर आयेगा कि पहले ध्यान क्यों नहीं दिया कि नीचे जिप्सम की लेयर हैं। अध्यक्ष महोदय, उसमें पीले पत्थर की लेयर और आ गयी। सीपेज होकर पानी कहां जायेगा ? वह कहीं नहीं जायेगा वह एक लेवल तक जाकर वापस ऊपर आता है। वाटर लोगिंग होता है। मैं आपको बताऊं कि सारी जमीनें बीस साल के बाद बरबाद हो जायेगी, वहां पर फसल का एक दाना भी पैदा नहीं होगा। सीपेज के बारे में अब यह सोचा गया है कि पोलीथीन की फिल्म बिछाएंगे, जहां पर सिस्टम बन चुका है वहां पर कैसे बिछायेंगे। वहां फिल्म कैसे बिछायेंगे या पता नहीं क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे। यह जरूर है कि खरीद लाखों करोड़ों की जरूर किये जावो। यानी, अध्यक्ष महोदय, देर आयद दुरुस्त आयद। पैसा तो खूब खर्च किया जा रहा है। सीपेज, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया वाटर लोगिंग हो रहा है उसके अन्दर पैसे का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है।

आप अगर, मन्त्री महोदय, ईमानदारी से राजस्थान कैनाल के बारे में कुछ टेक्निकल जानकारी लेना चाहें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की एक सेमीनार हुई थी जून 1971 में राजस्थान कैनाल के इंजीनियर्स की, उसके प्रस्ताव पढ़ें। उसके

(श्री देवीसिंह भाटी)

अन्दर एक-एक बिन्दु में स्पेसिफिक निर्देश हैं। उसके अन्दर लिखा हुआ है कि किस प्रकार की मिट्टी का कार्य, टाइल्स का कार्य, सीमेन्ट का कार्य, किस प्रकार से एन्टी सोइल ट्रीटमेन्ट होता है। आप स्वयं इसको पढ़ें जिससे इंजीनियर्स आपको गुमराह नहीं कर पायेंगे। इसकी ओर किसी ने ध्यान दिया नहीं। इंजीनियर्स ने भी अच्छी अच्छी सलाह दी लेकिन मौके पर कुछ नहीं किया। जिसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं।

अब, अध्यक्ष महोदय, जब इसके नार्म्स के अन्दर यह लिखा हुआ है कि जो मैन कैनाल बनायेंगे तो उसकी बेड के अन्दर डेढ़ सौ फीट तक कोई मिट्टी नहीं उठायेंगे, जिससे कि वह कटाव नहीं करेगी। अगर ऐसा करेंगे तो उसकी बेड कमजोर हो जायेगी, खड्डे हो जायेंगे। वही किया गया जिससे कि गड्ढे हो गये, सीपेज होकर झीलें बन रही हैं। वाटर लोगिंग हो रहा है। अब इनको कोई न कोई नया तरीका पैसा निकालने का माध्यम चाहिए तो सोच लिया कि इन झीलों को मिट्टी से भर दो। पहले तो वहां से मिट्टी निकाल दी, नार्म्स की तरफ ध्यान नहीं दिया लाखों करोड़ों के बिल बना दिये। हिसाब में तो मिट्टी लाना बताया 4 किलोमीटर दूर से और मिट्टी कहीं से नहीं लाकर वहीं से उठाकर कैनाल पर डाल दी। अब, अध्यक्ष महोदय, झीलों के अन्दर जैसा टेन्डर किया है, वर्क आर्डर दिये हैं, उसमें स्पष्ट है कि जब आप उन झीलों को मिट्टी से भरेंगे, उसमें भी यह है कि पहले पानी को पम्प करके बाहर निकालेंगे। पानी पम्प करके बाहर नहीं निकाला जा रहा है। मैं स्वयं देखकर आया हूं, उसी पानी के अन्दर ही मिट्टी डाले जा रहे हैं। मिट्टी डाली तो वह पानी फिर ऊपर आया है। इसमें सबसे ज्यादा हेराफेरी हो रही है। यह जो वाटर लोगिंग हुआ, वहां पर झीलें बनी अब उनमें मिट्टी डाली जा रही है परन्तु उन झीलों का कोई नाम आपके पास नहीं है। आपकी मर्जी चाहे जैसे उसके अन्दर जब भी वर्क आर्डर दिया टेन्डर कॉल किये, मर्जी आये उतना बताया। मिट्टी दूर से लानी बता दी। पानी निकाला नहीं। उसमें जबरदस्त हेराफेरी हो रही है और करोड़ों रुपये बरबाद हो रहे हैं। मन्त्री महोदय, कृपया इस ओर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मेरा सुझाव है कि आप जहां भी वर्क करा रहे हैं जो भी सीपेज हो रहे हैं चाहे वह कम्पलीट पीछे से, चाहे फर्स्ट स्टेज पर या सैकण्ड स्टेज पर चल रहे हैं उसके अन्दर जितना ज्यादा काम आप फिलींग का मशीनों के द्वारा करायेंगे, तब जाकर मिट्टी का सही कम्पेक्शन होगा। जब तक सही कम्पेक्शन नहीं होगा तब तक उस बालू रेत में यह नहर नहीं टिक सकेगी। आप स्वयं जानते हैं कि टाइलें कैसी बन रही हैं, पक्की नहीं बन रही, कच्ची बन रही हैं। मोटाज का काम सही नहीं हो रहा है। इसके साथ सैकड़ों केसेज पकड़े गये हैं। बीकानेर में पड़े गये। ट्रकों से इसकी सप्लाई ठीक से नहीं हुयी। तो मोटाज आपका सही नहीं, टाइलें ठीक नहीं और अगर हम मिट्टी का कम्पेक्शन ठीक नहीं करेंगे तो इसकी उम्र कुछ नहीं होगी। इन्दिरा गांधी को तो आपने बड़े गौरव से कहा कि ढाई सौ साल

(श्री देवीसिंह भाटी)

है इस नहर की उम्र। ढाई सौ साल तक इस नहर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उनको तो गुमराह कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि अगर आप सही उसके अन्दर काम कराना चाहें तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि मिट्टी का सही कम्पेक्शन होना चाहिए। मिट्टी का कम्पेक्शन नहीं हुआ तो कैनाल कभी सही नहीं बन सकेगी, कैनाल सही नहीं चलने वाली, न लिफ्ट, न डिस्ट्रीब्यूटरी और न माइनर ही।

अध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने क्या निर्णय किया है कि पूर्व में फर्स्ट स्टेज पर वाटर इन्टेंसिटी रखी थी 110 पर्सेन्ट। अब उन्होंने निर्णय लिया है कि हमें कई जगह पर जल सुविधायें उपलब्ध करानी है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करानी है, ठीक है कराइये उसके लिये यह तय कर लिया है कि 90 प्रतिशत ही इंटेंसिटी होगी। अब तक तो आपने कैनाल बनायी है जो काम किया वह किया है 110 पर्सेन्ट के हिसाब से, अब 90 प्रतिशत के हिसाब से किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटरी चलायेंगे, किस प्रकार माइनर चलायेंगे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको ज्यादा जानकारी हो तो मुझे स्पष्ट कर दें, मेरी भी गलतफहमी मिट जायेगी वरना तो निश्चित तौर पर सारा सिस्टम गड़बड़ हो जायेगा और जो नतीजा आयेगा वह बड़ा बुरा आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, बराबर आप स्वयं पढ़ते हैं, माननीय सदस्यों ने पढ़ा है और राजस्थान की जनता और देश की जनता ने पढ़ा है कि राजस्थान के अन्दर फलां जगह से नहर टूट गयी, ब्रीच हो गयी। यह क्यों होता है ? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। इस विभाग के अन्दर अलग से क्वालिटी कंट्रोल का सर्कल खोल रखा है। अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिये अलग से व्यवस्था कर रखी है जिसकी आज तक कोई न तो सलाह ही मानी गयी है न ही उसकी सलाह पर कोई कार्यवाही की गयी है। कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्वालिटी कंट्रोल तो नहर को बरबाद करने का हो रहा है। आपके डिवीजनल आफिसर और सारे इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं। उनके सुझावों के अनुसार कार्यवाही नहीं करें तो क्वालिटी कंट्रोल की क्या उपयोगिता रह जाती है। आपके सामने सुझाव आते हैं, चाहे पी. ए. सी. की तरफ से आवें, चाहें आडिट रिपोर्ट्स से आवें, आपने उस बारे में कभी गौर नहीं किया है। आपके सामने ऐसे सुझाव आते हैं तो गौर क्यों नहीं करते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप अपने इंजीनियर्स पर विश्वास नहीं करें। अपने इंजीनियर्स पर जरूर विश्वास करें। उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। परन्तु जो सुझाव हैं पी. ए. सी. के और अन्य किसी माध्यम से जो सुझाव सामने आते हैं उन पर तुरन्त ध्यान दें तो उससे जनता का कल्याण होगा। क्षेत्र की जनता का कल्याण होगा।

अध्यक्ष महोदय, अब जैसा मंत्री महोदय ने पूर्व में कहा रामसिंह आयोग के बारे में बड़ी गलतफहमी क्रियेट कर रखी है। रामसिंह आयोग ने जहां तक मुझे जानकारी है, अध्यक्ष महोदय, अलग से कोई जांच नहीं की। रामसिंह आयोग ने वही

(श्री देवीसिंह भाटी)

जांच की है जो कि राजस्थान कैनाल का जो आफिसियल रिकार्ड था उसमें जो था वही किया है। तब यह चार्ज क्यों लगाया जाता है कि रामसिंह प्रिजुडिस था और ऐसी बात है कि उसने जान बूझकर इंजीनियर्स को फंसाया, वह ऐसा करना चाहता था। आपका रिकार्ड बोल रहा है। आपका स्टाफ वहां पर था वेरीफिकेशन के समय, सारे तथ्य सामने आये, फिर ऐसी क्या बात थी, फिर आज रामसिंह आयोग को ऐसा क्यों मान रहे हैं कि उसने जान-बूझकर ऐसी रिपोर्ट पेश की। आपका रिकार्ड बोल रहा है, वेरीफिकेशन बोल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आगे गड़बड़ नहीं हो तो पुराने में कुछ केसेज को लिया है और अन्य पर कार्यवाही करना चाहते हैं तो ईमानदारी से खुले दिल से दिमाग से कार्यवाही करवायें। हमेशा जब गलत काम को समय पर नहीं रोका जाता है तो बड़े दूरगामी परिणाम निकलते हैं। आपके यहां पर जो क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट आती है उसका कोई उपयोग नहीं। रामसिंह आयोग की रिपोर्ट आयी उसकी कोई उपयोगिता नहीं।

अध्यक्ष महोदय, अब आता है कि सीमेंट का मोटाज सही लगेगा कैनाल के अन्दर तभी वह सही बनेगी। अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों केसेज बीकानेर में पकड़े गये।

इसका मतलब है कैनाल में सही मैटीरियल नहीं लग रहा है। मैटीरियल सही नहीं है फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। कोयला आपके सूरतगढ़ से या बीकानेर से चोरी होता है साइट पर पहुंचता नहीं फिर भी आप मानते हैं कि टाइल सही बनाते हैं, कच्ची नहीं बनाते। जब कोयला आपको पूरा मिलता है वह चोरी होकर बाजार में जाता है तो आपके टाइल्स कैसे सही हो सकती हैं, आप ये समझाइये। अध्यक्ष महोदय, सी. ए. डी. के बारे में मैं पूछ लूं क्या ये भी डिमांड में आज शामिल है कि नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : आज भी है कल भी है।

श्री देवीसिंह भाटी : धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अब ये किसान को बरबाद करने पर तुले हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सी. ए. डी. क्षेत्र में खाले बनाने चालू किये इसके लिये आपके ध्यान में है कि गंगानगर से जितने माननीय सदस्य आये हुए हैं बारबार प्रश्न पूछते हैं, परन्तु समाधान कुछ नहीं होता। आज किसी भी चक में चले जाइये जब से आपके पक्के वाटर कोर्सेज बने हैं वहां सिंचित क्षेत्र कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। आप तो अब मन्त्री बन गये इसलिये कह रहे हैं। जब आप मन्त्री नहीं बने थे इसके पहले आप बोले हैं प्रोसीडिंग्स में देख लीजिये, आप स्वयं बोले हैं अब जैसी आपकी मर्जी हो फरमायें।

श्री चन्दनमल बैद : आप सदन में उधर बैठे हैं इस वास्ते।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वाटर कोर्स बनाया मतलब किसान

(श्री देवीसिंह भाटी)

को हर तरीके से लूटने पर तुले हुए हैं। होना तो ये चाहिये उसको जो सुविधायें दे रहे हैं उससे वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। एक तरफ तो आपने 35 हजार रुपये मुरब्बे की कीमत कर दी। अब खालों की आपने 1975-76 में तो कीमत रखी 7187) और व्याज उसका और साथ में किया 4236) कहां जाकर पड़ा-12 हजार। अध्यक्ष महोदय, 82-83 में ये हालत कर दी, उसकी कीमत कर दी है एक मुरब्बे के ऊपर 17625) रुपये। ये तो मूलधन है और इसका ब्याज हम क्या लेंगे 10387, यानि करीबन 28 हजार रुपये। 35 हजार रुपये, 28 रुपये और बाकी जो इनके आसपास चारों तरफ से किसान को जो घेरे बैठे हैं, मत पूछिये हाल। वाटर कोर्सेज से फायदा मिलने वाला नहीं। उनको चकों की कमेटी जो बनी उन्होंने कतई मानने से इन्कार कर दिया कि खाले सही बने नहीं हैं। फिर भी उनके ऊपर ये जो चार्जेज लगेंगे, अध्यक्ष महोदय, वे कहीं से पूर्ति नहीं कर सकेंगे चाहे वे बैंक में डाका डाल दें चाहे कहीं भी चोरी कर लें। अध्यक्ष महोदय, ये कोई विभाग चाहे सी. ए. डी. हो, किसान का हितैषी नहीं है। किसान का हितैषी यदि होता तो चक जब कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जाता संबंधित विभाग का तो उसकी आवभगत करके जय-जयकार वालते, देवता मानते। आज किसी भी किसान के पास चले जाइये गंगानगर के अन्दर, हर एक सी. ए. डी. वालों को गाली निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों एक तरफ तो आप भलाई करने जा रहे हैं उनकी फिर भी गाली निकाल रहे हैं। सारे के सारे तो विरोधी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग में हमारे मन्त्री महोदय भी हैं, नहीं बाद में मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ—

श्री अध्यक्ष : अब मैं माननीय सदस्य का ध्यान समय की ओर आकर्षित करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने पूर्व में निवेदन किया इसीलिये थोड़ा समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समय तो काफी मैंने दिया है लेकिन आपकी गति ही बड़ी मन्द रही है वर्तमान में।

श्री देवीसिंह भाटी : जब मैं जल्दी में बोल रहा था तो आपने कहा कि जरा तेज है। मैं तो आपका सुझाव मिलता है उस हिसाब से चलता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब हमारे सैकंड स्टेज में बड़ी स्थिति खराब है काश्तकारों की। वहां आपने स्वयं वह इलाका देखा है। राजस्थान मेन केनाल का राइट बैंक सारा सैंडी लूम एरिया है। अब रिकार्ड के अन्दर उसको लिख दिया लाइट लूम। अब लाइट लूम की कीमत हमको भुगतनी पड़ेगी। किसको सुनवाई करवायें, किसको निवेदन करें, कोई सुनने वाला नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि वह सारा क्षेत्र हमारा चाहे दतोर हैं, चाहे बरसलपुर है चाहे कोई भी हो उसके अन्दर टीबे हैं, सैंडी लूम हैं, कहीं ऐसी जमीन नहीं है जिसके अन्दर चाहे आप चावल पैदा करलो या ऐसी कोई फसलें आप पैदा करलो। आप स्वयं जानते हैं इसके ऊपर आप ध्यान दीजिये। पूर्व में गलती हो चुकी है लेकिन आगे वह मत भुगताओ। हकीकत में वह

(श्री देवीसिंह भाटी)

सैंडी लूम है लाइट लूम है नहीं। अगर उसी प्रकार पे आप कीमत लगायेंगे जिस प्रकार से की ता सीलिंग में भी भुगताना पड़ेगा। हर तरीके से किसान को भुगतना पड़ेगा। इसलिये कृपया आप इस ओर ध्यान करें कि हकीकत में ये लाइट लूम है या सैंडी लूम। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में तो हमारे क्षेत्र में सैटलमेंट हुआ 1955 में, उस वक्त में भी वहां जो भी अधिकारी आये चुपचाप गांव में बैठे, चाहे मुखिया के पास बैठे, चाहे जागीरदार के पास बैठे। वहीं बैठे-बैठे सैटलमेंट हो गया। हकीकत में किसान कहां काश्त कर रहे हैं, कहां उनकी आबादी है कहां वे झोपड़ा लगाकर बैठते हैं, कहां उनकी कुंडई दर्ज नहीं हुई उसके बाद में मैं बारबार निवेदन करता रहा परन्तु ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में कालोनाइजेशन ने यह क्षेत्र लिया। कालोनाइजेशन ने अपनी ओर से फिर ये किले बन्दी चालू की खसरा फिटिंग दुरुस्ती के लिये, अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि न तो पटवारी मौके पर जाते हैं और न गिरदावर। अगर आप उसको अलग से राजी कर लें तो सही बात है वरना उस किसान की कोई सुनने वाला नहीं। तो मन्त्री महोदय, आपके ध्यान में भी आया होगा यह मसला कि उस क्षेत्र में जो किसान जहां पीढ़ियों से बैठे हैं, जहां काश्त कर रहे हैं, जहां उसका झोंपड़ा है, कुंड है वहां उसको दर्ज नहीं किया गया। उसको दर्ज किया गया दूर आधा किलोमीटर दूर टीबे के ऊपर। उसके लिये एक जवाब आया पड़ा है कि क्योंकि वे पूर्व में टीबे के ऊपर काश्त करना पसन्द करते थे, अच्छी फसल होती थी और वे ताल में काश्त करना पसन्द नहीं करते थे इसलिये उस वक्त वहां टीबा लिखा गया। अब कहते हैं कि टीबे के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कोई फसल देखी नहीं टीबे के ऊपर वहां कौन हल चलायेगा, कहां ऊंट चलेगा और कहां हल चलेगा। ये इनकी मान्यता है। तो इसके ऊपर मन्त्री महोदय आप ध्यान दें, ऐसे हजारों केसेज हैं जो वहां पीढ़ियों से काश्त कर रहे हैं झोंपड़ा है उनका, आप दुबारा सर्वे करवाकर सही खसरा फिटिंग दुरुस्ती करवा दें क्योंकि दूसरी तरफ आपके अलाटमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। फिर उन दो पार्टियों का झगड़ा होगा. फिर लिटिगेशन होगा, बड़ी दिक्कतें आयेंगी, कृपया इसके ऊपर ध्यान दें। इस बारे में आपको भी ध्यान है कि हमारे दावे भी चल रहे हैं ए. सी. सी. के यहां। उन दावों के चलते हुए भी उन जमीनों के अन्दर अलाटमेंट हो चुका है। अब बड़ा झगड़ा हो गया है। एक तरफ आपने पांच विस्थापितों का परिवार तहसील नम्बर 1 और 2 में लाकर बैठा दिया है। उनको तो यह कह दिया कि आपको हम सिंचित भूमि दे रहे हैं। मौके के ऊपर सिस्टम ही नहीं बनी। आज तक बरसलपुर ब्रांच की सिस्टम डिस्ट्रिब्यूटरी माइनर बनी ही नहीं है। कहां रहा भूरा शेर, कहां रहा छिल्ला, कहां रहा पिल्लई और वहां से उठाकर आपने वहां बैठा दिया पांच विस्थापितों को। पीने को पानी नहीं और वहां से उठा करके चट से ले आये कि आपको सिंचित जमीन दे रहे हैं। पीने को पानी नहीं है, मन्त्री महोदय, आज के

(श्री देवीसिंह भाटी)

दिन तक भी। सिस्टम बना ही नहीं आपका, कैनाल ही नहीं बनी तो कहां से पानी देंगे? सिंचाई के लिये कहां से पीने देंगे? इसके ऊपर आप ध्यान दें। आपने उनको नोटिस दे दिये हैं कि आप सिंचित जमीन की किश्तें चालू कर दें। अध्यक्ष महोदय, उन पांच विस्थापितों को लेकर हमको तो कम से कम लड़ा ही दिया इन्होंने। उनको लाकर ऐसी जगह रख दिया, दावे चल रहे थे उनमें। इन्होंने लाकर अलाटमेंट कर दिया। अब उधर उनके पास में मुकदमे अलग से चल रहे है। तो मन्त्री महोदय, कृपया ध्यान दें। पांच विस्थापितों की समस्या है वे भी भुगतते हैं परन्तु उन्हें भी तकलीफ नहीं हो, पर जो पीढ़ियों से बैठे हैं उनको भी तकलीफ नहीं हो, ये भी ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, एक रकबा है पूगल तहसील का जो ऐसा रकबा है चार सौ बीघे का जिसका अता पता ही नहीं है, उसका काश्तकार कहां दर्ज है और कोई अता पता नहीं है। उसके बारे में बार बार निवेदन करता रहा हूं मन्त्री महोदय से, लिखित में भी दिया मन्त्री महोदय को, पर्सनली वे मिले हैं, परन्तु अभी तक उनको सेट्ल नहीं किया जा रहा है। ऐसी समस्याएं आयेंगी, आपके सामने बहुत उतावली है। अध्यक्ष महोदय, अब सिंचाई विभाग क्या करता है सबसे बड़ी प्राब्लेम है, अध्यक्ष महोदय, आप भी इसमें हमारी मदद करो। सिंचाई विभाग ने चक प्लान भेज दिये कालोनाइजेशन को कि क्षेत्र कमाण्ड घोषित हो गया है अब आप सिंचाई कीजिए, गेहूं बीजिये, चने बीजिये। हकीकत तो यह है कि वहां चक प्लान आये हैं, कोलायत तहसील नम्बर एक से लेकर 4 तक हैं, चाहे जैसलमेर में मोहनगढ़ का हो या नाचना का हो, वहां कोई भी इरिगेशन सिस्टम चालू नहीं है। क्योंकि इन्होंने कमाण्ड मान लिया उसी हिसाब से अस्थायी आवंटी से 25 बीघा में से आधी भूमि काट ली। इसी प्रकार दूसरों के साथ कर रहे हैं। मौके के ऊपर इरिगेशन नहीं हो रहा है तो कालोनाइजेशन विभाग आपका कर क्या रहा है मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है। क्या इरिगेशन डिपार्टमेण्ट से वह पूछ नहीं सकते थे कि कि मौके के ऊपर आपका सिस्टम नहीं बना, आपने कोई आउट लेट नहीं लगाये,, कोई सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं की और आपने पैसा चालू कर दिया। मैं इसके बारे में कई बार चीफ इंजीनियर से मिला हूं, कालोनाइजेशन कमिश्नर से भी मिला हूं, कोई स्पष्ट बात नहीं कहता। अध्यक्ष महोदय, इतना आप जरूर करवाइये, उन काश्तकारों की मदद करायें कि मौके के ऊपर सिस्टम डवलप नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में लिखकर चक प्लान जाकर पेश कर दिया कि कमाण्ड है, जमीन तैयार है, आप इस पर सिंचाई करिये। यह बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ।

अध्यक्ष महोदय, अस्थायी जो आवंटन चल रहा है उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। जब आप एक दफा अस्थायी आवंटन करते हैं उस वक्त आपका सक्षम अधिकारी तहसीलदार होता है। वह आपको पूरे सबूत देता है कि 1955 से पूर्व का राजस्थानी है कि नहीं, मेजर है कि नहीं, परिवार

(श्री देवीसिंह भाटी)

से अलग है कि नहीं, यह सारे सबूत होते हैं, फिजिक्ली आपके सामने होता है। यह सारे सबूत, तथ्य आप लेकर उसके बाद, 5 साल के बाद खारिज कर देते हो, तुम तो माइनर हो। उस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा था, तुमने खुद ने अलॉट किया है और अब 5 साल बाद कह रहे हो कि तुम तो माइनर हो, 1955 के तुम्हारे सबूत नहीं हैं। जब आप स्वयं की यह शर्तें रखते हैं, उसी के तहत अलॉटमेण्ट होता है, इसलिए कृपया, मन्त्री महोदय, ऐसे निर्देश जारी करें कि जो स्ट्रिक्टली सभी शर्तों को पूरा करे उसी को अलॉट करें। वरना बगैर मतलब उन लोगों को परेशानी होती है, बाद में वह खाली करते नहीं है, झगड़े होते हैं, आपके नोटिसेज जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक दो और, कृपया आप मुझे सहयोग दीजिए, जैसे अध्यक्ष महोदय दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह क्या करते हैं कि इन्होंने जैसे भूमि अलॉट की, भूमि अलॉट करते ही कहते हैं, जिस चक के अन्दर आउट लेट लगा दिये, एक मुरब्बे में ही 70 लोगों के चक हैं, कि कहीं भी पानी लेंगे तो हम आपकी किश्तें चालू कर देंगे। आपने किश्तें चालू करदीं। वह अगर 7 किश्तें भर चुका है परन्तु आज मौके पर नहीं भर सका है तो फट्ट आपका नोटिस आ जायेगा, क्यों नहीं आपकी भूमि कैंसिल कर दी जाय। आज एक तरफ, मन्त्री महोदय बतायें, लूणकरणसर ब्रान्च का जैसे बताया, और भी सब जगह आप पानी उपलब्ध करा नहीं रहे हो, वह किसी प्रकार मजदूरी करके लाकर अपनी किश्तें भर रहा है। फिर भी एक किश्त लेट हो जाता है तो खारिज करने का नोटिस दे देते है। तो मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, चूरू जिले के आवंटी हैं, क्या उन्होंने कभी समय पर किश्तें दी हैं? कतई नहीं दी हैं। क्या उनकी जमीनें खारिज की हैं, कतई नहीं की हैं। आपने खारिज बीकानेर और नागौर की और अन्य किसी जगह को की हैं। यह इस प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि आप चूरू जिले वालों को मत बसाइये, उनको बसाइये सहयोग दीजिये, परन्तु ऐसा बर्ताव बीकानेर और नागौर वालों के साथ मत करिये। चूरू वाले जैसे बाहर से आये हैं तो दूसरे भी बाहर से आकर बसे हैं। उनको मौका दीजिये, वह ईमानदार हैं किसान, जब वह वहां आकर बैठा है तो निश्चित तौर पर आपकी कीमत अदा करेगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिये, आपकी एक किश्त एक महीने में देर हो गयी तो उसको कैंसिल करने पर तुल जायं।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, इन्होंने एक बड़ी अजीब सी नीति चला रखी है-विशेष आवंटन, जिसके अन्दर एक तरफ तो कहते हैं कि भूमिहीनों के लिए जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसे रिजर्व कर रहे हैं, एक तरफ जो सैण्डी लूम वाले थे उनको लाइट लूम में घोषित कर दिया, एक तरफ जो बढ़िया से बढ़िया जमीन थी वह इन्होंने सवा लाख में बोली लगाकर नीलाम करनी शुरू कर दी। बढ़िया जमीन तो पैसे वालों के लिए और सैण्डी लूम हमारे लिए। इस प्रकार का भेदभाव मत करिये। पैसा आपको अगर लेना है, अगर

(श्री देवीसिंह भाटी)

लेना है, अगर आपके दिमाग में करामात है तो बहुत जगह हैं। आपके सामने उदाहरण रहा, गंग कैनाल बनी, मात्र साढ़े तीन करोड़ और मात्र ढाई साल के अन्दर। उसी से उन्होंने पैसा लिया। वहीं एक करोड़ की जमीन अलॉट करके उसका पैसा किश्तों में लिया, एक करोड़ पर ब्याज लिया, सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट अंग्रेज सरकार थी, उस से पैसा लिया, परन्तु ढाई साल के अन्दर सिस्टम तैयार कर दिया, ऐसा सिस्टम किया जिसको हम आज भी याद कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार करिये। इस प्रकार बोलियां लगाकर कुछ करना चाहते हो, नतीजा भी आपके सामने है, हो कुछ नहीं रहा है जिस प्रकार से सिंचाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और आप से कहना चाहता हूं, आप से प्रोटैक्शन चाहूंगा, हाउस के अन्दर मन्त्री महोदय ने, इन से पूर्व के नरेन्द्र सिंह जी भाटी ने हमको यह आश्वासन दिया कि जो भूमि आपकी राजस्थान नहर घटकों में अवाप्त कर ली गयी है सड़कों आदि में, उसके लिए हम जून, 82 तक मुआवजा देंगे। उसके बाद आप आये अगले साल, आपने भी आश्वासन दे दिया कि शीघ्र ही आपको मुआवजे में दूसरी भूमि दे दी जायेगी। परन्तु, मन्त्री महोदय, एक व्यक्ति के अलावा, वह व्यक्ति अंगूरू का है, किसी को भी आज तक न तो जमीन दी गयी है न कम्पंसेट किया गया है, चाहे वह अमरपुरा का हो, चाहे वह अंगूरू का हो। यह आश्वासन किस काम के ? कई तो ऐसे परिवार हैं, अध्यक्ष महोदय, विधवायें हैं बेचारी, जिनके पास एक बीघा भी काश्त करने को नहीं बची है। मेन कैनाल के अन्दर जमीन गयी। सड़क के अन्दर गयी, पक्के में गयी। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को सीरियस होना चाहिए, जब आप आश्वासन देते हैं तो उनको पूरा भी कीजिए। आप एक तरफ बड़ी ईमानदारी की डींग मारते हैं, बड़ी स्ट्रिक्टनैस की बात करते हैं, एक तरफ आपके आश्वासन पूरे नहीं होते। अध्यक्ष, महोदय इस प्रकार हमारे कुछ ऐसे दूर दराज के लैफ्ट बैंक के क्षेत्र हैं जो कि नहर से 40–40 किलोमीटर दूर हैं, कोई पानी कभी लगना संभव नहीं है, उनको भी कालोनाइजेशन में ले लिया है। कालोनाइजेशन एक ऐसा रोग है, माननीय गोकुल चन्द्र जी शर्मा कह रहे थे, ऐसा रोग लगा है कि किसान को उजाड़ने के लिए लागू करते हैं। होना तो यह चाहिए कि किसान को आबाद करने के लिए सुविधाएं देते, अच्छी तरह आबाद करते, ऐसा तो करते। नहीं है, इस प्रकार ले लिये हैं।

दूसरे जो आपने टुकड़ों में जमीन आवंटित कर रखी है उनको इकजाई करने के लिए जैसे आपने नोटिस निकाले हैं, एप्लीकेशंस ली हैं कि शीघ्र ही उनको इकजाई करेंगे। जरा-जरा से चकों में तो वह काश्त नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मैं अब कुछ नहीं करना चाहता, सिंचाई मन्त्री यहां हैं नहीं, अध्यक्ष महोदय, घग्घर बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिए हर वर्ष 70 लाख रुपये का बजट में प्रावधान कर देते हैं। अब उन 70 लाख रुपयों का कहां उपयोग हुआ ? सिर्फ मेन्टिनेन्स में। मेन्टिनेन्स का नतीजा भी पिछले सत्र में हमारे सामने आ चुका है, घग्घर कैनाल टूटी, करोड़ों की फसल बरबाद

(श्री देवीसिंह भाटी)

हो गयी, कम्पन्सेट करने का तो सवाल नहीं, 70 लाख जरूर हजम हो गये। फिर इस साल 70 का प्रावधान कर लिया, आपके इस घग्घर कैनाल में डिप्रेशंस बने हुए हैं, उल्टे आपको इससे इन्कम होनी चाहिए थी। जिस हिसाब से आपके ठेके हुए है, वह आपके ईरिगेशन डिपार्टमेण्ट के हैं, डिप्रेशन आपके हैं और फायदा ले रहा है फिशरीज डिपार्टमेण्ट, दूसरी तरफ काश्तकार का नुकसान हो रहा है, गांव उजड़ गये हैं, कैनाल टूटी है उसके लिए आपके बजट में प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा, सिंचाई मन्त्री महोदय, घग्घर कैनाल, जैसा पूर्व में आश्वासन दिया, दौरे पर भी आये लेकिन न कम्पन्सेट किया, न फायदा दिया, परन्तु आपने जो डिप्रेशन दे रखे हैं फिशरीज डिपार्टमेण्ड को, वह फायदा क्यों ले ? यह आपकी इन्कम होनी चाहिए, आपके बजट में आना चाहिए। आपको तो मिलता नहीं है और जितना भी फायदा है वह फिशरीज डिपार्टमेण्ट को होता है, करोड़ों रुपये फिशरीज डिपार्टमेण्ट ले जाता है। आप कहते हो, बजट में प्रावधान करेंगे, सिस्टम डवलप करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लास्ट में, हमारे राजस्थान नहर मन्त्री घोषणा तो बड़े जोर शोर से करते हैं, अभी एक उन्होंने बीच में क्या घोषणा की कि जो नहर में टूट फूट हो गयी है और जो उसमें इतना समय बर्बाद हुआ है, जो काम का लॉस हुआ है, पता नहीं कहां से सीखकर आये हैं, वर्षा ऋतु में उसकी पूर्ति कर लेंगे। वर्षा ऋतु में कहां से लेबर आयेगी, कहां से गाड़े आयेंगे, कहां से काम करने वाले आयेंगे ? अखबारों में ठोक दिया स्टेटमेण्ट। अरे, कुछ तो अक्ल रखो, अक्ल आपको कुछ नहीं है, बढ़िया जरूर हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ कर सकते हो।

श्री अध्यक्ष : अब आप खराब कर रहे हो।

श्री देवीसिंह भाटी : He must be practical. मैं तो सुझाव दे रहा हूं, आप ऐसी घोषणायें नहीं करें····

श्री अध्यक्ष : आज अपने बहुत ही संयम बरता अपने भाषण में।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद···

श्री चन्दनमल बैद : अन्त में सब उल्टा कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी, आप बोलना चाहेंगे क्या ?

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : जी हां।

श्री अध्यक्ष : आपने नहरी क्षेत्र की तकलीफ समझी भी है क्या अभी तक ?

श्री महाराम चौधरी : इसलिये नहीं, अध्यक्ष महोदय, तकलीफ की बात नहीं है। तब तो नहर की बात करने की भी आवश्यकता नहीं है लेकिन जब नहरों की बात सुनते हैं तो रहा भी नहीं जाता है इसलिये बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले की गजनेर डिस्ट्रीब्यूटरी तक 60 मीटर तक लिफ्ट की जा रही है उसको यदि 100 मीटर और बढ़ा दिया जाय तो नागौर तहसील, जायल तहसील।

श्री अध्यक्ष : उनकी तकलीफों में आप भी भागीदार होना चाहते हैं क्या ?

श्री महाराम चौधरी : सुख-दुःख में सब शामिल ही रहना चाहते हैं और उसके बाद भी कोई बात रहेगी तो थोड़ा सा आनन्द रहेगा। दूसरे बीकानेर, जैसलमेर अकेला मुकाबला नहीं कर सकेगा, नागौर साथ आ जायेगा तो डटकर सामना करेंगे, सरकार की बात चलने नहीं दी जायेगी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, गजनेर नहर को 100 मीटर तक लिफ्ट की जाकर नागौर तहसील, जायल, नोखा तहसील में कृषि के लिये पानी उपलब्ध कराया जाय। जो पानी था उसको कहीं चन्दनमल जी अपने ने क्षेत्र तारानगर में ले जाकर पीने के पानी की व्यवस्था कर ली और बीच में जितने भी आपके रावतसर के गांव हैं करीब 75 किलो मीटर को इसमें छोड़कर अपने यहां पानी ले गये। यह तो आपने उपलब्धि कर ली और हमको पीने का पानी से महरूम कर दिया।

राजस्थान कैनाल के निर्माण के मामले में जिस तरह के घटिया निर्माण कार्य, जिस तरह से सीमेन्ट की चोरी, मिट्टी की भराई करने के अन्दर हल्की मिट्टी काम में लेना इस तरह के जो...

श्री अध्यक्ष : आप कभी राजस्थान कैनाल पर तो गये या नहीं ?

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल पर तो मैं गया नहीं और झूठ मैं कहता नहीं लेकिन जैसा सुनता हूं वह काफी है...

श्री अध्यक्ष : सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिये।

श्री महाराम चौधरी : चन्दनमल जी भागीरथ तो बनने के लिए तैयार हो गये, अपने यहां तो व्यवस्था कर ली, नहर सुधार के लिये काम नहीं किया, अपने खुद का पानी उतार लिया, जो पानी थोड़ा बहुत था वह पानी भी उतर गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की अनियमिततायें और घटिया निर्माण कार्य के होते हुये भी उन लोगों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ? अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही इन्होंने की नहीं तो किस बात की बख्शीश देते हैं ? मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने चोरियां की हैं, अनियमितता बरती हैं उन सभी इंजीनियर्स को निलम्बित ही नहीं करें बल्कि इन्होंने जो नाजायज पैसा कमाया है, बड़े-बड़े बंगले और कार हैं और सब तरह की चीजें हैं, जायदाद हैं उनसे पैसा वसूल करके नागौर में नहर लाने के लिये उस पैसे को काम में लेना चाहिये।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, उनके

(श्री महाराम चौधरी)

अन्दर जो टैक्नकल आदमी हैं, वह पढ़ा है, जो किताबों में लिखा है लेकिन संस्कार इस तरह के नहीं है। इसलिये संस्कार जब तक नहीं होते हैं तब तक काम कोई होता नहीं है। आदमी के दिल में संस्कार से काम करने की प्रवृति होती है। आज इंजीनियर्स की हालत यह है, अध्यक्ष महोदय, कि नीचे झुक कर फावड़े की तरफ या मसाले की तरफ देखते नहीं हैं कि सीमेन्ट और बजरी में मिलावट है। उसको टैस्ट करते नहीं हैं, किसी मशीनरी के पास जाते नहीं हैं, जो किस तरह से अपने आप मसाला और ईंट जोड़ मिला लेती है। ये मसाले के अन्दर, कीचड़ के अन्दर हाथ डालना नहीं चाहते है क्योंकि इनकी काम करने की प्रवृत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हम सुनते आये हैं कि रामनारायणजी चौधरी को इस तरह के काम करने के अन्दर लज्जा नहीं आती थी। वह एक हाथ में मसाला और एक हाथ में डंडा रखते थे...

श्री चन्दनमाल बैद : रामसिंह कमेटी में उनका भी नाम है,

श्री यदुनाथ सिंह : और किस-किस का नाम है, एक का नाम तो आपने बता दिया ?

श्री महाराम चौधरी : उनका नाम हो सकता है। मैं यह नहीं कहता। उनके काम करने का तरीका शायद आपको पसन्द नहीं हो लेकिन मुझे पसन्द है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ-साथ छोटे-छोटे माइनर इरिगेशन के वर्क्स हैं, नाले भी हैं, उन जगहों पर तालाब और बन्धे हैं उनका पानी रोक कर 3-3 साल बाद।

श्री अध्यक्ष : बून्द-बून्द से खेती करने की...

श्री महाराम चौधरी : बून्द-बून्द से खेती करने की बात नहीं, अध्यक्ष महोदय, वह अव्यावहारिक है। उसकी तरफ अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा आयेगी और रिटर्न उसका कुछ नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत छोटे-छोटे बान्धों का काम किया गया। करीब 2 700 काम हाथ में लिये गये लेकिन उनमें से 832 काम सम्पूर्ण होने की बात सिर्फ कागजों में बतायी गई है। मौके पर शायद वह भी सम्पूर्ण नहीं हों। इसलिये पहले उन 832 कार्यों को मौके पर ठीक किया जाय और दूसरे नम्बर पर 2700 कामों को हाथ में लिया गया था उनको पूर्ण कराया जाय।

अध्यक्ष महोदय, नहर बन्धे के लिये एक जबर्दस्त बड़ा भारी जलसा किया गया और उसके साथ-साथ एक शिलान्यास भी करा दिया गया। आज वह बान्ध का काम अधूरा पड़ा है। उसके साथ-साथ जिन लोगों ने मजदूरी की, ट्रेक्टर्स से काम किया, इंजन

(श्री महाराम चौधरी)

से पानी लाकर वहां पर दिया उन बेचारों को पैसा नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत में आया होगा।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत में तो मजदूरी के लिये किया था। जब किया था पैसा मिला नहीं···

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत की जब मांग सदन में आये उस वक्त यह प्रश्न उठायें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बान्ध का काम इरिगेशन का वहां पर था, मुझे तो सुनने में यह आया है कि उन लोगों को मजदूरी और ट्रैक्टर का पैसा इसलिये नहीं मिला कि ए. ई एन. और एक्स. ई एन. में आपस में कुछ अनबन थी या ए. ई एन. कुछ खाना चाहता था या एक्स. ई एन. कुछ खाना चाहता था, दोनों की आपस में पटरी मिली नहीं, इसलिये जो काम किया गया उसका 50 हजार रुपया आज भी बाकी है। इसलिये सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने शिलान्यास तो कर दिया, आपने नाम भी लिखा लिया लेकिन उन लोगों को पैसा दिलाने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : अमराराम, बोलना चाहेंगे क्या ?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जी,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के बाद में मन्त्री महोदय अपना उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गांव में एक कहावत है कि जब घी ढुलता है तो···

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी 2 मिनट का समय दिया जाय, जयपुर जिले को भी अवसर दिया जाय। जयपुर जिले का मैं एक ही आदमी बोलने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष : 2 मिनट में आप अपनी बात कह देंगे तो···

श्री छोगालाल कंवरिया (बूटू) : अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट का समय मुझे भी दिया जाय। मैं भी जयपुर जिले का हूं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : कभी-कभी बोलने वाले माननीय सदस्य को अवसर दिया जाय।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद में सिंचाई के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। राजस्थान नहर और फतहसागर, माही बजाज सागर बान्ध और चम्बल परियोजनायें और कई ऐसी परियोजनायें है।

श्री अध्यक्ष : नजदीक वाले बान्धों से ही शुरू करें। किसलिए माही सागर और फतहसागर की बात करते हैं, बहुत दूर की बात है।

श्री अमराराम चौधरी : बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन मैं पश्चिमी राजस्थान की सिंचाई की कुछ प्राब्लम्स के बारे में अर्ज करूंगा।

जहां तक हमारे छोटे-छोटे तालाब और एनीकट्स जो सरकार ने अकाल के अन्दर बनाये हैं यह मैंने अनुभव किया है कि जहां एनीकट बने हैं वहां पर एक-दो बारिश में ही बहुत अच्छी फसल उनसे हुई है। मैं मानता हूं कि आज जहां पर नहरें नहीं आ सकती है, तालाबों से पानी आता हो, नदियों में पानी नहीं आता है तो ऐसे क्षेत्रों को सिंचाई विभाग अपने हाथों में लें। वैसे भू संरक्षण विभाग है वह भी काम कर रहा है लेकिन सिंचाई विभाग ऐसे इलाकों को जो सूखे इलाके हैं,

(8.30 रात्रि)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पीठासीन)

हाथ में लेकर के हर क्षेत्र की धोरा पानी करनी चाहिये ताकि नहरों के आने से, उसके जरिये से पैदावार बढ़ सकती है। दूसरा, मैं यह निवेदन करूंगा कि लूनी जो नदी है कई वर्षों से यह चल रही है लेकिन इसका पानी कच्छ की खाड़ी में हमेशा फालतू जाता है। हम अन्तरिक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, साइंस का इतना विकास हो गया है लेकिन इस लूनी नदी के पानी का कोई उपभोग नहीं हो रहा है। ठीक है, आस पास के जो इलाके हैं, कुए हैं, नदी के कारण पानी आ जाता है लेकिन फालतू जो पानी जा रहा है कच्छ की खाड़ी में उसको रोकने का प्रयास करके बाड़मेर जैसे इलाके में जहां सिन्दरी के आसपास और इतना बड़ा एरिया है पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां पर पानी को लिफ्ट करके या कोई बांध बनाया जाय ताकि जो फालतू पानी है उसका उपभोग किया जाय। वैसे हमारी पैदावार बढ़े, हमारी उपज बढ़े, उसके लिए जगह-जगह पर सरकार ने बांध बनाये हैं और हमारे यहां भी कीटनोद बांध, और मलिया बांध और पाली जिले के अन्दर नहरा बांध जो है, अकाल राहत कार्य में तैयार किए लेकिन वो अधूरे पड़े हैं, आज जहां बीस बीस हजार बीस-बीस लाख और 30 तीस लाख कहीं तीन लाख कहीं दो लाख रुपये जो सरकार ने व्यय किये हैं उसके बावजूद भी क्या है कि वह बांध है, तीन साल लगातार काम करने के बाद भी वैसे ही पड़े हैं उनमें पानी नहीं ठहरता है। मैं चाहता हूं कि अकाल राहत के जो कार्य कराये सिंचाई विभाग के जरिये से, अब ठीक है अकाल नहीं, लेकिन हमारे बीस लाख रुपये की लागत लगी, तीन लाख रुपये की लागत लगी है, इन छोटे-छोटे बांधों को सिंचाई विभाग हाथ में ले। वरना उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। ऐसे जो बांध आप निर्माण करेंगे और बाद में वह बिखर जायेंगे, साल दो साल के बाद में, कहीं पत्थर लेकर चला जायगा, कहीं सीमेन्ट जो वहां पर लगाया है उसका कोई भी अवशेष आपको दो तीन साल के बाद में नहीं मिलेगा। आपने कीटनोद बांध पर जो पिछले साल में काम कराया उससे पहले साल भी काम किया लेकिन ज्यों ही बरसात हुई और पानी उसमें आया, जो आपने काम किया था वह सारा काम साफ हो गया था। वापिस फिर इस साल दुबारा उसके लिये ट्रेक्टर चला करके, मशीनें चला करके आपने उसकी दीवार को बनाया, तो वह भी दीवार इस वर्षा ऋतु के

(श्री अमराराम चौधरी)

अन्दर नष्ट हो जायगी। जो आपने काम कराया तो ऐसे बांधों का काम अधूरा हम छोड़ते हैं जिससे हमारी सरकार के धन का दुरुपयोग होता है। हम आगे नये काम लेते जाते हैं लेकिन जो पुराने काम हैं उनको हम छोड़ जाते हैं जिसके कारण हमारे धन का बहुत ही दुरुपयोग होताहै। वह भार हमारे राजस्थान की जनता पर पड़ता है। इसके अलावा हमारी लूनी नदी का जो मास्टर प्लान बना, जगह-जगह मार्जिनल डेम बनाये, लेकिन जो कुछ स्पर्ट आपने बनाये अकाल राहत के अन्दर उन स्पर्ट को आपने पूरा नहीं किया। आपने ठेकेदार को ठेका दिया उसने कहीं पत्थर लगा दिया और काम अधूरा छोड़ दिया। आपने दो लाख रुपये लगाये, फिर ज्योंही लूनी नदी के अन्दर पानी आया वह गायब हो गया। अब दो लाख लगा या डेढ़ लाख लगा उसका काम चालू था, यकायक पानी आ गया फिर वह स्पर्ट पानी के अन्दर बह गया और ठेकेदारों ने उसका पेमेन्ट उठा लिया। इस प्रकार के कई उदाहरण आपके सामने है। तो जो काम हाथ में लें, उदाहरण के लिए, रानीदशीपुरा के स्पर्ट के बारे में बताऊं जो सिवाना तहसील में है वह स्पर्ट लास्ट ईयर बना, कुछ काम हुआ, एक स्पर्ट आपने और बनाया लेकिन उस पर पत्थर नहीं लगे, खाली मिट्टी का ढेर लगाया और पत्थर लगाने से पहले नदी आ गई तो वह भी बह गया। जब तक ये जो स्पर्ट लगा रहे हैं आप वह पूरा नहीं करेंगे तब तक क्या है न तो स्पर्ट बनाने से पानी रुकेगा और न किसानों के किनारों पर जो खेत हैं उनकी कटाई रुकेगी। तो यदि रानीदशीपुरा के स्पर्ट का काम फिर से आप शुरू करेंगे जब बरसात के दस पन्द्रह दिन रहेंगे तब आप फेमिन में उसका काम करायेंगे और उस पर एक लाख रुपया लगा देंगे, फिर नदी आ जायगी और वह काम पूरा नहीं होगा और वह नष्ट हो जायगा। तो रानीदशीपुरा का स्पर्ट जब तक पूरा नहीं होगा, आसपास के सारे किसानों के खेत में जहां हम सिचाई के जरिये दूर से नहर ला करके, वहां पर बांध बना करके, तालाब बना करके सिचाई के साधनों से पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी उपज को बढ़ाना चाहते हैं तो जहां आपके पचास साठ कुएं हैं, गिरवा गांव हैं रानी रानीदशीपुरा का गांव है, इस लूनी में थोड़ा सा भी पानी आयेगा, सभापति महोदय, जब नदी के अन्दर कम पानी आता है, जब नदी के अन्दर पूरा फुल पानी आता है जब नदी का कटाव नहीं होता और जब नदी में चार फीट पांच फीट पानी आता है तो बहुत ज्यादा कटाव होता है उसी के कारण से खेत के खेत सैंकड़ों बीघा भूमि है वह इस लूणी नदी के कटाव में बह जाती है। तो मैं आपके जरिये से हमारे मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो स्पर्ट लूणी नदी पर अधूरे हैं उनको अभी से फेमिन में जरूर बनायें। लेकिन बनाएं सिचाई विभाग में क्योंकि जो भी बांध आपने शुरू किये चाहे नेवड़ा का बांध हो, चाहे गिरनोट बांध हो, चाहे बरिया का बांध हो, उन पर आपने पैसा लगाया और यदि उनका आप काम पूरा नहीं कराओगे तो वहां जो पैसा लगा है वह आने वाले दो तीन सालों में वह काम आपको बिल्कुल दिखेगा नहीं और वापस नये सिरे से आपको काम करना पड़ेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं यही मांग करता

(श्री अमराराम चौधरी)

हूं कि जो बांध अधूरे हैं उनको शीघ्र पूरा कराया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भैरूंलाल भारद्वाज। माननीय सदस्य, पांच मिनट का वक्त है आपके लिये, कृपा करके पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): आदरणीय, मैं एक तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पांच डिवीजन हैं जिनमें चार डिवीजनों में तो राजस्थान के सिंचाई विभाग की अत्यन्त मेहरबानी है और एक दुर्भाग्यपूर्ण डिवीजन जयपुर का है जिसमें सिंचाई विभाग का वर्षों से ध्यान ही नहीं जाता है। उसमें आठ जिलों में, और उन आठ जिलों में जयपुर जिले का अत्यन्त दुर्भाग्य है, जिसकी आबादी जैसा मैंने निवेदन किया, राजस्थान का 1/10 है और जिसका कन्ट्रीब्यूशन राजस्व में राजस्थान के बजट का 1/6 अकेला जयपुर जिला देता है। इसके बावजूद सिंचाई विभाग की ओर से जयपुर जिले के लिये बिल्कुल शून्य, जीरो। मैं अगर यह कहूं कि जयपुर जिले के अन्दर पहले जो रियासती काल के बांध थे उनकी भी स्थिति बिगड़ी हैं, नये बांध बनाये नहीं नहीं गये और उसमें भी मैं जमवारामगढ़ क्योंकि आप समय की कमी की बात कहते हैं तो मैं डिवीजन से जिले का और इससे भी कम बात कहनी है तो अपने चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देकर आपको इस डिवीजन और जिले की बात बताना चाहूंगा। जमवारामगढ़ तहसील के अन्दर रियासती काल से तीन-चार बांध बने हुए थे। उनमें से जो बड़ा बांध जमवारामगढ़ था वह तो सिंचाई के लिये ले लिया। अफसोस यह है कि उसकी एवज में सिंचाई के लिए एक धेले का काम नहीं किया गया। स्थिति आज यह है कि सारा पानी बहकर बाहर निकालता है और आज कुओं में दो-दो घण्टे मोटर नहीं चलती है। यह स्थिति उस बढ़िया तहसील की, उस जयपुर जिले की स्थिति यह है कि वहां कुओं से केवल सिंचाई होने वाली बात आ रही है। लोग तो करोड़ों की और अरबों की बात करते हैं, माननीय सभापति महोदय, मुझे उससे कोई जलन नहीं है। राजस्थान का भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है, किसी भी इलाके के अन्दर हो रहा है पर इसका अर्थ यह नहीं कि एक तरफ करोड़ों-अरबों रुपयों की बात की जाय और दूसरी तरफ यह बात, सुनकर हमें तो अचम्भा होता है। हम छोटे-छोटे एनीकट्स की बात करते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा तीन लाख चार लाख रुपये और अगर एक चुनाव क्षेत्र में आप बीस बसा दें तो बहुत कल्याण हो, यनि दो-दो, तीन तीन लाख के केवल 15–20 एनीकट्स बनाने से सारी तहसील के कुओं में पानी होना हो। यह बात कहते थे, पहले तो एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता कहते आ रहे थे लगातार 35 साल से और चाल सार से विधायक होने के कारण कहते आ रहे हैं। दूसरा यह है कि माननीय सिंचाई मन्त्रीजी उसको महसूस भी करते हैं।

वहां पर मुख्य मन्त्रीजी ने जयपुर जिले के भानपुरकलां में कांग्रेस का शिविर लगा था तब यह घोषणा की थी कि जयपुर जिले में खास तौर से छोटे एनीकट बनाने के लिये हम सर्वे पार्टी भेज रहे हैं। पर,

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

सभापति महोदय, मुझे तो वह सर्व पार्टी अभी तक कहीं पर नजर नहीं आयी। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आखिर वही बात है कि मोरियो नाचे कूदे तो खूब, पर जब अपने पगां ने देखे तो रोवे। बहुत इच्छा होती है कि राजस्थान सरकार के कामों की तारीफ करें। मन में आता है कि राजस्थान के विकास और राजस्थान में दूसरी जगह पर सिचाई के जो काम होते हैं उसकी तारीफ करें। हमारे सिचाई मन्त्री जी भी बहुत एक्टिव हैं, पर क्या करें, मोर नाचता कूदता तो बहुत है पर पैरों की तरफ देखता है तो रोता है, वह आंसू बहाता है। मोर अपने रंग रूप को देखता है तो खुश होता है पर अपने पैरों की तरफ देखकर रोता है। ठीक उसी तरह से जब हमारे घर पर जाते हैं तो दो घण्टे बाद पानी चला जाता है। जब हम अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि हम आपके इस बजट को क्या चाटें, आज चार वर्ष हो गये, आप एक पैसा तो सिंचाई के लिये अपने क्षेत्र में खर्च नहीं करा सके। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कहावत है कि मुई खाल की हाय से लोहा भस्म हो जाय। तो जैसे मरी हुई खाल की हवा से लोहा भस्म हो जाता है, उसी तरह हमारे जयपुर जिले और हमारे क्षेत्र के साथ अत्यन्त अन्याय होता है। हमारा दम घुट गया है। और अब तो, सभापति महोदय, स्थिति यहां तक आ गयी है कि जो जयपुर जिले की आबादी कभी खुशहाल थी, जयपुर जिले की तहसील खुशहाल थी, अब खेती के मामले को लेकर हम धीरे-धीरे इतने नीचे इन वर्षों में आ गये हैं कि अब तो यह सोचना पड़ेगा कि हमारे जिले का क्या होगा सिंचाई के मामले में।

सभापति महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन करता हूं, भीख नहीं मांगता हूं, अपने उस इलाके के लिए जो कि इतना बड़ा है कि हमारे प्रान्त के बजट का बहुत बड़ा भाग देता है, राजस्व देता है। उसकी जनता को सिंचाई के अन्दर भागीदार नहीं बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो नदी-नाले हैं उन पर एनीकट दो-चार बनाये जायं। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, आपको एक साथ अरबों रुपयों या करोड़ों रुपयों के बजट की बात करके तंग नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कुछ लाख का बजट अगर आप देकर थोड़ी सी कार्यवाही शुरू कर दें तो हम भी तारीफ करें कि आप हमारे जयपुर जिले की सिंचाई की समस्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं। यह बात ठीक है कि जयपुर जिले में दूसरे काम हुए हैं। पर दूसरे कामों से क्या, सिंचाई के मामले में हमारे ग्रह गोचर राजस्थान सरकार से मिले नहीं। मुझे कोई पन्डित को बुलाकर पूछना पड़ेगा पर मेरी तो मुश्किल यह है, सभापति महोदय, कि मैं ब्राह्मण होते हुए भी किसान और गंवार पन्डित हूं, मुझे मुहूर्त और पत्रियां मिलाने की बात नहीं आती है। इसमें तो मुझे चूरू वाले पन्डितजी को बुलाकर पूछना पड़ेगा कि जयपुर जिले के सिंचाई विभाग से ग्रह गोचर क्यों नहीं मिलते हैं। जैसे छोरा छोरियों के मामले में ग्रह गोचर मिलाते है और अगर किसी के नहीं मिलते हैं तो फिर रोजमर्रा उनके खटपट चलती रहती है। तो इसलिये मैं यह निवेदन करना

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

चाहूंगा कि आखिर हमारा कसूर क्या है ? आखिर जयपुर जिले ने क्या अपराध किया है। जयपुर जिले के लोगों ने क्या बुराई की है कि हम प्रगति के बजाय वापस उल्टे जा रहे हैं और वह भी कांग्रेस के राज में जहां कांग्रेस के राज्य में किसान हमेशा खुशहाल रहता है। वैसे काफी हमारे यहां पर भी विकास के काम हुए हैं, पर जहां तक पेट का सवाल है, सभापति महोदय, अगर स्कूल कम खोलें तो कोई बात नहीं, काम चल जायेगा कि, भाई, अब नहीं तो बाद में पढ़ लेंगे। थोड़ा कम पढ़े तो कोई बात नही। अगर इलाज का मामला हो तो कोई बात नहीं, कम अस्पताल खुले हों, पर साहब जब पेट का सवाल हो, जब पेट काटने की बात हो तब हम क्या करें। वैसे यह कह दें कि जयपुर में उद्योग धन्धे खुले हैं पर मैं बात जयपुर शहर की नहीं कर रहा हूं, मैं तो देहात की बात कर रहा हूं, वहां पर कौन से उद्योग धन्धे खुले हैं। वहां पेट भरने की बात है, जब पेट काटता है तो फिर क्या करें। आप कह दें कि हमने आपके यहां पर विकास किया है तो यह तो वह वाली बात है कि जैसे एक बाबाजी बैठे थे उन्हें किसी ने पूछा, बाबाजी बाटी खा रया छो तो वो बोले, बेटा बाटी तो गन्डकों से छुड़ाई। मुश्किल यह हो रही है कि वह वाली बाटी जो गन्डकों से छुड़ाई वह बात भी जयपुर जिले में नहीं आ रही है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सिंचाई मन्त्री काफी समझदार हैं, काफी एक्टिव भी हैं और हम मन्त्रीजी को बार बार कहते हैं कि आप थोड़ा तो हमारी तरफ भी देखें, थोड़ा तो हमारे कहने से कुछ काम करवा दें, हमारे यहां पर भी सिंचाई के काम शुरू करवा दें। सभापति महोदय, यहां पर कुछ दिनों पहले यह कहा गया कि एक कानोता का बान्ध मन्जूर हुआ। पर वह भी डाइरेक्ट सिंचाई नहीं करता, उसमें नहरें नहीं निकलेंगी, वह तो जयपुर के शहर के पीने के पानी को सप्लाई के लिये आप कर रहे हैं। उस दृष्टि से जैसा कि मैंने कहा, डाइरेक्ट नहरों की गुंजाइश नहीं है बल्कि उससे तो ढूंढ नदी पर जो पानी ऊपर इकट्ठा हो जाता है वहां पर जो एनीकट बनाये जा सकते हैं वह भी नहीं बनाये जा सकेंगे। क्योंकि वहां पर वही कैचमेन्ट एरिया की बात आ जायेगी और उससे वह एनीकट नहीं बन सकेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जो एनीकट हमने श्रमदान से या अकाल राहत कार्य के तहत बनाये थे, जो हमारी पंचायत समिति के माध्यम से बने थे, पिछले तीन साल से जो बांध टूट गये थे वह एक भी बान्ध नहीं सुधरा। सभापति महोदय, बाढ़ के नाम पर केन्द्र से 45 करोड़ रुपये आये, बाढ़ राहत के नाम पर पैसा आया पर पता नहीं वह कहां गया। हमारे यहां पर एक भी पैसा नहीं लगा। तो जैसा कि मैंने कहा शायद ग्रह गोचर नहीं मिले सिंचाई विभाग से। इसके लिये जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने ठीक ही कहा था कि दस बान्ध टूट गये पर एक भी बान्ध नहीं सुधरा। सभापति महोदय, मेरे इलाके में बन्ध टूट गये पर एक भी बांध नहीं सुधरा। हमें एक भी पैसा नहीं दिया गया और एक भी छोटा-मोटा एनीकट नहीं बना। अब स्थिति खतरनाक हो गयी है, बहुत ही दयनीय स्थिति हो गयी है। सभा-

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

पति महोदय, एक स्थिति ऐसी थी जब कि एक कुएं से 20 बीघा में काश्त होती थी वहां अब एक कुएं से 8 बीघा में काश्त होती है। आठ बीघा काश्त भी ऐसी होती है कि पानी की वजह से काफी नुकसान होता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें। वैसे आपने बजट के आंकड़ों में तो कह दिया कि जयपुर जिले के लिये, नवीनीकरण के लिये, छापरवाड़ा बांध जो कि जयपुर जिले की दूदू तहसील में है और एक कालेसरा बांध जो कि जयपुर जिले में हैं उसमें आप नवीनीकरण के लिये पैसा दे रहे हैं पर विरोधी पार्टी के नेता महोदय ने जनता पार्टी के राज में हांडा साहब की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये कहा था, उन्होंने लाखों रुपये की लूट की थी और अब नवीनीकरण के मामले को लेकर दो, तीन बांधों के नाम से लाखों रुपये खर्च करने की बात चल रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह दूसरी बात है पर मैं यह कहना चाहूंगा कि सिंचाई के मामले में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाये हैं। इसलिये मैं सिंचाई मन्त्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा जयपुर जिले की ओर ध्यान दें और उनको प्रसन्न करने के लिये कोई पन्डितजी को बुला कर तन्त्र मन्त्र की बात करें जिससे हमारे यहां पर सिंचाई की बात हो। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य। केवल पांच मिनट में, माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें। पांच मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, चम्बल परियोजना के बारे में निवेदन है। सभापति महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है और हमारे यहां पर कभी सूखे के कारण और कभी अतिवृष्टि के कारण कृषि की फसल नष्ट हो जाती है। इस समस्या को कैसे समाप्त किया जाय ? उसके लिये सिंचाई के साधनों से फसलों की वृद्धि की जाय जिससे जन का जीवन सुखमय बनाया जा सके। सभापति महोदय, हमारे प्रान्त में वृहद सिंचाई योजनाएं, मध्यम सिंचाई योजनाएं और लघु सिंचाई योजनायें चलती हैं। सभापति महोदय, कोटा जिले और बून्दी जिले में सिंचाई के लिये चम्बल सिंचाई परियोजना एक एक्ट के माध्यम से सन् 1953 में लागू की गयी थी। यह चम्बल परियोजना देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, यह एक बहुद्देश्यीय योजना है और इससे सिंचाई और विद्युत का काम होता है। इसके बांध से सिंचाई होती है तथा बिजली का भी उत्पादन होता है। कोटा बैराज से यह सिंचाई होती है। इस सिंचाई परियोजना में भूमि का लेवलिंग नहीं होने के कारण और तत्परता से काम नहीं होने के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। इसलिये सन् 1973 में चम्बल परियोजना एक्ट के अन्तर्गत एक चम्बल क्षेत्रीय विकास आयुक्त का पद स्वीकृत किया गया जिसके तहत सिंचाई, कृषि, राजस्व, सहकारिता और वन तथा वृक्षारोपण के कार्य और सड़क के निर्माण

(श्री हीरालाल आर्य)

के काम किये गये । सभापति महोदय, इससे कोटा, बून्दी का विकास होता पर, सभापति महोदय, कोटा बून्दी का विकास यह सरकार पसन्द नहीं करती है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय फेज में जो काम होना था, उसमें प्रथम फेज का अन्तिम कार्य पूर्ण होने की तिथि सन् 1980 थी, वह नहीं हो सकने के कारण उसको बढ़ा कर जून, 1982 कर दिया गया। द्वितीय फेज में जो काम था उसके कार्यान्वयन के लिए 1982-83 में काम प्रारम्भ किया जाना था लेकिन 1982-83 में कौन-कौन से काम लिये जायें, कितने अधूरे बचे हैं उनकी योजना में ही समय निकाल दिया गया। द्वितीय फेज में जो काम थे वह 1983-84 से फिर प्रारम्भ किये जाने चाहिए थे। द्वितीय फेज के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से 106·76 करोड़ की योजना बनाई गई, लेकिन वित्तीय अभाव की वजह से इस योजना को केवल 86 करोड़ रुपये का कर दिया गया। इसके पश्चात् द्वितीय फेज के काम में केवल 50 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा। द्वितीय फेज प्रारम्भ करने का वर्ष 1983-48 था, जैसा मैंने निवेदन किया पर द्वितीय योजना का कार्य शुरू हो इसकी स्वीकृति भी अभी तक नहीं मिली है। कोटा और बूंदी के विकास की एकमात्र परियोजना सी. ए. डी. जिसकी अपने राजस्थान प्रान्त के अलावा दूसरे प्रांतों ने भी प्रशंसा की और विश्व बैंक की टीम ने भी इस काम को देखकर इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, लेकिन पता नहीं क्यों राजस्थान सरकार ने इस सी. ए. डी. को, इस महत्वपूर्ण योजना को जिसकी सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, बन्द करने का निर्णय लिया। कोटा और बूंदी जिले का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा इसलिए कि राजस्थान के वित्त मन्त्री बूंदी के होते हुए सी. ए. डी. जैसी महत्वपूर्ण योजना को बन्द कर देना इस इलाके के साथ भयंकर अन्याय है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सी. ए. डी. के द्वितीय फेज के काम प्रारम्भ करने का निर्णय सरकार ने स्थगित रखा है उसके फलस्वरूप वहां के विभिन्न प्रकार के डिवीजन्स थे, जो कार्यालय थे उनको धीरे-धीरे समाप्त किया गया। फलस्वरूप इस इलाके का जो विकास होना था वह तो अवरुद्ध हुआ ही, वहां काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गये। दर-दर भटकते फिर रहे हैं। वहां के कर्मचारियों को यह सरकार आश्वासन बार-बार देती रही। सी. ए. डी. के मन्त्रीजी भी वहां पर पधारे थे और बृज सुन्दर शर्मा जी जो उस इलाके के हैं, वे भी वहां पधारे थे, वे बार-बार कहते रहे कि हम आपको कहीं न कहीं समायोजित करेंगे। उनको राजस्थान नहर में समायोजित करने के नाम पर भेज दिया। हमने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बात उठाई थी, वहां उनको काम नहीं दिया वे वापस आ गये और दर-दर भटकते फिर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सी. ए. डी. के बन्द करने से एक तरफ उस इलाके का विकास अवरुद्ध हो गया, दूसरी तरफ जो कर्मचारी थे वह बेरोजगार हो गये हैं। एक तरफ आप रोजगार देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो योजनायें विश्व बैंक की सहायता से चलती थीं उनको समाप्त कर रहे हैं। इस वर्ष 1984-85 में चम्बल परियोजना में

(श्री हीरालाल आर्य)

693·33 लाख रुपये राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये थे लेकिन आपने उसमें केवल 140 लाख रुपये प्रथम चरण से सम्बन्धित जो काम बचे हैं उनको पूरा करने के लिए दिये हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। केवल भूमि सुधार के काम और अधूरे कामों को पूरा करने के लिए इतना पैसा खर्च किया जायेगा, बाकी जो दूसरे काम हैं वह उससे नहीं हो पायेंगे। सभापति महोदय, है इस वर्ष सिंचाई के या इस चम्बल परियोजना के इतिहास में यह दुर्भाग्य का साल रहा कि कोटा और बूंदी जिले के किसानों को समय पर पानी नहीं मिला और समय पर पानी नहीं मिलने की वजह से उनकी फसलें सूख गईं और किसान बर्बाद हो गया। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको सरकार मुआवजा दे और उनसे सिंचाई कर वसूल नहीं करे, मैं यह भी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा हमेशा कोटा-बूंदी में नहर से पानी नहीं मिलने की समस्या रहती है उसका कारण गांधी सागर का केचमेंट एरिया है जिसमें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा छोटे-छोटे कई बांध बना दिये गये हैं। हमारी यह सरकार तो दुर्बल है और मध्यप्रदेश की सरकार को बाध्य नहीं करती है। सरकार अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए मध्यप्रदेश की सरकार को बाध्य करे कि जो हमारा पानी रोक रहे हैं वह हमें समुचित रूप से दिया जाए और यदि यह सरकार उसको रोकने में सक्षम नहीं है तो कोटा बैराज से दाईं व बाईं मुख्य नहर चलती है, बाईं मुख्य नहर से अधिक एरिया सिंचित होता है। जितना पानी हमारे छोटे-छोटे बांध बनाकर गांधी सागर के केचमेंट एरिया में मध्य प्रदेश की सरकार ने रोक रखा है, सरकार को यह चाहिए कि मध्य प्रदेश में जितना पानी उन्होंने हमारा रोका है और उस पानी की कमी के कारण हमारे किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो जो पानी दाईं मुख्य नहर से जाता है, आप उसको रोकें और राजस्थान के किसानों को, कोटा बूंदी के किसानों को पर्याप्त पानी दें। यदि आपने समय रहते व्यवस्था नहीं की...

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : तो वहां का किसान हमेशा पानी की समस्या से इतना उद्वेलित रहता है कि मजबूर होकर उसको आन्दोलन करना पड़ेगा और मांगरोल में दीवार बना कर पानी रोकना पड़ेगा। इसलिये समय रहते आपको यह व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : उस इलाके में जो नहरें बनी हैं वह पुराने समय से बनी हुई हैं। आधुनिकीकरण, सरकार नये बांध तो बना नहीं सकती लेकिन आधुनिकीकरण के माध्यम से रिमोल्डिंग करके जिसमें चम्बल बैराज को ऊंचा उठाने का काम है, हमारे इटावा ब्रांच कैनाल का हैड ऊंचा करने का काम है, लाइनिंग का काम है और विभिन्न प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटरी जिसमें छापोर, लक्ष्मीपुरा और कांकड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, जहां रेल पर पानी कभी पहुंचता नहीं है, इनका रिमोल्डिंग किया जाकर उस इलाके में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करना चाहूंगा कि चम्बल की दाईं और

(श्री हीरालाल आर्य)

बायीं मुख्य नहरों से, वहां कई इलाके हैं आज तक जहां सिंचाई नहीं होती है, जनता सरकार के वक्त उस असिंचित क्षेत्र की सिंचाई करने के लिये एक लिफ्ट सिंचाई योजना बनाई गई थी जो करीब 18 करोड़ रुपये की थी। यह राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को भेजी हुई है। वह हो जाए तो उससे भी काफी सिंचाई हो सकती है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, इस छोटी पुस्तिका में यह बात लिखी है कि राजस्थान में पानी की कमी है और ऐसी नदियों की कमी है जो बारहों महीने बहती हों, लेकिन कोटा जिले में जो नदियां हैं वह बारहों महीने बहती हैं। जनता सरकार के वक्त में सर्वे हुआ था जिसमें इन बहने वाली नदियों में जो अतिरिक्त पानी है उस अतिरिक्त पानी का सिंचाई हेतु उपयोग किया जा सके, इसकी व्यवस्था की जाय। खास तौर से मेरे क्षेत्र पीपल्दा में विभिन्न स्थानों से यह नदियां जिसमें चम्बल परियोजना है, बाण गंगा है, कालीसिंध है, पार्वती है, यह सारी इकट्ठी हो गई हैं। मेरे इलाके का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो असिंचित है, लेकिन पानी पर्याप्त है, इसका सिंचाई हेतु उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग लिफ्ट के माध्यम से या दूसरे माध्यम से करें, ताकि किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : जो नहरें थीं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब बूंदी के बारे में बोलिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : ड्रेनें बनाने में जो भूमि किसानों से अवाप्त की गई थी उसका आज दिन तक मुआवजा नहीं मिला है। तीन हजार किसानों की लिस्ट मेरे पास है, अभी तक वह कहते हैं हमको मुआवजा नहीं मिला है, उनकी जमीन छीनी गई है। यदि किसान सिंचाई का टैक्स जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसको पानी बन्द कर देते हैं, उसको पानी नहीं देते हैं। तो किसानों का जो लाखों रुपया है सरकार उसका चुकारा करे और जो ड्रेनें हैं......

(9·00 रात्रि)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सयस्य, बैठ जायं। मंत्री जी।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री चन्दनमल बैद (राजस्थान नहर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता का इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि चाहे देरी से ही उन्होंने राजस्थान नहर में दिलचस्पी तो ली। जब वह इस राज्य के मुख्य मंत्री थे तो शायद राजस्थान नहर पर जाने का उनको अवसर नहीं मिला लेकिन इस बार वह राजस्थान नहर पर पधारे और राजस्थान नहर पर दो दो घंटे तक दो बार उन्होंने भाषण भी दिया। उन्होंने जो दिलचस्पी दिखाई उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। मुख्य मन्त्री काल में नहीं जा सके उसके पहले तो जाने का सवाल तो इस बात से भी नहीं उठता था कि चुनाव हारने के बाद वह मध्य प्रदेश के नागरिक हो गए थे। यह भी एक अजीब बात है। अध्यक्ष महोदय, हम चुनाव हार जायें। हमने सुना है कुछ लोग जिला बदल करते हैं लेकिन उनका तो प्रदेश बदल हो गया। चुनाव हारे गए, इतने नाराज हो गए जनता से कि प्रदेश छोड़ कर चले गए और नागरिकता ही छोड़ दी। मुझ से कह रहे थे कि तुम नाराज हो गए। चलो मैं नाराज हो गया लेकिन घर से कहीं भाग कर तो नहीं गया। आप तो नाराज होकर घर छोड़कर भाग गए और मध्य प्रदेश चले गए। खैर, कोई बात नहीं है......

एक माननीय सदस्य : यह कौन से कट मोशन का जवाब है ?

श्री चन्दनमल बैद : आप परेशान मत होइये। सारी बातों का जबाव मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आज जो विरोधी पक्ष के नेता ने भाषण दिया है उसको मैं पांच साल पहले की तारीख दे दूं तो त्रिलकुल सटीक बैठ जायेगी क्योंकि उन्होंने तो कोई कागज वहां से उठा लिया। मैंने अगर प्रश्न पूछा कि यह खरीद किस साल की थी, किस महीने की थी तो पत्र तो पढ़कर सुना दिया, पत्र की तारीख तो बता दी लेकिन यह बताने से मुकर गये कि यह खरीद कब की थी। अब मुझ से कहते हैं कि यह खरीद कब की है मैं पता लगा लूं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह खरीद उस समय की निकलेगी जिस समय आप मुख्य मन्त्री थे।.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं यह गलत है। अगर आप डेट लेना चाहें तो मैं बता दूं वह कांग्रेस पार्टी के शासन की है।

श्री चन्दनमल बैद :......अगर इस तरह की अर्ध सत्य बातें आप करते रहे, कोई रोड़ा कहीं से लाये, कहीं से पत्थर लाये और लाकर यह साबित करने की कोशिश की कि जैसे यहां सारा भ्रष्टाचार अभी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्रीइ न्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन और जो दूसरी संस्थाओं से खरीद के मामले हैं यह मामले हमने तो सवा साल पहले ही बन्द कर दिये और आदेश निकाल दिया कि एग्रो इन्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन और इस तरह के जो संगठन हैं इनसे माल खरीदने के आदेश सरकार से हुए थे। क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ घोटाले हुए इसलिए हमने आदेश दे दिये सवा साल पहले पिछली फरवरी में, 83 फरवरी में कि इस तरह के संगठनों से माल कतई नहीं खरीदा जाये। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमने 83 में आदेश दे दिये कि माल नहीं खरीदा जाये तो यह जो खरीद की बात आप कह रहे हैं

(श्री चन्दनमल बैद) ,

कम से कम 83 के पहले की तो जरूर है, 83 के बाद की तो नहीं है...

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इन्होंने तो उपभोक्ता संघ के लिए कहा था। विरोधी दल के नेता ने उदाहरण दिया वह उपभोक्ता संघ के लिए था, एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन का नहीं था।

श्री चन्दनमल बैद :......आपने कहा डी. जी. एस. टी. से जो माल खरीदा जाता है उसमें कमिशन मीलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप मुख्य मन्त्री थे तो डी. जी. एस. टी. से बहुत सा माल भी खरीदा गया होगा। मेहरबानी करके बतायें कि वह कमीशन किस जगह आपने जमा किया ? हमने ही तो नहीं खरीदा डी. जी. एस. टी. से माल आपने भी खरीदा होगा। या तो कहें कि आपने नहीं खरीदा है और खरीदा है और आप कहते हैं कि कमीशन मिलता है, मैं तो नही कह रहा हूं, आप कहते हैं कमीशन मिलता है, तो वह कमीशन आपने कहां जमा किया ? किस रोकड़ में जमा किया है ? किस जगह रखा है और किस तिजोरी में रखा है ? यह हमें बताइये आप। दूसरों पर चार्ज लगाना बहुत आसान है लेकिन आप जब थे उस समय आपने क्या काम किये ? और हमको यह बताइये कि उस समय जब आपने रामसिंह फैक्ट फाइन्डिग अथारिटी बनाई—इस वास्ते तो बनाई आपने कि उससे पहले नहर पर कुछ गड़बड़ियां होती थीं, कुछ भ्रष्टाचार था, कुछ गलतियां हुई थीं। उसकी जांच करने के लिए आपने बनाई और जब जांच करने के लिए आपने बनाई तो उस जांच की रिपोर्ट 12 रिपोर्ट आपके वक्त में आ गई उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और आपके जमाने में भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पहले तो सारे इन्जीनियर्स बेईमान थे और आपके आते ही सारे ईमानदार हो गए और आपके जाते ही सारे के सारे फिर वह बेईमान हो गए। ऐसा तो कोई जादू अगर आप में है तो मैं उस जादू को नमस्कार करता हूं। लेकिन आपने तो अपने वक्त में कहीं पर कोई एक्शन लिया नहीं, और आपने ऐसा कोई तरीका निकाल दिया हो कि यह अर्थ वर्क का काम, यह लाइनिंग का काम, सीमेन्ट चूना और बजरी का काम मिलाने के लिए यह नार्म्स होंगे और उस नार्म्स को हम चलायेंगे जिससे कि भ्रष्टाचार नहीं हो और हमने यह नार्म्स हटा दिये हों। हमने वह स्टैन्डर्ड्स हटा दिये हों तब तो आप हमको दोष दे सकते हैं। आपने तो कोई नार्म्स भी नहीं बनाये। आपने फैक्ट्स फाइन्डिग अथारिटी बना दी और उस अथारिटी ने जो रिपोर्ट दी उस पर आपने कोई कार्यवाही भी नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा जिस समय आप मौजूद नहीं थे उस समय मैंने भाषण में, जवाब में कहा था कि हमने तो अपने वक्त में 26 इन्जीनियरों को आज सस्पैण्ड किया हुआ है। आपने अपने समय में कितने इन्जीनियर्स को सस्पैण्ड किया ? आखिर अनियमिततायें तो आपके वक्त में भी हुई होंगी। और नहीं हुई थीं तो आपने फैक्ट्स फाइन्डिग अथारिटी क्यों बनाई थी ?......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

दीजिए हमारे वक्त में कौन सी हुई ? बताइये।

श्री चन्दनमल बैद :......यही तो बता रहा हूं मैं। अब यह आप कहें कि आपके वक्त में तो जितने भी अर्थ वर्क हुए वह सब आपने जाकर नापे......

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बताइये ना ?

श्री चन्दनमल बैद :...वही मैं कह रहा हूं कि जो आपने भाषण आज दिया है उस भाषण की तारीख बदल लें 5, साल पहले की तारीख लगा लें तो इतना ही सही होगा। क्योंकि अर्थ वर्क न तो आपने नापा और मैंने नापा। अर्थ वर्क नापा तो उस समय के इन्जीनियर्स ने नापा और मेरे वक्त में भी नापा तो उस समय के इन्जीनियर्स ने नापा। तो इस वास्ते यह कहना कि आपके वक्त में इन्जीनियर्स ने जो अर्थ वर्क नापा, जो सीमेन्ट, चूना में बजरी मिलाई वह तो इन्जीनियर्स ठीक मिलाते गये और हमारे वक्त में कांग्रेस के राज्य में इन्जीनियर्स ने जो अर्थ वर्क किया वह गलत नाप दिया...

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बताइये ना ?

श्री चन्दनमल बैद :...वही बता रहा हूं। आपने कौन सा बता दिया ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : जनता शासन का एक उदाहरण तो बता दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : यही तो सारे उदाहरण हैं आपके। आप बताइये आपके वक्त में ऐसा कौन सा जादू हो गया कि वह वह अर्थ वर्क सही हो गया। एक फर्क जरूर पड़ गया कि मेरे वक्त में 80 करोड़ क्यूबिक फीट अर्थ वर्क हुआ और क्योंकि आपके वक्त में 50 करोड़ क्यूबिक फीट हुआ। 50 करोड़ क्यूबिक फीट हुआ तो सही हो गया और 80 करोड़ क्यूबिक फीट हो गया तो गलत हो गया। मैं फिर यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप कितना ही यह कह दीजिए कि आपके वक्त में 27 किलोमीटर मुख्य नहर की लाइनिंग हुई, वह तो सही हुआ। और मेरे वक्त में 27 किलोमीटर, 28 किलोमीटर की हो गयी वह 24 ही हुई है। आपके वक्त में भी इन्जीनियर्स ने ही नापा था। आप नहीं आये थे। मेरे वक्त में भी इन्जीनियर्स ने ही नापा है। मैं नहीं नाप कर आया हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बताइये ना ?

श्री चन्दनमल बैद : जिस आधार पर आप कह रहे हैं उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि मेरे यहां 28 किलो मीटर हुआ है और आप भी उसी आधार पर कह रहे हैं......

श्री भैरोंसिह शेखावत : 28 नहीं 24।

श्री चन्दनमल बैद : फिर आप गलत कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सही कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बेद : सही नहीं कह रहे हैं। यह गलत कह रहे हैं। अगर आप सही कह रहे हैं और मैं गलत कह रहा हूं तो महरबानी करके प्रबिलेज मोशन लाइये मेरे ऊपर। प्रबिलेज मोशन लाइये आप कि में गलत रिपोर्ट दे रहा हूं सदन में। तो, अध्यक्ष महोदब, मै यही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी चीज को अगर हम डिबन्डल करना चाहें तो बहुत से तरीके हैं····

श्री अध्यक्ष : यह चुनाव का साल है इसलिए आरोप, प्रत्यारोप चलते रहेंगे।

श्री चन्दनमल बेद : लेकिन उपलब्धियों की तरफ हम देखें तो, अध्यक्ष महोदय, उपलब्धियां भी बहुत हैं। मैं पिछली दफा भी जब बोल रहा था तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि राजस्थान नहर का काम 250 जगह हो रहा है, 200 किलोमीटर में हो रहा है। इसमें कम से कम एक हजार इन्जीनियर्स लगे हुए हैं, 30 हजार मजदूर लगे हुए हैं, 3500 ऊंटगाड़े लगे हुए हैं और एक हजार के करीब ट्रेक्टर और ट्रक लगे हुए हैं। उनमें से सब जगह कोई एक-एक जगह काम जाकर नाप सकें, यह सम्भव नहीं है। यही कर सकते हैं कि इसकी चेंकिंग और सुपरवीजन के अनुसार जो काम नहीं करता है उसका हमको पता लगे तो उसको सजा दें। यह सम्भव नहीं हो सकता कि सब जगह मिनिस्टर या चीफ इन्जीनियर या चेयरमैन जाकर हर जगह फीता लगाकर उस चीज को नापेगा। अगर आप देखना चाहें तो आपको बीस चालीस गलतियां मिल सकती हैं लेकिन खूबियां भी देखनी चाहिए। तो सैंकड़ों और हजारों आपको खूबियां भी मिल सकती हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि आप केवल एक दिन के लिए वहां पधारे और आपको एक भी अच्छाई वहां दिखाई नहीं दी। मजदूर या इन्जीनियर धूप में काम कर रहे थे या सर्दी में काम कर रहे थे क्योंकि जिस समय आप पधारे थे काफी सर्दी पड़ रही थी, उस सर्दी में काम करते हुए किसी मजदूर, किसी इन्जीनियर, किसी ओवरसीयर, किसी के बारे में भी एक भी अच्छाई आपको दिखाई नहीं दी? अगर गलतियां निकालना चाहें तो खूब गलतियां निकल सकती हैं और अगर खूबियां देखना चाहें तो खूबियां भी देख सकते हैं। क्या यह खूबी नहीं है चाहे 12 बीघा में सिचाई हुई हो, चाहे एक बीघा में हुई हो लेकिन मानसरोवर का हिमालय का पानी अगर जैसलमेर पहुंचता है, यह क्या खूबी की बात नहीं है, फक्र की बात नहीं है···

श्री पुष्पा जैन : किस कीमत पर····

श्री चन्दनमल बेद : हमने यह पहुंचाया है तो कोई गलती की है? और आपने यह कहा मुझे कि आपकी जो कैपेसिटी है आन-यूटालाज्इड पड़ी है, आखिर उसकी मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन आपने यह कहा कि हमने आपकी लिफ्ट योजनायें इस वास्ते बन्द कर दी थीं कि हम एक्सपर्ट राय लेना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, अर्ध सत्य बात कहकर किस तरीके से गुमराह किया जा सकता है, यह सीखना हो तो विरोधी दल के नेता से सीखें, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में उनके मंत्रिमण्डल की बैठक हुई और जो लिफ्ट योजनायें कांग्रेस के मंत्रिमण्डल ने सन् 76 और 77 में पास

(श्री चन्दनमल वैद)

की थीं उनके बारे में निर्णय लिया इन्होंने 78 में कि इन पर पुनर्विचार किया जाये और पुनर्विचार किया जायेगा। जब तक यह मुख्य मंत्री रहे इन्होंने पुनर्विचार किया नहीं, उनको रोक दिया। 353 गांवों के पीने के पानी की जो योजना थी उन योजनाओं को भी इन्होंने दबा कर रख दिया। अब अगर मैं यह कहूं कि पश्चिमी राजस्थान की पांच लिफ्ट योजनायें, गजनेर, कोलायत, नोहर साहबा, फलोदी, पोकरण जो पश्चिमी राजस्थान का जीवन है, जिससे पश्चिमी राजस्थान का जीवन बनता है, जिससे 353 गांवों के पीने के पानी की योजना है जिससे इन 353 गांवों को पहली बार मीठा पानी जिन्दगी में पीने को मिलेगा उसको आपने बन्द कर दिया, अगर मैं यह कहूं कि आप पश्चिनी राजस्थान के दुश्मन नम्बर एक हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है। फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, आप पश्चिमी राजस्थान के दुश्मन नम्बर एक हैं। आपको उसमें कोई खूबी नहीं दिखाई दी....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको किसान के नाम पर चिढ़ है। किसान नाम से आपको चिढ़ है।

श्री चन्दनमल बैद : तभी तो मैं राजस्थान नहर बना रहा हूं। आपके पीछे बैठने वाले आप की ही पार्टी के जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य यह कहते हैं, आज भी कहते हैं, चार पांच साल की अवधि नहीं पड़ी, आज भी कहते हैं, अवाई पर आकर खड़े होते हैं तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, पानी को पहुंचते हुए देखता हूं तो इतनी खुशी होती है जिसका वर्णन नहीं कर सकता। एक घण्टे तक वहां खड़े रहे। आपके पीछे बैठने वाले आपकी पार्टी के सदस्य कह रहे हैं और आपके जैसलमेर में पानी चला गया, उसका कोई आनंद नहीं, सुख नहीं, क्योंकि पश्चिनी राजस्थान से आपको कोई लेना देना नहीं है, उससे आपको दुश्मनी है, आप थोड़े ही चाहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कोई काम हो —

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने इजाजत भाषण की दी है या नाचने की दी है।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां। मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस वास्ते दूसरा सबसे बड़ा निर्णय हमने यह लिया कि जो 5 लिफ्ट योजनायें जनता पार्टी की सरकार ने बन्द की थीं उनको वापस शुरू करें। हमने यह भी निर्णय लिया कि सागरमल गोपा जो नहर है उसको हम गडरा रोड तक ले जायें। हमारा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा है। दूसरा निर्णय हमने यह लिया कि स्टेज 2 की इन्टेन्सिटी 110 से घटाकर 90 करेंगे जिससे हम पानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैला सकें। हम चाहते हैं राजस्थान नहर की प्रास्पैरिटी एक जगह बन्द होकर न रहे जितने ज्यादा एरिया में फैल सके, जितने ज्यादा लोगों में बह जा सके जिससे पीने का पानी मिल सके, उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। दूसरा निर्णय हमने यह किया। तीसरा निर्णय, अध्यक्ष महोदय,

(श्री चन्दनमल बैद)

हमने यह किया कि पीने के लिये और उद्योग धन्धों के लिये जो 500 क्यूसेक पानी रिजर्व किया हुआ था उसको बढ़ाकर 1200 क्यूसेक कर दें जिससे पश्चिमी राजस्थान के सात जिलों, जो हमेशा पीने के पानी से पीड़ित रहते हैं, में लोगों को पीने का पानी मिल सके और उद्योग धन्धे भी लग सकें।

अध्यक्ष महोदय, आप खुद इस बात के गवाह हैं, जो शिलान्यास हुआ है जोधपुर और उसके बीच के सैकड़ों और हजारों गांवों को पीने का पानी मिलेगा वह इसी की देन है कि हमने 1200 क्यूसेक पानी रिजर्व किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आज तक राजस्थान नहर का जितना काम हुआ है सबसे ज्यादा काम सन् 83 और 84 में हुआ है। इसको मैं चेलेंज के साथ कहना चाहूंगा, आप यह समझते हैं मैं गलत बात कह रहा हूं तो मेहरबानी करके आप प्रिविलेज मोशन के तौर पर उठा दीजिये, अपने आप साबित हो जायेगा। मैं भी सदन के समक्ष पेश कर रहा हूं और आप भी पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हैं कि विधान सभा के सदस्यों की टीम ले जायें, कमेटी बना दें। अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा के हर एक सदस्य को दो दो डी. ओ. लैटर लिखे कि राजस्थान नहर पर पधारो, आपका सारा इन्तजाम मैं करने के लिये तैयार हूं। मैंने राजस्थान नहर पर प्रकाशित किताब सदन की मेज पर रख दी है। राजस्थान नहर कोई ऐसी चीज नहीं है, जो मेरी जेब में बन्द हो जाये। वह तो खुली किताब है जो सदन की मेज पर रखी है, कोई भी जाकर देख ले। कितनी जगह काम हो रहा है, जहां सीमेंट-बजरी मिला रहे हैं उनको देख लीजिये, जहां भट्टे चल रहे हैं, ईंटें निकल रही हैं, उनको देख लीजिये। जहां अर्थ-वर्क का काम हो रहा रहा है, जहां ऊंट गाड़ियां, मशीनें, मजदूर काम कर रहे हैं उनको देख लीजिये, सारे के सारे काम कर रहे हैं, कोई छुप कर तो नहीं कर रहे हैं। कहीं गलती हो रही है तो बतायें, हमारी नजर में आती है हम भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि गलती नहीं हो। उसके बावजूद भी हमारी नजर से छुपकर कुछ गलतियां होती है तो स्वाभाविक है, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता कि सौ प्रतिशत सही हो रहा है लेकिन जो हमारी नजर में आता है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। अभी पिछली दफा मैंने निवेदन किया था कि हमको जब मालूम हुआ कि 200 बोरे सीमेंट राजस्थान कैनाल का बिक रहा है उसी समय उन तीन इन्जीनियर्स को जो इसमें इन्वाल्व थे, सस्पेण्ड किया, एन्टी-करप्शन में सारा केस दिया और 227 जो हमारे डिपो थे सारे के सारे डिपो सील कर दिये, सील कर के सात पार्टियां बनाई जिनमें से 6 का हैड अकाउन्ट्स आफिसर्स को बनाया और एक पार्टी, जो हमारा क्वालिटी कन्ट्रोल का संगठन है उसको हैड बनाकर हमने कहा कि सारे सील्ड गोदामों को चैक करो और पता लगाओ सीमेंट कहां कहां है

श्री भैरोंसिह शेखावत : चैंकिग का रिजल्ट क्या निकला ?

श्री चन्दनमल बैद : रिजल्ट आ रहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बताओ।

श्री चन्दनमल वैद : अभी आ रहा है।

श्री भैरोंशिह शेखावत : चैंकिग के लिये एक महीना पहले पार्टियां नियुक्त कर दी और रिजल्ट अब आ रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां, कुछ डिपो हैं जिनकी काउंटिंग हो रही है। आपको मालूम होना चाहिये, कितने लाख बोरियां हैं, कोई एक दो बोरियां नहीं है। उसकी चैंकिग छुपेगी नहीं। उसकी चैंकिग भी आपके सामने आयेगी, जब पूरी होगी तब आयेगी अधूरी तो नहीं आ सकती। जब चैंकिग हो कर आयेगी जिसने गलती करी है सजा भी पायेगा और जिसने गलती नहीं की है सजा नहीं पायेगा। यह तो नहीं हो सकता कि आपने फैक्ट फाईडिंग अथारिटी बना दी, श्री रामसिह जी को उसमें बैठा दिया और उन्होंने मर्जी आया जिसका नाम लिख दिया, उसको मैं सजा दे दूं, यह नहीं हो सकता। आपने उस आदेश में लिखा हुआ है सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर की सहायता लेंगे चैंकिग करने में। उन्होंने नहीं ली। आपने यह लिखा है कि चार्ज शीट बनायेंगे उन्होंने चार्ज शीट नहीं बनाई और उन्होंने किसी से जवाब भी नहीं लिया। किसी के दो सौ बोरी सीमेंट कम होगा उन्होंने उसको दोषी ठहरा दिया। आप यह नही पूछेंगे, दो सौ बोरी सीमेंट कहां गया। उन्होंने पूछा तक नहीं कि क्यों कम है। बिना किसी जवाब के उन्होंने रिपोर्ट बना दी, उस नामों में चार ऐसे व्यक्ति हैं, चार ऐसे इन्जीनियर्स हैं जिनके बारे में सारा हिन्दुस्तान आश्वस्त है, ईमानदार आदमी हैं। अब आप यह चाहें कि आपकी उस रिपोर्ट के आधार पर बिना कोई पूछताछ किये हुए मैं उनको सजा दूं, जब कि आपने सजा नहीं दी, आपके वक्त में रिपोर्ट आ गई, और मुझ से यह चाहें कि मैं उनको सजा दे दूं, आप कुछ करना नहीं चाहते और मुझ से यह उम्मीद करते हैं कि जो मैला आपने इकट्ठा किया है उसको मैं ढो लूं, यह मै नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह मैला है क्या सब ?

श्री चन्दनमल बैद : यह रिपोर्ट तो मैला ही है। आप इस तरफ हाथ करके कह दें और मैं आपकी तरफ हाथ करके कह दूं, क्या फायदा है इसमें। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहता नंगा कर दूंगा, मुखड़ा उतार दूंगा। नंगा कर देंगे तो क्या पायेंगे, जैसे आप हैं वैसा ही मैं हुं। नंगा कर के क्या करेंगे। इस तरह की सब बातें मैं नहीं कहना चाहता। आपने कहा नंगा कर दूंगा, आपने कहा, मुखड़ा उतार दूंगा। क्या मुखड़ा उतार देंगे।...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुखड़ा उतार दिया न ?

श्री चन्दनमल बैद : यह सारे जो गलत बयान देकर अपना जाल बिछाने की कोशिश

(श्री चन्दन मल बैद)

करते हो, अब सारा राजस्थान समझ गया इस बात को कि आप कितने पानी में हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी समझ गये हैं राजस्थान कैनाल में क्या किया है सब सामने आ गया।

श्री चन्दन मल बैद : आपसे ज्यादा हमने राजस्थान की सेवा की है। चुनाव हार गये तो राजस्थान छोड़कर भागे नहीं, इसी राजस्थान की जनता में रहे हैं—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चुनाव हार गये और चेयरमैन बन गये, खाने पीने के और साधन मिल गये....

श्री चन्दन मल बैद : उसी जनता का विश्वास प्राप्त करके वापस आये हैं, यह नहीं कि इस चुनाव क्षेत्र से लड़े, काम नहीं बना, भाग कर दूसरे क्षेत्र में चले गये। भागकर तीसरे में चले गये और फिर चौथे में चले गये। मैं तो एक ही चुनाव क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहा हूं। जीता हूं तो वहीं रहा हूं और हारा हूं तो वहीं रहा हूं। आपकी तरह नहीं भागा। मध्य प्रदेश की नागरिकता हासिल करने नहीं गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना होने के साथ साथ दुनियां के सबसे भयानक रेगिस्तान को सरसब्ज करने के साथ साथ सबसे सस्ती योजना है। आज तक हमने 400 करोड़ रुपये इस पर खर्च किये हैं। आज तक जो हमने स्टोरेज की केपेबिलिटी क्रियेट की उसके साथ जोड़ दिया जाय 160 करोड़ रुपया तो कुल खर्चा होता है 580 करोड़ रुपया। इस 580 करोड़ रुपये में जो हमने केपेसिटि क्रियेट की वह 6 लाख और 80 हजार की की है। उससे अगर खर्चा जोड़ा जाय तो 9 हजार रुपया पर-हेक्टेयर आता है जबकि हिन्दुस्तान की कोई भी योजना 18 हजार रुपये पर-हेक्टेयर से कम में नहीं बनती है। तो न केवल सबसे बड़ी योजना है और न केवल भयानक रेगिस्तान में बनने वाली योजना है बल्कि यह योजना ऐसी है जो सबसे सस्ती भी है।

अध्यक्ष महोदय, आप कैपेसिटी की बात कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 6 लाख 80 हजार हैक्टेयर में आज 4 लाख 50 हजार हेक्टर में सिंचाई हो रही है। आज तो केपेसिटी हमने क्रियेट की है उसका 75 प्रतिशत है उसमें वह भी शामिल है जो मैंने कहा था कि 10 हजार में हमने केपेसिटी क्रियेट कर दी लेकिन सिंचाई केवल 12 हजार बीघा में हो रही है, वह भी शामिल है। आज हम 75 प्रतिशत में सिंचाई कर रहे हैं और आज हम उससे सवा दो सौ करोड़ का उत्पादन दे रहे हैं। वह उत्पादन कोई ऐसा नहीं है कि 200 करोड का पहले हो रहा हो और अब सवा दो सौ करोड़ का हो गया। यह तो जीरो से हुआ है। यह जो सारी नहर जा रही है यह रेगिस्तान से ही जा रही है इसलिये जो कुछ

(श्री चन्दनमल बैद)

उत्पादन हो रहा है वह जोरों से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हो सकता है कुछ गलतियां हों, हो सकता है कुछ लोगों ने बेईमानी की हो। हम चैकिंग करेंगे, सुपरविजन करेंगे और अगर गलती पायेंगे तो सजा भी देंगे। लेकिन जो फैक्ट्स हैं कि आज सवा दो सौ करोड़ का उत्पादन वहां हो रहा है, नहर बनने के बाद 750 करोड़ का उत्पादन होगा और राजस्थान के 7 जिलों को पानी मिलेगा और उससे हमारे यहां के किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा, उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता है। कितनी ही बुराई कर लें लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बार बार यह कहा जाता है कि अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस विधान सभा में, विधान सभा के इस पवित्र प्रांगण में बिल्कुल सीरियसली इस बात की घोषणा करना चाहता हू कि मार्च, 85 तक जितना भी हमारे हिस्से का पानी बनेगा उसका भी उपयोग कर सकेंगे। आज के दिन भी मैं बताता चाहता हूं मार्च, 84 तक, 83-84 में हमारे हिस्से का पानी 7.159 मि. एकड़ फीट आंका गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 9 7 मि. एकड फीट पानी हमारे हिस्से का माना है, उसमें 8.6 राजस्थान नहर का और 1.1 गग नहर का, इस तरह 9.7 मि. एकड़ फीट हमको पानी मिलना चाहिये था वह मिलेगा। पानी कम होने की कारण से हमारा हिस्सा बी. बी. एम. बी. ने 7.159 मि. एकड़ फीट माना है उसमें से हमने 83-84 में 6.748 मि. एकड़ फीट लिया। हमने जो पानी कम लिया है वह हुआ है 0.411 मि. एकड़ फीट। जो कुल हिस्सा हमारा आंका गया उससे 5.75 पर्सेंट कम लिया। इस साल हमने 94 प्रतिशत हिस्सा नापा है। जो आंका गया है 83-84 में वह हमने ले लिया और अगर अब आप यह कहें कि असम्भव है तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक साल बाकी पड़ा हुआ है उसमें क्या हम 6 पर्सेन्ट पानी नहीं ले सकेंगे। हम, अध्यक्ष महोदय, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना हमारे हिस्से का पानी है, उसको भी जल्दी से जल्दी लेने को हम तैयार हो जायं। जब गंग नहर बनी थी और दूसरी नहरें बनी थीं कच्ची बनी थीं। हमारी जो पूरी नहर है मैन केनाल उसको पक्की बनायेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें जहां कच्चा है उसको पक्का कर देंगे। एक बार कच्चा छोड़कर भी पूरा पानी लेने योग्य बन जायेंगे। उसके बाद ज्यों ज्यों हमारे पास पैसा होगा और ज्यों ज्यों हमारी शक्ति होगी तो नहरों को, डिस्ट्रिब्यूटरीज को और माइनर्स को पक्का कर देंगे, इसमें बुरी बात क्या है। यह इंजीनियर्स ने मन्जूर किया है, टैक्निकली मंजूर किया गया है।

(व्यवधान)

हम अपना पानी सबसे पहले लें? आज जिस तरह के हालात देश में गुजर रहे है उसमें क्या हम इस लायक नहीं होना चाहते कि हम अपना पूरा पानी ले लेंगे। एक हिन्दुस्तान टाइम्स में किसी सज्जन ने लिखा था।

Page No 258

(258)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो बिड़ला जी का है।

श्री चन्दन मल बैंद : उसी तरीके, से टाइम्स ग्राफ इन्डिया में भी एक लेख निकला है....

Rajasthan Canal a security risk

वह भी किसी आदमी के नाम से निकला है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के आज हालात देश में गुजर रहे हैं, उन हालात को देखते हुए इन लेख लिखने वालों को मैं यूं कहूं कि किसी तरह से मोटिवेटेड तो मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूं। क्या वे चाहते हैं कि राजस्थान नहर पूरी बने, क्या वे नहीं चाहते है कि राजस्थान अपने हिस्से का पूरा पानी ले ? लेकिन राजस्थान के लोग क्या चाहते हैं. राजस्थान की जनता तो यह चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम पूरा पानी लें और जल्दी से जल्दी इस पानी को ले करके अपना हक साबित कर दें। इस बात के लिये सबसे पहली कोशिश है कि हम सारा पानी अपना ले लें। अगर 95 पर्सेन्ट पानी ले लिया है तो 100 परसेंट पानी लेने के हम हकदार हो जायं। इस तरह की राजस्थान नहर हम बनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई कि जैसलमेर जिला तो पशु पालकों का जिला है, आपकी नहर आ जायेगी तो चारागाह कहां रहेगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ....

श्री अध्यक्ष : थोड़े हिस्से में आयेगी नहर।

श्री चन्दन मल बैंद : आंकड़े उठा कर देखें तो सारे जैसलमेर जिले में 33 लाख 98 हजार हैक्टेयर जमीन है और उसमें से नहर आयेगी कुल 4 लाख हैक्टेयर में। केवल 12 प्रतिशत से कम जमीन में यह नहर आयेगी। बाकी जमीन तो चारागाह के लिये और दूसरी चीजों के लिये रहेगी, वे आराम से चरागाह बनायें। इस वास्ते जो यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे चरागाह खतम हो जायेंगे, हमारे पशु कहां चरेंगे, मैं तो यह कहूंगा कि ज्यादातर पशुओं के लिये आराम हो जायेगा। केवल पानी के कारण से पशुओं को जैसलमेर से बाहर भेजना पड़ता है। जब यह नहर आ जायगी, जगह जगह पानी हो जायेगा तो पशुओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा केवल नहर के किनारे ही आना पड़ेगा....

(व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई : बाहर से तो केवल किसान आयेंगे।

श्री चन्दन मल बैंद : किसान बाहर से भी आयेंगे अन्दर के भी होंगे। अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भाई हमारे किसानों को भी जमीन मिलनी चाहिये। आप जानते हैं कि जैसलमेर के बाद पहली प्रायोरिटी बाड़मेर की ही होगी। पहले जैसलमेर को प्रायोरटी मिलेगी और उसके बाद बाड़मेर को मिलेगी। कोई जोधपुर, गंगानगर, चूरू और नागौर को प्रायोरिटी थोड़े ही मिलेगी। तो जो जमीन जिनको मिलनी चाहिये उनको मिलेगी।

(श्री चन्दनमल बैद)

उसके लिये इस विधान सभा ने कुछ नियम पास किये हुए हैं, उसके अनुसार मिलेगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं तो राजस्थान के बाहर की बात कर रहा हूं।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, वाटर सप्लाई चैनल के टूटने का काफी प्रचार किया गया। अवाई गांव में जो पानी पहुंचा, अवाई गांव डूब गया, इसका प्रचार काफी किया गया। उसके बारे में मैंने निवेदन किया था, मैं खुद वहां देख आया हूं, हमारे कृषि मन्त्री जी देख आये हैं, विरोधी दल के नेता महोदय देख आये हैं। हाउस मंजूर करें या न करें मैंने उन से पूछा था। एक इंच पानी भी नहीं गया। माननीय राज्यपाल महोदय भी देख आये है। एक बूंद अवाई की तरफ गया नहीं। और अवाई गांव डूब गया, अवाई गांव डूब गया, सारा प्रचार हो गया। अध्यक्ष महोदय, नहर कहीं से नहीं टूटी है मैन केनाल की अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां 50-50 फीट की फिलिंग काटकर अगर वाटर चैनल जाता है और 30-40 फीट की खुदाई करनी पड़ती है, भराई करनी पड़ती है, वहां से वाटर सप्लाई चैनल जाती है उसका टूटना कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। इसके पहले भी सन् 77 से लेकर आज तक 9 बार वाटर सप्लाई चैनल टूट चुकी है। आप चाहें तो मैं तारीखवार बता सकता हूं किस तारीख में टूटी है। आपके वक्त में भी टूटी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मालूम है। मैं मानता हूं।

श्री चन्दन मल बैद : मालूम है लेकिन आप मानते नहीं हैं न। मालूम सब है आप को। मन में तो सावधान हो हीं लेकिन बाहर नहीं बोलते हो। मन में सब जानते हो वाटर सप्लाई-चैनल टूटी। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर जैसलमेर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वाटर सप्लाई चैनल बननी कब से शुरू हुई ?

श्री चन्दन मल बैद : जब से नहर बननी शुरू हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब से नहीं, जो अब टूटी है वह बताइये।

श्री चन्दन मल बैद : कौन सी ? यह भी आपके वक्त में बननी शुरू हुई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो क्रेडिट नहीं लिया न इसका।

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, क्रेडिट नहीं। आपके वक्त में बनी थी, अब टूटी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बनी मेरे वक्त में थी, टूटी अब है।

श्री चन्दन मल बैद : जो हिस्सा टूटा है वह आपके वक्त में बना था। वाटर सप्लाई चैनल के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जैसलमेर इलाके में अगर नहर बनाना इतना आसान काम होता तो यह नदियां यहीं बह रही थीं और जैसलमेर जिला भी यहीं था तो तभी बन जातीं लेकिन जैसलमेर जिले में नहर बनाना उतना ही

(श्री चन्दनमल बैद)

मुश्किल काम है जितना मुश्किल काम कोई हो सकता है। वहां खेती करना भी इतना आसान काम नहीं है। अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अभी खेती लोगों ने नहीं की। अध्यक्ष महोदय, यह इतना मुश्किल इलाका है, इसमें खेती करना लोगों को बसाना, इसमें नहर बनाना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाटर सप्लाई चैनल टूटी, उसके लिए लोगों ने एतराज किया। अब वाटर सप्लाई चैनल में पानी करीब करीब 90 आर. डी. में पानी जा चुका है लेकिन किसी भी दिन टूट जाय तो इसकी कोई गारन्टी नहीं दे सकता। क्योंकि इतनी फिलिंग और इतनी खुदाई में यह नहर जा रही है, पानी जा रहा है, इसके लिए कोई गारण्टी किसी को नहीं दे सकता। अध्यक्ष महोदय, कुछ उसकी जो साइट्स हैं हमारी पक्की नहर की वह भी करीब 15-16 जगह धंस गयी थीं, मेरे वक्त में भी एक जगह धंसी है। आपके वक्त में भी धंसी है, दूसरे वक्त में धंसी है। सैकण्ड स्टेज में कई जगह नहर में वह साइट्स धंसी हैं। हम खुद इस बात को....

श्री देवीसिंह भाटी : कारण क्या है ?

श्री चन्दनमल बैद : कारण पता लगाने के लिए कई बार सेन्ट्रल वाटर पावर कमीशन के लोगों से बातचीत की। अन्त में हमने एक कमेटी बनायी, वह कमेटी इस बात का पता लगाकर हमको सुझाव दे कि ये साइट्स क्यों बैठ रही हैं। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह इतना आसान काम नहीं है, नीचे कहीं जमीन पक्की भी हो सकती है लेकिन 2-4 कठिनाइयों को देखकर जैसा कि हमारे कोलायत के माननीय सदस्य कहते हैं कि फिर नहर क्यों बना रहे हो ? 2-4 कठिनाइयों के डर से, जुओं के घाघरा डाल दो, ऐसा तो सम्भव नहीं हो सकता। यह सारी कठिनाइयां हमको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, सहनी पड़ेंगी और सहकर के फिर भी आशा और हिम्मत के साथ हम नहर बनायेंगे।

इसके लिए मैं निवेदन कर रहा था कि एक कमेटी हमने बनायी है जिसमें सी डब्ल्यू. पी.सी. का चीफ इंजीनियर या डायरेक्टर, मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, इसी तरह से जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज के सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, डायरेक्टर रिसर्च सिंचाई विभाग राजस्थान नहर विभाग, जयपुर तथा मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर, इन पांच आदमियों की हमने एक कमेटी बनायी है कि ये हमको इस बारे में सलाह दें। अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन ने भी, जो कि देश की इस बारे में सबसे बड़ी संस्था है, एक कमेटी बनायी है इस काम के लिए कि वह भी आकर देखे और हमको सलाह दे। उन्होंने इसमें कमेटी मैम्बर रखे हैं डायरेक्टर टैक्निकल एग्जामिनेशन, डायरेक्टर सोइल एण्ड मैटीरियल रिसर्च स्टेशन, डायरेक्टर कैनाल्स, डायरेक्टर अर्थ. डैम्स। ये दो कमेटियां बनी हैं। एक भारत सरकार के सी. डब्ल्यू.पी.सी. ने बनायी है और एक हमने बनायी है। दोनों यह जाकर देखें कि आज नहर में जो बैंक्स स्लाइड हो रही हैं क्या कारण है। नीचे जमीन खराब है,

(श्री चन्दनमल बैद)

काम में कोई खराबी रही है या कारण क्या है, यह क्या हो रहा है। काम में खराबी का तो जैसा विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि काम में खराबी का सारा दायित्व तो मेरे ऊपर है। उनके वक्त में जो काम हुआ है या उसके पहले जो कुछ काम हुआ है उसमें तो शायद खराबी नहीं रही तो फिर ये साइट्स क्यों स्लाइड हुई, ये साइट्स क्यों बैठ गयीं। इसलिए इस वास्ते इन सारी चीजों को देखने के लिए, सलाह देने के लिए यह ये कमेटियाँ बनी हैं। इन दो कमेटियों की ज्यों ही रिपोर्ट आयेगी, उसके बाद हम इस बात का निर्णय करेंगे कि अपने कार्य की पद्धति या इन साइट्स को ठीक करने या जो पूल्स जगह जगह बन बन गये हैं उनको ठीक करने के लिए हम क्या कार्यकारी करें। पूल्स भी, अध्यक्ष महोदय, 42 जगह बने हुए हैं। वह भी आज नहीं बने हैं। सैकण्ड स्टेज पर 42 जगह पूल्स बने हुए हैं हमने गिना है। इनको, 42 जगह वाटर पूल्स बने हुए हैं। ये 42 पूल्स जहां बने हैं वह सारे कोई कांग्रेस राज में नहीं बने, न कांग्रेस राज का कसूर है, न जनता राज का कसूर है। यह कसूर इस बात का नहीं है, कसूर इस बात का है कि वह जमीन ही ऐसी है वह टेरिन ही ऐसी है, उस टेरीन में इस तरह की नहर बनाना—

श्री अध्यक्ष : अपने तो यों ही लड़ते हैं। इंजीनियर तो वह के वह हैं, बनाने वाले। अपन बदलते रहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। जो इंजीनियर आपके साथ थे वही इंजीनियर मेरे साथ हैं, मैंने तो उनको भर्ती किया नहीं और न आपने भर्ती किया। कानून कायदे से भर्ती हुए हैं। आपके समय में जो इंजीनियर थे वह मेरे वक्त में हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी लूणकरणसर की, जामसर की बात चली। मैं निवेदन करना चाहता हूं, लूणकरणसर में पिछले साल 25 हजार एकड़ की सिंचाई हुई थी। इस साल 36 हजार एकड़ में सिंचाई हुई है। दूसरी चीजों के अलावा उस लूणकरणसर में जहां पीने का पानी बीकानेर से डिब्बों में जाता था, देवीसिंह जी को याद नहीं, मुझे याद है।

श्री देवीसिंह भाटी : याद है, मैं जानता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : पानी जाता था वहां पर, इस साल 4 करोड़ रुपये की मूंगफली हुई है। क्या यह क्रेडिट की बात नहीं है, विरोधी दल के नेता साहब ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह मूंगफली आपके कारण से ही उगी है।

श्री चन्दन मल बैद : मेरे कारण से नहीं हुई है। यह इस कारण से हुई है कि राजस्थान नहर हम लोग लाये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मान गये हम।

श्री चन्दन मल बैद : आप मुझे बुरा कहिये लेकिन कम से कम यह जरूर कहिये कि राजस्थान नहर राजस्थान में बहबूदी ला रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कौन इन्कार कर रहा है ?

श्री चन्दन मल वैद : तो यह कहा तो नहीं आपने। आप तो मेरी कमियां ही कमियां देखकर आये, अच्छाई तो नहीं देखकर आए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जो सही बातें कहता हूं वह आपको सुनाई नहीं पड़तीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सुना नहीं आपने।

श्री चन्दन मल वैद : अध्यक्ष महोदय, यह नहर का काम इतना मुश्किल काम है कि उसके लिए हमने मजदूरों को कुछ विशेष सुविधाए दे रखी हैं। चूंकि यह बहुत महान सदन है मैं इसके सामने उन सुविधाओं के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, ठीक नहीं रहेगा। हमारे रेगूलर और वर्क चार्ज एम्पलाइज हैं, मजदूर हैं उनको 10 व 14 पर्सेन्ट विशेष भत्ता हम वहां दे रहे हैं, चिकित्सा सुविधा बच्चों की शिक्षा का उनका इन्तजाम कर रखा है, पाठशालाए खोल रखी हैं। वर्दी तथा धुलाई का भत्ता भी उनको देते हैं, निवास की सुविधा उनको दे रखी है। मनोरंजन के लिए एक हमारा वाहन चलता है जिसमें सिनेमा दिखाया जाता है। अभी हमारे बोर्ड ने यह तय किया है कि तीन वी. सी. पी. और वीडियो कैसेट प्लेयर खरीदें जायें जिससे कि अलग अलग जगह पर हम अपने मजदूरों को चाहे वह रेगूलर हैं चाहे वर्क चार्ज है मनोरंजन का साधन दे सकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी भेज दो, आपके जब राजीव गांधी आये थे तब बनाया था उनके लिए।

श्री चन्दन मल वैद : जो बनाया था वह भी भेज दूंगा। आपका यह सुझाव मुझे मान्य है। और तो कोई सुझाव नहीं मानूंगा, यह सुझाव आपका जरूर मानूंगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत उनको बाजार से लगभग 60 पर्सेन्ट कम कीमत पर गेहूं दाल, तेल तथा पाउडर दूध दिया जाता है। इससे जो पैसा 60 पर्सेन्ट का हमको मिलता है उसे भी फिर मजदूरों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। हमारे पास इस समय इस जून के अन्त तक साढ़े 4 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जायेंगे। अभी हमारे पास 3 करोड़ रुपया इकट्ठा हैं। हम बहुत गम्भीरता से इस बात को सोच रहे हैं कि जो तीन करोड़ रुपये हमारे पास है और जून तक साढ़े चार करोड़ रुपये हमारे पास हो जायेंगे उनको हम किस तरह से मजदूरों की भलाई पर खर्च करें। हम उसको उनकी भलाई में खर्च करना चाहते हैं।

श्री मदनाथसिंह : इंजीनियरों की भलाई में।

श्री चन्दन मल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय इस बात पर नहीं लेना चाहता। हमारे वरिष्ठतम मन्त्री, सिंचाई मन्त्री जी हैं इसके बारे में बोलेंगे और उनको काफी बातें कहनी हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव आज के भाषण के दौरान में दिये हैं, उन सुझावों को मैंने नोट

(श्री चन्दनमल बैद)

किया है। मैं उनके एक एक कट मोशन का जवाब उनको भेजूंगा। पिछले साल भी मैंने भेजे थे। और किसी के बारे में चाहे कुछ भी शिकायत करें लेकिन मैंने हर माननीय सदस्य, जिन्होंने भी कट मोशन मूव किये हैं चाहे वह यहां बोले हों या नहीं बोले हों उनके जवाब भेजे हैं। इस बार फिर उनके जवाब भेजूंगा। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने उप-निवेशन के बारे में जो दिक्कतें बतायी....

श्री अध्यक्ष : अब की इनका रवैया बहुत बदला हुआ है, थोड़ा ठीक कीजिए इनके लिए।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपको। उप-निवेशन के बारे में जितनी भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए मैं खुद ही सजग नहीं हूं, सारा मन्त्रिमण्डल सजग है। सारे मन्त्रिमण्डल ने इस पर विचार किया है, कुछ सुविधाओं का उन्होंने निर्णय लिया है लेकिन समय कम होने के कारण से हमने जो आर्डिनेन्स पहले जारी किया था उसका—

श्री अध्यक्ष : नहीं, हमको विश्वास है।

श्री चन्दन मल बैद : बदले में जो हम बिल लाना चाहते थे वह बिल नहीं ला सकेंगे। शायद ला सकेंगे तो बिल पूरा लायेंगे।

श्री अध्यक्ष वह तो आर्डिनेन्स ले आयेंगे अपन।

श्री चन्दन मल बैद : उन सुविधाओं की हम घोषणा करेंगे तो मैं सजग नहीं हूं, सारा मन्त्रिमण्डल इसमें सजग है। सारा मन्त्रिमण्डल यह चाहता है कि उन लोगों को जितनी भी सुविधा हम दे सकते हों दें। आखिर यह नहर लाये हैं वह राजस्थान की जनता के लिये लाये हैं, राजस्थान की जनता को, वहां पर बसे हुए किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, सुविधा हो सके और वह यह महसूस कर सकें कि पीढ़ियों पीढ़ियों के बाद फिर हमारी नई जिन्दगी आई है, नया सपना, सुनहरा दिन हमारे लिए आया है, ऐसा वह महसूस कर सकें वह हम करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपका समय इस बात के लिए लेना चाहूंगा, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि वे चाहे कुछ भी कहें, आज जो हमारे मजदूर, हमारे इंजीनियर जिस मेहनत से और जिस कठिनाई में काम कर रहे हैं वह प्रशंसा के लायक हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ लोग खराब हों। जो खराब हैं उनको सजा देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दो आदमी या चार आदमी खराब हों उसके लिए हम सारे एक हजार इंजीनियर, जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर्दी और गर्मी में अपने परिवार से अलग रह करके राजस्थान की प्रगति के लिए, बहबूदी के लिए वह खप रहे हैं, हम प्रशंसा नहीं करें। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा। इसलिए

(श्री चन्दनमल वैद)

मैं आज फिर आपकी मार्फत उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि हमारे इंजीनियर और मजदूर बड़ी मेहनत के साथ इस देश की प्रगति और बहबूदी में काम कर रहे हैं। आज आप और हम दो दिन के लिए उस एरिया में जाते हैं तो परेशानी महसूस करते हैं। सोचिये वे लोग भयानक सर्दी में, भयानक गर्मी में, भयानक अन्धड़ में ऐसी जगह रह रहे हैं जहां बहुत सी जगह बिजली नहीं है और कहीं पर पीने का पानी भी नहीं है। इस बात के लिये उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, आपने सुझाव दिये हैं, कुछ लोगों ने गड़बडियां बताई हैं उन सारी चीजों की मैं जांच करूंगा। जो कुछ भी कोई कसूरवार पाया जावेगा उसको बख्शने की कोई नीयत नहीं है। आपने चाहे कोई कार्यवाही नहीं की हो लेकिन किसी इन्जीनियर से मेरे डरने का सवाल नहीं है, न किसी की झूठी प्रशंसा करने का सवाल है। जिसने गलत काम किया है उसको सजा मिलेगी, जिसने सही काम किया है उसकी पीठ को थपथपाहट भी मिलेगी, उसको शाबाशी मिलेगी, इस सिद्धान्त और तरीके से मैं काम करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे आरोपों में से तो एक का भी उत्तर नहीं दिया लेकिन बिना एण्टरटेनमेंट टैक्स के आपने आधा घन्टे के लिए अच्छा एन्टर-टेनमेंट कराया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्दन मल बैद : मैंने आधा घण्टा कराया आपने सवा घण्टे तक कराया फरक इतना ही रहा।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, सी.ए.डी. मन्त्रीजी, हमारे कोटा के बारे में जो एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था उसके माध्यम से मैंने सारी बातें बता दी थीं, कि इस साल सबसे ज्यादा सिंचाई हुई है। चार सौ एकड़ में सिंचाई हुई है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सी.ए. डी. के बारे में, कोटा की सी.ए.डी. के बारे में कह रहे हैं।

श्री चन्दन मल बैद : सी. ए. डी. के कारण से सिंचाई हुई है। सी. ए. डी. के कारण से ही तो यह सिंचाई हुई है। जब सुधार किया तभी तो सिंचाई हुई है इतनी।

श्री हीरालाल आर्य : सी. ए. डी. के सैकिंड फेज की कब से चालू कर रहे हैं ?

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, सी.ए.डी. का काम कोटा में कोई बन्द नहीं हुआ। इस साल, अगले साल नहीं, इस साल हम चार हजार हैक्टेयर में सी ए डी का काम कोटा में करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। 82-83 और 83-84 में कोई काम हुआ ही नही है सी.ए.डी. का।

श्री अध्यक्ष : इस तरह के वाद-विवाद का कोई अन्त नहीं होता।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, आपको इस बात का भ्रम है कि बजट में हमने बहुत कम पैसा रखा है। लेकिन बजट बनने के बाद हमने जो पिछले साल सी. ए. डी. में जो अच्छा काम किया उससे खुश होकर भारत सरकार ने 5 करोड़ 73 लाख रुपये हमें ग्राण्ट दी है। वह 5 करोड़ 73 लाख रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा और आ गया है उसके सहयोग से हम आगे और वहां पर काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 के सम्बन्ध में जो सदन के 20 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों की मार्फत····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो चार का ही जवाब दे दो।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं और जहां विभाग की कार्य प्रणाली में कमी है उस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं उनका बहुत आभारी हूं। इन 27 में से प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने जो कुछ भी मुद्दे यहां पर उठाये उसका कुछ उत्तर तो मेरे सम्माननीय साथी ने दे दिया है। अन्य कुछ मुद्दों के सम्बन्ध में मैं यहां सदन में निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश का क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरा बड़ा प्रान्त है। इसमें करीब 142 लाख हैक्टयर कृषि योग्य भूमि है। लेकिन जो सिंचित एरिया है, कुओं से और सिंचाई की योजनाओं से, वह केवल 33 लाख हैक्टेयर के आस पास है। जब कि राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के अनुपात में 10.4 फी सदी है। लेकिन जो बरसात होती है, जो पानी यहां पड़ता है वह केवल देश में पड़ने वाले पानी का एक फी सदी है। इसलिए राजस्थान के लिए चाहे वह सतही पानी है और चाहे वह भूमिगत पानी है, पानी राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक पिछली छः पंचवर्षीय योजनाओं, छठी का यह आखरी वर्ष चल रहा है लेकिन बीच में बिना योजनाओं के भी चार वर्ष आये हैं, मैं कुल मिला करके इस 33 साल के अर्से में हमने यहां पर जितना भी सरफेस वाटर है सिंचाई का पानी, ऐसा असेसमेंट और अन्दाजा लगाया गया है, अनुमान है कि 15.68 मिलियन एकड़ फीट पानी, सतही पानी राजस्थान में है। उसमें से 8 34 एम. ए. एफ. का हम इस्तेमाल कर चुके हैं और जो पानी बचा है वह 5.34 है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सब पानी जो है 5.34 बचा है, उस सब का हम उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए बचे हुए पानी का हम उपयोग कर सकते हैं वह 3.34 है। और 3.34 पानी के इस्तेमाल के लिए राजस्थान ने एक मास्टर प्लान बनाया है। लेकिन जैसा कि, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं, राजस्थान में हम धीरे धीरे इरिगेशन का पोटेंशियल बढ़ाते हुए चले हैं और उसके बढ़ाने में हमको इतना लम्बा अर्सा इसलिए लगा है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति और धनराशि की उपलब्धि ये कुछ कारण हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

यह कहना बहुत आसान है कि आपने राजस्थान नहर जल्दी क्यों नहीं बना दी, यह बात बहुत आसान है कहना कि आज सभी जो मीडियम प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा धनराशि क प्रावधान कर के उनको कम से कम समय में सम्पूर्ण कर दिया जावे ताकि उसका लाभ मिलना शुरू हो जाये, बेनिफिट एक्रू हो जावे। लेकिन कोर सैक्टर में होते हुए भी इरिगेशन का विषय ऐसा है कि जिसमें हम उतनी ही धनराशि रख सकते हैं जितने कि हमारे पास में साधन उपलब्ध हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमेशा अकाल पड़ता रहता है। इस अकाल की विभीषिका को कम करने के लिए भी जरूरी है कि जो भी पानी हमें यहां मिले और जिस पानी का बाहर नदियो या बाहर के प्रदेशों में जितना भी हमारे शेयर में है या हम ले सकें उस ओर राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। यहां मैं प्रस्टिज का प्रश्न बनाना नहीं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। विपक्ष से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि राज्य सरकार असफल रही, दूसरी कुछ बात है, अभी कह रहे थे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य। सफलता और असफलता आपको ब्रोडर प्रोस्पेक्टिव मे देखनी पड़ेगी। आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब में जो पोलिटिकल स्थिति है उसी के संदर्भ में हम कितना भी रिजिड एटीट्यूड, स्ट्रोंग एटीट्यूड, एक हठधर्मी का एटीट्यूड रखें जिसको कह करके वह बारबार कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अखबारों में लिखा है कि राजस्थान एक हठधर्मी का रुख अख्तियार कर रहा है। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनर मामलों के अन्दर, चाहे वह बिजली के प्रोजेक्ट हों और चाहे वह पानी का शेयर हो उस सम्बन्ध में हमेशा राजस्थान का निश्चित रूप से एक मत, स्टेण्ड रहा है और सभी फार्म्स पर लगातार हम इस बात की चेष्टा करते रहे हैं कि हमें हमारा पानी मिले।

लेकिन यहां पर माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही। सबसे पहली बात तो यह कही कि कोस्ट बेनीफिट रेशियो जो है, इसको, कोस्ट्र बेनिफिट रेशियो जो है, राजस्थान में लागू ही नहीं होता, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इसलिये लाभ, लागत अनुपात को समाप्त कर देना चाहिये और इरिगेशन प्रोजेक्ट की स्वंकृति कर देनी चाहिये। यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने, अधिकांश माननीय सदस्यों ने कहा, करीबन 1700-1800 इरीगेशन के वर्क्स जो रिलीफ के बतौर प्रारंभ किये गये थे अभी कुछ अपूर्ण हैं, जिनमें कइयों में सिर्फ 25 फी सदी कार्य बाकी है, कइयों में 40 फी सदी, कइयों में 50 फी सदी है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने भी बहुत बड़ी परेशानी है, क्यों कि आज ओन गोइंग पोजेक्ट है और भारत सरकार कोर सैक्टर होने की वजह से इसका सीलिंग फिक्स कर देती है कि इन इन प्रोजेक्ट्स पर इतनी इतनी धनराशि आपको निश्चित तौर पर खर्च करनी है। अगर हम इसका डाइवर्शन कर देते हैं तो हम आगे जाकर प्लान में कटौती के कगार पर खड़े हो सकते हैं। इसलिये जब कभी भी लोगों को राहत देने

(श्री परसराम मदेरणा)

का प्रश्न आता है, क्योंकि इरिगेशन यूटिलिटी वर्क समझा जाता है, उससे असेंट क्रियेट होती है तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा काम लिये जाते हैं लेकिन इससे फेमिन का पीरियड एक साल के अन्दर करीबन 130 या 40 दिन से ज्यादा नहीं होता। इसलिये कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। अधूरे रहने की वजह से उन कामो को पूर्ण कराने में हमारे सामने परेशानी है। इसलिये एनीकट के संबंध में, चाहे वो इरिगेशन के दूसरे छोटे मोटे बन्धे हो, इसके साथ ही एक सुझाव यहां पर यह भी आया कि यहां पर जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क है, खास तौर से लूणी बेसिन के संबंध में आया कि लूणी ने 1979 में तबाही मचाई थी उस तबाही के बाद में लूणी के बहुत से गांव एक्सपोज्ड है और जब कभी पानी आयेगा तो उन गांवों में बहुत बड़ी धन जन की क्षति होगी इसलिये उन कामों को पहले हाथ में लिया जाय। लूणी के पूरे बेसिन के अन्दर जो गांव फ्लड के लिये एक्सपोज है उनके लिये एक मास्टर प्लान, अध्यक्ष महोदय, तैयार किया है। ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि 7वीं पंच वर्षीय योजना में कुछ धन राशि उन कामों के लिये खर्च की जायेगी। इसी साल जो फ्लड आया उसमें कुछ काम रेस्टोरेशन के अभी स्वीकृत हुए है और कुछ पैसा हमारे पास में हैं। 1 करोड़ और 90 लाख के आसपास में शायद मिला है। वह स्वीकृति जारी कर दी गई है और वो काम जल्दी प्रारम्भ हो जायेंगे। यह बात सही है कि एनीकट वगैरह से डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं होता है लेकिन इन्डायरेक्ट बेनिफिट होता है। भारत सरकार के सामने भी यह मुद्दा इरिगेशन मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में और दूसरे में हमेशा उठता रहा है कि ऐसे कामों की स्वीकृति के लिये कोस्ट बेनिफिट का रेशियो नहीं रखा जाना चाहिये लेकिन अभी तक हमको इसमें सफलता नहीं मिली है, अभी हमारे पास अर्थ का अभाव है इसलिये इन कामों को हम यहां पर ले नहीं सकते।

यहां पर, अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की अलग अलग योजनाओं के संबंध में बातें कही। मैं ऐसा समझता हूं कि इन सभी के सम्बन्ध में मुझे यहां कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जैसे कि पूर्व में भी मैंने कट मोशन के उत्तर भेजे थे इस वार उनके कट मोशन के उत्तर निश्चित तौर पर जल्दी भेजने के लिये आज ही आदेश दूंगा ताकि उन्होंने जो एक एक मुद्दे उठाये उस सम्बन्ध में उनको जानकारी दी जा सके।

अध्यक्ष महोदय, साल भर पहले जब इस डिमाण्ड पर इस सदन में चर्चा हुई थी उस वक्त मैंने इस सदन को आश्वस्त किया था कि हम पानी के ओप्टीमम यूटिलाइजेशन के संबंध में इस साल पूरा प्रयास करेंगे। इसी के सन्दर्भ में, इसी की अनुपालना में 13-14 साल के बाद में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स से लेकर के उनसे ऊपर तक के सभी अधिकारियों का दो दिन का मैंने सेमिनार बुलाया था। उस सेमिनार में कुछ विचारों का विमर्श ही नहीं किया कुछ निर्देश भी दिये गये थे, लेकिन सभी प्रकार के निर्देश तो पूर्ण हो नहीं सकते।

(श्री परसराम मदेरणा)

कुछ लोगों ने हमारे सामने कैनाल्स के कम से कम से नल की वशाइनिंग की ओरवाटर कोर्स बनाने की और दूसरी बातें कही थीं इसलिए धनराशि के अभाव में पानी का युटिलाइजेशन जितना होना चाहिये वह तो हम नहीं कर सके लेकिन तो भी इस सदन को जान कर प्रसन्नता होगी कि इस साल युटिलाइजेशन पानी का हुआ है। आप अपने क्षेत्र में देख लीजिये जहां पूरा पानी इम्पाउण्ड हुआ है । जितने तालाबों में कभी भी जो इरिगेशन रकबा है उससे इस साल रकबा ज्यादा हुआ है और उसका कारण यही है कि इरिगेशन के अधिकारी और कर्मचारी और सभी लोग सिंचाई के फेज पीरियड के अन्दर रात दिन सतर्क भी थे और टेल एण्ड में, पानी टेल एण्ड के क्षेत्र में पहुंचाये जाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मैं एक एक प्रोजेक्ट के संबन्ध में यहां निवेदन नहीं करूंगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस साल जो पानी का युटिलाइजेशन हुआ है वह ओप्टीमम तो नहीं कहना चाहिये क्योंकि इसमें कुछ कमियां भी हमारे सामने हैं, क्योंकि पानी की उपयोगिता या पानी को युटिलाइजेशन करना यह एक मल्टी डिसिप्लीनरी एक्टीविटी है। लैण्ड और वाटर मैनेजमेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते। यह इण्डिवाइजेबल है और इण्डिवाइजेबल हैं तो आन फार्म डेवलपमेंट का किसानों का कोआपरेशन जो कल एक प्रश्न आया था मेजा के संबंध में तो जब तक किसान बेनिफिशियरीज हैं वह बेनिफिशियरी एसोशियेशन बना कर हर एक आउट लेट पर पानी का सही इस्तेमाल नहीं करें तब तक कितनी भी कोशिश-करें हम पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि वाटर मैनेजमैंट के सम्बन्ध में यहां पर एक वर्कशाप बुलाने वाला था। जैसा कि आपने यहां पर पिछले साल 17 मार्च को सजेशन दिया था और आपके आब्जेक्शन थे कि राजस्थान में अलग अलग नदियों के जो 14 बेसिन्स हैं उनकी स्टडी करने के बाद इरिगेशन का कोई भी स्थल या साइड तय की जानी है वह इस प्रकार की होनी चाहिये कि वह न तो इन्टर लैण्ड में हो और न नीचे के इलाके में हो जिससे विपरीत, प्रतिकूल प्रभाव पड़े और वहां के कुए और दूसरे जो पानी पीने के कुए हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इस प्रकार का सर्वे और जानकारी के बाद में ही इरिगेशन के काम हाथ में लिये जाने चाहिये। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य इस बात का यहां पर उल्लेख भी किया था, मैं सभी माननीय सदस्यों के पास में 3 और 4 जनवरी, 84 को ऐसे वर्कशाप रखने की बात सोच रहा था और मैंने उन सभी को निवेदन भी किया था। लेकिन निवेदन करने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों को, जैसा कि इस परिपत्र को आपके पास भी भेजा था और यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर को भी हमने रिक्वेस्ट की थी, सी. डब्ल्यू सी. और दूसरे वहां के एक्सपर्ट्स है उनको भी इस दो दिन के इस वर्कशाप में सम्मिलित करना चाहते थे ताकि हम यहां पर पानी के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में एक नई नीति निर्धारित कर सकें और उसी के अनुसरण में,

(श्री परसराम मदेरणा)

अध्यक्ष महोदय, हमने यहां पर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की बात सोची। यह हमारे यहां पर बात नई नहीं, देश के कई प्रदेशों में इस प्रकार की इस्टीट्यूट कायम कर दी गई हैं लेकिन इरिगेशन मैनेजमेंट और ट्रेनिंग का इंस्ट्रीट्यूट हमारे यहां पर नहीं था जहां हम इंजीनियर्स को भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम यह चाहते हैं कि वाटर यूजर्स एसोशियेशन की स्थापना हो। हमारे यहां पर तो नहीं है लेकिन संसार के दूसरे मुल्कों में वाटर यूजर्स एसोशियेशन के सम्बन्ध में अधिनियम बने हुए है। इस सम्बन्ध में कानूनी क्या बात की जा सकती है और किस प्रकार की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व यहां एसोशियेशन के ऊपर जो जल उपभोक्ता समितियां बनेंगी उस सम्बन्ध में हो सकती है, हम इस चीज के बारे में विचार कर रहे हैं। और, अध्यक्ष महोदय, इसी वर्तमान सत्र के समाप्त होने पर जिस वर्कशाप को बुलाने का आश्वासन मैंने आपको साल भर पहले दिया था, कुछ कारणों से हम उसको नहीं बुला सके लेकिन हम अप्रेल और मई में निश्चित तौर पर, अप्रेल में तो शायद नहीं हो सकेगा, क्योंकि सदन जो है, तीसरे सप्ताह तक तो चल ही रहा है लेकिन मई के महीने में हम एक वर्कशाप बुलायेंगे और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को आज ही निमंत्रण दे रहा हूं और फिर मैं लिखकर तारीख और उस सम्बन्ध में आपको सूचित कर दूंगा ताकि आप आकर के अपने उपयोगी सुझाव मास्टर प्लान बन रहा है उस संबंध में दें। कहां पर बन्धे बनने चाहिये उस सम्बन्ध में भी, कहां बन्धे बन गये हैं और उनका विपरीत असर पड़ा है उस सम्बन्ध में भी, क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी के उपयोग की बात है, यह काफी डेवलप्ड तकनीक हो गई है। जब तक पानी का आप बजट तैयार नहीं करते हैं, वाटर बजट तैयार न हो, डिस्ट्रिब्यूशन के सम्बन्ध में कमेटियां न बनावें, आउटलेट वाइज इसका वाटर अकाउन्ट न हो, अभी वाटर अकाउन्ट को नहीं रखा जा रहा है और इसके सन्दर्भ में अधिकारियों और कर्मचारियों की परफारमेन्स क्या रही है पानी के आप्टीमम यूटिलाइजेशन के लिये, इस तरह से उनकी परफारमेन्स को आंका नहीं जाये तब तक, अध्यक्ष महोदय, पानी रुटिन के तौर पर चलता रहेगा। इस सम्बन्ध में जल्दी ही आदेश निकाल रहा हूं कि आउटलेट वाइज अकाउन्ट और प्रत्येक नहर और आउटलेट का परफारमेन्स आंका जाकर इस बात को आश्वस्त किया जाये कि जो पानी हमें इन आउटलेट पर देना था और उस आउटलेट का जितना भी क्षेत्र था, उसका वाटरिंग का पानी ठीक तरह से मिला है, इस सम्बन्ध में वे एश्योर करें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बीसलपुर के के सम्बन्ध में कुछ बात कही गयी। जैसा कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, बीसलपुर एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको हम इस साल से प्रारम्भ कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने टोरडी सागर के बीच में लिंक बनाने के लिये कहा, क्योंकि टोरडी सागर में भराव हमेशा कम रहता है, एक-दो पानी दिया जा सकता है, इस सम्बन्ध में एक नई बात उन्होंने कही है। मैं अधिकारियों को यह आदेश दूंगा

(श्री परसराम मदेरणा)

कि वे सर्वेक्षण करके इसका असेसमेन्ट करें कि क्या यह सम्भव है या नहीं है।

यहां पर उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने और गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने वाकर के बारे में बात कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देवास और वाकर की दो स्कीम्स हैं। देवास के सम्बन्ध में पहली एक योजना स्टेज-वन की बनी थी और उसकी टनल बना करके पिछोला में पानी डाला गया था। उसके बाद यह असेसमेंट किया गया कि देवास की स्टेज-दो और तीन अगर हम ले लेते हैं हाथ में तो पर्याप्त पानी हमको मिल सकेगा पीने के लिये। यह पी. एच. ई. डी. से सम्बन्धित स्कीम है और यह इरिगेशन से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु मैं निवेदन कर दूं कि इस सम्बन्ध में अगर दोनों स्टेज दो और तीन ले ली जाती हैं तो कुल मिला कर जो पानी हमारे पास मिलेगा वह देवास का केवल हमको 500 एम. सी. एफ टी. पानी मिलेगा आज तक हमको आवश्यकता 2800 एम. सी. एफ. टी. की है और 1275 एम. सी. एफ. टी. पानी हम को और मिलना चाहिये। अगर हम देवास स्टेज-तीन को कम्पलीट करते हैं तो 922 मिलता है और 922 एम. सी. एफ. टी. पानी मिलने की वजह से काफी बड़ी कमी रह जाती है पीने के पानी की। इसलिये यह सोचा गया कि वाकर योजना को हाथ में ले लिया जाये। वाकर योजना का सर्वे किया जा चुका है। डैम का और सब मर्जेन्स का सर्वे हो गया है। टनल अलाइनमेंट के संबंध में हम ने जियोलिजिकल सर्वे आफ इंडिया को लिखा है कि 8 किलोमीटर लम्बी नहर है, इसका किस प्रकार से अलाइनमेंट किया जाये, इस सम्बन्ध में हमारा उन से पत्राचार चल रहा है।

यहां पर जयपुर जिले के जमुवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि जयपुर के सम्बन्ध में जहां तक सिंचाई के क्षेत्र का प्रश्न है, इरिगेशन सेक्टर में जयपुर को इग्नोर किया गया है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि इग्नोर किया गया है। कानोता की मीडियम प्रोजेक्ट योजना स्वीकृत की गई है और हम अगले साल में इसका काम प्रारम्भ करने जा रहे हैं जयपुर जिले में जो इसका स्तर है लेकिन ढूंढ नदी के ऊपर के एरिया के अन्दर अभी तक काम नहीं किया गया है। जो पुराने काम हैं उनका रख रखाव नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में मुझ से थोड़े दिन पहले कृषि मन्त्रीजी ने भी चर्चा की थी और जमुवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भानपुरा के तीन चार एनीकट्स के सम्बन्ध में और छोटे बांधों के सम्बन्ध में हमेशा कहते रहते हैं। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि अगले साल में जयपुर के अन्दर, जो कुछ भी माइनर इरिगेशन के लिए साढ़े छः करोड़ का प्रावधान अगले साल के बजट में रखा है, उसमें से 5 करोड़ रुपये तो आनवर्ड स्कीम्स पर हैं और डेढ़ करोड़ में से उनके क्षेत्र में कुछ काम लिया जाये, इस सम्बन्ध में मेरी कोशिश रहेगी।

(व्यवधान)

(श्री परसराम मदेरणा)

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर माही कैनाल और उससे लिफ्ट इरिगेशन करने के बारे में बात कही है। माही प्रोजेक्ट का कुछ एरिया ऐसा है कि वह नहर नीचे रह जाती है। इस सम्बन्ध में सर्वे चल रहा है। लिफ्ट योजना फिजेबल है या नहीं, यह देख कर निर्णय लिया जायेगा। यहां पर कुछ माननीय सदस्य आए नहीं हैं इसलिये मैं उनको उत्तर भिजवा दूंगा।

राजस्थान नहर के टूटने के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है और माही नहर के टूटने के बारे में कुछ कट मोशन भी दिये गये हैं। जो माही की राइट मेन कैनाल है जिसकी केपेसिटी 424 क्यूसेक है और इस साल इसकी लम्बाई 72 किलोमीटर है लेकिन 21 व 22 किलोमीटर के बीच 4 जनवरी 1984 को, यह अखबार में तो अब निकली है, बहुत थोड़ी सी जगह में क्योंकि जो कैनाल है वह वहां पर 25 मीटर गहरी है, 25 मीटर गहरी कैनाल खुदी हुई है, लाइनिंग हुआ नहीं, लाईनिंग के बह जाने की वजह से ब्लाक हो गयी था और ब्लाक हो जाने की वजह से वह कैनाल 8 दिन तक बन्द रही। 8 दिन बन्द कर के उसकी रिपेयर कर रहे हैं, इस प्रकार की विज्ञप्ति सभी अखबारों में निकली थी। उनसे यह निवेदन किया गया था कि हम बहुत जल्दी ही इसको प्रारम्भ कर देंगे और 12 जनवरी को इसमें पानी छोड़ दिया गया। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि सिचाई पर विपरीत असर पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। दिनांक 4.1.1984 से 12.1.1984 तक नहर बन्द रही। नहर बन्द होने की विज्ञप्ति जारी की गयी और उसको बाद में 3000 क्यूबिक फीट का मलवा था उसको निकाल करके पानी छोड़ दिया गया है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्यों ने कही है वह आल्टरनेटिव अलाइनमेंट के सम्बन्ध में है कि उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया है, वह भी छः किलोमीटर लम्बी दूसरे अलाइनमेंट की बात करते हैं। इसमें कम से कम दस बीस लाख रुपये का खर्चा होगा। इसलिये जो अलाइनमेंट लिया वह ठीक है। नहर टूटी जरूर थी लेकिन नहर के टूटने की वजह से बहुत बड़ा सिंचाई का जो बेस्ट पीरियड है उसमें कोई फर्क पड़ा है या कृषि उत्पादन पर असर पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है।

यहां पर प्रतिपक्ष के नेता ने गांधी सागर के बारे में कुछ मुद्दे उठाये। रावी, व्यास के पानी के हिस्से और बिजली के हिस्से के बारे में राज्य सरकार क्या करने जा रही है और अटार्नी जनरल की ओपीनियन के बाद में यह मामला किस स्टेज पर है, इस संबंध में भी उन्होंने बात कही। नर्मदा के सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक को गुजरात ने रिपोर्ट दी है उस सम्बन्ध में भी यहां पर उल्लेख किया गया है। साथ ही उन्होंने जवाई के अन्दर जो तावान जनता गवर्नमेंट ने स्टे कर दिया था उसकी वसूली उस साल से की जा रही है जिस साल कि पानी की कमी नहीं थी। उसके साथ ही साथ पांचना के सम्बन्ध में और कुछ इंजीनियर्स के संबंध में उन्होंने यहां पर बात की। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक

(श्री परसराम मदेरणा)

इन्टरसेप्शन का प्रश्न है, यह तो प्रतिपक्ष के नेता भी मानेंगे कि सबसे पहले 1976 में पता चला सात इन्टरसेप्शन का. 77 से लेकर के 17 फरवरी, 1980 तक प्रति पक्ष के नेता मुख्य मन्त्री थे, वो राजस्थान चम्बल कन्ट्रोल की बोर्ड की मीटिंग के सदस्य भी रहे और उसके चेयरमैन भी रहे हैं। लेकिन……

श्री अध्यक्ष : यही एक बड़ी गलती हुई ढाई साल रह कर सके।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन इस ढाई साल के अर्से में वह यह पता नहीं लगा सके कि वहां पर इन्टरसेप्शन हुआ तो कितना इन्टरसेप्शन है। हम बार-बार यह कहते रहे कि इन्टरसेप्शन हो रहा है लेकिन कितने पानी का हो रहा है, कम से कम हमने यह पता तो लगाया और पता ही नहीं, हमने मध्य प्रदेश सरकार को इस बात के लिए राजी किया. जैसा कि वे कह रहे थे कि हमारे कडाणा डेम में इतना थोड़ा पानी ले रहे हैं कि आपके जो पानी का फ्लो है, गांधी सागर में उस पर विपरीत असर पड़ने वाला नहीं है। हमने यह बात कही कि निश्चित रूप से इस पर असर पड़ेगा. यह आज नहीं अगस्त, 81 के अन्दर इस बात को भोपाल में जाकर के हमने उठाया था और उनसे एक अण्डर टेकिंग भी ली थी, सर्वे की अनुमति दे देंगे, उन्होंने नहीं दी। अक्टूबर में फिर हमने उनसे कहा और हमारी दोनों की टीम्स गयी। टीम्स के द्वारा सर्वे होने के बाद जैसे ही हमको मालूम पड़ा, जैसी आप कर रहे हैं, निर्माण की बात, इस सम्बन्ध में स्टेटमेन्ट में स्वयं ही दे चुका हूं इस सदन के अन्दर, उस वक्त आप भी बैठे थे। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था, उस समय मैंने कहा था कि उन्होंने कुछ 148 के आसपास छोटे-छोटे बांध बनाये हैं उसमें ·116 M.A.F. पानी का यूटीलाइजेशन होगा और 48 निर्माणाधीन हैं, यह बात भी मैंने कही थी और कहने के बाद मैंने भारत सरकार को लिखा है। भारत सरकार को लिखने के बाद में उन्होंने जो अपने गुड आफिसेज यूज करते हुए वहां के सैक्रेटर को आदेश दिये और दो मीटिंग सैक्रेटर ने बुलाई। मध्य प्रदेश का यह कहना है कि इस सम्बन्ध में जो राजस्थान यह कह रहा है कि कैचमेन्ट एरिया के अन्दर बन्ध बनाने की वजह से हमारा जो कामन प्रोजेक्ट है उसके पानी के बहाव में बहुत ज्यादा विपरीत असर पड़ेगा। वे कह रहे थे कि इसका विपरीत असर नहीं पड़ेगा और इसका दुबारा सर्वे करवा लिया जाय। इस बात के लिए उनकी बात को नहीं मानते हुए सी. डब्लू. सी. को भारत सरकार ने रेफर किया है। दोनों ही सरकारों से उन्होंने हाइड्रोलोजिकल स्रोत स्ट्डीज के सम्बन्ध में अपनी-अपनी रिपोर्ट मांगी है। हमने जनवरी में भेज दी है और मध्य प्रदेश ने भी भेज दी है। सी. डब्लू. सी. अब स्रोत की स्टडी करेगी उसके बाद में यह मामला भारत सरकार के सिंचाई मन्त्रीजी के समक्ष विचार के लिए आयेगा। हम इसके लिए सतर्क हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमने ईरिगेशन सैक्रेटर, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से एक चिट्ठी मध्य प्रदेश सैक्रेटर को लिखवायी कि इस काम को बन्द कर दीजिये, जब तक

(श्री परसराम मदेरणा)

भारत सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं दे दें, जब तक आप कार्य को चालू मत रखिये। लेकिन कितनी बात उन्होंने मानी, कितनी नहीं मानी है, आप स्वयं ही जानते हैं इसलिए हमको उम्मेद है कि हाइड्रोलोजीकल स्टण्डी होने के बाद में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत: कोर्ट का मामला है।

श्री परसराम मदेरणा: कोर्ट का मामला प्रति पक्ष के नेता, बड़ा डेलीकेट है। वह डेलीकेट है इस बात को हमने सोच लिया है क्योंकि आर्टीकल 262 को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में सीधा अगर वाटर डिस्प्यूट बन जाता है तो फिर सुप्रिम कोर्ट डिसीजन नहीं देगा, डिस्प्यूट के तौर पर ट्रिब्यूनल में चला जाएगा ट्रिब्यूनल में जाने के बाद वर्ष लगते हैं, क्योंकि नर्मदा का इतिहास आप जानते हैं कम से कम 8–9 साल लगे थे। उस चीज को भी हमने एग्जामिन कराया है और एग्जामिन करवाने के बाद में भारत सरकार के गुड आफिसेज को यूज करना ज्यादा उचित समझा है। उस सम्बन्ध में हम निरन्तर प्रयास करते रहेंगे। हमारी यह इच्छा है कि मध्य प्रदेश सरकार किसी प्रकार से इन्टरसेप्शन गांधी सागर के कैच-मेन्ट एरिया में नहीं करे।

यहां पर दूसरी बात कही गयी, गुजरात ने वर्ल्ड बैंक के सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, वर्ल्ड बैंक के सामने प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में उन्होंने खेड़ा क्षेत्र को माही नदी से पानी देने का उल्लेख किया है और नक्शे में भी उसको बताया है। अध्यक्ष महोदय, सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का प्रारम्भ में इस प्रकार की रिपोर्ट का पता लगाने के बाद में हमेशा प्रोटेस्ट ही नहीं बहुत जबर्दस्त प्रोटेस्ट रहा था। हमने यह बात कही थी कि कडणा के एग्रीमेन्ट का उल्लंघन है। उस संबंध में अभी भी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग दोनों मुख्य मन्त्रियों की यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर ने दिल्ली में बुलायी थी। दोनों मुख्य मन्त्रियों के बीच में बात, उन्होंने पहला एक मौका दिया है कि आपस में इसको किसी तरह से सोल्व किया जाय। लेकिन जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक में भेजने से पहले चूंकि राजस्थान का प्रोटेस्ट था इसलिए उसके इस पोशन के ऊपर कि खेड़ा क्षेत्र को हमेशा के लिए माही का पानी मिलेगा, यह अमेन्डमेन्ट और रिवीजन कर दिया गया है, वह रिवीजन करने के बाद में यह प्रश्न राजस्थान के और इनके बीच में डिस्प्यूटेड है, यह हो जाता है कि तब तक माही का पानी मिलता रहेगा। अगर रिवीजन हो जाता है और यह तय हो जाता है कि इसमें नर्मदा का पानी दिया जाना चाहिए तो इस खेड़ा क्षेत्र को नर्मदा का पानी मिलेगा। इस प्रकार से वह रिपोर्ट भी अमेण्ड कर दी गई।

यहां पर रावी व्यास के सम्बन्ध में और थीन डेम के सम्बन्ध में बात कही थी। जैसा कि प्रति पक्ष के नेता स्वयं जानते हैं, अटार्नी जनरल की राय और दूसरी भारत सरकार के समक्ष है। भारत सरकार ने इस मामले के अन्दर कैबिनेट सैक्रेटर को इस मामले को रिजोल्व करने के लिए प्रान्तों के अधिकारी जो हैं उनके साथ बात करके कोई रास्ता निकालने के लिए बात कही है।

(274)

(श्री परसराम मदेरणा)

उन्होंने दो मीटिंगें की हैं और दोनों मीटिंगों में हमेशा हम हमारे पक्ष को रखते रहे हैं। इसके साथ-साथ मुख्य मन्त्री जी ने भी दो चिट्ठियां प्लानिंग मिनिस्टर को लिखी हैं और कैबिनेट सैक्रेटरी को भी चीफ सैक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है। लास्ट मीटिंग अभी 83 के नम्बर में थी और अब और मीटिंग होने वाली है। राजस्थान सरकार इसके सम्बन्ध में ही नहीं, अन्य जो योजनायें हैं जिनके बिजली उत्पादन होने वाला है हाइडल, इसके सम्बन्ध में बराबर अपने क्लेम को रखती ही रही है। जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं इस सम्बन्ध में, अभी रोपड़ का पानी लेने और दूसरी बातों के सम्बन्ध में हम ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया था। हालांकि इस वक्त रोपड़ का पानी पंजाब अपने ही शेयर से लेना चाहता है लेकिन अल्टीमेटली पंजाब यह आनन्दपुर साहिब कैनाल से लेगा, उसमें हमारा शेयर है, जब तक हमारा शेयर फाइनली डिसाइड नहीं किया जाता तब तक हम कोई पार्टी नहीं बन सकते। भारत सरकार ने निर्णय भी ले लिया था लेकिन उस निर्णय को भारत सरकार को वापस लेना पड़ा और बी. बी. एम. बी. को रिजोल्व करना पड़ा कि कोई भी क्लोजर नहीं होगा जब तक राजस्थान इसमें अपनी कसेंट नहीं दे देता है। जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे, मेरे पास अभी कटिंग थी......

(व्यवधान)

उसमें आप को सन्तोष है तो सन्तोष से ज्यादा कुछ नहीं कहना है आपको, लेकिन इसके साथ में ट्रिब्यून में और दूसरे अखबारों में पहले तो यह आया कि राजस्थान प्रोटेस्ट कर रहा है और अभी 26 मार्च को यह आया कि राजस्थान ने इस मामले को स्टाल कर दिया है। स्टाल करने का हमारा अभिप्राय: यही है कि हमारा जो शेयर है वह टीपार्टाइट कान्फ्रेंस, जो 20 फरवरी को हुयी जिसमें प्रतिपक्ष के नेता भी वहां पर मौजूद थे, में हम बराबर अपनी बात को कहते रहे कि न तो हमने हैड वर्क्स के बारे में अपने क्लेम को छोड़ा है और न अन्य मामलों में छोड़ा है।

व्हाइट पेपर के बारे में वे कोई, भी बात कहें। मुख्य मन्त्री जी ने व्हाइट पेपर निकलने के बाद में एक चिट्ठी भारत सरकार को लिखी थी, उसमें लिखा है कि यह पोलिटिकल गेम है, इसमें जो कुछ भी पंजाब का इन्टरप्रिटेशन है वह बिल्कुल गलत और बेसलेस इन्टरप्रिटेशन है। हमने यह मामला भारत सरकार को रेफर कर दिया है। वे यह मानते हैं कि हमारा शेयर 8·6 है और पंजाब का शेयर 4·22 है। उन्होंने इस व्हाइट पेपर में लिखा है कि हमारा शेयर 4 82 है क्योंकि राजस्थान डवलप नहीं कर रहा है। पहले तो लिखा है कि जब राजस्थान का पोटेंशियल डवलप हो जायेगा तो 9·60 राजस्थान को मिलेगा। लेकिन अभी जो समझौता हुआ है वह पंजाब के हक में समझौता हुआ है, इस प्रकार की बात लिखी है।

श्री यदुनाथ सिंह : सही लिखा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हैड वर्क्स का नहीं लिखा है।

श्री परसराम मदेरणा : हैड वर्क्स के बारे में तो हम बराबर कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लिखा है या नहीं लिखा है।

श्री परसराम मदेरणा : लिखा है या नहीं लिखा है। लिखा होगा। मैं नहीं कहता कि लिखा हुआ है या नहीं है। हैड वर्क्स के बारे में लिखना, नहीं लिखना इतना मायने नहीं रखता, मैं नहीं कहता कि नहीं लिखा होगा। लिखा होगा लेकिन हैड वर्क्स के बारे में सैंट्रल का जो एक्ट स्टेटुअरी पड़ा है, लेकिन पिछले 16-17 साल से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है, नहीं हो पाया है। इसमें क्या कठिनाई है, क्या नहीं है? उस हैड वर्क्स के सम्बन्ध में, आज जो पंजाब की राजनैतिक स्थिति है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि जब तक जन प्रतिनिधि गवर्नमेंट नहीं हो, इलेक्टेड गवर्नमेन्ट नहीं हो तो......

श्री भैरोंसिह शेखावत ; चुप रहना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : राज्यपाल महोदय ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय ले सकें यह सम्भव प्रतीत नहीं होता है। यहां पर एक और बात प्रतिपक्ष के नेता ने कही कि पोटेंशियल जो क्रियेट हुआ है और जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पोटेंशियल जो क्रियेट हुआ है उसके और यूटिलाइजेशन के अन्दर गैप है। यह बात मैं आज यहां पर नहीं कह रहा हूं मैंने 11 नवम्बर, 83 को इंजीनियर्स को यह कहा था कि राजस्थान के अन्दर पोटेंशियल जो क्रियेट हुआ है इसके और यूटिलाइजेशन में कुछ गैप है। परन्तु मैं यह नहीं मानता कि 62 प्रतिशत की ये बात कह रहे हैं वह सही है। ये सारे राजस्थान की बता रहे है या क्योंकि आज राजस्थान कैनाल पर इतना होस्टाइल टेरीन है कि वहां पर खड़ा रहना ही बहुत मुश्किल है वहां काम करने की बात तो बहुत मुश्किल है, उस एरिया को डवलप करने के लिये बहुत लम्बी अवधि की आवश्यकता पड़ेगी। आप भाखरा को देख लें, मैं 1956 में भाखरा गया था उसके बाद 61 में हनुमानगढ़ गया था। आज जो क्षेत्र दिख रहा है, जगह-जगह जो टीबे थे उसके लेवलिंग में 10-10, 12-12 साल लग गये। एरिया को डवलप करने में थोड़ा समय लगता है लेकिन पानी के यूटिलाइजेशन के लिये आज आर. सी. पी. का कमांड एरिया तैयार है। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आपने यह गैप बताया है यह गैप ओवर हाल राजस्थान का है। जहां तक आर. सी. पी. का सवाल है इस पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं, यह बात हम ही नहीं जानते हैं बल्कि भारत सरकार भी जानती है और पंजाब सरकार को और अकालियों को भी पता है कि हमारा स्टेण्ड भी यही रहा है।

इसके साथ-साथ यहां पांचना के सम्बन्ध में कहा गया। पांचना के सम्बन्ध में मैं एक बात करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि इसकी जो सेंक्शन है वह इश्यू नहीं हुई। सेंक्शन इश्यू नहीं हुयी तो काम कैसे प्रारम्भ हो गया? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पहले इसका एस्टीमेट 103 लाख का था और फिर 9 लाख का एस्टीमेट

(श्री परसराम मदेरणा)

बना वह जनता पार्टी के शासन में बना था...

श्री अध्यक्ष : 9 करोड़ का होगा ?

श्री परस राम मदेरणा : हां, 9 करोड़ का बना। 203 लाख से 9 करोड़ का सैंक्शन होकर इसका काम चलता रहा। यह सब आपके वक्त में हुआ, मेरे पास में खर्चे के आंकड़े थे उस वक्त तक भी दो करोड़ ढाई करोड़ का खर्चा हो चुका था तो क्या स्वीकृति उस वक्त भी नहीं थी ? चूंकि चीफ इंजीनियर ने मीटिंग करके उसको दे दी थी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जून तक....

श्री परसराम मदेरणा : जून का तो मुझे मालूम नहीं, आप तो फरवरी में ही चले गये थे लेकिन तो भी फरवरी, 80 तक जो खर्चा हुआ वह कौनसी सैंक्शन से हो रहा था ? यह बात सही है कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने गलती की तो आप भी करें, यह है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका डिजाइन तैयार नहीं हुआ, अब डिजाइन तैयार करा लिया गया है। हमने गलती उसमें की मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि हुई है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो स्टिल वे की डिजाइन सी. डब्ल्यू. सी. को भेजी है। दो दफा तो हमने वहां पर सी. डब्ल्यू. सी. के आफिसरों को बुलाया है और पांचना के सम्बन्ध में यूनाइटेड स्टेट्स की ऐड से 21 करोड़ की स्वीकृति भी हमको मिल गयी है। जो कुछ पहले खर्च हुआ है उसका रि-अम्बर्समेंट भी हो गया है। अब तो यह सवाल है कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। पांचना पर बराबर इनके द्वारा और दूसरी चीजें टाम्इस ऑफ इंडिया में आयीं। एन्टी करप्शन में यह मामला चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा निवेदन कर दूं कि किसी भी अधिकारी को दोषी पाया गया तो बचाने का प्रश्न ही नहीं है। एक आफिसर के बारे में आप एक राय बना कर बैठ गये। मैं उस आफिसर के बारे में दूसरी राय बनाऊं तो यह मुझे उचित मालूम नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि जिस किसी ने नहर के अन्दर अनियमितता की है, जिस किसी ने स्पेसिफिकेशन से विलो का काम करवाया है, जिस किसी ने इसको सर्टिफिकेट दिया था, एफ. डी. के अन्दर इसको वेरीफाई किया है, जिस तरह की सोरो की मिट्टी होनी चाहिए थी चाहे वो सैल सैक्शन की हो या बोर सैक्शन की हो, इसके सम्बन्ध में किसी के साथ रियायत नहीं की जायेगी। निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे। हम चाहते हैं इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये और भारत सरकार भी अपनी लेबोरेटरी में बहुत जल्दी ही जो एग्जामिन कर रही है, टैस्ट करेगी। उस टैस्ट से जो भी स्थिति सामने आयेगी उसी तरह से कार्यवाही की जायेगी।

यहां पर जवाई के क्षेत्र में कुछ तावान की वसूली के बारे में कहा, तावान की जो वसूली हुयी है, नोटिस इश्यू हुए है और नोटिसेज उस वक्त के दिये गए हैं जब पानी की कमी थी। पानी के कमी के वक्त में

(श्री परसराम मदेरणा)

पानी लिया था, उस समय सीलिंग फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा पानी नहीं लेंगे। मगर जिन्होंने ज्यादा लिया है, उन्हें तावान के नोटिस दिये हैं। जो पानी था, उस समय पानी की कमी नहीं थी, उस वक्त तो तावान की डिमांड वन गई है। उस वक्त की डिमाण्ड की वसूली के सम्बन्ध में नोटिस नहीं दिये गए हैं। अगर किसी तरह किसी को भूल से नोटिस दे भी दिए गये हैं तो मैंने इस प्रकार की हिदायत दे दी है कि ऐसे साल में जब पानी पर्याप्त था और पर्याप्त होने की वजह से किसी ने खेती कर ली तो उनसे तावान वसूल नहीं किया जाय।

इसके साथ ही गंगा यमुना के सम्बन्ध में यहां पर एक बात आयी, नदवई से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया है। पूर्व में भी उन्होंने वही आंकड़े दिये थे, पिछले साल भी, दिये थे कैचमेंट एरिया के और कैचमेंट एरिया के सम्बन्ध में कभी दो राय नहीं है। कैचमेंट एरिया के जो आंकड़े मेरे पास में हैं, बराबर राजस्थान का यह क्लेम रहा कि हम गंगा के और यमुना के कैचमेंट एरिया में हैं और हमारा हिस्सा है। इस सम्बन्ध में दो कमेटीज बना दी एक्सपर्ट्स की। उसकी एक की मीटिंग अभी थोड़े दिन पहले फरवरी में यहां पर हुई थी। यमुना के सम्बन्ध में जो कुछ भी भी रिपोर्ट सी. डब्ल्यू सी. के चेयरमैन ने दी है वह नहीं रह करके और वापस दुवारा रीएक्जामिन करने के लिये स्टेट को भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिये भारत सरकार ने आदेश दे दिये हैं। कमेटी में अपने-अपने पक्ष को प्रस्तुत कर दिया है और जल्दी ही इस सम्बन्ध में कोई न कोई निर्णय होगा। हम यह मानकर चल रहे हैं कि गंगा और यमुना के अन्दर सरप्लस पानी है और क्योंकि हमारा स्टेट एक वेसिन स्टेट है इसलिये हमको उसके पानी का शेयर मिलना चाहिये। इस संबंध में सतर्क हैं और दोनों ही एक्सपर्ट कमेटी, मैं समझता हूं, अगले दो चार महीने के अन्दर अपनी टैक्निकल रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी कि कितना पानी सरप्लस है और किस स्टेट का उसमें क्या हिस्सा बनता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जरा इसका ध्यान रखिये, अध्यक्ष महोदय को नहीं देखिये।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तो, अध्यक्ष महोदय, 10.30 ही वज रहे हैं.......

श्री अध्यक्ष : मेरा तो दो बजे...

श्री परसराम मदेरणा : मैं बात कर रहा था साथी से कम से कम 12 तो बजें में ही, काफी मामले हैं ऐसे और काफी इम्पार्टेंट मसलों का मुझे...

श्री अध्यक्ष : दो तीन दिन की मेहनत है तो...

श्री परसराम मदेरणा : उल्लेख करना पड़ रहा है। उल्लेख इसलिये करना पड़

(श्री परसराम मदेरणा)

रहा है, अध्यक्ष महोदय, पानी, सिंचाई यहां के जीवन का एक मुख्य अंग है...

श्री अध्यक्ष : करीबन सवा तीन घंटे...

श्री परसराम मदेरणा : कई ऐसे मामले हैं जो आप भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर सस्टेन लाउड, प्राणिनाम प्राण दा कृषि तेजस्वसी जीवनम, एग्रीकल्चर सस्टेन लाइफ एण्ड इरिगेशन सस्टेन एग्रीकल्चर। इसलिये हम आज बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में कृषि उत्पादन की बात करें, अन्न उत्पादन की बात करें और पानी की यहां पर चर्चा करें, दोनों तरफ से ज्यादा-तर माननीय सदस्य डिबेट करें यहां पर इसलिए डिमांड के ऊपर दो दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस राज-स्थान के अन्दर जो भी पानी का संग्रह होता है उसका एक एक बूंद का उपयोग ठीक तरह से हो। उस वर्कशोप में सभी मान-नीय सदस्यों को मैं आज ही आमन्त्रित करता हूं। साथ ही बाहरी क्षेत्रों से हमारा कितना शेयर पानी का रा जस्थान के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये और उत्पा-दन को बढ़ा करके किसानों की माली हाल को उन्नत करने के लिये जो भी प्रयास हम कर सकते हैं उसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा कि इस मांग को पारित किया जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्रीजी, एक सवाल पूछना है....

श्री अध्यक्ष : केवल तीन पूरक प्रश्नों की इजाजत दूंगा। एक प्रश्न एक वाक्य का ही होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, एक वाक्य का। एक तो माननीय मंत्री महोदय ने 15.68 मिलियन एकड़ फीट पानी की उपलब्धि बतायी जब कि उसमें मुझे 15.85 बताया गया है। इसलिये जो पानी का उपयोग किया जा रहा है, 8.6 मिलि-यन एकड़ फीट पानी बताया गया है जब कि 4.68...

श्री अध्यक्ष : इसमें कन्फ्यूजन हो जायेगा। माननीय सदस्य बैठ जायं, कृपया।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि जब फसल को बर्बाद बाढ़ करती है, अनचाही बाढ़ पहुंचती है सरकार की गलती से और वहां पर फसल बर्बाद होने के बावजूद किसान से आबियाना वसूल करते हैं उसके बारे में सरकार का निर्णय है? सीधा प्रश्न है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न की इजाजत दी है।

श्री यदुनाथ सिंह : एक लफ्ज का ही है और वर्कचार्ज का मामला है। वर्कचार्ज पर चार-चार आदमियों को रखते हैं और 34 लाख रुपये, 35 लाख रुपये हमारे यहां मेंटिनेन्स के लिये मिलता है लेकिन वर्कचार्ज पर 40 लाख रुपयों से आदमी रख रहे हैं, खाली सुपरवाइजरी स्टाफ। तो जितना बजट मिलता है उसमें काम होने के बजाय

(श्री यदुनाथ सिंह)

जो सुपरवाइजरी इंजीनियर आये वह रखते चले गये। इसके बारे में सरकार कोई नीति निर्धारित करे कि जिन लोगों की 12 महीने जरूरत नहीं है उनको कोई एक बार पेमेंट करके हटाना भी पड़े तो हटाये क्योंकि वे काम करते नहीं हैं और पैसा उसी में चला जाता है मेंटिनेन्स का।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने निर्णय ले लिया है कि किसी भी नये वर्क-चार्ज को वर्कचार्ज पर नहीं रखा जाय। निर्णय लिये भी करीबन डेढ़ साल हो गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : पुराने जो पड़े हैं उसकी वजह से मेंटिनेन्स के पैसों को...

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक रख-रखाव के लिए धनराशि रखने का प्रश्न है अभी राजस्थान के अन्दर करीबन 20 रुपये फी एकड़ का नार्म निर्धारित किया हुआ है। इरिगेशन मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स के अन्दर अभी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सी तारीख को हुआ?

श्री परसराम मदेरणा : वह तारीख तो मेरी समझ में सी. डी. मिनिस्टर साहब साथ थे मद्रास में शायद उनको मालूम होगी लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि 14–15 दिसम्बर, 1982 थी। उस के बाद इरिगेशन मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स हुई। वहां पर यह रिकमेंडेशन की गयी है कि रख-रखाव के लिये जनरल पॉलिसी डिसीजन पूरे राज्य स्तर पर हो, उसमें 70/–रुपये के आसपास वह रहनी चाहिये। इस प्रकार की रिकमंडेशन की है। अब उस रिकमंडेशन को राज्य सरकार धन की उपलब्धता को देखते हुए स्वीकार ही कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल मीणा।

श्री भैरूंलाल मीणा : मेरा एक ही प्रश्न है, जो अधूरे काम हैं उनको चालू करेंगे कि नहीं? जो अधूरे काम हैं राहत के तहत....

श्री अध्यक्ष : अधूरे राहत के काम हैं उनको चालू किया जायेगा या नहीं?

श्री भैरूंलाल मीणा : हां।

श्री परसराम मदेरणा : इसका तो, अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे चुका हूं कि वह कुल मिलाकर धन राशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है और अभी पोजीशन काफी टाइट है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46–सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 324 करोड़ 51 लाख 31 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, जब मतदान हो रहा है उस वक्त पाइंट आफ आर्डर हो ही नहीं सकता।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्तावों पर मतदान

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक इर्रेगुलरिटी हो रही है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि आपने शुरू में ही यह व्यवस्था दी थी कि जितने कटमोशन्स हैं वह सब मूव माने जायं। आप चाहे एक ही प्रस्तावा दे दें कि जितने कटमोशन्स हैं वह सब अस्वीकृत किये जाते हैं, लेकिन मांग मंजूर कराने के पहले कटमोशन्स का डिस्पोजल जरूर होता है।

एक माननीय सदस्य : सब डिमाण्ड्स में ऐसा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत कैर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कटमोशन्स रखे हैं वे तो बोलें लेकिन आपका कौनसा कटमोशन है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलने का नहीं कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि शुरू में यह व्यवस्था दी गयी थी, all cut motions will be taken as moved. So the cut motions have been moved. Now the cut motions have neither been withdrawn nor they have been rejected by the House. Therefore, they should be put to vote.

श्री अध्यक्ष : जिस तरीके से मूव हुए समझे गये, उसी तरीके से उनको वापस लिया हुआ समझ लिया जाय, न तो मूव हुए न वापस हुए। लिखकर भेज दें उत्तर। यों तो फिर इन्डीवीजुअली 300–400 कटमोशन्स हैं उन सबको एक एक को करें तो उसमें कल हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक साथ कह दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : डिमाण्ड पास हो जायेगी तो इसका मतलब यह हुआ, कटमोशन्स खतम हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं, सवाल रूल्स का है। उसमें कोई कमी न रहे इसलिए आप इतना पूछ लीजिए, जो मूव कर दिये गये हैं, सब विथड्रा माने जायें, या रिजेक्ट माने जायं।

मांग संख्या 46–का पारण

श्री अध्यक्ष : आप वयोवृद्ध हैं, आपने सुझाव दिया वह मान लिया।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,24,51,31,000 (तीन सौ चौबीस करोड़ इक्यावन लाख इकत्तीस हजार रुपये) तक

Page No 281

(281)

(श्री अध्यक्ष)

की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री देवीसिंह भाटी : एक दिन की बहस और रखी जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.42 बजे, शुक्रवार दिनांक 6 अप्रेल, 1984 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 491 की सूची

पंचायत समिति, सुवाना जिला—भीलवाड़ा में वर्ष 1983-84 में नियुक्त

अनुदेशकों की सूची

क्र. सं.	नाम अनुदेशक	ग्राम	विशेष विवरण
1.	श्री गोपाल लाल त्रिपाठी	पार्वतीपुर	
2.	श्री प्रभुलाल दरोगा	रगसपुरिया	
3.	श्री अम्बालाल शर्मा	पालडी	
4.	श्री भैरूंलाल सोमानी	रतनपुरा	
5.	श्री भंवरसिंह राणावत	दलेलसिंह जी का खेड़ा	
6.	श्री मनोज कुमार शर्मा	पुर	
7.	श्री देवेन्द्र सिंह डोडिया	आटूण	
8.	श्री लहरूलाल गाडरी	दादिया	
9.	श्री राजेन्द्र कुमार जोशी	सुवाना	
10.	श्री लक्ष्मणलाल गर्जर	नायों का खेड़ा	
11.	श्री मदनलाल पाराशर	फागणों का खेड़ा	
12.	श्री कैलाशचन्द पारीक	नई ईरास	
13.	श्री श्यामलाल शर्मा	भोपालगढ़	
14.	श्रीमती कान्ता देवी शर्मा	पुर	
15.	श्री पृथ्वीराज शर्मा	कावाखेडा	
16.	श्रीमती श्यामादेवी	माधोलाई	
17.	श्री भैरूंलाल शर्मा	रूपाहेली	
18.	श्री मंगकरणसिंह	सेपुरिया	
19.	श्री चतरसिंह कावडिया	मलाणा	
20.	श्री रामेश्वरलाल टेलर	रीछडा	
21.	श्री पारस कुमार खारीवाल	बड़ा महुआ	
22.	श्री हिम्मतसिंह खारीवाल	बड़ा महुआ	
23.	श्री मूरलीधर भाडोलिया	पुर	

क्र. सं.	नाम अनुदेशक	ग्राम	विशेष विवरण
24.	श्रीमती मीना शर्मा	ईरास	
25.	श्री जमनालाल तेली	कारोई	
26.	श्री कैलाशचन्द्र भाडोलिया	पुर	
27.	श्री शम्भूसिंह	मालोला	
28.	श्री प्रहलाद राय शर्मा	साकरियाखेड़ा	
29.	श्री पर्वतसिंह	छापरी	
30.	श्री श्यामलाल शर्मा	सांगवा	
31.	सुश्री मंजु कुमारी पोखरणा	आकोला	
32.	श्री सत्यनारायण बोहरा	सीदड़ियास	
33.	श्री गणेशलाल जाट	पोण्ड्रास	
34.	सुश्री सरोज शर्मा	सांगानेरी गेट	
35.	श्रीमती शान्ता देवी शर्मा	तेलीपाड़ा	
36.	श्री बालूसिंह	जीत्याखेड़ी	
37.	श्री भंवरलाल शर्मा	कारोई	
38.	श्री आसकरण बुलिया	पुर	
39.	श्री बालकृष्ण त्रिवेदी	पुर	
40.	श्री संग्रामसिंह	पीपली	
41.	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी	गुरला	फरवरी 84 से कार्य करना बन्द किया।
42.	श्री रघुनाथसिंह	सेथूरिया	,,
43.	श्री गणेशलाल रैगर	पीपली	,,
44.	श्री बद्रीलाल	लापडिया खेड़ा	अक्टूबर 83 से कार्य करना बन्द किया।
45.	श्री लादूलाल	कुमावतों का खेड़ा	,,

Page No 284

(284)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 493 की सूची

राज्य की जिलेवार साक्षरता प्रतिशत, जिलेवार स्वीकृत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा जिलेवार कार्यरत (दिसम्बर, 83 के अनुसार) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का विवरण

क्रम सं.	जिला	साक्षरता प्रतिशत 1981 के आधार पर	कार्यरत केन्द्रों की सं.	स्वीकृत केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	35.01	484	500
2.	अलवर	26.09	595	600
3.	बांसवाड़ा	16.78	594	600
4.	बाड़मेर	11.97	293	300
5.	भरतपुर	25.85	298	300
6.	भीलवाड़ा	19,77	265	300
7.	बीकानेर	27.11	300	300
8.	बूंदी	19.94	300	300
9.	चित्तौड़गढ़	21.85	491	500
10	चूरू	21.62	295	300
11.	डूंगरपुर	18.42	600	600
12.	धौलपुर	—	300	300
13.	गंगानगर	25.56	300	300
14.	जयपुर	31.06	300	300

Page No 285

(285)

1	2	3	4	
15.	जैसलमेर	14.73	300	300
16.	जालौर	13.77	297	300
17.	झालावाड़	22.79	300	300
18.	झुन्झुनू	27.81	300	300
19.	जोधपुर	25.87	292	300
20.	कोटा	31.91	300	300
21.	नागौर	19.25	291	300
22.	पाली	21.84	300	300
23.	सवाई माधोपुर	22.93	406	500
24.	सीकर	24.95	500	500
25.	सिरोही	19.90	395	400
26.	टोंक	20.26	390	400
27.	उदयपुर	21.85	297	300
	कुल योग		9744	10000

6–3–84

राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 24.05 है।

निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

———

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 495 का विवरण

गुणवत्ता नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण :— परिशिष्ट 'अ'

वृत्त का नाम	आवासन अभियन्ता	परि. अभि. वरिष्ठ	प.अ.क.
जयपुर	1	2	—
कोटा	—	1	2
जोधपुर	—	1	2

आवासन अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड, जयपुर पूरे राज्य के गुणवत्ता नियंत्रण शाखा के इन्चार्ज हैं।

इस खण्ड का ओवर आल कन्ट्रोल श्री हरीश चन्द्र भार्गव, उप आवासन आयुक्त के पास था।

परिशिष्ट-ब

वर्ष 1982-83

क्र.सं	वर्ष	अधिकारी जिसने नमूने लिये	स्थान जहां से नमूने लिये	कुल नमूनों की संख्या	नमूने जो सही नहीं पाये गये
1	3	3	4	5	6
1.	82-83	परियोजना अभि. (व.) II जयपुर ।	खण्ड प्रथम, जयपुर	38	9
2.	82-83	,, ,,	खण्ड II, जयपुर	162	36
3.	82-83	परियोजना अभि. (व.) I जयपुर ।	खण्ड III, जयपुर	214	74
4.	82-83	,, ,,	खण्ड 4, जयपुर	186	68
5.	82-83	,, ,,	खण्ड 5, जयपुर	87	32

1	2	3	4	5	6
6.	82-83	परियोजना अभि. (व.) II जयपुर I	खण्ड 6, जयपुर	126	23
7.	82-83	परियोजना अभि. (व) कोटा	खण्ड II, कोटा	150	21
8.	82-83	,, ,,	खण्ड III, कोटा	129	78
9.	82-83	,, ,,	खण्ड 4, कोटा	77	15
10.	82-83	,, ,,	खण्ड 5, कोटा	114	18
11.	82-83	परियोजना अभि. (ब)II उदयपुर I	उदयपुर	38	4
12.	82-83	परियोजना अभि. (व) जयपुर I	खंड II अलवर	14	—
13.	82-83	परियोजना अभि. (व) कोटा	खंड I, कोटा	114	22

वर्ष 1983–84

क्र.सं.	वर्ष	अधिकारी जिसने नमूने लिये	स्थान जहां से नमूने लिये	कुल नमूनों की संख्या	नमूने जो सही नहीं पाये गये
1	2	3	4	5	6
1.	83-84	परियोजना अभियंता वरिष्ठ 2 जयपुर ।	खण्ड प्रथम जयपुर	93	15
2.	83-84	,, ,, ,,	खण्ड द्वितीय जयपुर	141	74
3.	83-.4	परियोजना अभियंता वरिष्ठ I जयपुर ।	खण्ड तृतीय जयपुर	231	115
4.	83-84	,, ,, ,,	खण्ड चतुर्थ जयपुर	73	38
5.	83-84	,, ,, ,,	खण्ड पंचम जयपुर	61	31
6.	83-84	परियोजना अभियंता वरिष्ठ 2 जयपुर ।	खण्ड षष्टम् जयपुर	112	40
7.	83-84	,, ,, ,,	खण्ड सप्तम् जयपुर	25	—
8.	83-84	परियोजना अभियंता वरिष्ठ कोटा	खण्ड प्रथम कोटा	209	53
9.	83-84	,, ,, ,,	खण्ड द्वितीय कोटा	268	79
10.	83-84	,, ,, ,,	खण्ड तृतीय कोटा	339	97

289

1	2	3	4	5	6
11.	83-84	परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ कोटा	खण्ड चतुर्थ कोटा	380	89
12.	83-84	,, ,, ,,	खण्ड पंचम कोटा	303	68
13.	83-84	परियोजना अभियंता वरिष्ट जोधपुर	खण्ड प्रथम जोधपुर	83	8
14.	83-84	,, ,, ,,	खण्ड द्वितीय जोधपुर	386	28
15.	8?-84	परियोजना अभियंता वरिष्ट 2 जयपुर	खण्ड प्रथम अलवर	7	—
16.	83-84	,, ,, ,,	खण्ड द्वितीय अलवर	8	—

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 497 की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	नाम ग्राम पंचायत	नाम सरपंच	माननीय मन्त्री महोदय के यहां पत्रावली प्राप्त होने का क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	जमवारामगढ़	फूटोलाव	श्री रामदयाल	292/23·3·83
2.	बस्सी	बूरथल	,, भगवान सहाय	453/16.5.83
3.	जमवारामगढ़	विरासना	,, प्रभाती लाल	509/18.5.83
4.	बस्सी	हंसमहल	,, सत्यनारायण	765/20.10.82
5.	जमवारामगढ़	रायसर	,, भगवान सहाय	1496/22.4.81
6.	बस्सी	सांभरिया	,, जगदीश नारायण	455/16.5.83
7.	जमवारामगढ़	महंगी	,, धोकलराम	232/8.3.83
8.	झोटवाड़ा	जयसिंहपुराखोर	,, मांगीलाल	171/6.3.82
9.	सागानेर	बगरू	,, जगदीश नारायण	954/5.12.83
10	दूदू	दूदू	,, रघुनाथ सिंह	439/12.5.83
11	गोबिन्दगढ़	सामोद	,, रामेश्वर प्रसाद मंहत	168/6.3.82
12	दौसा	बड़ागांव	,, मूल चन्द	1494/22.4.81
13.	बस्सी	मानपुरखेड़ी	,, मांगी लाल	167/16.2.83
14.	दूदू	रहलाना	,, भंवरसिंह	640/2.6.83
15.	दूदू	झाग	,, शांती लाल जैन	773/21.10.82
16.	गोविन्दगढ़	नागलकोजू	,, प्रभाती लाल	167/6.3.82
17.	बस्सी	बनाउकलां	,, प्रभाती लाल	663/9.8.83
18.	सिकराय	कालवान	,, राम सहाय	667/11.8.83
19.	दूदू	दांतरी	,, जगदीश नारायण	173/8.3.82
20.	जमवारामगढ़	जमवारामगढ़	,, छीतरमल	215/3·3·83

292

1	2	3	4	5
21.	कोटपूतली	चतुर्भुज	श्री हनुमान दास	306/20.1. 81
22.	सहाड़ा	अरनिया	,, बकतावरसिंह	498/1.8.81
23.	कोटड़ी	रीठ	,, शंकर लाल नाई	109/11.2.82
24.	जहाजपुर	भगूनगर	,, भूरा लाल	668/29.10.83
25.	आसिन्द	चैनपुरा	,, लहर चन्द	679/29.10.83
26.	कोटड़ी	नन्दराय	,, करण सिंह	1972/17.6.81
27.	जहाजपुर	सरसिया	,, बरदीचन्द	857/17.10.83
28.	कोटड़ी	रीठ	शंकरलाल सैन	1485/22.4 81
29,	जहाजपुर		,, देवीलाल	678/29.10.83
30.	सुवाणा	सागवा	,, रामेश्वर लाल	618/21.8.81
31.	सुवाणा	सागवा	,, रामेश्वर लाल	132/20.2.82
32.	आसिन्द	निम्बाहेड़ा	,, जमना लाल	499/1.8.81
33.	माण्डलगढ़	धामनिया	,, सोहन लाल	314/24.5.82
34	सहाड़ा	भरक	,, बालू राम जाट	719/5.11.82
35.	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	बिलिया	,, चन्दमल काबरा	712/13.2.81
36.	माण्डल	बेमाली	,, डूंगरसिंह	606/1.9.82
37.	कोटड़ी	नवराय	,, कारणसिंह चौधरी	582/5.2.81
38.	कोटड़ी	सुठेपा	,, कन्हैया लाला	680/7.12.81
39.	भीनमाल	नादिया	,, सोना राम	61/23.6.82
40.	जैतारण	चावडिया	,, गिरधारी लाल	1020/30.11.81
41.	टोडारायसिंह	खरेड़ा	,, सीताराम	664/9.8.83
42.	मालपुरा	पचेवर	,, हरीश चन्द पाराशर	821/29.9.83
43.	टोंक	गलोद	,, राम स्वरूप	1937/11.6.81
44.	चेचट	खैरावाद	,, मदनसिंह	283/22.3.83
45.	चेचट	सुकेत	,, मुश्ताक अहमद	344/2.4.83
46.	,,	डण्डवा	,, रामेश्वर प्रसाद	680/16.8.83
47.	बाड़मेर	छीतर का पार	,, मूलाराम	616/26.7.83

1	2	3	4	5
48.	गढ़ी	प्रतापुर	श्री काशीनाथ	528/31.7.82
49.	घाटोल	सेनावास	श्री नवनीत लाल	528/14.6.83
50.	बकानी	गुलखेड़ी	,, रतनलाल	180/21.2.83
51.	सपोटरा	कसेड़	,, चिरंजी लाल	447/12.5.83
52.	,,	बहादुरपुर	,, रामजी लाल	150/8.2.83
53.	,,	जोड़ली	,, केदारलाल	89/24.1.83
54.	बोली	मलारनाचोड़	,, रामकरण	पत्रावली में क्रमांक व दिनांक उपलब्ध नहीं हैं।
55.	,,	मलारना चौड़	,, रतनलाल	883/15.12.82
56.	,,	जस्ताना	,, बजरंगलाल	451/16.5.83
57.	महुवा	श्रोडमीना	,, घनश्याम	952/5.12.83
58.	सवाईमाधोपुर	खिलचीपुर	,, श्यामलाल	784/5.11.82
59.	टोडाभीम	महस्वा	,, नारायण लाल	684/16.8.83
60.	गंगापुर	बगलाई	,, बब्बल राम	820/29.9.83
61.	करौली	कोटा	,, प्रभुसिंह	427/30.6.82
62.	सिरोही	पेशवा	,, जोरावरदानसिंह	797/21.9.83
63.	आमेट	चौसुण्डी	,, सोहन सिंह	518/28.7.82
64.	गिर्वा	बुझड़ा	,, शिव नारायण	737/26.12.81
65.	बड़गांव	बड़गांव	,, पन्ना लाल	507/28.7.82
66.	सरदार शहर	जैसगसर	,, बुध्दराम	661/10.2.81
67.	डूंगरगढ़	सुण्डसर	,, लक्ष्मणराम	136/23.2.82
68.	राजगढ़	मुवाड़ी	,, मामचन्द	141/7.2.83
69.	गंगानगर	शिवपुर	,, भागीरथ	836/10.10.83
70.	मावली	रख्यावेल	,, जैतराम	835/6.10.83
71.	गोगुन्दा	कमोल	,, भूरालाल	742/8.9.83
72.	सुजानगढ़	साण्डवा	,, गुमानसिंह	942/30.6.82
73.	किशनगढ़	पनेर	,, हुनुमान प्रसाद	625/21.7.83

1	2	3	4	5
74.	किशनगढ़	रुपनगढ़	श्री पुरषोत्तम टण्डन	33/30.3.82
75.	भिनाय	बड़गाव	,, फतेह सिंह	734/26.12.81
76.	,,	सिघावल	,, रामलाल	705/4.10.82
77.	,,	बादनवाड़ा	,, वीरेन्द्र सिंह	182/8.3.82
78.	,,	लाभगरा	,, मगनीराम	261/23.4.82
79.	,,	घोरगढ़	,, विक्रम सिंह	1204/14.7.81
80.	केकडी	चौसला	,, जगदीश प्रसाद	296/17.5.82
81.	कामां	बोलखेड़ा	,, नत्थी सिंह	661/1.12.81
82.	रूपवास	पिचूना	,, झमन लाल	43/13.1.83
83.	धौलपुर	मनिया	,, बाबूलाल	1556/28.4.81
84.	भोपालगढ़	खवासपुरा	,, मोहनलाल	97/27.1.83
85.	लूणी	सालावास	,, रावतराम	232/14.9.81
86.	फलौदी	लोहावट	,, मालाराम	466/26.10.81
87.	बालेसर	बारनाऊ	,, लाखाराम	194/2.9.81
88.	पीपराली	दौलतपुरा	,, भीमसिंह	616/25.11.81
89.	खण्डेला	मलिकपुर	,, शंकरराम	386/1.10.81
90.	नवलगढ़	सोटवारा	,, गौरी शंकर	80/19.11.82
91.	चिड़ावा	केहरपुरा	,, नन्द लाल झाझड़िया	582/25.8.82
92.	डीडवाना	कोलिया	,, हनुमानमल मेड़	73/29.9.83
93.	जहाजपुर	रोपा	श्रीमती प्रेम कंवर	782/19.9.83

———

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या, 501 को सूची

आश्रम स्कूल भवनों की सूची जो पूर्ण हैं, लेकिन छात्रों को प्रवेश देकर आरम्भ नहीं हुए हैं।

क्रम सं.	नाम जिला		आश्रम स्कूल का नाम	पूर्ण	
1.	अलवर	1.	राजगढ़	(1-10-83 के बाद पूर्ण)	
		2.	रेणी	"	"
2.	जयपुर	3.	रालावास	"	"
		4.	झर	"	"
		5.	ढण्ड	"	"
		6.	घूमना	"	"
		7.	भावता भावती	"	"
		8.	दतालामीना	"	"
		9.	निहालपुर	"	"
3.	सवाई माधोपुर	10.	चौथ का बरवाड़ा	"	"
		11.	वजीरपुर	"	"
4.	सिरोही	12.	मोरस	पूर्ण	

———

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न संख्या 503 की सूची

पं. स. खण्डार—

क्र. सं.	नाम ग्राम	वर्ष 1980 के पूर्व के अधूरे कार्यों की संख्या	वर्ष 1980 के बाद पूर्ण किये गये निर्माण कार्यों की संख्या	अधूरे रहे कार्यों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	भूरी पहाड़ी	3	3	–
2.	बहरावड़ा कला	2	2	–
3.	डूंगरी	3	2	1
4.	अक्षयगढ़	1	1	–
5.	सीगोर कला	4	–	4
6.	गोठ बिहारी	8	6	2
7.	वलावड़ा	4	–	4
8.	रेडावद	6	3	3
9.	करेड़ी	3	2	4
10.	बिचपूर	2	2	–
11.	क्यारदा कला	4	2	2
12.	बालेर	2	–	2
13.	बहरावड़ा खुर्द	1	–	–
14	खंडेवला	3	3	–
15.	मण्डावर	4	2	2
16.	अनियाला	4	1	3
17.	खण्डार	3	3	–
18.	बसावदा	5	1	4
19.	फलोदी	3	2	1

(304)

1 2	3	4	5
20. दूमादा	5	4	1
21. लहसोड़ा	4	2	2
22. चितारा	3	3	–
23. डागरवाड़ा	1	1	–
24. पाचोलास	5	5	–
25. रवाज्ना चौड़	4	3	4
26. मई कलां	4	3	1
27. गोठड़ा	5	5	–
28. छाण	6	6	–
29. दोलतपुरा	7	3	4

योग 109

पं. स. नादौती—

1 2	3	4	5
1. केमरी	7	4	3
2. रायसना	3	3	0
3. राजाहेड़ा	3	2	1
4. जीतकीपुर	3	2	1
5. तिमावा	4	1	3
6. दलपुरा	8	–	8
7. बागोर	4	–	4
8. गढमोरा	3	–	3

1 2	3	4	5
9. गढखेड़ा	4	–	4
10. गुढाचन्दजी	6	1	5
11. कुन्जेला	1	1	–
12. रोसी	2	2	–
13. भोलापाड़ा	3	1	2
14. सोप	1	–	1
15. शहर	1	–	1
16. केमा	1	–	1
17. बरदाला	7	1	6
18. तालचिड़ा	5	1	4
19. नादौती	9	2	7
20. पाल	4	–	4
योग:—	79	21	58

पं. स. बामनवास—

1 2	3	4	5
1. ककराला	7	–	7
2. जाहरा	3	–	3
3. अमावरा	4	–	4
4. मीना कोलेता	3	1	2
5. बाटोदा	1	1	–
6. मोरपा	3	1	2

1 2	3	4	5
7. जीवद	3	1	2
8. सुकार	3	1	2
9. शफीपुरा	3	1	2
10. राजोला	4	1	3
11. बरनाला	1	–	1
12. पट्टी खुर्द बामनवास	9	1	8
13. पट्टी कला बामनवास	13	2	11
14. भावरा	1	–	1
15. रिवाली	4	1	3
16. खेडला	6	1	5
17. मांपोली	2	1	1
18. मेल	5	3	2
19. फुलवाड़ा	16	–	16
20. पिपलाई	1	–	1
21. सितोड़	3	1	2
22. बंजारो	14	–	14
23. बेराड़ा	8	2	6
24. बिछोछ	4	1	3
25. नारोली	6	–	6
26. कोयला	3	–	3
27. मंडाल	2	1	1
28. लिवाली	2	–	2
योग:—	134	21	113

(304)

पं. स. महुआ

1	2	3	4	5
1.	तालचिड़ा	3	1	2
2.	बड़ा गांव	2	2	–
3.	खेड़ला	2	2	–
4.	औण्ड मीना	3	1	2
5.	ताहिड़ा	2	1	1
6.	पलानहेड़ा	2	2	–
7.	सालिमपुर	1	1	–
8.	डंकरूद	2	2	–
9.	जटवाड़ा	3	2	1
10.	मण्डावर	1	1	–
11.	गोपीपुरा	2	2	–
12.	घोलखेड़ा	1	1	–
13.	रसीदपुर	1	1	–
14.	रामगढ़	1	1	–
15.	हल्देता	1	1	–
16.	रीदती	1	1	–
17.	बालाहेड़ो	2	2	–
18.	नोरंगवाड़ा	1	–	1
19.	टुडिवाना	3	3	–
20.	बाडा बुर्संग	1	–	1
21.	साथा	1	1	–
22.	गहनौली	1	1	–
23.	महवा	1	1	–
24.	हुडिया	1	1	–
25.	गगवाना	1	1	–

1	2	3	4	5
26.	समलेटी	2	2	–
27.	पाखर	1	1	–
28.	ठण्ड	1	1	–
	योग—	44	36	8

पं, स. गंगापुर—

1	2	3	4	5
1.	टोकमो	2	2	–
2.	नौगांव	2	2	–
3.	बाननवड़ौदा	2	2	–
4.	सलेमपुर	1	1	–
5.	बुचोलाई	1	–	1
6.	नारायणपुर	2	–	2
7.	कनकटा	1	1	–
8.	मिर्जापुर	1	1	–
9.	तलावड़ा	1	1	–
10.	खानपुर वड़ौदा	3	3	–
11.	महु कलां	1	1	–
12.	खूटला वड़ौदा	3	3	–
13.	चूलो	1	–	1
14.	रायपुर	1	–	1
15.	बगलाई	1	–	1
16.	रेडायल	1	–	1
	योग—	24	17	7

पं. स. हिण्डौन—

1	2	3	4	5
1.	हुकमी खेड़ा	3	2	1
2.	जटनगला	2	2	–
3.	खेड़ी हेवत	3	1	2
4.	बसेड़ा	1	1	–
5.	टोडूपुरा	1	1	–
6.	कटकड	1	–	1
7.	बाजनाकलां	3	2	1
8.	गावड़ा मोनरी	3	1	2
9.	जटवाड़ा	2	1	1
10.	पाटोदा	1	1	–
11.	सूरोठ	1	1	–
12.	विजयपुरा	1	1	–
13.	खेडली गुजर	2	–	2
14.	खेगली जमालपुर	1	1	–
15.	बरगमा	2	1	1
16.	जगर	3	1	2
17.	खरेटा	2	1	1
18.	करसोली	2	1	1
19.	काचरोली	1	1	–
20.	सिकरोदा मीना	3	2	1
21.	दालानपुर	1	1	–
22.	श्रीमहावीरजी	3	3	–
23.	चादन गांव	3	3	–
24.	शरेपुर	5	–	5

(२२१)

1 2	3		5
25. ढिढोरा	1	–	1
26. क्यारदा	1	–	1
27. पालो	1	1	–
योग:—	53	30	23

पं. स. सपोटरा—

1 2	3	4	5
1. भाकरी	3	–	3
2. इनायती	3	2	1
3. गोठरा	3	3	–
4. लेदिया	3	2	1
5. बुकना	3	–	3
6. जीरोता	3	–	3
7. बगोदा	3	–	3
8. सपोटरा	3	3	–
9. अमरगढ़	3	2	1
10. जाखोदा	3	3	–
11. हाडोती	3	3	–
12. डाबरा	3	1	2
13. डाडार	4	4	3
14. गूढ़ेह	3	3	3
15. दोलतपुरा	3	1	2

(2350)

1 2	3	4	5
16. बालोती	3	1	2
17. जोडली	3	1	2
18. लूलोज	3	–	3
19. बाजना	3	–	3
20. मण्डरायल	3	2	1
21. एकट	3	2	1
22. ओण्ड	3	1	2
23. कावरोदा	2	2	–
24. चोड़ा गांव	3	1	2
25. नारोली	3	3	–
26. घोरेटा	3	1	2
27. खेड़ला	3	1	2
28. नोरर	3	–	3
29. रोधई	3	2	1
30. लोंगपुरा	3	3	–
31. कसेड	3	–	3
32. भरसून	3	3	–
33. सलेमपुर	2	2	–
34. महमदपुरा	3	1	2
35. अमरवार	2	–	2
36. बापोती	3	3	–
37. लांगरफ	3	1	2
38. बहादरपुर	3	3	–
39. नानपुर	3	–	3
40. करनपुर	3	1	2
41. निभेरा	3	2	1

1 2	3	4	5
42. चन्देलीपुरा	1	–	1
43. करगांव	3	1	2
44. रानीपुरा	3	–	3
योग:—	127	57	170

पं. स. सवाईमाधोपुर—

1 2	3	4	5
1. रामडी	3	3	–
2. सुनारी	3	3	–
3. जौला	3	–	3
4. खिलचीपुर	1	–	1
5. शेरपुर	3	2	1
6. छारोदा	2	–	2
7. पावडेड़ा	2	2	–
8. भेडोला	3	–	3
9. बन्जारी	3	1	2
10. सारसोप	4	3	1
11. ईसरदा	2	1	1
12. डिडायच	2	–	2
13. शिवाड़	3	2	1
14. महापुरा	1	1	1
15. टापुर	3	3	3

1 2	3	4	5
16. डेकवा	5	1	4
17. गम्भीरा	6	–	6
18. भदलाव	2	–	2
19. श्यामपुरा	1	1	–
20. ओलवाड़ा	3	1	2
21. झोपड़ा	3	1	2
22. लोरवाड़ा	6	2	4
23. भगवतगढ़	5	3	2
24. सूरवाल	6	1	5
25. मैनपुरा	4	2	2
26. करमोदा	1	1	–
27. आटूनकलां	2	2	–
28. चकेरी	3	1	2
29. पटाना	3	1	2
30. मखोली	3	–	3
31. सेलू	4	–	4
32. बरवाड़ा	2	2	–
33. बलरिया	2	1	1
34. रजमाना	2	2	–
35. अजनोटी	3	1	2
36. जटवाड़ा कलां	3	1	2
37. जड़ावता	1	1	1
38. कुस्तला	7	–	7
39. मुई	5	2	3

(307)

1 2	3	4	5
40. जोनापुर	4	1	3
41. कुन्हेरा	–	–	–
42. आदलवाड़ाकला	–	–	–
43. रावल	–	–	–
योग:—	127	48	

पं. स. टोडाभीम—

1 2	3	4	5
1. माचड़ी	4	1	3
2. मान्नोजे	1	1	–
3. शहराकर	2	–	2
4. पाटोली	4	–	4
5. पाडला	4	–	4
6. भजेड़ा	2	–	2
7. सांकरवाड़ा	5	–	5
8. मातासेला	9	2	7
9. नागल लाठ	2	2	2
10. झाड़ीसा	6	4	2
11. मन्डेरू	4	1	3
12. मोरड़ा	4	1	3
13. धवान	1	1	–

1 2	3	4	5
14. कमालपुरा	6	2	4
15. महसुवा	9	–	9
16. नागल शेरपुर	6	–	6
17. रानौली	3	1	2
18. शेखपुरा	10	1	9
19. किरवाड़ा	4	–	4
20. निसूरा	7	–	7
21. खेड़ी	3	1	2
22. बौली	9	–	9
23. करोरी	3	–	3
24. बालघाट	7	4	3
25. भन्डारी	3	1	2
26. कुढापल	2	–	2
27. पहाड़ी	2	–	2
28. भूंडिया	3	–	3
29. तिगरिया	2	–	2
30. देवलेन	3	–	3
31. कटारा अजीज	4	–	4
32. भोपुर	3	1	2
33. कन्जोली	2	–	2
34. लपावली	3	–	3
35. पदमपुरा	3	–	2
36. खोहरा	2	–	2
37. गोरड़ा	7	4	3
38. जगदीशपुरा	5	–	5
39. महमदपुर	3	–	3
40. गौल	1	–	1
योगः—	163	29	134

पं. स. करौली—

1	2	3	4	5
1.	रूपपुर	4	1	3
2.	सेगरपुरा	2	2	–
3.	परोता	3	2	1
4.	ससेड़ी	4	3	1
5.	खेडिया	1	1	–
6.	कोटा	2	2	–
7.	करसाई	2	1	1
8.	गुनेसरा	1	1	–
9.	सायपुर	3	3	–
10.	रामपुर	2	2	–
11.	चैनपुर बरिया	2	–	2
12.	चैनपुर गाधोली	4	–	4
13.	कोटाधावर	2	2	–
14.	गमरा	5	5	–
15.	हुकसाली	2	2	–
16.	गुडला	2	1	1
17.	खूबनगर	1	1	–
18.	बीजलपुर	1	1	–
19.	मासलपुर	3	3	–
20.	जहांगीरपुर	1	1	–
21.	रतियापुरा	2	1	1
22.	डाडा	2	1	1
23.	रोडकला	1	1	–
24.	खून्डा	1	1	–
25.	महोली	2	1	1

1 2	3	4	5
26. फतेहपुर	2	2	–
27. भावली	1	–	1
28. सीकोती	2	2	–
29. तुलसीपुरा	3	3	–
30. लोहरा	2	1	1
31. नारायण	1	–	1
32. अहेवा	1	1	–
योग:—	67	48	19

पं. स. बौली—

1 2	3	4	5
1. जस्टाना	1	1	–
2. मलारना चौड़	1	1	–
3. पीपलदा	4	3	1
4. कोडायई	3	1	2
5. मित्रपुरा	4	4	–
6. बोरदा	3	2	1
7. दतूली	3	–	3
8. मामड़ोली	3	–	3
9. शेषा	3	–	3
10. तारनपुर	2	–	2
11. भूखा	3	1	2

1 2	3	4	5
12. भाड़ौती	2	1	1
13. गम्भीरा	2	–	2
14. बहेतड़	3	1	2
15. नीमोद करेल	1	1	–
16. मलारना डूंगर	2	1	1
17. सांकड़ा	3	1	2
18. बिच्छोदौना	4	4	–
19. मलारना स्टेशन	6	2	4
20. हिन्दुपुरा	2	1	1
21. जोलन्दा	4	–	4
22. बढागांव सरवर	3	1	2
23. कोलाड़ा	6	3	3
24. उदगांव	2	1	1
25. लाखनपुर	3	–	3
26. बागडोली	4	2	2
27. हथडोली	3	3	–
28. पीपलवाड़ा	4	2	2
29. मोरण	5	1	4
30. गोतारू	5	3	2
31. झमून	4	1	
32. कुशलपुरा	4	3	1
33. बपुई	3	2	3
34. गालद कलां	3	2	1
35. खिरनी	10	4	6
36. बौंली	16	10	6
योग:—	135	63	73

312

परिशिष्ट

क्र. सं.	कर मुक्त फिल्में	व्यक्ति/संस्थान का नाम	आवेदन प्राप्ति का दि.	कर उ... आदेश का दि...
1.	बिन मां के बच्चे	मै. के. एस. एन्टरप्राइजेज मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स, बम्बई		25.2.
2.	अब्दुल्ला	संजय खान, मैनेजिंग डायरेक्टर मै जाँफा फिल्म्स प्रा. लि. संजय हाउस सिल्वर बीच, जुहू, बम्बई	27.8.80	17.2.81
3.	क्रान्ति	मै. वी. आई. पी. फिल्म्स, मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स तथा डिस्ट्रीब्यूटरी, बम्बई	7.3.81	20.4.81
4.	गांधी	इण्डो ब्रिटिश फिल्म्स लि., नई दिल्ली (सू. एवं प्र. मंत्रालय की सिफारिश)	जनवरी, 83	25.3.83
5.	दर्द का रिश्ता	सुनील दत्त वास्ते अजन्ता आर्ट्स, मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स बम्बई	29.6.83	22.10.83

(313)

परिशिष्ट 7

तारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूचना

कर मुक्त जिलों के नाम एवं प्रदर्शन अवधि

वृत्त का नाम	स्थान	अब्दुल्ला			बिन मां के बच्चे			क्रान्ति			गाँधी			दर्द का रिश्ता		
		कब से	कब तक	कुल दिन	कब से	कब तक	कुल दिन	कब से	कब तक	कुल दिन	कब से	कब तक	कुल दिन	कब से	कब तक	कुल दिन
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
जयपुर वृत्त	जयपुर	13.3.81	9.4.81	28	—	—	—	3·6·81	11·6·81	9	....	....	—	....	....	—
	जयपुर	....	....	—	4·3·81	23·4·81	51	—	—	....	....	—	—	11·11·83	20·1·84	7
	जयपुर	....	....	....	24·4·81	30·4·81	7	....	....	....	....	—	....	....	—	...
	दौसा	....	....	....	4·3·81	7·4·81	35	16·5·81	14·6·81	30	—	....	....	3·12·83	31·12·83	29
	बांदीकुई	....	....	....	3·7·81	30·7·81	28	—	....	—	—	—	....	—	—	....
	जयपुर	....	....	....	....	....	—	15·5·81	13·6·81	30	27·5·83	7·7·83	42	—	—	....
	जयपुर	....	....	....	—	....	—	—	....	...	27·5·83	7·7·83	42	—	....	....
ब्यावर वृत्त	ब्यावर	7.4.81	16.4.81	10	23·7·81	30·7·81	8	—	—	—	....	—	—	—	—	..
	ब्यावर	....	....	....	....	—	—	—	....	....	22·9·83	28·9·83	7	18·11·83	30·11·83	13
अजमेर	किशनगढ़	1·4·81	9·4·81	9	—	—	—	....	—	—	—	....	—	9·12·83	15·12·83	7
	अजमेर	....	....	—	1·4·81	16·4·81	16	—	....	....	—	....	....	....	—	..
	नसीराबाद	....	—	—	—	....	....	—	—	....	—	—	....	10·1·84	15·1·84	6
	अजमेर	....	—	—	—	....	....	—	—	—	7·7·83	21·7·83	15	5·11·83	31·12·83	2
भरतपुर	भरतपुर	14·3·81	30·3·81	17	—	—	—	....	—	....	—	—	—	5·11·83	16·11·83	12
	भरतपुर	....	....	—	7·3·81	15·4·81	40	29·5·81	18·6·81	21	....	—	....	—	....	...
	भरतपुर	...	....	....	....	....	....	29·5·81 एवं 19·6·81	11·6·81 21·6·81	17	—	....	—	....	....	...

(314)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	उदयपुर "ब"	कांकरोली	....	....	—	1·5·81 एवं 30·5·81	9·6·81 31·5·81	11	—	....	—	—	—	—	—	....
		नाथद्वारा	7·6·81	17·6·81	11	—	....	—	—	—	....	—	—	—	....	—
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	....	—	—	....	—	....	2·7·81	14·7·81	13	30·9·83	7·10·83	8	—	—
		भीलवाड़ा	—	—	—	....	....	—	2·7·81	29·7·81	28	—	....	—	....	....
		भीलवाड़ा	2·4·81	6·5·81	35	23·5·81	11·6·81	19	....	—	—	....	—	—	....	—
8.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	22·4·81	1·5·81	10	12·5·81	20·5·81	9	....	....	....	—	—	—	26·11·83	5·12·83
		चित्तौड़गढ़	24·5·81	4·6·81	12	29·4·81	11·5·81	13	—	—	—	....	....	....	2·12·83	12·12·83
		प्रतापगढ़	—	—	—	14·4·81	1·6·81	19	—	....	....	—	—	....	....	....
9.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	....	....	....	....	...	10 शो	20·6·81	14·7·81	25	—	—	....	....	....
		सागवाड़ा	....	—	—	....	....	—	19·7·81	30·7·81	12	....	....	—	10·1·84	19·1·84
		डूंगरपुर	—	....	....	—	....	—	26·6·81	30·6·81	5	—	—	....	....	....
		डूंगरपुर	—	—	—	....	....	....	....	....	....	....	—	—	13·1·84	24·1·84
10.	बीकानेर	बीकानेर	12·2·81	25·2·81	14	....	....	....	....	....	....	—	....	—	....	....
		बीकानेर	....	—	....	21·4·81	7·5·81	17	20·2·81	13·4·81	53	....	—	....	—	....
11.	रायसिंह नगर	पदमपुर	—	....	....	10·7·81	20·7·81	11	....	—	....	—	....	—	....	....
12.	चूरू	चूरू	21·3·81 एवं 1·4·81	31·3·81 3·4·81	14	—	—	—	....	—	....	—	....	....	16·12·83	26·12·83
		रतनगढ़	....	—	....	17·5·81	27·5·81	11	—	—	—	....	—	—	—	—
		सुजानगढ़	11·4·81	23·4·81	14	—	—	....	....	—	....	—	....	....	10·12·83	15·12·83
		राजगढ़	....	—	—	28·6·81	10·7·81	13	—	....	—	....	....	—	....	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	81
केकड़ी	—	—	....	9 5·81	31·5·81	23	....	....	....	....	—	....	....	....	....
चिड़ावा	....	....	—	15·6·81	21·6·81	7	—	....	—	—	—	—	....	—	....
चिलानी	—	....	—	18·6·81	30·6·81	13	—	—	—	....	....	....	....	—	....
भुन्भुनू	....	....	—	—	....	....	17·6·81	19·7·81	35	—	....	—	—	....	—
सीकर	6·3·81	20·3·81	15	—	....	—	—	—	—	—	—	....	....	....	....
सीकर	....	....	....	—	—	....	1·5·81	7·5·81	7	—	....	....	....	....	—
सीकर	—	—	....	7·4·81	20·4·81	14	1·5·81	28·5·81	28	—	....	....	5·11·83	25·11·83	21
हनुमानगढ़	....	—	....	1·4·81	11·4·81	11	1·5·81	12·5·81	12	....	....	—	....	—	—
हनुमानगढ़	8·4·81	16·4 81	9	....	—	—	1·5·81	30·5·81	30	....	—	—	10·12·83	19·12·83	10
बूंदी	—	....	....	11·3·81	24·3·81	14	—	....	....	....	....	....	....	....	—
लाखेरी	....	—	....	18·3·81	31·3·81	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बांरा	....	....	....	3·5 81	16·5·81	14	17·5·81	15 6·81	30	....	....	—	....	....	....
कोटा	—	....	....	—	....	....	24·4·81	23·5·81	30	19·8·83	1,9·83	14	4·11·83	30·11·83	27
कोटा	3·4·81	30 4·81	28	....	—	—	—	....	....	....	—	....	—	....	....
कोटा	....	—	—	12·3·81	2·4·81	21	—	....	....	—	....	—	—	....	....
गाटन	—	—	....	19·4·81	3·5·81	15	....	....	....	....	—	....	—	....	—
रामगंज मंडी	—	—	—	24·4·81	7·5·81	14	13·6·81	10·7·81	28	—	....	....	13·12·83	23·12·83	11
झालावाड़	—	....	—	10·7 81	18·7·81	9	1·5·81	30·5·81	30	....	....	—	2·12·83	12·12·83	15
भवानीमंडी	—	—	....	21·6·81	7·7·81	17	8·7·81	30·7 81	23	—	—	....	....	....	—
गंगापुर	12·3·81	2·4·81	12	9·4·81	24·4·81	16	3·6·81	24·6·81	22	—	—	—	17·1·84	27·1·84	11
हिण्डौन		....		17·5·81	[illegible]	[illegible]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21.	टोंक	सवाई माधोपुर	26·3·81	1·4·81	7	2·4.81	16·4 81	16	....	—	....	—	—	....	29·11·83	9
		सवाई माधोपुर	3 4 81	9 4·81	7	....	....	—	....	....	....	....	....	—	....	
		टोंक	3·5·81	14·5·81	12	1·6·81	9·6·81	9	24·7·81	30·7·81	7	—	—	....	30·11·83	
22.	अलवर "अ"	अलवर	28·4·81	18·5·81	21	....	—	....	....	—	—	....	....	....	—	
		अलवर	—	—	—	18·4·81	7 5·81	20	—	—	....	....	—	....	....	
		खेरथल	—	—	....	29·5·81	18·6·81	21	—	....	....	—	....	....	....	
23.	पाली	पाली	....	—	—	1·4·81	16·4·81	16	—	....	—	....	—	....	7·1·84	2[illegible]
		सुमेरपुर	....	....	....	2·5·81	14·5·81	13	—	—	—	....	—	—	....	
		प ली	12 5 81	20·5 81	9	—	—	—	....	—	—	—	....	—	....	
24.	सिरोही	सिरोही	—	....	—	12·6·81	1·7·81	20	18·7·81	30·7·81	13	....	—	—	—	
		आबूरोड़	11·7·81	24·7·81	14	18·4·81	30·4·81	13	12·6·81 एवं 19·6·81	16 6·81 30·6·81	24	—	—	....	—	
		शिवगंज	29·7·81	30·7 81	2	....	....	—	—	....	....	—	—	....	....	
25.	जोधपुर "अ"	जोधपुर	....	—	—	....	—	—	24 4·81	23·5·81	30	....	....	—	....	
		जोधपुर	....	—	....	—	....	....	—	—	—	—	....	....	3·12·83	
		जोधपुर	3·4·81	30·4·81	28	....	....	—	—	....	....	—	....	—	....	
		जोधपुर	....	—	—	8·6·81	23·6·81	16	—	....	—	....	....	....	....	
		जोधपुर	....	—	....	—	....	—	....	—	—	27.5.83	30·6·83	35	—	
26.	नागौर	नागौर	....	—	—	....	—	—	—	—	—	7·2·84	20·2·84	17 शो	....	
27.	धौलपुर	धौलपुर	—	—	....	—	....	....	....	—	—	....	—	....	4·11·83	
28.	गंगानगर	गंगानगर	....	—	—	....	—	....	—	....	—	—	....	—	5·11·83	

Page No 317

(317)

परिशिष्ट 8

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

डूंगरपुर जिले के गांवों में रिहायशी क्वार्टर का निर्माण

506. **श्री नाथूराम (डूंगरपुर)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में विभाग द्वारा गांवों में रिहायशी क्वार्टर्स का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? कृपया उन गांवों के नाम तथा प्रत्येक गांवों में निर्मित क्वार्टर्स की संख्या बतलावें ।

(2) किस-किस गांव में कितने-कितने क्वार्टर्स स्वीकृत हुए हैं तथा जहां केवल आदिवासी लोग ही रहते हैं ऐसे गांवों के लिए कितने रिहायशी क्वार्टर्स स्वीकृत किये गये हैं ? कृपया ऐसे प्रत्येक ग्राम के लिए स्वीकृत क्वार्टर्स की संख्या और वास्तव में निर्मित हुये क्वार्टर्स की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ऐसे गांवों में जहां आदिवासी लोग ही रहते हैं, मिडिल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, आयुर्वेदिक औषधालय अवस्थित हैं को ध्यान में रखते हुए वहां अधिक रिहायशी क्वार्टर्स निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ऐसे कितने गांवों में ?

उत्तर

(1) जी हां, गांवों के नाम एवं निर्मित क्वार्टर्स की संख्या परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

(2) स्वीकृत क्वार्टर्स की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है । 52 गांवों में कुल 186 क्वार्टर्स स्वीकृत किये गये हैं । इन गांवों में 19 ऐसे हैं, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति के लोग निवास करते हैं, उनमें 68 क्वार्टर्स स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 9 क्वार्टर्स फरवरी, 84 तक पूर्ण हो चुके हैं । ऐसे प्रत्येक ग्राम के लिये स्वीकृत क्वार्टर्स की संख्या एवं निर्मित तथा निर्माणाधीन क्वार्टर्स का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । परिशिष्ट "ब"

(3) क्वार्टर्स का निर्माण सातवें वित्त आयोग अवार्ड के अनुसार स्वीकृत राशि रुपये 190 लाख से करवाया गया है जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है । अब कोई राशि शेष नहीं है । अतः अधिक रिहायशी क्वार्टर्स स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट "अ"

गांवों के नाम जहां रिहायशी क्वार्टर्स का निर्माण कराया जा रहा है एवं निर्मित क्वार्टर्स की संख्या—

जिला डूंगरपुर

तहसील	ग्राम का नाम	स्वीकृत आवास गृह संख्या	निर्माण की प्रगति माह फरवरी, 84 तक (संख्या) पूर्ण	निर्माणधीन
1	2	3	4	5
	स्वीकृति वर्ष 1979–80			
डूंगरपुर	देवल	3	3	–
	फलोज	3	–	3
	(प्रांतरी) नयागांव	2	–	2
	बस्सी	2	–	2
	कुण्डावाड़ा	2	–	2
सागवाड़ा	माण्डव	3	3	–
	जसैला	3	3	–
	वरदा	3	3	–
	सरोदा	4	4	–
आसपुर	सावला	3	–	3
	रामगढ़	2	–	2
	बडोदा	2	2	--
	बनकोडा	4	4	–
	स्वीकृति वर्ष 1982-83			
डूंगरपुर	मेवाड़ा	3	–	3
	बोखलापाल	3	–	3

1	2	3	4	5
	गामंडी अहाडा	3	–	3
	कनवा	3	–	3
	बिच्छीवाड़ा	8	–	8
	चुण्डावाड़ा	4	–	4
	सावली	3	–	3
	झोथरी	3	3	–
	गेजी	3	–	3
	धम्बोला	3	–	3
	सीमलवाड़ा	4	4	–
	पीठ	3	2	1
	सुरथुना	2	–	2
	दामड़ी	4	–	4
	बस्सीपाल	4	–	4
	फलोज	3	–	3
	गंदवापाल	4	–	4
	रास्तापाल	3	–	3
	सुराता	3	–	3
	पुनाली	3	–	3
	चाडोली	3	–	3
सागवाड़ा	भीलुड़ा	3	–	3
	जसेला	3	–	3
	दिवड़ा बड़ा	4	4	–
	चितरी	3	–	3
	मिहाली	3	–	3
	भेमई	3	–	3

602]

1	2	3	4	5
	पाडवा	3	–	3
	भासौर	1	–	1
	सागवाड़ा	6	4	2
	ओबरी	2	–	2
	घाटा का गांव	2	–	2
	माण्डव	3	–	3
	ठाकरड़ा	2	–	2
आसपुर	गणेशपुर	2	–	2
	आसपुर	6	–	6
	माल	2	–	2
	म्याला	2	–	2
	पुंजपुर	4	–	4
	लोडावल	2	–	2
	बोडीगामा	3	–	3
	रीछा	2	–	2
	पाण्डवा टावर	3	–	3
	वनकोड़ा	4	–	4
	रामगढ़	3	–	3
	साबला	4	–	4
	निठोवा	3	–	3
	योग:—	186	39	147

परिशिष्ट "ब"

50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या (1971 की जनगणना अनुसार) वाले ऐसे गांवों की सूची जिनमें सातवें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवास गृह निर्माण कराये जा रहे हैं—

जिला डूंगरपुर

तहसील	ग्राम का नाम	स्वीकृति आवास गृह संख्या	निर्माण प्रगति पूर्ण (संख्या)	फरवरी, 84 तक निर्माणाधीन (संख्या)
1	2	3	4	5
		स्वीकृति वर्ष 1979-80		
डूंगरपुर	फलोज	3	3	3
	बस्सी	2	–	2
	चुण्डावाड़ा	2	–	2
सागवाड़ा	जसेला	3	3	–
	वरदा	3	3	–
		स्वीकृति वर्ष 1982–83		
डूंगरपुर	बोखलापाल	3	–	3
	गामडी अहाड़ा	3	–	3
	चूण्डावाड़ा	4	–	4
	साबली	3	–	3
	थोयरी	3	3	3
	धावोला	3	–	3
	सरबुना	2	–	2
	दामड़ी	4	–	4

Page No 322

(022)

1	2	3	4	5
	बस्सी	4	–	4
	फलोद	3	–	3
	मन्दवापाल	4	–	4
	रास्तापाल	3	–	3
	सुराता	3	–	3
	चाडोली	3	–	3
सागवाड़ा	जसेला	3	–	3
	घाटा का गांव	2	–	2
आसपुर	लोड़ावला	2	–	2
	म्याला	3	–	3
	योग:—	68	9	59

श्री एकलिंग जी के मन्दिर की सम्पत्ति का बेचान

507. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) :– क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान कमिश्नर की स्वीकृति के बिना देवस्थान की कोई भी सम्पत्ति बेची नहीं जा सकती ?

(2) क्या यह सही है कि श्री एकलिंग जी के मन्दिर के दो ट्रस्टियों ने श्री एकलिंगजी ट्रस्ट के मन्दिर की सम्पत्ति-हीरे-जवाहरात, पन्ना, सोने-चांदी के आभूषणों को श्री भगवत सिंह जी सिसोदिया की अंग्रेज पत्नी श्रीमती अन्ना बेला द्वारा अमेरिका में बेचे जाने की शिकायत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को की थी और प्रधान मन्त्री ने राज्य सरकार को शिकायत की जांच के सम्बन्ध में पत्र लिखा था ? कृपया पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राज्य सरकार ने प्रधान मन्त्री के पत्रानुसार हीरे, जवाहरात बेचे जाने की जांच के लिये लिखा था और क्या जांच की गई ? नहीं की, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या अभी भी अरबों रुपयों के हीरे, जवाहरात, पन्ने की हेराफेरी बेचान जारी है ? यदि हां, तो बेचान को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि देवस्थान विभाग

(देवस्थान राज्य मन्त्री)

द्वारा सीधे प्रबन्धित व नियन्त्रित राजकीय मन्दिरों की सम्पदा देवस्थान आयुक्त एवं राज्य सरकार की बिना स्वीकृति के विक्रय नहीं की जा सकती।

(2) मन्दिर श्री एकलिंगजी के ट्रस्टी राव मनोहरसिंह बेदला व एक दूसरे व्यक्ति जो कि उक्त प्रन्यास के प्रन्यासी नहीं थे, ने श्री रामगोपाल त्रिवेदी के नाम से मन्दिर के जेवरात व हीरे जवाहरात के आभूषण बदले जाने की एक शिकायत भारत सरकार के गृह मन्त्रालय को जिसकी प्रति पत्र क्रमांक 303/76 पोल 3 दिनांक 6-4-76 के द्वारा उचित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इसकी जांच सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग उदयपुर से करवाई गई। सहायक आयुक्त द्वारा सम्बन्धित शिकायत-कर्ता प्रन्यासी श्री मनोहर सिंह बेदला व अन्य श्री रामगोपाल त्रिवेदी को बुलाया तो ज्ञात हुआ कि वह शिकायत फर्जी और निराधार है तथा उनके द्वारा नहीं की गई है. लेकिन फिर भी सहायक आयुक्त द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु महाराणा व अन्य प्रन्यासियों को रेकार्ड दिखाने हेतु लिखा गया, लेकिन प्रन्यास के प्रन्य.सम्रधिकारियों द्वारा रेकार्ड का अवलोकन नहीं कराया गया तथा जांच में किसी प्रकार सहयोग नहीं दिया गया, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत उक्त प्रन्यास की प्रविष्टि को जिला सत्र न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है। इसलिए जांच नहीं हो पा रही है।

(4) इस सम्बन्ध में विभाग में उक्त शिकायत के अतिरिक्त कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उक्त मन्दिर विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय मंदिर नहीं है और न ही वर्तमान में पंजीकृत प्रन्यास माना जा सकता है। चूंकि जिला अति. सत्र न्यायालय द्वारा विभाग का पंजीयन निरस्त करने के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः न्यायालय के निर्णय हो जाने के उपरान्त ही निर्णय अनुसार जांच किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(324)

संख्या 303176 पोल 3

भारत सरकार
गृह मन्त्रालय

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग
प्राप्ति संख्या 3696
दिनांक 20-4-76

सेवा में,

मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।
नई दिल्ली–110001, दिनांक 6 अप्रेल 1976 चैत्र 1898

महोदय,

मुझे उदयपुर के भूतपूर्व नरेश द्वारा श्री एकलिंगनाथ मन्दिर के आभूषण बदलने के बारे में उदयपुर के श्री मनोहर सिंह बेदला से प्राप्त तारीख । मार्च, 1976 के पत्र की प्रतिलिपि उचित कार्यवाई के लिये प्रेषित करने का निर्देश हुआ है ।

भवदीय
ह.
(पूर्ण सिंह)
उप सचिव भारत सरकार

EKLING NATH TRUST

Sub :— Misuse of Public trust headed by Maharana of Udaipur in the name of Kailash Puri Ekling nath (a famqus Shiva temple 20 Kilo-meters north of Udaipur possesing ornaments and valuable old jwellery.

(1) Trust is a puppet in the hands of Maharana who miss-uses its property and valuables.

(2) Jwellery worth laes of rupees is replaced by immitation stones.

(3) Maharana has married and english girls whose parents are at present in the city may be used as a tool to take out valuable out of the country.

(4) The temple and his regular puja is miss managed.

(5) Rao Manohar Singh of Bedla and Shri Ram Gopal Trivedi founder members of the trust have been turned out from the membership as they did not dance to the tune of Maharana for interfering with the jwellery and gold they may please be consulted by the reliable entrusted Government officials.

Present month of the Holi Shrine Ekling Nath drive away to his home town Devas (M. P.) his predecessor has nominated him.

The qrnament of the hqli Shrine are all listed by ex-rulers of the State and made fool proof entries in the various registers which are now tempered or destroyed to wipe of the evidence.

Looking to the above circumstances it is requested that an immediate action may be taken to safeguard public property and valuables and save the hqli Shrine from the clutches of the looters.

Udaipur.

Sd/—Manohar Singh
Bedla house
Udaipur.

Sd/—Ram gopal Trevedi
Bhopalpura.
Udaipur

Page No 326

(326)

टीबी विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव

508. **श्री पीरूराम** (टीबी) :–क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टीबी विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर प्राथमिक विद्यालय हैं ? राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार इस वर्ष कहां-कहां पर विद्यालय खोले जा रहे हैं ?

(2) सत्र 1984-85 में कहां-कहां पर प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) वर्ष 1984-85 में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव अब प्राप्त होंगे ।

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम का नाम जहाँ प्राथमिक शालायें चालू हैं
1	2	3
1.	हनुमानगढ़	
1.		मानकटीबी
2.		कुलचन्द्र (बालिका)
3.		साबुवाना
4.		सहारणी
5.		मलडखेडा
6.		तन्दुरवाली
7.		नाईवाला
8.		सुरेवाला
9.		कुलचन्द्र (अनुभाग)
		82-83
10.		पन्नीवाली
11.		पीकामडिया

Page No 327

(327)

1	2	3
12.		किशनसिंह ढाणी
13.		कमरानी
14.		मुण्डा
15.		ढाणी पूनिया
16.		मसीतावाली
17.		मटोरियावाली
18.		ढाणी मुन्ना
19.		16 एम डी (मुण्डा)
20.		तारासिंह की ढाणी
21.		पदमपुरा धडोई
22.		राऊीखेडा
23.		टी. वी.
24.		3 एस. आर. डब्ल्यू
25.		6 जी. जी. आर.
26.		3 जी. जी. आर.
27.		तलवाडा झील
28.		श्योदानपुरा
29.		बेहरवाला कलां
30.		सिलवालाकलां
31.		डबलीकलां
32.		डबलीकलां (बालिका)
33.		16 एस. एस. डब्ल्यू (जलालावाद)
34.		डबलीखुर्द
35.		ढाणी लूणा
36.		केहरवाला
37.		मिर्जेवाली मेहर

1	2	3
38.		2 एम जेड डब्ल्यू
39.		4 आर डब्ल्यू बी
	नोहर	
40.		चक 29 डी डब्ल्यू डी
41.		चक 4 सी वाई एम
42.		चक 10 के डब्ल्यू डी
43.		चक 16 के डब्ल्यू डी
44.		चक 2 के बी एम
45.		ढाणी बावरियान
46.		चक 4 डी डब्ल्यू एम
47.		चक 7 डी डब्ल्यू डी
48.		ढाणी मालू बिजाराणियान
49.		चक 22 ए जी
50.		खोडा
51.		खेदासरी
52.		केसरदेसर
53.		घन्नासर
54.		हरदासवाली वडाबास
55.		हरदासवाली पूरबी
56.		बागासर
57.		चक 16 डी डब्ल्यू डी
58.		थालडका
59.		निरवाल
60.		कनवानी
61.		वरमसर

1	2	3
62.		ढाणी लालखा
63.		दासुवाली
64.		प्रेमनगर
65.		गांधीनगर
66.		ढाणी कुम्हार वाली
67.		गन्धेली
68.		ढाणी वहरावाली
69.		लालपुरा
70.		हमीरदेसर
71.		रामकां
72.		चेलासरी
73.		हरदासवाली

टी बी विधान सभा क्षेत्र में 1983–84 में खोली गई शालाओं की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	टी. बी. विधान सभा क्षेत्र में खोली गई शालाएं
1.	हनुमानगढ़	1. 11-12 एस. एल. डब्ल्यू
2.	नोहर	1. मानकेरिया 2. हरदासवाली आथुणा 3. रायकान (पंचायत गेघली) 4. 4-5 एन. डब्ल्यू. डी. (पंचायत नोलखी)

दांता रामगढ़ लोकल टाउन में सब-तहसील खोलना

509. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार सीकर जिले की तहसील दांतारामगढ़ के लोकल टाउन में सब-तहसील खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विभिन्न जिलों में कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन

510. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में विभिन्न जिलों में कृषि कार्य हेतु कुओं पर कनेक्शन देने के लिए 1981 से 31 दिसम्बर, 1983 तक वर्षवार कितने-कितने लक्ष्य रखे गये ?

(2) क्या यह सही है कि अन्य जिलों के मुकाबले टौंक में लक्ष्य कम निर्धारित किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1982-83 व 1983-84 में कृषि हेतु विभिन्न जिलों में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनकी सूची तालिका "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1981-82 में लक्ष्य जिलेवार न रखकर वृत्तवार निर्धारित किये गये थे।

(2) विभिन्न आधारों को दृष्टिगत रखकर लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उसी के सन्दर्भ में टौंक के लक्ष्य भी रखे गये।

सूची "अ"

राज्य के कुओं के ऊर्जीकरण के निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	लक्ष्य 1982–83	प्राप्ति	लक्ष्य 1983–84	प्राप्ति (फरवरी 84 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	500	600	525	536
2.	अलवर	750	592	568	511

1	2	3	4	5	6
3.	बांसवाड़ा	200	219	150	116
4.	बाड़मेर	100	79	79	056
5.	भरतपुर	400	505	430	325
6.	भीलवाड़ा	700	716	350	280
7.	बीकानेर	5	6	–	–
8.	बून्दी	300	411	330	390
9.	चित्तौड़गढ़	1000	828	630	698
10.	चूरू	35	38	20	13
11.	धौलपुर	300	57	180	96
12.	डूंगरपुर	100	105	35	76
13.	जयपुर	1300	1585	1389	1376
14.	जैसलमेर	1	1	—	—
15.	जालौर	700	869	335	344
16.	झालावाड़	200	229	385	323
17.	झुंझुनू	200	606	734	713
18.	जोधपुर	400	144	195	168
19.	कोटा	200	233	205	161
20.	नागौर	150	402	1038	974
21.	पाली	175	222	1175	708
22.	सवाईमाधोपुर	584	734	907	614
23.	सीकर	300	635	863	479
24.	सिरोही	400	437	135	170
25.	टोंक	200	222	137	92
26.	श्री गंगानगर	200	206	100	266
27.	उदयपुर	600	806	105	468
	कुल	10000	11487	11000	9953

नोट :– वर्ष 1981-82 में वृत्ताकार लक्ष्य निर्धारित किये गये थे अत: जिलेवार विवरण देना सम्भव नहीं है। वर्ष 1981-82 में 25000 कुओं का ऊर्जीकरण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिनके सापेक्ष 26143 कुओं को ऊर्जीकृत किया गया। वर्ष 1981-82 में टौंक जिले में 255 कुओं का ऊर्जीकरण करने हेतु लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष 311 कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये गये।

जिला नागौर में अनुदानित छात्रावास

511. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के सरकारी अनुदानित छात्रावासों की संख्या कितनी है? प्रत्येक छात्रावास में छात्रों की कितनी-कितनी स्वीकृत संख्या है व किस-किस जाति के छात्र अध्ययन कर रहे हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में प्रत्येक छात्रावास में सरकार द्वारा स्वीकृत स्केल अनुसार प्रति छात्र को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा प्रति छात्र पर मासिक राशि कितनी व्यय की जा रही है?

(3) जिला नागौर में प्रत्येक छात्रावास में गत 10 वर्षों से कौन-कौन से व्यवस्थापक एवं मंत्री कार्यरत रहे हैं और इतने लम्बे समय तक कार्यरत रहने का क्या कारण है।

(4) जिला नागौर में गत वर्ष प्रत्येक छात्रावास में जिला प्रशासन द्वारा अकस्मात् निरीक्षण कब-कब किया गया? क्या वक्त निरीक्षण छात्रावास की स्थिति संतोषजनक थी?

(5) जिला नागौर में गत वर्ष महात्मा गांधी छात्रावास जायल के व्यवस्थापक द्वारा सरकारी राशि का गबन किए जाने की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) नागौर जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की संख्या 12 है। प्रत्येक छात्रावास में छात्रों की स्वीकृति संख्या एवं जातिवार छात्रों की संख्या परिशिष्ट (क) में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला नागौर में प्रत्येक छात्रावासों में दी जा रही सुविधा एवं प्रत्येक छात्र पर मासिक व्यय की राशि परिशिष्ट (ख) में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) छात्रावासों में व्यवस्थापक एवं मन्त्रियों की सूची परिशिष्ट (ग) में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जिला प्रशासन द्वारा छात्रावासों के अस्कमात् निरीक्षण एवं पाई गई स्थिति का विवरण परिशिष्ट (घ) में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) दिनांक 1-7-82 से महात्मा गांधी छात्रावास जायल विकास अधिकारी पंचायत समिति जायल के अधीन चल रहा है।

परिशिष्ट (क)

जिला नागौर में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु संचालित सरकारी
एवं अनुदानित छात्रावासों की सूचना

क्र.सं.	नाम योजना	स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	वर्तमान छात्रों की संख्या	अनुसूचित जाति	जनजाति
	(1) राजकीय छात्रावास					
1.	अनुसूचित जाति छात्रावास	नागौर	60	60	60	—
2.	,, ,,	मकराना	25	20	20	—
3.	,, कन्या	नागौर	25	20	20	—
4.	,, हरिजन छात्रावास	नागौर	25	25	25	—
5.	अनुसूचित जाति छात्रावास	डेगाना	35	35	35	—
6.	विमुक्त जाति छात्रावास	लाडनूं	50	42	42	—
			220	202		
	(2) अनुदानित छात्रावास					
1	अनुसूचित जाति छात्रावास	नागौर	45	45	45	—
2.	अनुसूचित जाति महात्मा गांधी छात्रावास	जायल	35	35	35	—
3.	अनुसूचित जाति छात्रावास	डीडवाना	25	25	25	—
4.	अनुसूचित जाति छात्रावास	परवतसर	60	60	60	—
5.	राजस्थान छात्रावास	लाडनूं	50	50	50	—
6.	अनुसूचित जाति छात्रावास	मेड़तासिटी	45	45	45	—
			260	260		

परिशिष्ट (ख)

जिला नागौर के छात्रावासों में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का विवरण

दिनांक 1-2-82 से भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था का भार छात्रों की मैस समिति को सुपुर्द कर दिया गया जिनमें भोजन, वस्त्र आदि के लिये कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिये 100 रु. प्रति माह प्रति छात्र तथा कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों के लिये 106 रु. प्रति माह प्रति छात्र की दर से प्रति तिमाही की राशि मैस समिति के खाते में जमा करा दी जाती है और छात्रों की मैस कमेटी द्वारा यह व्यवस्था की जाती है। पुस्तकें एवं स्टेशनरी के लिये कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिये 40 रु. तथा कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिये 60 रु. प्रति छात्र 1 वर्ष में एक मुश्त इस समिति को अलग से दिया जाता है।

अब छात्र आवश्यकतानुसार राशन आदि क्रय करते हैं अत: वस्तुओं के किसी स्केल के निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता। इस उक्त राशि के अतिरिक्त छात्रावासों में अधीक्षक जो स्थानीय है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक होता है, का मानदेय, सहायक छात्रावास अधीक्षक जो समाज कल्याण विभाग का कर्मचारी होता है, का वेतन, कठिन विषयों को पढ़ाने के अंशकालीन अध्यापक का भत्ता, अंशकालीन चिकित्सक का भत्ता, रसोइये का वेतन, मकान किराया, सोने के बिस्तर व चद्दर आदि रसोई के व खाने के बर्तन आदि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

परिशिष्ट (ग)

छात्रावासों के व्यवस्थापकों एवं मन्त्रियों की सूची

क्र. सं.	नाम छात्रावास	मंत्री पद पर रहे व्यक्तियों का नाम	व्यवस्थापक के पद पर रहे व्यक्तियों का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	
1.	गांधी छात्रावास, नागौर	श्री विठल सिंह	श्री हेमाराम लगातार	

1 2	3	4	5
2. अनुदानित गांधी छात्रावास् मेड़ता	1. श्री मोहन लाल 2. श्री रामपाल 3. श्री शिवदान 4. श्री कमल किशोर	1. श्री शिवदान 2. श्री तेजाराम 3. श्री सुगनाराम लगातार	
3. अनुदानित गांधी छात्रावास, परवतसर	1. श्री नूनाराम 2. श्री मदन मोहन	1. श्री मदन मोहन 2. श्री किशन लाल 3. श्री रामूराम 4. श्री नूनाराम लगातार	
4. अनुदानित गांधी छात्रावास, जायल	1. श्री भगवानादास कुलदीप दिनांक 16-7-81 से	1. श्री बुद्धाराम बैरवाल लगातार दिनांक 16-7-81 से ।	इससे पहले की सूचना संस्था द्वारा लिखित में नहीं भेजी है अतः पूर्ण नहीं है ।
5. राजस्थानी छात्रावास, लाडनूं	1. श्री गोमाराम वावरी	1. श्री जेठमल शर्मा लगातार	
6. डा. अम्बेडकर छात्रावास, डीडवाना	1. तेजाराम जनवरी, 84 से	1. श्री प्रेमाराम	लगातार दिनांक 7-1-84 से ही छात्रावास प्रारंभ हुआ है ।

इनके लगातार रहने का कारण यह है कि यह छात्रावास संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाते हैं और उन संस्थाओं के अधिकांश में 1-1 ही छात्रावास हैं इस कारण व्यवस्थापक का अन्यत्र स्थानान्तरण संभव नहीं होता है ।

परिशिष्ट (स)

जिला नागौर के समाज कल्याण अधिकारी का पद लम्बे समय तक रिक्त रहने के कारण जनवरी 83 से दिसम्बर 83 तक केवल राजकीय छात्रावास नागौर का निरीक्षण दिनांक 6-3-83 को तथा राजस्थानी अनुदानित छात्रावास लाडनूं का निरीक्षण 7-3-83 को अकस्मात् रूप से किया गया था । निरीक्षण में दोनों छात्रावासों की स्थिति सन्तोषजनक पाई गई थी ।

ग्राम पंचायत जौंला (सवाई माधोपुर) में अनियमितता

513. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत जौंला की एक मेजरमेंट बुक को फर्जी तरीके से काट कर बिल ज्यादा का बनाया गया था ? यदि हां, तो वह किस नम्बर की एम. बी. थी तथा किस के द्वारा भरी गई तथा पूर्व के बिल को कितना बढ़ाया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो हिसाब पंचायत द्वारा पहले दिया गया था और जो बाद में दिया गया है उसमें अन्तर है ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

(3) क्या यह भी सही है कि अब तक जितनी राशि ग्राम पंचायत में काम करने के लिए प्राप्त की है उसका काम करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत, जौंला की एक मेजरमेन्ट बुक संख्या 44 को श्री नेमी चन्द पाटनी, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भरा गया था और श्री बनवारी लाल गुप्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा बाद जांच राशि संशोधित की गई तथा मेजरमेन्ट बुक में 21,428.61 की राशि बढ़ायी गई।

(2) जी नहीं। पंचायत द्वारा केवल एक बार ही हिसाब प्रस्तुत किया गया है।

(3) जी हां। उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

ग्राम रोनीजाथान में मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर विवाद

514. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम रोनीजाथान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में हल्का पटवारी व तहसीलदार ने क्या फैसला दिया है ?

(2) सरकार ने तत्संदर्भ में क्या निर्णय लिया है और किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां। हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट किये जाने पर तहसीलदार लक्ष्मण गढ़ ने अपने आदेश दिनांक 23.12.82 द्वारा अतिक्रमी को बेदखली के आदेश दिये।

(2) वर्तमान में प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी, अलवर, के यहां विचाराधीन है। राज्य सरकार से कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।

सबरी कालोनी उदयपुर में विद्यालय हेतु आवंटित भू-खण्ड

515. **श्री भैरूंलाल मीणा** (उदयपुर

(श्री भेरूंलाल मीणा)

ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सबरी कालोनी आयड़, उदयपुर के सबरी स्कूल भवन हेतु भू-खण्ड अलाट किया गया है ? यदि हां, तो उस स्थान पर स्कूल बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सबरी कालोनी स्कूल भवन बनाने के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है ? यदि हां, तो क्यों और उसे नहीं हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सबरी कालोनी स्कूल भवन समाज कल्याण विभाग द्वारा बनवाने का था ? यदि हां. तो अभी तक क्यों नहीं बनाया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं । स्कूल भवन हेतु कोई भू-खण्ड अलाट नहीं किया गया । भवन न बनाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं ।

महिला आश्रम भीलवाड़ा को अनुदान

516. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी कन्या छात्रावास, उदयपुर के लिये महिला आश्रम, भीलवाड़ा को सीधे ही कोई अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना कितना ?

(2) क्या यह सही है कि अनुदान देने से पूर्व संस्था को पूर्व वर्ष के हिसाब का लेखा-जोखा, अंकेक्षण प्रतिवेदन व संस्था की अचल सम्पत्ति का विवरण देना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या इस संस्था द्वारा ऐसा विवरण प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब ? कृपया सन् 77 से अब तक प्रस्तुत किये गये विवरण की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाली जिला परिषद् द्वारा बैठक न बुलाना

517. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिला परिषद् की बैठकें किस-किस तिथि को बुलाई गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) तीन माह तक बैठक नहीं बुलाने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

(3) यदि नियमानुसार कार्यवाही नहीं

(श्री सुखलाल सेणचा)

हुई तो प्रमुख के विरुद्ध राज्य सरकार क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान जिला परिषद् के गठन के पश्चात् जिला परिषद् की बैठकें जिस जिस तारीख को बुलाई गई उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) तीन माह तक बैठक नहीं बुलाने के लिए राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 58 (1) खण्ड (क) के अनुसार जिला परिषद् का प्रमुख उत्तरदायी है।

(3) यदि नियमानुसार जिला परिषद् की बैठक नहीं बुलायी जाती है तो राज्य सरकार प्रमुख के विरुद्ध किसी प्रावधान में कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती है। जिला परिषद् को समय पर बैठक बुलाने हेतु दिनांक 28.12.83 को लिखा जा चुका है।

जिला परिषद पाली की वर्ष 1982 व 1983 में हुई बैठकों की सूची

क्र. सं.	बैठक का दिनांक
1.	7-2-82
2.	1-6-82
3.	27-12-82-स्थगित
4.	10-1-83
5.	10-5-83-स्थगित
6.	30-8-83-स्थगित
7.	30-9-83
8.	8-12-83

तहसील बहरोड़ में भू-प्रबन्ध कार्य

518. **श्री सुजान सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील बहरोड़ में भू-प्रबन्ध चल कार्य रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कार्य में अनेक प्रकार की अनियमितताएं होने की शिकायतें हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इन अनियमितताओं के सुधारने हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तहसील बहरोड़ के कृषकों से अनियमितताओं की दो शिकायतें क्रमशः ग्राम महतावास व द्वितीय ग्राम मिलकपुर, भूडवाल, खातनखेड़ा (तीनों ग्रामों की एक ही) प्राप्त हुई थी।

(3) इनकी जांच भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर से कराये जाने पर दोनों ही शिकायतें सही नहीं पाई गई।

करौली तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

519. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली तहसील में कुल कितने गांव हैं इनमें से कितने ग्रामों में बिजली पहुंच गई है व आगे कितने ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना है ?

(2) करौली तहसील में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना व कितने गांव 11 के. वी. के लास्ट पाइन्ट के अन्तर्गत लिए गए हैं ?

(3) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने गांव विद्युतीकरण हेतु राजकीय योजनाओं में लिये जाने हैं व केन्द्र सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत लिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) करौली तहसील में कुल 241 ग्राम हैं, जिसमें से माह फरवरी, 84 तक 48 ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और 175 गांवों में विद्युतीकरण हेतु योजनायें स्वीकृत हैं।

(2) करौली तहसील में विभिन्न 6 स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में अब 175 ग्रामों का विद्युतीरण करना प्रस्तावित है। इनमें 11 के. वी. के विभिन्न फीडर खींचे जाना प्रस्तावित है, जिसमें 17 ग्राम फीडर के लास्ट पाइन्ट में आयेंगे।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम 1984-85 में विद्युतीकरण किये जाने वाले गांवों के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जिला बांसवाड़ा में खोले गये आंगन बाड़ी केन्द्र

520. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 3 वर्ष में बांसवाड़ा जिले में कुल कितने आंगन बाड़ी केन्द्र खोले गये ? कृपया पंचायत समितिवार पुरानी स्थिति और नये केन्द्रों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त आंगन बाड़ी केन्द्रों को क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है ? प्रत्येक केन्द्र पर बच्चों की क्या संख्या है और उन्हें क्या सुविधा प्राप्त है ? कृपया

श्री बहादुरसिंह

पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा, कुशलगढ़ तथा घाटोल बाल विकास परियोजनायें प्रारम्भ की गई और 47 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये। पंचायत समितिवार पुराने और नये केन्द्रों की संख्या परिशिष्ट (क) में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की सूची परिशिष्ट (ख) में तथा लाभान्वित होने वाले बच्चों तथा माताओं की संख्या पंचायत समितिवार परिशिष्ट (क) में सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट 'क'

पंचायत समितिवार बाल विकास सेवा परियोजनाओं तथा उनके अन्तर्गत चलने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की पुरानी स्थिति तथा नये केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	प्रारम्भ होने का वर्ष	प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र की संख्या	प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र से लाभान्वित होने वाले बच्चों तथा महिलाओं/माताओं, की औसत संख्या	विशेष विवरण
1.	गढी	1975-76	120	115	सभी आंगनबाड़ी केन्द्र 3 वर्ष से पुराने हैं।
2.	तलवाड़ा	1983-84	125	50 से 60	सभी नये हैं।
3.	घाटोल	1983-84	125	80	सभी नये हैं।
4.	कुशलगढ़	1982-83	100	55 से 60	50-83-84 50-82-83 (केवल 97 प्रारंभ किये गये)

परिशिष्ट "ख"

आंगनबाडी केन्द्रों को दी जाने वाली सुविधायें :—

लाभान्वित	सेवा
1. गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली मातायें ।	1. समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच ।
	2. टिटनेस रोग से बचाव के टीके ।
	3. अन्य प्रतिरक्षात्मक टीके, जैसे-बीसीजी तथा पोलियो ।
	4. पूरक पोषाहार ।
	5. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा ।
2. 15 से 45 वर्ष की आयु की अन्य महिलायें	1. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा
3. एक वर्ष से कम आयु के बच्चे	1. पूरक पोषाहार
	2. प्रतिरक्षात्मक टीके जैसे डीपीटी, बीसीजी, पोलियो आदि के टीके ।
	3. आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां
	4. विटामिन "ए" की खुराक
	5. स्वास्थ्य की जांच
4. एक वर्ष से दो वर्ष तक की आयु के लिये	1. पूरक पोषाहार
	2. प्रतिरक्षात्मक टीके एवं आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां व विटामिन "ए" की खुराकें ।
	3. स्वास्थ्य जांच
	4. संदर्भ सेवायें ।

5. तीन से 5 वर्ष की आयु के बच्चे	1. पूरक पोषाहार
	2. प्रतिरक्षात्मक टीके तथा आयरन, फोलिक एसिड की गोलियाँ व विटामिन "ए" की खुराकें।
	3. स्वास्थ्य जाँच
	4. सदर्भ सेवायें
	5. अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा।

ग्राम पंचायत ममड़ के सरपंच को खाले पक्के कराने हेतु दी गई राशि

521. **श्री महेन्द्रसिंह** (संगरिया) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1970 से 1980 के मध्य पंचायत समिति सादुलशहर की ग्राम पंचायत ममड़ के खाले पक्के करने के लिए कितनी धनराशि सरपंच द्वारा उठाई गई ?

(2) उपरोक्त धनराशि से ग्राम पंचायत ममड़ के कौन-कौन से चक में किस-किस मुरब्बा से लेकर किस-किस मुरब्बा नम्बर तक खाले पक्के किये गये ?

(3) यदि धनराशि उठाने के बावजूद भी खाले पक्के नहीं किये गये तो उपरोक्त ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सरपंच ग्राम पंचायत, ममड़ पंचायत समिति, सादुलशहर द्वारा खाले पक्के कराने के लिए दिनांक 26·4·77 को 4500/– रुपये अनुदान प्राप्त किया गया था।

(2) उपरोक्त धनराशि से ग्राम पंचायत ममड़ के चक 19 एस. डी. एस के 3 मुरब्बा नम्बर 18/141, 18/142 व 18/143 तक के खाले पक्के कराये गये।

(3) सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डूंगरपुर जिले के गांवों का विद्युतीकरण

522. **श्री महेन्द्र कुमार** (आसपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) डूंगरपुर जिले में वर्ष 1982-83 के प्रारम्भ में कितने गांवों का विद्युतीकरण शेष था, कितने नये ग्राम इस कार्य हेतु चयनित किये गये, कितने निपटाये गये और वर्ष के अन्त में कितने शेष रहे? कृपया विगतवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र कुमार)

(2) क्या डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों द्वारा वांछित शुल्क बहुत समय पूर्व ही जमा कराये जाने पर भी उन्हें विद्युत सम्बन्ध नहीं दिये गये ? यदि हां, तो विभाग की ओर से इस समस्या के निपटारे हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले की शहरी क्षेत्र में वांछित मांग राशि जमा कराने एवं "एल" फार्म विभाग में प्रस्तुत करने पर भी विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत सम्बन्ध यह कारण बताकर नहीं दिये जाते हैं कि मीटर स्टाक में नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की अनावश्यक ढिलाई में भ्रष्टाचार की बू आती है ?

(4) अब प्राथमिकतानुसार विद्युत सम्बन्ध दिये जाने हेतु बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1971 की जनगणना पुस्तिका के आधार पर जिला डूंगरपुर में कुल 834 ग्राम हैं जिनमें से वर्ष 1982-83 के प्रारंभ में 481 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष था। वर्ष 82-83 में विद्युतीकरण हेतु 41 ग्राम चयनित किये गये जिसके सापेक्ष 42 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया एवं वर्ष के अन्त में 339 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष रहे। विगतवार तालिका "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अधिकांश घरेलू कनेक्शन मीटर्स की कमी के कारण पेंडिंग थे। इस समस्या के निपटारे हेतु और अधिक मीटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। मण्डल की जनरल कण्डीशन्स आफ सप्लाई के अधीन उपभोक्ता चाहे तो अपना निजी मीटर भी लगवा सकता है।

(3) कनेक्शन देने में विलम्ब का कारण मीटर्स की कमी ही थी। अतः अनावश्यक ढिलाई एवं भ्रष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता।

(4) कनेक्शन प्राथमिकतानुसार ही दिये जाते हैं। सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए मीटर्स एवं अन्य आवश्यक सामान शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट 'अ'

डूंगरपुर जिले का विगतवार विवरण

1. डूंगरपुर जिले में कुल ग्राम	834
2. वर्ष 82–83 के प्रारम्भ में विद्युतीकृत ग्राम	353
3 वर्ष 82–83 के शेष ग्राम	481
4. वर्ष 82–83 में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्राम	41
5. वर्ष 82–83 में विद्युतीकृत ग्राम	42
6. वर्ष 82–83 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्राम	395
7. वर्ष 82–83 के अन्त में शेष ग्राम	339

ग्राम पंचायत लाखना (सांगानेर) के कार्यों की जांच

523. श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत लाखना, पंचायत समिति साँगानेर, जिला जयपुर द्वारा वर्ष 1978-79 में किये गये कार्यों की किसी जाँच अधिकारी द्वारा जाँच की गई है ?

(2) सरकार उक्त जाँच के आधार पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) यह वाद राज्य सरकार के समक्ष सुनावाई में चल रहा है सुनवाई की अगली तारीख 21-5-84 निश्चित है।

श्री बी. डी. विजय, मुख्य अभियन्ता की सेवानिवृत्ति

524. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

एवं सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री बी. डी. विजय, मुख्य अभियन्ता दिनांक 30-11-1983 को सेवानिवृत्त होने वाले थे ? यदि हां, तो इनको सेवानिवृत्त कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इनकी सेवा वृद्धि के लिए राजस्थान विद्युत् मण्डल द्वारा कब और क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) जी हाँ। श्री बी. डी. विजय, मुख्य अभियन्ता दिनांक 30-11-83 को सेवानिवृत्त होने वाले थे किन्तु उनकी सेवा में 4 महीने की वृद्धि कर दिये जाने के कारण उन्हें दिनांक 31-3-84 को सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा श्री बी. डी. विजय की सेवा में वृद्धि किये जाने के निर्णय पर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा 8-12-1983 को श्री बी. डी. विजय की सेवाओं में दिनांक 31-3-84 तक वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

भारती बाल मन्दिर, जयपुर की अनुदान राशि

525. **श्री शिवराम शर्मा** (वनीपार्क) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बिना क्रास चैक से अनुदानित संस्थाओं द्वारा किये गये व्यय को अमान्य किया गया है ?

(2) क्या सरकार द्वारा 1980-81 में विधान सभा में कुछ संस्कृत की शिक्षण संस्थाओं द्वारा बिना क्रास चैक से किये गये व्यय को अमान्य करने का आश्वासन दिया गया था ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा भारती बाल मन्दिर, जयपुर की 4[illegible],000/- की कटौती को मान्य किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। संस्था की प्रार्थना पर, संस्कृत शिक्षा निदेशक को यह आदेश दिया गया है कि यदि सन् 1980-81 की अवधि में अध्यापकों को वेतन भुगतान का सत्यापन संस्था द्वारा करा दिया जाता है, तो सत्यापन के अभाव में रोकी गयी अनुदान राशि का भुगतान कर दिया जावे।

(346)

परिशिष्ट 9

तारांकित प्रश्न संख्या 494 का विवरण

RAJSTHAN CIVIL SERVICES APPELLATE TRIBUNAL,
RAJASTHAN, JAIPUR

Before :–

Shri Taj Kumar, Chairman.
Shri D. C. Dalela, Member.
Shri Ganpat Rai, Member.

Appeal No.	Name of the appellant	Dt. of Institution.	Date of judgement.
497/81	Shri Gajanand Joshi	2.7.1981	17.11.1983
75/82	Shri Udai Lal Saini	6.2.1982	17.11.1983

Vs.

State of Rajasthan & Others......Respondents.

PRESENT :

For the Appellant : 1. Shri P. M. Kalla, Advocate.
2. Shri D. D. Goswami, Advocate.

For the Respondents : Shri L. N. Mathur,
Standing Counsel.

ORDER

S/Shri Gajanand Joshi and Udailal Saini have filed appeals No. 497/81 and 75/82 respectively. Since common questions of fact and law are involved in the two appeals they are being disposed of by one common order.

The main pleadings of the appellants are as follows :

They were employees of Sikar Thikana before they were absorbed in the State of Rajasthan on resumption of Sikar Thikana in accordance with the Rajasthan Land Reforms and Jagir Resumption (Absorption of Jagir Employees) Rules, 1954. Shri Gajanand Joshi was taken in the service of Raj. Government from 16.6.1954 and Shri Udai Lal Saini was also taken in Rajasthan Govt., service from 16.6.1954. Shri Gajand Joshi retired from Goverment service on 30.9.1981 after attaining the age of superannuation. The services of the appellants rendered by them in Sikar Thikana was not counted for the purpose of pension and the appellants feeling aggrieved by the impugned orders have filed the appeals. The grounds of the appeal are mentioned in the memorandums of the appeals and of the grounds of appeal is that the services of Shri M.B. Zahin rendered by him in the Sikar Thikana have been counted for pension while their services have not been counted as such the impugned orders are bad and discriminatory. They have prayed that their appeals be accepted and the services rendered by them in Sikar Thikana be counted for the purposes of pension.

The respondents in their reply have submitted that the services of the appellants rendered by them in Sikar Thikana cannot be counted as they did not contribute towards CPF. As regards the case of Shri M B. Zahin, the respondents have mentioned that the Government declared the services rendered by Shri Zahin in Sikar Thikana as qualifying service for the purposes of pension as a special case and the appellant cannot claim any relief by sitting examples of others.

We have heared the arguments of the Learned Counsel for the appellants and the Learned Standing Counsel for the State. We have also gone through the relevant file pertaining to the case of Shri M.B. Zahin.

It is an admitted fact that the services of Sikar Thikana were pensionable. The respondent state has not counted the services rendered by the appellants in Sikar Thikana as qualifying services for the

purPose of pension on the ground that they did not contribute towards CPF scheme as contribution towards scheme was compulsory for the employees gettiag emoluments more than Rs. 15/- per month. In the case of Shri Zahin though he was getting Rs. 25/- per month i.e. more than Rs. 15/- per month and he had not contributed towards CPF still his service in Sikar Thikana was counted for purposes of pension on the ground that it would enable him to get more pension. When the respondent state has counted the service of Shri Zahin of Sikar Thikana for the purposes of pension, there is no reason why the service of the appellants should not be treated for the purpose of pension because in their case also they would be able to get more pension. The Respondent state cannot deny them the benefit which it has given to Shri Zahin because otherwise it would be discriminatory and violative of the principals aud enshrined in the Constitution of India.

We, therefore, accept the appeals and order that the service rendered by the appellants in Sikar Thikana be counted for the purpose of pension. Accordingly in Appeal No 497/81 we quash the impugned Orders No. PRI/PF 200/80-81, 4757 dated 4.4.1981 and No. PA-I/PR-I/PF 220/CPO/8081 dated 10.4.1981 and direct the respondents to treat the services rendered by the appellants in Sikar Thikana as qualifying service for the purpose of pension and grant him pension computed on that basis. In appeal No. 75/82, we quash the Order No. 4433 dated 8.12.1981 and direct the respondents to count the services rendered by the appellants in Sikar Thikana as qualifying services for pension etc. and direct that the pension etc. of the appellant be computed on that basis and he may be paid the same. we, further direct the respondents in both the appeals to sanction and pay pension etc. to the appellants within three months from the date of this Order.

Sd/-	Sd/-	Sd -
Ganpat Rai, Nember.	D.C. Dalela, Member	Taj Kumar, Chairman.

परिशिष्ट 10

'परिशिष्ट–1'

तारांकित प्रश्न संख्या 500 की सूची, शिकायत, मापदण्ड एवं निदेश

नगर परिषद् सीमा बीकानेर में देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों की सूची:—

देशी मदिरा दुकानों की सूची :

क्रमांक 1	नाम दुकान 2	नाम-उप दुकान 3	अनुज्ञाधारी का नाम 4
1.	कोटगेट	1. गंगाशहर 2. लालगढ़ जंक्शन 3. चुंगी नाके के पास पार्टी। नथुसरवास।	श्री डालाराम पुत्र अमानाराम मेघवाल, निवासी-अनूपगढ़ एण्ड
2.	अलखसागर	1. रेल्वे स्टेशन बीकानेर 2. हास्पिटल रोड	,,
3.	कुचीलपुरा	1. चौखुंटी	,,
4.	बासमाजीसाहब	1. सागर रोड के पास सांगलपुरा वस्ती। 2. आर. सी. पी. मोहल्ला।	,,
5.	रानीबाजार	—	,,
6.	तेलीवाड़ा	1. लक्ष्मीनाथ जी की घाटी।	,,

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों की सूची:

1.	खुदरा नं. 1 श्री सार्दुलसिंह की मूर्ति के पास, पब्लिक पार्क रोड,	1. श्री प्यारेलाल पुत्र प्रमुलाल हिन्दू, स्टेशन रोड, जयपुर। 2. श्री चिरंजीलाल पुत्र अम्बा लाल टांक। 3. श्री अमरचन्द पुत्र भंवरलाल टांक।

(350)

2.	खुदरा नं. 2 गंगाशहर रोड, हरियाणा होटल के सामने ।	1. श्री प्यारेलाल पुत्र प्रभुलाल हिन्दू स्टेशन रोड़ जयपुर 2. श्री चिरंजीलाल पुत्र अम्बालाल टांक । 3. श्री अमरचंद पुत्र भंवरलाल टांक ।
3.	खुदरा नं. 3 गजनेर रोड चुंगीनाका के पास ।	,,
4.	खुदरा नं. 4 गजनेर रोड धर्मकांटा के पास ।	,,
5.	खुदरा नं. 5 मॉडर्न मार्केट, अलखसागर रोड	,,
6.	खुदरा नं. 6 हास्पिटल रोड, देहली दरवाजे के पास ।	,,
7.	खुदरा नं. 7 पावर हाउस रोड	,,
8.	खुदरा नं. 8 गंगाशहर महावीर मार्ग	,,
9.	खुदरा नं. 9 स्टेशन रोड, डी-लक्स होटल के सामने ।	,,
10.	खुदरा नं. 10 गजनेर रोड रेल्वे फाटक के पास ।	,,
11.	खुदरा नं. 11 फड बाजार, बीकानेर	,,
12.	खुदरा नं. 12 लूनकरणसर रोड आर. सी. पी. के पास ।	,,
13.	खुदरा नं. 13 तेलीवाड़ा	,,
14.	खुदरा नं. 14 सांगलपुर बस्ती, सागर रोड़	,,

थोक दुकान :

1.	थोक दुकान नं. 1 पुरानी गिनाणी बीकानेर में ।	1. भैरोंसिह पुत्र तूमसिह 2. श्री अशोककुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार । 3. श्री अमरचन्द पुत्र भंवरलाल 4. श्री अनीलकुमार पुत्र चिरंजीलाल ।

'परिशिष्ट-2'

Confidential

OFFIC OF THE COLLECTOR, BIKANER

No. CB/Vige/Org/82 (NF) 1656 Dated : 9-11-82

The District Excise Officer,

Bikaner.

I am enclosing here with a copy of the complaint received from Shri Abhimannu Singh, District Industries Officer, Bikaner dated 14.10.1982. The complaint is self explanatory. Please look into the matter personally and send the factual report to this office within three days positively. This may be treated as urgent.

Sd/-

Secretary
Removal of Public Grievances
Cum District Vigilance
Committee, Bikaner.

Encl :- As above

परिवाद पत्र क्रमांक निल दिनांक 14.10.82 द्वारा अभिमन्युसिंह जिला उद्योग अधिकारी, बीकानेर वास्ते सेवामें माननीय जिलाधीश महोदय, बीकानेर।

विषय:—देशी शराब के ठेके को प्रार्थी के निवास स्थान के फाटक के आगे से हटाने बाबत।

मान्यवर सादर निवेदन है :—

1. कि प्रार्थी का मकान मेजर पूर्णसिंह मार्ग पर स्थित है तथा उसके मकान के सामने ठाकुर जसवन्तसिंह खींची का निवास स्थान है।

2. कि ठेकेदार मालुखां ने जसवन्तसिंह खींची की जगह किराये लेकर लगभग एक वर्ष होने को आया देशी शराब की दुकान व "बार" खोल रखा है।

3. कि प्रार्थी के मकान के मैन गेट पर ही यह ठेका खुला हुआ है जहां विला-नगर हर रोज सुबह 7 बजे से लेकर आधी रात तक शराबियों तथा असामाजिक तत्वों का तांता बंधा रहता है तथा हर समय गाली-गलौच, मारपीट से वातावरण दूषित रहता है।

4. कि यह एक रिहायशी क्षेत्र है तथा चारों ओर अनेक परिवार बसे हुए हैं तथा प्रार्थी के व अन्य परिवारों के लोगों को आने जाने में भी निरन्तर परेशानी रहती है।

5. कि शराब के ठेकेदार ने सखेतसिंह खींची से इस स्थान को किराये लिया है उसके एग्रीमेन्ट में यह झूठ लिख दिया है कि उसने प्रार्थी से पूछ लिया है वह रेन्ट एग्रीमेन्ट आवश्यकता पड़ने पर जसवन्तसिंह प्रस्तुत करने को तैयार है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थी को शीघ्रातिशीघ्र इस नारकीय स्थिति से मुक्ति प्रदान करावें।

भवदीय

ह० अभिमन्युसिंह

दिनांक—14.10.82.

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक 3555/आब/पी दिनांक 22.11.82

प्रतिलिपि आबकारी निरीक्षक, बीकानेर नगर को भेजकर लेख है आप स्वयं सही सही स्थिति का पता लगाकर टिप्पणी शीघ्र भिजवावें।

हस्ताक्षर
जिला आबकारी अधिकारी,
बीकानेर।

परिशिष्ट–3

देवी सिंह भाटी
सदस्य, राजस्थान विधान सभा,
कोलायत, बीकानेर।

फोन नं. बीकानेर–5728
जयपुर–62759
64517

बसुलपुर हाउस, जस्सू गेट,
बीकानेर
5/8–विधायक नगर, जयपुर
15.9.83.

जिला आबकारी अधिकारी,
बीकानेर।

विषय:—राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 15 पर सांगलपुरा बस्ती व गंगा शहर में मुख्य सड़क पर से विदेशी शराब की दुकान अन्यत्र हटाने।

महोदय,

राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 15 (देहली मार्ग) पर आपके विभाग ने राज्य सरकार ने निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विदेशी शराब की दुकान आवंटित की है। जबकि नियमानुसार रा. उ. मार्ग पर शराब की दुकान 200 मीटर दूर होनी चाहिए। उक्त दुकान मुख्य सड़क से 10 मीटर पर ही है। उक्त अम्बा वाइन स्टोर के सटते ही सार्वजनिक नल स्टेण्ड हैं जहां औरतें आदि पानी भरने आती हैं। अम्बा वाइन स्टोर सड़क पार आयुक्त उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्यालय हैं, इसी के 30 मीटर दूरी पर सांगलबाबा की समाधि है, जहां दर्शनार्थी आते रहते हैं तथा सामने हनुमानजी का

मन्दिर है व पास ही हरिजन (मेहतरों) का मोहल्ला में वाल्मिकी मन्दिर है। अतः परिस्थितियों को देखते हुए उक्त वाईन स्टोर सांगलपुरा तुरन्त अन्यत्र हटाया जावे।

इसी प्रकार गंगाशहर कस्बे में मुख्य सड़क से 5 मीटर ही दूर एक अन्य दुकान अम्बा वाइन स्टोर खोली गई है, जिसके पास ही हनुमानजी व संतोषी माता का मन्दिर है। इसी के पास ही रात्रि पाठशाला है। दुकान के पास ब्राह्मणों का मोहल्ला है। उक्त दोनों दुकाने राज्य सरकार के निर्देशों के विरुद्ध हैं। अतः तुरन्त प्रभाव से दुकाने अन्यत्र हटावें वरना जन-रोष के कारण शांति भंग होने की संभावना पर आपकी जिम्मेदारी होगी।

ह० देवीसिंह भाटी।

श्रीमान् कमिश्नर साहब

आबकारी विभाग, उदयपुर

विषयः—मोहल्ला सांगलपुरा सागर रोड बीकानेर में हाल में स्थापित नया अम्बा वाइन स्टोर (इंगलिश) को हटाने हेतु आवेदन पत्र।

महोदयजी,

प्रार्थीयान मोहल्ला सांगलपुरा सागर रोड, बीकानेर की तरफ से निम्न निवेदन किया जा रहा है—

1. यह कि हम प्रार्थीगण सांगलपुरा सागर रोड, बीकानेर के निवासी हैं।

2. यह कि हम प्रार्थीगण धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तथा गरीब इज्जतदार मजदूरी पेशेवर हैं।

3. यह कि आज दिनांक 3.9.83 से सांगलपुरा मोहल्ला सागर रोड बीकानेर के मोहल्ला में अम्बा वाइन स्टोर के नाम से किशोर भादाणी साकिन बीकानेर के रिहायशी मकान में खोली गई है जो नाजायज एवं किशोर भादाणी का उक्त मकान पर कोई टाइम नहीं है तथा नाजायज रिहायशी मकान में दुकान खोल कर व्यापार चलाना अवैधानिक है तथा किशोर भादाणी को नाजायज कब्जा के रिहायशी मकान को अम्बा वाइन स्टोर के पक्ष में बतौर किरायेदारी पर मकान देना सच है।

4. यह कि हम प्रार्थीगण मय बाल बच्चों उक्त मोहल्ला में निवास करते हैं,

(381)

हमारी औरतें तथा मासूम बच्चों पर इस शराब की दुकान के चलने से हमारी इज्जत पर कुठाराघात होगा तथा शराब की दुकान पर मदिरापान करने वाले व्यक्तियों के द्वारा शोर शराबा करने पर एवं शराबी अवस्था में अपशब्द का प्रयोग करने से हमारे बाल बच्चों तथा भावी पीढ़ी पर बुरा असर होगा एवं परिणाम स्वरूप रोजाना झगड़ा फसाद का अंदेशा होने से मोहल्ला में शांति बनी रह नहीं सकेगी।

5. यह कि उक्त मोहल्ला आम पब्लिक स्थान है जहां पर धार्मिक संस्थायें हैं जिन पर उक्त दुकान के खोलने से तथा इसको चालू हालत में रखने से पब्लिक पर आम मोहल्ले के नागरिकों पर तथा परमात्मा में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के दिल एवं दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा इस दुकान को अगर नहीं हटाया गया तो शांति भंग व्यवस्था कायम नहीं रह सकेगी।

6. यह कि अगर इस शराब की दुकान को सात दिन अन्दर अन्दर नहीं हटाया गया तो हम प्रार्थीगण आमरण अनशन करेंगे। जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर करते हुए हाल में नई स्थापित की गई अम्बा वाइन स्टोर बीकानेर को तुरन्त हटाया जाकर आम पब्लिक पर्सन एवं प्रार्थीगण को अवांछित तत्वों के उत्पन्न होने से बचाया जावें।

दिनांक 3.9.83 प्रार्थीगण हम सांगलपुरा मोहल्ला के निवासी।

आबकारी निरीक्षक, नगर बीकानेर।

मूल प्रार्थना पत्र भेज कर लेख है कि अभ्यावेदन की जांच कर शीघ्र अपनी रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें। दिनांक 6.9.83,

ह० जिला आबकारी अधिकारी,
बीकानेर।

'परिशिष्ट–4'

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक निल दिनांक 16 अगस्त, 83 ओर से मोहल्ला कमेटी द्वारा जेसराज बेद नई सड़क महावीर मार्ग गंगा शहर जिला बीकानेर। सेवा में मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर अग्रप्रेषित द्वारा अनुभागाधिकारी अभाव अभियोग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर व स्ते आयुक्त, आबकारी राजस्थान उदयपुर।

356

विषय:—गंगाशहर (बीकानेर) में गत एक अप्रेल से खुली शराब की दुकान हटाने बाबत् ।

अत्यन्त खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि गत एक अप्रेल, 83 से गंगाशहर क्षेत्र में भगवान महावीर मार्ग पर अम्बा वाइन एण्ड बीयर एजेन्सी नाम से एक शराब की दुकान प्रारम्भ की गई है।

इस दुकान के आसपास कई मन्दिर एवं शिक्षण संस्थायें हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र कुम्हारों का मोहल्ला पिछड़ी एवं गरीब जाति के कमजोर लोगों का इलाका है। इस क्षेत्र में शराब की दुकान खुल जाने के कारण गरीब लोगों में शराब खोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी और जिससे अधिक गरीबी अनैतिक गुण्डागर्दी व अराजकता का वातावरण बनेगा। यही नहीं शिक्षण संस्थानों में जाने वाले व दैनिक धार्मिक करने वालों के मानस पर भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह स्थान गंगाशहर का प्रवेशद्वार है। बीकानेर से गंगाशहर जाने वालों व आने वालों रास्तों का यज्ञ स्थल है। यह प्रमुख स्थान यदि शराब के नशे में मदहोश असामाजिक तत्वों का अखाड़ा बन गया तो इससे बीकानेर एवं गंगाशहर के आवागमन में वहुत बाधा उत्पन्न होगी और कानून व व्यवस्था की दृष्टि से भी यह सिर-दर्द बनेगा।

हमारा आपसे निवेदन है कि उक्त दुकान को यहां से तुरन्त हटाया जाकर सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्देश दिये जावें ताकि मोहल्ले के लोग स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें। हमें विश्वास है कि आप स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अविलम्ब दुकान हटाने के लिये आदेश देंगे। शराब की दुकान जहां स्थित है उसका नक्शा संलग्न है।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

प्रतिलिपि जिला आबकारी, अधिकारी बीकानेर के पास भेजकर लेख है कि इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने की व्यवस्था करावें।

ह०
उपायुक्त, आबकारी

परिवाद शाखा,

आ. नि. बेरून बीकानेर से टिप्पणी प्राप्त करें।

ह० जि. आ. अ. बीकानेर
29.9.83

'परिशिष्ट–5'

देशी मदिरा अनुज्ञापत्र शर्त संख्या 11 (ख) व (ग) की प्रतिलिपि

(ख) लाइसेन्सधारी शराब की दुकान अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थल से 500 मीटर के अन्दर नहीं लगा सकेगा, परन्तु 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लिखित धार्मिक स्थानों पर ही लागू होगा।

(ग) लाइसेन्सधारी शराब की दुकान सिंचाई विकास परियोजनाओं के निर्माण स्थल तथा औद्योगिक संस्थान स्थान से दो किलोमीटर के अन्दर दुकान नहीं लगा सकेगा। इसी प्रकार हाईवे, सूती मीलों, कारखानों, मजदूर बस्तियों तथा हरिजन बस्तियों से 500 मीटर के अन्दर दुकान नहीं लगा सकेगा।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा रिटेल आफ अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 14 की प्रतिलिपि

अनुज्ञापत्रधारी को व्यवसाय स्थल सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से अनुमोदन कराना होगा। व्यवसाय स्थल आबकारी नियमों एवं समय पर प्रसारित विभागीय आदेशों के अनुरूप रखना होगा। स्थल परिवर्तन जिला आबकारी अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जावेगा, किन्तु जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि दुकान को एक स्थान से उसी क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दें। दुकान स्थानान्तरित किये जाने की सूरत में अनुज्ञापत्रधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकारी नहीं होगा।

Copy of the Rajasthan Excise Rules, 1956

75. Location of shops :–(1) A Licence for the retail sale of Country liquor or Hemp drugs shall have his shop only at a place approved by the Distt. Excise Officer.

(2) A shop for the retail sale of Country liquor shall not be located :—

(a) In close proximity to a collegiate educational institutions, hospital, dispensary or place of worship or public entertainment or public resort, or

(b) in the neighbourhood of the factory or a labour or Harijan colony. Explanation–For the purpose of clause (b) Sub-rule (2) of Rule 75 "Harijan colony" Shall mean a municipal ward in which population of persons belonging to Scheduled castes according to the latest census exceeds fifty percent of the total population of that ward.

परिशिष्ट 11

तारांकित प्रश्न संख्या 502 की सूची

जनवरी, 1982 से 15 फरवरी, 1984 तक निलम्बित किये गये परिचालक व उनमें से बहाल कर पुनः ड्यूटी पर लिये गये परिचालकों की संख्या की सूची—

क्रम संख्या	सम्भाग	जनवरी, 82 से 15 फरवरी, 84 तक निलम्बित परिचालकों की संख्या	इनमें से पुनः सेवा में लिये गये परिचालकों की संख्या
1.	सीकर	141	27
2.	उदयपुर	205	96
3.	अलवर	331	171
4.	अजमेर	417	119
5.	कोटा	361	188
6.	बीकानेर	307	118
7.	जोधपुर	317	100
8.	जयपुर	534	300
		2613	1119

Page No 360

(360)

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 611 की सूची

31 दिसम्बर, 1983 तक नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार बी. एड. उत्तीर्ण आशार्थियों की वर्षानुसार संख्या—

बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	बी.एड. उत्तीर्ण आशार्थियों की संख्या
1961	1
1965	2
1966	5
1967	5
1968	6
1969	13
1970	22
1971	18
1972	44
1973	77
1974	126
1975	264
1976	368
1977	461
1978	687
1979	899
1980	1260
1981	1908
1982	2590
1983	3443
योग:—	12199

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 612 की सूची

प्रश्न नं. 1

खाता नं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकूनत	खसरा नं.	क्षेत्र बीघा	भूमि का प्रकार	विवरण दर सहित	रकम
जमावन्दी	श्री पन्ना वल्द कुशल 1/16	309	36·06	पड़त	॥)	10·62
2029 से	,, आसीया गोमता पि. पन्ना					
32 खाता	1/8 हि. व.	कोठारी		16·06		
	,, अम्बावा वल्द देवा 1/16 वेल			मगरी ॥	2॥)	
नं. 252	,, अमरा वल्द रोडा 1/16			20·00		
	,, वरदा वल्द अमरा+2/16					
	,, रोडा चतरा वल्द नंदा 1/8 हि.व.					
	,, भेरा, भगवान पि. डूंगा 1/8 हि.व.					
	,, उदा वल्द भेरा 1/6, मोडा वल्द लाल 1/16					
	,, मु. जमनी वेवा भेरा 1/16 रतना वल्द थावरिया 1/16					
	,, मु. वगतु नाथा 1/16 भील सा. देह					
			36.06			10.62
			7.8428			

नोट:– अमरा ने अपना हिस्सा 1/16 बेह किया जो ई.नं. 457/25.3.82 से अमल किया बदर खाता 302 श्री वरदा पि. अमरा ने 1/16 अपना हिस्सा बिकाव किया इ.नं. 458/25.3.82 बदर खाता 303 ई.सं. 459/25.3.82 के मुताबिक विरासत

1. अम्बावा से खेमा चुना भगा दीपा पि. अम्बावा 1/16 ही.ब.
2. भगवान फोत उसके बजाय–गणेश पि. डूंगा भेरा पि. डूंगा 1/8 ही.व.
3. उदा फोत उसके बजाय–कातू पि. उदा 1/6
4. रोडा फोत उसके बजाय–इस्या पि. रोडा व चतरा वल्द नंदा 1/8 ही.ब.
5. रतना फोत इसके बजाय–बदकी वेवा रतना 1/16
6. मु. वगतु फोत उसके वजाय–लड़की गुलाबी पति तेजा 1/16
7. आसीया फोत उसके बजाय–कमल्या पिता आसीया

8. गोकल फोत उसके बजाय–औरत मु. बरदी बेवा मोकल 1/8 ही.ब. बाकी इन्द्राज बदस्तुर के नाम इन्द्राज किया।

ई.नं. 460/25.3.82 द्वारा बिकाव से भेरा पि. डूंगा गणेश पि. डूंगा ने अपना हिस्सा 1/8 बिकाव किया बदा खाता नं. 304 कुल 21 सदस्य हिस्सा 1/8 में ई.नं. 461/25.3.82 बिकाव द्वारा खेमा चुना भगा दिपा पि. अम्बावा 1/16 हि.ब. मोडा पि. लाला 1/16 ने अपना हिस्सा बिकाव किया बदर खाता 305 कुल 20 सदस्य

ई.नं. 462/19.4.82 द्वारा बिकाव से श्रीमती जमनी बेवा भेरा भील ने अपना 1/16 हिस्सा बिकाव किया बदर खाता 306 कुल 11 सदस्य

ई.नं. 463/19.4.82 द्वारा बिकाव कालू पि. उदा ने अपना 1/6 हिस्सा बिकाव किया बदर खाता नं. 307 कुल 15 सदस्य

ई.नं. 464/19.4.83 द्वारा बिकाव इस्या पि. रोडा, चतरा पि. नंदा ने अपना 1/8 हिस्सा बिकाव किया जिसका बदर खाता 308 कुल 7 सदस्य

ई.नं. 465/19.4.82 द्वारा बिकाव से गुलाबी पति तेजा भील ई.नं. 1/16 ई.नं. 466/19.4.82 द्वारा बिकाव से बढ़की बेवा रतना भील से हि. 1/16 ई.नं. 467/19.4.82 द्वारा बिकाव से कमलीया पि. आसीया 1/16 श्रीमती बरदी पत्नि गोकल भील 1/16 हि. कुल 1/8 ई.नं. 468/19.4.82 द्वारा बिकाव से पन्ना पिता कुशल भील ने अपना हिस्सा 1/16 बिकाव किया बदर खाता 309 कुल 27 सदस्य

ह./
तहसीलदार
22.3.84

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 618 की विज्ञप्ति व सूची

(प्रथम वार राजस्थान राज-पत्र, भाग 7, दिनांक 25-2-1982 में प्रकाशित)

कार्यालय सहायक खनिअभियन्ता खान, एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक

(राजस्थान)

विज्ञप्ति

टोंक, फरवरी 1982

संख्या स. ख.अ./टांक/आर. सी. आर. एल. (1982):-अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1977 के नियम 22 व राज्य सरकार की नीति के प्रयोजनार्थ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बनास नदी पुलिया के निकट रिक्त क्षेत्र ग्राम चिरोंज, तह-टोंक में दस प्लाट प्रत्येक प्लाट की लम्बाई 120 मीटर व चौड़ाई नदी की चौड़ाई के अनुसार तथा ग्राम मेह, तह टोंक में सात प्लाट प्रत्येक प्लाट की लम्बाई 120 मीटर व चौड़ाई नदी की उपलब्ध चौड़ाई जो श्री शंकर लाल के क्षेत्र को छोड़कर शेष रहेगी कुल सत्रह प्लाट वार्षिक रेन्ट रु. 2000/-(दो हजार मात्र) प्रत्येक प्लाट की दर से रेन्ट कम रायल्टी लीज खनिज बजरी के लिये अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1977 के अनुसार अनुदान किये जायेंगे। इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि को छोड़कर तीस दिन पश्चात् उक्त क्षेत्रों के लिये नियमानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त किये जावेंगे। आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तिथि को यदि रविवार या अन्य कोई राजपत्रित अवकाश होगा तो उसके अगले कार्य दिवस में कार्यालय समय में आवेदन-पत्र प्राप्त किये जावेंगे। एक आवेदन-पत्र में एक ही प्लाट के लिये विचार किया जावेगा। व एक व्यक्ति को अधिकतम दो प्लाट अनुदान किये जा सकेंगे। अतः जो भी व्यक्ति इच्छुक हो वह उक्त निर्धारित अवधि पश्चात् उपरोक्त प्लाट के लिये नियमानुसार आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। उपरोक्त आर. सी. आर. एल क्षेत्र का डेलीनेटेड प्लान इस कार्यालय में उपलब्ध है जिसमें पूर्ण स्थिति दर्शाई हुई है व प्लाट नं. भी अंकित किया हुआ है। उसी के अनुसार आवेदन-पत्र में क्षेत्र व प्लाट नं. अंकित करें। इसके अतिरिक्त आर. सी. आर, एल. होल्डर विभागीय रवन्ना, एडवान्स में रायल्टी जमा करा कर प्राप्त करेंगे एवं रवन्नाओं द्वारा क्षेत्र से खनिज की निकासी करेंगे।

बी. एन. माथुर,
सहायक खनिज अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
टोंक (राजस्थान)।

'परिशिष्ट-5'

वर्ष 1980 से बजरी खनन पट्टों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

क्र. सं	आवेदक का नाम	खनन पट्टा स्वीकृत, अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो लीज की अवधि	यदि अस्वीकृत किया गया तो अस्वीकृति का कारण
1	2	3	4	5
1.	मोहन सिंह	स्वीकृत	5 वर्ष	
2.	गोरधन सिंह	स्वीकृत	5 वर्ष	
3.	कैलाशचन्द्र शर्मा	अस्वीकृत	–	राज्य सरकार की नीति के अनुसार आवेदित क्षेत्र टोंक तहसील खनिज बजरी के क्षेत्र आर. सी. आर. एल. पर ही स्वीकृत किये जाने हैं।
4.	कैलाशचन्द्र शर्मा	,,		,,
5.	अनिस मिया	,,		,,
6.	किशनलाल जोशी	,,		,,
7.	नारायण गुर्जर	,,	–	आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार की नीति के अनुसार आवेदित क्षेत्र टोंक तह. में खनिज बजरी के क्षेत्र आर. सी. आर. एल. पर ही स्वीकृत किये जाने हैं।
8.	कैलाशचन्द्र शर्मा	,,		,,
9.	कैलाशचन्द्र शर्मा	,,		,,
10.	जगन्नाथ जोशी	,,		,,
11.	लोहरेराम जाटव	,,		,,
12.	मै.अजय बजरी ट्रेडर्स बन्धजी	स्वतः अस्वीकृत		,,
13.	कैलाश चन्द्र शर्मा	अस्वीकृत		,,
14.	शिवजीलाल मीना	,,		,,
15.	मिठ्ठूलाल मीना	स्वीकृत	5 वर्ष	,,

Page No 365

365

1	2	3	4	5
16.	नरेन्द्र सिह	स्वत: अस्वीकृत	–	
17.	देवीलाल रेगर	स्वत: अस्वीकृत	–	
18.	भंवरलाल	,,	–	
19.	श्रीमती भूती देवी	,,	–	
20.	श्याम लाल	,,	–	
21.	रघुनाथ	,,	–	
22.	श्रीमती आशा लता	स्वत: अस्वीकृत	–	
23.	नरेन्द्र कुमार	,,	–	
24.	शिवजीलाल मीना	,,	–	
25.	फतेहलाल मीना	,,	–	
26.	भंवरलाल	,,	–	
27.	सुवा बैरवा	,,	–	राज्य सरकार की नीति के अनुसार खनिज बजरी के क्षेत्र आर. सी. आर. एल. पर ही स्वीकृत किये जाने हैं।
28.	नरेन्द्र सिंह	,,		
29.	देवीलाल रेगर	अस्वीकृत		
30.	नरेन्द्र सिंह	स्वीकृत	10 वर्ष	पार्टी द्वारा क्षेत्र लेने की अनिच्छा व्यक्त करने के कारण।
31.	भंवरलाल प्रजापत	,,	10 वर्ष	,,
32.	रामलाल टांक	अस्वीकृत	–	
33.	रमेश चन्द्र टांक	,,	–	
34.	कृष्णपाल सिंह	स्वीकृत	–	
35.	मोहन सिंह	,,	–	
36.	रामनारायण मीना	,,	–	
37.	रामनारायण मीना	अस्वीकृत	–	पार्टी द्वारा क्षेत्र लेने की अनिच्छा व्यक्त करने के कारण।
38.	राजूलाल टांक	स्वीकृत	–	
39.	मणिन्द्र सिंह	,,	–	
40.	मणिन्द्र सिंह	,,	–	

1	2	3	4	5
41.	देवीलाल गुजर	स्वीकृत	–	
42.	शंकरलाल टांक		– – –	आवेदन पत्र नवीनीकरण हेतु अभी प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।
43.	रामलाल टांक		– –	आवेदन पत्र अभी प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

वर्ष 1980 से बजरी के रेंज कम रायल्टी पट्टों हेतु आवेदन पत्रों का विवरण

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पट्टा स्वीकृत किया गया/अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो लीज अवधि	यदि अस्वीकृत किया गया तो अस्वीकृतति का कारण
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती आशालता	स्वीकृत	5 वर्ष	—
2.	श्री दुर्गालाल शर्मा	अस्वीकृत	—	प्राथमिकता श्रीमती आशालता के पक्ष में निश्चित होने से।
3.	श्री रामफूल रेंगर	अस्वीकृत	—	ऐजन
4.	श्री चिरंजी लाल बंजारा	ऐजन	ऐजन	ऐजन
5.	श्री निवाई पहाड़ श्रमिक	ऐजन	ऐजन	ऐजन
6.	श्री रामस्वरूप बेरवा	ऐजन	ऐजन	ऐजन
7.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	ऐजन	ऐजन	ऐजन
8.	श्री कामप जावेद	ऐजन	ऐजन	ऐजन
9.	श्रीमती मूली देवी	स्वीकृत	5.4.82 से 4.4.87 (5 वर्ष)	
10.	श्री मोहम्मद हनीफ	अस्वीकृत	प्राथमिकता श्रीमती मूली देवी के पक्ष में निश्चित होने से	
11.	श्री अब्दुल हमीद	ऐजन	ऐजन	ऐजन
12.	श्री रामफूल रेंगर	ऐजन	ऐजन	ऐजन
13.	श्री चिरंजी लाल	ऐजन	ऐजन	ऐजन
14.	श्री अनिल कुमार	ऐजन	ऐजन	ऐजन

1	2	3	4	5
15.	श्री निवाई पहाड़ श्रमिक	ऐजन	ऐजन	ऐजन
16.	श्रीमती कृष्णा देवी	ऐजन	ऐजन	ऐजन
17.	श्री जगन्नाथ	ऐजन	ऐजन	प्राथमितका श्री हरिशचन्द्र के पक्ष में निश्चित किये जाने के कारण।
18.	निवाई पहाड़ श्रमिक	ऐजन	ऐजन	ऐजन
19.	श्री नारायण रेंगर	ऐजन	ऐजन	ऐजन
20.	श्री श्योजी लाल	ऐजन	ऐजन	ऐजन
21.	श्री रावत मियां	ऐजन	ऐजन	ऐजन
22.	श्री फूलचन्द	ऐजन	ऐजन	ऐजन
23.	श्री हरिशचन्द्र	स्वीकृत	5.4.82 से 4.4.87 (5 वर्ष)	
24.	श्री सुन्दर दास	आर. सी. आर. एल. की विज्ञप्ति दिनांक 18.2.82 के विरुद्ध शिवजी लाल मीणा द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण विचाराधीन है।		
25.	श्री रामरतन	आर. सी. आर. एल. की विज्ञप्ति दिनांक 18.2.82 के विरुद्ध शिवजी लाल मीणा द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण विचाराधीन है।		
26.	श्री रामस्वरूप	ऐजन	ऐजन	ऐजन
27.	निवाई पहाड़ श्रमिक	ऐजन	ऐजन	ऐजन
28.	श्री भैरू रेंगर	ऐजन	ऐजन	ऐजन
29.	श्री केसरा बैरवा	ऐजन	ऐजन	ऐजन
30.	श्री रामदेव	ऐजन	ऐजन	ऐजन
31.	श्री नारायण रेंगर	ऐजन	ऐजन	ऐजन
32.	श्री हबीबुद्दीन	ऐजन	ऐजन	ऐजन
33.	श्री हीरालाल	ऐजन	ऐजन	ऐजन

1	2	3	4	5
34.	श्री नरेन्द्र कुमार	स्वीकृत	5.4.82 से 4.4.87 (5 वर्ष)	
35.	श्री अब्दुल लतीफ	अस्वीकृत	प्राथमिकता श्री नरेन्द्र कुमार के पक्ष में निश्चित होने से।	
36.	श्री रामरतन	ऐजन	ऐजन	ऐजन
37.	श्री कन्हैयालाल	ऐजन	ऐजन	ऐजन
38.	श्री अजीमुल्लाह खान	ऐजन	ऐजन	ऐजन
39.	श्री फतेहलाल	आर. सी. आर. एल. की विज्ञप्ति दिनांक 18.2.82 के विरुद्ध शिवजी लाल मीणा द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण विचाराधीन है।		
40.	श्री रामलाल	ऐजन	ऐजन	ऐजन
41.	श्री मदनलाल	ऐजन	ऐजन	ऐजन
42.	श्री प्रभुलाल	ऐजन	ऐजन	ऐजन
43.	श्री मोहन लाल शर्मा	ऐजन	ऐजन	ऐजन
44.	श्री रघुनाथ माली	ऐजन	ऐजन	ऐजन
45.	श्री जुम्मा खां	ऐजन	ऐजन	ऐजन
46.	श्री रामलाल बैरवा	ऐजन	ऐजन	ऐजन
47.	श्री रामलाल बैरवा	ऐजन	ऐजन	ऐजन
48.	श्री पूरणा	ऐजन	ऐजन	ऐजन
49.	श्री पूरणा	ऐजन	ऐजन	ऐजन

परिशिष्ट 15

अतारांकितप्रश्न संख्या 219 की सूची

क्र. सं. नाम तहसील	चारागाह भूमि रकबा	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है	व्यक्ति	तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों के कब्जे हटाये	विशेष विवरण
1. जयपुर	2072	70	79	258	
2. सांगानेर	4279	85	275	210	
3. बस्सी	5339	168	476	615	
4. चाकसू	7901	70	431	431	
5. आमेर	6626	74	500	500	
6. जमवारामगढ़	7863	62	163	1520	
7. चौमू	4058	51	116	461	
8. विराटनगर	7798	165	304	284	
9. कोटपूतली	4101	41	102	120	
10. दौसा	9562	218	248	1533	
11. सिकराय	1290	325	538	1172	
12. लालसोट	6758	193	284	483	
13. बसवा	6760	209	2267	6078	
14. फागी	11794	202	620	—	
15. दूदू	13914	197	2116	2886	
16. सांभर	9176	39	210	—	
योग	109291	2169	9429	16551	

Page No 371

(371)

ग्रामवार सूची चरागाह पर अतिक्रमण की वर्ष 1983 के आधार पर

क्र. सं.	नाम ग्राम	सं. अतिक्रमियान	अति. का बीघा	रकबा विस्वा
1	2	3	4	5
1.	खानगोरियान	1	5	17
2.	दयालपुरा	2	7	12
3.	विधानी	3	1	4
4.	छितरोली	6	11	—
5.	वगरूवाण	2	—	6
6.	वाटेड़	2	2	1
7.	नगरियावाला	8	2	14
8.	श्योपुर	6	5	10
9.	बुद्धसिंह पुरा	3	5	10
10.	मेघा	3	4	15
11.	दहनीखुर्द	4	13	10
12.	वड़ी का खेड़ा	4	10	4
13.	दहनीकला	36	106.	12
14.	सुखपुरा	6	—	14
15.	दहलावास	1	3	4
16.	रामचन्द्रपुरा	2	—	15
17	रामपुरा	1	5	—
18.	रोपाड़ा	5	13	19
19.	कलवाड़ा	1	—	5
20.	मुहामा	1	2	17
21.	जयपुरा	1	—	18
22.	वालावाला	4	—	8

1 2	3	4	5
23. आसावाला	1	—	2
24. सातल्या	32	6	4
25. सिरोली	3	—	9
26. पालड़ीमीणा	12	67	19
27. पावलियां	1	—	4
28. चारणवाला	2	—	3
29. टीलावाला	1	1	10
30. रूपवास	4	—	6
31. जयसिंहपुरा	5	4	—
32. मथुरावाला	1	3	—
33. जीरोता	1	1	10
34. भांकरोटा	3	1	—
35. सहायकपुरा	5	3	—
36. सांगानेर	35	5	1
37. गवार ब्रह्माणन	2	—	10
38. बगर कला	23	13	8
39. फगोड़ीयावाला	1	—	15
40. नाड़ा	1	—	10
41. टीलावास	1	1	10
42. झाही	1	1	10
43. रामपुरा उत्ती	4	1	18
44. महापुरा	5	6	—
45. चिमनपुरा	1	3	10
46. खंटवाड़ा	4	3	—
47. श्रीरामपुरा	2	4	9

Page No 373

1	2	3	4	5
48.	बांकरोटा खुर्द	2	—	4
49.	बीलवा	9	1	5
50.	रामपुरा उर्फ कंवरपुरा	5	—	5
51.	मनोहरपुरा	1	—	5
52.	जैयजसपुरा	1	—	16
53.	नेवटा	2	2	—
54.	सीतारामपुरा	1	—	6
55.	चकरोल	1	1	5
	कुल योग	275	336	19

(374)

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 629 की सूची

वर्ष 1983-84 में राज्य में ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्राम व प्राप्ति का माह फरवरी, 84 तक का जिलेवार विवरण

क्रम सं.	जिले का नाम	83–84 में निर्धारित लक्ष्य	माह फरवरी 84 तक प्राप्ति	शेष ग्राम जिनका विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है
1.	अजमेर	11	13	—
2.	अलवर	58	60	—
3.	बांसवाड़ा	44	28	16
4.	बाड़मेर	60	34	26
5.	भरतपुर	53	47	6
6.	भीलवाड़ा	102	104	—
7.	बीकानेर	45	26	19
8.	बूंदी	45	37	8
9.	चित्तौड़गढ़	58	58	—
10.	चुरू	43	40	3
11.	धौलपुर	35	22	13
12.	डूंगरपुर	22	18	4
13.	जयपुर	8	114	-
14.	जैसलमेर	-	-	-
15.	जालौर	30	16	14
16.	झालावाड़	24	23	1
17.	झुंझुनू	8	8	-
18.	जोधपुर	57	28	29

1 2	3	4	5
19. कोटा	90	57	33
20. नागौर	11	45	16
21. पाली	13	11	2
22. सवाईमाधोपुर	38	25	13
23. सीकर	–	–	—
24. सिरोही	6	5	1
25. श्रीगंगानगर	70	61	9
26. टौंक	44	44	–
27. उदयपुर	30	30	–
योग	1155	954	213

नोट—जिला अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, व जयपुर में निर्धारित लक्ष्यों के अलावा क्रमशः 2, 2, 2 व 6 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

Page No 376

(376)

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 630 की सूची

क्रम सं.	शाला
1	2
1.	रा. शि. प्र. वि. अलवर
2.	रा. शि. प्र. वि. भरतपुर
3.	रा. शि. प्र. वि. गोनेर (जयपुर)
4.	रा. शि. प्र. वि. करौली (सवाईमाधोपुर)
5.	रा. शि. प्र. वि. कुचामनसिटी (नागौर)
6.	रा. शि. प्र. वि. नान्ता महल-कोटा
7.	रा. शि. प्र. वि. बेदला, उदयपुर
8.	रा. शि. प्र. वि. मसूदा, अजमेर
9.	रा. शि. प्र. वि. नवलगढ़ (झुंझुनू)
10.	रा. शि. प्र. वि. आबू पर्वत (सिरोही)
11.	रा. शि. प्र. वि. बाड़मेर
12.	रा. शि. प्र. वि. विद्याशाला, जोधपुर
13.	रा. शि. प्र. वि. फलौदी (जोधपुर)
14.	रा. शि. प्र. वि. झालरापाटन (झालावाड़)
15.	रा. शि. प्र. वि. गढ़ी (बांसवाड़ा)
16.	रा. शि. प्र. वि. शाहपुरा (भीलवाड़ा)
17.	रा. शि. प्र. वि. डूंगरपुर
18.	रा. शि. प्र. वि, जैसलमेर
19.	रा. शि. प्र. वि. बगड़ीनगर (पाली)
20.	रा. शि. प्र. वि. चूरू
21.	रा. शि. प्र. वि. टोंक
22.	रा. शि. प्र. वि. पूगलरोड, बीकानेर

1	2
23.	मान्यता प्राप्त शि. प्र. वि. ग्रामोत्थान-विद्यापीठ, संगरिया (श्री गंगानगर)
24.	हैण्डीक्राफ्ट शि. प्र. वि. परशुरामद्वारा-जयपुर
25.	रा. अल्प भाषा शि. प्र. वि. अजमेर, मान्यता प्राप्त पूर्व प्राथमिक शि. प्र. वि. राजलदेसर, चुरू
26.	रा. शि. प्र. वि. (महिला) जयपुर
27.	रा. शि. प्र. वि. (महिला) जोधपुर
28.	रा. शि. प्र. वि. (महिला) बीकानेर
29.	रा. शि. प्र. वि. (महिला) उदयपुर
30.	रा. शि. प्र. वि. (महिला) बून्दी
31.	मान्यता प्राप्त शि. प्र. वि. सरस्वती बालिका, अजमेर ।

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 634 का विवरण

देशी व विदेशी मदिरा दुकानात के मानचित्र प्राप्त होने का विवरण वित्तीय वर्ष 1983–84

माहवार मानचित्र प्राप्त होने का विवरण

क्रमांक	नाम दुकान	किस्म दुकान	4/83	5/83	6/83	7/83	8/83	9/83	10/83	11/83	12/83	1/84	2/84	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	कहार मोहल्ला	देशी मदिरा	4/5	5/6	4/7	13/8	5/9	4/10	7/11	5/12	3/1	5/2	4/3	
2.	गंज	,,	4/5	5/6	4/7	13/8	5/9	4/10	7/11	5/12	3/1	5/2	4/3	
3.	तोपदड़ा	,,	4/5	5/6	4/7	13/8	5/9	4/10	7/11	5/12	3/1	5/2	4/3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	फाईसागर	देशी मदिरा	4/5	5/6	4/7	13/8	5/9	4/10	7/11	5/12	3/1	5/1	4/3	
5.	नोसर	,,	4/5	5/6	4/7	13/8	5/9	5/9	7/11	5/12	3/1	5/1	4/3	
6.	लोहागल रोड	,,	4/5	5/6	4/7	13/8	5/9	5/9	7/11	5/12	2/1	5/2	4/3	
7.	खाइलेण्ड	,,	4/5	5/6	4/7	13/8	5/9	5/9	7/11	5/12	3/1	5/2	4/3	
8.	क्रिश्चियनगंज	,,	4/5	5/6	4/7	13/8	5/9	5/9	7/11	5/12	3/1	5/2	4/3	
9.	रामनगर	,,	4/5	5/6	4/7	13/8	5/9	5/9	7/11	5/12	3/1	5/2	4/3	
10.	मीरशाली	,,	4/5	5/6	4/7	13/8	5/9	5/9	7/11	5/12	3/1	5/2	4/3	
11.	रामगंज	,,	4/5	6/6	5/7	4/8	3/9	3/10	7/11	5/12	4/1	4/2	5/3	
12.	परबतपुरा	,,	4/5	6/6	5/7	4/8	3/9	3/10	7/11	5/12	4/1	4/2	5/3	
13.	खानपुरा मार्ग	,,	4/5	6/6	5/7	4/8	3/9	3/10	7/11	5/12	4/1	4/2	5/3	
14.	जादूगर	,,	4/5	6/6	5/7	4/8	3/9	3/10	7/11	5/12	4/1	4/2	5/3	
15.	भेरूखेड़ा	,,	4/5	6/6	5/7	4/8	3/9	3/10	ज/11	5/12	4/1	4/2	5/3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	गुलाबबाड़ी	देशी बदिरा	4/5	6/6	5/7	4/8	3/9	3/10	7/11	5/12	4/1	4/2	5/3	
17.	पहाड़गंज	,,	4/5	6/6	5/7	4/8	3/9	3/10	7/11	5/12	4/1	4/2	5/3	
18.	उसरीगेट	,,	4/5	6/6	5/7	4,8	3,9	3/10	7/11	5/12	4/1	4/3	5/3	
19.	मांसुपुरा	,,	4/5	6/6	5/प्र	4/8	3/9	3/10	7/11	5/12	4/1	4/2	5/3	
20.	जोन्सगंज	,,	4/5	6/6	5/7	4/8	3,9	3/10	7/11	5/12	4/1	4/2	5/3	
21	भजनगंज	,,	4/5	6/6	5/7	4/8	3/9	3/10	7/11	5/12	4/1	4/2	5/3	
22.	दूकान नं. 1	विदेशी मदिरा	5/5	8/7	8/7	25/8	20/9	12/10	13/2	8/2	8/2	10/2	8/3	
23.	दूकान नं. 2	,,	5/5	8/7	8/7	25/8	20/9	12/10	13/2	8/2	8/2	10/2	8/3	
24.	दूकान नं. 3	,,	5/5	8/7	8/7	25/8	20/9	12/10	13/2	8/2	8/2	10/2	8/3	
25.	दूकान नं. 4	,,	5/5	8/7	8/7	25/8	20/9	12/10	13/2	8/2	8/2	10/2	8/3	
26.	दूकान नं. 7	,,	5/5	8/7	8/7	25,8	20/9	12/10	13/2	8/2	8/2	10/2	8/3	
27.	दूकान नं. 9	,,	5/5	8/7	8/7	25/8	20,9	12/10	13/2	8/2	8/2	10/2	8/3	
28.	दूकान नं. 12	,,	5/5	8/7	8/7	25/8	20/9	12/10	13/2	8/2	8/2	10/2	8/3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29.	दूकान नं. 14	विदेशी मदिरा	5/5	8/7	8/7	25/8	20/9	12/10	13/2	8/2	8/2	10/2	8/3	
30.	दूकान नं. 5	,,	5/5	8/7	8/7	25/8	13/9	11/10	10/2	2/2	2/2	10/2	8/3	
31.	दूकान नं. 6	,,	5/5	8/7	8/7	16/8	13/9	11/10	10/2	2/2	2/2	10/2	8/3	
32.	दूकान नं. 8	,,	5/5	8/7	8/7	25/8	13/9	11/10	10/2	2/2	2/2	10/2	8/3	
33.	दूकान नं. 10	,,	5/5	8/7	8/7	25/8	13/9	11/10	10/2	2/2	2/2	10/2	8/3	
34.	दूकान नं. 11	,,	5/5	8/7	8/7	25/8	13/9	11/10	10/2	2/2	2/2	10/2	8/3	
35.	दूकान नं. 13	,,	5/5	8/7	8/7	25/8	13/9	11/10	10/2	2/2	2/2	10/2	8/3	
36.	थोक मदिरा दुकान, अजमेर।	,,	16/7	16/7	16/7	10/8	12/10	12/10	14/11	8/3	8/3	8/3	8/3	

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 636 का विवरण

पंचायत समिति, झोटवाडा में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं यात्रा भत्ते पर हुए व्यय का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	वेतन एवं भत्तों पर व्यय	यात्रा भत्ता पर व्यय	योग
1.	1981-82	32,223=68	5,680=02	37,903=70
2.	1982-83	33,770=20	4,249=50	38,019=70
3.	1983-84	37,412=34	2,850=42	40,262=76
	योग	1,03,406=22	12,779=94	1,16,186=16

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 639 का विवरण

परिशिष्ट (क)

क्र. सं.	पेंशनर का नाम	पता ग्राम	पता तहसील	राशि प्रतिमाह
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती जमना	मागदवाडी	सिकराय	40/-
2.	,, नर्वदा	,,	,,	40/-
3.	,, रेशम	सिकराय	,,	40/-
4.	,, सोनी/मोहनलाल	कालवाण	,,	60/-
5.	,, धापा/नाथूलाल	झपडावास	,,	60/-
6.	,, चोथी/कन्हैयालाल	,,	,,	60/-
7.	श्री वाल्या/आनन्दी	मांरोली	,,	60/-
8.	श्रीमती नारायणी/छाज्या	पाडली	,,	60/-
9.	,, तोफा	गारदवाड़ा	,,	40/-
10.	,, अंगूरी	मानपुर	,,	40/-
11.	,, मरको	,,	,,	40/-
12.	,, कल्याणीदेवी	सिकराय	,,	40/-
13.	,, सरज गूजर	बेराड़ा गूजर	,,	40/-
14.	,, कल्याणी	देवरी	,,	40/-
15.	,, धन्नी	घुमना	,,	40/-
16.	,, लाडादेवी	पाटन	,,	40/-
17.	,, सोनी	,,	,,	40/-
18.	श्री दूर्गालाल	,,	,,	40/-
19.	श्रीमती भोरी	,,	,,	40/-
20.	,, राधादेवी	चादेरा	,,	40/-
21.	,, प्रेमा	पाडली	,,	40/-

1	2	3	4	5
22.	श्रीमती, सोनी	पाडली	सिकराय	40/-
23.	,, गुलबाई	गरोट	,,	40/-
24.	,, मूली	ठिकरिया	,,	40/-
25.	श्री शम्भुदयाल	सिकराय	,,	40/-
26.	श्रीमती चेनो	,,	,,	40/-
27.	श्री मोठा	,,	,,	40/-
28.	,, भगवतीप्रसाद जोशी	,,	,,	40/-
29.	श्रीमती लक्ष्मी/प्रभाती	,,	,,	60/-
30.	,, सोनबाई	दागांपुर	,,	40/-
31.	,, कोसी	ठिकरिया	,,	40/-
32.	,, लक्ष्मी	,,	,,	40/-
33.	,, पांछी	,,	,,	40/-
34.	,, छोटी	,,	,,	40/-
35.	,, प्रेमदेवी	सरुण्डला	,,	40/-
36.	,, ग्यारसीदेवी	जयसिंहपुरा	,,	40/-
37.	,, सांजा	सरुण्डला	,,	40/-
38.	,, तोफा	रामेडा	,,	40/-
39.	,, कजोडी	ढ्ढी	,,	40/-
40.	,, रामप्यारी	भण्डारी	,,	40/-
41.	,, नारायणी	ढोलिका	,,	40/-
42.	,, धापा	भण्डारी	,,	40/-
43.	श्री नारायण	इरेका	,,	40/-
44.	श्रीमती अनोखीदेवी	सिकन्दरा	,,	40/-
45.	,, जानकी	लांका	,,	40/-
46.	श्री गंगासहाय	,,	,,	40/-
47.	,, इद्दूखां	पोरकलां	,,	40/-
48.	श्रीमती भोरी	रेटा	,,	40/-
49.	,, कसनी	दुब्बी	,,	40/-
50.	,, प्रभाती	उपवलो	,,	40/-
51.	,, सोमेचा	पाण्डली	,,	40/-
52.	,, नेनी	रामगढ़	,,	40/-

Page No 385

1	2	3	4	5
53.	श्री ग्यारसा	अचलपुरा	सिकराय	46/–
54.	,, अमरा	गोगदवाडी	,,	40/–
55.	श्रीमती तुलसी	,,	,,	40/–
56.	,, गुम्मा	,,	,,	40/–
57.	,, चम्पा	,,	,,	40/–
58.	,, भोरी	गुगा	,,	40/–
59.	,, ग्यारसी	चान्देला	,,	40/–
60.	,, सांवली	,,	,,	40/–
61.	,, कपूरी	मरोटा	,,	40/–
62	,, गुल्ली	छोकरवाड़ा	,,	40/–
63.	,, मूली	,,	,,	40/–
64.	श्री ओंकारनाथ	,,	,,	40/–
65.	श्रीमती कस्तूरी	,,	,,	40/–
66.	श्री बनसी गूजर	लांका	,,	40/–
67.	श्रीमती नारायणी	मानपुर	,,	40/–
68.	,, धनवाई	दुगर	,,	40/–
69.	,, काली	गेरोटा	,,	40/–
70.	श्री गुल्लाराम	गुमानपुरा	,,	40/–
71.	श्रीमती सुशीला	लांका	,,	40/–
72.	,, काली	बनीपुर	,,	40/–
73.	श्री घोसीदेवी	सिकन्दरा	,,	40/–
74.	,, आनन्दी	देवी	,,	40/–
75.	,, मूली	कठिरा	,,	40/–
76.	,, नारायणी	करीडी	,,	40/–
77.	,, सुखीदेवी	,,	,,	40/–
78.	,, चम्पादेवी	सिकन्दरा	,,	40/–

Page No 386

1	2	3	4	5
79.	श्रीमती किसनी	चान्देडा	सिकराय	40/-
80.	श्री मांग्या	गनीपुर	,,	40/-
81.	श्रीमती लक्ष्मी	अम्बाई	,,	40/-
82.	,, सोनी	भोजपुरा	,,	40/-
83.	,, पीसी	शोखपुरा	,,	40/-
84.	श्री मूलचन्द	सिकराय	,,	40/-
85.	,, बद्रीप्रसास	गठोरा	,,	40/-
86.	श्रीमती सरस्वती	,,	,,	40/-
87.	,, केसरदेवी	अम्बाडी	,,	40/-
88.	श्री रामसुखा श्रीमती गोगली	दुब्बी	,,	60/-
89.	,, कृष्णा कोली	कारेरा	,,	40/-
90.	,, जमना	गनीपुर	,,	40/-
91.	,, कन्हैयालाल एवं घापा	दुब्बी	,,	60/-
92.	श्रीमती गोबिन्दी	कोलवा कुर्ख	,,	40/-
93.	श्री रामेश्वर एवं शांती	टोरडा	,,	60/-
94.	श्रीमती नारंगी एवं श्री सबसिंह	पाडली	,,	60/-
95.	,, सुकमा	पोपबली	,,	40/-
96.	श्री घासीलाल शर्मा	रामभोली	,,	40/-
97.	श्रीमती घापा	झापडावास	,,	40/-
98.	श्री रमसी	राणोली	,,	40/-
99.	श्रीमती जम्मूरीदेयी	पाँचोली	,,	40/-
100.	,, तीजी	,,	,,	40/-
101.	,, रामबाई	मुरलीपुर	,,	40/-
102.	,, गुलकन्दी	पोलोडी	,,	40/-
103.	,, भोरी व नानग	धूलकोट	,,	40/-
104.	,, ग्यारसी	,,	,,	40/-
105.	श्री सिरीया	,,	,,	40/-
106.	श्रीमती कलावती	मानपुर	,,	40/-

1	2	3	4	5
107.	श्रीमती रामप्यारी	घूमना	सिकराय	40/–
108.	,, मोसी	मानपुरा	,,	40/–
109.	,, मिश्रीदेवी	रिजढ़	,,	40/–
110.	,, कौशल्या	,,	,,	40/–
111.	,, गुलकन्दी	,,	,,	40/–
112.	,, धापा	,,	,,	40/–
113.	,, राधादेवी	,,	,,	40/–
114.	,, नानगी	,,	,,	40/–
115.	,, सरुपी	,,	,,	40/–
116.	श्री हरिसिंह	,,	,,	40/–
117.	श्रीमती गंगादेवी	,,	,,	40/–
118.	,, भोरी	देवरीया	,,	40/–
119.	,, शान्तिदेवी	,,	,,	40/–
120.	श्री प्रभातीलाल एवं श्रीमती धापा	,,	,,	60/–
121.	श्रीमती मूली	छितरिया	,,	40/–
122.	,, सजना	गीजगढ़	,,	40/–

———

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 643 की सूची

क्र.सं.	नाम महाविद्यालय	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या		स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या	
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5	6
	जिला उदयपुर				
1.	महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर	82	45	67	39
2.	भूपाल नोबल्स, कालेज, उदयपुर	7	5	3	3
3.	विधि महाविद्यालय, उदयपुर	—	—	—	—
4.	विद्याभवन शिक्षण-प्रशिक्षण, उदयपुर	20	16	17	15
5.	विद्याभवन कला संस्थान, उदयपुर	10	2	10	2
6.	विद्याभवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर	20	19	15	17
7.	सिविल इन्जीनियरिंग, उदयपुर	17	9	—	—

1	2	3	4	5	6
8.	कृषि महाविद्यालय, उदयपुर	26	26	23	23
9	लोकमान्य तिलक प्रशिक्षण विद्यालय, डबोक, उदयपुर	17	1	12	1
10.	निम्बार्क शिक्षण-प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर	3	9	3	9
11.	प्रौद्योगिक कृषि विद्यालय, उदपुर ।	47	28	17	12
12.	प. उदय जैन महाविद्यालय, कानोड़	17	6	17	4
13.	एम, वी. श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर	31	3	8	—
14.	स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स, उदयपुर ।	2	2	2	2
15.	डेरी विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर	2	1	2	—
16.	राजकीय शिक्षक-प्रशिक्षक विद्यालय, वेदला	14	63	—	28
17.	राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	3	8	3	8
18.	राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर ।	2	1	2	1
19.	सेठ मथुरादास बिनानी, राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा ।	40	6	40	6
20.	उदयपुर राजकीय महिला शिक्षण-प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर ।	10	8	—	—
21.	मदनमोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर ।	3	3	—	—
22.	नर्सिंग रविन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र, सामान्य चिकित्सालय, उदयपुर ।	17	12	—	—

1	2	3	4	5	6	7
23.	रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर ।		47	20	45	20
जिला चित्तौड़गढ़						
1.	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़		91	9	—	—
2.	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़		13	16	8	12
3.	राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा		13	7	13	7
जिला बांसवाड़ा						
1.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा		26	209	25	209
2.	शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, गढ़ी		—	—	—	—
जिला सिरोही						
1.	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही		102	19	102	19
.	सेठ मंगल चन्द चौधरी, राजकीय महा विद्यालय, आबूरोड ।		55	5	—	—
.	राजकीय शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय, आबू पर्वत ।		—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
	जिला डूंगरपुर				
1.	राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर	57	429	—	—
2.	राजकीय शिक्षण-प्रशिक्षण विद्यालय, डूंगरपुर	47	7	47	7

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 646 की सूची

पूंजीकृत प्रन्यास मन्दिर श्री मेहन्दीपुर बालाजी की चल व अचल सम्पदा की सूची जो पंजीयन दिनांक 8. 3. 1966 को थी।

अचल सम्पदा की सूची

1.	मंदिर बिल्डिंग	अमूल्य
2.	नोहर मंदिर एक	5000–00
3.	धर्मशाला मंदिर (समाधि स्थल)	2500–00
4.	बाग	455–62
5.	मकान पावर हाउस	6500–00
6.	माफी आराजी 24 बीघा चाही व बारानी (यह जमीन खालसा हो चुकी है)	200–00
	योग	146:5–62

चल सम्पदा की सूची

1.	सिंहासन पीतल	10–00
2.	झूला सोने-चांदी का	2000–00
3.	सिंहासन चांदी का	200–00
4.	सिंहासन पीतल का	20–00
5.	गद्दा एक	70–00
6.	गद्दा एक	10–00
7.	गद्दा एक	20–00
8.	दत्तर तीन बड़े दो छोटे	200–00
9.	छत्र सोने का 5 ताम्बे का	500–00
10.	हार सोना	1200–00
11.	कटोरा नग 2 चांदी	20–00
12.	मुकुट सोने का	2500–00
13.	कटोरा नग 2	80–00
14.	आरती चांदी की	20–00

1	2	3
15.	कटोरी चांदी	2-00
16.	चम्मच एक	1-00
17.	चन्दा और चकला	4-00
18.	चौकी गोलख सहित	100-00
19.	चौकी गोलख सादा	50-00
20.	चौकी गोलख सादा	50-00
21.	घड़िया दो	200-00
22.	पंखे की डंडी	50-00
23.	झालर	50-00
24.	केशर डिब्बी	10-00
25.	घंटी दो	120-00
26.	छत्र	10-00
27.	मुकुट	30-00
28.	चांदी की कटोरी व थाल	140-00
29.	मुलफारिक सामान	4591-00
	योग	12258-00

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 648 की सूची

राजस्थान राज्य के बाहर स्थित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार व राजकीय आत्म निर्भर मन्दिरों में नियुक्त कर्मचारियों की सूची :—

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	कुल देय वेतन	वि. वि.
1	2	3	4	5
	अ राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मथुरा जिले में (उ. प्र.) स्थित मन्दिरान के कर्मचारी :—			
1.	श्री वनवारी लाल शर्मा	निरीक्षक	1550/–रु.	प्र. मा.
2.	श्री जगदीश बिहारी गोस्वामी	क. लि.	830/–रु.	–"–
3.	श्री रघुवर पाण्डे	पुजारी	559/–रु.	—
4.	श्री दाऊदयाल शर्मा	–"–	559/–रु.	–"–
5.	श्री लायकसिंह	–"–	559/–रु.	–"
6.	श्री रूपनारायण	रसोईया	503/–रु.	–"
7.	श्री शिवदास	टहलवा	559/–रु.	–"–
8.	श्री रघुवीर सिंह कुशवाह	चौकीदार	503/–रु.	–"–
9.	श्री देवीकिशन	–"–	554/–रु.	–"–
10.	श्री फतहसिंह	–"–	554/–रु.	–"–
11.	श्री रघुवीर सिंह तोमर	–"–	549/–रु.	–"–
12.	श्री रामनाथ सिंह	बुहारिया	493/–रु.	–"–
13.	श्री रामजीलाल	हरिजन	554/–रु.	–"–
14.	श्री हरिवल्लभ शर्मा	पुजारी	461/–रु.	–"–

1	2	3	4	5
15.	श्री उम्मेद सिंह	प्रबंधक	855/–रु.	प्र. मा.
16.	श्री राधाकिशन शर्मा	पुजारी	564/–रु.	–"–
17.	श्री लादूसिंह	–"–	564/–रु.	–"–
18.	श्री लच्छोलाल	–"–	559/–रु.	–"–
19.	श्री द्वारिका प्रसाद	टहलवा	498/–रु.	–"–
20.	श्री टुइयाराम	बुहारिया	554/–रु.	–"–
21.	श्री ऊदलसिंह	चौकीदार	559/–रु.	–"–
22.	श्री प्रभुदयाल	–"–	503/–रु.	–"–
23.	श्री प्रभुलाल	जलसेवक	554/–रु.	–"–
24.	श्री अंजनी राम	बुहारिया	554/–रु.	–"–
25.	श्री घनश्याम शर्मा	–"–	483/–रु.	–"–

ब. राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मथुरा जिले में (उ. प्र.) स्थित मन्दिरान के कर्मचारी

1.	श्री गिरधारी लाल	पुजारी	60/–रु.	प्र. मा
2.	श्री रुकमणी शरण	कथावाचक	15/–रु.	–"–
3.	श्री शोभाराम	माली	15/–रु.	–"–
4.	श्रीमती माया	हरिजन	15/–रु.	–"–
5.	श्री राधाचरण शर्मा	पुजारी	60/–रु.	–"–
6.	श्रीमती गीता	हरिजन	15/–रु.	–"–
7.	श्री रामस्वरूप शर्मा	पुजारी	5/–रु.	–"–
8.	श्री मधुसुदन	भण्डारी	5/–रु.	–"–
9.	श्री वृज किशोर	पुजारी	5/–रु.	–"–

(396)

1	2	3	4	5
10.	श्री शोभाराम	माली	1/–रु. प्र. मा.	
11.	श्रीमती शम्मा	हरिजन	2/–रु. –"–	

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के बनारस (उ० प्र०) में स्थित मन्दिरों के कर्मचारी

1.	श्री गोविन्द शिन्धोरे	पुजारी	425/–रु. प्र. मा.
2.	श्री पतराम	टहलवा	486/–रु. –"–
3.	श्री राममूरतराम	चौकीदार	528/–रु. –"–
4.	श्री रामध्यान मिश्र	टहलवा	463/–रु. –"–
5.	श्री महादेव राय	–"–	540/–रु. –"–

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के उत्तर काशी (उ. प्र.) में स्थित मन्दिरों के कर्मचारी

1.	श्री मनोहरीलाल नोटियाल	प्रबन्धक	594/–रु. प्र. मा.
2.	श्री आनन्द प्रसाद	पुजारी	564/–रु. –"–
3.	श्री प्रेमदेव	–"–	544/–रु. –"–
4.	श्री गोपीराम	रसोईया	544/–रु. –"–
5.	श्री विजयराम	जलसेवक	544/–रु. –"–
6.	श्री शिव प्रसाद	चौकीदार	544/–रु. –"–
7.	श्री हरिया	हरिजन	20/–रु. –"– पार्ट टाइम

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार लल्ली स्मारक बाग भुवाली जिला नैनीताल (उ. प्र.) के कर्मचारी

1.	श्रीमती रमा देवी नेगी	चौकीदारिन	100/–रु. प्र. मा. पार्ट टाइम

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार जयपुर धर्मशाला धरोली जिला उत्तर काशी (उ. प्र.) के कर्मचारी

1.	श्री कुन्दनसिंह	चौकीदार	50/–रु. प्र. मा. पार्ट टाइम

1	2	3	4	5
	राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर व संस्थान वाराणसी (उ. प्र.) के कर्मचारी			
1.	श्री नन्द किशोर पाण्डेय	पुजारी	20/–रु. प्र. मा.	पार्ट टाइम
2.	श्रीमती सुखदेवी	फरशि	20/–रु. –"–	पार्ट टाइम
3.	श्रीमती विठुन देवी	हरिजन	4/–रु. –"–	पार्ट टाइम
4.	श्री कल्लू	–"–	7/–रु. –"–	
5.	श्रीमती सुखदेवी	चौकीदार	20/–रु. –"–	
	राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गंगाजी हरिद्वार (उ. प्र.) के कर्मचारी			
1.	श्री गोविन्द प्रसाद	पुजारी	75/–रु. प्र. मा.	
2.	श्री मुल्लन सिंह	जमादार	20/–रु. –"–	
	राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी, द्वारका (गुजरात) के कर्मचारी			
1.	श्री हनुमान प्रसाद	प्रबन्धक	150/–रु. प्र. मा.	
2.	श्री सीताराम दास	पुजारी	100/–रु. –"–	
3.	श्रीमती यशोदा बाई	चौकीदार	20/–रु. –"–	

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 652 का विवरण

अनुमानित मिल्क पाउडर व आयल के जयपुर पहुंचने का विवरण					वितरण का विवरण		
तिथि	माध्यम	मात्रा (क्विन्टल किलो ग्राम)		उस जिले का नाम जिसके पोषाहार केन्द्रों पर वितरण किया गया	मात्रा (क्विन्टल-किलो ग्राम)		वितरण की तिथि
		आयल	मिल्क पाउडर		आयल	मिल्क पाउडर	
1	2	3	4	5	6	7	8
22.9.84	एसोसियेटेड रोड केरियर्स लि. जयपुर	65-25-650		जैसलमेर	32-62-825	—	20-5-82
23.9.81	,,	306-70-555	—	जयपुर	137-69-180	23-81-400	22-5-82
26.9.81	,,	169-66-690	—	बाड़मेर	—	158-76-000	25-5-82
27.9.81	,,	238-83-879	—	जैसलमेर	—	51-03-000	26-5-82
28.9.81	,,	180-10-794	102-06-000	टौंक	130-51-300	—	27-5-82
29.9.81	,,	203-60-085	102-06-000	नागौर	117-46-170	—	28-5-82
30 81	,,	138-34-378	215-46-000	चित्तौड़गढ़	65-25-650	90-72-000	30-5-82

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.81	एसोसियेटेड रोड	74-39-241	102-06-000	उदयपुर	234-92-340	243-81-000	31-5-82
3.10.81	केरियर्स लि. जयपुर	—	10[illegible]-06-000	बीकानेर	32-62-825	—	1.6.82
9.10.81	,,	—	149-68-800	सिरोही	2[illegible]-10-260	45-36-000	1.6.82
19.10.81	,,	73-08-728	—	भरतपुर	424-16-725	—	1.6.82
				सवाई माधोपुर	104-41-040	—	2.6.82
				जालोर	97-88-475	153-09-000	4.6.82
				सीकर	26-10-260	—	5.6.82
योग		1450-00-900	77[illegible]-38-8[illegible]0	योग	1429-77-050	766-58-400	

नोट :—ज़िला परिषद्, जयपुर द्वारा ट्रान्सपोर्ट के जरिये 1450 क्विटल आयल की डिलीवरी प्राप्त की गई। जिसमें से 1361 क्विन्टल 25 किलो 50 ग्राम आयल सही हालत में पूरे वजन में प्राप्त किया। शेष 88 क्विन्टल 74 किलोग्राम 950 ग्राम आयल डेमेज व लीकेज हालत में था, उसको ट्रान्सपोर्टर के प्रतिनिधि के समक्ष दूसरे ड्रमों में पुनर्भरण करने पर पूरा आयल 1429 क्विन्टल 77 किलो 50 ग्राम सही रहा एवं 20 क्विन्टल 22 किलो 950 ग्राम तेल कम प्राप्त हुआ।

2. जिला परिषद्, जयपुर द्वारा ट्रान्सपोर्ट के जरिये 773 क्विन्टल 38 किलो 808 ग्राम मिल्क पाउडर भी डिलीवरी प्राप्त की गयी। जिसमें से 757 क्विन्टल 96 किलो 560 ग्राम सही हालत में प्राप्त किया एवं 15 क्विन्टल 42 किलो 240 ग्राम के थैले फटे होने के कारण ट्रान्सपोर्टर के सामने दूसरे थैलों में पुनर्भरण किये गये। जिसके फलस्वरूप जिला परिषद्, जयपुर को सही हालत में 766 क्विन्टल 58 किलो 400 ग्राम मिल्क पाउडर सही हालत में प्राप्त हुआ एवं 6 क्विन्टल 80 किलो 400 ग्राम मिल्क पाउडर कम प्राप्त हुआ।